वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

पावर एवं उद्योग
क्षेत्रों में विकास
को गति

पावर और उद्योग क्षेत्रों में विकास को गति

भारत में थर्मल पावर की कुल स्थापित क्षमता का 54%, न्यूक्लियर पावर की कुल स्थापित क्षमता (सेकेंडरी साइड) का 60% और हाइड्रो पावर की कुल स्थापित क्षमता का 43% हिस्सा बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेटों से उत्पादित होता है।

भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीनों चरणों से जुड़ी एकमात्र कंपनी है।

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए इनर वेसल और थर्मल बैफल, स्टीम जेनरेटर-इवैपोरेटर तथा 500 मेगावाट टर्बाइन जनरेटर पैकेज विकसित किया और इसकी आपूर्ति की।

बीसीजीसीएल से उनकी 'कोयला से 2,000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट' प्रोजेक्ट के लिए कोयला गैसीकरण का अब तक का पहला ऑर्डर मिला है, जिसका मूल्य ~8,288 करोड़ रुपये है।

350 मेगावाट गैस टरबाइन में मेथनॉल फायरिंग के लिए आपूर्ति और इरेक्शन का कार्य पूरा किया - भारत में अपनी क्षमता प्रदर्शित करने वाला इस प्रकार का पहला ऐसा प्रोजेक्ट।

भारतीय रेल से 'सेल्फ-प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार' (एसपीआईसी) और 'रेल बॉर्न मेंटेनेंस व्हीकल' (आरबीएमवी) के लिए पहला ऑर्डर हासिल करके ट्रैक मशीन सेगमेंट में प्रवेश किया।

52 एसआरजीएम की आपूर्ति की गई, जिनमें 6 अपग्रेडेड एसआरजीएम शामिल हैं।

एसबीडी बेंगलुरु में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त 'कवच सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (सीओई)' स्थापित की गई।

एचवीडीसी परियोजनाओं में 3 दशकों से अधिक का अनुभव; 1989 से अब तक 6 एचवीडीसी परियोजनाएं पूरी की और 2 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

94 देशों में निर्यात, विदेशों में 14+ गीगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

पुनात्सांगछू-II एचईपी के लिए 3000 मिमि व्यास वाले सबसे बड़े स्फेरिकल वॉल्व की आपूर्ति की गई।

सामग्रियों की तालिका

2 वार्षिक समीक्षा

02 शेयरधारकों को पत्र
04 बीएचईएल में नेतृत्व
10 वर्ष की एक झलक

12 कॉर्पोरेट प्रोफाइल

12 बीएचईएल का परिचय
14 अखिल भारतीय उपस्थिति
16 उत्कृष्टता का सम्मान

21 निदेशक मंडल की रिपोर्ट

21 निदेशक मंडल की रिपोर्ट
29 प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण
60 कॉर्पोरेट अभिशासन
88 संधारणीयता, सीएसआर तथा एचएसई
95 व्यावसायिक उत्तरदायितत्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट
143 अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

175 वित्तीय विवरण

176 एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण
249 समेकित वित्तीय विवरण

328 अतिरिक्त जानकारी

329 वित्तीय निष्पादन प्रवृत्ति
332 एकीकृत रिपोर्टिंग
343 उत्पाद एवं सेवाएं और उनका विवरण
354 शब्दावली

361 सूचना

विशेषताएं

19 विश्वास और उत्कृष्टता के साक्ष्य (प्रतिष्ठित ग्राहकों से प्रशंसा)
35 भारत की परमाणु यात्रा के अगले चरण को तैयार करना
37 राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन में अग्रणी भूमिका : भारत के कोयला से रसायन निर्माण योजना को गति
39 परिवर्तन के संकेत : उन्नत रेल सुरक्षा के क्षेत्र में बीएचईएल की रणनीतिक छलांग
42 सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) - भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए फ्रंटलाइन हथियार सिस्टम
87 बहुमुखी प्रतिभा का केंद्र
142 परीक्षण से मुख्यधारा तक – COBOT आधारित एमआईजी वेल्डिंग सिस्टम
377 ईएसजी (पर्यावरण, सामाजसेवा और अभिशासन) में निवेश

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे आपकी कंपनी की वित्तीय वर्ष 2025-26 की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह वर्ष लगातार विकास, बेहतर निष्पादन और दीर्घकालिक वृद्धि की दिशा में निरंतर प्रगति वाला रहा।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अच्छी वृद्धि हासिल की; बेहतर निष्पादन और प्रचालन प्रदर्शन के कारण प्रचालन से प्राप्त राजस्व में 19% की वृद्धि हुई है। थर्मल, ट्रांसमिशन, कैप्टिव पावर और उद्योग क्षेत्र के व्यवसायों में बड़े ऑर्डर मिलने और कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश से कंपनी की मार्केट में स्थिति और वृद्धि की संभावनाएँ और मज़बूत हुई हैं।

निष्पादन के प्रमुख बिन्दु

मैं आपके साथ निष्पादन के मुख्य बिंदु साझा करना चाहता हूँ:

- ₹75,916 करोड़ के ऑर्डर मिलने से आपकी कंपनी की ऑर्डर बुक ₹2,39,057 करोड़ के अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई है, जो ग्राहकों के भरोसे और मज़बूत राजस्व की संभावना की फिर से पुष्टि करता है।
- प्रचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व 19% बढ़कर ₹33,782 करोड़ हो गया, कर पश्चात लाभ तीन गुना बढ़कर ₹1,578 करोड़ हो गया और EBITDA ₹3,189 करोड़ रहा।
- कंपनी ने ₹4,630 करोड़ का शुद्ध नकद अधिशेष (Net Cash Surplus) अर्जित किया, जो उसके मजबूत वित्तीय अनुशासन और प्रभावी नकद रुपांतरण (Cash Conversion) को रेखांकित करता है।
- पावर सेक्टर में ₹59,256 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए, जिनमें ₹8,288 करोड़ के कोयला गैसीकरण सेगमेंट के ऑर्डर और थर्मल पावर के लगभग 10 गीगावाट के ऑर्डर शामिल हैं।
- उद्योग क्षेत्र तथा अंतरराष्ट्रीय परिचालन सेगमेंट में ₹16,660 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50% अधिक हैं। इनमें भाडला–फतेहपुर लिंक के लिए ±800 केवी, 6,000 मेगावाट एचवीडीसी परियोजना का एक प्रमुख ऑर्डर तथा ग्वाटेमाला, फिजी और निकारागुआ से प्राप्त निर्यात ऑर्डर शामिल हैं।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान भूटान स्थित 6×170 मेगावाट पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना सहित भारत तथा विदेशों में लगभग 8.9 गीगावाट विद्युत क्षमता की कमीशनिंग और सिंक्रोनाइज़ेशन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया।
- कंपनी ने निर्धारित समय से पहले भारतीय नौसेना को चार उन्नत एसआरजीएम (SRGMs) की आपूर्ति की जिससे भारत की रक्षा क्षमता और सुदृढ़ हुई है।
- कंपनी ने निर्धारित समय से पहले मात्र 75 दिनों के रिकॉर्ड समय में पावरग्रिड खावड़ा में 400 केवी गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (GIS) की स्थापना एवं कमीशनिंग का कार्य पूरा किया।
- कंपनी ने मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना से संबद्ध राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के अंतर्गत मालेगांव में एक एकल एचवीडीसी (HVDC) इलेक्ट्रोड स्टेशन की सफलतापूर्वक कमीशनिंग की।
- कंपनी ने ओडिशा स्थित आईओसीएल पारादीप रिफाइनरी में सल्फर रिकवरी यूनिट पैकेज के अपने प्रथम ऑर्डर का सफलतापूर्वक निष्पादन किया, जो तेल एवं गैस क्षेत्र में कंपनी की सुदृढ़ क्षमताओं का परिचायक है।

रणनीतिक पहल एवं भावी दृष्टिकोण

हालिया भू-राजनीतिक व्यवधानों के पश्चात ऊर्जा सुरक्षा पर नए सिरे से जोर दिए जाने से राष्ट्रीय योजना में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा वर्ष 2035-36 तक 315 गीगावाट थर्मल क्षमता की परिकल्पना किए जाने के कारण, थर्मल पावर के लिए बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलने से आपकी कंपनी को अपनी इंजीनियरिंग क्षमता, विनिर्माण क्षमता और परियोजना निष्पादन विशेषज्ञता का लाभ उठाने का मौका मिला है।

साथ ही, कंपनी की ऑर्डर बुक भी पारंपरिक थर्मल व्यवसाय के क्षेत्र से आगे बढ़ रही है

तथा ट्रांसमिशन, रेल परिवहन, कोयला गैसीकरण, रक्षा, औद्योगिक उत्पाद तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय जैसे विविध एवं विकासोन्मुख क्षेत्रों का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्राप्त ऑर्डरों (Order Inflow) में लगभग 29% योगदान रहा है तथा वित्त वर्ष 2026-27 में अग्रेषित की गई बकाया ऑर्डर बुक में भी इनका लगभग समान हिस्सा है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी (डिकार्बोनाइजेशन) की दिशा में परमाणु ऊर्जा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रही है। शांति (SHANTI) अधिनियम के अंतर्गत किए गए सुधारों से वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस क्षेत्र के विकास को गति मिलने की संभावना है। दशकों के प्रमाणित विशेषज्ञता के आधार पर, बीएचईएल इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है तथा भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (Bharat Small Modular Reactors) और अन्य उभरती हुई परमाणु प्रौद्योगिकियों के विकास में भी सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहा है।

नवीकरणीय एनर्जी की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण ग्रिड संतुलन (Grid Balancing) समाधानों की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2035-36 तक 100 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए सरकार की रुपरेखा बीएचईएल के लिए महत्वपूर्ण विकास अवसर प्रदान करती है तथा देश के एनर्जी ट्रांजिशन में उसकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाती है।

भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड से प्राप्त कोल-टू- 2000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट के माध्यम से बीएचईएल ने कोयला गैसीकरण क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश किया है। भारत सरकार की ₹37,500 करोड़ की कोयला एवं लिग्नाइट गैसीफिकेशन पहल के समर्थन से यह उभरता हुआ क्षेत्र कंपनी के लिए महत्वपूर्ण विकास अवसर प्रदान करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड के साथ विश्वसनीय एकीकरण में ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही दो एचवीडीसी (HVDC) टर्मिनल स्टेशन के ऑर्डरों के साथ, बीएचईएल नवीकरणीय ऊर्जा को लंबी दूरी तक मांग केंद्रों (लोड सेंटरों) तक ट्रांसमिट करने में सहयोग करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

80 वंदे भारत ट्रेनसेटों के विनिर्माण कार्य के साथ-साथ, बीएचईएल को दक्षिण पश्चिम रेलवे के एक चिन्हित मार्ग पर 'कवच' (Kavach) सिग्नलिंग प्रणाली के विकास का अपना पहला ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। यह रेल सिग्नलिंग क्षेत्र में कंपनी के विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी चिह्नित विकासशील क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी, आपूर्ति, स्वदेशीकरण तथा क्षमता निर्माण से संबंधित व्यवस्थाओं को निरंतर आगे बढ़ा रही है, जिससे उसकी दीर्घकालिक विविधीकरण रणनीति को और अधिक मजबूती मिल रही है।

व्यावसायिक उत्कृष्टता एवं संधारणीयता

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता (Emission Intensity) में लगभग 15.4% की कमी दर्ज की। साथ ही, अपनी कैप्टिव सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर लगभग 43 मेगावाट कर दिया, जिससे लगभग 4.4 करोड़ यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% अधिक है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 44,000 से अधिक पौधों का रोपण किया तथा हरित विनिर्माण के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए चार अतिरिक्त इकाइयों का ग्रीनको (GreenCo) प्रमाणन के लिए मूल्यांकन कराया। इसके साथ ही, पिछले तीन वर्षों में ग्रीनको प्रमाणन प्राप्त इकाइयों की कुल संख्या बढ़कर बारह हो गई है।

शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कंपनी कॉर्पोरेट अभिशासन तथा अनुपालन के उच्च मानकों को निरंतर बनाए रखती है।

आभार

मैं हमारे ग्राहकों, वेंडरों, कर्मचारियों, निदेशक मंडल तथा भारी उद्योग मंत्रालय के प्रति उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अंतर्मन से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही, मैं आप सभी सम्मानित शेयरधारकों का भी बीएचईएल पर आपके अटूट विश्वास और भरोसे के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

रिकॉर्ड स्तर की ऑर्डर बुक, सुदृढ़ निष्पादन क्षमताओं तथा स्पष्ट रणनीतिक दिशा के बल पर आपकी कंपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने, दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने तथा 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में सार्थक योगदान देने के लिए पूरी तरह सक्षम एवं सुदृढ़ स्थिति में है।

शुभकामनाओं सहित

के . सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

नई दिल्ली
07 जुलाई, 2026

बीएचईएल में नेतृत्व

25 जून 2026 की स्थिति के अनुसार प्रबंधन टीम

श्री के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सरकारी निदेशक/अंशकालिक सरकारी निदेशक

सुश्री निगार फ़ातिमा हुसैन
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री विजय मित्तल
संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री तजिंदर गुप्ता
निदेशक (पावर), अतिरिक्त प्रभार - (मानव संसाधन)

श्रीमती बानी वर्मा
निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद)

श्री राजेश कुमार द्विवेदी
निदेशक (वित्त)

श्री एस एम रामनाथन
निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास)

बीएचईएल **में नेतृत्व**

25 जून 2026 की स्थिति के अनुसार प्रबंधन टीम

प्रबंधन टीम

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तजिंदर गुप्ता
निदेशक (पावर)
अतिरिक्त प्रभार-मानव संसाधन

बानी वर्मा
निदेशक (औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद)

राजेश कुमार द्विवेदी
निदेशक (वित्त)

एस एम रामनाथन
निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास)

जितेंद्र दास
कार्यपालक निदेशक (उद्योग क्षेत्र एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालन), नई दिल्ली

एम अरुणमोड़ी देवन
कार्यपालक निदेशक, (बीएपी), रानीपेट

विनय कुमार बस्सी
कार्यपालक निदेशक (क्षेत्रीय परिचालन प्रभाग), नई दिल्ली

के अशोक
कार्यपालक निदेशक (एचपीबीपी), त्रिची

वाई श्रीनिवास राव
कार्यपालक निदेशक (एचपीईपी), हैदराबाद

बी श्याम बाबू
कार्यपालक निदेशक (ईडीएन), बेंगलुरु

सी वेंकट राव
कार्यपालक निदेशक, (कैपेक्स एवं एसएस एंड पी), नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रभार-सीएफपी, रुद्रपुर

जी. सुब्रह्मण्यम
कार्यपालक निदेशक, (एचपीवीपी), विशाखापत्तनम

राकेश सिंह
कार्यपालक निदेशक, (टीबीजी), नोएडा

ए के वर्मा
कार्यपालक निदेशक, (सीओएम) , नई दिल्ली

एम श्रीधर
कार्यपालक निदेशक, (मानव संसाधन), नई दिल्ली

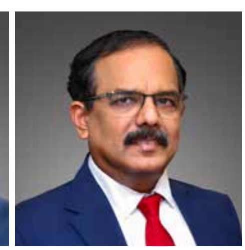

विनोद जेकब सैम
कार्यपालक निदेशक (पीएस-एसआर), चेन्नई

श्यामला वेंकटरमन
कार्यपालक निदेशक, (सीटीएम, सीएसएम एवं सीसी), नई दिल्ली

रिजवान फैजल सिद्दीकी
कार्यपालक निदेशक (टीपी), झांसी

रंजन कुमार
कार्यपालक निदेशक (एचईईपी), हरिद्वार

गौरव गर्ग
कार्यपालक निदेशक (कान्ट्रैक्ट क्लोज़िंग, -पीएसबीजी 1), नई दिल्ली

सुनील दिवाकर
कार्यपालक निदेशक (सीपीपीपी, पीएमजी एवं आईपीएम), नई दिल्ली

उदय शंकर
कार्यपालक निदेशक (पीएस-ईआर), कोलकाता

अजय कुमार
कार्यपालक निदेशक(पीईएम एवं सीपीसी), नोएडा तथा आईएसजी,बेंगलुरु

के जी विजयलक्ष्मी
कार्यपालक निदेशक (प्राप्य प्रबंधन), नई दिल्ली

पी के उपाध्याय
कार्यपालक निदेशक (एचईपी), भोपाल

एच मालती
कार्यपालक निदेशक (कॉर्पोरेट वित्त), नई दिल्ली

वी वी सुब्रह्मण्यम
कार्यपालक निदेशक (कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास), हैदराबाद

अरविंद कुमार गुप्ता
कार्यपालक निदेशक (सीडीटी), नोएडा

यतीन्द्र मोहन
कार्यपालक निदेशक (पीएस-डब्ल्यूआर), नागपुर

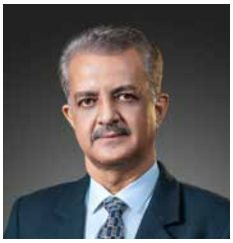

डॉ. निशित बेबीलोनी
कार्यपालक निदेशक (टीबीएसजी), नई दिल्ली

संजय गुहा
कार्यपालक निदेशक (पीएमजी/पीएसबीजी I), नोएडा

पार्थसारथी दास
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एनबीजी), नोएडा

नवीन कौल
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस-मार्केटिंग- पीएसबीजी I), नई दिल्ली

सुमित सल्होत्रा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (कॉस्ट ऑप्टिमाईज़ेशन सेल), नोएडा

सुनील कुमार सोमानी
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एफएसआईपी), जगदीशपुर

अरुणा गुलाटी
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एसबीडी), बेंगलुरु

दीपेश पालित
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस-टीएस), नोएडा

वी के सिंह
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस-एनआर), नोएडा

सुतृप्तो डे
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एनआरईबी), नई दिल्ली

वी श्रीनिवास राव
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (हाइड्रो बिजनेस ग्रुप), नोएडा

रविंदर एच टेकचंदानी
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एसएसबीजी), नोएडा

डॉ. दुर्गेश चंद्र गुप्त
महाप्रबंधक (सीक्यू & बीई), नोएडा

अभिषेक श्रीवास्तव
महाप्रबंधक(एचईआरपी), वाराणसी

असीम मिश्रा
महाप्रबंधक (पीएस-एचक्यू), नई दिल्ली

हीरा लाल भरानी
महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट एचएसई), नोएडा

संजीव श्रीवास्तव
महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट आंतरिक लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

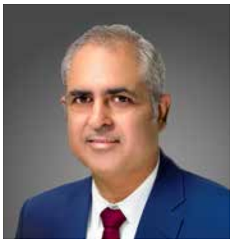

डॉ. योगेश आर छाबड़ा
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट संगठनात्मक संरचना

(25 जून 2026 को)

- **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
  - **निदेशक (अभियांत्रिकी, अनुसंधान एवं विकास)**
    - कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास
    - कॉर्पोरेट प्रचालन प्रबंधन
    - कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन; कोल टू केमिकल्स
    - कैपेक्स
    - सोर्सिंग, स्ट्रेटजी एण्ड पॉलिसी; यूनीफाइड प्रोक्योरमेंट सेल
    - कॉर्पोरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
    - कॉर्पोरेट गुणता एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता
    - कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन सेल
    - भोपाल → हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट
    - हरिद्वार → हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट
    - हैदराबाद → हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट
    - त्रिची
      - हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, त्रिची; सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट, त्रिची
      - इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट, गोइंदवाल
      - पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, तिरुमयम
    - रानीपेट → बॉयलर ऑग्ज़लरी प्लांट
    - बेंगलुरु → इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बेंगलुरु; इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन, बेंगलुरु; इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट, मुंबई
    - झांसी → ट्रांसफॉर्मर प्लांट
    - जगदीशपुर → फेब्रिकेशन, स्टैंपिंग एवं इंसुलेटर प्लांट
    - रुद्रपुर → कंपोनेन्ट फैब्रिकेशन प्लांट
  - **निदेशक (वित्त)**
  - **निदेशक (मानव संसाधन)**
  - **मुख्य सतर्कता अधिकारी**

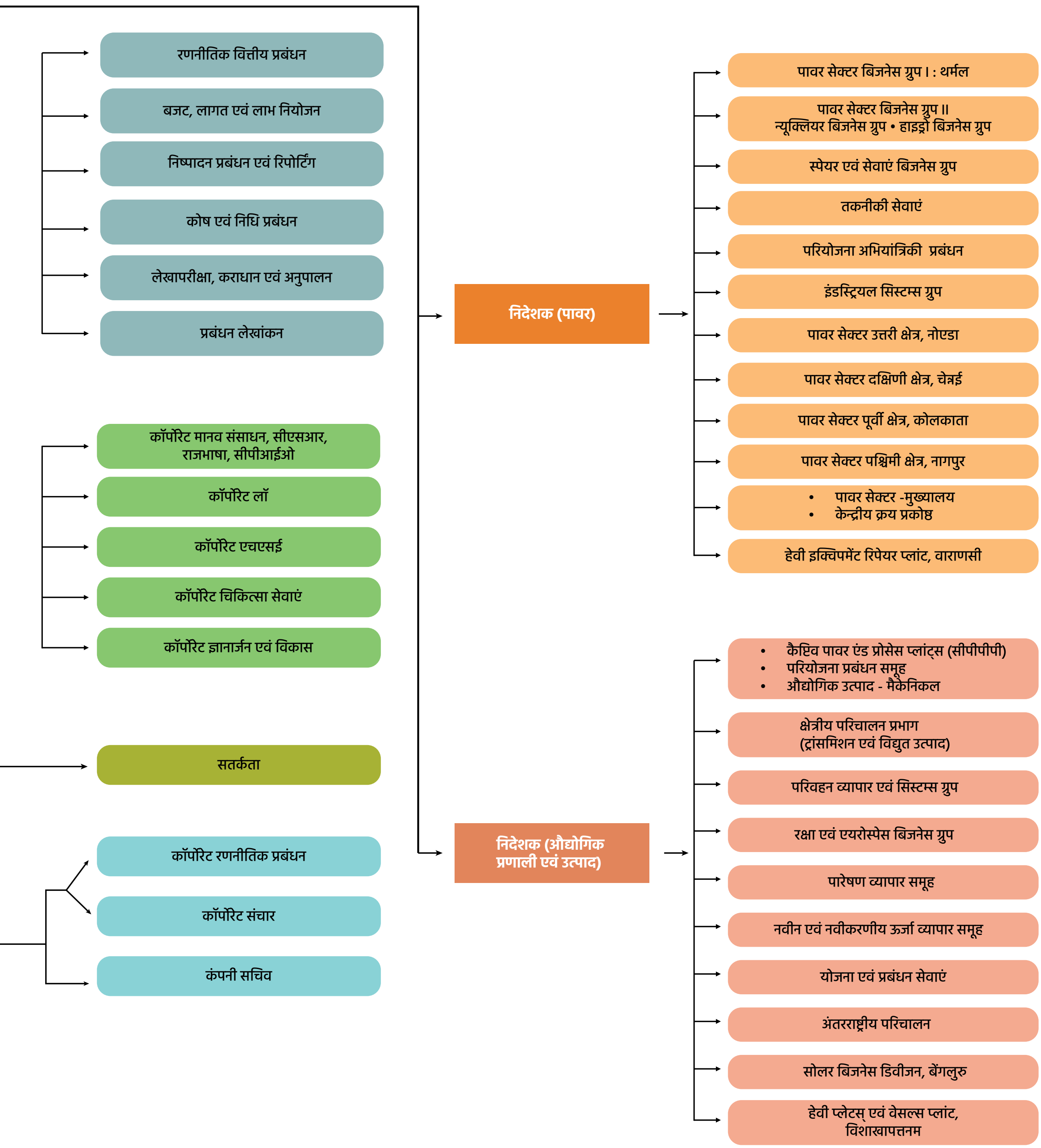

नोट: 1 अप्रैल, 2026 से, सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट का हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट के साथ और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स डिवीजन का हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट के साथ विलय कर दिया गया।

वर्ष 2025-26 एक झलक में

(आँकड़े ₹ करोड़ में जब तक अन्यथा इंगित न किया जाए)

परिचालन से राजस्व (आरएफओ)

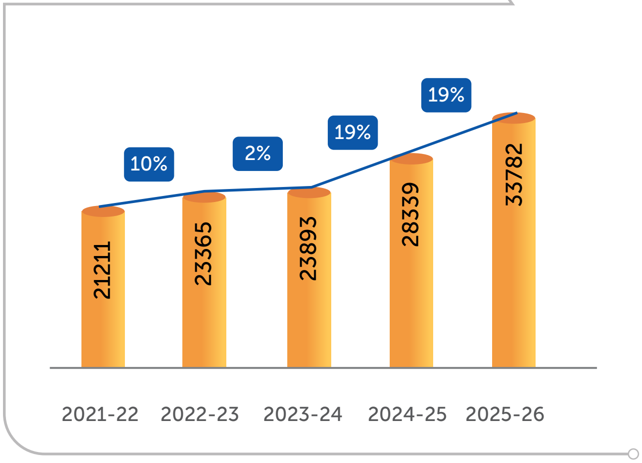

जनशक्ति (संख्या) और राजस्व प्रति कर्मचारी

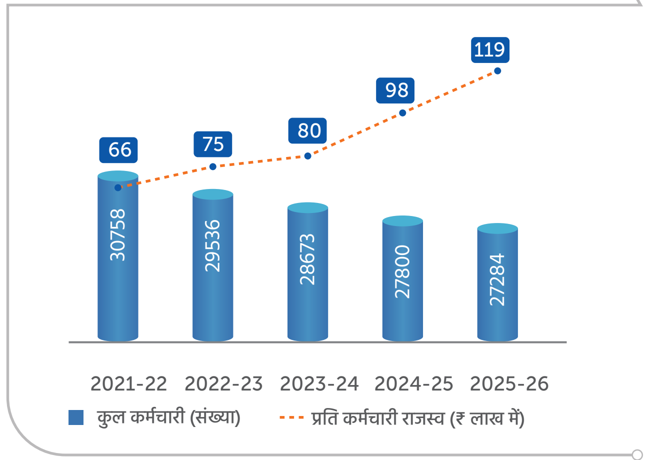

पीबीटी - राजस्व के % के रूप में

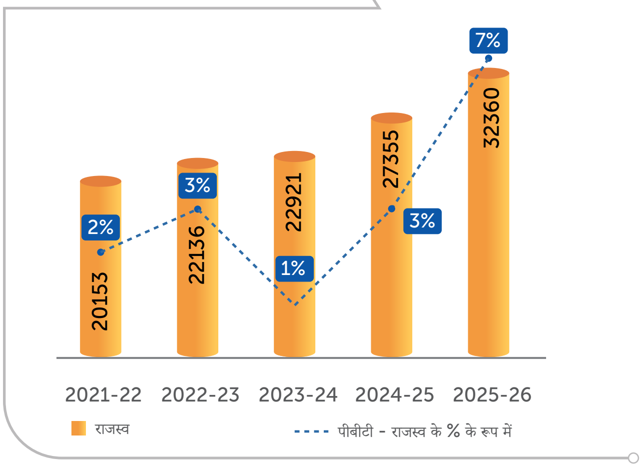

ईबीआईटीडीए - राजस्व के % के रूप में

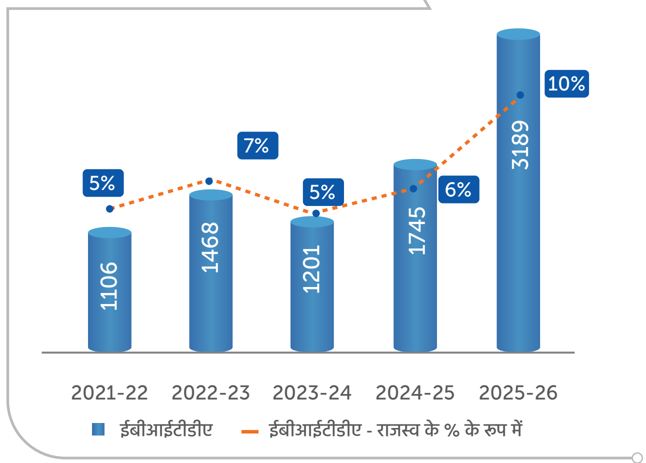

व्यापार प्राप्य एवं दिनों की संख्या

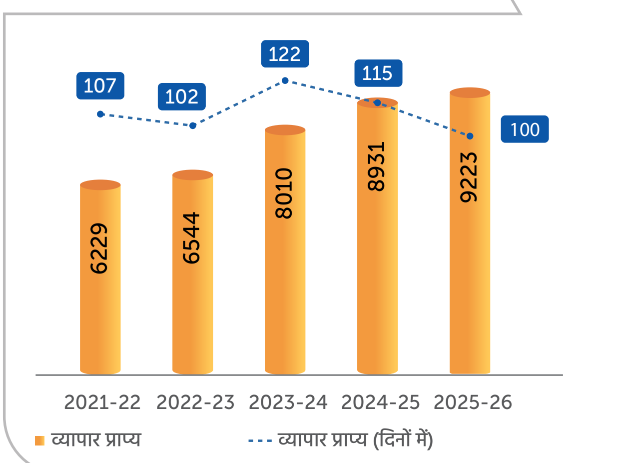

नकदी प्रवाह एवं शेष

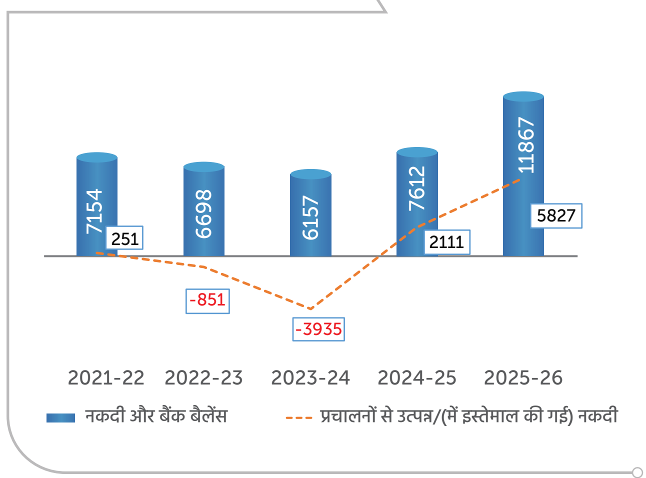

टिप्पणी: राजस्व का अर्थ है 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व'

वर्ष एक झलक में

ऑर्डर बुकिंग

अब तक का सबसे अधिक बकाया ऑर्डर बुक, इंडस्ट्री सेगमेंट में प्राप्त ऑर्डरों में 50% की बढ़ोतरी

विविधीकरण

कोल टू केमिकल बिजनेस के अंतर्गत दो पैकेजों के ऑर्डर प्राप्त हुए; 'कवच' के लिए ऑर्डर प्राप्त हुआ जो कि रेल सिग्नलिंग क्षेत्र में कंपनी के विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है

राजस्व

प्रचालन से ₹33,782 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, इसमें 19% की वार्षिक वृद्धि हुई

हरित पहल

हरित पद्धतियों को अपनाने के लिए चार विनिर्माण इकाइयों को सीआईआईआई द्वारा ग्रीनको (GreenCo) रेटिंग प्रदान की गई

लाभ

PAT 3 गुना बढ़कर ₹1,578 करोड़ हो गया

नवाचार

प्रचालन से प्राप्त राजस्व का लगभग 2.4% अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर व्यय; 400 से अधिक पेटेंट एवं कॉपीराइट आवेदन दाखिल

निष्पादन

लगभग 8.9 गीगावाट विद्युत क्षमता कमीशन/सिंक्रोनाइज की गई

प्रौद्योगिकी साझेदारी

सिरेमिक रडार डोम; इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में मिश्रित-मैट्रिक्स मेम्ब्रेन डायफ्राम ; गैस टर्बाइन इन्फ्रारेड सप्रेशन सिस्टम

कंपनी के बारे में
– हम कौन हैं और हम क्या करते हैं

राष्ट्र निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदार तथा पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान के रूप में **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)** भारत की प्रगति को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग, विनिर्माण क्षमता, परियोजना निष्पादन विशेषज्ञता तथा बिक्री-पश्चात सेवाओं के समन्वय के साथ, बीएचईएल विद्युत, परिवहन, रक्षा, एयरोस्पेस, तेल एवं गैस तथा प्रक्रिया उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। थर्मल, हाइड्रो, गैस, परमाणु एवं सौर ऊर्जा क्षेत्रों में भारत के विद्युत उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ, बीएचईएल देश की ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा विकास तथा आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को साकार करने में एक प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में निरंतर कार्य कर रहा है।

बीएचईएल की स्थापना वर्ष 1964 में एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के रूप में की गई थी, वर्तमान में बीएचईएल में भारत सरकार की 58.17% इक्विटी हिस्सेदारी है। देश भर में फैली 16 विनिर्माण इकाइयों से युक्त सुदृढ़ विनिर्माण नेटवर्क के साथ, बीएचईएल के पास घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रकार की पूंजीगत वस्तुओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण एवं आपूर्ति की व्यापक क्षमताएँ उपलब्ध हैं।

बीएचईएल एक सुदृढ़ आंतरिक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem) का लाभ उठाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए उन्नत समाधानों के सृजन एवं व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस क्षमता को शीर्ष वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ रणनीतिक साझेदारियों द्वारा और सशक्त बनाया गया है, जिससे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का निरंतर समावेश सुनिश्चित होता है। भविष्य उन्मुख विकास के प्रति प्रतिबद्ध बीएचईएल अपनी नवाचार रणनीति को निरंतर बड़े वित्तीय निवेश के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है तथा अनुसंधान एवं विकास (आर&डी) के लिए अपने राजस्व का लगभग 2.4% निवेश करता है।

बीएचईएल में ग्राहक सेवा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को दीर्घकालिक मूल्य सृजन के अभिन्न एवं परस्पर सुदृढ़ करने वाले स्तंभों के रूप में देखा जाता है। सशक्त कॉर्पोरेट नागरिकता की भावना से प्रेरित होकर, कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन इस प्रकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक प्रगति एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। विभिन्न पहलों के माध्यम से बीएचईएल सामुदायिक विकास में सक्रिय योगदान दे रहा है, जिसमें विशेष रुप से कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

विजन

बेहतर भविष्य के लिए समाधान प्रदान करने वाला एक वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम बनना

मिशन

ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना

व्यावसायिक साख

जीवन को ऊर्जा

- भारत और विदेशों में लगभग 214 गीगावाट के विद्युत उत्पादन उपकरण स्थापित
- मल्टी-टर्मिनल यूएचवीडीसी प्रोजेक्ट सहित 6 बड़े एचवीडीसी प्रोजेक्ट पूरे किए गए
- 20+ गीगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट की कमिशनिंग की गई
- स्थापना के बाद से वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत में 476 कोयला आधारित यूटिलिटी सेट, 23 डीजल सेट, 431 हाइड्रो यूटिलिटी सेट, 105 गैस आधारित यूटिलिटी सेट और 15 परमाणु आधारित यूटिलिटी सेट की आपूर्ति की गई

प्रमुख क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान

- 8,40,000+ एमवीए ट्रांसमिशन उपकरणों की आपूर्ति की गई; 300+ सबस्टेशन/स्विचयार्ड की आपूर्ति
- 36,300+ एसी मशीनों की आपूर्ति
- भारतीय रेल और उद्योग क्षेत्र को 850+ लोको की आपूर्ति
- प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए 380+ स्टीम जेनरेटरों की आपूर्ति
- 430+ कंप्रेसर और 92 ऑयल ड्रिलिंग रिंग की आपूर्ति
- 15,000+ वेल हेड और क्रिसमस ट्री वाल्व की आपूर्ति
- भारतीय नौसेना एवं भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाजों के लिए 52 सुपर रैपिड गन माउंट की आपूर्ति
- एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए 1,000+ कम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, लिक्विड कूलिंग सिस्टम और पंप मॉड्यूल की आपूर्ति

वैश्विक उपस्थिति

- विश्व के 94 देशों में उपस्थिति, वर्ष 2025-26 में फ़िजी, ग्वाटेमाला और निकारागुआ के साथ पहली बार व्यापारिक संबंध स्थापित
- भारत के बाहर 14+ गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की आपूर्ति की गई
- वित्त वर्ष 2025–26 में, बीएचईएल ने पहली बार अपने सर्वाधिक क्षमता वाले एयर-कूल्ड सिंक्रोनस जेनरेटर की आपूर्ति की (बोत्सवाना के लिए 175 मेगावाट)

जनशक्ति का सम्मान

- प्रतिबद्ध जनशक्ति -27,200+ कर्मचारी
- 1,590+ महिला कर्मचारी
- 9,000+ अभियंता
- 1973 से सहभागी प्रबंधन संस्कृति

सामाजिक उत्थान

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंटीग्रिटी पैक्ट पर हस्ताक्षरकर्ता
- '1t.org' पर शपथ के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच (WEF) के वन ट्रिलियन वृक्ष अभियान का हिस्सा
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 44,380+ पौधे लगाए गए

नवाचार

- अनुसंधान एवं विकास पर सतत व्यय - वित्त वर्ष 2025-26 के राजस्व का लगभग 2.4% व्यय किया गया, 6,000+ कुल आईपीआर कैपिटल (बौद्धिक संपदा अधिकार पूंजी)
- अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास
- 4 अनुसंधान संस्थान; 13 उत्कृष्टता केंद्र
- 11 विनिर्माण इकाइयों और प्रभागों के डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र

अखिल भारतीय उपस्थिति

(31 मार्च 2026 तक)

16	08	15	04	02
विनिर्माण इकाइयां	सेवा केंद्र	क्षेत्रीय विपणन केंद्र	क्षेत्रीय कार्यालय	मरम्मत इकाइयां

विनिर्माण संयंत्रों / इकाइयों की अवस्थिति

बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयां	बेंगलुरु	1. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन (ईडीएन) 2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन (ईएसडी) 3. सोलर बिजनेस डिवीजन
	भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी)
	गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट (आईवीपी)
	हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट (एचईईपी 7. सेंट्रल फ़ाउन्ड्री फ़ोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
	हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी)
	जगदीशपुर	9. फैब्रिकेशन स्टैंपिंग एवं इंसुलेटर प्लांट (एफएसआईपी)
	झांसी	10. ट्रांसफॉर्मर प्लांट (टीपी)
	रुद्रपुर	11. कंपोनेन्ट फैब्रिकेशन प्लांट (सीएफपी)
	रानीपेट	12. बॉयलर ऑग्जीलरीज प्लांट (बीएपी)
	तिरुचिरापल्ली	13. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी) 14. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी)
	थिरुमयम	15. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
	विशाखापत्तनम	16. हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल की मरम्मत इकाइयां	मुंबई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी)
	वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी)

*भारत का नक्शा सांकेतिक है, यह आवश्यक नहीं है कि यह पैमाने के अनुरूप हो।

उत्कृष्टता का सम्मान

1. बीएचईएल को अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार श्रेणी में वर्ष 2022–23 के लिए प्रतिष्ठित स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में प्रदान किया गया।
2. बीएचईएल को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 'उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन' तथा 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी गृह पत्रिका' श्रेणियों में प्रदान किए गए।
3. बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों की आठ गुणता चक्र टीमों ने गुणता नियंत्रण चक्रों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन–2025 (ICQCC-2025) में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार (Gold Awards) प्राप्त किए। ये पुरस्कार अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में नवीन सोच को प्रोत्साहित करने, कार्य प्रक्रियाओं को सरल बनाने, गुणवत्ता में सुधार करने तथा अपने – अपने कार्यक्षेत्रों में नवोन्मेषी उपकरणों एवं तकनीकों

के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए गए।

4. क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया (क्यूसीएफआई) द्वारा आयोजित 39वें नेशनल कन्वेन्शन ऑन क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स (एनसीक्यूसी)-2025 में बीएचईएल की 77 क्वालिटी सर्किल टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'पार एक्सेलेंस (Par Excellence)' तथा 'एक्सेलेंस (Excellence)' पुरस्कार प्राप्त किए।

5. ईईपीसी इंडिया क्वालिटी अवाड्र्स -2025 के पाँचवें संस्करण में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) श्रेणी के अंतर्गत प्लैटिनम पुरस्कार प्राप्त किया।

6. ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप एंड एक्सेलेंस अवॉर्ड्स–2025 में 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका (Leadership in Digital Transformation' तथा 'स्वदेशी उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी के सशक्तिकरण (Empowering Indigenous Production and Technology)' श्रेणियों में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किए।

7. बीएचईएल को एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा इंजीनियरिंग श्रेणी में प्लैटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों तथा उच्च मानकों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया।

8. निदेशक (वित्त) को कोयंबटूर में आयोजित 63वें राष्ट्रीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार सम्मेलन–2026 में विशिष्ट वक्ता (Distinguished Speaker) के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने "राइज़ इंडिया (RISE India)" लीडर्स मीट में अपने संबोधन के दौरान विनिर्माण उत्कृष्टता तथा परियोजना निष्पादन में उत्कृष्टता के संबंध में अपना दृष्टिकोण साझा किया।

9. बीएचईएल को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा विभिन्न श्रेणियों में पाँच पीएसई एक्सेलेंस अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं एवं दिव्यांगजन के योगदान, परिचालन प्रदर्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की श्रेणियों में प्रदान किए गए। साथ ही, 'कंपनी ऑफ द ईयर' के लिए ज्यूरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

10. बीएचईएल ने गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवॉड्र्स – 2026 में महारत्न पीएसयू श्रेणी के अंतर्गत तीन पुरस्कार प्राप्त किए। ये पुरस्कार 'आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने (आत्मनिर्भर भारत), मानव संसाधन उत्कृष्टता (समग्र) तथा 'एचआर लीडरशिप इन रिस्किलिंग एण्ड फ्यूचर वर्कफोर्स रेडीनेस' के क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रदान किए गए।

11. ईईपीसी इंडिया एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अवॉड्र्स – 2025 में उत्कृष्ट निर्यात प्रदर्शन के लिए वर्ष 2019–20 हेतु गोल्ड ट्रॉफी तथा वर्ष 2020–21 हेतु विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

12. ईटी एनर्जी लीडरशिप अवॉड्र्स – 2025 में 'उपकरण निर्माता' तथा 'कर्मचारी सुरक्षा' श्रेणियों में ज्यूरी रिकॉगनिशन अवार्ड (Jury Recognition Awards) से सम्मानित किया गया।

13. प्रतिष्ठित गवर्नेंस नाउ पीएसयू आईटी फोरम एंड अवॉर्ड्स–2025 में बीएचईएल को चार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उभरती प्रौद्योगिकियों के सर्वोत्तम उपयोग (Best Use of Emerging Technologies), डेटा एनालिटिक्स एण्ड बिज़नेस इंटेलिजेंस (Data Analytics and Business Intelligence), सर्वश्रेष्ठ आईटी कार्यान्वयन परियोजना (Best IT Implementation Project) तथा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एवं आईटी नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए गए।

विश्वास और उत्कृष्टता के प्रमाण

(सम्मानित ग्राहकों से प्राप्त प्रशंसा)

केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनकी सहायक कंपनियों से

एनटीपीसी NTPC | दामोदर घाटी निगम DVC | NLC INDIA | NTECL | सेल SAIL

राज्य सरकारों की पावर कंपनियों से

KARNATAKA POWER CORPORATION LTD | GSECL GUJARAT STATE ELECTRICITY CORPORATION LTD. | NRL | MAHAGENCO

निजी क्षेत्र की कंपनियों से

ADITYA BIRLA HINDALCO | adani Power

अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए प्रशंसा

ADITYA BIRLA PT INDO BHARAT RAYON — Indonesia

وزارة النفط MINISTRY OF OIL — Republic of Iraq

CES — Senegal

प्रशंसा पत्र

RK GROUP

Appreciation Letter

Date: 11-Apr-2025

To

GM & Head (CPPP, PMG & IPM)
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)

Subject: Appreciation for Early Supply of Spare Rotor for Wonder Cement 1 x 12 MW STG Project

Dear Sir/Madam,

We would like to extend our sincere appreciation to Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) for the early delivery of the spare rotor for the Wonder Cement 1 x 12 MW Steam Turbine Generator (STG) project.

Your team's proactive approach and commitment to timely support have significantly

---

ADITYA BIRLA
PT INDO BHARAT RAYON

Date:07-02-2026

General Manager
International Operations Division
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED,
Lodhi Road, New Delhi-110003
India

Subject: Appreciation of BHEL's technical support and supply of critical parts of Unit #3 Turbine NRV for restoring the stable operation of the Plant.

We are writing to express our sincere gratitude for the exceptional support provided by BHEL in resolving the critical issues with our Unit #3 Turbine (15 MW) exhaust non-return valve.

अल्लू अनंत
सीएमडी प्रभारी

ALLU ANANTH
CMD In-Charge

भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम) परमाणु ऊर्जा विभाग
कल्पाक्कम, चेंगलपट्टु जिला, तमिलनाडु,
भारत, पिन – 603 102
Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited
(A Government of India Enterprise) Dept. of Atomic Energy
Kalpakkam, Chengalpattu Dist
Tamil Nadu, India, PIN – 603 102

संख्या /No. BHAVINI/CMD/ 2026/40 — तिथि Date: 15.04.2026

Subject: First Criticality of PFBR, Kalpakkam – reg

Dear Sir,

I wish to express our sincere appreciation to M/s BHEL for the invaluable contribution in manufacturing & supplying the Inner Vessel, Thermal Baffle, Main Plan package including TG & Auxiliaries and AC Variable Speed Drive System for the 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR). Your team's commitment to quality and precision has been instrumental in achieving the First Criticality of PFBR at Kalpakkam on 6th Apr 2026.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

अनुलग्नक -I 21
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

अनुलग्नक -II........ 60
कॉर्पोरेट अभिशासन

अनुलग्नक -III 86
सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र

अनुलग्नक -IV........ 88
संधारणीयता, सीएसआर एवं एचएसई

अनुलग्नक -V 95
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

अनुलग्नक -VI........ 143
अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

अनुलग्नक -VII 146
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं अनुसंधान एवं विकास,
विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

अनुलग्नक -VIII........147
राजभाषा कार्यान्वयन एवं सतर्कता तंत्र

अनुलग्नक -IX........150
फॉर्म एओसी-I एवं एओसी-II

अनुलग्नक -X 153
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के वैधानिक और लागत लेखा परीक्षक

अनुलग्नक -XI........154
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सी&एजी की टिप्पणी

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशक मंडल को आपकी कंपनी के व्यवसाय और परिचालन की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

इस वर्ष के दौरान वित्तीय और परिचालन संबंधी कार्यनिष्पादन कंपनी की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता, मजबूत व्यावसायिक आधार और निष्पादन को बेहतर बनाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। भारत के अग्रणी इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम के रूप में, बीएचईएल ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक मजबूत ऑर्डर बुक, बेहतर कार्यनिष्पादन गति और एक विविधीकृत व्यावसायिक पोर्टफोलियो के साथ, कंपनी सभी हितधारकों के लिए सतत और दीर्घकालिक मूल्य बनाने के साथ-साथ 'विकसित भारत' के विजन में बीएचईएल के योगदान को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन के मुख्य बिन्दु

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए	
	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
परिचालन से आय	33,782	28,339
EBITDA	3,189	1,745
कर पूर्व लाभ	2,116	725
कर पश्चात लाभ	1,578	513
प्रति शेयर आय (₹)	4.53	1.47
लाभांश प्रति शेयर (₹)	1.40 (70%)	0.50 (25%)
व्यापार प्राप्य (आरएफ़ओ के दिनों की संख्या)	100	115
व्यापार देय (क्रय के दिनों की संख्या)	165	201
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकद	5,827	2,111

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- **राजस्व वृद्धि:** मजबूत ऑर्डर बुक स्थिति और शॉप क्षमताओं के 25% बेहतर उपयोग के चलते, कंपनी ने परिचालन से राजस्व में 19% की वृद्धि हासिल की है।
- **लाभप्रदता:** बेहतर परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के परिणामस्वरुप, EBITDA 83% बढ़कर ₹3,189 करोड़ हो गया, जबकि कर पश्चात लाभ पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना से अधिक बढ़कर ₹1,578 करोड़ हो गया।
- **नकद वसूली:** कंपनी ने प्रेषण के बदले नकद वसूली पर मजबूत ध्यान बनाए रखा, जिसके परिणामस्वरुप पिछले वर्ष की तुलना में 41% की वृद्धि हुई। ग्राहकों से कुल नकद संग्रह ₹46,425 करोड़ रहा, जो राजस्व का 143% है।
- **व्यापार प्राप्य:** प्राप्य प्रबंधन पर कंपनी के विशेष जोर देने के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महत्वपूर्ण सुधार हुआ। परिचालन से राजस्व (RFO) में 19% की वृद्धि के प्रभाव को समाहित करने के बाद, RFO के दिनों के रूप में व्यापार प्राप्य घटकर 100 दिन रह गया, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे बेहतर है।
- **व्यापार देय:** आपूर्ति श्रृंखला को सक्षम करके निष्पादन में तेजी लाने पर कंपनी के ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरुप, व्यापार देय दिनों की संख्या वित्तीय वर्ष 2025-26 में घटकर 165 दिन रह गई, जो पिछले वर्ष 201 दिन थी।
- **तरलता प्रबंधन:** प्रभावी कार्यशील पूंजी प्रबंधन को दर्शाते हुए, कंपनी ने वर्ष के दौरान परिचालन से ₹5,827 करोड़ का नकद प्रवाह उत्पन्न किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 176% की वृद्धि है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का एक व्यापक विश्लेषण, जिसमें इसके वित्तीय परिणाम, वित्तीय स्थिति, फंड की स्थिति, प्रमुख वित्तीय अनुपात और श्रेणीवार कार्य निष्पादन इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-I के खंड 1.4 में शामिल है।

कंपनी की स्थिति

कंपनी ने निरंतर ऑर्डर प्राप्ति, बेहतर परियोजना निष्पादन, उन्नत परिचालन दक्षता और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के के दौरान अपनी व्यावसायिक स्थिति को मजबूत करना जारी रखा। एक विविधीकृत व्यावसायिक पोर्टफोलियो और मजबूत निष्पादन क्षमताओं के बल पर, कंपनी ने अपने प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी व्यावसायिक गति बनाए रखी। वर्ष के दौरान कंपनी की

प्राप्त ऑर्डर (कर शामिल नहीं)
(₹ करोड़ में)

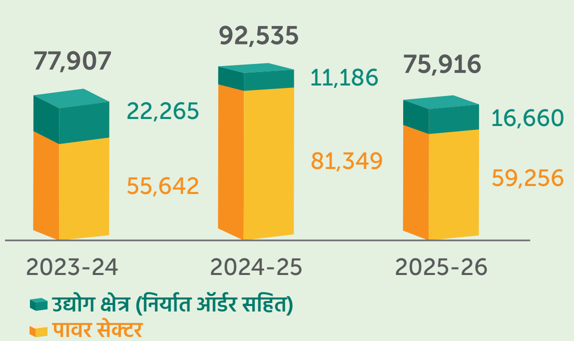

कुल बकाया ऑर्डर (कर शामिल नहीं)
(₹ करोड़ में)

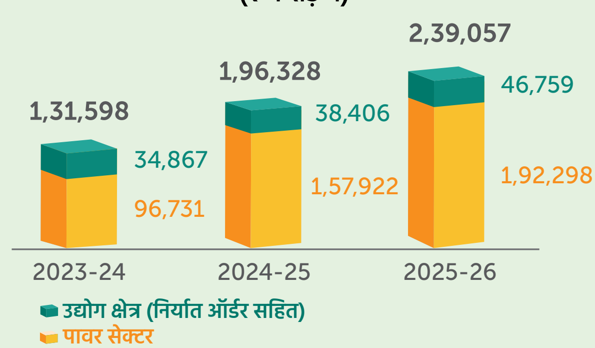

बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को ₹109.98 करोड़ का अंतिम लाभांश दिया

स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अनुलग्नक-I के साथ पढ़ा जा सकता है।

ऑर्डर बुक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बड़ी संख्या में मिले ऑर्डरों ने कंपनी के ऑर्डर बुक को और अधिक मजबूत किया, जिससे भविष्य के व्यावसायिक विकास के लिए सुदृढ़ राजस्व निश्चितता और एक मजबूत आधार मिला। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की ऑर्डर बुक की स्थिति का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ 21 पर दिए गए ग्राफ में दिया गया है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अपनी मजबूत ऑर्डर प्राप्ति की गति को बनाए रखा, जिसमें वर्ष के दौरान ₹75,916 करोड़ मूल्य के ऑर्डर प्राप्त किए गए, जिसमें ₹209 करोड़ के निर्यात ऑर्डर भी शामिल हैं। कंपनी थर्मल पावर के मुख्य व्यवसाय के साथ साथ पारेषण, परिवहन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कोल से केमिकल क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रही है, जो विविधीकरण की दिशा में इसके निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में, बीएचईएल ने बीसीजीसीएल से उसके 2000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट प्लांट के लिए लगभग ₹8,300 करोड़ (कर शामिल नहीं) के ऑर्डर प्राप्त किए, जिसमें कोल गैसीफिकेशन और रॉ सिनगैस क्लीनिंग प्लांट के लिए LSTK1 पैकेज और सिनगैस प्यूरीफिकेशन प्लांट के लिए LSTK2 पैकेज शामिल हैं, जिससे कोयला गैसीकरण क्षेत्र में कंपनी की स्थिति मजबूत हुई है।

बीएचईएल सतत विकास को गति देने, लाभप्रदता बढ़ाने और पारंपरिक थर्मल पावर व्यवसाय पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से नए विकास क्षेत्रों में विविधीकरण कर रहा है। अपनी मुख्य इंजीनियरिंग, विनिर्माण और परियोजना निष्पादन क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, कंपनी ने उभरते और गैर थर्मल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर हासिल किए हैं।

31 मार्च 2026 तक, कंपनी की ₹2,39,057 करोड़ की कुल बकाया ऑर्डर में ₹66,000 करोड़ से अधिक के गैर थर्मल ऑर्डर शामिल हैं, जो इसके

व्यावसायिक पोर्टफोलियो के मजबूत विविधीकरण को दर्शाता है। यह हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर, कोल से केमिकल, रेल परिवहन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, पावर पारेषण, ऑयल एवं गैस, औद्योगिक उत्पाद और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बीएचईएल की बढ़ती उपस्थिति को दिखाता है।

कंपनी की अब तक की सबसे उच्चतम स्तर की ऑर्डर बुक परिचालन के उच्च स्तरों का समर्थन करती है, जिससे परिचालनगत दक्षता और लाभप्रदता में वृद्धि की मजबूत क्षमता निर्मित होती है।

परियोजना निष्पादन और सुपुर्दगी

कंपनी ने परियोजना निष्पादन क्षमताओं को मजबूत करने, सुपुर्दगी निष्पादन में सुधार करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रित पहल करना जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 8.9 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता को सफलतापूर्वक चालू किया जो कंपनी की मजबूत परियोजना निष्पादन क्षमताओं और देश की बिजली उत्पादन क्षमता को मजबूत करने में निरंतर योगदान को दर्शाता है।

निष्पादन को और अधिक मजबूत करने के लिए, कंपनी ने परियोजना आवश्यकताओं के साथ विनिर्माण क्षमताओं को संरेखित करने, निष्पादन समय-सीमा को कम करने और निष्पादन दक्षता में सुधार करने के लिए उन्नत विनिर्माण पहल, नपातुला आउटसोर्सिंग और लक्षित क्षमता वृद्धि को अपनाया। इसके अलावा, क्रय में तेजी लाने, महत्वपूर्ण मुद्दों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करने और व्यावसायिक क्षेत्रों में समय पर परियोजना निष्पादन का समर्थन करने के लिए सुव्यवस्थित निर्णय लेने की प्रणाली शुरु की गई।

परिचालन उत्कृष्टता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता

कंपनी ने अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में परिचालन दक्षता बढ़ाने और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए रणनीतिक पहलों को लागू करना जारी रखा। इनमें बड़े पैमाने की किफ़ायतों का लाभ उठाने के लिए केंद्रीकृत क्रय और उप संविदा के माध्यम से क्रय आवश्यकताओं का एकत्रीकरण, विनिर्माण क्षमताओं का अनुकूलन और परिचालन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार शामिल थे।

इन पहलों ने निष्पादन दक्षता में सुधार, क्षमता उपयोग में वृद्धि, निष्पादन समय-सीमा में कमी और निरंतर लागत अनुकूलन में योगदान दिया, जिससे कंपनी के समग्र परिचालन कार्य निष्पादन को मजबूती मिली।

कार्यशील पूंजी और तरलता प्रबंधन

कंपनी ने परियोजनाओं और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्राप्य राशि की निगरानी के लिए एक संरचित और प्रणाली-संचालित व्यवस्था लागू की है, जिसके परिणामस्वरुप वसूली दक्षता में सुधार हुआ है और बकाया राशि की वसूली में तेजी आई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केंद्रित प्राप्य प्रबंधन ने कंपनी को प्रेषण के बदले ग्राहकों से वसूली में पिछले वर्ष की तुलना में 41% की वृद्धि हासिल की, जिसमें कुल वसूली राजस्व का 143% रही। इसने कंपनी की तरलता स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया और अल्पकालिक बाहरी ऋणों पर इसकी निर्भरता को कम किया।

परिणामस्वरूप, कार्यशील पूंजी प्रबंधन पर निरंतर ध्यान, अनुशासित प्राप्य निगरानी, प्रभावी नकद वसूली और बेहतर संविदा प्रबंधन को दर्शाते हुए, व्यापार प्राप्य पिछले वर्ष के परिचालन से राजस्व 115 दिनों से सुधरकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 100 दिन हो गया।

बेहतर वसूली दक्षता और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन के सहयोग से, कंपनी ने क्रय हेतु भुगतान प्रणाली को सुव्यवस्थित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 28% की वृद्धि दर्शाता है, जिससे परियोजना निष्पादन में तेजी आई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के व्यापार देय दिनों की संख्या पिछले वर्ष के 201 दिनों से घटकर 165 दिन रह गई, जो निष्पादन को तेज करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला पर दिए गए जोर को दर्शाता है। इसने आपूर्तिकर्ताओं के विश्वास को मजबूत किया है, आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता बढ़ाई है और परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन में सहायता की है।

विवेकपूर्ण ट्रेजरी और तरलता प्रबंधन के अंतर्गत, पर्याप्त परिचालन तरलता सुनिश्चित करते हुए रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए समय-समय पर उपलब्ध अधिशेष फंडों को सावधि जमा में लगाया गया। अल्पकालिक परिचालन और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी ने विभिन्न उधारी साधनों जैसे वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन (WCDLs), सावधि जमा के एवज में ऋण और सूचीबद्ध वाणिज्यिक दस्तावेजों का उपयोग करना जारी रखा।

बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन, कम वित्तपोषण लागत और उन्नत निष्पादन सहायता के संयुक्त लाभों से तेजी से परियोजना निष्पादन, बेहतर नकद सृजन और उच्च लाभप्रदता का एक सकारात्मक चक्र बनने की उम्मीद है।

पूंजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने परिचालन दक्षता बढ़ाने, उत्पादकता का समर्थन करने और उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ परिचालन को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और युक्तिकरण पर पूंजीगत व्यय के रूप में ₹671 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹536 करोड़) खर्च किए। कंपनी ने अपने पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से आंतरिक उपचय के माध्यम से पूरा किया।

लाभांश

निदेशक मंडल ने 4 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभ में से चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर @70% (₹2 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.40) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो ₹487.49 करोड़ होता है।

कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("LODR") के नियम 43A की आवश्यकताओं के अनुसरण में एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है: https://www.bhel.com/sites/default/ files/ Board_Approved%20Dividend%20Distribution%20 Policy.pdf.

अनुशंसित लाभांश कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुरुप है।

आरक्षित निधि में अंतरण

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आरक्षित निधि में किसी भी राशि का अंतरण नहीं किया है।

जमा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा V के दायरे में आने वाले लोगों से जमा स्वीकार नहीं किया है।

ऋण, गारंटी एवं निवेश

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत आने वाले ऋणों या अग्रिमों से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हुआ है। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेख के 'वित्तीय आस्तियां-निवेश' पर नोट 5 के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने संयुक्त उद्यम, मेसर्स भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड की ओर से बिना कोई शुल्क/प्रतिफल लिए जारी की गई कॉर्पोरेट गारंटी लागू रहेगी। कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने के उचित मूल्य को शुरुआत में इंड एएस 109 के अनुसार वित्तीय देनदारी की संबंधित मान्यता के साथ एक डीम्ड निवेश के रूप में मान्यता दी गई है। उक्त डीम्ड निवेश और देनदारी को बाद में लागू इंड एएस फ्रेमवर्क के अनुसार मापा और लेखांकित किया जा रहा है और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है।

साख श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इस प्रकार हैं:

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग की तिथि	दीर्घावधि रेटिंग	आउटलूक	अल्पावधि रेटिंग
CRISIL	03-07-2026	CRISIL AA	स्थिर	CRISIL A1+
	06-08-2025	CRISIL AA-	स्थिर	CRISIL A1+
INDIA RATINGS	30-03-2026	IND AA-	सकारात्मक	IND A1+
	26-06-2025	IND AA-	स्थिर	IND A1+
CARE	16-06-2026	CARE AA	स्थिर	CARE A1+
	17-06-2025	CARE AA-	स्थिर	CARE A1+

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक किसी भी नियामक, अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की निरंतर चालू रहने की स्थिति को प्रभावित कर सकता हो या इसके भविष्य के संचालन को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकता हो।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की मुख्य प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कंपनी ने अपनी मौजूदा व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखा, जिसमें पिछले वर्षों में शुरु किए गए विविधीकृत व्यावसायिक संचालन शामिल हैं।

ट्रेडिंग का स्थगन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग स्थगित नहीं की गई थी।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार, निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:

ए) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों (इंड एएस) का पालन किया गया है साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि की सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके;

सी) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को कार्यशील व्यवसाय के आधार पर तैयार किया है;

ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र निर्धारित किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं;

एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आपकी कंपनी ने अपने मुख्य व्यवसाय के साथ-साथ विविधीकरण, परिचालन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने तथा परियोजना निष्पादन में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी विकास गति को बनाए रखा है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया **निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्रक-I** को देखें।

कॉर्पोरेट अभिशासन

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 34 के अनुसार, कॉर्पोरेट अभिशासन (निदेशक मंडल और समिति की बैठकों के विवरण सहित) पर रिपोर्ट **निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्रक II** में निम्नलिखित के साथ दी गई है:

I. सेबी सूचीयन विनियमों की अनुसूची V के तहत निदेशकों की गैर-निरर्हता का प्रमाण पत्र।

II. सेबी सूचीयन विनियमों के तहत कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश

III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 24A के तहत सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

स्वतंत्रता घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत स्वतंत्रता के मानदंडों से संबंधित घोषणा और सेबी सूचीयन विनियमों के नियम 25(8) के तहत घोषणा, श्री रमेश पाटिल्या मावसकर, स्वतंत्र निदेशक द्वारा निदेशक मंडल को दी गई है। श्री रमेश पाटिल्या मावसकर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 150 के तहत अधिसूचित भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (IICA) के ऑनलाइन डेटाबेस पर पंजीकृत हैं और उन्होंने IICA द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्व-मूल्यांकन परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक ईमानदारी, आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले कंपनी से त्यागपत्र नहीं दिया है।

अनुपालन

आपकी कंपनी अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निरंतर समीक्षा करती है और उसे मजबूत बनाती है।

- कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्चतम मानक को प्राप्त करने के लिए, परिचालन में नैतिक और पारदर्शी कार्यप्रणाली के साथ-साथ सत्यनिष्ठा बनाई रखी जाती है।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, लागू कानूनों/अधिनियमों पर एक त्रैमासिक कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।
- एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किसी भी वित्तीय मामले पर सेबी की ओर से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।
- वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, कंपनी भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस), मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई, कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य लागू कानूनों द्वारा जारी अन्य आधिकारिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

  आपकी कंपनी द्वारा अपने वित्तीय विवरण में प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण में पारदर्शिता को निरंतर बढ़ाने का सतत प्रयास, अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजकोष में योगदान

कंपनी पिछले कुछ वर्षों से लगातार राजकोष में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और कर अनुपालन के संबंध में ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रख रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, राजकोष में कंपनी का योगदान ₹7,098 करोड़ था।

लेखा परीक्षा समिति

27 मार्च, 2026 तक, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के नियमों, डीपीई दिशानिर्देशों और सेबी सूचीयन विनियमों के तहत एक निदेशक मंडल स्तर की लेखापरीक्षा समिति कार्यरत थी, जिसका विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट **(अनुलग्रक-II)** में दिया गया है। नियमित अंतराल पर आयोजित बैठकों में सभी मुद्दों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विचार-विमर्श किया जाता है। निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखा जाता है और कंपनी की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार न किया हो।

हालांकि, 28 मार्च, 2026 से, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण सेबी सूचीयन विनियमों के अनुसार कोरम से संबंधित अनुपालन पूरे नहीं किए जा सके। तदनुसार, 28 मार्च, 2026 से, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश/समीक्षा/अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को सीधे निदेशक मंडल को उनकी समीक्षा/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जा रहे थे।

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का विवरण

नियुक्ति

सुश्री निगार फातिमा हुसैन, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को 27 अप्रैल, 2026 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लागू वैधानिक प्रावधानों और कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 67(iv) के अनुसार, सुश्री निगार फातिमा हुसैन, जिन्हें अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, कंपनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक तक निदेशक का पद संभालेंगी और बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुच्छेद 67(i) के अनुसार, श्री राजेश कुमार द्विवेदी और श्री एस एम रामनाथन वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते, वे स्वयं को पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव रखेंगे।

सेवा समापन

सुश्री आरती भटनागर, पूर्व विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिन्हें 14 फरवरी, 2023 को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, का अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 सितंबर, 2025 को अंशकालिक सरकारी निदेशक का पद समाप्त हो गया।

श्री कृष्ण कुमार ठाकुर, जिन्हें 4 जुलाई, 2023 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय के 18 मार्च, 2026 के आदेश के अनुसार, एनएमडीसी लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) के पद का पदभार संभालने के लिए 19 मार्च, 2026 (पूर्वाह्न) से इस कार्यभार से मुक्त कर दिया गया था।

श्री अशोक असेरी और श्री आशीष चतुर्वेदी, जिन्हें 29 मार्च, 2025 को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किया गया था, 27 मार्च, 2026 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के निदेशक पद से मुक्त हो गए।

श्री असित गोपाल, विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिन्हें 3 फरवरी, 2026 को अंशकालिक आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया था, 27 अप्रैल, 2026 को अंशकालिक सरकारी निदेशक पद से मुक्त कर दिया गया।

श्री रमेश पाटिल्या मावसकर, जिन्हें 8 जून, 2023 को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किया गया था, को 1 जून, 2026 को सेवा कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के निदेशक के पद से मुक्त कर दिया गया।

निदेशक मंडल सुश्री आरती भटनागर, श्री कृष्ण कुमार ठाकुर, श्री अशोक असेरी, श्री आशीष चतुर्वेदी, श्री असित गोपाल और श्री रमेश पाटिल्या मावसकर द्वारा बीएचईएल निदेशक मंडल में अपने-अपने कार्यकाल के दौरान दी गई बहुमूल्य सेवाओं, सलाह और मार्गदर्शन के लिए पुरजोर सराहना करता है।

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 36(3) के अनुपालन में, विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति और उन कंपनियों के नाम जहाँ वे निदेशक पद पर हैं, साथ नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण और या निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, के सूचना के विस्तृत विवरण/अनुलग्नक में दिया गया है।

सीईओ/सीएफ़ओ प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 17(8) के अनुसार सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र **निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) और सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 34 के अनुसार तैयार समेकित वित्तीय विवरणों का संक्षिप्त विवरण प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण **(अनुलग्नक I)** के अंतर्गत खंड 1.4.3 में दिया गया है।

संधारणीय विकास

आज के औद्योगिक परिदृश्य में, बीएचईएल के लिए संधारणीयता एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गई है। कंपनी अपनी 'हरित बीएचईएल' के माध्यम से अपने मुख्य परिचालन में पर्यावरण संरक्षण को एकीकृत करती है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2047 तक 'नेट जीरो' उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है, जो बीएचईएल को नई ऊंचाइयों और पारदर्शी रिपोर्टिंग के साथ एक आदर्श ग्रीन पीएसयू के रूप में स्थापित करेगा।

बीएचईएल दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां, अपशिष्ट प्रबंधन, जल अनुकूलन और शून्य-तरल निर्वहन शामिल हैं। इसके प्रयासों में वृक्षारोपण, हरित आवरण संरक्षण, जल निकायों का पुनरुद्धार, जैव विविधता को बढ़ावा देना और सभी गतिविधियों में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों (कम करना-पुनः उपयोग करना-पुनर्चक्रण करना) को लागू करना शामिल है। उपनगरी सख्त प्रवर्तन के माध्यम से 'एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त' प्रमाणन बनाए रखती हैं, जबकि विनिर्माण इकाइयां ग्रीनको रेटिंग्स प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।

इन सभी पहलों का विस्तृत विवरण **निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV** में दिया गया है। ये पहलें हमारे ग्रह की रक्षा करने के साथ-साथ हितधारकों एवं भावी पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का सृजन करती हैं।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण

बीएचईएल स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण में प्रबंधन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी का एचएसई प्रदर्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी दुर्घटनाओं को राका जा सकता है और दीर्घकालिक सफलता के लिए एक स्वस्थ व सुरक्षित कार्य वातावरण आवश्यक है। कर्मचारियों, ठेकेदारों और कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी में साझा सुरक्षा संस्कृति को सही प्रशिक्षण, सक्रिय जोखिम प्रबंधन और प्रासंगिक कानूनों व सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरुप शून्य दुर्घटना के लक्ष्य के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

पर्यावरण संरक्षण हमारी परिचालन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है - योजना से समापन तक। इसमें उत्सर्जन एवं ऊर्जा की खपत में कमी, जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और प्रदूषण रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तरदायित्व, सतत सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एचएसई कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाती है।

माननीय केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, श्री एच. डी. कुमारस्वामी द्वारा एचईईपी, हरिद्वार में बीएचईएल का नया 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया

इसका विस्तृत विवरण **निदेशक रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV, खंड 4.3** में दिया गया है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

सूचीयन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा दी गई पहलों का वर्णन करने वाली 'व्यवसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट' निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक-V में संलग्न है। पाँच प्रमुख वैश्विक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (GRI, SDG, TCFD, CDP और SASB) के साथ ESG प्रकटन और BRSR की मैपिंग को समझने के लिए एक गाइड एनएसई वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय विकास की उपलब्धियां

बीएचईएल 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न के अनुरूप नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में निरंतर अग्रणी रहा है। कंपनी कोयले से रसायन, उच्च दक्षता वाले थर्मल पावर प्लांट, रेल परिवहन, पावर ट्रांसमिशन, परमाणु ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस, डाउनस्ट्रीम तेल व गैस, ग्रीन हाइड्रोजन और ई मोबिलिटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नई तकनीकों के विकास तथा उनके व्यावसायीकरण में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल अपनी मौजूदा तकनीकों और उत्पाद श्रेणियों के निरंतर उन्नयन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास

गतिविधियों पर लगभग ₹822 करोड़ व्यय किए, जो कि इसके परिचालन राजस्व का लगभग 2.4% है। इसमें नए उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के विकास के लिए शुरु की गई R&D परियोजनाओं पर हुआ खर्च, तथा मौजूदा उत्पादों व डिज़ाइनों के संशोधन एवं सुधार के प्रयास शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने 428 बौद्धिक संपदा अधिकार आवेदन दायर किए, जिससे इसके कुल पेटेंट/IPR का संचयी भंडार बढ़कर 6,068 हो गया है। कंपनी का लगभग ~₹4,693 करोड़ का राजस्व, जो कुल राजस्व का 14% है, स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं से प्राप्त हुआ है। इन प्रमुख विकासों का विस्तृत विवरण **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VI** में दिया गया है।

डेटा और साइबर सुरक्षा

बीएचईएल वैश्विक मानकों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) के माध्यम से अपने जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की एक प्रमुख उपलब्धि ISO/IEC 27001:2022 मानकों को अपनाना तथा अपने आईटी और साइबर सुरक्षा बुनियादी फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाना रही है। तकनीकी सुरक्षा के साथ-साथ, बीएचईएल संरचित प्रशिक्षण और सर्ट-इन (CERT-In) के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के जरिए सुरक्षा-जागरुक संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हेतु 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम' (DPDP Act), 2023 के अनुपालन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और जन-सामर्थ्य का यह एकीकृत दृष्टिकोण मजबूत साइबर आघात सहनीयता और महत्वपूर्ण सूचना संपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसका विस्तृत विवरण निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-I, खंड 1.12 में दिया गया है।

अन्य प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी लेखा नियम, 2014 के साथ पठित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VII** में दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को निदेशक मंडल रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के विवरण का खुलासा करना आवश्यक है। हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463ई के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का पालन करने से छूट दी गई है। बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है और इसलिए ये सूचना निदेशक मंडल रिपोर्ट में शामिल नहीं है।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (फॉर्म एओसी-1) के अनुसार विवरण और कंपनी अधिनियम की धारा 134(3) (एच) के अनुसार फॉर्म एओसी -II **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-IX** में दिया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

बीएचईएल भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा 'हिंदी' के प्रयोग और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कंपनी ने राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। विस्तृत विवरण **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

सतर्कता तंत्र

बीएचईएल अपने परिचालन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों को कायम रखता है। कंपनी ने परिचालन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। कंपनी अनुचित और अनैतिक पद्धतियों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करती है और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 22 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के संदर्भ में, कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है जो शिकायतकर्ता को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है।

निदेशक मंडल लेखा समिति (बीएलएसी) व्हिसल ब्लोअर/ सतर्कता तंत्र के कामकाज की समीक्षा करती है और सतर्कता कार्य की वार्षिक समीक्षा सीएमडी/ निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। अधिक विवरण, **निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक- VIII** में दिया गया है।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत कार्यवाही

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत वर्ष के दौरान बीएचईएल के खिलाफ कोई आवेदन नहीं मिला है और 31 मार्च, 2026 तक आईबीसी के तहत बीएचईएल के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ऋण स्वीकृति और एकबारगी निपटान के बीच मूल्यांकन अंतर

बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन और एकबारगी निपटान के समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण- कंपनी पर लागू नहीं होता है।

मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित मातृत्व लाभों से संबंधित सभी लागू प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन कर रही है।

सांवधिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांवधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। सांवधिक लेखा परीक्षकों की दो फर्मों को

संयुक्त सांवधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और पाँच फर्मों को शाखा लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक फार्मों के नाम अनुलग्नक-X में दिए गए हैं।

लेखे पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एकल (स्टैंडअलोन) और समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक-XI में दी गई है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी पूरक लेखा परीक्षा रिपोर्ट भी अनुलग्नक-XI का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा सेबी (सूचीयन) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की सचिवीय लेखापरीक्षा संपन्न कराने हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, जो कि पूर्णकालिक प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव हैं, को नियुक्त किया। उनकी रिपोर्ट इस रिपोर्ट के 'कॉर्पोरेट अभिशासन' खंड का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पाया है कि:

(i) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल की कुल क्षमता के आधे से भी कम थी, जैसा कि सेबी सूचीयन विनियमों के नियम 17(1), कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.1.4 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के तहत आवश्यक है। इसके अलावा, कंपनी में एक भी स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि सेबी सूचीयन विनियमों के नियम 17(1) के तहत आवश्यक है; और

(ii) दिनांक 28.03.2026 से 31.03.2026 की समयावधि के दौरान, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन सेबी सूचीयन विनियमों के क्रमशः नियम 18 (1) और (2) और 19, कॉर्पोरेट अभिशासन डीपीई दिशानिर्देशों के क्रमशः पैरा 4.1.1 और 4.4 और 5.1 और कंपनी अधिनियम, 2013 की क्रमशः धारा 177 (2) और 178 (1) के अनुसार नहीं थी, क्योंकि उक्त अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक ही शेष थे।

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण पर भी गौर किया है कि चूंकि बीएचईएल, एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और इसलिए अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। इसके अलावा, कंपनी अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ संपर्क में रही है और अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध कर रही है, ताकि सेबी सूचीयन विनियमों, कॉर्पोरेट अभिशासन और कंपनी अधिनियम, 2013 पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रबंधन ने स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों के संबंध में दी गई टिप्पणियों को संज्ञान में लिया है और स्पष्ट किया है कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने निर्धारित सांविधिक एवं विनियामक समय-सीमाओं के अनुसार सभी लागू कॉर्पोरेट कार्य योजना का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसी किसी भी कॉर्पोरेट कार्रवाई के कार्यान्वयन में कोई विलंब या विचलन नहीं हुआ है।

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों [कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित] के अनुसार, कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड बनाए रखना और उनकी लेखापरीक्षा कराना अनिवार्य है। कंपनी ने अपने संबंधित उत्पादों के लिए निर्धारित लागत रिकॉर्ड एवं लेखा विधिवत बनाए रखे हैं तथा लागू वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इनकी नियमित समीक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की 14 विनिर्माण इकाइयों के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा हेतु एक 'प्रमुख लागत लेखापरीक्षक' सहित सात लागत लेखापरीक्षा फर्मों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की थी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नियुक्त लेखा परीक्षा फर्मों का ब्योरा (जिसे शेयरधारकों द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है) **अनुलग्नक-X** में दिया गया है। इन लागत लेखापरीक्षकों के लिए कुल ₹15.76 लाख का पारिश्रमिक स्वीकृत किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समयावधि के भीतर केंद्र सरकार के पास फाइल कर दी गई थी, जिसमें कोई भी अर्हता, आरक्षण या अस्वीकरण शामिल नहीं था।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत लेखापरीक्षा कार्य प्रगति पर है। इसके पूरा होने पर, कंपनी अधिनियम, 2013 एवं तत्संबंधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दर्ज कर दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागत लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु लागत लेखापरीक्षकों का विवरण तथा उन्हें देय प्रस्तावित पारिश्रमिक (जो शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन है) आगामी वार्षिक आम बैठक के नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में प्रदान किया गया है।

प्रशंसा एवं आभार

आपके निदेशकगण, कंपनी के परिचालन के और रणनीतिक पहलों के विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार, विशेष रुप से भारी उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण विभिन्न मंत्रालयों, सांविधिक प्राधिकारियों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के मूल्यवान समर्थन और निरंतर सहयोग के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी है।

निदेशकगण, जटिल और दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के समाधान में सहयोग देने के लिए भारत एवं विदेशों में स्थित कंपनी के सभी सम्मानित ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पेशेवर निकायों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों के प्रति उनके रचनात्मक सुझावों और निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण, कंपनी के सम्मानित शेयरधारकों द्वारा प्रबंधन पर जताए गए अटूट विश्वास और समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा भविष्य में भी ऐसे ही निरंतर सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

निदेशकगण अपने सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों से प्राप्त निरंतर सहयोग के लिए उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। हम वित्तीय संस्थानों, बैंकरों और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

अंत में, आपके निदेशकगण कंपनी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दिन-रात काम करने वाले बीएचईएल के सभी कर्मचारियों को उनकी लगन, कर्मठ प्रयासों, कड़े परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए उनका सहृदय आभार व्यक्त करते हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07 जुलाई, 2026

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक- I
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1 आर्थिक और व्यावसायिक परिदृश्य

IMF के अनुसार, भू-राजनीतिक तनावों और व्यापारिक संघर्षों के बावजूद वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.4% की दर से बढ़ी है। इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच, मजबूत निजी उपभोग, निवेश गतिविधियों, सरकारी व्यय और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलने से भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ एवं लचीली बनी रही। MoSPI के अनुसार, जीएसटी दरों के युक्तिकरण, मौद्रिक नीति में ढील, अनुकूल वित्तीय स्थितियों और संरचनात्मक सुधारों के बल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देश की विकास दर 7.7% दर्ज की गई।

बढ़ती अर्थव्यवस्था को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, नीति निर्माताओं ने CEA द्वारा जारी 'दीर्घकालिक संसाधन पर्याप्तता योजना' (LTRAP) के तहत वित्त वर्ष 2035-36 तक 315 गीगावाट कोयला-आधारित बिजली क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए, जिनमें बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2025-26 में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की।

वर्ष 2031-2035 के लिए भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), वर्ष 2035 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 60% संचयी विद्युत क्षमता प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता है। जिससे नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण के साथ-साथ जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने और वर्ष 2035-36 तक 100 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हासिल करने का रोडमैप अत्यंत परिवर्तनकारी है। इसके अनुरूप, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत यूटिलिटी नई क्षमताओं को जोड़ने की योजना बना रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बीएचईएल को जल विद्युत व्यवसाय क्षेत्र में चंजू III एचईपी और सुन्नी बांध एचईपी परियोजनाओं के लिए दो ई&एम पैकेजों का ऑर्डर प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) के ट्रांसफॉर्मर क्षमता अनुमानों के अनुरूप पारेषण व्यवसाय में उत्पादों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता में तीव्र विस्तार ने पावर ट्रान्समिशन क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न किए हैं, क्योंकि मांग केंद्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों से दूर स्थित हैं। इसी के परिणामस्वरूप, बीएचईएल को वर्ष के दौरान भादला - फतेहपुर एचवीडीसी परियोजना के लिए ट्रान्समिशन क्षेत्र में एक प्रमुख ऑर्डर प्राप्त हुआ है।

रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण के लिए सरकार के रणनीतिक प्रोत्साहन से तीनों सशस्त्र बलों में नए अवसर खुले हैं। भारतीय नौसेना को 30 से अधिक वर्षों से एसआरजीएम आपूर्ति करने के अपने अनूठे अनुभव का लाभ उठाते हुए बीएचईएल रक्षा क्षेत्र में नए अवसरों पर कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सैन्य विमानों के लिए 'कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर' और 'पंप मॉड्यूल' के डिजाइन व निर्माण की दुर्लभ क्षमता के साथ कंपनी विभिन्न एयरोस्पेस प्लेटफॉर्मों के लिए इनका विकास कर रही है।

कोयला गैसीकरण जैसे नए क्षेत्रों में, बीएचईएल को 'भारत कोल गैसीकरण एंड केमिकल्स लिमिटेड' (BCGCL) से उसके 2000 TPD अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र हेतु ~₹8,300 करोड़ (कर को छोड़कर) का बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। बीएचईएल राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के लक्ष्यों को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

1.2 अवसर एवं चुनौतियाँ

हालिया भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर नए सिरे से दिए जा रहे जोर ने कोयला-आधारित बिजली उत्पादन को राष्ट्रीय योजना के केंद्र में ला खड़ा किया है। पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान मूल उपकरण निर्माताओं को 35 GW से अधिक की थर्मल पावर परियोजनाओं के ऑर्डर मिलना इस पुनरुत्थान का स्पष्ट प्रमाण है। यह गति आगे भी बने रहने का अनुमान है, क्योंकि देश वर्ष 2034-35 तक 97 GW अतिरिक्त कोयला-आधारित क्षमता (2022-23 के आधार वर्ष के साथ) स्थापित करने का लक्ष्य रख रहा है। बीएचईएल इस अवसर का लाभ उठाने हेतु EPC निष्पादन में अपनी मुख्य दक्षताओं का उपयोग करने के लिए सुदृढ़ स्थिति में है।

ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के उच्च समावेश से उत्पन्न अस्थिरता के बीच ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु, भारत सरकार जलविद्युत क्षमता के व्यापक विस्तार की योजना बना रही है। इसमें लघु जलविद्युत, बड़े पारंपरिक संयंत्र और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (PSPs) शामिल हैं। CEA द्वारा 2035-36 तक 100 GW की PSP क्षमता का निर्धारित लक्ष्य आगामी 4-5 वर्षों में बीएचईएल के लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करता है। पारंपरिक जलविद्युत क्षेत्र में भी बीएचईएल अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।

परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म-आधारित विद्युत उत्पादन के एक विश्वसनीय व कम-कार्बन विकल्प के रूप में नई गति प्राप्त कर रही है। डेटा सेंटरों जैसे ऊर्जा-गहन अनुप्रयोगों के लिए इसकी प्रासंगिकता निरंतर बढ़ रही है। भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाने हेतु SHANTI अधिनियम के प्रवर्तन तथा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के क्रिटिकलिटी प्राप्त करने जैसी उपलब्धि देश के परमाणु कार्यक्रम की नई दिशा को रेखांकित करते हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों प्रणालियों हेतु उपकरणों की आपूर्ति में व्यापक अनुभव के साथ बीएचईएल इस क्षेत्र में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए सुदृढ़ स्थिति में है।

नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के तीव्र विस्तार और तदनुरुपी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता से बिजली पारेषण खंड में महत्त्वपूर्ण अवसर उभर रहे हैं। 2030 तक 500 GW RE हेतु CEA की ट्रांसमिशन योजना रिपोर्ट के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा की निर्बाध निकासी के लिए UHVAC, सिंक्रोनस कंडेनसर (SynCon) और HVDC कॉरीडोर जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ग्रिड को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे लगातार नए अवसर सृजित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, विकसित हो रही ट्रांसमिशन परियोजनाओं की मजबूत पाइपलाइन का लाभ उठाने के लिए बीएचईएल अपनी तकनीकी क्षमताओं और निष्पादन अनुभव के साथ तत्पर है।

प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य एवं क्षमता रोडमैप (TPCR) 2025 के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण में तेजी आने की उम्मीद है। इससे बीएचईएल के लिए नौसेना तोपों, नौसैनिक गैस टर्बाइनों और उन्नत रक्षा उपकरणों जैसे उत्पादों के निर्माण में निरंतर अवसर पैदा होंगे। बीएचईएल इस रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु पूर्णतः तैयार है।

भारतीय रेलवे का चल रहा आधुनिकीकरण एवं बुनियादी ढांचा उन्नयन हाई-हॉर्सपावर लोकोमोटिव, ट्रेनसेट, सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक मशीनों और अन्य रेल तकनीकों में महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहा है। ये अवसर प्रणोदन प्रणालियों और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बीएचईएल की मुख्य ताकतों के पूरक हैं। इससे रेलवे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में बीएचईएल को मदद मिलेगी।

स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच का पहला प्रोटोटाइप ऑर्डर मिलना एक प्रमुख उपलब्धि है, जो बीएचईएल को आधुनिक रेलवे सिग्नलिंग के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्थापित करने एवं बढ़ाने की स्थिति में लाता है।

इस्पात, उर्वरक, रिफाइनरी और सीमेंट सहित प्रमुख उद्योगों में विस्तार और तकनीकी उन्नयन औद्योगिक उत्पादों एवं कैप्टिव पावर के क्षेत्र में बीएचईएल के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कैप्टिव पावर प्लांटों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, और यह सकारात्मक गति आगे भी बने रहने की संभावना है।

वर्तमान भू-राजनीतिक परिवेश में, आपूर्ति श्रृंखलाएँ भू-राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न व्यवधानों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई हैं, जिससे समुद्री मार्गों में अनिश्चितता, उच्च माल ढुलाई व बीमा लागत और पारगमन समय में वृद्धि हुई है।

इन जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से, कंपनी घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में अपने आपूर्तिकर्ता आधार का सक्रिय रूप से विविधीकरण कर रही है। प्रमुख पहलों में तरलता सहायता के माध्यम से विक्रेता भागीदारी को मजबूत करना, कुशल भुगतान प्रणालियों का कार्यान्वयन, तथा खरीद व उप संविदा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना शामिल है। इन उपायों से आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा, परिचालन की निरंतरता सुनिश्चित होगी और अनिश्चित होते वैश्विक परिवेश में संवेदनशील आपूर्ति मार्गों पर निर्भरता में कमी आएगी।

1.3 व्यवसायों की रुपरेखा और कार्य निष्पादन

कंपनी के दो व्यावसायिक क्षेत्र हैं- विद्युत और उद्योग। ये क्षेत्र तीन व्यावसायिक प्रभागों, अर्थात् पावर क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन द्वारा क्रियान्वित होते हैं।

पावर क्षेत्र में कोयला और लिग्नाइट, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, स्पेयर एवं सेवा व्यवसाय के लिए उपकरण आपूर्ति और ईपीसी कार्य शामिल हैं, इसके अलावा कोयले से रसायन के नए व्यवसाय भी शामिल हैं।

उद्योग क्षेत्र कई उद्योगों के प्रमुख उपकरण और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर प्लांट, प्रोसेस उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस, ई-मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण इत्यादि की आपूर्ति के लिए कार्य करता है।

झारखंड में स्थित 3x660 मेगावाट नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीएचईएल द्वारा कमीशन किया गया।
उल्लेखनीय है कि यह डायरेक्ट एयर कूल्ड कंडेनसर से लैस भारत का पहला बड़े पैमाने का सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है।

1.3.1 पावर सेक्टर

चूँकि देश का आर्थिक विकास मूलतः बिजली क्षेत्र के विस्तार से जुड़ा हुआ है, इसलिए दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने के लिए किफायती और आघात-सह बिजली बुनियादी ढाँचे के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

आर्थिक विकास, तीव्र विद्युतीकरण, डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विस्तार और कूलिंग की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण भारत की बिजली माँग में संरचनात्मक वृद्धि जारी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देश में बिजली की चरम माँग ~245 गीगावॉट को पार कर गई। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 तक यह चरम माँग बढ़कर ~270-280 गीगावाट तक पहुँचने की संभावना है, जो कि ~10-14% की मजबूत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।

31 मार्च 2026 तक, भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता ~532 गीगावाट हो चुकी है तथा वार्षिक बिजली उत्पादन लगभग 1,848 बिलियन यूनिट (BUs) के स्तर पर पहुँच गया है।

देश की स्थापित क्षमता: ~532 गीगावाट

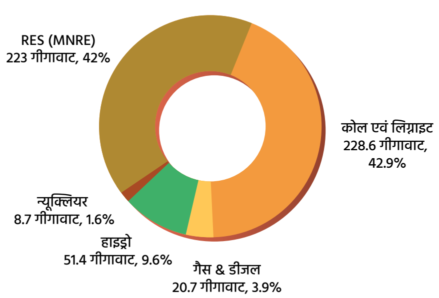

31 मार्च, 2026 की स्थिति
स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय

बीएचईएल – योगदान %- ईंधन श्रेणीवार

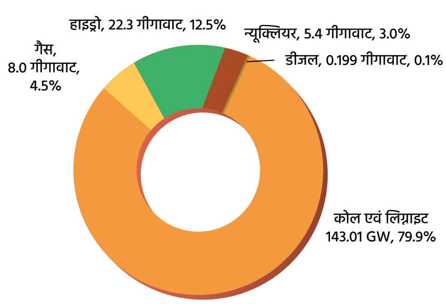

31 मार्च, 2026 की स्थिति
संस्थापन के समय क्षमता पर आधारित

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक, देश की उपयोगिता स्तर की बिजली परियोजनाओं की कुल स्थापित थर्मल क्षमता में बीएचईएल ने 54% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी बनाए रखी है। इसके साथ ही, देश की कुल परमाणु ऊर्जा स्थापित क्षमता (सेकेंडरी साइड) में 60% और जलविद्युत स्थापित क्षमता में 43% हिस्सेदारी बीएचईएल की रही। कुल मिलाकर, थर्मल, परमाणु और जलविद्युत क्षेत्रों को मिलाकर देश की कुल स्थापित पारंपरिक विद्युत क्षमता में बीएचईएल की हिस्सेदारी 53% है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बीएचईएल ने पावर सेक्टर में कुल ₹59,256 करोड़ (कर को छोड़कर) के ऑर्डर हासिल किए हैं। इसमें कोयला गैसीकरण जैसे नए

स्थापित पारंपरिक क्षमता- यूटिलिटी*
3,39,090 मेगावाट (31 मार्च, 2026 तक)

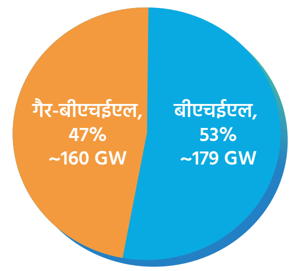

*इसमें थर्मल, न्यूक्लियर एवं हाइड्रो शामिल हैं: इसमें सोलर, विंड एवं बायोपॉवर शामिल नहीं हैं; यह स्थापना के समय की क्षमता पर आधारित है।

व्यावसायिक क्षेत्र से प्राप्त ₹8,288 करोड़ (कर को छोड़कर) का ऑर्डर भी शामिल है, जो कंपनी के भविष्य के राजस्व वृद्धि को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

वर्ष 1964 में अपनी स्थापना से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, बीएचईएल ने भारत में कुल 476 कोयला-आधारित यूटिलिटी सेट, 431 जलविद्युत यूटिलिटी सेट, 105 गैस-आधारित यूटिलिटी सेट, 23 डीजल सेट तथा 15 परमाणु-आधारित यूटिलिटी सेटों की सफलतापूर्वक आपूर्ति की है। अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से, बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूटिलिटी बिजली परियोजनाओं में 6,080 मेगावाट की घरेलू क्षमता वृद्धि हासिल की, जिसमें 5,180 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं, 700 मेगावाट की परमाणु परियोजना और 200 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने विदेशी जलविद्युत परियोजनाओं में 510 मेगावाट क्षमता को सफलतापूर्वक चालू करने का लक्ष्य भी हासिल किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में:

- कुल 6,590 मेगावाट की क्षमता वृद्धि हासिल की गई, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है (घरेलू: 6,080 मेगावाट, अंतर्राष्ट्रीय: 510 मेगावाट)।
- 1,600 मेगावाट क्षमता के लिए फुल लोड परिचालन तथा 660 मेगावाट क्षमता के लिए सफ़ल सिंक्रोनाइजेशन हासिल किया गया।
- क्षमता वृद्धि (CA), फुल लोड (FL), सिंक्रोनाइजेशन (SYN) तथा विदेशी (OS) परियोजनाओं को मिलाकर कुल 8,850 मेगावाट की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू व सिंक्रोनाइज़ किया गया।

पावर सेक्टर में प्राप्त ऑर्डर (₹करोड़ में)

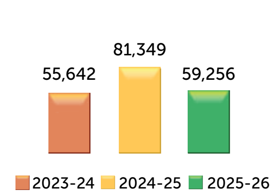

बीएचईएल द्वारा घरेलू क्षमता विस्तार (मेगावाट में)

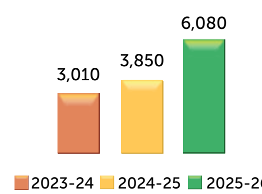

वित्त वर्ष 2025-26 में बीएचईएल द्वारा चालू किए गए (CA+FL+SYN+OS) मेगावाट में

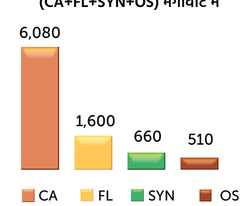

बीएचईएल यूटिलिटी सेट

31 मार्च, 2026 तक कमीशनिंग के अनुसार

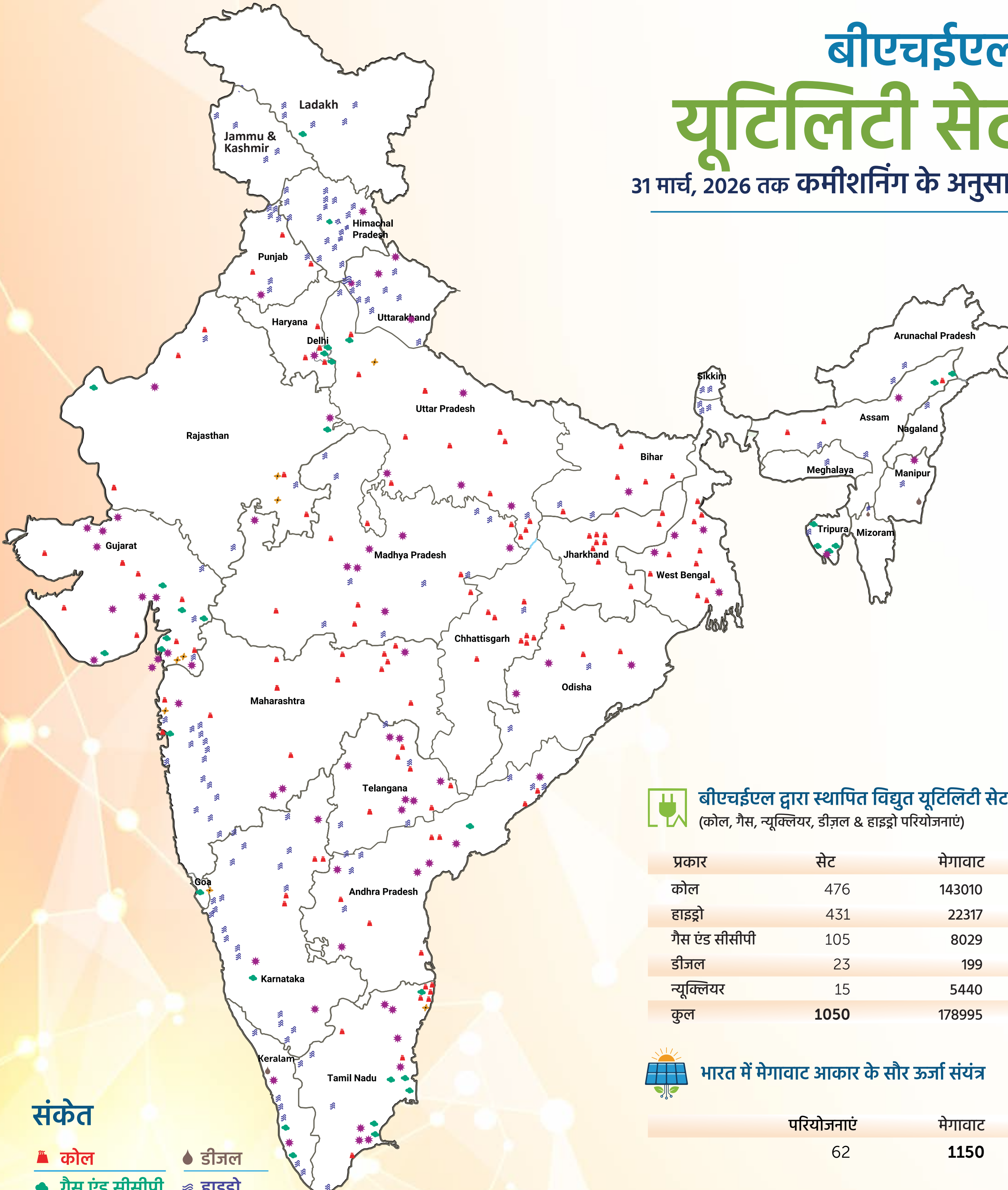

बीएचईएल द्वारा स्थापित विद्युत यूटिलिटी सेट

(कोल, गैस, न्यूक्लियर, डीज़ल & हाइड्रो परियोजनाएं)

प्रकार	सेट	मेगावाट
कोल	476	143010
हाइड्रो	431	22317
गैस एंड सीसीपी	105	8029
डीजल	23	199
न्यूक्लियर	15	5440
कुल	**1050**	178995

भारत में मेगावाट आकार के सौर ऊर्जा संयंत्र

परियोजनाएं	मेगावाट
62	**1150**

संकेत

- कोल
- डीजल
- गैस एंड सीसीपी
- हाइड्रो
- न्यूक्लियर
- सोलर

*भारत का मानचित्र सांकेतिक है, और हो सकता है कि यह पैमाने के अनुरूप न हो

तेलंगाना में 5x800 मेगावाट यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट-3 द्वारा पूर्ण लोड हासिल किया गया

1.3.1.1 थर्मल

व्यावसायिक परिवेश

देश ने वर्ष 2035-36 तक 315 गीगावाट थर्मल क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बीएचईएल ने इसमें से महत्वपूर्ण मात्रा में ऑर्डर हासिल किए हैं और बाज़ार में उपलब्ध भविष्य की संभावनाओं का लाभ उठाना जारी रखेगा। हासिल किए गए ऑर्डरों के निष्पादन के क्षेत्र में, कंपनी अपनी ईपीसी क्षमताओं को सुदृढ़ करने, वेंडर पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने तथा डिज़ाइन व रेखाचित्रों को मानकीकृत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने वाले समाधान प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है; जैसे उत्सर्जन नियंत्रण समाधान और एयर-कूल्ड कंडेनसर, जो पानी की खपत को काफी कम करते हैं।

वर्ष के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोयला-आधारित थर्मल क्षेत्र में ~57% की बाज़ार हिस्सेदारी के साथ ₹40,000 करोड़ से अधिक की ऑर्डर बुकिंग प्राप्त की गई।
- बीसीजीसीएल से उसके 'कोयला से 2,000 TPD अमोनियम नाइट्रेट' प्रोजेक्ट हेतु ~₹8,288 करोड़ का पहला कोयला गैसीकरण ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- सात वर्षों के अंतराल के पश्चात् एनटीपीसी से एयर-कूल्ड कंडेनसर से लैस 1x800 मेगावाट दरलीपल्ली (ईपीसी) तथा 3x800 मेगावाट तेलंगाना स्टेज-II (सिविल कार्य सहित मुख्य प्लांट पैकेज) के ऑर्डर सुरक्षित किए गए।
- एमपीपीजीसीएल से 1x660 मेगावाट अमरकंटक ईपीसी व 1x660 मेगावाट सतपुड़ा ईपीसी के ऑर्डर हासिल किए गए।
- एक निजी बिजली कंपनी से 800 मेगावाट क्षमता वाले स्टीम टर्बाइनों के छह सेट हासिल किए गए।
- मजबूत परियोजना निष्पादन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में 5,180 मेगावाट की घरेलू थर्मल यूटिलिटी क्षमता जोड़ी गई।
- इन परियोजनाओं में क्षमता विस्तार किया गया - नॉर्थ करनपुरा #3 (660 मेगावाट), यदाद्री #1 (800 मेगावाट), खुर्जा टीजी #2 (660 मेगावाट), पतरातु #1 (800 मेगावाट), यदाद्री #4 (800 मेगावाट), नॉर्थ चेन्नई स्टेज-III (800 मेगावाट), तथा सागरदिघी #5 (660 मेगावाट)।
- इसके अतिरिक्त, यदाद्री #3 (800 मेगावाट) और पतरातु #2 (800 मेगावाट) के लिए फुल लोड परिचालन तथा उडंगुडी #1 (660 मेगावाट) के लिए सफ़ल सिंक्रोनाइजेशन हासिल किया गया।
- बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 43 सुपरक्रिटिकल स्टीम जनरेटर (SGs) और 36 सुपरक्रिटिकल टर्बाइन जनरेटर (TGs) सफलतापूर्वक चालू किए हैं।
- थर्मल प्लांटों में निरंतर उच्च पीएलएफ, उत्कृष्ट परिचालन उपलब्धता और कम आउटेज दरें बीएचईएल की सुदृढ़ इंजीनियरिंग, डिज़ाइन उत्कृष्टता और विनिर्माण गुणवत्ता की पुष्टि करती हैं। ये उपलब्धियाँ भारत के ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को सशक्त बनाने में कंपनी की अग्रणी भूमिका का एक सशक्त प्रमाण हैं:
    - o वित्त वर्ष 2025-26 में बीएचईएल थर्मल सेटों का औसत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) 65.3% रहा, जिसने अखिल भारतीय थर्मल 65.18% के पीएलएफ को पीछे छोड़ दिया।
    - o बीएचईएल थर्मल सेटों की समग्र परिचालन उपलब्धता 88% रही।
    - o 102 थर्मल सेटों ने 75% और उससे अधिक का पीएलएफ दर्ज किया, जिनमें से 35 सेटों का पीएलएफ 85% से अधिक रहा; 199 सेटों ने 90% और उससे अधिक की परिचालन उपलब्धता हासिल की।
    - o बक्रेश्वर #5 (210 मेगावाट) ने 99.1% परिचालन उपलब्धता के साथ 95.5% का पीएलएफ दर्ज किया।
    - o अमरकंटक #5 (210 मेगावाट) ने 609 दिनों के निरंतर संचालन का रिकॉर्ड बनाया।
    - o सुपरक्रिटिकल सेटों में, खुर्जा-1 (660 मेगावाट) ने सर्वाधिक 86.2% का पीएलएफ और 99.2% की परिचालन उपलब्धता हासिल की।

- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, देश में कोयला एवं लिग्नाइट आधारित सेटों से उत्पन्न कुल 1,280.67 बिलियन यूनिट (BU) बिजली में से 56.56% (724.445 BUs) का योगदान बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सेटों का रहा।
- बीएचईएल द्वारा आपूर्ति की गई 40 वर्ष से अधिक पुरानी दो सबक्रिटिकल इकाइयों (कोरबा एसटीपीएस #1 और सिंगरौली #4) ने 90% से अधिक का पीएलएफ हासिल किया।

विद्युत उत्पादन - यूटिलिटी (कोल एवं लिग्नाइट) 1,280.67 BUs (वित्त वर्ष 2025-26)

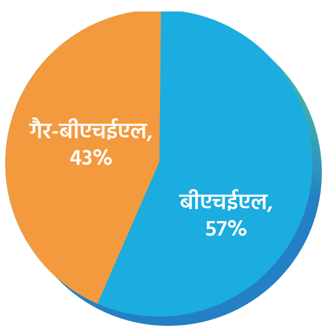

भावी संभावनाएं

घरेलू मांग में वृद्धि के साथ-साथ विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार के प्रोत्साहन से निकट भविष्य में ऊर्जा की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने बेसलोड विश्वसनीयता और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने में थर्मल पावर की भूमिका को फिर से मजबूत किया है, विशेष रुप से ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती पैठ को देखते हुए। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन इसकी रुक-रुक कर मिलने वाली प्रकृति के कारण इसके समानांतर थर्मल क्षमता के विस्तार की आवश्यकता बनी हुई है।

टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कई बिजली परियोजनाओं को अंतिम रुप दिया जा रहा है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, मर्चेंट और IPP डेवलपर्स द्वारा थर्मल संयंत्रों में दिखाई जा रही रुचि को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी पावर उपकरणों के बड़े ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है।

1.3.1.2 जलविद्युत

व्यावसायिक परिवेश

जलविद्युत भारत के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता में लगभग 10% का योगदान देता है। यह त्वरित-प्रतिक्रिया विद्युत आपूर्ति प्रदान करके ग्रिड के लचीलेपन और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ऊर्जा भंडारण प्रणाली के रूप में, पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स (PSPs) अन्य नवीकरणीय स्रोतों की अनिरंतर प्रकृति को संतुलित करने तथा देश की चरम बिजली माँग को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त, लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ (LIS) देश के कृषि एवं सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक भूमिका निभाती रहेंगी।

वर्ष के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ

- 382 मेगावाट की सुन्नी बांध एचईपी और 48 मेगावाट की चांगू-III एचईपी के ई&एम कार्यों हेतु ऑर्डर प्राप्त हुए। यह बीएचईएल के व्यापक हाइड्रो पोर्टफोलियो को और सुदृढ़ करता है, जिसमें विश्वभर में 35,000 मेगावाट से अधिक की संचयी क्षमता वाले 550 से अधिक जलविद्युत उत्पादन सेट शामिल हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4x200 मेगावाट पार्वती स्टेज-II परियोजना की इकाई #4 की क्षमता वृद्धि सफलतापूर्व हासिल की गई।
- भूटान में 6x170 मेगावाट पुनात्सांगच्छु-II जलविद्युत परियोजना की इकाई 4, 5 और 6 को सफलतापूर्वक चालू किया गया, जिससे कंपनी के पोर्टफोलियो में विदेशी हाइड्रो क्षमता में 510 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई।

भावी संभावनाएँ

देश का लक्ष्य वर्ष 2035-36 तक 100 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (PSPs) क्षमता हासिल करना है। बीएचईएल 350 मेगावाट इकाई आकार तक के रिवर्सिबल पंप-टर्बाइन और मोटर-जनरेटर के स्वदेशी डिज़ाइन एवं विनिर्माण के माध्यम से इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूर्णतः तत्पर है। बीएचईएल भोपाल में हाइड्रोलिक विकास हेतु इन-हाउस आर&डी सुविधा और टर्बाइन, पंप तथा पंप-टर्बाइन मॉडल परीक्षण हेतु एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला उपलब्ध है। कंपनी ने स्वदेशी तकनीकों के माध्यम से PSPs उपकरणों के डिज़ाइन, निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग की क्षमता विकसित की है। बीएचईएल का लक्ष्य जलविद्युत परियोजनाओं के ई&एम पैकेजों, लिफ्ट सिंचाई (LIS) हेतु आवश्यक बड़े आकार के पंप-मोटर सेटों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखना है। इसके साथ ही कंपनी मौजूदा हाइड्रो इकाइयों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण-आर&एम के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है।

1.3.1.3 परमाणु

व्यावसायिक परिवेश

दीर्घकालिक रूप से परमाणु ऊर्जा देश के समग्र ऊर्जा मिश्रण का एक अनिवार्य हिस्सा होगी, क्योंकि इसे वैश्विक स्तर पर एक स्वच्छ एवं टिकाऊ ईंधन तकनीक के रुप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.7 गीगावाट है और परमाणु ऊर्जा में दीर्घकालिक तरीके से देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की अपार संभावनाएँ हैं। बीएचईएल देश के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम से निकटता से जुड़ा हुआ है और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पाँच दशकों से भी अधिक समय से एक अग्रणी भागीदार रहा है।

वर्ष के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ

- प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR), कल्पक्कम ने पहली क्रिटिकलिटी हासिल करके देश की परमाणु यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बीएचईएल ने इस परियोजना की प्राथमिक और माध्यमिक दोनों प्रणालियों हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में रावतभाटा (700 मेगावाट) की क्षमता वृद्धि के साथ ही, देश के परमाणु यूटिलिटी क्षेत्र में बीएचईएल का योगदान लगभग ~60% के स्तर पर पहुँच गया है।

भारत की परमाणु यात्रा के अगले चरण का निर्माण

6 अप्रैल 2026 को भाविनी, कल्पक्कम स्थित 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) की पहली क्रिटिकलिटी हासिल करने से देश ने अपनी परमाणु यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बीएचईएल इस ऐतिहासिक उपलब्धि में एक आधारभूत भागीदार रहा है, जिसने अपनी उच्च-तकनीक विनिर्माण क्षमताओं और उत्पादों के माध्यम से बेजोड़ इंजीनियरिंग सटीकता का प्रदर्शन किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के तीन-स्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में भारत के निर्णायक प्रवेश को चिह्नित करती है, जो थोरियम-आधारित ईंधन के भविष्य की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है।

जैसे-जैसे भारत वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने तथा इसके साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) की लगाने की दिशा में अग्रसर है, बीएचईएल देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा एवं नेट-जीरो आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक रणनीतिक एवं तकनीकी क्षमताएँ प्रदान करने के लिए सबसे आगे तत्पर है।

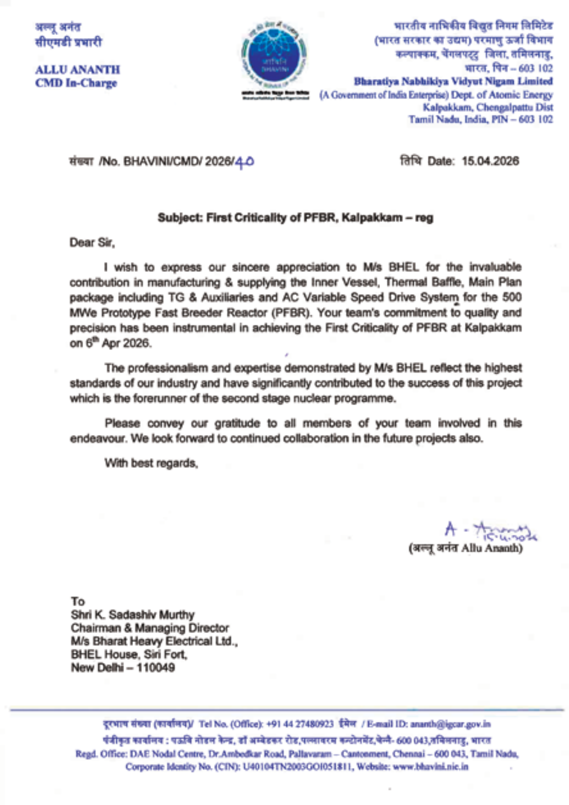
अल्लू अनंत
सीएमडी प्रभारी

ALLU ANANTH
CMD In-Charge

भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम) परमाणु ऊर्जा विभाग
कल्पाक्कम, चेंगलपट्टु जिला, तमिलनाडु,
भारत, पिन – 603 102
Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited
(A Government of India Enterprise) Dept. of Atomic Energy
Kalpakkam, Chengalpattu Dist
Tamil Nadu, India, PIN – 603 102

संख्या /No. BHAVINI/CMD/ 2026/40 तिथि Date: 15.04.2026

Subject: First Criticality of PFBR, Kalpakkam – reg

Dear Sir,

I wish to express our sincere appreciation to M/s BHEL for the invaluable contribution in manufacturing & supplying the Inner Vessel, Thermal Baffle, Main Plan package including TG & Auxiliaries and AC Variable Speed Drive System for the 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR). Your team's commitment to quality and precision has been instrumental in achieving the First Criticality of PFBR at Kalpakkam on 6th Apr 2026.

The professionalism and expertise demonstrated by M/s BHEL reflect the highest standards of our industry and have significantly contributed to the success of this project which is the forerunner of the second stage nuclear programme.

Please convey our gratitude to all members of your team involved in this endeavour. We look forward to continued collaboration in the future projects also.

With best regards,

(अल्लू अनंत Allu Ananth)

To
Shri K. Sadashiv Murthy
Chairman & Managing Director
M/s Bharat Heavy Electrical Ltd.,
BHEL House, Siri Fort,
New Delhi – 110049

दूरभाष संख्या (कार्यालय)/ Tel No. (Office): +91 44 27480923 ईमेल / E-mail ID: ananth@igcar.gov.in
पंजीकृत कार्यालय : पऊवि नोडल केन्द्र, डॉ अम्बेडकर रोड,पल्लावरम कन्टोनमेंट,चेन्नै- 600 043,तमिलनाडु, भारत
Regd. Office: DAE Nodal Centre, Dr.Ambedkar Road, Pallavaram – Cantonment, Chennai – 600 043, Tamil Nadu,
Corporate Identity No. (CIN): U40104TN2003GOI051811, Website: www.bhavini.nic.in

- **प्राइमरी साइड उपलब्धि:** इनर वैसल और थर्मल बैफल का सटीक फैब्रिकेशन; तथा स्टीम जनरेटर-इवेपोरेटर के लिए प्रौद्योगिकी का विकास।
- **सेकेंडरी साइड उपलब्धि:** स्वदेशी 500 मेगावाट टर्बाइन जनरेटर पैकेज की आपूर्ति और स्थापना।
- **परिचालन वैधीकरण:** 6 अप्रैल, 2026 को पहली क्रिटिकलिटी हासिल की गई, जिसकी पुष्टि डीएई और भाविनी द्वारा की गई।
- **सराहना:** बीएचईएल की तकनीकी उत्कृष्टता और रणनीतिक साझेदारी के लिए भाविनी द्वारा विशेष सराहना।

आईईएल जमशेदपुर 1x120 मेगावाट प्रोजेक्ट (100% BFG फायरिंग आवश्यकताओं के साथ बीएचईएल द्वारा निष्पादित की जा रही पहली परियोजना)

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए परमाणु ऊर्जा उपकरणों ने 71.2% के समग्र प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) और 77.5% की परिचालन उपलब्धता (OA) के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवधि में छह परमाणु सेटों ने 90% और उससे अधिक की परिचालन उपलब्धता दर्ज की, जबकि तीन सेटों ने 90% से अधिक का पीएलएफ हासिल किया। विशेष रूप से, तारापुर इकाई#4 (540 मेगावाट) ने लगातार 324 दिनों तक निर्बाध संचालन का रिकॉर्ड बनाया।

भावी संभावनाएं

SHANTI अधिनियम ने भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुँचाने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। बीएचईएल परमाणु स्टीम टर्बाइन और जनरेटर के लिए एकमात्र भारतीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है, जो इसे घरेलू बाजार में एक अनूठा रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। कंपनी BSMRs तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी डिज़ाइन एवं विकास के सहयोग से अपनी डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं का लाभ उठा रही है और इस दिशा में विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

1.3.1.4 स्पेयर एवं सेवाएँ व्यवसाय

भारत की कुल संस्थापित पारंपरिक यूटिलिटी क्षमता में 50% से अधिक की बाज़ार हिस्सेदारी के साथ, बीएचईएल परिचालन दक्षता और प्लांट की उपलब्धता को अधिकतम करने हेतु बिक्री-पश्चात सहायता एवं स्पेयर पार्ट्स प्रदान करके अपने हितधारकों को उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीएचईएल ने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक स्पेयर आपूर्ति एवं सेवा समझौतों के माध्यम से तथा पावर ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के त्वरित एकीकरण से उत्पन्न होने वाली ग्रिड स्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए फ्लेक्सिबलाइज़ेशन समाधानों (Flexibilization Solutions) की पेशकश करके अपने स्पेयर एवं सेवाएँ व्यवसाय के विस्तार हेतु सक्रिय कदम उठाए हैं।

वर्ष के दौरान की मुख्य उपलब्धियां

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बीएचईएल ने इस क्षेत्र के अंतर्गत ₹4,000 करोड़ से अधिक के ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जो इस क्षेत्र में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्डर प्राप्ति है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्पेयर, सेवाएँ और आर&एम क्षेत्र में प्राप्त किए गए प्रमुख ऑर्डर निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन की अगुवाई

भारत के कोयला-से-रसायन (कोल-टू-केमिकल्स) परिवर्तन को गति देते हुए

राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन

- 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य
- कोयला संसाधनों से मूल्य सृजन, आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भर भारत' पहल में योगदान को सक्षम बनाना

स्वदेशी प्रौद्योगिकी की बढ़त

- प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीकरण (PFBG) तकनीक - बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई तकनीक
- भारतीय कोयले की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक संयुक्त उद्यम का गठन

- भारत कोल गैसीकरण एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) की स्थापना – बीएचईएल (49%) और सीआईएल (51%)
- पीएफबीजी तकनीक पर आधारित अपनी तरह की पहली परियोजना
- यह परियोजना चार प्रोसेस पैकेजों और अन्य ऑफसाइट पैकेजों में विभाजित है।

हासिल किए गए प्रमुख ऑर्डर

- बीसीजीसीएल के कोयला (2400 TPD कोयला थ्रूपुट) से 2000 TPD अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए ऑर्डर प्राप्त किया
  - कोयला गैसीकरण और रॉ सिनगैस क्लीनिंग आइलैंड पैकेज, और
  - सिनगैस प्यूरीफिकेशन आइलैंड पैकेज

बीएचईएल स्वदेशी प्रौद्योगिकी और रणनीतिक भागीदारियों का उपयोग करते हुए एक संधारणीय एवं आत्मनिर्भर रसायन व ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) के निर्माण हेतु भारत के कोयला गैसीकरण अभियान का नेतृत्व कर रहा है।

o डीसीवी मेजिया (250 MW) के लिए संबद्ध पुर्जों एसोसिएटेड स्पेयर्स साथ जेनरेटर स्टेटर और रोटर की आपूर्ति

o MPPGCL अमरकंटक (210 MW) के लिए संपूर्ण HPT एवं IPT मॉड्यूल और LPT रोटर की आपूर्ति

o NLC नेवेली (210 MW) की यूनिट #2 में FBHW संशोधन के लिए सामग्री का डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और आपूर्ति

o MPPGCL बीरसिंहपुर (510 MW) के लिए LP ब्लेडेड रोटर और LP इनर केसिंग की आपूर्ति

o बीएचईएल और डीवीसी के बीच दीर्घकालिक पुर्जा आपूर्ति 5 वर्षों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

- BPCL मुंबई रिफाइनरी के लिए अपनी पहली RMDS परियोजना के सफल संचालन को सफलतापूर्वक हासिल किया, जो बीएचईएल की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह बीएचईएल के लिए पहला (RMDS रिमोट मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेस) ऑर्डर है। इसका निष्पादन बीएचईएल की डिजिटल परिवर्तन पहल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस RMDS परियोजना में रिमोट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है, जिसमें मुंबई रिफाइनरी की 25 महत्वपूर्ण संपत्तियों के लिए इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल का निर्माण शामिल है।

- MEL, अदानी यूनिट #1 (600 MW) और WBPDCL संतालडीह यूनिट #6 (250 MW) में फ्लेक्सिबल ऑपरेशन के सफल प्रदर्शन के लिए मेसर्स अदानी पावर से सराहना पत्र प्राप्त हुआ।

- इसके अतिरिक्त, MPPGCL श्री सिंगाजी (600 MW, 2 इकाइयां) और सतपुड़ा (250 MW, 2 इकाइयां) से फ्लेक्सिबिलिटी के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी व्यवसाय में बीएचईएल की उपस्थिति और भी मजबूत हुई है।

1.3.1.5 विविधीकरण

- **कोयला गैसीकरण:**

भारत के कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है। गैसीकरण प्रक्रिया कोयला/लिग्नाइट को 'सिंथेसिस गैस' (सिनगैस) में परिवर्तित करती है, जो घरेलू स्तर पर ईंधन और रसायनों के उत्पादन के लिए एक बहुमुखी कच्चा माल है। यह भारत को उच्च-मूल्य वाले आयातों को प्रतिस्थापित करने और वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं एवं कीमतों के उतार-चढ़ाव से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है।

भारत के पास 400 बिलियन टन से अधिक का कोयला भंडार है, और उच्च-राख वाले कोयले के लिए उपयुक्त वैश्विक तकनीकों की उपलब्धता सीमित है। ऐसे में बीएचईएल द्वारा स्वदेशी गैसीकरण तकनीक का विकास एक बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल देश की आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, बल्कि कोयले को मूल्यवर्धित रसायनों में बदलने के बड़े अवसर भी खोलेगा। इस गैसीकरण तकनीक का उपयोग "इंटीग्रेटेड गैसीकरण कंबाइंड साइकिल (IGCC) तकनीक के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव बहुत कम पड़ता है।

निदेशक (वित्त), बीएचईएल बीसीजीसीएल के शिलान्यास समारोह में माननीय कोयला एवं खान मंत्री तथा माननीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री के साथ

भारत कोल गैसीकरण एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL), जो बीएचईएल और कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, लगभग 2,400 TPD कोयला थ्रूपुट के साथ एक 'कोयला-से-2,000 TPD अमोनियम नाइट्रेट परियोजना' स्थापित कर रही है। वर्ष के दौरान BHEL को BCGCL से LSTK-1 और LSTK-2 दोनों पैकेजों के ऑर्डर प्राप्त हुए, जिसने कोयला गैसीकरण व्यवसाय में बीएचईएल के प्रवेश को चिह्नित किया। विशेष रुप से, यह ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले की लखनपुर खदानों में स्थित भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का कोयला गैसीकरण संयंत्र होने जा रहा है। इसमें उच्च-राख वाले कोयले को सिनगैस में बदलने के लिए बीएचईएल द्वारा विकसित स्वदेशी प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीकारण (PFBG) तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसे आगे अमोनियम नाइट्रेट में संसाधित किया जा सकता है। इस परियोजना से रसायनों के क्षेत्र में घरेलू औद्योगिक क्षमताओं के मजबूत होने और आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

- **वैकल्पिक ईंधन दहन:**

बीएचईएल ने केरल के अलाप्पुझा जिले में 350 MW के NTPC कायमकुलम कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट (CCPP) में गैस टरबाइन में मेथनॉल दहन मेथनॉल फायरिंग के लिए आपूर्ति और स्थापना का काम पूरा कर लिया है। गैस टरबाइन में मेथनॉल दहन के प्रदर्शन के लिए ग्राहक द्वारा वैधानिक मंजूरी (स्टैट्यूटरी क्लीयरेंस) और ईंधन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अभी बाकी है। 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरुप यह भारत में अपनी इस तरह की पहली परियोजना होगी, जिसका उद्देश्य देश भर में बंद पड़ी गैस-आधारित बिजली संपत्तियों को पुनर्जीवित करना है।

- **डिजिटल पेशकश और समाधान :**

PALM और RMDS जैसे अपने मालिकाना समाधानों से युक्त अपने डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत करते हुए, बीएचईएल ने BPCL की मुंबई रिफाइनरी के लिए अपना पहला RMDS ऑर्डर पूर्ण करके एक बड़ी सफलता हासिल की है।

परिवर्तन के संकेत : उन्नत रेल सुरक्षा में बीएचईएल की रणनीतिक छलांग

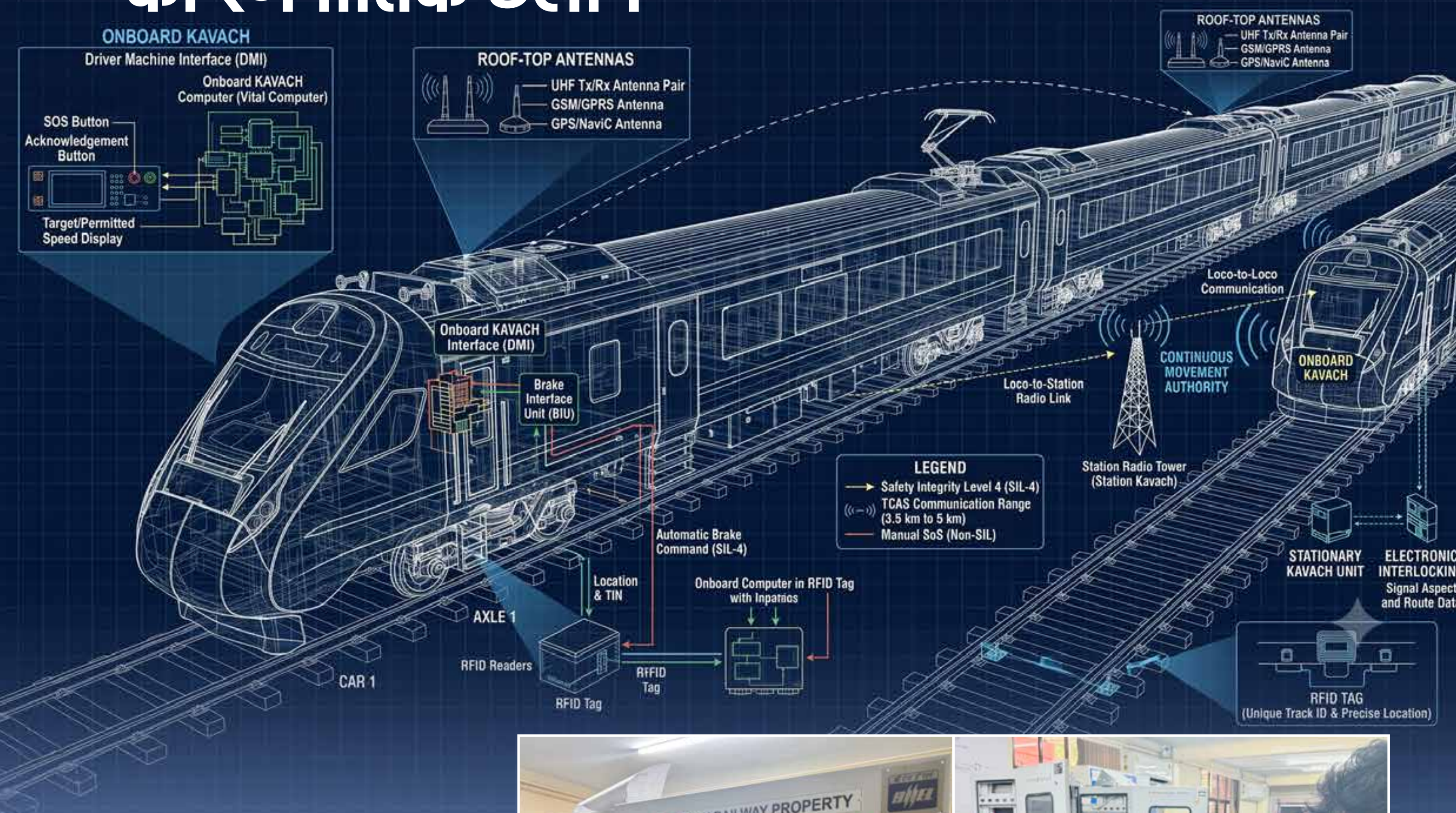

बीएचईएल अपने पहले 'सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल-4' (SIL-4) प्रमाणित कवच प्रोटोटाइप को विकसित करने की प्रक्रिया में है जो भारत की स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (TCAS) है। यह तकनीकी सफलता वैश्विक इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप, अत्यधिक भरोसेमंद रेलवे सिग्नलिंग और मिशन-क्रिटिकल (अति-महत्वपूर्ण) सुरक्षा क्षेत्र में बीएचईएल के रणनीतिक प्रवेश को चिह्नित करती है। भारतीय रेलवे और प्रमाणन निकायों के सहयोग से की जा रही यह पहल, राष्ट्रीय रेल बुनियादी ढांचे के तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण का सीधा समर्थन करती है।

यह स्वदेशी रूप से विकसित सुरक्षा समाधान बीएचईएल के लिए नए व्यावसायिक अवसर खोलता है, और भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के तहत तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत करता है।

- रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली के व्यावसायिक अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
- सोलर बिजनेस डिवीजन, बेंगलुरु में एक अत्याधुनिक सुविधा केंद्र 'कवच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE)' की स्थापना की गई।
- भारतीय रेल से प्राप्त डेवलपमेंट ऑर्डर का निष्पादन किया जा रहा है।

1.3.2 उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र, जिसमें बाजार-केंद्रित व्यावसायिक समूह शामिल हैं, रेल परिवहन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, पावर ट्रांसमिशन, तेल एवं गैस, कैप्टिव पावर प्लांट, औद्योगिक उत्पादों और नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल्स) जैसे कि सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी ऊर्जा भंडारण (बैटरी एनर्जी स्टोरेज) और ई-मोबिलिटी व्यवसायों के लिए व्यापक और अनुकूलित समाधान प्रदान करता है। पूर्ण व्यावसायिक पेशकश वार्षिक रिपोर्ट के 'प्रमुख व्यवसायों में पेशकश' और 'उत्पाद प्रोफ़ाइल' अनुभाग में उपलब्ध हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 में, उद्योग क्षेत्र ने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से ₹16,451 करोड़ (करों को छोड़कर) के ऑर्डर हासिल किए, जिसमें पावर ट्रांसमिशन और कैप्टिव पावर प्लांट व्यवसाय में बड़े मूल्य के ऑर्डर शामिल हैं।

1.3.2.1 परिवहन

छह दशकों से अधिक समय से, बीएचईएल ने पारंपरिक उपकरण आपूर्तिकर्ता से लेकर टिकाऊ गतिशीलता समाधानों में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में प्रगति करते हुए, भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से, बीएचईएल भारतीय रेलवे और उसके संयुक्त उद्यमों के बाहर भारत में एकमात्र इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता रहा है, जिसने 31 मार्च, 2026 तक भारतीय रेलवे को 400 से अधिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सहित 850 से अधिक लोकोमोटिव की आपूर्ति की है।

कंपनी अब वैकल्पिक ईंधन-आधारित रोलिंग स्टॉक के विकास के माध्यम से कम कार्बन वाले बदलते भविष्य की ओर सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है, जिसमें हाइड्रोजन ईंधन सेल (फ्यूल सेल) से चलने वाले लोकोमोटिव और बैटरी-इलेक्ट्रिक डुअल मोड शंटिंग लोकोमोटिव (DMSL) शामिल हैं। ऊर्जा दक्षता पर इसका निरंतर ध्यान उन्नत प्रणोदन प्रणालियों की तैनाती में भी झलकता है, जिसमें 9,000 HP के लोकोमोटिव के लिए प्रणोदन उपकरणों का स्वदेशी विकास शामिल है।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (TRSL) के साथ एक सह-व्यवस्था के माध्यम से, बीएचईएल 35 वर्षों के रखरखाव के साथ 80 वंदे भारत ट्रेनसेट का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही, कंपनी हाई-स्पीड रेल, मेट्रो और मोनोरेल प्रणालियों के लिए समाधान विकसित कर रही है। उन्नत ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन प्रणाली (TCMS) तथा 'कवच' टक्कर बचाव तकनीक को एकीकृत करके, बीएचईएल यह सुनिश्चित करना जारी रख रहा है कि भारत का रेलवे नेटवर्क न केवल तेज और सुरक्षित हो बल्कि अपने पर्यावरणीय स्थिरता मानकों के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त करे।

वर्ष के दौरान हासिल की गईं उपलब्धियां:

- भारतीय रेलवे के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र के 36 किमी मार्ग में कवच सिग्नलिंग प्रणाली के डिजाइन, विकास, स्थापना और कमीशनिंग के लिए पहला ऑर्डर प्राप्त हुआ। यह ऐतिहासिक उपलब्धि रेल सिग्नलिंग क्षेत्र में विविधीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारतीय रेलवे से सेल्फ-प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार (SPIC) और रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल (RBMV) के लिए पहला ऑर्डर हासिल करके ट्रैक मशीन क्षेत्र में प्रवेश किया।
- मेसर्स JSW, डोलवी से चार, 1350 HP DESL और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के लिए 1,350 HP डीजल इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव (DESL) का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए ट्रैक्शन कन्वर्टर्स, ऑक्जिलरी कन्वर्टर्स और ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति की गई।
- माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बीएचईएल के इलेक्ट्रिकल्स से युक्त मेमू रेक: i) 22.08.2025 को पूर्व मध्य रेलवे के वैशाली-गया-कोडरमा बौद्ध सर्किट मार्ग पर मेमू रेक का ii) 25.08.2025 को पश्चिम रेलवे के कटोसण रोड-साबरमती मार्ग पर मेमू रेक का उद्घाटन।
- डीजल/इलेक्ट्रिक ट्रेनों के हरित विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली ट्रेनों (रोलिंग स्टॉक) को विकसित करने के लिए सिंगापुर स्थित होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज पीटीई लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

बीएचईएल के बेंगलुरु (ईडीएन) संयंत्र से वंदे भारत के ट्रैक्शन कनवर्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

भावी संभावनाएं

राष्ट्रीय रेल योजना के महत्वाकांक्षी रोडमैप के तहत, भारतीय रेलवे ने अपने आधुनिकीकरण अभियान को तेज कर दिया है, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग ₹3 लाख करोड़ के ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय द्वारा बढ़ावा दिया गया है। यह निवेश रेल बुनियादी ढांचे के व्यापक कायाकल्प को गति दे रहा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक रेलवे की माल ढुलाई हिस्सेदारी को बढ़ाकर 45% करना है। इसके साथ ही, स्लीपर और नमो भारत रैपिड रेल (वंदे मेट्रो) की ही तरह की शुरुआत सहित वंदे भारत इकोसिस्टम के व्यापक शुरुआत द्वारा यात्री अनुभव को पुन: परिभाषित किया जा रहा है।

सुरक्षा इस विकास की आधारशिला बनी हुई है, जिसे स्वदेशी 'कवच 4.0' ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के बड़े और व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन द्वारा रेखांकित किया गया है। अपने स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को मजबूत करके और वैश्विक ओईएम (OEMs) के साथ सहयोग करके, बीएचईएल उन्नत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रणालियों का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण कर रहा है, जो आत्मनिर्भरता और टिकाऊ अगली पीढ़ी की गतिशीलता के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

1.3.2.2 विद्युत पारेषण

कार्बन उत्सर्जन में कमी, मांग में निरंतर वृद्धि, ऊर्जा के स्वच्छ एवं अधिक टिकाऊ स्रोतों और उससे जुड़े ऊर्जा भंडारण की ओर तेजी से बढ़ते झुकाव के कारण भारतीय ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव जारी है। नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से हो रही क्षमता वृद्धि और बढ़ते विद्युतीकरण के साथ, ग्रिड के आधुनिकीकरण और अंतर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में पर्याप्त निवेश किया जा रहा है। परिणामस्वरुप, भारत आज दुनिया के सबसे बड़े सिंक्रोनस बिजली ग्रिडों में से एक का संचालन करता है, जिसमें ग्रिड की विश्वसनीयता, परिचालन लचीलेपन और परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के निर्बाध एकीकरण को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

इस वजह से, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर्स, एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन सहित ट्रांसमिशन उपकरणों की मांग मजबूत बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, कई एचवीडीसी ट्रांसमिशन परियोजनाएं योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अपनी मजबूत उपस्थिति का लाभ उठाते हुए, बीएचईएल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज की उभरती जरूरतों के अनुरुप उत्पादों और प्रणालियों का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है, और EHV GIS सबस्टेशन, डिजिटल सबस्टेशन और 1,200 kV अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी तकनीकों जैसे उभरते क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कंपनी ने कनवर्टर ट्रांसफार्मर, थायरिस्टर वाल्व, फिल्टर कैपेसिटर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, कंपोजिट लॉन्ग रॉड इंसुलेटर और उन्नत नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रणालियों सहित EHV और UHV (AC/DC) अनुप्रयोगों के लिए ट्रांसमिशन उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण हेतु अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त, विविवधीकरण रणनीति के कड़ी के रूप में, बीएचईएल सिंक्रोनस मशीनों, नियंत्रणों और ट्रांसफार्मर में अपनी स्वयं की मुख्य क्षमताओं का लाभ उठाकर ग्रिड स्थिरता समाधान के रुप में 'सिंक्रोनस कंडेनसर' की पेशकश करने के लिए भी अच्छी स्थिति में है।

वर्ष के दौरान हासिल की गईं उपलब्धियां:

- राजस्थान पार्ट-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड(अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस

नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम के 400/200 केवी के तीनों उपकेंद्रों को सफलतापूर्वक ऊर्जाकृत किया गया

लिमिटेड के तहत SPV) से भादला (राजस्थान) और फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में +/-800 kV, 6,000 MW HVDC टर्मिनल स्टेशनों की स्थापना के साथ-साथ संबद्ध 765/400 kV AC सबस्टेशनों के लिए ऑर्डर हासिल किया।
- 400kV और 765kV वोल्टेज श्रेणी के 100 से अधिक ट्रांसफार्मर और रिएक्टर्स के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए।
- राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज से 220kV वोल्टेज श्रेणी के 70 से अधिक ट्रांसफार्मर के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए।

भावी संभावनाएं

आर्थिक विकास, शहरीकरण और बढ़ती खपत के कारण भारत में बिजली की मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, भारत की बिजली की अधिकतम मांग 2035-36 तक लगभग 459 गीगावाट पहुंचने का अनुमान है। मांग की इस वृद्धि को पूरा करने के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा लगभग 66 GW की HVDC क्षमता के साथ-साथ लगभग 23.45 लाख MVA की संचयी रुपांतरण क्षमता (क्युमुलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी) की योजना बनाई गई है। ये विकास ग्रिड की स्थिरता को बढ़ाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सुगम बनाएंगे और क्षेत्रों के बीच विश्वसनीय बिजली हस्तांतरण को सक्षम करेंगे, जिससे ट्रांसमिशन क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे, जहाँ बीएचईएल अपनी स्थापित परियोजना निष्पादन और निर्माण क्षमताओं के साथ मजबूत स्थिति में है।

1.3.2.3 रक्षा एवं एयरोस्पेस

विशेष उपकरणों और प्रणालियों के डिजाइन, विकास और निर्माण में पांच दशकों से अधिक के अनुभव के साथ रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में बीएचईएल की उपस्थिति है।

कंपनी भारतीय नौसेना/शिपयार्डों को सुपर रैपिड गन माउंट्स (SRGM) की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और भारतीय नौसेना की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी विनिर्माण क्षमताओं को लगातार बढ़ा रही है। बीएचईएल के पोर्टफोलियो में नौसेना के जहाजों के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम (IPMS) और महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए रणनीतिक उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। बीएचईएल ने परमानेंट मैग्नेट मोटर तकनीक में विशेषज्ञता हासिल की है और वह इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के स्वदेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। कंपनी नौसेना के उपकरणों के लिए ओवरहॉलिंग और उत्पाद जीवन विस्तार सेवाएं भी प्रदान करती है।

सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम)
भारतीय नौसैनिक पोत की अग्रिम पंक्ति की हथियार प्रणाली

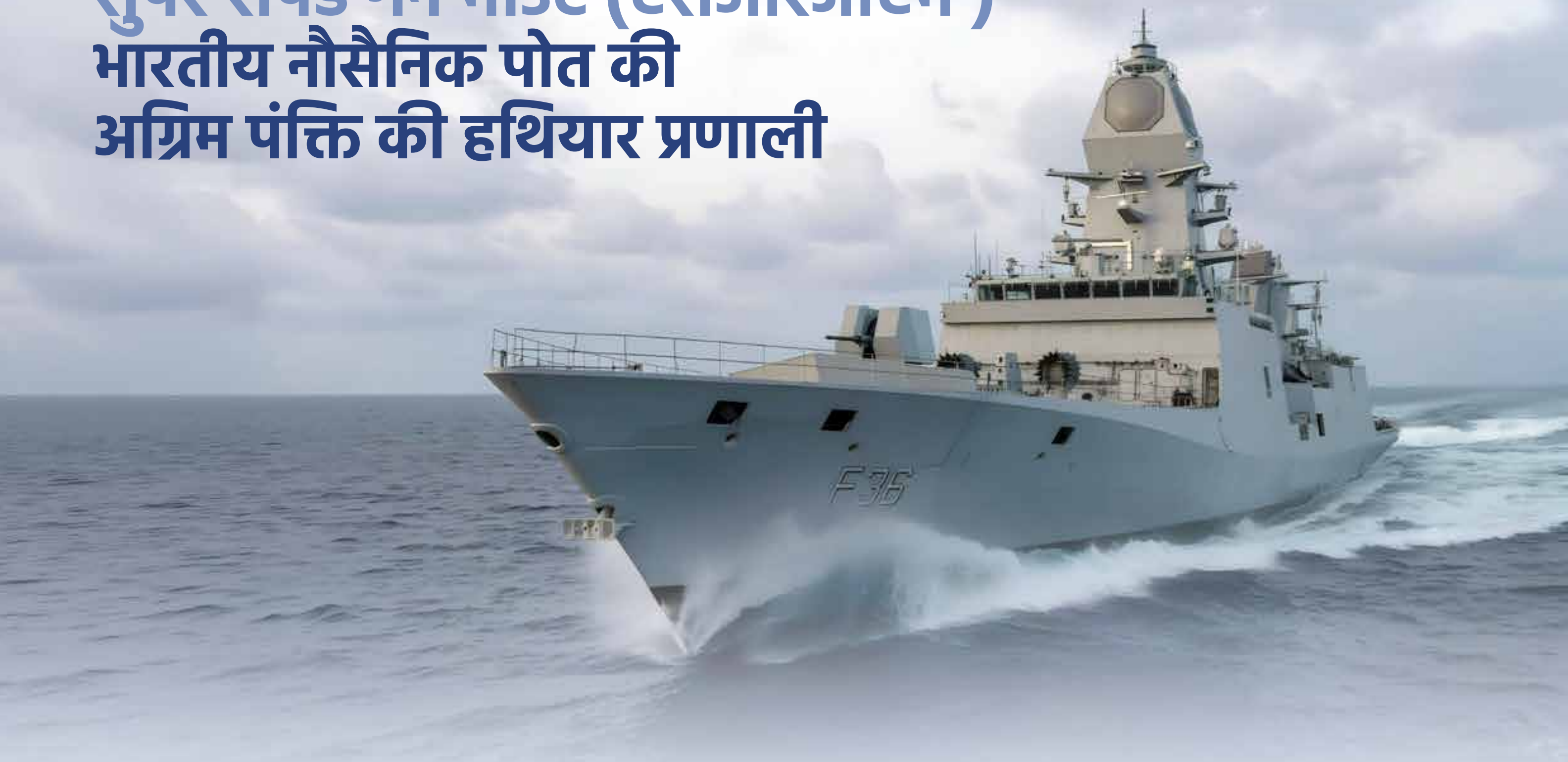

76/62 सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) भारतीय युद्धपोतों पर तैनात मध्यम क्षमता की मिसाइल-रोधी और विमान रोधी–अग्रिम पंक्ति की हथियार प्रणाली है, जो नौसेना की परिचालन तैयारियों और रक्षा क्षेत्र में भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता में प्रमुख भूमिका निभाती है।

इस अत्याधुनिक एसआरजीएम का निर्माण पिछले तीन दशकों से बीएचईएल के हरिद्वार संयंत्र में किया जा रहा है। आधुनिक युद्धक्षेत्र की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए, बीएचईएल ने एसआरजीएम का एक उन्नत संस्करण पेश किया है, जिसमें ज्यादा दूरी तक मारक क्षमता और स्मार्ट/प्रोग्राम करने योग्य गोला-बारूद दागने की सुविधा शामिल है।

बीएचईएल ने 31 मार्च, 2026 तक 52 एसआरजीएमएस की आपूर्ति की है, जिसमें 6 उन्नत एसआरजीएमएस शामिल हैं। इसके अलावा 32 अन्य उन्नत एसआरजीएमएस के ऑर्डर वर्तमान में निष्पादन चरण में हैं।

बीएचईएल ने अपनी अत्याधुनिक निर्माण केंद्र में विनिर्माण, असेंबली और एकीकरण के साथ-साथ प्रमुख युद्धपोतों पर प्रूफ फायरिंग, स्थापना और कमीशनिंग सहित शुरुआत से अंत तक क्षमताएं स्थापित की हैं। यह स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति, त्रुटियों की पहचान व उनमें सुधार और स्वास्थ्य ऑडिट सहित व्यापक जीवनचक्र सहायता भी प्रदान करता है।

भारतीय नौसेना को त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए, बीएचईएल ने नेवल डॉकयार्ड (मुंबई और विशाखापटनम) तथा नेवल बेस रिपेयर यार्ड (कारवार) में वॉटर फ्रंट सपोर्ट सुविधाएं भी स्थापित की हैं।

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल के पास हवाई अनुप्रयोगों के लिए 'कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स' और 'पंप मॉड्यूल्स' के डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण की सम्पूर्ण क्षमता है, और यह कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए डीआरडीओ, एडीए आदि के साथ मिलकर काम कर रहा है।

वर्ष के दौरान हासिल की गईं उपलब्धियां:

- फ्लीट सपोर्ट शिप के लिए IPMS, BCCS और HRMS; LCA Mk-1A के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स; SRGM के लिए डॉकयार्ड रिपेयर सुविधा के आधुनिकीकरण, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए लिथियम-आयन सेल्स; और स्पेयर पार्ट्स एवं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ऑर्डर हासिल किए गए।
- चार उन्नत एसआरजीएमएस की समय से पहले आपूर्ति की गई।
- एसआरजीएम विनिर्माण के लिए क्षमता का विस्तार किया गया।
- रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए सेरामिक राडार डोम्स के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंसिंग समझौते में प्रवेश किया।

भावी संभावनाएं

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% की वृद्धि की है, जिसमें पूंजीगत बजट परिव्यय में 22% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजीगत अधिग्रहण बजट का लगभग 75% घरेलू रक्षा उद्योगों के लिए आरक्षित है। इससे घरेलू रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूती मिलने और निरंतर विकास के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

नौसेना और एयरोस्पेस कार्यक्रमों की एक बड़ी संख्या में ऑर्डरों के दम पर रक्षा क्षेत्र का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। मुख्य अवसर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, मरीन गैस टर्बाइन, वायु रक्षा प्रणाली, उन्नत एयरोस्पेस घटकों, और एकीकृत प्लेटफॉर्म समाधानों के साथ-साथ लाइफसाइकिल सपोर्ट, अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स में मौजूद हैं।

कंपनी की क्षमताओं के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और प्रौद्योगिकी के अपग्रेडेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ इसकी स्थापित विशेषज्ञता और परियोजना निष्पादन के ट्रैक रिकॉर्ड ने इसे इन अवसरों का लाभ उठाने और रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए मजबूत स्थिति में ला दिया है।

1.3.2.4 कैप्टिव पावर और प्रोसेस प्लांट

बीएचईएल धातु और खनन, प्रोसेस, रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल्स जैसे सभी प्रमुख उद्योगों को शामिल करते हुए चार दशकों से अधिक समय से देश में कैप्टिव पावर और प्रोसेस स्टीम की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। आईओसीएल पारादीप रिफाइनरी, ओडिशा में सल्फर रिकवरी यूनिट (SRU) पैकेज के पहले ऑर्डर के सफल निष्पादन ने कंपनी की स्थिति को मजबूत किया है और इसे डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (DSOG) क्षेत्र में प्रोसेस ईपीसी समाधानों में अपना दायरा बढ़ाने में सक्षम बनाया है।

वर्ष के दौरान हासिल की गईं उपलब्धियां:

- हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से उसके चल रहे एल्युमीनियम संयंत्र के विस्तार के लिए बीटीजी ऑर्डर हासिल किए, जो पिछले विस्तार चरणों के दौरान इसी तरह के बीटीजी पैकेजों के सफल निष्पादन के आधार पर निर्मित बीएचईएल में ग्राहकों के भरोसे को फिर से पुख्ता करता है।

ओडिशा स्थित IOCL पारदीप रिफाइनरी में 'सल्फर रिकवरी यूनिट (SRU) पैकेज' को बीएचईएल द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से कैप्टिव पावर प्लांट पैकेज का ऑर्डर हासिल किया, जो इस क्षेत्र में बीएचईएल की प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करता है।
- तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच, अग्रणी उद्योग जगत के लीडरों से स्टैंडअलोन बॉयलर और स्टीम टर्बाइन जेनरेटर पैकेजों के लिए ऑर्डर हासिल किए।
- आईओसीएल पारादीप SRU पैकेज को सफलतापूर्वक चालू किया गया जो किसी प्रोसेस इंडस्ट्री ईपीसी पैकेज के लिए बीएचईएल का पहला ऑर्डर था।

भावी संभावनाएं

उद्योगों में निरंतर विकास की गति से कैप्टिव पावर और प्रोसेस प्लांट्स समाधानों की मजबूत मांग बढ़ने की उम्मीद है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप घरेलू इस्पात उद्योग 2030 तक 300 एमटीपीए उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रख रहा है, और सेल,जेएसडब्ल्यू , टाटा स्टील , लॉयड मेटल्स, एएमएनएस इंडिया आदि जैसे प्रमुख लीडरों द्वारा महत्वपूर्ण ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड विस्तार की योजना बनाई गई है।

उद्योगों में निरंतर विकास की गति से कैप्टिव पावर और प्रोसेस प्लांट्स समाधानों की मजबूत मांग बढ़ने की उम्मीद है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप घरेलू इस्पात उद्योग 2030 तक 300 एमटीपीए उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रख रहा है, और सेल (SAIL), जेएसडब्ल्यू (JSW), टाटा स्टील (Tata Steel), लॉयड मेटल्स (Lloyd Metals), एएमएनएस इंडिया (AMNS India) आदि जैसे प्रमुख लीडरों द्वारा महत्वपूर्ण ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड विस्तार की योजना बनाई गई है।

तेल और गैस क्षेत्र में, रिफाइनरी क्षमता का उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल रिफाइनिंग क्षमता को 310 एमएमटीपीए (MMTPA) तक ले जाना है। समानांतर रुप से, उद्योग के अनुमानों के अनुरुप पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भी 2030 तक लगभग 45-50 एमएमटीपीए तक क्षमता वृद्धि की जा रही है। ये विकास देश को वैश्विक रिफाइनिंग और रसायन विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने के भारत सरकार के रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप हैं। इस क्षेत्र में विस्तार का नेतृत्व करने वाले प्रमुख लीडरों जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आरआईएल आदि हैं।

स्वदेशी रूप से विकसित 15,000 पीएसआई वेलहेड और क्रिसमस ट्री

इसके अतिरिक्त, घरेलू एल्युमीनियम और जिंक उद्योगों में भी हिंडाल्को सहित नाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जैसे अग्रणी लीडरों की विस्तार योजनाओं के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देने की उम्मीद है।

इन प्रवृत्तियों के बीच, बीएचईएल अपनी स्थापित इंजीनियरिंग और परियोजना निष्पादन क्षमताओं तथा ग्राहकों के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों का लाभ उठाते हुए, उद्योग जगत में उभरते अवसरों का फायदा उठाने के लिए मजबूत स्थिति में है।

1.3.2.5 औद्योगिक उत्पाद (तेल एवं गैस तथा इलेक्ट्रिकल मशीनों सहित)

बीएचईएल पांच दशकों से अधिक समय से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तेल और गैस क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कंपनी भारत की अधिकांश रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के लिए स्थिर और घूमने वाले उपकरणों की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

बीएचईएल ने अब तक 430 से अधिक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, 92 ऑयल ड्रिलिंग रिग्स, 15,000 से अधिक वेलहेड्स और क्रिसमस ट्री, तथा 36,300 से अधिक एसी (AC) मशीनों की आपूर्ति की है, जिससे इस क्षेत्र में अत्यधिक योगदान मिला है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है।

रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल व्यवसायों में विस्तार को देखते हुए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, फायर्ड हीटर्स, वॉल्व, हाई-टनेज कॉलम और जहाज जैसे औद्योगिक उत्पादों के अवसर आने वाले वर्षों में स्थिर रहने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान हासिल की गयी उपलब्धियां

- कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच बीपीसीएल बीना से दो कंप्रेसर के लिए ऑर्डर हासिल किया।
- बीपीसीएल कोच्चि से वेट गैस कंप्रेसर के नवीनीकरण के लिए ऑर्डर हासिल किया।
- सीमेंट क्षेत्र के लिए 130 से अधिक मोटर्स और सिंचाई क्षेत्र के लिए 120 से अधिक मोटर्स के ऑर्डर हासिल किए।
- आईओसीएल पानीपत की पी-25 फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग विस्तार परियोजना के लिए 18 मेगावाट मोटर-चालित वेट गैस कंप्रेसर पैकेज जो कि उच्चतम रेटिंग वाला मोटर ड्राइव है की आपूर्ति की।
- तेल ड्रिलिंग अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 15,000 पीएसआई वेलहेड, क्रिसमस ट्री और 5,000 पीएसआई मड पंप के एक विकसित आपूर्ति स्रोत के रूप में ओएनजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त।
- भारतीय उर्वरक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं से उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए इटली की नुओवो पिग्नियोन इंटरनेशनल के साथ 10 वर्षों का समझौता ज्ञापन किया गया।

भावी संभावनाएं

अस्थिर कच्चे तेल की कीमतों और बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता के चलते भारत का तेल और गैस क्षेत्र रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में महत्वपूर्ण विस्तार के लिए तैयार है। आईओसीएल, बीपीसीएल, गेल और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियां एकीकृत रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रही हैं, जबकि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नीतिगत प्रोत्साहन से ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया में निवेश में तेजी आ रही है। भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता और डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के अनुरूप आधुनिकीकरण परियोजनाओं के माध्यम से परिचालन दक्षता पर उर्वरक क्षेत्र का नया जोर, कंपनी के लिए व्यावसायिक विकास का एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप इस्पात क्षेत्र में क्षमता विस्तार देखा जा रहा है, जिससे प्रोसेस उपकरणों और सिस्टम एकीकरण के अवसर पैदा हो रहे हैं। आयातित प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करने और सिनगैस-आधारित रसायनों एवं ईंधनों को बढ़ावा देने की सरकारी पहलों के तहत कोयला गैसीकरण क्षेत्र भी गति पकड़ रहा है, जिससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में, बीएचईएल उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशीकरण, रणनीतिक तकनीकी साझेदारियों और एक विविधीकृत पोर्टफोलियो के माध्यम से इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

1.3.2.6 नवीन और अक्षय ऊर्जा व्यवसाय क्षेत्र

भारत सरकार की 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना सौर ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) बाजार को गति दे रही है। बीएचईएल सौर ऊर्जा परियोजनाओं में अपने अनुभव के साथ-साथ इंजीनियरिंग और निष्पादन क्षमता का लाभ उठाने के लिए इस पर कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। इस मिशन के तहत, भारत सरकार का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, बीएचईएल इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं के ईपीसी ऑर्डरों को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। बीएचईएल ने 50 किलोवॉट एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेपरेटर अनुप्रयोगों के लिए मिक्स्ड-मैट्रिक्स मेम्ब्रेन डायफ्राम के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के साथ प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौता किया है। इसके साथ ही, कंपनी इलेक्ट्रोलाइज़र, फ्यूल सेल और बायोमास गैसीकरण के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों की तलाश कर रही है। बीएचईएल ने 5kW पीईएम फ्यूल सेल (PEMFC) विकसित किया है, और स्थिर पावर बैकअप अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त 25kW PEMFC का क्षमता परीक्षण पूर्ण कर लिया है।

राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (NEMMP) के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम विकसित करने के साथ-साथ मांग सृजन के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की है, ताकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जा सके। बीएचईएल इस महत्वाकांक्षी योजना में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना कार्यान्वियन एजेंसी (PIA) के रूप में शामिल है।

बीएचईएल ने सफलतापूर्वक 122kW ईवी चार्जर और 60kW ईवी चार्जर विकसित किए हैं और इनका प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) प्राप्त किया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा अपने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सब-सिस्टम फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से 360 kW ईवी चार्जर विकसित करने के लिए भी बीएचईएल का चयन किया गया है।

विद्युत मंत्रालय (MoP) की ओर से जारी 'नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान - 2032' के अनुसार, भारत में BESS की स्थापित क्षमता 2027 तक 8.6GW/34GWh और 2032 तक 47GW/236GWh तक पहुँचने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने स्थापित सौर परियोजना क्षमताओं के 10% के बराबर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को सह-स्थित करने के संबंध में एक परामर्श भी जारी किया है। इससे वीजीएफ से जुड़ी बीईएसएस परियोजनाओं के आवंटन के माध्यम से बीईएसएस की मांग में तेजी आने की उम्मीद है।

बीएचईएल एकीकृत समाधान प्रदान करके और सिस्टम इंजीनियरिंग व परियोजना निष्पादन में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाकर बीईएसएस की बढ़ती मांग को पूरा करने की योजना बना रहा है।

वर्ष के दौरान हासिल की गईं उपलब्धियां:

- खावड़ा में सौर पीवी संयंत्र के 300 मेगावाट 'बैलेंस ऑफ सिस्टम' पैकेज के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- इलेक्ट्रिक बस/ट्रक की चार्जिंग के लिए 240 kW का डुअल गन डीसी फास्ट चार्जर विकसित किया। इस चार्जर को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- 5kW अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम का विकास पूरा किया गया, जो क्षमता निर्माण के लिए मेगावाट पैमाने के इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम के विकास की दिशा में एक कदम है।

बीएचईएल की वैश्विक उपस्थिति

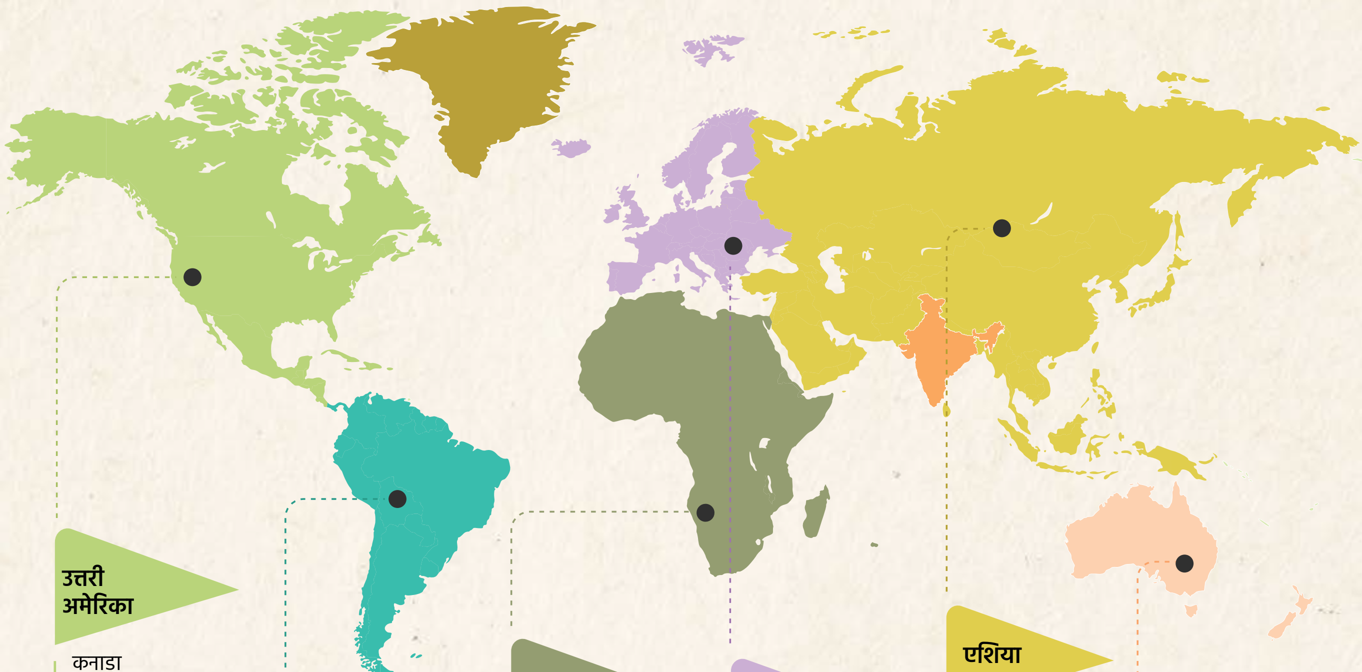

उत्तरी अमेरिका

- कनाडा
- कोस्टा रिका
- ग्वाटेमाला
- मेक्सिको
- निकारागुआ
- यूएसए

दक्षिणी अमेरिका

- चिली
- सूरीनाम
- त्रिनीदाद एंड टोबेगो

अफ्रीका

- अल्जीरिया
- बेनिन
- बोत्सवाना
- चाड
- कोमोरोस
- डीआर कांगो
- ईजीप्ट
- एस्वातिनी
- इथोपिया
- घाना
- केन्या
- लाइबेरिया
- लीबिया
- मालावी
- मॉरीशस
- मोज़म्बिक
- नाइजीरिया
- रवांडा
- सेनेगल
- दक्षिण अफ्रीका
- सूडान
- तंजानिया
- टोगो
- युगांडा
- जाम्बिया
- ज़िम्बाब्वे

यूरोप

- बेलारुस
- बेल्जियम
- बुल्गारिया
- साइप्रस
- एस्टोनिया
- फ़िनलैंड
- फ्रांस
- जॉर्जिया
- जर्मनी
- ग्रीस
- आयरलैंड
- इटली
- माल्टा
- पोलैंड
- रोमानिया
- रूस
- स्पेन
- स्वीडन
- स्विट्ज़रलैंड
- तुर्की
- यूक्रेन
- यूनाइटेड किंगडम

एशिया

- अफगानिस्तान
- अजरबेजान
- बहरीन
- बांग्लादेश
- भूटान
- ब्रूनेई
- चीन
- हांगकांग
- इंडोनेशिया
- ईरान
- इराक
- जापान
- जॉर्डन
- कज़ाकिस्तान
- कुवैत
- लाओस
- मलेशिया
- म्यांमार
- नेपाल
- ओमान
- फ़िलीपींस
- सऊदी अरब
- सिंगापुर
- दक्षिण कोरिया
- श्रीलंका
- सीरिया
- ताइवान
- ताजिकिस्तान
- थाईलैंड
- यूएई
- वियतनाम
- यमन

ओसियानिया

- ऑस्ट्रेलिया
- फ़िजी
- न्यू केलिडोनिया
- न्यूज़ीलैंड
- समोआ

सभी छह बसे हुए महाद्वीपों के

94 देशों में उपस्थिति

(31 मार्च, 2026 तक की स्थिति)

1.3.3 अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

सामान्य रुपरेखा

बीएचईएल दशकों से निर्यात में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और लगातार अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है।

उत्पादों, बिक्री-पश्चात सेवाओं और अन्य सेवाओं के लिए विदेशी व्यवसाय में कंपनी के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, और अब हमारा व्यवसाय 94 देशों में फैला हुआ है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- नए देशों में प्रवेश: ग्वाटेमाला (92वां देश) में 'सूट ब्लोअर लांस ट्यूब' की आपूर्ति, फिजी (93वां देश) में स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और निकारागुआ (94वां देश) में एक्चुएटर के साथ 'ब्लोडाउन वाल्व' की आपूर्ति का ऑर्डर मिला।
- दक्षिण अफ्रीका में केप गेज डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए कंप्लीट व्हीलसेट (60 सेट) की सप्लाई का ऑर्डर मिला।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भूटान में 6x170MW की क्षमता वाली पुनात्सांगछू-II हाइड्रो परियोजना की 3 इकाइयों को चालू किया गया। इसके साथ ही, इस परियोजना की सभी 6 इकाइयां चालू हो गई हैं।
- बोत्सवाना के लिए 175 मेगावाट एयर-कूल्ड सिंक्रोनस जनरेटर की 4 में से 2 यूनिट्स भेजी गईं।
- यूएई के लिए गैस टर्बाइन रोटर की बैलेंसिंग का कार्य 2 महीने के अंदर सफलतापूर्वक पूरा किया।

प्रशंसा

निम्नलिखित से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ

- सीईएस-सेनेगल में 125 मेगावाट सेंडौ टीपीपी, सेनेगल प्लांट से जुड़े अहम मुद्दों के समाधान के लिए
- नॉर्थ रिफाइनरीज कंपनी (एनआरसी)- तेल मंत्रालय, इराक, द्वारा एनआरसी कर्मचारियों के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु
- पीटी आईबीआर – इंडोनेशिया के लिए तकनीकी सहायता, जरूरी पार्ट्स की आपूर्ति और प्लांट के स्थिर संचालन की पुनर्स्थापना के लिए

भविष्य का परिप्रेक्ष्य

बीएचईएल अपने विदेशी व्यवसाय के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है—विद्युत संयंत्र समाधान, उत्पादों की बिक्री तथा बिक्री पश्चात सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

विद्युत संयंत्र (पावर प्लांट) क्षेत्र में डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या के कारण गैस टर्बाइन आधारित परियोजनाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। इस मांग को देखते हुये बीएचईएल इस क्षेत्र में अपनी पेशकशों के संबंध में कई ग्राहकों के साथ सक्रिय रुप से चर्चा कर रहा है। साथ ही, पड़ोसी देशों में जलविद्युत (हाइड्रो) परियोजनाओं की एक मजबूत संभावित परियोजन श्रृंखला उपलब्ध है और कंपनी इन अवसरों पर निरंतर ध्यान केंद्रित किए हुए है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्पाद खंडों से निर्यात व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। कंप्रेसर, मोटर, ट्रांसफार्मर आदि जैसे उत्पादों को नियमित रुप से वैश्विक बाजारों में पेश किया जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनी की उपस्थिति और निर्यात व्यवसाय को सुदृढ़ किया जा सके।

बीएचईएल बिक्री-पश्चात सेवाओं के क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा विदेशी ग्राहकों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान प्रदान कर रहा है। हालाँकि, वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ भविष्य के घटनाक्रम के आधार पर बीएचईएल के लिए एक ओर चुनौती प्रस्तुत करती है, तो दूसरी ओर नए अवसर भी उपलब्ध कराती है।

बीएचईएल के उच्चतम क्षमता-रेटिंग वाले वायु-शीतित (एयर-कूल्ड) समकालिक जनरेटर - बोत्सवाना के जिंदल ममाबुला ऊर्जा परियोजना के लिए निर्मित 175 मेगावाट क्षमता के 4 जनरेटर

1.4 वित्तीय निष्पादन का व्यापक विश्लेषण

1.4.1 बीएचईएल स्टैंडअलोन

ए. वित्तीय परिणाम

1. कुल आय

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व	32,360	27,355
अन्य परिचालन आय	1,422	984
अन्य आय	846	504
कुल आय	**34,629**	**28,843**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन में अपनी निरंतर प्रगति की गति बनाए रखी। यह उपलब्धि मजबूत ऑर्डर बुक, निष्पादन में बढ़ी हुई गति, व्यवसाय की उच्च मात्रा तथा वित्तीय प्रदर्शन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए विभिन्न रणनीतिक पहलों के परिणामस्वरुप संभव हुआ। वर्ष के दौरान कंपनी ने परिचालन से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि दर्ज की। ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹5,005 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण वर्ष के दौरान लगभग 8.9 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का सफल कमीशनिंग/सिंक्रोनाइजेशन रहा। वर्ष के दौरान अन्य परिचालन आय तथा अन्य आय में हुई वृद्धि कंपनी की बेहतर परिचालन दक्षताओं को दर्शाती है। मजबूत ऑर्डर बुक तथा उन्नत निष्पादन रणनीति के बल पर कंपनी अपनी विकास गति को निरंतर बनाए रखने तथा भविष्य में और बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन प्रदान करने की सुदृढ़ स्थिति में है।

2. व्यय

2.1 सामग्री की खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
प्रत्यक्ष सामग्री (उप संविदा लागत सहित)	**23,768**	19,955
ए. राजस्व	**32,360**	27,355
बी. तैयार माल, प्रगति पर कार्य और स्क्रैप की सूची में वृद्धि/(कमी)	**1,291**	1,542
कुल सी = ए+बी	**33,651**	28,897
सकल राजस्व के % के रुप में प्रत्यक्ष सामग्री लागत	**70.6%**	69.1%

प्रत्यक्ष सामग्री लागत का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रुप से बढ़ा। इसका मुख्य कारण पुरानी परियोजनाओं का पूर्ण होना तथा वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण प्रमुख वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निरंतर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव रहा। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कंपनी ने अनेक रणनीतियाँ अपनाई हैं, जिनमें केंद्रीकृत खरीद एवं उप-ठेकेदारी के माध्यम से आवश्यकताओं का समेकन कर पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale) का लाभ प्राप्त करना, विक्रेता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु बड़ी संख्या में नए एवं सक्षम विक्रेताओं को जोड़ना, रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, तकनीकी-वाणिज्यिक समझौता ज्ञापनों तथा रणनीतिक सोर्सिंग (Strategic Sourcing) का उपयोग करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में सामग्री एवं डिज़ाइन का मानकीकरण, मूल्य अभियांत्रिकी को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरुप स्वदेशीकरण (Indigenization) को और अधिक सुदृढ़ करने तथा आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए समय पर भुगतान जारी करने जैसे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं।

2.2 कर्मचारी हितलाभ - व्यय

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
कर्मचारी हितलाभ व्यय	**6,468**	5,923
कुल कर्मचारी	**27,284**	27,800
प्रति कर्मचारी राजस्व	**1.19**	0.98

प्रति कर्मचारी राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 20% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कार्यबल की उत्पादकता में सुधार तथा परिचालन दक्षता में वृद्धि का स्पष्ट संकेत है।

2.3 अन्य खर्च

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
ए) विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य व्यय	2,103	1,815
बी) बिजली और ईंधन	503	491
उप- योग	**2,606**	**2,306**
राजस्व के % के रुप में	8.1%	8.4%
सी) प्रावधान (शुद्ध)	(177)	158
डी) विनिमय दर में परिवर्तन	(440)	(135)
कुल	**1,989**	**2,329**

विनिर्माण, प्रशासनिक तथा विक्रय एवं वितरण व्ययों की कुल राशि में वृद्धि का मुख्य कारण व्यवसाय की मात्रा में हुई बढ़ोतरी रही। हालांकि, राजस्व के प्रतिशत के रुप में इन व्ययों को निरंतर लागत अनुकूलन पहलों, प्रक्रिया दक्षता तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण के माध्यम से लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखा गया।

2.4 प्रावधानो (शुद्ध) और अपलेखनो का विवरण

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
संदिग्ध ऋण (ईसीएल सहित), परिसमाप्त क्षति, ऋण, अग्रिम और जमा और अन्य	(2,459)	(2,796)
खराब ऋण, एलडी, निवेश और घाटे को बट्टे खाते में डाली गया	2,351	3,151
संविदात्मक दायित्व	(69)	(197)
कुल	**(177)**	**158**

कंपनी ने वर्ष के दौरान लंबित मुद्दों के समयबद्ध समाधान, वसूली दक्षता में वृद्धि तथा प्राप्य राशियों के केंद्रित प्रबंधन के माध्यम से देनदारों से वसूली में सुधार लाने पर विशेष बल दिया। प्राप्य राशियों की बेहतर वसूली तथा लक्षित अनुबंध समापन के परिणामस्वरुप कमीशन की गई परियोजनाओं से ₹1,321 करोड़ की नकद प्राप्ति हुई तथा संदिग्ध देयों तथा परिसमाप्त क्षतियों (Liquidated Damages) से संबंधित प्रावधानों की अधिक राशि वापस ली गई। विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं के अनुरुप, कुछ पुराने एवं गैर-वसूली योग्य बकाया देयों को भी बट्टे खाते (Write-off) में डाल दिया गया। इन सभी उपायों के संयुक्त प्रभाव से पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो नकद वसूली के सुदृढ़ प्रयासों तथा प्राप्य राशियों के उन्नत प्रबंधन को दर्शाता है।

3. वित्तीय लागत

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
ब्याज व्यय (वाणिज्यिक पत्रों पर छूट एवं व्यय सहित)	712	714
प्रावधानों का पुनर्समायोजन	44	34
कुल	**756**	**748**

वर्ष के दौरान, परिचालन गतिविधियों के उच्च स्तर के बावजूद वित्तीय लागत को प्रभावी ढंग से अनुकूलित करते हुए लगभग पिछले वर्ष के समान स्तर पर बनाए रखा गया। ब्याज व्यय में कमी का प्रमुख कारण कंपनी द्वारा अपनाया गया विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन तथा उधार के अनुकूलन के कारण संभव हुई। इससे वित्तीय संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित हुआ और कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई।

4. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**316**	272

मूल्यह्रास में हुई वृद्धि का मुख्य कारण कंपनी की परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि है, जिसमें बढ़ते हुए निष्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से रणनीतिक रूप से निवेश किया गया है। कुल मूल्यह्रास व्यय मुख्यतः परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के समय तथा विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों की संरचना पर निर्भर करता है।

5. कर व्यय

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
वर्तमान कर - चालू वर्ष	3	8
- गत वर्ष का	-	15
आस्थगित कर- चालू वर्ष	537	196
- गत वर्ष का	(2)	(7)
कुल	**538**	**212**

वर्तमान वर्ष के लिए (शुद्ध) स्थगित कर व्यय मुख्यतः पूर्व में मान्यता प्राप्त स्थगित कर परिसंपत्तियों की वापसी को दर्शाता है। यह वापसी पिछले वर्षों से आगे लाई गई कर योग्य हानियों के कारण की गई है।

6. लाभप्रदता

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
ईबीआईटीडीए	**3,189**	1,745
कर पूर्व लाभ	**2,116**	725
कर पश्चात लाभ	**1,578**	513

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹2,116 करोड़ का कर- पूर्व लाभ (PBT) तथा ₹1,578 करोड़ का कर-पश्चात लाभ (PAT) अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। परिचालन से राजस्व (RFO) के प्रतिशत के रूप में EBITDA पिछले वर्ष के 6.2% की तुलना में बढ़कर 9.4% रहा। व्यवसाय की मात्रा (Business Volume) में वृद्धि तथा परिचालन दक्षता में सुधार के परिणामस्वरुप EBITDA मार्जिन में 83% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर ₹3,189 करोड़ हो गया।

7. अन्य व्यापक आय

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
परिभाषित कर्मचारी लाभों के पुनर्मापन से लाभ/(हानि)	**(0.49)**	(219)
घटाएँ: उपर्युक्त मद से संबंधित आयकर	**(0.12)**	(55)
कुल	**(0.37)**	**(164)**

अन्य व्यापक आय'में ग्रेच्युटी, पीएफ, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले मेडिकल लाभ आदि जैसी डिफाइंड बेनिफिट योजनाओं पर दोबारा मूल्यांकन से होने वाले लाभ या नुकसान को शामिल किया जाता है।

बी. वित्तीय स्थिति

8. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई), अमूर्त परिसंपत्तियाँ तथा प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
सकल वहन मूल्य	**8,005**	7,748
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	**5,007**	4,801
शुद्ध वहन मूल्य (नेट ब्लॉक)	**2,998**	2,947
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (CWIP) एवं विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	**495**	195
कुल	**3,493**	**3,142**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का निवल वहन मूल्य वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन तथा पूंजीकरण का लेखांकन करने के पश्चात प्रदर्शित किया गया है। लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार, कंपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (पीपीई) के उपयोगी जीवन की प्रतिवर्ष समीक्षा करती है तथा उसके अनुरुप मूल्यह्रास का प्रावधान करती है।

9. निवेश संपत्ति

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
सकल वहन मूल्य	**1.32**	1.17
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	**0.80**	0.72
शुद्ध वहन मूल्य (शुद्ध ब्लॉक)	**0.52**	0.45

कंपनी अपनी निवेश संपत्तियों, जिसमें भूमि एवं भवन शामिल हैं, को परिचालन पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत पट्टे पर देना जारी रखे हुए है। 31 मार्च, 2026 तक भोपाल, मुंबई तथा हैदराबाद स्थित इन संपत्तियों का उचित मूल्य एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा ₹134 करोड़ आंका गया।

10. इक्विटि निवेश

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026			मार्च 31, 2025		
	निवेश	मूल्यह्रास / उचित मूल्य समायोजन	नेट	निवेश	मूल्यह्रास / उचित मूल्य समायोजन	नेट
संयुक्त उद्यमों में निवेश	727	(50)	**677**	722	(50)	672
अन्य इक्विटी उपकरणों में निवेश	1	(1)	-	1	(1)	-
कुल	**728**	**(51)**	**677**	**723**	**(51)**	**672**

संयुक्त उपक्रमों (JVs) में किए गए निवेशों का लेखांकन, यदि कोई हो, मूल्यह्रास हानि पर विचार करने के पश्चात लागत पर लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार किया गया है। अन्य इक्विटी निवेशों का लेखांकन लाभ एवं हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है तथा वहन वहन राशि में परिवर्तन प्रतिवेदन तिथि पर निर्धारित उचित मूल्य के आधार पर किया गया है। संयुक्त उपक्रमों में निवेश में ₹5.29 करोड़ का अनुमानित निवेश भी शामिल है, जो बिना किसी प्रतिफल के प्रदान की गई वित्तीय गारंटी के संबंध में कॉर्पोरेट गारंटी शुल्क के उचित मूल्य को दर्शाता है।

11. व्यापारिक प्राप्य राशियाँ (शुद्ध)

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026			मार्च 31, 2025		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
सकल प्राप्य राशियाँ	9,725	7,851	17,576	11,826	7,260	19,086
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	7,298	1,055	8,353	8,779	1,375	10,155
व्यापारिक प्राप्य राशियाँ (शुद्ध)	2,427	6,796	9,223	3,047	5,884	8,931

वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व (RFO) में 19% की वृद्धि के बावजूद व्यापारिक प्राप्य राशियों का प्रभावी रूप से अनुकूलन किया गया। संग्रहण दक्षता में सुधार के परिणामस्वरूप शुद्ध व्यापार प्राप्य की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। परिचालन से राजस्व (RFO) के दिनों के रूप में व्यापारिक प्राप्य राशियाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 के 115 दिनों से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 दिन रह गईं।

12. नकद एवं नकद समकक्ष तथा बैंक शेष राशि

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
नकद एवं नकद समकक्ष	**1,435**	439
3 माह से अधिक किंतु 12 माह तक की परिपक्वता वाली जमा जमाराशियाँ	**9,766**	6,618
मार्जिन मनी के लिए आरक्षित बैंक शेष एवं सावधि जमा (एफडी)	**666**	555
कुल	**11,867**	**7,612**

नकदी संग्रहण पर निरंतर ध्यान तथा प्राप्य राशियों के सुदृढ़ प्रबंधन के परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में नकदी संग्रहण में वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान उत्पन्न निधियों का लिक्विडिटी तथा परिचालन दक्षता के अनुकूलन के उद्देश्य से विवेकपूर्ण ढंग से अल्पकालिक जमाओं में निवेश किया गया। इसमें बैंक गारंटी हेतु मार्जिन मनी के रूप में रखी गई ₹144 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹615 करोड़) की सावधि जमाएँ शामिल नहीं हैं, जिन्हें अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

13. शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**3,533**	4,068

वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों में आई कमी का मुख्य कारण अग्रेषित कर-हानियों का समायोजन/उपयोग रहा।

14. अन्य संपत्तियां

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026			मार्च 31, 2025		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
संविदा परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	14,197	15,193	29,390	13,666	15,778	29,444
प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	1,471	1,471	-	1,652	1,652
दावा वसूली योग्य	630	1,695	2,325	694	1,231	1,926
कर अधिकारियों और अन्य के पास जमा राशि	137	515	652	89	481	570
अग्रिम एवं अन्य	267	369	636	193	101	293
घटाएँ: प्रावधान	515	320	835	567	288	855
कुल	**14,716**	**18,923**	**33,639**	**14,075**	**18,955**	**33,030**

अन्य परिसंपत्तियों का प्रमुख घटक संविदा परिसंपत्तियाँ हैं, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार अभी भुगतान हेतु देय न हुई, किंतु अर्जित एवं बिल न की गई राजस्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्ष के दौरान परिचालन से प्राप्त राजस्व में हुई वृद्धि के बावजूद, इन संविदा परिसंपत्तियों का पर्याप्त सीमा तक समापन किया गया, जिससे उनका स्तर लगभग पूर्ववत बना रहा।

15. इन्वेंट्री

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
कच्चा माल एवं घटक	6,168	4,085
डब्ल्यू आई पी	6,585	5,369
एफजी	624	606
भंडार सामग्री एवं स्पेयर पार्ट्स	291	270
अन्य भंडार	369	305
उप-योग	**14,037**	**10,635**
घटाएँ: अचल भंडार हेतु प्रावधान	702	766
कुल	**13,335**	**9,869**

भविष्य की उत्पादन एवं परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनवेंटरी को अनुकूलित स्तर पर रखा जाता है।

16. वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ / (देनदारियां) – शुद्ध

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएँ) -प्रावधानों के समायोजन का शुद्ध	**203**	137

यह राशि मुख्य रूप से टीडीएस (कर के लिए प्रावधान का शुद्ध योग) है, जो निकट भविष्य में रिफ़ंड के लिए देय है।

17. शेयर पूंजी

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
अधिकृत शेयर पूंजी	**2,000**	2,000
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी	**696**	696

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी की कुल शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत सरकार ने स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से 11 एवं 12 फरवरी, 2026 को बिक्री हेतु प्रस्ताव (Offer for Sale–OFS) के जरिए अपनी 5% हिस्सेदारी (17.42 करोड़ शेयर) का विनिवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी में उसकी प्रवर्तक (Promoter) हिस्सेदारी घटकर 58.17% रह गई।

18. अन्य इक्विटी

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
प्रारंभिक शेष	**24,417**	24,154
नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण पुनःस्थापना	**-**	-
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	**1,578**	349
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	**174**	87
अंतिम शेष	**25,820**	**24,417**

वर्ष के दौरान अर्जित कुल व्यापक आय के जुड़ने तथा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भुगतान किए गए लाभांश के कारण कमी होने से निवल संपत्ति में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 25% की दर से लाभांश को 19 अगस्त, 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया और तत्पश्चात वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इसका भुगतान किया गया।

रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्येक ₹2 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर पर ₹1.40 (अर्थात् 70%) के अंतिम लाभांश की संस्तुति की है, जो वार्षिक आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है। चूँकि रिपोर्टिंग तिथि तक इस लाभांश को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः इसे देयता (Liability) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

19. उधार एवं पट्टा देयताएँ

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026			मार्च 31, 2025		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
उधार	-	7,950	**7,950**	-	8,795	8,795
पट्टा देयताएँ	168	69	**237**	162	57	220
कुल	**168**	**8,019**	**8,187**	**162**	**8,852**	**9,015**

परिचालन गतिविधियों में वृद्धि के बावजूद, नकदी प्राप्तियों (Cash Realisation) में सुधार तथा लिक्विडिटी के कुशल प्रबंधन के परिणामस्वरूप कंपनी ने अपने उधार स्तर में 10% की कमी की। कंपनी ने अपने अल्पकालिक उधारों का भुगतान नियत तिथि पर अथवा उससे पूर्व करना निरंतर सुनिश्चित किया है।

20. वित्तीय देनदारियां

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026			मार्च 31, 2025		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
व्यापारिक देनदारियां	1,343	10,492	**11,835**	2,171	9,541	11,712
अन्य वित्तीय देनदारियां	411	1,318	**1,729**	423	1,246	1,669
कुल	**1,754**	**11,810**	**13,564**	**2,594**	**10,787**	**13,380**

भुगतान समय-सीमा में सुधार कर तीव्र गति से कार्य निष्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता सुनिश्चित की गई है। इसके परिणामस्वरुप, परिचालन के बढ़े हुए स्तर के बावजूद व्यापार देयताएँ पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रहीं।

21. प्रावधान

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026			मार्च 31, 2025		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
संविदात्मक दायित्वों के लिए प्रावधान	1,149	541	**1,690**	1,349	422	1,772
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	1,089	839	**1,928**	1,028	856	1,884
अन्य प्रावधान	117	532	**649**	206	534	740
सीएसआर हेतु प्रावधान	-	7	**7**	2	3	5
कुल	**2,355**	**1,919**	**4,274**	**2,586**	**1,815**	**4,401**

संविदात्मक दायित्वों के लिए किया गया प्रावधान मुख्यतः वारंटी दायित्वों से संबंधित है। कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान में अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभ और ग्रेच्युटी के संबंध में बीमांकिक रूप से निर्धारित देयताएँ शामिल हैं। अन्य प्रावधानों में मुख्य रूप से देयताओं तथा प्रतिकूल संविदाओं से होने वाली संभावित हानियों के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं। प्रावधानों में कमी का कारण पूर्ण की गई परियोजनाओं का समापन तथा परिचालन दक्षता में सुधार है।

22. अन्य देनदारियाँ

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026			मार्च 31, 2025		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल	गैर-वर्तमान	वर्तमान	कुल
ग्राहको से अग्रिम (मूल्यांकन समायोजन सहित)	13,414	9,110	**22,524**	9,743	5,551	15,294
वैधानिक बकाया	-	1,443	**1,443**	-	1,221	1,221
सरकारी अनुदान	46	6	**52**	51	5	56
कुल	**13,460**	**10,559**	**24,019**	**9,794**	**6,777**	**16,571**

फलस्वरुप कंपनी को ग्राहकों से अग्रिम राशि प्राप्त हुई, जिसका समायोजन परियोजनाओं के निष्पादन की प्रगति के साथ क्रमिक रूप से किया जाता है। वैधानिक देयताएँ मुख्यतः वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका भुगतान निर्धारित नियत तिथियों के भीतर कर दिया जाता है।

सी. फंड की स्थिति

23. फंड फ्लो की स्थिति और लिक्विडिटी

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26	2024-25
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन से उत्पन्न नकदी	**1,743**	381
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से शुद्ध नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	**4,084**	1,730
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	**5,837**	2,192
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	**(3,035)**	(2,731)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)	**(1,806)**	(857)

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नकदी प्रवाह की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसका मुख्य कारण प्राप्य राशियों के प्रभावी प्रबंधन, चल रही परियोजनाओं में प्रमुख माइलस्टोन की उपलब्धि, पूर्ण की गई परियोजनाओं का समापन तथा परिचालन की मात्रा में वृद्धि है। इन सभी कारकों ने सामूहिक रूप से वर्ष के दौरान उच्च परिचालन नकदी प्रवाह में योगदान दिया है।

डी. प्रमुख वित्तीय अनुपात

सूचीबद्धता विनियमों (Listing Regulations) की आवश्यकताओं के अनुपालन में, प्रमुख वित्तीय अनुपातों का विवरण तथा जहाँ आवश्यक हो, उनके स्पष्टीकरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणी [43] में प्रदान किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निवल संपत्ति पर प्रतिलाभ बढ़कर 5.95% हो गया, जो पिछले वर्ष के 2.04% की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। यह सुधार मुख्यतः कर-पश्चात लाभ में हुई पर्याप्त वृद्धि के कारण हुआ, जो परिचालन से राजस्व में वृद्धि, परिचालन निष्पादन में सुधार, लागत के बेहतर अनुकूलन तथा परियोजनाओं के अधिक दक्षतापूर्ण निष्पादन का परिणाम है।

ई. खंड निष्पादन

कंपनी के दो परिचालन खंड हैं—विद्युत तथा उद्योग। दोनों खंडों ने राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ सकारात्मक खंड परिणाम दर्ज किए। विद्युत खंड के परिणामों में पिछले वर्ष की तुलना में दो गुना वृद्धि हुई। दोनों परिचालन खंडों का निष्पादन निम्नानुसार है:

प्रचालन से राजस्व (रु. करोड़)

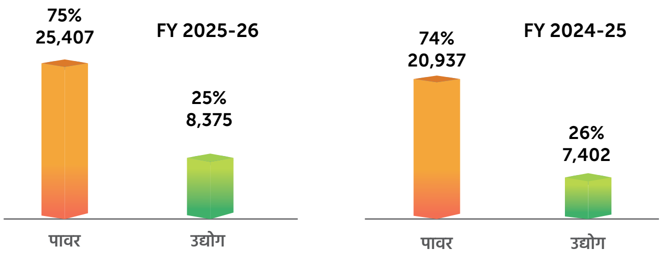

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26		2024-25	
	विद्युत	उद्योग	विद्युत	उद्योग
खंड में परिचालन से राजस्व	**25,407**	**8,375**	20,937	7,402
खंड परिणाम	**2,451**	**1,684**	1,216	1,262
खंड नियोजित पूंजी	**16,691**	**2,807**	16,379	2,206

1.4.2 संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

ए. बीएचईएल-जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS):

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS), बीएचईएल और जीई, यूएसए की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका गठन जीई द्वारा डिजाइन की गई गैस टर्बाइनों की मरम्मत एवं सर्विसिंग का कार्य करने के लिए किया गया है। इसके प्रमुख वित्तीय आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26*	2024-25
बीएचईएल शेयर (%)	**50% से एक शेयर कम**	50% से एक शेयर कम
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**2.38**	2.38
परिचालन से राजस्व	**1,239.60**	1,052.58
कर के लाभ/हानि	**126.82**	118.02
नेट वर्थ	**601.32**	551.15

* लेखापरीक्षा से पूर्व अंतिम आँकड़ों पर आधारित

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान BGGTS ने ₹4.76 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 600% का अंतिम लाभांश तथा 1000% का अंतरिम लाभांश घोषित एवं भुगतान किया।

बी. एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL)

"एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL), बीएचईएल और एनटीपीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे बिजली संयंत्रों के लिए ईपीसी अनुबंधों को निष्पादन करने और बिजली संयंत्र उपकरणों के निर्माण के लिए प्रवर्तित किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी की आंध्र प्रदेश के मन्नावरम में बैलेंस ऑफ प्लांट (BoP) उपकरणों के निर्माण हेतु एक विनिर्माण सुविधा है। इसके संक्षिप्त वित्तीय विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26*	2024-25
बीएचईएल शेयर (%)	**50%**	50%
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	**50.00**	50.00
प्रचालन से राजस्व	**1.04**	3.48
वर्ष के लिए लाभ / हानि	**(26.74)**	(17.70)

* अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित

शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए ₹50.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के समान है।

सी. रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (RPCL)

रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल), बीएचईएल और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे कर्नाटक में 800 MW क्षमता के सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए निर्मित, स्वामित्व और संचालन के आधार पर प्रवर्तित किया गया है। 31 मार्च, 2026 तक कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी ₹2,999.76 करोड़ थी, जिसमें केपीसीएल का योगदान ₹2,335.72 करोड़ और बीएचईएल का ₹664.04 करोड़ योगदान था। कंपनी के वित्तीय आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26*	2024-25
बीएचईएल शेयर (%)	22.14%	22.14%
इक्विटी में बीएचईएल का निवेश	664.04	664.04
परिचालन से राजस्व	3,799.70	4,424.22
वर्ष के लिए लाभ/हानि	(1,814.47)	(1,405.03)

* अनंतिम अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित

यद्यपि वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को कर पूर्व लाभ (PBT) स्तर पर घाटा हुआ है, फिर भी कंपनी का EBITDA सकारात्मक रहा। बिजली की मांग में सुधार के साथ, संयंत्र के संचालन में सुधार होने की अपेक्षा है, जिससे कंपनी के मुनाफे में वृद्धि होगी।

डी. भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL):

भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) को 21 मई 2024 को बीएचईएल और सीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जिसका उद्देश्य बीएचईएल की "प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन (पीएफबीजी)" तकनीक का उपयोग करके ओडिशा के लखनपुर में 2000 TPD कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित की जा रही है। 31 मार्च, 2026 तक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹9.94 करोड़ थी, जिसमें मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड का योगदान ₹5.07 करोड़ तथा बीएचईएल का योगदान ₹4.87 करोड़ था। निवेश में ₹5.29 करोड़ का अनुमानित निवेश भी शामिल है, जो बिना किसी प्रतिफल के प्रदान की गई वित्तीय गारंटी के लिए कॉरपोरेट गारंटी शुल्क के उचित मूल्य को दर्शाता है। कंपनी के प्रमुख वित्तीय आंकड़े निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़)

विवरण	2025-26*	2024-25
बीएचईएल शेयर (%)	49%	49%
प्रचालन से राजस्व	Nil	Nil
वर्ष के लिए लाभ/हानि	-4.81	-2.26

* अनंतिम अलेखापरीक्षा आँकड़ों पर आधारित

कंपनी ने अभी तक अपने वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ नहीं किए हैं।

ई. पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड PPIL:

संयुक्त उद्यम कंपनी, पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड का वित्तीय वर्ष के दौरान विघटन कर दिया गया है।

1.4.3 समेकित वित्तीय विवरण (CFS)

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 110 – "समेकित वित्तीय विवरण" तथा भारतीय लेखा मानक 28 – "सहयोगी संस्थाओं एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश" के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के निवेश का लेखांकन भारतीय लेखा मानक के अनुरूप इक्विटी पद्धति (Equity Method) के आधार पर किया गया है। उपर्युक्त भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय निष्पादन

(रु. करोड़)

विवरण	वर्ष समाप्ति पर	
	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
परिचालन से लाभ	33,782	28,339
कर पूर्व लाभ/(हानि)	2,139	746
कर पश्चात लाभ/(हानि)	1,600	534
अन्य व्यापक आय / (हानि)	(0.61)	(163)
कुल व्यापक आय / (हानि)	1,600	371

संयुक्त उद्यम बीजीजीटीएस के संबंध में लाभ का हिस्सा वित्त वर्ष 2025-26 में ₹63.41 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह ₹59.01 करोड़ था। संयुक्त उद्यम कंपनियों (एनबीपीपीएल और आरपीसीएल) को वित्त वर्ष 2025-26 में घाटा हुआ है। इन दोनों संयुक्त उद्यमों में निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को वित्त वर्ष 2018-19 में ही समेकित वित्तीय परिणामों में पहले ही मान्यता दी जा चुकी है। संयुक्त उद्यम बीजीजीसीएल के संबंध में घाटे में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025-26 में ₹2.36 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह ₹1.11 करोड़ का घाटा था।

वित्तीय स्थिति

(रु. करोड़)

विवरण	मार्च 31, 2026	मार्च 31, 2025
परिसंपत्तियाँ		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति तथा सीडब्ल्यूआईपी (शुद्ध वहन मूल्य) (निवेश संपत्ति सहित)	3,494	3,143
इक्विटि विधि का उपयोग करने हेतु निवेश का हिसाब रखा गया	302	276
गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	2,686	3,763
अस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	3,533	4,068
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ	14,716	14,075
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	51,455	42,760
कुल	76,186	68,083
इक्विटी और देयताएँ		
इक्विटी शेयर पूंजी	696	696
अन्य इक्विटी	25,450	24,026
गैर-वर्तमान देयताएँ	17,737	15,135
वर्तमान देयताएँ	32,302	28,226
कुल	76,186	68,083

संयुक्त उद्यमों – बीजीजीटीएस, एनबीपीपीएल, आरपीसीएल और बीसीजीसीएल के संबंध में पूंजीगत व्यय का हिस्सा वित्त वर्ष 2025-26 में ₹11.16 करोड़ (अनंतिम) था।

1.5 पूंजी निवेश

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने मौजूदा सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं युक्तिकरण, परियोजना स्थलों से संबंधित सक्षम कार्यों आदि के लिए ₹671 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया। वर्ष के दौरान, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और रक्षा क्षेत्रों में सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष बल दिया गया, जिससे इन रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनी की क्षमताओं को और सुदृढ़ किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ईंधन लागत के अनुकूलन तथा परिचालन में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए लक्षित निवेश किए गए। कंपनी परिचालन दक्षता में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने परिचालन को संरेखित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

1.6 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

बीएचईएल की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFC) प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से प्रलेखित नीतियों एवं प्रक्रियाओं पर आधारित है, जो कंपनी के व्यवसायों के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करती है। इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना शामिल है।

IFC के कार्यान्वयन एवं रखरखाव के प्रमुख स्रोत मैनुअल, दिशानिर्देश, शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा आईटी प्रणाली एवं नियंत्रण हैं। इन्हें कंपनी के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के माध्यम से एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में लागू किया जाता है।

बीएचईएल में अपने परिचालन के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक सुदृढ़ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जो कंपनी की सभी इकाइयों/प्रभागों में विस्तारित है और सभी स्थानों पर आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधियों गतिविधियों का संचालन करता है। IFC की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संबंधित इकाइयों/प्रभागों/स्थानों पर जोखिम-केंद्रित क्षेत्रों की नियमित समीक्षा तथा प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के कार्य निष्पादन का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया स्वामी अपने संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं, ताकि प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित किए जा सकें।

आंतरिक लेखा-परीक्षा का संचालन बोर्ड स्तरीय लेखा-परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना के अनुसार किया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ संबंधित इकाइयों/प्रभागों के साथ साझा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा-परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा-परीक्षा संबंधी टिप्पणियों की समीक्षा भी बोर्ड स्तरीय लेखा-परीक्षा समिति (BLAC) द्वारा की जाती है।

कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFC) प्रणाली पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (3) के खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार, वैधानिक लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न की गई है। अपने प्रतिवेदन में वैधानिक लेखा-परीक्षकों ने वित्तीय प्रतिवेदन के संबंध में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसके प्रभावी संचालन के संबंध में निर्विवाद अभिमत व्यक्त किया है।

1.7 गुणवत्ता केंद्रित

पूरे संगठन में एक सुदृढ़ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यरत है, जिसमें इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने तथा उत्पादों एवं सेवाओं में निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निरंतर पहल की जा रही है। बीएचईएल का व्यावसायिक उत्कृष्टता ढांचा यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल के अनुरूप बना हुआ है। इस संदर्भ में, गुणवत्ता प्रणालियों की परिपक्वता का आकलन एवं सुधार करने के लिए कंपनी में स्वदेशी रूप से विकसित बीएचईएल गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी में गुणवत्ता प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए गुणवत्ता स्वास्थ्य सूचकांक मॉडल भी लागू है। गुणवत्ता प्रणालियों के डिजिटलीकरण ने सुदृढ़ डेटा विश्लेषण, मानकीकरण, बेहतर ट्रेसबिलिटी और उत्पाद गुणवत्ता में सुधार को और सक्षम बनाया है।

गुणवत्ता प्रणालियों में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। गुणवत्ता के प्रमुख उपकरणों एवं प्रक्रियाओं पर संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे संगठन में नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता से जुड़ी सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को 'Qonverse' नामक आंतरिक Sharing & Learning मंच के माध्यम से पूरे संगठन में व्यवस्थित रूप से साझा किया जाता है, जिससे गुणवत्ता संबंधी ज्ञान एवं अनुभवों का आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) के बीच गुणवत्ता एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता की सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के पारस्परिक आदान-प्रदान और सीखने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर-सीपीएसई 'गुणवत्ता मंथन (Gunvatta Manthan)' का आयोजन भी किया गया।

गुणवत्ता माह 2025 के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय में गुणवत्ता प्रतिज्ञा ली गई।

इन केंद्रित पहलों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रमाण कंपनी को प्राप्त प्रतिष्ठित बाह्य सम्मानों से मिलता है। बीएचईएल को 5वें EEPC इंडिया क्वालिटी अवार्ड्स 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमन श्रेणी में प्लेटिनम अवार्ड (सर्वोच्च श्रेणी) से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, ताइपेई, ताइवान में आयोजित 50वें अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण मंडल सम्मेलन में बीएचईएल की आठ गुणवत्ता मंडल टीमों को गोल्ड अवार्ड (सर्वोच्च श्रेणी) प्राप्त हुआ। ये सम्मान संगठन की गुणवत्ता उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

1.8 मानव संसाधन

1.8.1 ज्ञानार्जन एवं विकास

बीएचईएल अपने समस्त कार्यबल की तकनीकी एवं व्यवहारिक दक्षताओं में निरंतर सुधार को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। बदलते व्यावसायिक परिवेश के कारण कंपनी को अलर्निंग और रीलर्निंग संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष बल देना पड़ रहा है। इसका उद्देश्य एक चुस्त और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है, जो उभरती हुई व्यावसायिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम हो।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी में तकनीकी, कार्यात्मक, व्यवहारगत, प्रबंधकीय तथा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए

गए। कंपनी ने अपने ई-लर्निंग (e-Learning) प्लेटफॉर्म को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ भारत सरकार के iGOT कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) प्लेटफॉर्म में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने डिजिटल शिक्षण तंत्र को भी मजबूत किया। इससे कर्मचारियों को उभरती हुई दक्षता आवश्यकताओं के अनुरूप विविध ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों तक सहज पहुँच उपलब्ध हुई। इन पहलों के परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी औसतन 4.98 प्रशिक्षण मानव-दिवस (Training Man-Days – TMD) का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

नव नियुक्त इंजीनियर प्रशिक्षुओं एवं पर्यवेक्षक प्रशिक्षुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर संरचित इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए, इन कार्यक्रमों में विषयगत परिचय, व्यावहारिक अनुभव तथा भूमिका के लिए तैयारी पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कई लक्षित शिक्षण एवं प्रशिक्षण पहलों को भी संचालित किया गया, जिनमें नेतृत्व विकास कार्यक्रम, साइटों पर व्यवहारिक एवं सुरक्षा उन्मुख कार्यक्रम तथा संगठनात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप विशेष क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण शामिल थे।

बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत भागीदारी जारी रखी। कंपनी की विभिन्न इकाइयों में कुल 1,908 प्रशिक्षु तैनात किए गए, जिनमें 1,390 ट्रेड (ITI) अप्रेंटिस, 257 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, 150 डिप्लोमा अप्रेंटिस तथा 111 गैर-अभियांत्रिकी अप्रेंटिस शामिल थे। इन प्रशिक्षुओं को बीएचईएल के विनिर्माण एवं परियोजना कार्य-परिवेश में व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया गया, जिससे राष्ट्रीय कौशल विकास उद्देश्यों के अनुरूप कौशल निर्माण में योगदान मिला। प्रशिक्षण एवं शिक्षण के माध्यम से क्षमताओं के विकास के साथ-साथ, बीएचईएल ने 17 मार्च, 2026 को एक अंतर-संगठन बैठक का भी आयोजन किया, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संगठनों के लर्निंग एवं डेवलपमेंट विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, उभरते हुए शिक्षण रुझानों पर विचार-विमर्श करना तथा क्षमता निर्माण के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुदृढ़ करना था।

1.8.2 कार्य निष्पादन एवं कैरियर विकास

बीएचईएल में एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिक प्रतिभाओं की पहचान, संवर्धन एवं पदोन्नति की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अनुमोदित उत्तराधिकार एवं नेतृत्व विकास योजना ढांचे के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बीएचईएल के आंतरिक प्रतिभा समूह का विकास करना तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना है।

कंपनी प्रतिभा प्रदर्शन प्रबंधन पर विशेष जोर देती है और इसमें एक प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली लागू है, जिसका उद्देश्य केवल समय-समय पर मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि प्रदर्शन को सक्षम एवं प्रोत्साहित करना है। बदलते व्यावसायिक परिवेश के अनुरूप प्रासंगिक प्रदर्शन मापदंडों को शामिल करने तथा उपयोगकर्ताओं के मुद्दों एवं चिंताओं का समाधान करने के लिए PMS की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) से संबंधित DPE दिशानिर्देशों के अनुरूप, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए DPE SPARROW प्रणाली में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य समकक्ष अधिकारियों के समान प्रणाली के अंतर्गत लाया जा सके।

बीएचईएल में कर्मचारी संतुष्टि एवं सहभागिता सर्वेक्षण

बीएचईएल के सभी कर्मचारियों की श्रेणियों/कैडर के लिए, सभी इकाइयों में कर्मचारी संतुष्टि एवं सहभागिता सर्वेक्षण प्रत्येक दो वर्ष में एक बार केंद्रीय रुप से संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण (Goonj - The Echo) एक अनुभवी तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से कराया गया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की प्रेरणा, प्रतिबद्धता तथा अपने कार्य एवं संगठन के प्रति उनके जुड़ाव को समझना था। सर्वेक्षण प्रतिभागियों की पहचान को डेटा प्रोसेसिंग के दौरान गोपनीय एवं सुरक्षित रखा गया, ताकि उनकी गुमनामी और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। इकाइयों के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया गया, जिससे वे विकास के लिए पहचाने गए अवसरों के आधार पर अपनी कार्य योजनाएँ तैयार कर सकें। वित्त वर्ष 2025-26 में, इकाइयों ने अपनी कार्य योजनाओं पर कार्य किया और डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से उनकी प्रगति की स्थिति साझा की। विकास के लिए पहचाने गए अवसरों का समाधान, जहाँ भी संभव था, नीतिगत समर्थन या परिचालन ढांचे में सुधार के माध्यम से किया गया।

कंपनी अधिनियम की धारा 134(3)(पी) के तहत प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(p) के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड, व्यक्तिगत निदेशकों आदि के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया का विवरण दर्शाने वाला एक विवरण शामिल होगा। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनी को छूट की अधिसूचना जारी की है, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है और अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार ऐसा करता है पर औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंधित में धारा 134(3)(p) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त छूटों के अनुरुप, नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन एवं पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप-धाराएँ (2), (3) एवं (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होंगी।

किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) में, कंपनी और भारत सरकार (GoI) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) में उन मापदंडों एवं पहलों का विवरण देता है, जिन्हें कंपनी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा किया जाना अपेक्षित होता है। इस समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन वर्ष के अंत में भारत सरकार किया जाता है और निर्दिष्ट मानदंडों पर उसके प्रदर्शन के आधार पर बीएचईएल को प्रदर्शन रेटिंग प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) तथा कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित है।

कार्यात्मक निदेशकों (Functional Directors) के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन संबंधित लागू दिशा-निर्देशों के अनुरुप लोक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises–DPE) द्वारा संचालित वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Performance Appraisal Report–APAR) प्रणाली के माध्यम से SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) प्लेटफॉर्म पर किया जाता है।

नियुक्ति की नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्यात्मक निदेशकों का कार्यकाल पाँच वर्ष या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, तक होता है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल (सामान्यतः तीन वर्ष) भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। हालांकि, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI), बीएचईएल के बोर्ड में दो नए स्वतंत्र निदेशकों को एक वर्ष की अवधि के लिए की थी, जिसका कार्यकाल 27.03.2026 को समाप्त हो गया। लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा बीएचईएल के प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) के माध्यम से, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन/आकलन किया जाता रहा है।

1.8.3 औद्योगिक संबंध

'सभी की भागीदारी' कंपनी की औद्योगिक संबंध यात्रा का मार्गदर्शक सिद्धांत है। कार्यबल के सभी प्रत्येक वर्ग के साथ खुले और निरंतर संचार की नीति के माध्यम से इस सिद्धांत को कायम रखा जाता है। विविध कर्मचारी समूहों के साथ सक्रिय रुप से जुड़कर और एक सहभागी संस्कृति को बढ़ावा देकर, कंपनी ने एक सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्ष के दौरान, बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों, प्रभागों एवं कार्यालयों में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध दर्ज किए गए। विशेष रूप से, कंपनी की नीतियों के विरुद्ध हड़तालों के कारण कोई भी मानव-दिवस (Man-days) का नुकसान नहीं हुआ, जो प्रबंधन और कर्मचारी समूहों द्वारा कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए किए गए ठोस प्रयासों का प्रमाण है।

बीएचईएल की भागीदारीपूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, वर्ष के दौरान शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय मंच 'बीएचईएल के लिए संयुक्त समिति' की 3 बैठकें आयोजित की गईं। विनिर्माण इकाइयों में, कंपनी भर में कुल 37 'प्लांट काउंसिल' बैठकें तथा 651 'शॉप काउंसिल' बैठकें आयोजित की गईं।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों एवं पर्यवेक्षको के प्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें व्यावसायिक संभावनाओं एवं चुनौतियों के साथ-साथ कंपनी स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इन संवादों का उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना था। विभिन्न द्विपक्षीय मंचों पर हुई इन चर्चाओं का मुख्य ध्यान कंपनी के समग्र प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित रहा, जिसमें उत्पादकता, गुणवत्ता, सुरक्षा, लागत अनुकूलन तथा समय पर आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई, ताकि ग्राहकों की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके और कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन किया जा सके।

1.8.4 जनशक्ति

31 मार्च, 2026 तक बीएचईएल की कुल जनशक्ति 27,284 है, जिसमें 10,726 कार्यपालक, 4,058 पर्यवेक्षक और 12,500 कामगार शामिल हैं।

1.8.5 राष्ट्रपति के निर्देशों पर स्थिति

वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान (A) आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति (B) कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई भी राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.8.5.1 आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण नीति पर निर्देश

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति से संबंधित राष्ट्रपति निर्देशों में सीधी भर्ती और विशिष्ट पदों पर पदोन्नति में भी निर्धारित पदों एवं निर्दिष्ट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों, अर्थात अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं दिव्यांगजन (PwD) के लिए आरक्षण के कुछ निश्चित प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन निर्देशों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के दौरान निर्दिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कुछ रियायतों एवं छूटों का भी प्रावधान किया गया है। इस विषय से संबंधित राष्ट्रपति निर्देशों का कंपनी द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा निर्धारित पद आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के माध्यम से आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत को सुनिश्चित किया जाता है।

हालांकि, इन दिशा-निर्देशों का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस विषय से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है:

i. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 दिसंबर, 2025 तक कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व क्रमशः 20.58%, 7.55% एवं 39.20% था।

31 दिसंबर, 2025 तक SC, ST, OBC एवं EWS कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व तथा कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला निर्धारित प्रारुप में वार्षिक विवरण अनुलग्नक-1A में दिया गया है।

ii. 31 दिसंबर, 2025 तक दिव्यांगजन कर्मचारियों की जनशक्ति

31 दिसंबर, 2025 तक दिव्यांगजन (PwD) कर्मचारियों की कुल संख्या 818 थी। वर्ष 2025 के दौरान PwD श्रेणी में 13 कर्मचारियों की भर्ती की गई। 31 दिसंबर, 2025 तक कंपनी में दिव्यांगजन (PwD) कर्मचारियों की समूह-वार जनशक्ति संख्या अनुलग्नक-1B में दी गई है।

1.8.5.2 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

"कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013" भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) नियम, 2013" की अधिसूचना जारी किए जाने के साथ 9 दिसंबर, 2013 से प्रभावी हुआ।

अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का कंपनी द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बीएचईएल की सभी इकाइयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है तथा इन समितियों के गठन एवं संपर्क विवरण इकाइयों की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ता के कर्तव्यों, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के संबंध में कार्रवाई तथा यौन उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न भ्रांतियों को दर्शाने वाले पोस्टर सभी इकाइयों में प्रमुख स्थानों पर हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार कंपनियों के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्यों हेतु प्रत्येक वर्ष अभिमुखीकरण सत्र अथवा प्रशिक्षण आयोजित करना आवश्यक है। अधिनियम के अनुरुप, आईसीसी सदस्यों के लिए अखिल बीएचईएल स्तर पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इकाई स्तर पर यौन उत्पीड़न अधिनियम एवं लैंगिक संवेदनशीलता विषय पर 83 कार्यशालाएं/जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, 4,062 कर्मचारियों ने iGOT-कर्मयोगी पोर्टल पर "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम" विषयक ई-लर्निंग मॉड्यूल पूरा किया है। वर्ष 2025-26 के दौरान 1 मामला रिपोर्ट किया गया, जो 1 अप्रैल, 2026 तक लंबित था। वर्ष के प्रारंभ में एक शिकायत लंबित थी, जिसका निपटारा वर्ष के दौरान कर दिया गया।

वर्ष (2025-26) में प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या	वर्ष (2025-26) के दौरान निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या	90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या
1	(वर्ष 2024-25 से अग्रेषित)	1

अनुलग्नक - 1ए

31 दिसंबर, 2025 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान की गई नियुक्तियों को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण:

समूह	एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व (31 दिसंबर, 2025 को)					कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या											
						सीधी भर्ती द्वारा					प्रोत्साहन द्वारा			प्रतिनिधित्व/अवशोषण द्वारा			
	कर्मचारियों की कुल सं.	ईडब्ल्यूएस	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	ईडब्ल्यूएस	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
समूह ए	12,300	37	2,280	1,019	3,673	147	16	22	12	40	---- लागू नही ----			0	0	0	0
समूह बी	2,225	0	413	301	629	0	0	0	0	0				0	0	0	0
समूह सी	12,910	34	2,954	752	6,445	202	26	32	15	75				0	0	0	0
समूह डी (एसडब्ल्यू को छोड़कर)	46	0	7	2	26	0	0	0	0	0				0	0	0	0
समूह डी (एसडब्ल्यू)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
कुल	**27,484**	**71**	**5,657**	**2,074**	**10,773**	**349**	**42**	**54**	**27**	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*बीएचईएल में इंडक्शन स्तर पर पदोन्नति से नियुक्तियां नहीं होतीं

अनुलग्नक - 1बी

31 दिसंबर, 2025 को दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व और कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान किए गए नियुक्तियां को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति*						
	कर्मचारियों की कुल संख्या	वीएच	एचएच	ओएच	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			कुल	की गई नियुक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों की संख्या			कुल	की गई नियुक्तियों की संख्या		
					वीएच	एचएच	ओएच		वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच		वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह ए	12,300	4	19	354	1	2	2	5	1	2	2	--------------लागू नही-----------						
समूह बी	2,225	1	4	65	0	0	0	0	0	0	0							
समूह सी	12,910	19	27	323	3	3	2	8	3	3	2							
समूह डी	49	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0							
कुल	**27,484**	**25**	**50**	**743**	**4**	**5**	**4**	**13**	**4**	**5**	**4**							

नोट:

(i) VH का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

(ii) HH का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण बाधित व्यक्ति)

(iii) OH का अर्थ अस्थि विकलांग (चलन संबंधी विकलांगता या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

*बीएचईएल में इंडक्शन स्तर पर पदोन्नति से नियुक्तियां नहीं होतीं

1.9 देश के लिए क्षमता निर्माण

बीएचईएल देश के लिए इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता निर्माण में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। कंपनी विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से निम्नलिखित पहल कर रही है:

- कंपनी कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद में पीईएम ईंधन सेल स्टैक और उनके विभिन्न घटकों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण अवसंरचना स्थापित कर रही है, जो भारत में अनुसंधान एवं विकास और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। इस परियोजना को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एनआईएसई द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
- कंपनी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से कोयला गैसीकरण से प्राप्त CO2 के कैप्चर तथा उत्प्रेरक रूपांतरण के माध्यम से इसके डिमिथाइल ईथर (डीएमई) में परिवर्तित कर उपयोग करने की तकनीक के विकास एवं प्रदर्शन की पहल की है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद के साथ एक संयुक्त परियोजना हैदराबाद के मौला अली में 0.40 टीपीडी सीओ2 से 0.18 टीपीडी डीएमई की क्षमता वाले पायलट संयंत्र को चालू करने के लिए प्रगति पर है।
- कंपनी ने WRI, त्रिची में वेल्डिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक "कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर" की स्थापना की है। इसके विस्तार केंद्र बीएचईएल की वाराणसी, रानीपेट, भोपाल, झाँसी और हरिद्वार इकाइयों में भी स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2026 तक, इन केंद्रों में देशभर के 10,400 से अधिक वेल्डिंग पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
- कंपनी ने भोपाल इकाई में स्थित मौजूदा तकनीकी सेवा प्रभाग की प्रयोगशाला की परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया है, ताकि एक अत्याधुनिक एवं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला विकसित की जा सके। इस प्रयोगशाला में रासायनिक, विद्युत एवं यांत्रिक गुणों का परीक्षण एक ही छत के नीचे किया जा सकेगा। यह प्रयोगशाला रणनीतिक रूप से मध्य भारत में स्थित है और पूंजीगत वस्तु उद्योग की परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित की गई इस सुविधा से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्योग प्रमुख रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। 31 मार्च, 2026 तक विभिन्न उद्योगों/एमएसएमई आदि के लिए 6,000 से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं।
- कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद में औद्योगिक संबंधित प्रक्रियाओं के क्षेत्र में हार्डवेयर इन द लूप (एचआईएल) और सॉफ्टवेयर इन द लूप (एसआईएल) दोनों कार्य क्षमताओं से युक्त एक परीक्षण सुविधा स्थापित की है। इससे उद्योगों को विभिन्न विकास चरणों में डिज़ाइन के सत्यापन में सहायता मिलेगी तथा स्टार्ट-अप, एमएसएमई, प्रक्रिया उद्योगों और रक्षा प्रतिष्ठानों को नए डिज़ाइन विकसित करने एवं उनके प्रदर्शन का परीक्षण करने में सहयोग प्रदान करेगा, जो सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप है।
- कंपनी ने अपने हैदराबाद इकाई में पंप के लिए एक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है। यह प्रयोगशाला देश में अपनी तरह की अद्भुत प्रयोगशालाओं में से एक है जो उच्च प्रवाह और उच्च तापमान वाले पंपों के लिए स्वदेशी रूप से परीक्षण करने में मदद करेगी।

1.10 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, बीएचईएल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। कॉर्पोरेट कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा एक नोडल अधिकारी नियुक्त हैं। और प्रत्येक प्रमुख प्रशासनिक इकाई में 25 अन्य सीपीआईओ कंपनी में काम कर रहे हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में 25 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी कार्यरत हैं, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के आदेशों के विरुद्ध दायर प्रथम अपीलों का निस्तारण करते हैं। नागरिकों को अपने आरटीआई आवेदन एवं प्रथम अपील ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, बीएचईएल ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल **(https://rtionline.gov.in)** को अपनाया है। परिणामस्वरूप, इस पोर्टल पर प्राप्त आरटीआई आवेदनों तथा आरटीआई की प्रथम अपीलों का उत्तर ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण बीएचईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने तथा प्रथम अपील दायर करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश एवं निर्धारित प्रपत्र भी बीएचईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े अन्य आंतरिक हितधारकों को अधिनियम के अंतर्गत उनके दायित्वों के प्रति प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से संवेदनशील एवं जागरूक बनाया जाता है। बीएचईएल, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप) द्वारा गठित सूचना का अधिकार (आरटीआई) संबंधी संचालन समिति का सदस्य होने के नाते, स्कोप तथा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा आरटीआई विषयक आयोजित बैठकों एवं विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेता है। आरटीआई से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन समयबद्ध रूप से केंद्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऑनलाइन माध्यम से 685 आरटीआई आवेदन तथा 157 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 676 आरटीआई आवेदनों तथा 147 प्रथम अपीलों का निस्तारण किया गया।

1.11 जोखिम और चिंताएँ

बीएचईएल के व्यावसायिक परिचालन वित्तीय, परिचालन, क्षेत्र-विशिष्ट, प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, पर्यावरण, सामाजिक एवं सुशासन (ईएसजी) संबंधी, साइबर सुरक्षा, बदलती व्यावसायिक परिस्थितियों, परियोजनाओं की समय-सीमा का पालन तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थल पर उत्पाद/सेवा सहायता प्रदान करने जैसी विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य जोखिमों से प्रभावित होते हैं।

जोखिम प्रबंधन संगठन

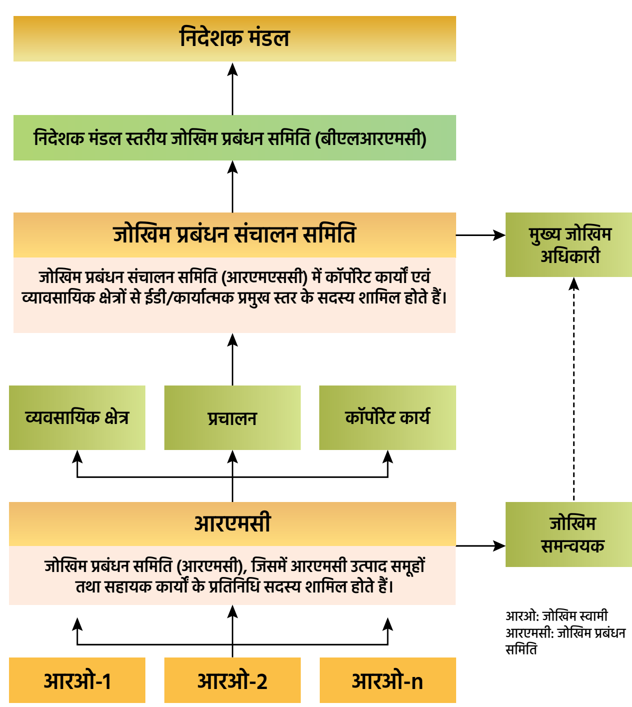

बीएचईएल ने एक कुशल एवं प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की आवश्यकता को चिन्हित किया गया है, ताकि व्यवसाय का संचालन जोखिमों के प्रति सजग एवं जागरुक दृष्टिकोण के साथ सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी के पास एक संरचित और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति है। इस चार्टर का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्ट के लिए एक समान समझ, शब्दावली और कार्यप्रणाली स्थापित करना है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रमुख जोखिमों की उचित रूप से पहचान की जाए, उनकी सूचना समय पर प्रबंधन को दी जाए और उनका प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए। जोखिम की पहचान करने की प्रक्रिया को कंपनी के विकास उद्देश्यों, बाहरी वातावरण, उद्योग की रिपोर्टों के साथ-साथ आंतरिक और बाहरी हितधारकों आदि द्वारा सचेत रूप से निर्देशित किया जाता है।

कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिम इस प्रकार हैं:

1. **डिलीवरी:** परियोजनाओं की आपूर्ति में विलंब होने से एलडी, दंडात्मक शुल्क, ग्राहकों में असंतोष तथा कंपनी की प्रतिष्ठा एवं छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम।
2. **तरलता जोखिम:** बढ़ते देनदारों के करण तरलता जोखिम बढ़ता है।
3. **सामग्री लागत:** प्रत्यक्ष सामग्री लागत में वृद्धि से लाभप्रदता प्रभावित हो रही है।
4. **साइबर सुरक्षा:** ऑनलाइन डेटा और सूचना सुरक्षा उल्लंघन से नुकसान और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का विघटन हो सकता है।
5. **प्रौद्योगिकी की उपलब्धता:** वर्तमान/भविष्य की बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों में प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता से व्यवसाय में नुकसान हो सकता है।
6. **ऑर्डर बुकिंग:** गैर-कोयला आधारित व्यवसाय से आदेश बुकिंग में कमी से राजस्व पर प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त छह चिन्हित प्रमुख जोखिमों के विरुद्ध शमन उपाय लागू हैं।

1.12 डेटा और साइबर सुरक्षा

कंपनी ने अपने आईटी अवसंरचना एवं डेटा परिसंपत्तियों को लगातार विकसित हो रहे साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए लेयर्ड सिक्योरिटी (Layered Security) तथा जीरो ट्रस्ट (Zero Trust) सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढाँचा लागू किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी आईटी एवं सुरक्षा अवसंरचना को उल्लेखनीय रूप से उन्नत किया, जिससे नेटवर्क की बेहतर दृश्यता (Visibility), खतरों का प्रभावी पता लगाने (Threat Detection) तथा साइबर घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया (Incident Response) की क्षमताओं में वृद्धि हुई। नेटवर्क एवं परिधि सुरक्षा संरचना के अंतर्गत नेक्स्ट जेनरेशन फ़ायरवॉल (Next Generation Firewalls), इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम (IPS), ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस (ZTNA), नेटवर्क प्राइवेट एक्सेस (NPA) तथा सुरक्षित ई-मेल गेटवे (Secure Email Gateways) स्थापित हैं। साथ ही, महत्वपूर्ण प्रणालियों तक पहुँच को बहु-कारक प्रमाणीकरण (Multi-Factor Authentication) के माध्यम से सुरक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी-व्यापी स्तर पर एक केंद्रीकृत एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स (EDR) प्लेटफ़ॉर्म लागू किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म वास्तविक समय में साइबर खतरों की पहचान, सक्रिय खतरा खोज , स्वचालित प्रतिक्रिया (Automated Response) तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। साथ ही, इसमें रैनसमवेयर-रोधी एवं बॉट-रोधी (Anti-Bot) सुरक्षा जैसी उन्नत विशेषताएँ भी उपलब्ध हैं।

बीएचईएल में एक केंद्रीकृत 24×7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र कार्यरत है, जो उपयोगकर्ता एवं इकाई व्यवहार विश्लेषण (UEBA), सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, स्वचालन एवं प्रतिक्रिया (SOAR) जैसी उन्नत क्षमताओं से सुसज्जित है। यह केंद्र भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In), राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC), राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC) तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त साइबर खतरा संबंधी खुफिया जानकारी के साथ एकीकृत है, जिससे साइबर खतरों की सक्रिय निगरानी तथा समयबद्ध एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाती है।

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक साइबर संकट प्रबंधन योजना (CCMP) लागू है, जो साइबर घटनाओं के प्रभावी प्रबंधन एवं त्वरित पुनर्प्राप्ति (Recovery) को सुनिश्चित करती है। CERT-In द्वारा सूचीबद्ध (Empanelled) एजेंसियों के माध्यम से ऑनलाइन अनुप्रयोगों का प्रत्येक तिमाही में नियमित पैठ परीक्षण एवं सुरक्षा आकलन नियमित रुप से किए जाते हैं, इससे सुरक्षा कमजोरियों की समय पर पहचान तथा उनका प्रभावी निवारण सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के सभी इंटरनेट-फेसिगं एप्लीकेशनों को वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

बीएचईएल मानव-केंद्रित सुरक्षा पर भी विशेष बल देता है इसके अंतर्गत साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, सिमुलेशन अभ्यास एवं समय-समय पर एडवाइज़री आयोजित/जारी की जाती हैं। साथ ही, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता को सुदृढ़ करने के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। कंपनी ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत भी आवश्यक गतिविधियाँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत पहचान योग्य सूचना (PII) के बेहतर शासन (Governance) एवं डेटा गोपनीयता (Data Privacy) के संरक्षण को सुदृढ़ करना है।

बीएचईएल ने वर्ष 2005 से सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन बनाए हुए है और हाल ही में ISO/IEC 27001:2022 मानक में सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे सुदृढ़ शासन व्यवस्था (Governance) के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता तथा वैश्विक सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के अनुरुप उसके प्रयास और अधिक मजबूत हुए हैं। बीएचईएल उभरते हुए साइबर खतरों तथा नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी साइबर सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ एवं उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

के निदेशक मंडल की ओर से और उसकी ओर से

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।

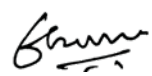

के. सदाशिव मूर्ति

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 07 जुलाई, 2026

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक -II
कॉर्पोरेट अभिशासन

2.1 कॉर्पोरेट अभिशासन पर हमारी धारणा

बीएचईएल एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचे के अंतगर्त कार्य करता है, जो शासन की गुणवत्ता, प्रकटीकरण में पारदर्शिता, हितधारकों के मूल्य में लगातार वृद्धि और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बीएचईएल अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज के विश्वास निर्माण पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए, कॉर्पोरेट प्रशासन की बुनियादी और नियामक आवश्यकताओं से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा पारदर्शिता, प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और सभी के लिए निष्पक्षता, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों पर आधारित है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रक्रियाओं और आचार संहिता के अनुपालन में अपना व्यवसाय संचालित करने में विश्वास करती है, जिससे बीएचईएल शेयरधारकों को दीर्घकालिक लाभ, ग्राहकों के लिए अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों के लिए आकर्षक अवसर, प्रगति में कंपनी के साथ साझेदारी करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए अवसर और समाज के संवर्धन के लिए प्रस्तुत करती है। आचार संहिता बीएचईएल कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.bhel.com) पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

2.2 निदेशक मंडल

i. निदेशक मंडल की संरचना और श्रेणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार, बीएचईएल एक 'सरकारी कंपनी' है, क्योंकि कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 58.17% भाग भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास है। बीएचईएल के निदेशक मंडल की संरचना में कार्यात्मक निदेशकों, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) भी शामिल हैं, के रूप में कार्यकारी निदेशकों तथा सरकारी नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के रूप में गैर-कार्यकारी निदेशकों का उपयुक्त मिश्रण है। यह संरचना निदेशक मंडल की स्वतंत्रता बनाए रखने तथा प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित निदेशक मंडल के कार्यों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करने में सहायक है।

31 मार्च, 2026 को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

निदेशकों की श्रेणी	निदेशक मंडल की संरचना	31 मार्च, 2026 को वास्तविक संख्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक	5	4
एमएचआई, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक)	2	2
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	8	1
कुल	**16**	**8**

31 मार्च, 2026 तक, बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों के सात पद तथा एक पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक अर्थात निदेशक (मानव संसाधन) का एक पद रिक्त था। इन रिक्तियों को भरने का विषय भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है।

ii. वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति।

निदेशक का नाम एस/श्री	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछला एजीएम (19.08.2025 को आयोजित किया गया)
	रखा	उपस्थित	
कार्यकारी निदेशक			
के. सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	9	9	हां
कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (मा. सं.) (19 मार्च, 2026 तक एफ/एन)	8	8	हां
तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पावर) #	9	9	हां
सुश्री बानी वर्मा, निदेशक (आईएस एंड पी) $	9	9	हां
राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त)	9	9	हां
एस एम रामनाथन, निदेशक (ई, आर एंड डी) (30 अप्रैल, 2025 ए/एन से)	8	8	हां
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक - सरकारी नामांकित			
सुश्री आरती भटनागर, विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (30 सितंबर,2025 तक)	5	4	हां
असित गोपाल, विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (3 फरवरी, 2026 से प्रभावी)	2	2	*
विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय	9	7	हां
अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक			
रमेश पटल्या मावस्कर	9	9	हां
अशोक असेरी (27 मार्च, 2026 तक)	9	9	हां
आशीष चतुर्वेदी (27 मार्च, 2026 तक)	9	9	हां

19 मार्च, 2026 से निदेशक (एचआर) के पद का अतिरिक्त प्रभार।
30 अप्रैल, 2025 तक निदेशक (ई, आर और डी) के पद का अतिरिक्त शुल्क/एन।
* संकेत करता है कि संबंधित व्यक्ति अंतिम एजीएम तिथि पर बीएचईएल का निदेशक नहीं था

ए. 31 मार्च, 2026 तक अन्य कंपनियों में निदेशक मंडल, समिति सदस्यता और समिति की अध्यक्षता का विवरण#

निदेशक का नाम श्री	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या	अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता और समिति की अध्यक्षता की संख्या
के.सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	2	-शून्य-
तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पावर)	1	-शून्य-
सुश्री बानी वर्मा, निदेशक (आईएस एंड पी)	-शून्य-	-शून्य-
राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त)	2	**लेखा परीक्षा समिति:** • अध्यक्ष: 1
एसएम रामनाथन, निदेशक (ई, आर एंड डी)	-शून्य-	-शून्य-
असित गोपाल, अंशकालिक सरकारी निदेशक	6	**लेखा परीक्षा समिति:** • अध्यक्ष: 1
विजय मित्तल, अंशकालिक सरकारी निदेशक	4	-शून्य-
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	-शून्य-	-शून्य-

*केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संपर्क समिति की अध्यक्षता/सदस्यता को ही शामिल किया गया है।

अन्य कंपनियों में निदेशक पद/समिति की सदस्यता से संबंधित विवरण निदेशक मंडल के संबंधित निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है।

कंपनी का कोई भी निदेशक एक ही समय में बीस (20) से अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में पदधारण नहीं करता है। कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) से अधिक समितियों में सदस्य नहीं है और न ही उन सभी सूचीबद्ध कंपनियों में जिसमे वह निदेशक है, पांच (5) से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

निदेशकों के बीच आपसी संबंधों का प्रकटीकरण: कोई नहीं

बी. सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद का विवरण और निदेशक पद की श्रेणी

31 मार्च, 2026 तक, निम्नलिखित निदेशक अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद संभाला, जैसा कि नीचे है:

निदेशक का नाम	सूचीबद्ध इकाई का नाम	निदेशकत्व की श्रेणी
श्री असित गोपाल, अंशकालिक सरकारी निदेशक	1. द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2. एमएमटीसी लिमिटेड 3. एचएमटी लिमिटेड	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री विजय मित्तल, अंशकालिक सरकारी निदेशक	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	सरकार द्वारा नामित निदेशक

iii. आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या एवं तिथियां

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं और इनका कार्यक्रम पूर्व निर्धारित किया जाता है। कंपनी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से, प्रत्येक निदेशक को प्रत्येक निदेशक मंडल की बैठक की लिखित सूचना भेजते हैं।

निदेशक मंडल के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारी तक पहुंच होती है और वे किसी भी मामले को एजेंडा में शामिल करने की अनुशंसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो आमतौर पर अग्रिम रूप से भेज दिया जाता है। वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ताकि चर्चा किए जा रहे विषयों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और/या आवश्यकता के अनुसार निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण देने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। निदेशक मंडल प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करता है, जिसमें तिमाही परिणामों तथा एजेंडा में शामिल अन्य विषयों की समीक्षा की जाती है। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की कुल 09 बैठकें हुईं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

(i) 30 अप्रैल, 2025	(ii) 16 मई, 2025	(iii) 19 जून, 2025
(iv) 6 अगस्त, 2025	(v) 25 सितम्बर 2025	(vi) 29 अक्तूबर 2025
(vii) 19 जनवरी, 2026	(viii) 4 फरवरी, 2026	(ix) 19 मार्च, 2026

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के तुरंत बाद बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं और सभी निदेशकों को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए परिचालित किए जाते हैं, और उसके बाद अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। उचित कार्रवाई और कार्यान्वयन शुरु करने के लिए संबंधित विभागों/समूहों को परिचालित किया जाता है।

iv. मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता की सूची

बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके निदेशक मंडल के सभी निदेशक अर्थात कार्यकारी निदेशक, सरकारी नामित निदेशक एवं स्वतंत्र निदेशक, प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए निर्धारित सुव्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार द्वारा चयनित एवं नियुक्त किए जाते हैं। बीएचईएल जिस व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यरत है, उसके संदर्भ में निदेशक मंडल के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक मूलभूत कौशल, विशेषज्ञता एवं दक्षता की आवश्यकताएं इन निदेशकों के चयन की सरकारी प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। अतः बीएचईएल का निदेशक मंडल स्वयं ऐसे मूलभूत कौशलों या दक्षताओं की पहचान नहीं करता है जो इस पद के लिए आवश्यक हों, तथा न ही किसी विशेष कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता के आधार पर निदेशकों की पहचान करता है।

v. निदेशक मंडल का दायित्व

निदेशक मंडल का दायित्व कंपनी की रणनीतिक दिशा की देखरेख करना, कॉरपोरेट प्रदर्शन की समीक्षा एवं निगरानी करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना तथा हितधारकों के हितों की रक्षा करना है।

vi. स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशक निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों में विचार-विमर्श की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इंजीनियरिंग, वित्त, प्रबंधन, विधि, सार्वजनिक नीति आदि क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता एवं अनुभव के माध्यम से कंपनी को योगदान प्रदान करते हैं।

स्वतंत्र निदेशक, निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियों जैसे लेखा-परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, सीएसआर समिति आदि का हिस्सा हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और लिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में, लेखा-परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और वे अपने संबंधित संदर्भों की परिभाषित शर्तों के अनुसार कार्य करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वतंत्र निदेशकों के परिचय कार्यक्रम के संबंध में विवरण कंपनी की वेबसाइट पर **https://bhel.com/2025-26** पर उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

vii. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं

निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए एजेंडे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- वार्षिक परिचालन योजनाएं एवं बजट तथा उनमें किए गए कोई भी अद्यतन।
- पूंजीगत बजट एवं उनमें किए गए कोई भी अद्यतन।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव।
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश।
- निवेशों, सहायक कंपनियों एवं महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की बिक्री, जो सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा न हो।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में परिवर्तन और उनके कारण।
- कंपनी एवं उसकी परिचालन इकाइयों अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों के तिमाही परिणाम।
- विदेशी मुद्रा जोखिमों का तिमाही विवरण तथा प्रतिकूल विनिमय दर उतार-चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण हों।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट।
- मध्यस्थता मामलों एवं प्रमुख कानूनी विवादों की स्थिति।
- लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- निदेशक स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी।
- किसी भी संयुक्त उद्यम, अनुसंधान एवं विकास परियोजना अथवा तकनीकी सहयोग समझौते का विवरण, जिसके लिए निदेशक मंडल की स्वीकृति आवश्यक हो।
- महत्वपूर्ण श्रमिक संबंधी समस्याएं एवं उनके प्रस्तावित समाधान।
- मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध क्षेत्र में किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का कार्यान्वयन आदि।
- निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित विषयों पर कार्रवाई प्रतिवेदन।
- किसी भी संयुक्त उद्यम या आर एंड डी परियोजना या तकनीकी सहयोग समझौते का विवरण जिसके लिए निदेशक मंडल की मंज़ूरी की आवश्यकता है।
- महत्वपूर्ण श्रम/लेबर समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान
- मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि
- निदेशक मंडल द्वारा वांछित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
- कोई भी अनुबंध जिससे निदेशक (निदेशकगण) हितबद्ध हों
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा अधिग्रहित निदेशको और समिति पदों के बारे में हितबद्धता का प्रकटीकरण
- सूची विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों और निदेशक मंडल की बैठकों आदि पर सचिवीय मानक-1 के तहत सूचना या अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी अन्य मामले।

निदेशक मंडल ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारु रूप से दक्षतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल स्तर की सभी समितियों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल की बैठकों में दर्ज किए जाते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जिसमें निदेशक मंडल की किसी समिति की किसी भी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो।

viii. नए निदेशकों का चयन

बीएचईएल के संघ के अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के माध्यम से, बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति करते हैं। बीएचईएल के निदेशक मंडल में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दो अंशकालिक शासकीय निदेशकों को नामित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की भी नियुक्ति करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग की खोज समिति के परामर्श से किया जाता है, जो व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक पैनल बनाए रखती है और इस संबंध में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है।

ix. सदस्यता अवधि और सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति आम तौर पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। अंशकालिक शासकीय निदेशक भारत सरकार के विवेक पर बीएचईएल के निदेशक मंडल में बने रहते हैं। अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का कार्यकाल प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। आम तौर पर, एक स्वतंत्र निदेशक को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, हालांकि, एमएचआई ने अपनी अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार बीएचईएल के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों को एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया, जो 27 मार्च, 2026 को समाप्त हो गई।

x. आचार संहिता

बीएचईएल के पास मौजूदा सेबी लिस्टिंग विनियमों तथा डीपीई दिशानिर्देश के अनुरूप बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 'व्यवहार आचार संहिता और नैतिकता' है।

नियामक ढांचे और व्यावसायिक गतिशीलता में बदलाव के अनुरूप और संहिता को मजबूत करने के लिए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल करने के लिए समय-समय पर संहिता को संशोधित किया जाता है।

संहिता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएँ;
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व; और
- निदेशक मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान।

संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध है।

xi. निदेशक मंडल का चार्टर और निदेशकों का प्रशिक्षण

निदेशक मंडल तथा प्रत्येक निदेशक की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल ने "निदेशक मंडल का चार्टर" निर्धारित किया है। यह चार्टर बीएचईएल के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्यों एवं उसके दृष्टिकोण को भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है।

डीपीई के दिशानिर्देशों तथा सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप, और निदेशकों को उनके वैधानिक दायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से सुसज्जित करने के उद्देश्य से, बीएचईएल के निदेशक मंडल ने निदेशकों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण नीति को अनुमोदित किया है। इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित है—

ए) निदेशकों को संबंधित दिशानिर्देशों, नियामकीय आवश्यकताओं एवं प्रक्रियाओं की समुचित जानकारी एवं समझ प्रदान करना।

बी) निदेशकों की व्यावसायिक परिवेश की समझ बढ़ना, ताकि वे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक दूरदृष्टि विकसित करने तथा संगठन को प्रभावी दिशा प्रदान करने में सक्षम हो सकें।

सी) निदेशक मंडल के सदस्यों की बदलती भूमिकाओं एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान करना।

इस नीति के अंतर्गत सामान्य अभिमुखिकरण कार्यक्रमों के साथ-साथ कंपनी-विशिष्ट एवं क्षेत्र-विशिष्ट विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं।

निदेशकों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का विवरण अनुलग्नक–V (व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सततता प्रतिवेदन में दिया गया है।

xii. व्यवसायी कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण-पत्र

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण अवश्यकताएं) विनियम के विनियम 34(3) तथा अनुसूची–V, भाग C, खंड 10(i) के अनुसार, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव कंपनी को प्रमाण-पत्र (जिसकी प्रति संलग्न है) जारी किया है, जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल का कोई भी निदेशक, सेबी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय अथवा किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या निदेशक पद पर बने रहने से प्रतिबंधित अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

xiii. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(8) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण-पत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2.3 निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट निदेशक मंडल स्तरीय लेखा परीक्षा समिति (बीएलएसी) के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, डीपीई दिशानिर्देशों के साथ-साथ सेबी लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। संदर्भ की शर्तों को 4 फरवरी, 2026 से अद्यतन किया गया था और वे इस प्रकार हैं:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।
2. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों के संबंध में निदेशक मंडल की अनुशंसा।
3. सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में:
   - i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामलों;
   - ii. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
   - iii. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
   - iv. लेखा परीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
   - v. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्ध और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
   - vi. किसी भी संबंधित पक्ष द्वारा लेनदेन का प्रकटीकरण;
   - vii. लेखापरीक्षा मसौदा रिपोर्टिंग में योग्यताएं;
5. प्रबंधन के साथ त्रैमासिक वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना।
6. विभिन्न माध्यमों जैसे सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, वरीयता निर्गम आदि के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/प्रयोग के विवरण तथा उन निधियों के ऐसे उपयोग के विवरण की समीक्षा करना, जिनका उपयोग निर्गम दस्तावेज़ों में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया हो। प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणिका/नोटिस में और सार्वजनिक या अधिकार निर्गम या वरीयता निर्गम या योग्य संस्थानों के नियोजन की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

7. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना,

8. कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों (Related Parties) के साथ किए गए लेन-देन के अनुमोदन अथवा उनमें बाद में किए गए किसी भी संशोधन का अनुमोदन करना;

9. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच करना;

10. होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में दिए गए ऋणों और/या अग्रिमों अथवा किए गए निवेश के उपयोग की समीक्षा करना, जहाँ ऐसी राशि ₹100 करोड़ अथवा सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों के आकार के 10% (जो भी कम हो) हो।;

11. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां आवश्यक हो;

12. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

13. प्रबंधन के साथ मिलकर वैधानिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

14. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं वरिष्ठता, विभागाध्यक्ष अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे तथा उसकी आवृत्ति की समीक्षा शामिल है;

15. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई

16. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहाँ किसी महत्वपूर्ण स्तर पर धोखाधड़ी (Fraud), अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता का संदेह हो, तथा ऐसे मामलों की सूचना निदेशक मंडल को देना।

17. वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा-परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व उसकी प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र पर चर्चा करना तथा लेखा-परीक्षा पूर्ण होने के बाद किसी भी चिंता के क्षेत्र की पहचान हेतु चर्चा करना।

18. जमाकर्ताओं, ऋणपत्रधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने की स्थिति में) तथा लेनदारों को भुगतान में हुई महत्वपूर्ण चूक के कारणों की जांच करना;

19. व्हिसल ब्लोअर/सतर्कता (विजिल) तंत्र के कामकाज की समीक्षा करने के लिए;

20. आंतरिक लेखापरीक्षा/निदेशक मंडल और/या भारत सरकार द्वारा संदर्भित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की समीक्षा करना तथा संबंधित मामलों पर अपने सुझाव/मार्गदर्शन/टिप्पणियां प्रदान करना।

21. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक) विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना;

22. जब भी आवश्यक हो, वैधानिक लेखापरीक्षकों/आंतरिकलेखा परीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में चर्चा करना;

23. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, विलीनीकरण, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के तर्क, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और टिप्पणीयां करना;

24. उपयुक्त मामलों में, जहां आवश्यक हो, बाहरी स्रोतों से व्यावसायिक/विशेषज्ञ सलाह लेना;

25. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;

26. संसद की सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए;

27. प्रबंधन तथा लेखा परीक्षकों (आंतरिक/स्वतंत्र) के साथ महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों एवं लेखा-परीक्षा कार्य के दौरान आई कठिनाइयों, यदि कोई हों, की समीक्षा करना;

28. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की भी समीक्षा करेगी:

    i. वित्तीय स्थिति एवं परिचालन परिणामों पर प्रबंधन द्वारा की गई चर्चा एवं विश्लेषण,

    ii. संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन का विवरण;

    iii. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन-पत्र अथवा आंतरिक नियंत्रण संबंधी कमियों पर जारी पत्र।

    iv. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टें।

    v. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, पद से हटाने तथा उनके पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा।;

    vi. मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

    vii. सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 32 (सार्वजनिक/अधिकारों/अधिमान्य मुद्दे से संबंधित) के अनुसार विचलन का विवरण

29. निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित किसी अन्य विषय पर विचार करना अथवा ऐसे किसी भी मामले की समीक्षा/अनुमोदन करना, जिसकी समीक्षा/अनुमोदन लागू कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी लिस्टिंग विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों तथा अन्य वैधानिक विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित हो।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

लेखापरीक्षा समिति की संरचना 27 मार्च, 2026 तक कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों तथा सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप थी। लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के सदस्यों में वाणिज्य, वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट गवर्नेंस की पृष्ठभूमि वाले पेशेवर शामिल हैं।

समिति का अंतिम पुनर्गठन 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हुआ। वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे

निदेशक का नाम सुश्री /श्री	पद	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
रमेश पाटल्या मावसकर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	8	8
सुश्री आरती भटनागर विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक शासकीय निदेशक (30 सितंबर, 2025 तक)	सदस्य	4	3
अशोक असेरी, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च, 2026 तक)	सदस्य	8	8
आशीष चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च, 2026 तक)	सदस्य (1 अक्तूबर, 2025 से)	4	4

निदेशक(वित्त), निदेशक (आईएस और पी) और निदेशक (पावर) स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग के प्रमुख तथा वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रतिनिधि, आवश्यकता अनुसार, लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कंपनी के लेखा परीक्षकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को, जब लेखा-परीक्षा समिति लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करेगी, तब बैठक में अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा; तथापि उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

iii. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की कुल आठ बैठकें 16 मई, 2025, 19 जून, 2025, 6 अगस्त, 2025, 25 सितंबर, 2025, 29 अक्टूबर, 2025, 19 जनवरी, 2026, 4 फरवरी, 2026, 19 मार्च, 2026, तिथियों को आयोजित की गईं: प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

2.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

i. पारिश्रमिक नीति

बीएचईएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, बीएचईएल के नियमों के अनुरूप उन्हें निर्धारित सुविधाएँ एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।

ii. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के कार्य-क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, डीपीई दिशानिर्देशों तथा सेबी सूचीकरण विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरुप हैं। समिति के कार्य-क्षेत्र को 4 फरवरी, 2026 से प्रभावी रूप में अद्यतन किया गया, जो निम्नानुसार हैं:

1. निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने तथा वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य हों, तथा उनकी नियुक्ति एवं पद से हटाने के संबंध में निदेशक मंडल को अनुशंसा करना। साथ ही, निदेशक मंडल, उसकी समितियों तथा प्रत्येक निदेशक के कार्य-निष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित करना, जिसे निदेशक मंडल, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अथवा किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा किया जा सके, तथा उसके क्रियान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा करना।
2. निदेशक की योग्यताओं, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना तथा निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश करना;
3. स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
4. निदेशक मंडल में विविधता से संबंधित नीति तैयार करना;
5. निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक पैकेज संबंधी कंपनी की नीति की समीक्षा करना तथा निदेशक मंडल को उसकी अनुशंसा करना। इसमें प्रोत्साहन, लाभ, परिलाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि के विभिन्न घटक शामिल होंगे, जो निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में हों अथवा भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित न किए गए हों;
6. गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंडों को अंतिम रूप देना (स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क सहित)
7. अधिकारियों तथा गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए बोनस/परिवर्ती वेतन निधि तथा उसके वितरण की नीति निर्धारित करना;
8. बदलते एवं उभरते व्यावसायिक परिवेश के अनुरुप बीएचईएल को तैयार करने के लिए मानव संसाधन नीतियों में आवश्यक परिवर्तन सुझाना;
9. निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित किसी अन्य विषय पर विचार करना अथवा ऐसे किसी भी मामले की समीक्षा/अनुमोदन करना, जिसकी समीक्षा/अनुमोदन लागू कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी लिस्टिंग विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों तथा अन्य वैधानिक विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित हो।

उपरोक्त संदर्भ की शर्तें राष्ट्रपति/प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के अधीन हैं।

सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल तथा पारिश्रमिक (स्वतंत्र निदेशकों के बैठक शुल्क को छोड़कर) भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उपधाराओं (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। इन उपधाराओं के अंतर्गत निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों, स्वतंत्रता के निर्धारण हेतु मानदंड तैयार करना, निदेशकों का वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन करना तथा निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति बनाना आवश्यक था।

iii. समिति का गठन, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

एनआरसी की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों और 27 मार्च, 2026 तक सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में थी। वर्ष के दौरान गठित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे

निदेशक का नाम सुश्री /श्री	स्थिति	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित
रमेश पटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
विजय मित्तल, जेएस, एमएचआई, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	सदस्य	2	1
अशोक असेरी, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च, 2026 तक)	सदस्य	2	2

निदेशक (मा.सं.) स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

iv. बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 6 अगस्त, 2025 और 14 अक्टूबर, 2025 को दो बैठकें हुईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का ब्यौरा ऊपर सारणी में दिया गया है।

vi. वर्ष 2025-26 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है

(रु. में)

स्वतंत्र निदेशक का नाम सुश्री/श्री	बैठक शुल्क		कुल
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
रमेश पटल्या मावस्कर	2,70,000	3,80,000	6,50,000
अशोक असेरी	2,70,000	3,40,000	6,10,000
आशीष चतुर्वेदी	2,70,000	2,40,000	5,10,000

गैर-कार्यकारी (अंशकालिक) निदेशकों के पारिश्रमिक के लिए मानदंड:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने पर ₹30,000 तथा निदेशक मंडल स्तर की प्रत्येक समिति की बैठक में भाग लेने पर ₹20,000 की बैठक शुल्क देय थी। स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्प के पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा, सरकारी नामित निदेशकों को बीएचईएल से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

गैर-कार्यकारी (अंशकालिक) निदेशकों और कंपनी के बीच कोई अन्य मौद्रिक लेन-देन नहीं हुआ।

vii. गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

31 मार्च, 2026 को बीएचईएल में किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कोई इक्विटी शेयर नहीं थे।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

v. वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. में)

क्र. सं	निदेशक का नाम सुश्री/श्री	वेतन	लाभ	अन्य लाभ	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	कुल	सेवा अनुबंध/नोटिस अवधि पृथक्करण शुल्क
1.	के. सदाशिव मूर्ति, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	51,39,274	13,80,042	5,09,452	2,01,543	72,30,311	----
2.	कृष्ण कुमार ठाकुर, निदेशक (एचआर) (19 मार्च, 2026 तक)	40,03,166	10,74,298	8,59,643	1,35,287	60,72,394	----
3.	तजिंदर गुप्ता, निदेशक (पावर)	57,29,790	13,25,938	32,400	1,61,368	72,49,496	रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए देय
4.	सुश्री बानी वर्मा, निदेशक (आईएस एंड पी)	60,47,079	13,82,535	32,400	1,68,255	76,30,269	रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए देय
5.	राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त)	46,39,002	12,41,463	4,48,946	1,42,814	64,72,225	रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए देय
6.	एस एम रामनाथन, निदेशक (ई, आर एंड डी) (30 अप्रैल, 2025 से प्रभावी)	53,83,132	12,79,009	4,02,163	1,29,961	71,94,265	रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए देय

2.5 शेयरधारक समितियाँ

2.5.1 शेयरधारक संबंध समिति

i. कार्य-क्षेत्र

कार्य-क्षेत्र निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित शेयरधारक संबंध समिति का कार्य-क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है। कार्य-क्षेत्र को 4 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी रूप से अद्यतन किया गया है, जो निम्नानुसार है—

1. कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का निवारण करना, जिसमें शेयरों के अंतरण/संप्रेषण, वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त न होना, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाण-पत्र जारी करना, आम बैठकों से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं।

2. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग हेतु किए गए उपायों की समीक्षा करना।

3. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।

4. कंपनी द्वारा अदावा लाभांश की राशि को कम करने तथा कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट, वार्षिक प्रतिवेदन एवं वैधानिक सूचनाएँ समय पर प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों एवं पहलों की समीक्षा करना।

5. शेयरधारकों, ऋणपत्रधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करना।

6. निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित किसी अन्य विषय अथवा प्रचलित कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों तथा अन्य वैधानिक विनियमों के अंतर्गत समीक्षा/अनुमोदन हेतु अपेक्षित किसी भी विषय पर विचार एवं आवश्यक कार्रवाई करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का विवरण

हितधारक संबंध समिति की संरचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है। समिति का अंतिम पुनर्गठन 28 मार्च, 2026 से प्रभावी किया गया। वर्ष के दौरान समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम (श्री)	पद	बैठकों की संख्या	
		(कार्यकाल के दौरान आयोजित)	उपस्थित
अशोक असेरी, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च, 2026 तक)	अध्यक्ष	4	4
श्री रमेश पाटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (28 मार्च, 2026 से)	-	-
	सदस्य (27 मार्च, 2026 तक)	4	4
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य	4	4
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य	4	4
निदेशक (वित्त)	सदस्य (17 मई, 2025)	3	3

मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

कंपनी सचिव, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें 16 मई, 2025, 6 अगस्त, 2025, 29 अक्टूबर, 2025 तथा 19 जनवरी, 2026 को आयोजित की गईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

iv. शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण

एम/एस अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड द्वारा 31.12.2025 तक तथा उसके पश्चात एम/एस बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता) द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी शिकायतों का निवारण 31 मार्च, 2026 तक कर दिया गया। प्रतिवेदन अवधि की समाप्ति पर कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी।

2.5.2 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति भौतिक रूप में शेयरों से संबंधित नामांतरण, उप-विभाजन, समेकन, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि मामलों पर विचार करती है तथा उनका अनुमोदन करती है। शेयर अंतरण समिति में निदेशक (मानव संसाधन) अध्यक्ष तथा निदेशक (आईएसएंडपी) और निदेशक (ई आर एंड डी) सदस्य के रूप में शामिल हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयर अंतरण समिति की कुल सात बैठकें 16 अप्रैल, 2025, 3 जून, 2025, 21 अगस्त, 2025, 25 सितंबर, 2025, 4 नवंबर, 2025, 1 दिसंबर, 2025 तथा 26 मार्च, 2026 को आयोजित की गईं।

2.6 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु बोर्ड स्तरीय समिति

i. कार्य-क्षेत्र

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु बोर्ड स्तरीय समिति का कार्य-क्षेत्र, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा प्रचलित लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। समिति के कार्य-क्षेत्र को 4 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी रूप से अद्यतन किया गया, जो निम्नानुसार है—

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण करना, उसे निदेशक मंडल को अनुमोदन हेतु अनुशंसित करना तथा उसके कार्यान्वयन की निगरानी करना। यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख करेगी।

2. कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी करना, जिसमें वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत तैयार अथवा अनुशंसित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रतिवेदन व्यवस्था की निगरानी भी शामिल है।

3. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सततता संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

4. अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार कर उसे निदेशक मंडल को अनुशंसित करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे—

   (ए) अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में क्रियान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित CSR परियोजनाएँ/कार्यक्रम तथा उन पर किए जाने वाले व्यय की राशि।

   (बी) नियम 4 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया।

   (सी) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग की कार्यप्रणाली तथा उनके क्रियान्वयन की समय-सारिणी।

   (डी) कंपनी द्वारा संचालित परियोजनाओं के लिए आवश्यकता मूल्यांकन तथा प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण।

   बशर्ते कि, निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, सीएसआर समिति की अनुशंसा के आधार पर तथा इसके लिए उचित औचित्य के साथ, ऐसी कार्ययोजना में परिवर्तन कर सकता है;

5. निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित किसी अन्य विषय पर विचार करना अथवा ऐसे किसी भी मामले की समीक्षा/अनुमोदन करना, जिसकी समीक्षा/अनुमोदन लागू कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी लिस्टिंग विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों तथा अन्य वैधानिक विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित हो।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का विवरण

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरुप है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की संरचना निम्नानुसार थी—

निदेशक का नाम (श्री)	पद	बैठकों की संख्या	
		(कार्यकाल के दौरान आयोजित)	उपस्थित
श्री रमेश पाटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य	2	2
निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2

प्रधान (CSR), कॉर्पोरेट कार्यालय समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें 19 जून, 2025 तथा 4 फ़रवरी, 2026 को आयोजित की गईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

i. कार्य-क्षेत्र

निदेशक मंडल ने 28 दिसंबर, 2012 के लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी निदेशकों की आदर्श भूमिका एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधानों के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों की समिति का गठन किया है। यह समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम की आवश्यकताओं के भी अनुरुप है।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की संरचना निम्नानुसार थी—

निदेशक का नाम (श्री)	पद	बैठकों की संख्या	
		(कार्यकाल के दौरान आयोजित)	उपस्थित
श्री रमेश पाटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	प्रमुख स्वतंत्र निदेशक	1	1
श्री अशोक असेरी (27 मार्च, 2026 तक)	सदस्य	1	1
श्री आशीष चतुर्वेदी (27 मार्च, 2026 तक)	सदस्य	1	1

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक 25 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है.

2.8 जोखिम प्रबंधन हेतु बोर्ड स्तरीय समिति

i. कार्य-क्षेत्र

जोखिम प्रबंधन हेतु बोर्ड स्तरीय समिति का कार्य-क्षेत्र, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम (आवश्यकताओं के अनुरूप है। समिति के कार्य-क्षेत्र को 4 फ़रवरी, 2026 से प्रभावी रुप से अद्यतन किया गया, जो निम्नानुसार है—

1. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों :(a) सूचीबद्ध इकाई के समक्ष आने वाले आंतरिक एवं बाह्य जोखिमों की पहचान हेतु एक रुपरेखा, जिसमें विशेष रुप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्र-विशिष्ट, सततता (विशेषकर ESG से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम अथवा समिति द्वारा निर्धारित अन्य जोखिम शामिल हों। (b) जोखिम न्यूनीकरण के उपाय, जिनमें पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण हेतु प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ शामिल हों। (c) व्यवसाय निरंतरता योजना

2. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से संबंधित जोखिमों की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएँ तथा प्रणालियाँ उपलब्ध हों।

3. जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन भी शामिल हो।

4. बदलती औद्योगिक परिस्थितियों तथा बढ़ती जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर, कम-से-कम प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, समीक्षा करना।

5. समिति की चर्चाओं की प्रकृति एवं विषय-वस्तु, उसकी अनुशंसाओं तथा की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित जानकारी समय-समय पर निदेशक मंडल को उपलब्ध कराना।

6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि नियुक्त हो) की नियुक्ति, पद से हटाने तथा पारिश्रमिक एवं सेवा-शर्तों की समीक्षा करना।

7. आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना, बाहरी विधिक अथवा अन्य पेशेवर सलाह लेना तथा संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी विशेषज्ञों को समिति की बैठकों में आमंत्रित करना।

8. निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रुपरेखा के अनुसार, जहाँ अन्य समितियों के कार्यों के साथ कार्य-क्षेत्र का आंशिक या पूर्ण ओवरलैप हो, वहाँ उन समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

9. निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित किसी अन्य विषय अथवा प्रचलित कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों तथा अन्य वैधानिक विनियमों के अंतर्गत समीक्षा अथवा अनुमोदन हेतु अपेक्षित किसी भी विषय पर विचार करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का विवरण

जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम के प्रावधानों के अनुरुप है। समिति का अंतिम पुनर्गठन 28 मार्च, 2026 से प्रभावी किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की संरचना निम्नानुसार थी—

निदेशक का नाम (श्री)	पद	बैठकों की संख्या	
		(कार्यकाल के दौरान आयोजित)	उपस्थित
सुश्री आरती भटनागर, एसएस एवं एफए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (30 सितंबर, 2025 तक)	अध्यक्ष	1	1
श्री विजय मित्तल, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	अध्यक्ष (1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी)	1	1
आशीष चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च, 2026 तक)	सदस्य	2	2
श्री रमेश पाटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (28 मार्च, 2026 से प्रभावी)	-	-
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य	2	2
निदेशक (पावर)	सदस्य	2	2
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य	2	2
निदेशक (ई, आरएंड डी)	सदस्य	2	2
जोखिम प्रबंधन संचालन समिति के अध्यक्ष	सदस्य	2	2
मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य एवं संयोजक	2	2

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें 19 जून, 2025 तथा 19 जनवरी, 2026 को आयोजित की गईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

2.9 बोर्ड स्तरीय परियोजना समीक्षा समिति

i. कार्य-क्षेत्र

बोर्ड स्तरीय परियोजना समीक्षा समिति के कार्यादेश निम्नानुसार हैं:

ए) समिति ₹500 करोड़ एवं उससे अधिक के संविदा मूल्य वाली सभी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेगी;

बी) समिति देनदारों (Debtors) की आवधिक स्थिति की समीक्षा करेगी।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का नाम

समिति का अंतिम पुनर्गठन 19 जून, 2025 से प्रभावी हुआ। वर्ष के दौरान समिति की संरचना में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

निदेशक का नाम (श्री)	पद	बैठकों की संख्या	
		(कार्यकाल के दौरान आयोजित)	उपस्थित
विजय मित्तल, जे एस, एमएचआई, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	अध्यक्ष	2	2
रमेश पटल्या मावस्कर , स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
आशीष चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक (तक) मार्च 27, 2026)	सदस्य	2	2
अशोक आसेरी , निर्दलीय निदेशक (तक) मार्च 27, 2026)	सदस्य (19 जून, 2025)	2	2
निदेशक (पावर)	सदस्य	2	2
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य	2	2
निदेशक (ई, आरएंड डी)	सदस्य (मई 17, 2025)	2	2

प्रमुख (पीएस-परियोजना प्रबंधन) एवं प्रमुख (प्राप्य प्रबंधन) संबंधित कार्यसूची के लिए समिति के संयोजक होंगे। निदेशक (वित्त) समिति की बैठकों में आमंत्रित सदस्य होंगे। संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों के प्रमुखों को आवश्यकता पड़ने पर आमंत्रित किया जाएगा। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं, जो 19 जून, 2025 और 19 जनवरी, 2026 को हुईं। प्रत्येक सदस्य की बैठकों में उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

2.10 मध्यस्थता एवं प्रमुख विधिक विवाद तथा वैकल्पिक विवाद निवारण समिति

i. कार्य-क्षेत्र

समिति का कार्यादेश मध्यस्थता के मामलों तथा प्रमुख विधिक विवादों की समीक्षा करना और तत्पश्चात निदेशक मंडल को इस संबंध में अवगत कराना है। साथ ही, बीएचईएल सुलह योजना, 2018 के अंतर्गत प्रारुप समझौता निपटान को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना है।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष का विवरण

समिति का अंतिम पुनर्गठन 28 मार्च, 2026 से प्रभावी किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की संरचना निम्नलिखित निदेशकों से मिलकर बनी थी—

निदेशक का नाम (श्री)	पद	बैठकों की संख्या	
		(कार्यकाल के दौरान आयोजित)	उपस्थित
आशीष चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक (27 मार्च, 2026 तक))	अध्यक्ष	3	3
श्री रमेश पाटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (28 मार्च, 2026 से प्रभावी)	-	-
विजय मित्तल, जे एस, एमएचआई, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	सदस्य	3	2
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य	3	3
निदेशक (पावर)	सदस्य	3	3
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य	3	3
निदेशक (ई, आरएंड डी)	सदस्य (25 मई, 2025 से प्रभावी)	2	2

कॉर्पोरेट कार्यालय के प्रमुख (विधि) समिति के संयोजक हैं तथा समिति द्वारा समीक्षा हेतु अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराते हैं।

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें 16 मई, 2025, 25 सितंबर, 2025 तथा 19 जनवरी, 2026 को आयोजित की गईं। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त तालिका में दिया गया है।

2.11 वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का विवरण तथा पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात उनमें हुए परिवर्तन

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(d) के प्रयोजनार्थ, 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार बीएचईएल के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक में निम्नलिखित कर्मचारी शामिल हैं:

नाम (सर्वश्री)	नाम (सर्वश्री)
चावली वेंकट राव	प्रदीप कुमार उपाध्याय
एम अरुणमोझी देवन	उदय शंकर
वाई श्रीनिवास राव	श्यामला वेंकटरमण
जितेंद्र दास	सुमित सल्होत्रा
विनय कुमार बस्सी	वी वी सुब्रह्मण्यम
बेथापुडी श्याम बाबू	एच मालती
के अशोक	दुर्गेश चंद्र गुप्ता
राकेश सिंह	निशित बेबीलोनी
गुम्माला सुब्रह्मण्यम	दीपेश पालित
एम श्रीधर	हीरालाल भरणी
विनोद जैकब सैम	संजय गुहा
अजय कुमार वर्मा	असीम मिश्रा
रविंदर एच टेकचंदानी	वी श्रीनिवास राव
यतीन्द्र मोहन	अजय कुमार
संजीव श्रीवास्तव	सुत्रिप्तो डे
रिज़वान फैसल सिद्दीकी	केजी विजयलक्ष्मी
अभिषेक श्रीवास्तव	अरविंद कुमार गुप्ता
पार्थसारथि दास	गौरव गर्ग
सुनील दिवाकर	सुनील कुमार सोमानी
एन रमेश कुमार	नवीन कौल
वीके सिंह	डॉ. योगेश आर छाबड़ा
रंजन कुमार	

मुख्य वित्तीय अधिकारी: श्री राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक (वित्त) को दिनांक 19 जून, 2024 से कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया गया है।

2.12 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के वे वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, जो सेवानिवृत्त हुए अथवा बीएचईएल की सेवा से पृथक हुए अधिवार्षिता के मामले

सेवानिवृत्ति का मामला

क्रम संख्या	नाम (पुत्र/ श्री)	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	अरुमोय मुखर्जी	24 अप्रैल 2025
2	संजय गोयल	24 मई 2025
3	राजीव सिंह	24 मई 2025
4	जगत सिंह	24 जून 2025
5	संजय दयाराम गोस्वामी	24 जून 2025
6	सिबाप्रसाद गंगोपाध्याय	24 जुलाई 2025
7	राकेश कुमार चोखानी	24 अगस्त 2025
8	संजीव कुमार रॉय	24 अगस्त 2025
9	पंकज रस्तोगी	24 सितम्बर 2025
10	प्रवीण किशोर	24 सितम्बर 2025
11	के भरणीधर राजा	24 नवंबर 2025
12	राजीव जैन	24 दिसंबर 2025
13	आलोक कुमार सिंघल	24 जनवरी 2026
14	राजेश कोहली	24 मार्च 2026
15	एस प्रभाकर	24 मार्च 2026

समाप्ति का मामला

क्रम संख्या	नाम (पुत्र/ श्री)	तारीख समाप्ति का
1	एस.एम. रामनाथन#	01 मई 2025
2	कुल भूषण अग्रवाल*	16 मई 2025

3	राजेश शर्मा*	16 मई 2025
4	संदीप कटारिया*	16 मई 2025
5	स्वपन कुमार भट्टाचार्य*	16 मई 2025
6	राजेश प्रताप सिंह सिसोदिया**	01 दिसंबर 2025
7	अरुणा गुलाटी*	26 मार्च 2026

बीएचईएल के निदेशक मंडल में निदेशक (अभियांत्रिकी, अनुसंधान एवं विकास) के रूप में नियुक्त।

* रिपोर्टिंग संबंध में परिवर्तन के कारण वरिष्ठ प्रबंधन से बाहर हुए।

** एनएलसी इंडिया लिमिटेड में बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्त।

2.13 सामान्य बैठकें

i. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (AGMs) का स्थान एवं समय:

वर्ष	स्थान	तिथि	समय
वित्तीय वर्ष 2022-23 (59वीं वार्षिक आम बैठक)	बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक का अभिहित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय था।	24 अगस्त, 2023	प्रातः 10:00 बजे
वित्तीय वर्ष 2023-24 (60वीं वार्षिक आम बैठक)		22 अगस्त, 2024	प्रातः 10:00 बजे
वित्तीय वर्ष 2024-25 (61वीं वार्षिक आम बैठक)		19 अगस्त, 2025	प्रातः 10:00 बजे

ii. पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25(2A) के प्रावधानों के अनुरूप, 24 अगस्त, 2023 को आयोजित 59वीं वार्षिक आम बैठक में श्री रमेश पाटल्या मावस्कर को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। तत्पश्चात 19 अगस्त, 2025 को आयोजित 61वीं वार्षिक आम बैठक में श्री अशोक असेरी तथा श्री आशीष चतुर्वेदी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित किए गए।

iii. डाक मतपत्र की प्रक्रिया एवं डाक मतपत्र का संचालन करने वाले व्यक्ति का विवरण

कंपनी के संघ ज्ञापन एवं उपविधियों में संशोधन के लिए एक विशेष प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किया गया।

डाक मतपत्र की प्रक्रिया का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं 110, उनके अंतर्गत बनाए गए संबंधित नियमों, लागू कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के परिपत्रों, सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार किया गया, जिसमें आवश्यक बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया।

मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के कंपनी सचिव श्री सचिन अग्रवाल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/रिमोट ई-वोटिंग के जरिए डाक मतपत्र प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच करने हेतु स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया गया।

मतदान की विस्तृत प्रक्रिया डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित थी तथा मतदान के परिणाम, स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट सहित, कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से किसी विशेष प्रस्ताव को पारित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

2.14 प्रकटीकरण

i. ऐसे महत्त्वपूर्ण संबंधित पक्ष (Related Party) लेन-देन का प्रकटीकरण, जिनसे कंपनी के व्यापक हितों के साथ संभावित हितों का टकराव हो सकता है

कंपनी ने ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया है, जिससे कंपनी के व्यापक हितों के साथ संभावित हितों का टकराव उत्पन्न होने की संभावना हो। तथापि, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का विवरण वार्षिक प्रतिवेदन के वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रकटित किया गया है।

कंपनी की महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण संबंधी नीति तथा संबंधित पक्ष लेन-देन (Related Party Transactions) संबंधी नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://www.bhel.com/policy-regard-related-party-transaction-0.

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित मामलों में कंपनी पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड एवं प्रतिकूल आदेश (Strictures)

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी द्वारा कोई गैर-अनुपालन नहीं किया गया तथा स्टॉक एक्सचेंजों, सेबी अथवा किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड अथवा प्रतिकूल आदेश (Strictures) लागू नहीं किया गया।

हालाँकि, कंपनी को एनएसई और बीएसई से सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17(1) के प्रावधानों के अनुपालन न होने के संबंध में जुर्माना लगाए जाने के नोटिस प्राप्त होते रहे हैं। यह अनुपालन न होना निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित है, क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम थी। इसके अतिरिक्त, 02.11.2024 से 28.03.2025 तथा पुनः 28.03.2026 से 31.03.2026 तक निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। इसके परिणामस्वरुप, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 18 एवं 19 के कुछ प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं हो सका, जो क्रमशः लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित हैं। इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों ने 31.12.2024, 31.03.2025 एवं 31.03.2026 को समाप्त तिमाहियों के लिए नोटिस जारी किए और इन अनुपालनों में कमी के लिए जुर्माना भी लगाया। इन नोटिसों के जवाब में कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को स्पष्ट किया कि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कमी कंपनी की किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं थी, क्योंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों से उनकी छूट संबंधी नीतियों के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने को माफ करने का अनुरोध किया। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों ने सूचित किया है कि 31.12.2021 तक की तिमाहियों के लिए लगाए गए जुर्माने, तथा 02.11.2024 से 28.03.2025 के दौरान विनियम 18 एवं 19 के प्रावधानों के अनुपालन में हुई कमी के संबंध में लगाए गए जुर्माने को माफ करने के लिए बीएचईएल के अनुरोध को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

iii. सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी लोक उद्यम विभाग (DPE) के दिशा-निर्देशों, सूचीबद्ध कंपनियों एवं स्टॉक एक्सचेंजों के मध्य तत्कालीन लिस्टिंग एग्रीमेंट, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुपालन में, निदेशक मंडल की 12 अगस्त, 2014 को आयोजित 464वीं बैठक में व्हिसल ब्लोअर

नीति को विधिवत अनुमोदित किया गया। यह नीति वर्तमान लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप भी है। इसके उपरांत, सभी कर्मचारियों की जानकारी हेतु एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें व्हिसल ब्लोअर नीति, सक्षम प्राधिकारी तथा लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए।

व्हिसल ब्लोअर नीति की एक प्रति व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर भी उपलब्ध कराई गई है। सक्षम प्राधिकारी तथा लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के पते, संपर्क नंबर एवं ई-मेल पते में होने वाले परिवर्तनों की सूचना समय-समय पर जारी की जाती है।

व्हिसल ब्लोअर्स से प्राप्त शिकायतों का निपटारा कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सभी कर्मचारियों को इस नीति के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने हेतु उपलब्ध तंत्र तक पहुँच प्राप्त है।

iv. डीपीई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों, अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन तथा लिस्टिंग विनियमों के गैर-अनिवार्य कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों को अपनाने की स्थिति

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए डीपीई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया है, सिवाय आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के। इसके परिणामस्वरुप निदेशक मंडल, बोर्ड स्तरीय लेखा परीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (NRC) की संरचना संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो सका। लिस्टिंग विनियमों के विवेकाधीन प्रावधानों के संबंध में, बीएचईएल पहले से ही बिना संशोधन वाली लेखा-परीक्षा राय सहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की व्यवस्था का पालन कर रहा है।

लेखा-पुस्तकों में ऐसा कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है जो व्यावसायिक प्रयोजन के लिए न हो तथा निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत स्वरुप के किसी व्यय को भी लेखाबद्ध नहीं किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान अन्य व्यय (जिसमें प्रशासनिक एवं विविध व्यय शामिल हैं) कुल व्यय का 6.47% रहा।

v. राष्ट्रपति के निर्देश

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए।

vi. जोखिम प्रबंधन

सेबी लिस्टिंग विनियमों एवं उनके संशोधनों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए डीपीई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, बीएचईएल ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति लागू की है तथा निदेशक मंडल के सदस्यों को जोखिम के आकलन, न्यूनीकरण एवं शमन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। इस चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी में एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित हो तथा इसके लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग तंत्र कंपनी की कार्यप्रणाली में समाहित हो। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम का आकलन, जोखिम का मूल्यांकन, जोखिम का शमन तथा नियमित समीक्षा एवं निगरानी शामिल हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अनुलग्नक-। के अनुभाग 1.11 – "जोखिम एवं चुनौतियाँ" में दी गई है।

vii. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में अपेक्षित प्रकटीकरण की जानकारी निदेशक मंडल की रिपोर्ट का हिस्सा है तथा अनुलग्नक-। के अनुभाग 1.8.5.2 – "कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा" में उपलब्ध है।

viii. विनियम 32(7A) के अंतर्गत अधिमान्य आवंटन अथवा योग्य संस्थागत नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों का उपयोग

शून्य

ix. सूचीबद्ध इकाई तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं उनके नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई को सभी सेवाओं के लिए भुगतान की गई कुल फीस

वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा शाखा लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए भुगतान की गई कुल फीस का विवरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में दिया गया है। 31 मार्च, 2026 की स्थिति में कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। संयुक्त उपक्रम कंपनियों के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संबंधित संयुक्त उपक्रमों द्वारा पृथक रुप से की जाती है तथा वे बीएचईएल के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण करने वाले लेखा परीक्षकों से भिन्न हैं।

x. उन फर्मों/कंपनियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम, जिनमें निदेशकों की रुचि हो

शून्य

xi. सूचीबद्ध इकाई की महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनियों तथा उनके वैधानिक लेखा परीक्षकों का विवरण

लागू नहीं

xii. कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन प्रमाण-पत्र संलग्न है।

xiii. लिस्टिंग विनियमों की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन

कंपनी ने लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (b) से (i) तक निर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, सिवाय उन बिंदुओं के जिनका इस प्रतिवेदन तथा सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में विशेष रुप से उल्लेख किया गया है।

2.15 संचार के माध्यम

सेबी लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियमों के अनुरुप, कंपनी उन निदेशक मंडल बैठकों के संबंध में, जिनमें अनलेखापरीक्षित अथवा लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाना होता है, पूर्व सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, उक्त वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिए जाने अथवा अनुमोदित किए जाने के पश्चात वैधानिक समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाता है। अनुमोदित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन निदेशक मंडल की बैठक समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर कम-से-कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जिसका प्रसार पूरे अथवा देश के अधिकांश भाग में हो, तथा एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र, जो उस क्षेत्र में प्रकाशित होता हो जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, में किया जाता है। साथ ही, इन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर भी अपलोड किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान तिमाही वित्तीय परिणामों का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया:

तिमाही (Q1 से Q4) – वित्तीय वर्ष 2025-26	अंग्रेजी समाचार-पत्र का नाम	हिंदी समाचार-पत्र का नाम	प्रकाशन की तिथि
प्रथम तिमाही (30.06.2025 को समाप्त)	बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस स्टैंडर्ड	07.08.2025
द्वितीय तिमाही (30.09.2025 को समाप्त)	मिंट	हरिभूमि	30.10.2025
तृतीय तिमाही (31.12.2025 को समाप्त)	बिजनेस स्टैंडर्ड	बिजनेस स्टैंडर्ड	20.01.2026
चतुर्थ तिमाही (31.03.2026 को समाप्त)	मिंट	हरिभूमि	05.05.2026

शेयरधारकों से संबंधित अन्य सूचनाएँ, जैसे निदेशकों में परिवर्तन, अप्रदत्त लाभांश का विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन आदि भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

प्रमुख आदेशों की प्राप्ति, महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के चालू किए जाने, महत्त्वपूर्ण सहयोग, अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाओं आदि से संबंधित आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ स्टॉक एक्सचेंजों को प्रेषित की जाती हैं तथा साथ ही कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाती हैं। तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा के उपरांत विस्तृत परिणाम दस्तावेज तथा अनुपूरक सूचनाएँ/प्रस्तुतियाँ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों के साथ-साथ कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल आभासी बैठकों, आमने-सामने की बैठकों तथा निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से निवेशकों के साथ संवाद स्थापित करता है। कंपनी से संबंधित सूचनाएँ, नवीनतम अद्यतन एवं घोषणाएँ बीएचईएल की कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.bhel.com) पर "निवेशक संबंध" अनुभाग में उपलब्ध हैं।

सेबी लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी अपनी वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध कराती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना, आचार संहिता, संबंधित पक्ष लेन-देन संबंधी नीति, निवेशकों की शिकायतों के निवारण एवं सहायता के लिए नामित अधिकारियों का संपर्क विवरण आदि शामिल हैं। सेबी लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियमों की अनुसूची III के भाग A के पैरा A के खंड 5A के अंतर्गत किसी भी समझौते के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं था।

2.16 सामान्य शेयरधारक जानकारी

	वार्षिक आम बैठक की तिथि	समय	स्थान
i.	05 अगस्त, 2026	प्रातः 10:00 बजे	कंपनी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के 22 सितंबर, 2025 के परिपत्र, जिसे 05 मई, 2020 के एमसीए परिपत्र के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है। अतः वार्षिक आम बैठक का अभिहित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। विस्तृत जानकारी के लिए इस वार्षिक आम बैठक की सूचना
ii.	**वित्तीय वर्ष**	01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026	
iii.	**रिकॉर्ड तिथि**	शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026	
iv.	**लाभांश भुगतान की तिथि**	03 सितंबर, 2026 तक अथवा उससे पूर्व	

वार्षिक रिटर्न निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.bhel.com/agm-related

v. लाभांश इतिहास:

वर्ष	लाभांश की दर	लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	लाभांश घोषित किए जाने की तिथि
2018-2019 (अंतिम)	60%	417.85	19.09.2019
2021-2022 (अंतिम)	20%	139.28	29.09.2022
2022-2023 (अंतिम)	20%	139.28	24.08.2023
2023-2024 (अंतिम)	12.5%	87.05	22.08.2024
2024-2025 (अंतिम)	25%	174.10	19.08.2025
2025-2026 (अंतिम)	70%	487.49	*

* निदेशक मंडल ने 04 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम लाभांश की अनुशंसा की, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।

टिप्पणी:

1) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने अपने पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों में से 18,93,36,645 इक्विटी शेयरों का बायबैक किया, जो रिकॉर्ड तिथि अर्थात् मंगलवार, 06 नवंबर, 2018 को कंपनी की कुल जारी एवं चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 5.16% था। यह बायबैक "टेंडर ऑफर" प्रक्रिया के माध्यम से, ₹86 प्रति इक्विटी शेयर की नकद कीमत पर, आनुपातिक आधार पर किया गया, जिसके लिए कुल ₹1,628.30 करोड़ का प्रतिफल भुगतान किया गया। फलस्वरूप, कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों की संख्या 367.14 करोड़ से घटकर 348.21 करोड़ रह गई।

2) यदि किसी शेयरधारक ने पिछले सात वर्षों में से किसी भी वर्ष का लाभांश दावा नहीं किया है/प्राप्त नहीं किया है तथा वह अभी तक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया है, तो वह कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर उपलब्ध प्रक्रिया का पालन करके इस अप्राप्त लाभांश का दावा कर सकता/सकती है। वर्ष 2017-18 (अंतिम) तथा 2018-19 (अंतरिम) के अप्राप्त लाभांश को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पहले ही IEPF में स्थानांतरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 (अंतिम) का अप्राप्त लाभांश 22.10.2026 को IEPF में स्थानांतरित किया जाना है।

3) जिन लाभांश/शेयरों को IEPF में स्थानांतरित किया जा चुका है, उनके संबंध में शेयरधारक IEPF प्राधिकरण से IEPF प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दावा कर सकते हैं। ये नियम IEPF की वेबसाइट (www.iepf.gov.in) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, IEPF से लाभांश एवं शेयरों का दावा करने संबंधी प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.bhel.com/procedure-claiming-dividendshares-iepf

vi. (ए) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता

बीएचईएल के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं, जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का सूचीबद्धता शुल्क भुगतान किया जा चुका है:

स्टॉक एक्सचेंज का नाम
1.बीएसई लिमिटेड फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001
2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. C/1, ब्लॉक - G, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र भी बीएसई एवं एनएसई पर सूचीबद्ध हैं।

(बी) डिपॉजिटरी को वार्षिक संरक्षक शुल्क का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एनएसडीएल तथा सीडीएसएल को वार्षिक संरक्षक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

vii. आंतरिक व्यापार संबंधी नीति

बीएचईएल अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना की गोपनीयता बनाए रखने तथा ऐसी सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयासरत है। इस उद्देश्य से तथा सेबी (अंदरूनी व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 के अनुरूप, कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को "अंदरूनी व्यापार की रोकथाम हेतु आचार संहिता" अपनाई थी। इस आचार संहिता में समय-समय पर सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तथा उसमें किए गए बाद के संशोधनों के अनुरुप संशोधन किए गए हैं। नवीनतम संशोधित "नामित व्यक्तियों एवं उनके निकट संबंधियों द्वारा व्यापार के विनियमन एवं रिपोर्टिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु बीएचईएल आचार संहिता" दिनांक 29.10.2025 से प्रभावी है। इस आचार संहिता का उद्देश्य सेबी (अंदरूनी व्यापार का प्रतिषेध) विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु नामित व्यक्तियों एवं नामित व्यक्तियों के निकट संबंधियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार को विनियमित करना, निगरानी करना तथा उसकी रिपोर्टिंग करना है। सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अनुसार। यह आचार संहिता अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का भी प्रावधान करती है। इस आचार संहिता के अंतर्गत कंपनी के मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी के रूप में प्रमुख – कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन विभाग को नामित किया गया है।

viii. (ए) इक्विटी शेयरों के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

कंपनी ने बीएचईएल के इक्विटी शेयरों (भौतिक एवं डीमैट दोनों माध्यमों) से संबंधित सभी मामलों के निपटान हेतु मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड के स्थान पर 01.01.2026 से मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया है। कंपनी के इक्विटी शेयरों से संबंधित सभी मामले, जैसे शेयरों का समेकन, शेयर प्रमाण-पत्रों का गुम होना, शेयरों का हस्तांतरण/उत्तराधिकार, डीमैट्रीकरण, लाभांश, पते में परिवर्तन आदि तथा संबंधित पत्राचार एवं पूछताछ निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं:-

मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
इकाई: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
ऑफिस नं. S6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क,
अहुरा सेंटर के पास,
महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व),
मुंबई – 400093
दूरभाष सं.: 022-62638200
ई-मेल: investor@bigshareonline.com
वेबसाइट: www.bigshareonline.com

(बी) वाणिज्यिक पत्रों के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी,
प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500 032
टोल-फ्री नं.: 1800 309 4001
ई-मेल: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट: www.kfintech.com

शेयरधारकों को सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में RTA का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। निवेशकों से प्राप्त सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया है।

ix. शेयर अंतरण प्रणाली

भौतिक खंड के अंतर्गत सभी शेयर अंतरण गतिविधियाँ, जैसे दस्तावेजों की प्राप्ति/प्रेषण तथा उनका सत्यापन, मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसार, 01.04.2019 से प्रभावी, प्रतिभूतियों के अंतरण अथवा Transposition के मामलों को छोड़कर) के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रतिभूतियाँ डीमैट्रीकृत रुप में धारित न हों। लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप, शेयर प्रमाण-पत्र/पुष्टिकरण पत्र का निर्गमन हस्तांतरण, पुनर्स्थापन, उप-विभाजन एवं समेकन के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया है।

x. शेयरधारिता का वितरण

ए. 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार धारित शेयरों के आकार के आधार पर शेयरों का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत (%)	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)
1 - 500	1679005	93.41	124590478	3.58
501 - 1000	64900	3.61	50174493	1.44
1001 - 2000	30864	1.72	45176710	1.30
2001 - 3000	9269	0.52	23615217	0.68
3001 - 4000	3765	0.21	13399545	0.38
4001 - 5000	2622	0.15	12277753	0.35
5001 - 10000	3976	0.22	28835895	0.83
10001 and above	2986	0.17	3183993264	91.44
कुल	**1797387**	**100**	**3482063355**	**100**

बी. 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न

श्रेणी	2026		2025	
	मतदान शक्ति (%)	धारित शेयरों की संख्या	मतदान शक्ति (%)	धारित शेयरों की संख्या
प्रवर्तक की शेयरधारिता				
भारतीय प्रवर्तक				
भारत के राष्ट्रपति	58.17	2025440587	63.17	2199650402
कुल प्रवर्तक शेयरधारिता	**58.17**	**2025440587**	**63.17**	**2199650402**
गैर-प्रवर्तक शेयरधारिता				
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, योग्य संस्थागत खरीदार, वैकल्पिक निवेश निधि, संप्रभु संपत्ति निधि	11.10	386655324	10.30	358867677
विदेशी संस्थागत निवेशक (योग्य विदेशी निवेशक सहित)	7.23	251590244	7.19	250444508
म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	12.87	448428234	6.09	211890398
अन्य				
व्यक्ति, एचयूएफ , कर्मचारी	9.60	334308254	12.11	421904848
कॉर्पोरेट निकाय	0.43	15047472	0.55	17630063
एनआरआई एवं विदेशी नागरिक/संस्था	0.46	15893328	0.50	18613126
ट्रस्ट	0.03	1031303	0.03	1106220
क्लियरिंग सदस्य	0.08	2687798	0.04	1319860
आईईपीएफ	0.03	972266	0.02	627318
निदेशक एवं संबंधी	0	4795	0	200
राज्य सरकार	0	1500	0	1500
केंद्र सरकार	0	2250	0	7235
कुल गैर-प्रवर्तक शेयरधारिता	**41.83**	**1456622768**	**36.83**	**1282412953**
कुल योग	**100**	**3482063355**	**100**	**3482063355**

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से कार्यरत एवं प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के राष्ट्रपति ने कंपनी के 17,42,09,815 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया, जो कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 5% था। यह विनिवेश बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। फलस्वरुप, कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 63.17% से घटकर 58.17% रह गई।

सी. 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कंपनी के 1% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की सूची (PAN आधारित)

श्रेणी एवं शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2026	
	मतदान शक्ति (%)	धारित शेयरों की संख्या
प्रवर्तक		
भारत के राष्ट्रपति	58.17	2025440587
गैर-प्रवर्तक		
भारतीय जीवन बीमा निगम	6.21	216338371
निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड	2.75	95668881
एसबीआई म्यूचुअल फंड	2.17	75606971
एनपीएस ट्रस्ट	1.55	53816279
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड	1.15	40206668
एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड	1.06	36742977
मिराए एसेट म्यूचुअल फंड	1.03	36023384

xi. शेयरों का डीमैट्रीकरण एवं लिक्विडिटी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार, 5 अप्रैल, 1999 से प्रभावी, सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा बीएचईएल के शेयरों में डीमैट रुप में कारोबार करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएचईएल ने अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट माध्यम के अंतर्गत रखने के लिए देश के दोनों डिपॉजिटरी अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है। 31 मार्च, 2026 तक बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 99.98% शेयरधारकों द्वारा डीमैट रुप में धारित किया जा रहा है, जिसमें एनएसडीएल में 94.20% तथा सीडीएसएल में 5.78% शामिल है। शेयरधारकों द्वारा भौतिक रुप में धारित शेयर 0.02% हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति, जो कंपनी के प्रवर्तक हैं और कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 58.17% हिस्से के धारक हैं, की शेयरधारिता भी डीमैट रुप में है। कंपनी को आवंटित अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) INE257A01026 है। कंपनी का कोई डीमैट सस्पेंस खाता/अदावाकृत सस्पेंस खाता नहीं है।

xii. निदेशक एवं अधिकारी बीमा पॉलिसियाँ

कंपनी ने निदेशक एवं अधिकारी दायित्व बीमा लिया है, जिसके अंतर्गत कंपनी के मामलों के प्रबंधन से संबंधित कानूनी दायित्वों के कारण उनके विरुद्ध लगाए गए क्षतिपूर्ति अथवा लागत तथा संबंधित व्यय का भुगतान कवर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल ने निम्नलिखित जोखिमों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक परिस्थितियों के लिए विशेष आकस्मिक बीमा पॉलिसियाँ ली हैं: (a) कंपनी के हितों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु डुप्लीकेट प्रतिभूतियाँ जारी करने से संबंधित आवश्यकताओं से उत्पन्न जोखिम। (b) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के नियम 7 के अंतर्गत सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में दावों से उत्पन्न जोखिम।

xiii. बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन, परिवर्तन तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव

शून्य

xiv. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची

इसका विवरण निदेशक मंडल की मुख्य रिपोर्ट में दिया गया है।

xv. विदेशी मुद्रा जोखिम अथवा कमोडिटी मूल्य जोखिम एवं हेजिंग गतिविधियाँ

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हेजिंग गतिविधियाँ/लेन-देन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरुप किए गए हैं।

सूचीबद्ध इकाई का कमोडिटी एवं वर्ष भर में सामना किए गए कमोडिटी जोखिमों के प्रति एक्सपोजर:

(a) रुपये में सूचीबद्ध इकाई का कुल कमोडिटी एक्सपोजर: ₹4,306 करोड़ (लगभग)

(b) सूचीबद्ध संस्था का विभिन्न जिंसों (Commodities) में एक्सपोज़र:

कमोडिटी का नाम	संबंधित कमोडिटी के लिए रुपये में एक्सपोजर (₹ करोड़ में लगभग)	मात्रा के आधार पर एक्सपोजर (MT में लगभग)	कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से हेज किए गए एक्सपोजर का प्रतिशत (%)				
			घरेलू बाजार		अंतरराष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	एक्सचेंज	ओटीसी	एक्सचेंज	
स्टील	3117	486599	-	-	-	-	-
कॉपर	1048	9056	-	-	-	-	-
एल्युमिनियम	103	2759	-	-	-	-	-
निकिल	32	157	-	-	-	-	-
टिन	6	13	-	-	-	-	-

(c) वर्ष के दौरान सूचीबद्ध संस्था द्वारा सामना किए गए जिंस जोखिम तथा उनका प्रबंधन: स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम आदि प्रमुख औद्योगिक जिंस, जिनकी कीमतों में बाजार में उतार-चढ़ाव होता रहता है, की खरीद, जहां तक संभव हो, विभिन्न बीएचईएल इकाइयों की आवश्यकताओं को एकत्रित करके चिन्हित इकाइयों में से किसी एक इकाई द्वारा केंद्रीकृत रूप से की जाती है। साथ ही, समय-समय पर कीमतों का निर्धारण किया जाता है, ताकि मूल्य संबंधी लाभ प्राप्त किया जा सके तथा कंपनी को कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त मूल्य समायोजन प्रावधान (PVC–Price Variation Clause) वाले फ्रेमवर्क समझौते समय-समय पर अंतिम रूप दिए जाते हैं, जिनमें निर्धारित कीमतों को LME, JPC, MCX आदि सूचकांकों के अनुरुप जोड़ा जाता है। साथ ही, प्रमुख जिंसों की केंद्रीकृत खरीद के लिए यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सेल (UPC) की व्यवस्था की गई है, जिसकी शुरुआत स्टील से की गई है। यह सेल जिंसों की खरीद लागत को कम करने के उद्देश्य से खरीद प्रक्रिया के सभी पहलुओं का समन्वय एवं प्रबंधन करता है।

xvi. प्लांटों की अवस्थिति

बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयाँ*	
बेंगलुरु	1. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग (ईडीएन)
	2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स प्रभाग (ईएसडी)
	3. सोलर बिज़नेस डिवीज़न (एसबीडी)
भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी)
गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट (आईवीपी)
हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्लांट (एचईईपी)
	7. सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी)
जगदीशपुर	9. फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग एवं इंसुलेटर प्लांट (एफएसआईपी)
झाँसी	10. ट्रांसफॉर्मर प्लांट (टीपी)
रुद्रपुर	11. कंपोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट (सीएफपी)
रानीपेट	12. बॉयलर ऑक्ज़लरी प्लांट (बीएपी)
तिरुचिरापल्ली	13. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी)
	14. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी)
तिरुमयम	15. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
विशाखापत्तनम	16. हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल की मरम्मत इकाइयाँ	
मुंबई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी)
वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी)

*31 मार्च, 2026 तक

xvii. पत्राचार के लिए पता

शेयरहोल्डर कंपनी के शेयरों से जुड़े अपने सवाल और कोई भी दूसरी जानकारी भेज सकते हैं। या तो:

मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट सीमित

इकाई: बीएचईएल

कार्यालय संख्या एस6-2, 6 वां फ्लोर
पिनेकल बिजनेस पार्क,
अहुरा सेंटर के बगल में,
महाकाली केव्स रोड,
अंधेरी (पूर्व)
मुंबई – 400093
फ़ोन: 022- 62638200
ई-मेल: investor@bigshareonline.com
वेबसाइट: www.bigshareonline.com

अथवा

डॉ. योगेश आर. छाबड़ा
कंपनी सचिव
फोन: 011-66337474, 011-26001046
ई-मेल: shareholderquery@bhel.in
वेबसाइट: www.bhel.com

बीएचईएल का पंजीकृत कार्यालय:
बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट,
नई दिल्ली – 110 049

टिप्पणी: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने सभी पत्राचार संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को भेजें।

घोषणा : लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में, यह घोषित किया जाता है कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीएचईएल की "व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

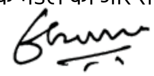

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07 जुलाई, 2026

K K SACHDEVA & ASSOCIATES
Company Secretaries
201, 3rd Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph. 011 79694789, 9811071577, E-mail: kks445@gmail.com

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause 10(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members of
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bharat Heavy Electricals Limited having CIN: L74899DL1964GOI004281 and having registered office at BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C clause 10(i) of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications {including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in} as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its Directors/ officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities & Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:

Sr. No.	Name of Director (as per DIN)	DIN	Date of appointment in Company
1.	Koppu Sadashiv Murthy	09184201	01.11.2023
2.	Asit Gopal	08548124	03.02.2026
3.	Vijay Mittal	09548096	25.03.2022
4.	Ramesh Patlya Mawaskar	10194932	08.06.2023
5.	Tajinder Gupta	10327530	20.09.2023
6.	Bani Varma	10337787	09.10.2023
7.	Rajesh Kumar Dwivedi	10048893	19.06.2024
8.	Serugulathur Mahadevan Ramanathan	11084884	30.04.2025

Ensuring the eligibility of the appointment/ continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **K K SACHDEVA & ASSOCIATES**
Company Secretaries

Place: Delhi
Date: 30.04.2026

Kishor Kumar Sachdeva
Digitally signed by Kishor Kumar Sachdeva
Date: 2026.04.30 07:00:57 +05'30'

KISHOR KUMAR SACHDEVA
Proprietor
CP No. 4721, FCS 7153
Peer Review No 1684/2022
UDIN: F007153H000237977

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members,
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort, New Delhi-110049

We have examined the compliance of conditions of corporate governance by Bharat Heavy Electricals Limited ("BHEL"/ "the Company") having CIN: L74899DL1964GOI004281, for the year ended March 31, 2026, as stipulated in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations) and Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management of the Company. Our examination has been limited to review of procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in the said Regulations and Guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with all the applicable conditions of corporate governance as stipulated in the SEBI Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance during FY 2025-26 except that:

1) During the period under review, the number of independent directors on the Board were less than half of the total strength of the Board as required under Regulation 17(1) of the SEBI Listing Regulations and Para 3.1.4 of the DPE Guidelines on Corporate Governance. Further, the Company did not have an independent woman director as also required under Regulation 17 (1) during the period under review; and

2) During the time period from 28.03.2026 to 31.03.2026, composition of the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee were not in accordance with Regulations 18 (1) and 19 (1) respectively of the SEBI Listing Regulations and Paras 4.1.1 and 5.1 respectively of the DPE Guidelines on Corporate Governance, due to only one independent director being on the Board of the Company.

The Company has explained that BHEL, being a Government Company, all the Directors are appointed by the President of India, acting through the administrative ministry and as such appointment of requisite number of Independent Directors is beyond the control of the Company. Further, the Company has been in constant communication with its administrative ministry requesting for appointment of independent directors on its Board so as to ensure compliance

AKHIL
ROHATGI

Digitally signed by AKHIL ROHATGI
DN: c=IN, postalCode=110054, st=DELHI, street=KOTHI N0 21 ,SHAM NATH MARG ,NORTH DELHI,110054, l=NORTH DELHI, o=Personal, serialNumber=4f512dcdecef8af8ea27e368218701486723c429441f07fb50642a7b11ba1666, pseudonym=7d709682a6ee458bab927fc1bfccff5e, 2.5.4.20=69fb5517724a6084fadbe6d29637b950fae0d748715994480fbb9b00f7490d5f, email=ARCPCS2019@GMAIL.COM, cn=AKHIL ROHATGI
Date: 2026.05.29 11:17:46 +05'30'

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

with corporate governance norms enunciated under the SEBI Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance.

We further state that such compliance certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

For Akhil Rohatgi & Co.
Company Secretaries
Peer Review No.7777/2026

AKHIL
ROHATGI

Digitally signed by AKHIL ROHATGI
DN: c=IN, postalCode=110054, st=DELHI, street=KOTHI N0 21 ,SHAM NATH MARG ,NORTH DELHI,110054, l=NORTH DELHI, o=Personal, serialNumber=4f512dcdecef8af8ea27e368218701486723c429441f07fb50642a7b11ba1666, pseudonym=7d709682a6ee458bab927fc1bfccff5e, 2.5.4.20=69fb5517724a6084fadbe6d29637b950fae0d748715994480fbb9b00f7490d5f, email=ARCPCS2019@GMAIL.COM, cn=AKHIL ROHATGI
Date: 2026.05.29 11:18:01 +05'30'

Place: Delhi
Date: 29.05.2026

CS Akhil Rohatgi
FCS: 1600, COP: 2317
FRN: P1995DE072900
UDIN No: F001600H000529930

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

Secretarial Audit Report
for the Financial Year ended on 31st March 2026

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort,
New Delhi-110049

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bharat Heavy Electricals Limited (CIN: L74899DL1964GOI004281) (hereinafter called 'BHEL'/ 'the Company'). Secretarial audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records or registers maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2026,** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on **31st March 2026** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
   - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
   - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
   - (c) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations');
   - (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

AKHIL ROHATGI

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

(e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; [Not applicable on the Company during the audit period];
(f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-convertible Securities) Regulations, 2021;
(g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 & The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 2025 regarding the Companies Act, 2013 and dealing with client; [The Company was not engaged in the activities relating to Registrar to an Issue and was also not acting as Share Transfer Agent, Hence the aforesaid Regulations were not applicable to the Company during the audit period];
(h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; [Not applicable on the Company during the audit period];
(i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; [Not applicable on the Company during the audit period];

(vi) Other labour, environment and specific acts/ laws applicable to the Company including as listed below (being verified on the basis of periodic certificate under internal compliance system submitted to the Board of Directors of the Company):
(a) Factories Act, 1948 and other Labour Laws (to the extent as applicable);
(b) Right to Information Act, 2005;
(c) Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013;
(d) Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
(e) Batteries (Management and Handling) Rules, 2001;
(f) Indian Boilers Act, 1923; and
(g) Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

a. Mandatory Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI); and
b. Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India;

We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above except that:

1) During the period under review, the number of independent directors on the Board were less than half of the total strength of the Board as required under Regulation 17(1) of the SEBI Listing Regulations, Para 3.1.4 of the DPE Guidelines on Corporate Governance and Section 149 (4) of the Companies Act, 2013. Further,

AKHIL
ROHATGI

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

the Company did not have an independent woman director as also required under Regulation 17 (1) of the SEBI Listing Regulations; and

2) During the time period from 28.03.2026 to 31.03.2026, composition of the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee were not in accordance with Regulations 18 (1) and 19 (1) respectively of the SEBI Listing Regulations, Paras 4.1.1 and 5.1 respectively of the DPE Guidelines on Corporate Governance and Sections 177 (2) and 178 (1) respectively of the Companies Act, 2013, due to only one independent director being on the Board of the Company.

The Company has explained that BHEL, being a Government Company, all the directors are appointed by the President of India, acting through the administrative ministry and as such appointment of requisite number of independent directors is beyond the control of the Company. Further, the Company has been in constant communication with its administrative ministry requesting for appointment of independent directors on its Board so as to ensure compliance with corporate governance norms enunciated under the SEBI Listing Regulations, DPE Guidelines on Corporate Governance and Companies Act, 2013.

We further report that:
The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. However, as mentioned above, the Company did not have requisite number of independent directors on its Board during the period under review. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Generally, adequate notice is given to all directors to schedule the Board & Committee meetings as per the statutory provisions and agenda & detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance, except those which were sent at shorter notice, were taken up after obtaining requisite permission as required under Secretarial Standard-1 of ICSI. Further, a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions made at the Board and Committee meetings were carried out unanimously as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or respective Committee of the Board, as the case may be.

There was no prosecution initiated during the year under review against/ on the Company, its Directors and Officers. However, during the year under review, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited each have issued notices to the Company for non-compliance of Regulation 17 (1) of the SEBI Listing Regulations during FY 2025-26 in respect of non-appointment of requisite numbers of independent directors. In response to the notices, the Company has clarified to the Exchanges that the shortfall in independent directors was not due to any negligence/ default of the Company, as the appointment is not within its control. In view thereof, the Company has requested the Exchanges to waive-off the fine under their carve-out policies.

AKHIL
ROHATGI

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

We further report that based on the information received and records maintained, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, no specific events/ actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. have occurred in the Company.

For Akhil Rohatgi & Co.
Company Secretaries
Peer Review No. 7777/2026

AKHIL
ROHATGI

CS Akhil Rohatgi
FCS: 1600, COP:2317
FRN: P1995DE072900
UDIN No: F001600H000561390

Place: New Delhi
Date: 01.06.2026

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **"Annexure-A"** and forms an integral part of this report].

AKHIL ROHATGI & COMPANY
Company Secretaries
21, Shamnath Marg, Civil Lines, Delhi – 110054
Phone : 9810690633, 8527087435
Email : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
GST No: 07ABTFA2714K1Z7

To,

Annexure – "A"

The Members,
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL House, Siri Fort,
New Delhi-110049

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

1) Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, based on our audit.

2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed, provide a reasonable basis for our opinion.

3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

4) Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5) The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Akhil Rohatgi & Co.
Company Secretaries
Peer Review No. 7777/2026

AKHIL
ROHATGI

CS Akhil Rohatgi
FCS: 1600, COP:2317
FRN: P1995DE072900
UDIN No: F001600H000561390

Place: New Delhi
Date: 01.06.2026

Annexure – III: to the Board's Report:

CEO and CFO Certificate

(in terms of Regulation 17(8) of SEBI (LODR) Regulations 2015)

To,

The Board of Directors
Bharat Heavy Electricals Ltd.,
New Delhi.

(a) We have reviewed Financial Statements and the Cash Flow statement of Bharat Heavy Electricals Ltd for the year ended 31st March, 2026 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with the applicable Ind AS, laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the company during the year 2025-26 which are fraudulent, illegal or violative of the Company's Code of Conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the Auditors

(i) Significant changes, if any, in internal control over financial reporting during the year 2025-26;

(ii) Significant changes, if any, in the accounting policies during the year 2025-26 and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting

(Rajesh Kumar Dwivedi)
Director (Finance) & CFO

(K. Sadashiv Murthy)
Chairman & Managing Director

Place: New Delhi
Date: May 4, 2026

बहु-आयामी प्रतिभा से युक्त संस्थान

9000+
तकनीकी स्नातक

इंजीनियरिंग की शक्ति से प्रगति को गति

1300+
टेक्नोलॉजी मे स्नातकोत्तर

उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता

2000+
एमबीए/पीजीडीएम

रणनीतिक व्यावसायिक नेतृत्व

50+
पीएचडी

नवाचार को गति

550+
वित्त पेशेवर

सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए

- **43 वर्ष की औसत आयु** एवं **17 वर्ष के औसत अनुभव** वाली परिपक्व जनशक्ति
- **100+ डॉक्टर** एवं **30+ विधि अधिकारी**

बीएचईएल द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर सीएसआर गतिविधियां चलाई जा रही हैं

बोर्ड रिपोर्ट अनुलग्नक – IV

संधारणीयता, सीएसआर तथा एचएसई

4.1 संधारणीयता निष्पादन – पर्यावरणीय

वैश्विक व्यापार वातावरण की बदलती परिस्थितियों ने संधारणीयता को वैकल्पिक विचारधारा से एक मुख्य रणनीतिक आवश्यकता में बदल दिया है। बीएचईएल में, संधारणीयता हमारे प्रचालन में गहराई से एकीकृत है, जो कि योजना, कार्यान्वयन और निर्णय लेने के हर पहलू को मार्गदर्शित करती है।

बीएचईएल लगातार जलवायु उत्तरदायित्व और पर्यावरणीय प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, हमारे पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने और हमारे सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए निरंतर वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाता है।

यह खंड बीएचईएल के पर्यावरणीय संधारणीयता कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है।

4.1.1 सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तरदायी उपयोग

बीएचईएल सभी प्रचालनों में सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों के उत्तरदायी और प्रभावी उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। सामग्री की खपत को अनुकूलित करके, यह संगठन न केवल अपने पर्यावरणीय संधारणीयता लक्ष्यों में वृद्धि करता है बल्कि लागत प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है, जोकि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के अनुरूप सतत विकास लक्ष्य 12 (SDG 12) – उत्तरदायी खपत और उत्पादन।

बीएचईएल की सभी उत्पादन इकाइयों में लक्षित अपशिष्ट को कम करने वाली परियोजनाएं लागू की जाती हैं, जैसे धातु स्क्रैप कम करने के लिए एडवांस्ड नेस्टिंग तकनीकें। सामग्री उपयोग दक्षता वृद्धि हेतु धातु के बचे हुए टुकड़ों को या तो उत्पादन प्रक्रिया में पुन: प्रयोग किया जाता है या उत्तरदायी प्रक्रिया के माध्यम से री-साईकल किए जाते हैं।

बीएपी रानीपेट में 150 एलपीएच कूलेंट रिकवरी प्लांट, 4,990 मीट्रिक टन एमएस मेल्टिंग स्क्रैप को सीएफएफपी, हरिद्वार भेजकर कास्टिंग में पुन: उपयोग, एचपीईपी, हैदराबाद के फाउंड्री शॉप में 585 मीट्रिक टन मेल्टिंग स्क्रैप का पुन: उपयोग और एफएसआईपी, जगदीशपुर में फैब्रिकेटेड जॉब्स की हाइड्रो टेस्टिंग के लिए पानी रीसाईकल और पुन: उपयोग हेतु 150 किलो ग्राउंडवॉटर टैंक का निर्माण जैसी उपर्युक्त सभी गतिविधियाँ बीएचईएल की सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों की उत्तरदायी खपत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

4.1.2 ऊर्जा दक्षता और प्रबंधन

कंपनी अपने ग्राहकों को ऊर्जा-कुशल उपकरण और स्वच्छ तकनीकों वाले पावर प्लांट प्रदान कर रही है, जो ऊर्जा दक्षता में योगदान दे रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के सतत

विकास लक्ष्य 7 (SDG 7) - किफायती और स्वच्छ ऊर्जा के अनुरुप कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है।

ऊर्जा संरक्षण बीएचईएल की कार्य प्रणाली सिद्धांत में गहराई से अंतर्निहित है। मुख्य उपायों में ऊर्जा कुशल उपकरणों के रूप में उन्नयन, ऊर्जा के रिसाव में कमी करना और आईएसओ 50001 के अनुरूप उत्कृष्ट ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों में ऊर्जा ऑडिट के माध्यम से चिह्नित लगभग 50 ऊर्जा दक्षता परियोजनाएँ पूरी की गईं, जिससे अनुमान है कि वार्षिक विद्युत मांग में लगभग 4.84 मिलियन यूनिट की कमी आई। इसी वर्ष, कैप्टिव सौर संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 44.21 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 11.7% की वृद्धि हुई और पिछले नौ वर्षों में कुल उत्पादन 275.86 मिलियन यूनिट रहा।

4.1.3 जल प्रबंधन

कंपनी की जल और जैव विविधता से संबंधित पहलें एसडीजी 3, 6, 11 और 14 के साथ संरेखित हैं। संरक्षण, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के माध्यम से जल दक्षता कंपनी की एक मुख्य प्राथमिकता है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य जल तटस्थता प्राप्त करना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बीएचईएल ने नए वर्षा जल संचयन (RWH) सिस्टम बनाने और समय के साथ निष्क्रिय हो चुके मौजूदा आरडब्ल्यूएच संरचनाओं को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी रखे। वर्षा जल संचयन प्रणालियों और जल स्रोतों की कुल संख्या 140 से अधिक है, जो भूजल पुनर्भरण के लिए संचित वर्षा जल की मात्रा को काफी बढ़ाती है और हमारे परिसर में जैव विविधता का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बीएपी रानीपेट में चार नए आरडब्ल्यूएच सिस्टम लगाए गए।

बीएचईएल का अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचना में 22 तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETPs) और 18 सीवेज उपचार संयंत्र (STPs) शामिल हैं। हमारी 11 इकाइयाँ अब साइट की सीमा से बाहर कोई तरल अपशिष्ट की निकासी नहीं कर रही हैं, जिससे सतत जल उपयोग के लिए एक बेंचमार्क स्थापित होता है।

4.1.4 जैव विविधता और हरित आवरण

सैटेलाइट आधारित पारिस्थितिकी मूल्यांकन से ज्ञात हुआ है कि लगभग बीएचईएल की 40% भूमि वृक्षों और वनस्पतियों से आच्छादित है। हमारे परिसर में लगभग 31 लाख वृक्ष और वनस्पतियाँ हैं, जिनमें बीएपी रानीपेट, एचपीईपी, त्रिची, HPEP हैदराबाद और TP झांसी जैसे प्रमुख इकाइयों में मियावाकी वन शामिल हैं—जो जैव विविधता बढ़ाने और जंगल के बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। विविध पौधारोपण और साइट पर मौजूद जल स्रोत मिलकर मजबूत स्थानीय इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, कुल 40,000 पौधों के लक्ष्य के मुकाबले बीएचईएल की इकाइयों में 19,133 पौधे लगाए गए और परियोजना साइटों पर अतिरिक्त 25,252 पौधे लगाए गए। कई बड़े परिसरों में जल स्रोत भी हैं प्राकृतिक आवासों को समृद्ध बनाते हैं वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2023-24 में, कंपनी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रिलियन ट्रीज कैंपेन (1t.org) में शामिल होकर मौजूदा हरित संपत्तियों की रक्षा करने, वृक्षारोपण को बढ़ाने, और जैव विविधता-प्रधान हरित पहल को बढ़ावा देने का संकल्प लिया—और हम इन लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं।

4.1.5 कार्बन फुटप्रिंट में कमी

बीएचईएल ने 2047 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन (स्कोप 1 और 2) की प्रतिबद्धता जताई है, जो राष्ट्रीय नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के साथ मेल खाती है।

इस संदर्भ में रणनीतिक पहलों में उच्च-उत्सर्जन स्रोतों से प्राप्त इंधनों को बदलना शामिल था (जैसे, 2025-26 में एचईपी, भोपाल में एलपीजी और एफओ की जगह पीएनजी का उपयोग), कैपेक्स/आरईएससीओ के माध्यम से ऑनसाइट सौर विस्तार—जैसे FSIP में 750 किलोवाट की रुफटॉप सोलर प्लांट की कमीशनिंग—और अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन RTC बिजली की खरीद की संभावना तलाशना।

इन प्रयासों के परिणामस्वरुप वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31,308 मेट्रिक टन CO2-उत्सर्जन कम करने में सफलता मिली, यह मानते हुए कि प्रति यूनिट ऊर्जा उत्पादन पर ग्रिड उत्सर्जन कारक 0.71 किलो CO2 है, और इसे 3.1 मिलियन से अधिक पेड़ों ने प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में समर्थन दिया।

4.1.6 कचरा न्यूनतमकरण और परिसंचरण

बीएचईएल का कचरा प्रबंधन 3Rs: कम करें, पुन: उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें के दृष्टिकोण का पालन करता है। धातु के कबाड़ को या तो पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण किया जाता है या अधिकृत एजेंसियों को बेचा जाता है और जैव अपघटनीय कचरे को एचईआरपी, वाराणसी और एफएसआईपी, जगदीशपुर जैसी इकाइयों में कंपोस्ट किया जाता है। खतरनाक और ई-कचरे को नियामक मानकों के अनुसार हैंडल किया जाता है।

स्वच्छता पर चलाए गए विशेष अभियान 5.0 के तहत वर्ष के दौरान लगभग ₹59.20 करोड़ मूल्य के कबाड़ का निपटान किया गया। इसके अलावा, सभी 15 बीएचईएल टाउनशिप ने "सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री" प्रमाणित टाउनशिप के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है, जो हमारे स्वच्छ आवासीय परिसरों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एचईईपी हरिद्वार में 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र

4.2 हरित बीएचईएल - हरित भविष्य की ओर अग्रसर बीएचईएल

बीएचईएल की व्यापक हरित पहल (हरित बीएचईएल), कंपनी की स्थिरता और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और संगठन को पर्यावरण के प्रति जागरूक संगठनों में अग्रणी बनाती है। यह सेबी बीआरएसआर कोड, GRI 305 और TCFD मानकों के अनुरुप है और 2047 तक इसका नेट जीरो उत्सर्जन (स्कोप 1 और 2) प्राप्त करने का लक्ष्य है, जो भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरुप है।

हरित बीएचईएल के तीन प्रमुख स्तंभ:

1. **2047 तक नेट जीरो उत्सर्जन:** 2047 तक स्कोप 1 (सीधे) और स्कोप 2 (खरीदी गई ऊर्जा) उत्सर्जन के लिए नेट जीरो प्राप्त करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। कंपनी स्कोप 3 उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने मूल्य श्रृंखला के सदस्यों के साथ साझेदारी कर रही है। इस स्तंभ के तहत प्रगति साफ़ तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा, संसाधन दक्षता और मजबूत प्रशासन के अपनाने के माध्यम से हुई है, और सभी निर्माण इकाइयों में बुनियादी आधार और रोडमैप स्थापित किए गए हैं। कंपनी की उत्सर्जन तीव्रता वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में 15.4% कम हुई।

2. **विनिर्माण इकाइयों के लिए ग्रीनको प्रमाणन:** बीएचईएल CII ग्रीनको रेटिंग्स को अपनाता है ताकि पर्यावरणीय प्रदर्शन का मापन और सुधार किया जा सके, और मॉडल ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 12 इकाइयों की उपलब्धियां: पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, बारह निर्माण इकाइयों का मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और उन्हें ग्रीनको रेटिंग दी गई है।

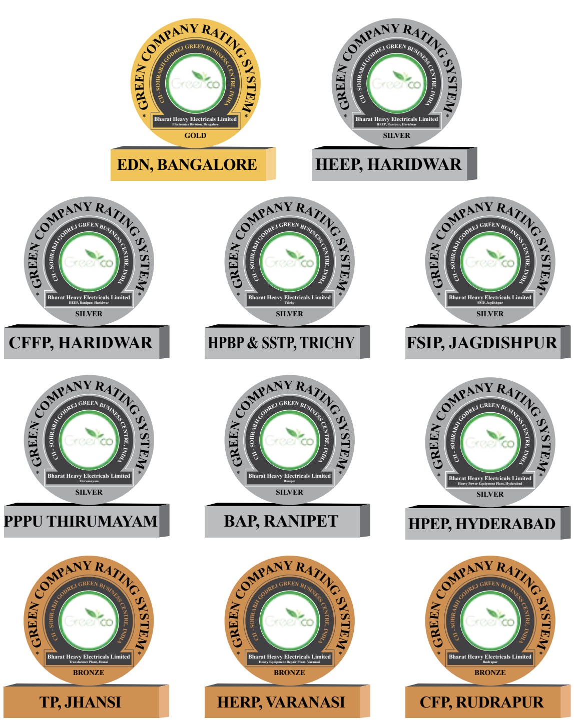

बाकी बचे हुए उत्पादन उपकरणों ने भी ग्रीनको रेटिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। अन्य यूनिट्स जो वर्तमान में पहले से प्रमाणित हैं, अपनी रेटिंग सुधारने की दिशा में काम कर रही हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य ग्रीनको प्लैटिनम स्तर तक पहुंचना है, जो ग्रीनको रेटिंग सिस्टम के तहत सबसे उच्च रेटिंग है।

3. **2025-26 में लागू की गई प्रमुख संधारणीयता कार्रवाइयाँ:** बीएचईएल ने अपने उत्पादन इकाइयों में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कई स्थिरता कार्रवाईयां शुरु कीं और इन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 में दीर्घकालिक पहलों के रुप में जारी रखा जा रहा है। इसमें अन्य कार्यों के साथ – साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं:

   a) सोलर पी वी विस्तार

   - वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान FSIP जगदीशपुर में 750 kWp की रुफटॉप सोलर सिस्टम चालू की गई (RESCO मोड)।
   - कुल क्षमता: 31 मार्च, 2026 तक 43.25 MWp।
   - उत्पादन: 44.21 मिलियन यूनिट्स (+11.98% वार्षिक वृद्धि)।

   b) हरित आवरण वृद्धि

   - लक्ष्य: 40,000 पौधे।
   - उपलब्धि: कैंपस और प्रोजेक्ट साइट्स में कुल 44,385 पौधे लगाए गए, जिससे कार्बन अवशोषण बढ़ा।

आने वाले वर्षों में, HARIT बीएचईएल निम्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा:

- सौर क्षमता में वृद्धि।
- पूर्ण ग्रीनको प्रमाणन।
- ऑडिट-आधारित जल/ऊर्जा दक्षता।
- वृक्षारोपण और जैव विविधता का विस्तार।
- बेहतर कचरा प्रबंधन।
- पूरे संगठन में स्थिरता का एकीकरण।

इस पहल से बीएचईएल को 2047 तक भविष्य के लिए तैयार ग्रीन PSU के रुप में स्थापित किया जाएगा, जो व्यापार उत्कृष्टता को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ जोड़ता है।

4.3 स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (HSE)

बीएचईएल अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और संधारणीयता को प्राथमिकता देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है, जबकि इसका ऑर्डरबुक रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर है। कंपनी का मार्गदर्शन सिद्धांत कि 'हर कर्मचारी सुरक्षित घर लौटे' एक साझा जिम्मेदारी की संस्कृति के माध्यम से साकार होता है, जहाँ सुरक्षा उत्कृष्टता को कड़ाई से परमिट टू वर्क अनुपालन, विस्तृत कार्य प्रणाली विवरण और कार्य सुरक्षा विश्लेषण के साथ, संभावित दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग और किसी भी अस्वीकार्य जोखिम पर काम रोकने के अधिकार के साथ बनाए रखा जाता है।

इसे और अधिक समृद्ध करने हेतु वरिष्ठ प्रबंधन नियमित एपेक्स स्तरीय समीक्षा आयोजित करता है, उच्च-जोखिम क्षेत्रों और कंपनी तथा परियोजना साइट पर नीति

पालन का विश्लेषण "प्रशिक्षण आपके द्वार" ने साइट-विशिष्ट, व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसके साथ-साथ, समय-समय पर आंतरिक और बाह्य ऑडिट द्वारा विधिक और संगठनात्मक मानकों के अनुपालन का आकलन किया जाता है और कमियों की पहचानकर लक्षित सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की जाती है। सशक्त निगरानी और प्रतिक्रिया लूप्स द्वारा सतत सुधार सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में फ्रिक्वेंसी सेवरिटी इंडेक्स (FSI) 0.347 था और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 0.248 था।

पर्यावरण के क्षेत्र में, बीएचईएल एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अग्रणी संस्थान है। सभी उपनगरियों ने निष्पक्ष बाह्य संस्थान द्वारा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक फ्री प्रमाणन प्राप्त किया है, जिससे प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही कम किया जा रहा है। प्रमुख हरित बीएचईएल कार्यक्रम संगठन को 2047 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन की ओर ले जा रहा है, और इससे ग्रीन एनर्जी संक्रमण, विस्तारित वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण, और उत्तरदायी कचरा प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एफएसआईपी, जगदीशपुर में RESCO मॉडल के तहत 750 kWp रूफटॉप सोलर प्लांट का कमीशनिंग शामिल है, जिससे कुल स्थापित क्षमता 43.25 MWp हो गई और 44.21 मिलियन यूनिट्स उत्पन्न हुई—जो साल-दर-साल 11.7% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। वृक्षारोपण प्रयासों के अंतर्गत इकाइयों में 19,133 पौधे और प्रोजेक्ट साइट्स पर 25,252 पौधे लगाए गए (40,000 के लक्ष्य को पार करते हुए), जबकि कैंपस के जल स्रोत जैव विविधता को समृद्ध करते हैं और स्थानीय वन्यजीवन का समर्थन करते हैं।

उत्कृष्टता को संस्थागत बनाते हुए, ग्रीनको रेटिंग प्रोग्राम पर्यावरणीय परम्पराओं का मूल्यांकन और सुधार करता है। 12 इकाइयाँ प्रमाणित हुई हैं—ईडीएन ने गोल्ड हासिल किया, जबकि अन्य इकाइयों ने सिल्वर/ब्रॉन्ज़ हासिल किया — जो आगामी साइकिल में प्लेटिनम हासिल करने के लिए सभी के लिए मानक स्थापित करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बीएचईएल ने भारी उद्योग मंत्रालय के मार्गदर्शन में कई प्रभावशाली अभियान किए। जिसके अंतर्गत पर्यावरण जागरुकता माह (5 जून–4 जुलाई), जिसका शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यशालाएं, वृक्षारोपण अभियान और संधारणीयता प्रतिज्ञा के साथ किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा (16–31 अगस्त), जो कार्यस्थल पर सफाई और कचरा अलगाव पर केंद्रित था। विशेष अभियान 5.0 के तहत स्वच्छ भारत अभियान (02–31 अक्टूबर), जिसमें रिकॉर्ड प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की देखभाल पर बल दिया गया। सुरक्षा पखवाड़ा (04–17 मार्च), जिसका आरंभ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से होता है, जिसमें ड्रिल, जागरुकता सत्र और अभ्यास हेतु आपात स्थितियाँ शामिल हैं। ये सभी पहल, सुरक्षा, उत्तरदायित्व और कल्याण की सुदृढ़ संस्कृति विकसित करती हैं और बीएचईएल को एचएसई के क्षेत्र में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती हैं।

4.4 संधारणीयता निष्पादन – सामाजिक

बीएचईएल अपना सामाजिक उत्तरदायित्व, कंपनी की सीएसआर नीति में वर्णित 7 रणनीतिक क्षेत्रों के माध्यम से निभाती है। इन सभी क्षेत्रों की गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड VII में उल्लिखित गतिविधियों और क्षेत्रों के अनुरुप हैं। सभी सीएसआर आवंटन और व्यय बीएचईएल की सीएसआर नीति के अनुसार हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013, खंड VII, कंपनियाँ (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और समय-समय पर जारी डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरुप हैं। वर्ष 2025-26 के लिए कुल सीएसआर बजट ₹859.13 लाख था। इसमें से लगभग 64% सीएसआर परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर विषय "स्वास्थ्य और पोषण" से संबंधित हैं और ये वित्तीय वर्ष 2026-27 में जारी रहेंगी या पूर्ण की जाएंगी।

वर्ष के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

शिक्षित भारत

- हरिद्वार, जगदीशपुर और झांसी में बीएचईएल विनिर्माण इकाइयों में स्थित स्कूलों के संचालन में सहयोग प्रदान करना।
- हैदराबाद के रामचंद्रपुरम में विशेष देखभाल स्कूल के विशेष बच्चों को सहारा देने के लिए लगातार वित्तीय सहायता।
- त्रिची में बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल और पुनर्वास केंद्र, अरिवालयम को लगातार वित्तीय सहायता।

मिम्स, मांड्या, कर्णाटक में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता

सी एस आर की हेल्दी इंडिया पहल के तहत रानीपेट के कलेक्टर को चिकित्सा उपकरण सौंपे गए

स्वस्थ भारत

- मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (MIMS), मांड्या, कर्नाटक में इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय सहायता।
- पीएचसी, कोप्पा, मांड्या जिला, कर्नाटक में मीटिंग हॉल निर्माण और चिकित्सा उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता।
- जोधपुर, राजस्थान में "झुग्गी बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता" परियोजना के लिए वित्तीय सहायता।
- अमरावती जिला, महाराष्ट्र में "बच्चों के लिए पोषण समर्थन परियोजना" के लिए वित्तीय सहायता।
- विदर्भ, महाराष्ट्र में आनुवंशिक रोगों (सिकल सेल और थैलेसीमिया) की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता।
- पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए वित्तीय सहायता।
- सीएसआर विषय "स्वास्थ्य और पोषण" पर लगभग 40 प्रोजेक्ट किए गए हैं, जैसे शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को चलने में सहायता प्रदान करने वाले उपकरण प्रदान करना; बच्चों/बुज़ुर्गों/माताओं और गर्भवती महिलाओं/टीबी के मरीजों के लिए पोषण सहायता किट देना; मेडिकल और स्वास्थ्य जागरुकता शिविर आयोजित करना; मेडिकल उपकरण, स्वच्छ पीने का पानी और निकटस्थ सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों में शौचालय बनाना, योग कक्षाओं का आयोजन आदि। ये सभी कार्य बीएचईएल द्वारा किए गए हैं।

हरित भारत

- आदिवासी शैक्षणिक परिसर – श्रीनाथ विद्यालय, सुरजी-अंजानगांव, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में नेट मीटरिंग तंत्र के तहत 5 किलोवाट ग्रिड-कनेक्टेड रुफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना।

4.5 सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर पॉलिसी का संक्षिप्त विवरण।
   (अनुलग्नक -4ए के रूप में संलग्न)
2. सीएसआर समिति का गठन

क्र. सं..	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उनके द्वारा भाग लिए गए सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	रमेश पाटल्या मावस्कर, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
2	निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	2	2
3	निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2

प्रमुख (सीएसआर), कॉर्पोरेट कार्यालय स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

3. वह वेब-लिंक दें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर कमेटी की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं प्रकाशित की गई हैं।
   वेब-लिंक : https://www.bhel.com/csr
4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसार किए गए सीएसआर प्रोजेक्ट्स के प्रभाव मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण और वेब-लिंक प्रदान करें, यदि लागू हो।
   शून्य
5. (a) कंपनी का औसत शुद्ध लाभ धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार।
   42956.33300 लाख
   (b) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार।
   859.12667 लाख
   (c) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष (सरप्लस)।
   शून्य
   (d) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित (set-off) की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो।
   शून्य
   (e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(b) + (c) – (d)]।
   859.12667 लाख रुपये
6. (a) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजना और अन्य परियोजनाएं) ।
   582.31231 लाख
   (b) प्रशासनिक कार्यों पर खर्च की गई राशि
   29.41067 लाख
   (c) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।
   5.90109 लाख
   (d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च [(a) + (b) + (c)]।
   617.62407 लाख
   e) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर पर खर्च की गई या बाकी रह गई राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च राशि (₹ लाख में)	शेष राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उप धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे उपबंध के अनुसार अनुसूची 7 में निर्दिष्ट किसी भी कोष में हस्तांतरित राशि		
	राशि (₹ लाख में)	स्थानांतरण की तिथि	कोष का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
264.29790	594.82877	28.04.2026	-	-	-

(f) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (लाख में)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत कुल लाभ का 2 प्रतिशत	859.12667
(ii)	वित्तीय वर्ष में कुल खर्च की गई राशि	264.29790
(iii)	वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त खर्च [(ii) – (i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से प्राप्त अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii) – (iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए बकाया सीएसआर राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई कुल राशि (रु लाख में)	धारा 135 की उप धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु लाख में)	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (रु लाख में)	धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत अनुसूची VII के अनुसार ए फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च के लिए शेष राशि (लाख रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (लाख रुपये में)	हस्तांतरण की तिथि		
1	2022-23	-	-	-	-	-	-	-
2	2023-24	-	-	-	-	-	-	-
3	2024-25	470.14339	470.14339	353.32617	-	-	116.81722	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत खर्च की गई राशि से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या हासिल की गई है? **नहीं**

यदि हाँ, तो बनाई गई या हासिल की गई पूंजीगत संपत्ति की संख्या बताएं: **लागू नहीं**

वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि से बनाई गई या हासिल की गई ऐसी परिसंपत्तियों का विवरण दें: **लागू नहीं**

क्र. सं.	विवरण (संपत्ति के पूरे पते ओर अवस्थिति सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड	बनाए जाए की तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत संपत्ति के स्वामित्व वाली निकाय / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
-	-	-	-	-	-	-	-

9. कारण बताएं, यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर बजट 859.12667 लाख था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूरा सीएसआर बजट यानी 859.12667 लाख अलग-अलग सीएसआर प्रोजेक्ट्स को आवंटित किया गया। कुल आबंटित सीएसआर बजट में से 264.29790 लाख खर्च किया गया और बाकी की राशि 594.82877 लाख 28.04.2026 को अव्ययित सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि निम्नानुसार है:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के रु 859.12667 लाख के सीएसआर बजट में से (₹ लाख में)	2024-25 के सीएसआर खाते के अप्रयुक्त राशि 470.14339 लाख में से (₹ लाख में)	कुल (₹ लाख में)
1	264.29790	353.32617	617.62407

बीएचईएल की सीएसआर नीति के अनुसार, जो अव्ययित प्रतिबद्ध राशि है वह समाप्त नहीं होगी और भविष्य में सीएसआर परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी।

10. हम यह घोषित करते हैं कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुसार है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष
(सीएसआर समिति)

नई दिल्ली
दिनांक: 01 जून, 2026

अनुलग्नक – 4A (सीएसआर गतिविधियों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के खंड 4.5 का भाग)

बीएचईएल कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति की रूपरेखा

सीएसआर विजन:

बेहतर भविष्य के लिए समर्पित एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक बनना।

सीएसआर मिशन:

चिह्नित सीएसआर प्राथमिक क्षेत्रों में और कंपनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध अन्य क्षेत्रों में कंपनी के उत्तरदायित्व को निष्ठा और प्रभावी रूप से निभाना।

नीति के उद्देश्य:

- बीएचईएल द्वारा योजनाबद्ध और कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और वर्तमान डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाली सभी सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को परिभाषित करना।
- उपर्युक्त सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को लागू करने की विधि।
- उपर्युक्त सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया।
- सभी हितधारकों को बीएचईएल की सीएसआर योजनाओं के प्रति जागरूक करना।
- व्यवसाय संचालन और सीएसआर कार्यसूची के अनुपालन में सतत विकास के उच्च लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना।

नीति की प्रमुख विशेषताएँ:

- यह कंपनी अधिनियम-2013, कंपनियों (सीएसआर नीति) नियम-2014 और सीएसआर एवं संधारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लेखित आवश्यकताओं को उल्लेखित करती है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में वर्णित गतिविधियों पर आधारित सीएसआर गतिविधियों के लिए मुख्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है।
- इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाएगा।
- कंपनी स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी और सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित राशि का कम से कम 75% स्थानीय स्तर पर व्यय करेगी।
- किसी परियोजना का कुल मूल्य ₹1 करोड़ या उससे अधिक होने पर उसे मेगा परियोजना कहा जाएगा और ऐसी परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य रूप से किसी बाह्य एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा।
- किसी भी आपदा/ संकट के लिए राहत गतिविधियों को अपनाने हेतु वार्षिक सीएसआर बजट का 5% आपातकालीन कोष के रूप में आरक्षित करने का प्रावधान है।
- यह निर्धारित करता है कि पूरे वर्ष के कुल सीएसआर खर्च का 5% क्षमता निर्माण के लिए आरक्षित रखा जाएगा, जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित है।
- यह बीएचईएल में सीएसआर के लिए संगठनात्मक ढांचे के बारे में जानकारी देता है।

सीएसआर पॉलिसी का वेब-लिंक:

बीएचईएल की सीएसआर पॉलिसी https://www.bhel.com पर सीएसआर सेक्शन में उपलब्ध है और इसे इस लिंक के जरिए एक्सेस किया जा सकता है

https://www.bhel.com/csr

बोर्ड की रिपोर्ट के साथ अनुबंध-V
व्यवसाय उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

अनुभाग ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	**सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)**	L74899DL1964GOI004281
2.	**सूचीबद्ध संस्था का नाम**	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3.	**संस्थापन की तारीख**	13 नवंबर 1964
4.	**पंजीकृत कार्यालय का पता**	बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110049
5.	**कॉर्पोरेट पता**	बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली – 110049
6.	**ई-मेल**	shareholderquery@bhel.in
7.	**फोन**	011-66337598
8.	**वेबसाइट**	**www.bhel.com**
9.	**वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है**	वित्तीय वर्ष 2025-26
10.	**स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहाँ शेयर पंजीकृत है**	बीएसई लिमिटेड (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE)
11.	**भुगतान की गई पूंजी**	रु 696.41 करोड़
12.	**बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (फोन, ई-मेल पता)**	रवि प्रकाश सिंह (वरिष्ठ उप महाप्रबंधक – कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट), ईमेल: ravips@bhel.in, फोन: 011-66337392
13.	**रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत घोषणाएं केवल संस्था के लिए (एकल) की गई हैं या समेकित आधार पर (अर्थात संस्था और उसकी समेकित वित्तीय रिपोर्ट में शामिल सभी संस्थाओं के लिए) की गई हैं**	स्टैन्डअलोन (एकल) आधार पर
14.	**क्या कंपनी ने बीआरएसआर कोर का मूल्यांकन या आश्वासन कराया है**	हाँ, प्रमाणन संलग्न है
15.	**मूल्यांकन या आश्वासन प्रदाता का नाम**	एस आर एशिया
16.	**प्राप्त किए गए मूल्यांकन या आश्वासन का प्रकार**	उचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएँ

17. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (जो कुल कारोबार का 90% बनाती हैं):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
1	विनिर्माण	मशीनरी और उपकरणों का निर्माण एन.ई.सी	57%
2	विनिर्माण	विद्युत उपकरणों का निर्माण	27%
3	निर्माण	विशेष निर्माण गतिविधियाँ	16%

18. संस्था द्वारा विक्रय किए जाने वाले उत्पाद/सेवाएँ (संस्था के कुल कारोबार का 90% भाग):

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एन आई सी कोड	टर्नओवर में कुल योगदान का %
1.	स्टीम या अन्य वाष्प उत्पादन करने वाले बॉयलर और हॉट वाटर बॉयलर का निर्माण, सेंट्रल हीटिंग बॉयलर को छोड़कर	25131	32%
2.	पावर प्लांट का निर्माण और रखरखाव	42201	20%
3.	इंजन और टरबाइन का निर्माण, विमान, वाहन और साइकल इंजन को छोड़कर	28110	16%
4.	इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आर्क-वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, फ्लोरोसेंट बैलास्ट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज रेगुलेटर का निर्माण	27102	9%
5.	विद्युत वितरण और नियंत्रण उपकरण का निर्माण विद्युत उपकरण जो विद्युत सर्किट को स्विच करने या सुरक्षा देने के लिए होते हैं, जैसे स्विच, फ्यूज, वोल्टेज लिमिटर, सर्ज सप्रेसर, जंक्शन बॉक्स आदि जो 1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए होते हैं; इसी प्रकार के उपकरण (जिसमें रिले, सॉकेट आदि शामिल हैं) जो 1000 वोल्ट तक के वोल्टेज के लिए होते हैं; बोर्ड्स, पैनल, कंसोल, कैबिनेट और अन्य बेस जिनमें उपर्युक्त वर्णित दो या इससे अधिक उपकरण लगे हों, विद्युत नियंत्रण या वितरण के लिए, जिसमें पावर कैपेसिटर भी शामिल हैं।)	27104	8%
6.	इलेक्ट्रिक मोटर्स का निर्माण (आंतरिक दहन इंजन शुरु करने वाले मोटर्स को छोड़कर)	27103	3%
7.	पावर, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण/स्थापना और रखरखाव	42202	3%

एनआईसी कोड लिस्ट का लिंक: **https://www.ncs.gov.in/Documents/NIC_Sector.pdf**

III. प्रचालन

19. उन स्थानों की संख्या जहाँ संस्थान की विनिर्माण इकाइयाँ और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

(31 मार्च, 2026 की स्थिति)

स्थान	प्लांट्स की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	16	29	45
अंतरराष्ट्रीय	0	0	0

कंपनी के पास 16 विनिर्माण इकाइयाँ, 2 रिपेयर यूनिट, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र और 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्र हैं। विनिर्माण इकाइयों के नामों और उनके स्थान के लिए 'अखिल भारतीय उपस्थिति' देखें।

20. बाजार जहां संस्था द्वारा सेवा प्रदान की जाती है:

ए. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28 (राज्य), 8 (केंद्र शासित प्रदेश)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	94

बी. कंपनी के कुल कारोबार में निर्यात का कितना प्रतिशत योगदान है?

कुल कारोबार (प्रचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व) में निर्यात का लगभग 1.35% योगदान है।

सी. ग्राहकों के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

बीएचईएल के ग्राहकों में सरकारी विभाग, सरकारी मंत्रालय, सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं, अर्ध-सरकारी एजेंसियां, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, राज्य सार्वजनिक उपक्रम, राज्य बिजली बोर्ड, स्वतंत्र बिजली उत्पादक (IPP) और निजी कंपनियां शामिल हैं।

IV. कर्मचारी

'कर्मचारी', कामगार, 'स्थायी कर्मचारी', 'स्थायी कामगार, 'गैर-स्थायी कर्मचारी' और 'गैर-स्थायी कामगार' की परिभाषा "बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ़ॉर्मेट के लिए गाइडेंस नोट" के अनुसार है। परिभाषा की व्याख्या के अनुसार, नीचे दिए गए डेटा पॉइंट्स में 'कर्मचारी' श्रेणी में 'स्थायी' और 'गैर-स्थायी' दोनों तरह के 'कर्मचारी' और 'कामगार' शामिल हैं।

21. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

ए. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांग सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिलाएं	
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ ए)
			कर्मचारी			
1.	स्थायी (डी)	27284	25693	94.17%	1591	5.83%
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ई) *	22740	20673	90.91%	2067	9.09%
3.	**कुल कर्मचारी (डी + ई)**	50024	46366	92.69%	3658	7.31%
			कामगार			
4.	स्थायी (एफ)	12500	12200	97.60%	300	2.40%
5.	स्थायी के अतिरिक्त (जी)*	22581	20524	90.89%	2057	9.11%
6.	**कुल कर्मचारी (फ + जी)**	35081	32724	93.28%	2357	6.72%

बी. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिलाएं	
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ ए)
			दिव्यांग कर्मचारी			
1.	स्थायी (डी)	816	792	97.06%	24	2.94%
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ई) *	72	55	76.39%	17	23.61%
3.	**कुल कर्मचारी (डी + ई)**	888	847	95.38%	41	4.62%
			दिव्यांग कर्मचारी			
4.	स्थायी (एफ)	343	340	99.13%	3	0.87%
5.	स्थायी के अतिरिक्त (जी)*	72	55	76.39%	17	23.61%
6.	**कुल कर्मचारी (फ + जी)**	415	395	95.18%	20	4.82%

*बीएचईएल अपनी संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अपनी विभिन्न इकाइयों, डिवीजनों, विभागों और साइटों पर संविदाकारों के साथ कार्य हेतु अनुबंध (जॉब/वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट) करता है। संविदाकार के पास काम करने वाले संविदाकर्मियों की संख्या समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है।

22. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व (31 मार्च, 2026 तक की स्थिति)

	कुल (ए)	महिलाओं का प्रतिशत	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	8	1	12.50%
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (KMP)	6	1	16.67%

23. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

वार्षिक टर्नओवर दर को इस तरह परिभाषित किया जाता है: 'वर्ष के दौरान संस्था की नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या * 100 / उस श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या'।

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल
स्थायी कर्मचारी	3.05%	3.90%	3.10%	3.60%	4.76%	3.67%	3.34%	4.59%	3.42%
स्थायी कामगार	2.52%	4.67%	2.58%	2.73%	3.30%	2.75%	2.55%	4.43%	2.60%

V. होल्डिंग, सहायक और संबद्ध कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

24. (ए) होल्डिंग, सहायक और संबद्ध कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/ संबद्ध कंपनियां/ संयुक्त उद्यम का नाम (ए)	बताएं कि क्या यह होल्डिंग/ सहायक/ संबद्ध कंपनी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिशत	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई कंपनी, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1.	बीएचईएल-जीई गैस टरबाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49.99%	नहीं
2.	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50.00%	नहीं
3.	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	22.14%	नहीं
4.	भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49.00%	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

25. सीएसआर विवरण

(i) क्या कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर लागू होता है: (हाँ/नहीं)

हाँ, बीएचईएल पर सीएसआर लागू होता है

(ii) कुल कारोबारर*: ₹33,782 करोड़

(iii) निवल परिसंपत्तियाँ: ₹26,516 करोड़

* यहाँ दर्शाया गया कुल कारोबार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रचालन से प्राप्त होने वाला राजस्व है

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

26. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/शिकायत-निवारण:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान है? (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://pgportal.gov.in/	210	1	-	193	4	-
निवेशक (शेयरधारकों के अतिरिक्त)	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
शेयरधारक	हाँ https://www.bhel.com/investor-grievance-redressal-mechanism	9	9	-	2	0	-

कर्मचारी एवं कामगार	हाँ (आंतरिक प्रणाली)	4	0	-	85	49	-
ग्राहक*	हाँ (आंतरिक प्रणाली)	361	41	-	358	42	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ https://suvidha.bhel.in/	218	44	-	55	10	-

* ग्राहकों से कई माध्यमों से शिकायतें मिलती हैं, जिन्हें समाधान के लिए आंतरिक प्रणाली पर दर्ज किया जाता है।

27. संस्था के महत्वपूर्ण उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण से संबद्ध मुद्दों का विवरण

क्र. सं.	महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (जोखिम/ अवसर)	जोखिम/अवसर को पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में उसे अनुकूलित करने या कम करने के लिए अपनाई गई विधि	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बताएं)
1.	ऊर्जा प्रबंधन एवं कार्बन फुटप्रिंट	अवसर	ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने, उत्सर्जन की तीव्रता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक उपयोग करने, विद्यमान हरियाली को बनाए रखने और नए पौधे लगाने के अवसर हैं। ईंधन की लागत और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए कंपनी को 'ग्रीन कंपनी' में बदलने का भी अवसर है। **सिद्धांत 6 देखें।**	--	सकारात्मक परिणाम
2.	जल प्रबंधन, अपशिष्ट न्यूनीकरण एवं चक्रियता	अवसर	3R (रिड्यूस, रीसायकल, रीयूज़) के सिद्धांतों को अपनाकर जल और प्रचालन अपशिष्ट सहित भिन्न-भिन्न प्रकार के अपशिष्ट का उचित प्रयोग करके पर्यावरण की स्थिरता को बेहतर बनाने और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने का अवसर।	--	सकारात्मक परिणाम
3.	कुशल जनशक्ति	जोखिम	नए प्रोडक्ट्स और बिज़नेस के लिए ज़रूरी खास स्किल्स और काबिलियत की कमी से कई क्षेत्रों में राजस्व कमाने में जोखिम हो सकता है। इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन मेंटेनेंस, कोयले-टू-केमिकल, और सोलर व ट्रांसपोर्टेशन जैसे अलग-अलग वर्टिकल्स में ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) बिज़नेस शामिल हैं। इसके अलावा, थर्मल इक्विपमेंट बनाने और चालू करने के मुख्य बिज़नेस में स्किल्ड मैनपावर की धीरे-धीरे कमी (रिटायरमेंट की वजह से) भविष्य में ऑपरेशन और काम को पूरा करने से जुड़े जोखिम पैदा कर सकती है।	वर्कफ़ोर्स की री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग, अहम पदों के लिए सक्सेशन प्लानिंग, एंट्री लेवल पर नई भर्तियां, FTA को शामिल करना और स्किल गैप को भरने के लिए कंसल्टेंट्स को ऑनबोर्ड करना।	नकारात्मक परिणाम

27. संस्था के उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण से संबद्ध महत्वपूर्ण मुद्दों का विवरण (जारी)

क्र. सं.	महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (जोखिम/ अवसर)	जोखिम/अवसर को पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में उसे अनुकूलित करने या कम करने के लिए अपनाई गई विधि	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बताएं)
4.	स्वास्थ्य और सुरक्षा	जोखिम	व्यवसाय संबंधी गतिविधियों को निरंतर जारी रखने में स्वास्थ्य और सुरक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यस्थल, परियोजना स्थल और उत्पादन क्षेत्र पर विद्यमान खतरों और जोखिम से कर्मचारियों, कामगारों और अन्य पणधारियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे उत्पादकता और क्षमता प्रभावित होती है।	ऐसी कार्य स्थल संस्कृति को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसमें सुरक्षा सभी का उत्तरदायित्व हो और यह दैनिक कामकाज का अंग हो। इसे नियमित सुरक्षा निरीक्षण, स्वास्थ्य जाँच और शारिरीक दक्षता परीक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा ऑडिट, सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आदि के माध्यम से लागू किया जा रहा है। **सिद्धांत 3 देखें।**	नकारात्मक परिणाम
5.	मानवाधिकार और श्रमिक स्थितियां	जोखिम	प्रचालन और आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों की पहचान करने, उन्हें संभालने और श्रमिक मानकों को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी। मानवाधिकार और लेबर स्टैंडर्ड्स से जुड़े नियमों का पालन न करने पर जोखिम और उससे होने वाले नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।	बीएचईएल की नीतियां मानवाधिकारों, भारत के संविधान और लागू कानूनों के सिद्धांतों के अनुरुप हैं। कंपनी में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं। मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान है। बीएचईएल, कंपनी पर लागू श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। **सिद्धांत 5 देखें।**	नकारात्मक परिणाम
6.	कर्मचारी सहभागिता, विविधता एवं समावेश	अवसर	• कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी से उत्पादकता में वृद्धि होती है और इसका प्रभाव कंपनी के लाभ पर भी पड़ता है। • विविधता और समान अवसर प्रदान करने से सम्पूर्ण समाज के उत्थान में सहायता मिलती है। कंपनी समान अवसर देने वाली नियोक्ता है और भर्ती व रोज़गार के मामलों में लिंग, नस्ल, जाति, धर्म, भाषाई, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। भारत सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करते हुए कंपनी विविधतापूर्ण संस्कृति और प्रतिभा को बढ़ावा देती है।	--	सकारात्मक परिणाम

क्र. सं.	महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (जोखिम/ अवसर)	जोखिम/अवसर को पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में उसे अनुकूलित करने या कम करने के लिए अपनाई गई विधि	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बताएं)
7.	सामाजिक संबद्धता और प्रभाव	अवसर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदयित्व (सीएसआर) स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक विकास, रोज़गार के अवसर प्रदान करना, कौशल विकास, शिक्षा और आजीविका को बेहतर बनाने जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग पहल के माध्यम से निर्बल और आर्थिक रुप से कमजोर समुदायों के उत्थान में अहम भूमिका निभाती है। यह कंपनी की ब्रांड इमेज को भी बेहतर बनाती है, ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों के बीच इसकी अपील को मज़बूत करती है और कुल मिलाकर व्यापारिक उन्नति और सतत विकास में योगदान देती है।	--	सकारात्मक प्रभाव
8.	डेटा और साइबर सुरक्षा	जोखिम	साइबर खतरों से परिचालन अवधि और आवश्यक डेटा (संस्थान और ग्राहकों का) की हानि के कारण राजस्व की हानि होती है, जिससे व्यापार प्रभावित होता है।	कंपनी ने साइबर सुरक्षा को अपने मुख्य जोखिमों में से एक माना है। इसके अनुसार, जोखिम को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि कंपनी आईएसओ/आईईसी 27001 प्रमाणित है और पूरे संगठन में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISMS) लागू की गई है; साथ ही एंडपॉइंट सिक्योरिटी, नेक्स्ट-जेन साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (Cyber SOC), सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स (SOAR) और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल (WAFs) के लिए केंद्रित विकल्प लागू किए गए हैं। रियल-टाइम एक्शन सुनिश्चित करने के लिए बाह्य स्रोतों से मिलने वाली थ्रेट इंटेलिजेंस को सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट (SIEM) के साथ संबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एक व्यापक, मल्टी-लेयर्ड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी लागू किया है, जिसमें पेरीमीटर सिक्योरिटी (नेक्स्ट-जेन फायरवॉल, इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम (IPS), इंटरनेट और प्राइवेट एक्सेस दोनों के लिए ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस (ZTNA), और एक सिक्योर ईमेल गेटवे का प्रयोग) और एक्सेस प्रोटेक्शन (नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक आईटी सेवाओं के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA)) जैसे उपाय सम्मिलित हैं। **कृपया बोर्ड रिपोर्ट के 'डेटा और साइबर सिक्योरिटी' अनुभाग को देखें।**	नकारात्मक प्रभाव

क्र. सं.	महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (जोखिम/ अवसर)	जोखिम/अवसर को पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में उसे अनुकूलित करने या कम करने के लिए अपनाई गई विधि	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बताएं)
9.	उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुरक्षा	जोखिम	उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित कमियों का प्रभाव कंपनी की ब्रांड इमेज और देनदारी दावों पर पड़ता है, साथ ही इससे लागत (जैसे री-वर्क की लागत) में भी वृद्धि होती है।	बीएचईएल की उत्पादन इकाइयाँ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप कई प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले और भरोसेमंद उत्पाद बनाए जाते हैं। बीएचईएल के प्रत्येक उत्पाद के साथ उत्पाद मैनुअल होते हैं और उन पर महत्वपूर्ण विधिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त ग्राहकों के साथ हुए करार की शर्तों और आवश्यकतानुसार डिटेल्ड प्रोडक्ट लेबल/नेम प्लेट/ परीक्षण प्रमाणपत्र संलग्न होते हैं। करार की शर्तों के अनुसार ग्राहकों को उत्पाद प्रचालन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।	नकारात्मक प्रभाव
10.	कॉर्पोरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता	जोखिम	मूल्यों/नैतिक व्यवहार से तात्पर्य ऐसी विधि से कार्य करना है जो कंपनी के नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरुप हो। इनका पालन न करने से ईमानदारी, कार्यस्थल पर परस्पर संबंधों, हितों के टकराव और व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव के कारण प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है।	कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए, कार्यप्रणाली में ईमानदारी के साथ-साथ नैतिक और पारदर्शी रुप से काम करने और प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की निरंतर समीक्षा और उसे सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बीएचईएल में व्हिसल-ब्लोअर पॉलिसी, धोखाधड़ी रोकथाम पॉलिसी, सीडीए नियम आदि जैसे कोड और प्रक्रियाएं लागू हैं। **कृपया सिद्धांत 1 देखें।**	नकारात्मक प्रभाव
11.	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन के कारण भविष्य में पूंजीगत उत्पादों की मांग में कमी आएगी। मांग में यह कमी देश या वैश्विक स्तर पर होने वाले नीतिगत बदलावों का सीधा परिणाम है।	नई तकनीकों को आत्मसात करना और कम उत्सर्जन वाले प्रोडक्ट्स, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण सेवाओं, लचीले प्रचालन विकल्प और न्यूक्लियर व हाइड्रो जैसे गैर-जीवाश्म उर्जा केंद्रों के विस्तार के साथ उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाना।	नकारात्मक प्रभाव

क्र. सं.	महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान	बताएं कि यह जोखिम है या अवसर (जोखिम/ अवसर)	जोखिम/अवसर को पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में उसे अनुकूलित करने या कम करने के लिए अपनाई गई विधि	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव बताएं)
12.	सतत उत्पाद और सेवाएँ	अवसर	हमारे ग्राहकों द्वारा ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन संबंधी कदमों या नीतिगत बदलावों के परिणाम स्वरुप न्यूक्लियर, रक्षा, परिवहन, कोयले से रसायनिक उत्पाद बनाने, हाइड्रोजन आदि के क्षेत्रों में नए व्यवसाय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।	--	सकारात्मक प्रभाव
13.	सामग्री की सोर्सिंग	जोखिम	भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक बाधाओं या प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा से परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हो सकता है और प्रचालन लागत में वृद्धि संभावित है।	नए घरेलू वेंडर बनाकर और उन्हें डेवलपमेंट ऑर्डर देकर सामग्री और कलपूर्जों के स्वदेशीकरण द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देना; साथ ही, आयात पर निर्भरता कम करने और संधारणीयता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक सामग्री, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा स्रोतों की खोज करना।	नकारात्मक प्रभाव

भाग बी: प्रबंधन एवं प्रक्रियाओं से संबंधित प्रकटीकरण

इस भाग का उद्देश्य व्यवसायों को उन संरचनाओं, नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी देने में सहायता प्रदान करना है, जिन्हें एनजीआरबीसी के सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने के लिए लागू किया गया है।

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियों में एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ख. क्या नीति को बोर्ड ने मंज़ूरी दी है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	नहीं
ग. नीतियों का वेब लिंक, अगर उपलब्ध हो#	i, ii, iv	-	v	vi	v	v	-	vi	iii
2. क्या संस्था ने नीतियों को प्रक्रियाओं में बदला है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
3. क्या बताई गई नीतियाँ आपके वैल्यू चेन पार्टनर्स पर भी लागू होती हैं? (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	हाँ	लागू नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ
4. आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत से जोड़े गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/ सर्टिफ़िकेशन/ लेबल/स्टैंडर्ड (जैसे वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्ट्रिया, जैसे; एसए 8000, ओहसास, आईएसओ, बीआईएस) के नाम।*	ई, एफ, जी, एच	ए, बी, सी	बी, सी, ई, एफ	एफ	ई, एफ, एच	बी, सी	एफ, जी	एफ, एच	ए
*ए. आईएसओ 9001; बी. आईएसओ 14001; सी. आईएसओ 45001; डी. आईएसओ 50001; ई. मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार-विरोधी मामलों पर यूएनजीसी के 10 सिद्धांत; एफ. डीपीई दिशानिर्देश; जी. सेबी एलओडीआर की आवश्यकताएं; एच. कंपनी एक्ट 2013									
5. संस्था द्वारा निर्धारित प्रमुख प्रतिबद्धताएँ, लक्ष्य, जिनके लिए समय-सीमा भी तय की गई हो (यदि कोई हो)।	शून्य	50% गैर-जीवाश्म क्षेत्र से ऑर्डर बुक (वित्तीय वर्ष 23-वित्तीय वर्ष 27)	शून्य	शून्य	शून्य	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य 1. 40,000 पौधे लगाना 2. दो विनिर्माण इकाइयों की ग्रीनको रेटिंग का आकलन	लागू नहीं	शून्य	शून्य
6. विशिष्ट प्रतिबद्धता और निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष संस्थान का कुल निष्पादन और यदि वह पूरा नहीं हुआ है तो उसका कारण।	शून्य	4 वर्ष में 22% (वित्तीय वर्ष 23-वित्तीय वर्ष 26)	शून्य	शून्य	शून्य	• 44,385 पौधे लगाए गए • 2025-26 में 2 के लक्ष्य के मुकाबले 4 विनिर्माण इकाइयों को ग्रीनको रेटिंग मिली है।	लागू नहीं	शून्य	शून्य

अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी	
7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का कथन, जिसमें ईएसजी से जुड़ी चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध संस्था को यह जानकारी अपने पास रखने की छूट है) एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बीएचईएल अपने कार्य के दौरान कई पहलों के माध्यम से सक्रिय रूप प्रदूषण का सामना करता है, जो पर्यावरण की स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदूषण कम करने के प्रयासों के अतिरिक्त, बीएचईएल ने पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। 'हरित बीएचईएल' हमारी एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य बीएचईएल को एक हरित कंपनी बनाना और 2047 तक 'नेट ज़ीरो' (NET ZERO) का लक्ष्य प्राप्त करना है। 'हरित बीएचईएल' पहल के तहत ग्रीन एनर्जी प्रयोग में वृद्धि, जल की बर्बादी कम करना, जल न्यूट्रैलिटी हासिल करने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग बढ़ाना और उत्तरदायी वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों को अपनाना मुख्य केंद्र बिंदु हैं। बीएचईएल ने अपनी ग्रीन प्रैक्टिस का आकलन करने और बीएचईएल को पर्यावरण अनुकूल कंपनी बनाने की दिशा में लगातार सुधार लाने के लिए 'ग्रीनको रेटिंग प्रोग्राम' आरम्भ किया है। बीएचईएल पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने तथा 'हरित बीएचईएल ' पहल के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में नई कार्रवाई के लिए एक उत्प्रेरक के तौर पर काम कर रहा है।	
8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीतियों को लागू करने और उनकी निगरानी के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च अधिकारी का विवरण।	नाम: श्री तजिंदर गुप्ता पद: निदेशक (पावर) और अतिरिक्त प्रभार (मानव संसाधन) DIN: 10327530 टेलीफ़ोन: 011-26001003 ईमेल आईडी: dhr@bhel.in
9. क्या संस्था में संधारणीयता से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड की कोई अधिकृत समिति या कोई निदेशक है? (हाँ/ नहीं)। अगर हाँ, तो विवरण दें।	

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि समीक्षा निदेशक/ बोर्ड समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी।									आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
उपर्युक्त नीतियों के अनुसार निष्पादन और उसके उपरांत की जाने वाली कार्रवाई	CoB	O	D	CoB	D	D	O	CoB	D	Q	O	O	O	O	O	O	O	O
सिद्धांतों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना और किसी भी प्रकार की कमी या उल्लंघन को ठीक करना।	CoB	O	D	CoB	D	D	O	CoB	D	Q	O	O	O	O	O	O	O	O
उपाख्यान	CoB: बोर्ड समिति, D: निदेशक, O: कोई अन्य समिति (आवश्यकतानुसार)									Q: तिमाही, O: आवश्यकतानुसार								

11. क्या संस्था ने किसी बाह्य एजेंसी से अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन करवाया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं।	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
	आईएसओ प्रमाणन संस्था (जैसे आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, आईएसओ 27001) के अतिरिक्त संगठन की नीतियों और प्रक्रियाओं का ऑडिट बाह्य एजेंसी (जैसे सीएजी, संसदीय समितियां, प्रशासनिक मंत्रालय आदि) द्वारा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त बीआरएसआर कोर डिस्क्लोज़र के लिए बाह्य एजेंसी द्वारा उचित आश्वासन भी लिया जाता है।								

#

i. https://www.bhel.com/code-business-conduct-ethics-board-members-senior-management-personnel

ii. https://www.bhel.com/code-conduct-prevention-insider-trading

iii. https://www.bhel.com/quality-policy

iv. https://www.bhel.com/whistle-blower-policy

v. https://www.bhel.com/sites/default/files/HSEPOLICY.pdf

vi. https://www.bhel.com/sites/default/files/BHEL_CSR_Policy_2022.pdf

नोट: बीएचईएल ने इन सिद्धांतों के आधार पर पद्धतियाँ और प्रक्रियाएं तो बनाई हैं, लेकिन P2 और P7 के संबंध में कोई औपचारिक नीति दस्तावेज़ नहीं है।

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी पॉलिसी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं, तो कारण बताए जाएं:

प्रश्न	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
संस्था इन सिद्धांतों को अपने कारोबार के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हाँ/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
संस्था अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह तय सिद्धांतों पर नीतियां बना सके और उन्हें लागू कर सके (हाँ/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
संस्था के पास इस कार्य हेतु वित्तीय या मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
इसे आगामी वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित किए जाने की योजना है (हाँ/नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं) *	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

* सिद्धांत 2 "उत्पाद जीवन चक्र निरंतरता" और सिद्धांत 7 "पॉलिसी एडवोकेसी" के संबंध में, भले ही कंपनी के पास बोर्ड से मंज़ूर पॉलिसी न हो, लेकिन वह पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ इन दोनों सिद्धांतों पर आधारित स्थापित तौर-तरीकों का पालन करती है।

भाग C: सिद्धांतों के आधार पर निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

अनिवार्य संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी विषय पर प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से कवरेज का प्रतिशत

बीएचईएल अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए कई ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आवश्यकता के आधार पर तैयार किए जाते हैं और इनमें अनेक विषय सम्मिलित होते हैं (जो किसी न किसी रुप में 9 सिद्धांतों पर आधारित होते हैं)।

खंड	आयोजित ट्रेनिंग और जागरुकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	ट्रेनिंग में सम्मिलित विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरुकता कार्यक्रमों में सम्मिलित संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	7	उत्पादन तकनीक और उत्पादन योजना, नेतृत्व, वित्त, रणनीतिक प्रबंधन, आर्बिट्रेशन, डीपीई दिशानिर्देश, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लेखा-परीक्षा	50%
मुख्य प्रबंधकीय कर्मी	4	रणनीति और नेतृत्व, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लेखा-परीक्षा, डीपीई दिशा-निर्देश	43%
कर्मचारी# (निदेशकों और KMP को छोड़कर)	2620	9 सिद्धांतों के अनुसार तकनीकी, कार्यात्मक, संरक्षा, प्रबंधन और व्यवहार से संबंधित विषय	68.83%
कामगार@	645		45.10%

नोट: प्रतिशत की गणना के लिए, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निदेशक मंडल और केएमपी की संख्या को नियुक्तियों और पद छोड़ने वालों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। यह संख्या उन सभी निदेशकों और केएमपी की कुल संख्या पर आधारित है जिन्होंने रिपोर्टिंग अवधि के किसी भी अंतराल में पद संभाला था।

इसमें बीएचईएल के स्थायी कर्मचारी और कामगार शामिल हैं।
@ इसमें बीएचईएल के स्थायी कामगार शामिल हैं।

2. वित्तीय वर्ष में रेगुलेटर/कानून लागू करने वाली एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही में (कंपनी या निदेशक/केएमपी द्वारा) भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/सज़ा/अवार्ड/शमन शुल्क/समझौता राशि का विवरण नीचे दिए गए प्रारुप में दें (नोट: कंपनी सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र ऑब्लिगेशन्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 में बताई गई महतता के आधार पर और कंपनी की वेबसाइट पर बताई गई जानकारी के अनुसार घोषणा करेगी):

वित्तीय*					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के नाम	राशि (रु.)	केस का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील दायर की गई है? (हाँ/नहीं)
जुर्माना	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य
कम्पाउंडिंग शुल्क	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य

गैर-वित्तीय				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के नाम	केस का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील दायर की गई? (हाँ / नहीं)
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*नोट: इसमें प्रत्यापत्ति के रूप में जमा किया गया कोई भी टैक्स सम्मिलित नहीं है अर्थात अपील दायर करने से पहले अनिवार्य रुप से जमा की जाने वाली राशि। इसे जुर्माना/दंड/सज़ा/अवार्ड/शमन शुल्क या निपटान की रकम के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है, क्योंकि अपील के परिणाम के आधार पर ऐसी जमा राशि कंपनी को वापस की जा सकती है।

3. ऊपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए मामलों में से उन मामलों में दायर अपील/पुनरीक्षण का विवरण जिनमें मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के विरुद्ध अपील की गई है -

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
लागू नहीं	लागू नहीं

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी-रोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

जी हाँ, बीएचईएल के पास भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की समस्या के समाधान हेतु 'व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी' (Whistle Blower Policy) है, जोकि https://www.bhel.com/whistle-blower-policy पर उपलब्ध है। अपने कर्मचारियों में (स्थायी आदेशों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त) आचरण का उच्च मानक स्थापित करने के बीएचईएल के निरंतर प्रयासों के तहत, 'बीएचईएल आचरण, अनुशासन और अपील नियम-1975' (BHEL 'Conduct, Discipline and Appeal Rules-1975') लागू है। https://bhel.com/sites/default/files/ CDA%20Rules_0.pdf

कंपनी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, वैधानिक ऑडिट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी ऑडिट के दायरे में आती है।

इसके अतिरिक्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रबंधन के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, बीएचईएल में सतर्कता गतिविधियों का प्रमुख होता है। बीएचईएल की प्रत्येक विनिर्माण इकाई और पावर सेक्टर क्षेत्र में एक सतर्कता व्यवस्था है, जिसका नेतृत्व एक सतर्कता अधिकारी करता है जो सीवीओ को रिपोर्ट करता है। बीएचईएल ने 'इंटीग्रिटी पैक्ट' को अपनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि विक्रेताओं और ग्राहकों दोनों को नैतिक आचरण के साथ बांधकर खरीद और अनुबंध दोनों को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके।

बीएचईएल में 'इंटीग्रिटी पैक्ट' को लागू करने की निगरानी के लिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) की मंज़ूरी से तीन (03) स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (IEMs) नियुक्त किए गए हैं। IEMs के बारे में जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है।

https://www.bhel.com/iems-under-integrity-pact-1

इसके अलावा, भारत सरकार (GoI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीवीसी सतर्कता प्रशासन की देखरेख करता है और विजिलेंस मैनुअल बनाता और अपडेट करता है। यह मैनुअल भ्रष्टाचार-रोधी उपायों सहित सतर्कता प्रशासन के लिए एक व्यापक निदेशिका का काम करता है और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीएचईएल सहित स्वायत्त निकायों पर लागू होता है।

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/ भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई* की गई:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
निदेशक	0	0
केएमपी	0	0
कर्मचारी	8**	1
कामगार	0	0

*आम तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई बीएचईएल द्वारा की जाती है, न कि कानून लागू करने वाली एजेंसी द्वारा। इसे ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध कराए गए विवरण में वर्तमान और पूर्व कर्मचारी शामिल हैं, जिनके विरुद्ध रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने नियमित मामले दर्ज किए हैं।

**इसमें तीन पूर्व कर्मचारी शामिल हैं (दो सेवा-निवृत्त हो चुके हैं और एक की सेवाएं समाप्त की गई हैं)।

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	--	0	--
केएमपी (निदेशकों के अतिरिक्त) के हितों के टकराव से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	--	0	--

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में रेगुलेटर/कानून लागू करने वाली एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा लगाए गए जुर्माने या की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या वर्तमान में जारी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें-

अनुशासनात्मक कार्रवाई वाले मामलों में, संबंधित कार्यात्मक प्रमुखों को उचित शुरुआती परामर्श और सिस्टम में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे।

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों के दिनों की संख्या ((अकाउंट्स पेयबल * 365) / खरीदे गए सामान/सेवाओं की लागत)

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
देय खाते x 365 दिन	₹4,31,97,89,60,00,000	₹4,27,47,74,15,00,000
क्रय की गई सामग्री/सेवाओं की लागत (वर्क्स सहित)	₹ 2,62,46,00,00,000	₹ 2,13,15,00,00,000
देय खातों के दिनों की संख्या	165	201

9. **व्यवसायिक पारदर्शिता: व्यापारिक संस्थान, डीलरों और संबंधित पक्षधारों के साथ ऋण और अग्रिम एवं निवेश सहित क्रय एवं विक्रय का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
क्रय संयोजन	ए. i) व्यापारिक संस्थान से क्रय (₹)	0	0
	ii) कुल क्रय (₹)	1,96,20,00,00,000	1,47,16,00,00,000
	iii) कुल क्रय में व्यापारिक संस्थान से क्रय का %	0%	0%
	बी. व्यापारिक संस्थान की संख्या जहाँ से क्रय की गई	0	0
	सी. i) 10 शीर्ष व्यापारिक संस्थान से क्रय (₹)	0	0
	ii) व्यापारिक संस्थान से कुल क्रय (₹)	0	0
	iii) व्यापारिक संस्थान से कुल क्रय में 10 शीर्ष व्यापारिक संस्थान से क्रय का %	0%	0%
विक्रय संयोजन	ए. i) डीलर/वितरकों को विक्रय (₹)	0	0
	ii) कुल विक्रय (₹)	3,23,59,83,00,000	2,73,55,17,00,000
	iii) कुल विक्रय के % के रूप में डीलर/वितरक को विक्रय	0%	0%
	बी. डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें विक्रय की जाती है	0	0
	सी. i) शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को विक्रय (₹)	0	0
	ii) डीलर/वितरकों को कुल विक्रय (₹)	0	0
	iii) डीलर/वितरक को कुल विक्रय के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को विक्रय	0%	0%
आरपीटी की भागीदारी	ए. i) क्रय (संबंधित पार्टियों से क्रय) (₹)	2,04,00,000	1,49,00,000
	ii) कुल क्रय (₹)	2,62,46,00,00,000	2,13,15,00,00,000
	iii) कुल क्रय के % के रूप में संबंधित पार्टियों से क्रय	0.01%	0.01%
	बी. i) विक्रय (संबंधित पार्टियों को विक्रय) (₹)	3,65,90,00,000	3,29,89,00,000
	ii) कुल विक्रय (₹)	3,23,59,83,00,000	2,73,55,17,00,000
	iii) कुल विक्रय के % के रूप में संबंधित पार्टियों को विक्रय	1.13%	1.21%
	सी. i) संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम राशि (₹)	6,00,000	16,00,000
	ii) कुल ऋण एवं अग्रिम (₹)	37,41,00,00,000	31,90,00,00,000
	iii) दिए गए कुल ऋण एवं अग्रिम राशि के % के रूप में संबंधित पार्टियों को दी गई ऋण एवं अग्रिम राशि	0.00%	0.01%
	डी. i) संबंधित पार्टियों में निवेश (₹)	4,87,00,000	5,29,49,000
	ii) कुल निवेश (₹)	4,87,00,000	5,29,49,000
	iii) कुल निवेश के % के रूप में संबंधित पार्टियों में निवेश	100%	100%

*नोट: क्रय संयोजन के अंतर्गत कुल क्रय केवल सामग्री और सेवाओं से संबंधित हैं (वर्क्स के अतिरिक्त)।

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरुकता कार्यक्रम:**

आयोजित किए गए जागरुकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय / सिद्धांत	जागरुकता कार्यक्रमों में शामिल मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
48	1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर जागरुकता - MSEs के लिए आदेश (MSME मंत्रालय-भारत सरकार द्वारा जारी) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) तथा महिलाओं के स्वामित्व वाले MSEs पर विशेष कार्यक्रम 2. स्थानीय स्रोतों की पहचान करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उद्योग के साथ यूनिट स्तर और कॉर्पोरेट स्तर पर बीएचईएल संवाद 3. ऑनलाइन आपूर्तिकर्ता पंजीकरण पोर्टल 4. गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) 5. बीएचईएल अनुबंध की सामान्य शर्तें 6. मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर जागरुकता (DPIIT द्वारा जारी) 7. सुविधा - भुगतान, शिकायतें, अनुभव प्रमाण पत्र	28%

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) से बचने/उन्हें प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उनका विवरण प्रदान करें।

हाँ। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विस्तृत प्रावधान हैं, जिनके तहत बोर्ड के निदेशकों के लिए किसी भी कंपनी(यों)/ कॉर्पोरेट निकायों/ फर्मों/व्यक्तियों के अन्य संघों में अपने सरोकार या हित (उनकी शेयरधारिता सहित) का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है। यह प्रकटीकरण समय-समय पर और साथ ही पहले किए गए प्रकटीकरणों में कोई भी बदलाव होने पर किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में, निदेशक बोर्ड को एक प्रमाण पत्र भी सौंपते हैं जिसमें यह उल्लेख होता है कि उनके सरोकार/हित के कारण कंपनी के व्यवसाय के संबंध में उनका कोई हितों का टकराव नहीं है, और जब भी ऐसा कोई टकराव/हित उत्पन्न होगा, वे तुरंत बोर्ड को इसकी सूचना देंगे।

इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड ने 'सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' को मंज़ूरी दी है। इस संहिता में शामिल हैं: (i) सामान्य नैतिक अनिवार्यताएँ, (ii) विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ, और (iii) बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए विशिष्ट अतिरिक्त प्रावधान। इसके अतिरिक्त, बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा बोर्ड को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए, बोर्ड ने 'निदेशक मंडल का चार्टर' तैयार किया है।

बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने या उन्हें प्रबंधित करने के लिए लागू इन प्रक्रियाओं के अलावा, बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है, जैसे कि उनकी स्वतंत्रता की घोषणा जमा करना (यानी, वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं, जो वर्तमान में मौजूद हो या जिसकी यथोचित रुप से आशंका हो, जो बिना किसी बाहरी प्रभाव के एक निष्पक्ष स्वतंत्र निर्णय के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की उनकी क्षमता को बाधित या प्रभावित कर सकती हो) और कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV का अनुपालन करना, जो मुख्य रुप से स्वतंत्र निदेशकों के लिए (i) व्यावसायिक आचरण के दिशानिर्देश (ii) भूमिका और कार्य तथा (iii) कर्तव्यों का प्रावधान करती है।

सिद्धांत 2: उत्पाद जीवनचक्र की सततता

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत, कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में क्रमशः इकाई द्वारा किया गया निवेश :

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	0.25%	1.59%	पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं शुरु की गईं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं: 1. फोटोवोल्टिक पैनल अपशिष्ट प्रबंधन, 2. 700 मेगावाट परमाणु संयंत्र में विकास 3. स्वच्छ ऊर्जा के लिए परमाणु संयंत्र का नियंत्रण और उपकरण 4. अग्रिम श्रेणी ब्लेडिंग के साथ एलपी मॉड्यूल का कुशल संस्करण। 5. ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए सिंक्रोनस कंडेनसर के फ्लाईव्हील का डिजाइन 6. ई- अपशिष्ट
कैपेक्स	5.96%	4.89%	मुख्य रूप से बीएचईएल त्रिची में रि-गैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, बीएचईएल हैदराबाद में 20 टीपीएच बॉयलर, बीएचईएल हरिद्वार में 30 टी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) आदि की स्थापना की जाएगी।

2. ए. क्या संस्था के पास सतत सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं ? (हाँ / नहीं)

बी. यदि हाँ, तो टिकाऊ रूप से कितने प्रतिशत इनपुट प्राप्त किए गए थे ?

हाँ, हमारे 100% इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए जाते हैं।

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-अपशिष्ट (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट को पुन: उपयोग, रीसाइकल और अंत में निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का विवरण दें ।

बीएचईएल के उत्पाद पोर्टफोलियो में मुख्यतः दीर्घ जीवनचक्र (आमतौर पर 25 वर्ष या उससे अधिक) वाले पूंजीगत उपकरण शामिल हैं। इन परिसंपत्तियों का स्वामित्व स्थापना एवं सफल कमीशनिंग के पश्चात ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। उत्पादों के जीवनचक्र के अंतिम चरण के लिए बीएचईएल की रणनीति उनके उपयोगी जीवन को पुनर्नवीनीकरण (Refurbishment) तथा नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सेवाओं के माध्यम से बढ़ाने पर केंद्रित है। जब उत्पाद अपने कार्यात्मक जीवन की समाप्ति पर पहुँच जाते हैं, तब उनका स्क्रैप के रूप में निपटान संबंधित स्वामी/ग्राहक द्वारा किया जाता है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दें।

नहीं, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) वर्तमान में बीएचईएल की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नहीं है क्योंकि बीएचईएल का व्यवसाय मॉडल बी2बी है, जिसमें दीर्घकालिक जीवनचक्र पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया गया है जहां स्वामित्व ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा अपनी किसी सेवा (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवनचक्र परिप्रेक्ष्य/जीवनचक्र आकलन (LCA) किया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

नहीं, कंपनी ने उत्पादों के लिए जीवन चक्र आकलन नहीं किया है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो संक्षेप में उसी का वर्णन करें और साथ ही उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की गई सामग्री का प्रतिशत।

कंपनी विनिर्माण स्क्रैप की वसूली को प्राथमिकता देकर 3R सिद्धांत (कम करना, पुन: उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना) को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। धातु के स्क्रैप को पुन: उपयोग करने और उत्पादन के लिए फाउंड्री रेत जैसी सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके, बीएचईएल प्रभावी रूप से वर्जिन संसाधनों की खपत को कम करता है। जबकि ये 3R अभ्यास हमारे संचालन के अभिन्न अंग हैं, पुन: उपयोग किए गए या पुनर्चक्रित इनपुट का वित्तीय मूल्य वर्तमान में एक अलग लेखांकन लाइन आइटम के रूप में ट्रैक नहीं किया जाता है।

4. **उत्पादों तथा उनकी पैकेजिंग के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर वापस प्राप्त सामग्री में से पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें:**

लागू नहीं। क्योंकि बीएचईएल का व्यवसाय मॉडल बी2बी है, जिसमें दीर्घकालिक जीवनचक्र पूंजीगत वस्तुएं शामिल हैं जहां स्वामित्व ग्राहक को हस्तांतरित होता है। नतीजतन, जीवन के अंत का पुनरुद्धार संपत्ति के मालिक की जिम्मेदारी है। बीएचईएल उत्पाद जीवन को बढ़ाने के लिए आर एंड एम सेवाओं के माध्यम से इस चरण का समर्थन करता है, जिससे निपटान की आवश्यकता में देरी होती है।

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (विक्रीत उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।**

लागू नहीं क्योंकि बीएचईएल बहु-दशकीय उत्पाद जीवनचक्र के साथ बी2बी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में काम करता है, कंपनी द्वारा अपने जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों की मात्रा वर्तमान में नगण्य है। पृष्ठ 2, ईआई, प्रश्न संख्या 3 देखें।

सिद्धांत 3: कर्मचारी कल्याण

आवश्यक संकेतक

1. **ए. कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपायों का विवरण:**

श्रेणी	कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व सुविधाएँ		पितृत्व सुविधाएँ		डे केयर सुविधाएँ	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	25693	25693	100%	25693	100%	--	--	25693	100%	25693	100%
स्त्री	1591	1591	100%	1591	100%	1591	100%	--	--	1591	100%
अन्य	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
कुल	27284	27284	100%	27284	100%	1591	5.83%	25693	94.17%	27284	100%
स्थायी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी											
पुरुष	20673	20634	99.81%	20673	100%	--	--	0	0%	0	0%
स्त्री	2067	2063	99.81%	2067	100%	2057	99.52%	--	--	2057	99.52%
अन्य	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
कुल	22740	22697	99.81%	22740	100%	2057	9.05%	0	0%	2057	9.05%

बी. श्रमिकों के कल्याण के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व सुविधाएँ		पितृत्व सुविधाएँ		डे केयर सुविधाएँ	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी / ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	12200	12200	100%	12200	100%	--	--	12200	100%	12200	100%
स्त्री	300	300	100%	300	100%	300	100%	--	--	300	100%
अन्य	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
कुल	12500	12500	100%	12500	100%	300	2.40%	12200	97.60%	12500	100%
स्थायी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी											
पुरुष	20524	20499	99.88%	20524	100%	--	--	0	0.00%	0	0.00%
स्त्री	2057	2057	100%	2057	100%	2057	100%	--	--	294	14.29%
अन्य	0	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--
कुल	22581	22556	99.89%	22581	100%	2057	9.11%	0	0.00%	294	1.30%

नोट: बीएचईएल अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भी अपने कर्मचारियों/जीवनसाथी को दी जाती है। बीएचईएल के विनिर्माण संयंत्रों सहित कई परिसरों में डे केयर सुविधा भी दी जाती है। 'स्थायी कर्मचारियों के अलावा' के मामले में, बीमा कार्य अनुबंध में अंतर्निहित है।

सी. कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी से अन्य) के हितार्थ उपायों पर किए गए व्यय के विवरण का प्रारुप :

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
i) कल्याण उपायों पर खर्च की गई लागत (कल्याण उपायों का अर्थ है कर्मचारियों और कामगारों का कल्याण (पुरुष, महिला, स्थायी और स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के अलावा अन्य सहित)	₹1,90,43,00,000	₹1,76,75,00,000
ii) कंपनी का कुल राजस्व	₹3,37,82,18,00,000	₹2,83,39,48,00,000
iii) कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याण उपायों पर खर्च की गई लागत	0.56%	0.62%

नोट: कुल राजस्व का प्रकटीकरण परिचालन से राजस्व (अन्य आय को छोड़कर) है। तदनुसार, बीआरएसआर दिशानिर्देशों के अनुरुप कंपनी के कुल राजस्व से अन्य आय को पृथक करने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभों का विवरण।

हितलाभ	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रुप में कवर किए कर्मचारियों की संख्या*	कुल कामगारों# के प्रतिशत के रुप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा किया गया। (जी हां / नहीं / लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रुप में कवर किए कर्मचारियों की संख्या*	कुल कामगारों# के प्रतिशत के रुप में कवर किए गए कामगारों की संख्या	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा किया गया। (जी हां / नहीं / लागू नहीं)
भविष्य निधि	100%	100%	जी हां	100%	100%	जी हां
ग्रेच्यूटी	100%	100%	जी हां	100%	100%	जी हां
ईएसआई @	-	-	-	-	-	-
अन्य (बीएचईएल पेंशन योजना)	100%	100%	लागू नहीं	100%	100%	लागू नहीं
अन्य (बीएचईएल चिकित्सा सुविधाएं)	100%	100%	लागू नहीं	100%	100%	लागू नहीं

*इसमें केवल स्थायी कर्मचारी (स्थायी कामगार सहित) शामिल हैं। "स्थायी से इतर" कर्मचारियों के लिए, सभी वैधानिक आवश्यकताएं उनके संबंधित ठेकेदारों द्वारा पूरी की जाती हैं।

#इसमें केवल स्थायी कामगार शामिल हैं। "स्थायी से इतर" श्रमिकों के लिए, सभी वैधानिक आवश्यकताएं उनके संबंधित ठेकेदारों द्वारा पूरी की जाती हैं।

@ईएसआई लागू नहीं है। बीएचईएल के कोई भी स्थायी कर्मचारी ईएसआई अधिनियम के पात्रता मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

3. कार्यस्थल तक पहुँच

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है।

हां, बीएचईएल के परिसर और कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं। संरचनात्मक संशोधन और अन्य परिवर्तन (नीतियां, आदि में) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं।

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

नहीं, इकाई के पास समान अवसर नीति नहीं है।

5. मातृत्व/पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों एवं कामगारों की कार्य पर वापसी तथा सेवा में प्रतिधारण की दर।

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
लिंग	**कार्य पर वापसी की दर**	**प्रतिधारण दर**	**कार्य पर वापसी की दर**	**प्रतिधारण दर**
पुरुष	100%	100%	100%	100%
स्त्री	100%	100%	100%	100%
अन्य	--	--	--	--
कुल	100%	100%	100%	100%

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का विवरण संक्षेप में दें)
स्थायी कामगार	जी हाँ
स्थायी कामगारों के अलावा अन्य कामगार	जी हाँ
स्थायी कर्मचारी	जी हाँ
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी	जी हाँ

कंपनी में शिकायत निवारण हेतु सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित है, जिसके अंतर्गत दो पृथक योजनाएँ संचालित हैं—एक कामगारों के लिए तथा दूसरी स्टाफ एवं अधिकारियों के लिए। इन योजनाओं के अंतर्गत शिकायत से आशय किसी व्यक्तिगत कर्मचारी की ऐसी शिकायत से है, जो कंपनी की नीतियों/नियमों अथवा प्रबंधन के निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होती है। दोनों योजनाओं में शिकायतों के समाधान के लिए तीन स्तरीय निवारण व्यवस्था का प्रावधान है तथा प्रत्येक स्तर पर शिकायत के निस्तारण के लिए निर्धारित समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, स्टाफ एवं अधिकारियों के लिए लागू शिकायत निवारण योजना में अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपील कर सकता/सकती है। स्थायी कर्मचारियों/कामगारों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों/कामगारों की शिकायतों का निस्तारण प्रत्येक मामले के आधार पर अथवा आवश्यकता अनुसार संबंधित ठेकेदार के माध्यम से किया जाता है।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ श्रमिक (ए)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या संघ का हिस्सा हैं (बी)	% (बी / ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक (सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या संघ का हिस्सा हैं (डी)	% (डी / सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	27284	27284	100.00%	27800	27800	100.00%
- पुरुष	25693	25693	100.00%	26183	26183	100.00%
- महिला	1591	1591	100.00%	1617	1617	100.00%
- अन्य	0	0	--	0	0	--
कुल स्थायी कामगार	12500	12500	100.00%	13332	13332	100.00%
- पुरुष	12200	12200	100.00%	12999	12999	100.00%
- महिला	300	300	100.00%	333	333	100.00%
- अन्य	0	0	--	0	0	--

बीएचईएल के पास शीर्ष स्तर के द्विपक्षीय निकाय में 29 सहभागी ट्रेड यूनियन हैं, अर्थात् सहभागी प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर श्रमिकों और कंपनी के हित से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त समिति।

कर्मचारियों की सभी तीन श्रेणियाँ, अर्थात् कार्यपालक, पर्यवेक्षक तथा कामगार, अपने-अपने संघों/ एसोसिएशनों अथवा श्रमिक संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त करती हैं। तथापि कार्यपालक एवं पर्यवेक्षक संघों तथा कामगार यूनियनों की सटीक सदस्य संख्या का सत्यापन करने हेतु चेक-ऑफ सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी सदस्यता की निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है।

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26					वित्तीय वर्ष 2024-25				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों से संबंधित		कौशल उन्नयन से संबंधित		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों से संबंधित		कौशल उन्नयन से संबंधित	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
पुरुष	25693	6464	25.16%	15943	62.05%	26183	3845	14.69%	12794	48.86%
महिला	1591	735	46.20%	1347	84.66%	1617	394	24.37%	1071	66.23%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
कुल	**27284**	**7199**	**26.39%**	**17290**	**63.37%**	**27800**	**4239**	**15.25%**	**13865**	**49.87%**
कामगार										
पुरुष	12200	2133	17.48%	4425	36.27%	12999	1614	12.42%	4072	31.33%
महिला	300	121	40.33%	174	58.00%	333	104	31.23%	152	45.65%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
कुल	**12500**	**2254**	**18.03%**	**4599**	**36.79%**	**13332**	**1718**	**12.89%**	**4224**	**31.68%**

नोट: केवल स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों पर विचार किया गया हैं।

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के निष्पादन और करियर विकास समीक्षाओं का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	संख्या (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	25693	25051	97.50%	26183	26055	99.51%
महिला	1591	1517	95.35%	1617	1575	97.40%
अन्य	0	0	--	0	0	--
कुल	**27284**	**26568**	**97.38%**	**27800**	**27630**	**99.39%**
कामगार						
पुरुष	12200	12113	99.29%	12999	12811	98.55%
महिला	300	300	100%	333	304	91.29%
अन्य	0	0	--	0	0	--
कुल	**12500**	**12413**	**99.30%**	**13332**	**13115**	**98.37%**

नोट: केवल स्थायी कर्मचारियों और कामगारों पर विचार किया गया है ।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज?

हाँ, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) पूरे संगठन में लागू की गई है। यह प्रणाली हमारे सभी विनिर्माण इकाइयों, पावर सेक्टर क्षेत्रों और प्रभागों पर लागू होती है, जिसमें बीएचईएल के साथ और उसके लिए काम करने वाले सभी कर्मचारी शामिल हैं।

बी. इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है?

कंपनी नियमित और गैर-नियमित दोनों आधारों पर कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए मजबूत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बनाए रखती है। मुख्य उदाहरणों में शामिल हैं:

एचआईआरए (खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन) - सभी कार्यस्थलों में मानक अभ्यास के रूप में लागू, एचआईआरए विभागीय स्तर पर प्रत्येक प्रक्रिया या गतिविधि के लिए खतरों और संबंधित जोखिमों की व्यवस्थित रुप से पहचान करता है, जिसमें पूर्ण कर्मचारी भागीदारी होती है। एचआईआरए की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और किसी भी प्रक्रिया परिवर्तन पर तुरंत संशोधन किया जाता है।

जेएसए (कार्य सुरक्षा विश्लेषण) - उच्च दुर्घटना संभाव्यता वाले अनुरक्षण तथा आवर्ती कार्यों के लिए कार्य सुरक्षा विश्लेषण (JSA) के माध्यम से योजना चरण में ही संभावित जोखिमों का विश्लेषण किया जाता है तथा उपयुक्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाते हैं। निर्धारित प्रक्रियाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि जेएसए उन कार्यों के लिए किया जाए जिनका चयन दुर्घटनाओं की आवृत्ति, संभावित चोट की गंभीरता अथवा नए कार्यों से संबंधित अनिश्चितताओं के आधार पर किया गया हो। प्रत्येक कार्य को क्रमिक चरणों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक चरण में संभावित जोखिमों की पहचान की जाती है तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उन जोखिमों को समाप्त करने या नियंत्रित करने की उपयुक्त रणनीतियाँ विकसित की जाती हैं।

कार्य-विधि विवरण (Method Statement): यह दस्तावेज़ किसी विशिष्ट कार्य अथवा परियोजना के सुरक्षित निष्पादन की प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करता है तथा उससे संबंधित सभी व्यक्तियों को आवश्यक सावधानियों एवं नियंत्रण उपायों की जानकारी प्रदान करता है। यह इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान कर ली गई है तथा स्थापित सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से उनके प्रभावी नियंत्रण एवं न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

सी. क्या कार्य से संबंधित जोखिमों की रिपोर्ट करने तथा ऐसे जोखिमों से स्वयं को सुरक्षित रूप से अलग करने के लिए कामगारों हेतु निर्धारित प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं)

हां, बीएचईएल कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों को 'एचएसई ऑब्जर्वर' मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से खतरों की रिपोर्ट करने का अधिकार है, जो असुरक्षित कृत्यों, स्थितियों, घटनाओं और निकट-मिस की वास्तविक समय में प्रस्तुति की अनुमति देता है। बीएचईएल अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन हो। यदि कार्मिकों को कोई गंभीर सुरक्षा उल्लंघन दिखाई देता है तो वे मुद्दे का संबंधित निष्पादन समूह द्वारा समाधान होने तक तथा सुरक्षा टीम द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने तक काम रोक सकते हैं।

डी. क्या इकाई के कर्मचारियों/श्रमिकों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

हां, कर्मचारियों और श्रमिकों की बीएचईएल-संचालित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और ईसीएचएस जैसे सूचीबद्ध बाहरी प्रदाताओं दोनों के माध्यम से व्यापक गैर-व्यावसायिक चिकित्सा देखभाल तक पहुंच है। बीएचईएल यह सुनिश्चित करता है कि चिकित्सा सहायता दूरस्थ परियोजना स्थलों पर भी उपलब्ध है, जिसमें कंपनी की नीति के अनुसार लागत शामिल है।

11. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का विवरण, प्रारुप में:

सुरक्षा घटना / संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (LTIFR) (प्रति दस लाख श्रम-घंटे कार्य पर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0.414	0.427
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	0
	कामगार	42	43
मृत्यु की संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	2	0
उच्च परिणाम वाले कार्य-संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	42	43

नोट: सुरक्षा सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए, बीएचईएल इकाइयों के भीतर काम करने वाले सभी कर्मियों (नियमित कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों सहित) को 'श्रमिकों' की श्रेणी में शामिल किया गया है।

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

बीएचईएल कर्मचारियों और सहयोगी संस्थाओं के कर्मियों को प्रमुख हितधारक के रूप में देखता है, व्यावसायिक सफलता के लिए उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देता है। सुरक्षा-केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देते हुए कंपनी अपने कार्यबल के लिए "शून्य नुकसान" प्राप्त करने के लिए लगातार प्रणालियों, नीतियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करती है।

बीएचईएल में संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सुरक्षा समीक्षाओं, कार्य परमिट प्रणालियों, हीरा, जेएसए, मेगा टूलबॉक्स वार्ता, और आंतरिक/बाहरी ऑडिट के माध्यम से सभी स्तरों पर सुरक्षा मूल्यों को शामिल किया गया है। एचएसई अभियानों ने जागरुकता को काफी बढ़ावा दिया है, जिसमें बीएचईएल सुरक्षा पखवाड़ा- 2025-26 (4-17 मार्च, 2026), बीएचईएल पर्यावरण जागरुकता माह-2025-26 (5 जून-4 जुलाई, 2025), स्वच्छता पखवाड़ा-2025-26 (16-31 अगस्त, 2025), और विशेष अभियान 5.0 (2-31 अक्टूबर, 2025)। इन अभियानों में अभिनव सुरक्षा गतिविधियों और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर-इकाई प्रतियोगिताएं शामिल थीं।

ये सभी प्रयास कार्मिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए बीएचईएल की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

13. मदों पर कर्मचारियों और श्रमिकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

सुविधाएं	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर की गई	वर्ष के अंत में समाधान लंबित	टिप्पणी
कार्य स्थितियाँ	0	0	-	0	0	-
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	-	0	0	-

सभी बीएचईएल परिसरों में असुरक्षित स्थितियों के पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिए सिस्टम स्थापित हैं। संबंधित विभागों द्वारा प्रबंधित निरंतर निगरानी और समाधान प्रक्रिया के माध्यम से इन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाता है।

14. वर्ष के लिए आकलन:

आकलन	आपके प्लांट तथा कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	100%
कार्य करने की स्थितियाँ	100%

15. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी आकलनों तथा कार्य परिस्थितियों से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं (यदि कोई हों) को दूर करने के लिए की गई या प्रगति पर चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें।

बीएचईएल में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा ऑडिट की एक सुदृढ़ प्रणाली लागू है। पहचानी गई किसी भी कमी को सुधारात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से दूर किया जाता है तथा सभी बड़ी घटनाओं के लिए अनिवार्य मूल कारण विश्लेषण (RCA) किया जाता है। इन निष्कर्षों के आधार पर सभी परिसरों में सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सुधार चक्र को आगे बढ़ाया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (ए) कर्मचारियों और (बी) कामगारों की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है? (हाँ/नहीं) (ए) कर्मचारी (हाँ/नहीं) (बी) कामगार (हाँ/नहीं)

हां, बीएचईएल कर्मचारियों और श्रमिकों दोनों की मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा या क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करता है।

2. मूल्य श्रृंखला भागीदारों से वैधानिक देयों की कटौती और उनके जमा किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु इकाई द्वारा किए गए उपायों का विवरण प्रदान करें।

बीएचईएल के मूल्य श्रृंखला भागीदार कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत वे वैधानिक देयताओं के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं। बीएचईएल और सेवा प्रदाता के बीच किए गए सेवा अनुबंध में पीएफ, ईएसआई आदि जैसे आवश्यक वैधानिक भुगतानों के लिए 'भुगतान की शर्तें' संबंधी प्रावधान शामिल होते हैं।

3. उच्च गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधित चोट/अस्वस्थता/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किया गया है) से प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों में से कितनों का पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में नियुक्त किया गया है, अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार प्रदान किया गया है — उनकी संख्या बताइए।

श्रेणी	प्रभावित कर्मचारियों / कामगार वर्ग की कुल संख्या		कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया और उपयुक्त रोजगार में रखा गया या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कर्मचारी	0	0	0	0
कामगार	42	43	0	0

नोट: सुरक्षा सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए, बीएचईएल इकाइयों के भीतर काम करने वाले सभी कर्मियों (नियमित कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों सहित) को 'श्रमिकों' की श्रेणी में शामिल किया गया है।

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरुप निरंतर रोजगार क्षमता और कैरियर समाप्ति के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

हाँ, बीएचईएल सेवानिवृत्ति या समाप्ति के परिणामस्वरुप निरंतर रोजगार और करियर समाप्ति के प्रबंधन की सुविधा के लिए परिवर्तन सहायता प्रदान करता है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

आकलन	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) का आकलन किया गया था
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	100%
कार्य करने की स्थितियाँ	100%

6. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण जोखिम सामने नहीं आया है।

सिद्धांत 4: हितधारक प्रतिभागिता

आवश्यक संकेतक

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हितधारक वे व्यक्ति या समूह हैं जो वर्तमान या भविष्य में बीएचईएल की गतिविधियों से संबंधित, उनमें रुचि रखने वाले अथवा उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं तथा जिन पर बीएचईएल की गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है या जो स्वयं भी बीएचईएल को प्रभावित करते हैं। एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, बीएचईएल ने अपने अंशधारकों (शेयरधारकों) को कंपनी के प्रमुख हितधारकों में से एक के रूप में चिह्नित किया है। इसके अतिरिक्त, खरीद (प्रोक्योरमेंट) से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं अथवा मूल्य श्रृंखला साझेदारों को भी हितधारक माना गया है, जिनकी पहचान पंजीकरण प्रक्रिया तथा खुली निविदाओं में निर्धारित पूर्व-अर्हता (Pre-qualification) आवश्यकताओं के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, ग्राहकों तथा कर्मचारियों को भी महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में चिह्नित किया गया है। बीएचईएल की इकाइयों में और इनके आसपास स्थित वे समुदाय, जो कंपनी के परिचालन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, उन्हें भी कंपनी के हितधारकों के रूप में माना जाता है।

2. **संस्थान द्वारा पहचाने गए प्रमुख हितधारक समूहों तथा प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति का उल्लेख करें।**

हितधारक समूह	क्या इसे कमजोर एवं वंचित समूह के रूप में पहचाना गया है? (हाँ/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, समुदाय, बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	प्रतिबद्धता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसी संबद्धता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित संबद्धता का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
शेयरहोल्डर	नहीं	ईमेल, समाचार पत्र विज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंजों और बीएचईएल वेबसाइट पर उपलब्ध प्रकटीकरण	हितधारकों के साथ सहभागिता त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक आधार पर की जाती है, साथ ही आवश्यकता होने पर भी संवाद स्थापित किया जाता है।	कंपनी को प्रभावित करने वाली सभी भौतिक घटनाएं और साथ ही सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण
आपूर्तिकर्ता	नहीं	ईमेल, विज्ञापन, विक्रेता बैठकें, वेबसाइट आदि।	आवश्यकता आधारित	आपूर्तिकर्ताओं को इस बारे में जागरुक करने के लिए: • सार्वजनिक खरीद नीति (मेक इन इंडिया और एमएसई को प्राथमिकता) • आयात प्रतिस्थापन • जीईएम पोर्टल पर जारी निविदाओं में भाग लेना • बीएचईएल के शिकायत निवारण पोर्टल, सुविधा पर शिकायत दर्ज करना और ट्रैक करना • बीएचईएल के गुणवत्ता उद्देश्य • यूनिफाइड सप्लायर्स पेमेंट्स पोर्टल (यूएसपीपी) पर भुगतान की स्थिति को ट्रैक करना

हितधारक समूह	क्या इसे कमजोर एवं वंचित समूह के रूप में पहचाना गया है? (हाँ/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, समुदाय, बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	प्रतिबद्धता की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसी संबद्धता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित संबद्धता का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
कर्मचारी	नहीं	ईमेल, मासिक न्यूज़लेटर, सूचना बोर्ड, इंट्रानेट वेबसाइट, शॉप फ्लोर, शॉप काउंसिल, प्लांट काउंसिल और संयुक्त परिषद की बैठकें, गूंज-कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण	नियमित रूप से	कर्मचारियों के साथ नेतृत्व की सहभागिता उन्हें प्रेरित करने तथा संगठन के भीतर सामुदायिक भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की जाती है। कर्मचारी नीति, प्रक्रियाओं, नवाचार, संगठनात्मक संरचना, वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षा आदि जैसे संगठन के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझावों के माध्यम से परिवर्तन के प्रेरक के रूप में योगदान देते हैं। कर्मचारी सहभागिता के प्रमुख कारकों की समय-समय पर समीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहक	नहीं	ईमेल, विज्ञापन, टेलीफोन कॉल, बैठकें, वेबसाइट आदि।	निरंतर	ग्राहक की जरुरतों का आकलन, उनकी आवश्यकताएं, व्यावसायिक पूछताछ, शिकायतों का समाधान आदि।
समुदाय	जी हाँ	सामुदायिक बैठकें	प्रत्येक विषय के आधार पर	परियोजना के प्रभाव का आकलन करने, अन्य स्थानों में समान पहलों को दोहराने के लिए प्रमुख सीख प्राप्त करने और आगे सुधार की गुंजाइश की पहचान करने के लिए।

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों पर हितधारकों और निदेशक मंडल के बीच परामर्श की प्रक्रिया का विवरण दें। यदि यह परामर्श किसी समिति या प्रबंधन को सौंपा गया है, तो ऐसे परामर्श से प्राप्त फीडबैक निदेशक मंडल तक किस प्रकार पहुँचाया जाता है, इसका भी उल्लेख करें।

कंपनी के निदेशक मंडल तक अपनी विचार पहुँचाने के लिए बीएचईएल के शेयरधारकों का सबसे महत्वपूर्ण मंच कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) है। इन बैठकों के दौरान शेयरधारक कंपनी के प्रदर्शन, रणनीतियों तथा भविष्य की संभावनाओं से संबंधित विभिन्न प्रश्न उठाते हैं, अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते हैं तथा कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव एवं फीडबैक प्रदान करते हैं। यह फीडबैक केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं होता, बल्कि आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों/क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सम्मिलित करता है।

इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को निदेशकों की नियुक्ति, लाभांश के भुगतान, संबंधित पक्ष के लेन-देन, लेखा परीक्षकों की फीस आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। इससे निदेशक मंडल के स्तर पर पारदर्शिता तथा सुशासन की प्रभावी स्थापना सुनिश्चित होती है। निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य वाली निविदाओं के मामले में, बीएचईएल की वैल्यू चेन के भागीदार स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों के साथ परामर्श कर सकते हैं। इन स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा की जाती है।

2. क्या पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों की पहचान तथा उनके प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों के साथ परामर्श/सुझावों का उपयोग किया जाता है? (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण दें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों को संस्था की नीतियों एवं गतिविधियों में किस प्रकार सम्मिलित किया गया है।

हाँ। हितधारकों ने बीएचईएल की विभिन्न पर्यावरण और सामाजिक पहलों का समर्थन किया है, जैसे कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशीकरण, बीएचईएल के कारखानों एवं परियोजना स्थलों पर सौर ऊर्जा के उपयोग तथा वर्षा जल संचयन क्षमता के विकास, महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण आदि में अपना महत्वपूर्ण सहयोग एवं सुझाव प्रदान किया है, जो हितधारकों के साथ बातचीत से मिले फीडबैक पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, कोल-टू-केमिकल बनाने जैसे नए बिज़नेस क्षेत्रों में कदम रखना।

3. वंचित/हाशिए पर स्थित (Vulnerable/Marginalized) हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत और उठाए गए कदमों का विवरण प्रदान करें।

समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु बीएचईएल स्थानीय एनजीओ द्वारा किए गए आधारभूत आर्वेक्षणों के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाएँ संचालित करता है और निधियों का आवंटन करता है। ये गैर-सरकारी संगठन सर्वेक्षण के दौरान समुदायों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं एवं चुनौतियों का आकलन करते हैं।

सिद्धांत-5: मानवाधिकार

आवश्यक संकेतक

1. **निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारियों एवं कामगारों का विवरण प्रदान करें, जिन्हें मानवाधिकार संबंधी मुद्दों तथा संस्था की मानवाधिकार नीतियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)	कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिन्हें शामिल किया गया है (बी)	% (बी / ए)	कुल (सी)	कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिन्हें शामिल किया गया है (डी)	% (डी / सी)
कर्मचारी						
स्थायी	27284	8461	31.01%	27800	5445	19.59%
स्थायी के अलावा	22740	1880	8.27%	20422	1321	6.47%
कुल कर्मचारी	50024	10341	20.67%	48222	6766	14.03%
कामगार						
स्थायी	12500	1999	15.99%	13332	2243	16.82%
स्थायी के अलावा	22581	1880	8.33%	20327	1321	6.50%
कुल श्रमिक	35081	3879	11.06%	33659	3564	10.59%

2. **कर्मचारियों और कामगारों को भुगतान की गई न्यूनतम वेतन का विवरण, नीचे दिए गए प्रारूप में दिया गया है:**

कुल श्रेणी (ए)	वित्तीय वर्ष 2025-26					वित्तीय वर्ष 2024- 25				
	कुल	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
	संख्या (ए)	संख्या (बी)	% (बी /ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)	संख्या (डी)	संख्या (ई)	% (ई /डी)	संख्या (एफ)	% (एफ/ डी)
कर्मचारी										
स्थायी	27284	0	0%	27284	100%	27800	0	0%	27800	100%
पुरुष	25693	0	0%	25693	100%	26183	0	0%	26183	100%
महिला	1591	0	0%	1591	100%	1617	0	0%	1617	100%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
स्थायी के अतिरिक्त (अन्य)	22740	10507	46.20%	12233	53.80%	20422	8752	42.86%	11670	57.14%
पुरुष	20673	9609	46.48%	11064	53.52%	18758	8101	43.19%	10657	56.81%
महिला	2067	898	43.44%	1169	56.56%	1664	651	39.12%	1013	60.88%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
कामगार										
स्थायी	12500	0	0%	12500	100%	13332	0	0%	13332	100%
पुरुष	12200	0	0%	12200	100%	12999	0	0%	12999	100%
महिला	300	0	0%	300	100%	333	0	0%	333	100%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--
स्थायी के अतिरिक्त (अन्य)	22581	10507	46.53%	12074	53.47%	20327	8752	43.06%	11575	56.94%
पुरुष	20524	9609	46.82%	10915	53.18%	18664	8101	43.40%	10563	56.60%
महिला	2057	898	43.66%	1159	56.34%	1663	651	39.15%	1012	60.85%
अन्य	0	0	--	0	--	0	0	--	0	--

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

ए. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी

बीएचईएल के कर्मचारियों एवं कामगारों की वेतन/मजदूरी संरचना, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल	4	₹72,12,288	1	₹76,30,270
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (निदेशक मंडल के अतिरिक्त)	1	₹57,32,813	0	0
निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के अतिरिक्त कर्मचारी	25688	₹17,71,607	1590	₹25,88,698
कामगार	12200	₹15,02,488	300	₹14,97,838

टिप्पणी: यह आँकड़े बीएचईएल के उन स्थायी कर्मचारियों से संबंधित हैं, जो 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार संस्था के कार्यरत कार्मिक थे।

बी. संस्था द्वारा महिलाओं को भुगतान की गई कुल मजदूरी, संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी का प्रतिशत है, इसका विवरण निम्नलिखित प्रारुप में दिया गया है:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024- 25
महिलाओं को भुगतान की गई कुल मजदूरी (₹)	₹4,25,95,83,829	₹4,08,48,17,799
कुल मजदूरी (₹)	₹60,11,37,15,971	₹57,77,59,26,057
महिलाओं को दी गई कुल मज़दूरी, सकल मज़दूरी के प्रतिशत के रूप में	7.09%	7.07%

4. क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति या समिति है जो बिज़नेस की वजह से होने वाले मानवाधिकारों पर असर या उनसे जुड़े मुद्दों को संभालने के लिए ज़िम्मेदार है? (हाँ/नहीं)

हाँ, बीएचईएल के हर परिसर में मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए शिकायत निवारण अधिकारी मौजूद हैं।

5. मानवाधिकार संबंधी मुद्दों से जुड़ी शिकायतों के निवारण हेतु उपलब्ध आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

मानवाधिकार संबंधी मुद्दों से जुड़ी शिकायतों के निवारण हेतु एक औपचारिक एवं सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। यह तंत्र तीन-स्तरीय समाधान प्रक्रिया का प्रावधान करता है। प्रथम स्तर पर नियंत्रक अधिकारी, द्वितीय स्तर पर विभागाध्यक्ष तथा तृतीय स्तर पर शिकायत निवारण समिति द्वारा शिकायतों का समाधान किया जाता है।

6. कर्मचारियों एवं कामगारों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024- 25	
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित
यौन उत्पीड़न	1	1	5	1
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0
बाल श्रम	0	0	0	0
बंधुआ मजदूरी / अनैच्छिक मजदूरी	0	0	0	0
वेतन	0	0	0	0
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	0	0	0	0

7. **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें:**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024- 25*
i) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के तहत दर्ज कुल शिकायतें	1	5
ii) महिला कर्मचारी / कामगार	3661	3310
iii)महिला कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या के प्रतिशत के रुप में POSH के तहत शिकायतें	0.03%	0.15%
iv) POSH के तहत सही पाई गई शिकायतें	1	3

*नोट: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों को स्थायी एवं गैर-स्थायी, दोनों प्रकार के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए पुनः प्रस्तुत किया गया है, ताकि रिपोर्टिंग में एकरुपता सुनिश्चित की जा सके।

8. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए तंत्र।**

बचाव के तौर पर, शिकायत करने वाले की पहचान सिर्फ़ 'आंतरिक शिकायत समिति' तक सीमित रखी जाती है और इसे गोपनीय रखा जाता है। जाँच प्रक्रिया के दौरान शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के साथ होने वाली सभी बैठकें आमने-सामने नहीं की जाती हैं।

9. **क्या मानवाधिकार संबंधी आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)**

हाँ, मानवाधिकार संबंधी आवश्यकताएँ व्यावसायिक समझौतों या अनुबंधों का हिस्सा हैं।

10. **वर्ष के लिए मूल्यांकन :**

श्रम विभाग, ईएसआई, ईपीएफओ तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के प्रवर्तन अधिकारी समय-समय पर अनुपालन के मूल्यांकन हेतु बीएचईएल के संयंत्रों का दौरा करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुपालन के आकलन के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा दस्तावेज़ एवं विवरण भी मांगे जाते हैं।

निम्नलिखित के संबंध में मूल्यांकन	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था, वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
बाल मजदूरी	100%
बंधुआ मजदूरी / अनैच्छिक मजदूरी	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
मजदूरी	100%

11. **उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता की पहचान नहीं की गई।

नेतृत्व संकेतक

1. **मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरुप संशोधित/ प्रतिवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

मानवाधिकारों का संरक्षण कंपनी की मूल्य-व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और यह निष्पक्ष एवं नैतिक व्यापार और रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों का समर्थन, संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास करती है। कंपनी सभी के लिए सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें जाति, रंग, धर्म, लिंग, दिव्यांगजन आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में इन सिद्धांतों को समाहित किया गया है।

2. **किसी भी मानवाधिकार संबंधी उचित परिश्रम के दायरे और कवरेज का विवरण।**

सभी वैधानिक कानूनों/नियामक आवश्यकताओं तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निवारक/वैधानिक लेखा परीक्षा के दौरान संयंत्रों और कार्यालयों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी अपने कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के लिए इस विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरुकता सत्र भी आयोजित करती है।

3. **क्या संस्था के परिसर/कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार सुगम्यता उपलब्ध है?**

हाँ, संस्था के परिसर/कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार सुगम्यता उपलब्ध है।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण:**

मानवाधिकारों के संबंध में मूल्य श्रृंखला के भागीदारों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन संबंधित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। बीएचईएल यह सुनिश्चित करता है कि मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के भुगतान संबंधी बकाया का निपटान केवल तभी किया जाए, जब मानवाधिकारों से संबंधित लागू कानूनों के वैधानिक अनुपालनों को पूरा कर लिया गया हो। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के मूल्यांकन के दौरान संबंधित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण जोखिम की सूचना नहीं दी गई है।

निम्नलिखित के संबंध में मूल्यांकन	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
बाल मजदूरी	100%
बंधुआ मजदूरी / अनैच्छिक मजदूरी	100%
मजदूरी	100%

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

   प्रश्न 4 में दिए गए उत्तर के अनुरूप यह लागू नहीं है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण जोखिम पहचान/रिपोर्ट नहीं किया गया है।

सिद्धांत 6: पर्यावरण

आवश्यक संकेतक

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या उसके गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
परिचालन से राजस्व (रु.)	3,37,82,18,00,000	2,83,39,48,00,000
मानदंड		
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए) (गीगा जूल में)	158747.00	142139.08
कुल बिजली खपत (बी) (गीगा जूल में)	0.00	0.00
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) (गीगा जूल में)	0.00	0.00
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी) (गीगा जूल में)	**158747.00**	**142139.08**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली ऊर्जा खपत (डी) (गीगा जूल में)	823486.00	798375.20
कुल ईंधन खपत (ई) (गीगा जूल में)	1831939.00	1679014.11
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ) (गीगा जूल में)	0.00	0.00
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (डी+ई+एफ) (गीगा जूल में)	**2655425.00**	**2477389.31**
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)	**2814172.00**	**2619528.39**
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (प्रति रुपया कारोबार किलो जूल में) (कुल ऊर्जा खपत / परिचालन से राजस्व)	8.33	9.24
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए पर ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कारोबार के प्रति किलो जूल में) (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत /संचालन से राजस्व)	169	188*
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता#	-	-
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है।	-	-

* नोट ए: वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े अद्यतन मापन प्रोटोकॉल और आईएमएफ से लिए गए पीपीपी मूल्य को दर्शाते हैं। इसके परिणामस्वरुप, वित्त वर्ष 2024-25 के तुलनात्मक आंकड़ों को समान एवं सुसंगत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है।।

बीएचईएल एक विविधीकृत, बहु-उत्पाद संगठन है, जिसके उत्पादों का उत्पादन MW, MVA, संख्या, मीटर और भार जैसी विभिन्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। ऐसे विविध उत्पादों के लिए किसी एक सामान्य और तुलनीय भौतिक मापदंड के अभाव में, भौतिक उत्पादन-आधारित एकल एवं सार्थक ऊर्जा तीव्रता की गणना करना संभव नहीं है। अतः इसे प्रकट नहीं किया गया है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, BRSR Core के लिए S R Asia द्वारा आश्वासन (Assurance) किया गया है, जैसा कि BRSR रिपोर्ट के अंत में दिए गए स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में उल्लेखित है

2. **क्या संस्था के पास भारत सरकार के निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट उपभोक्ता (डीसी) के रूप में चिन्हित कोई स्थल/सुविधाएं है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीटीए योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो, तो विवरण दें।**

बीएचईएल की किसी भी सुविधा को निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोकता (डीसी) के रूप में नहीं पहचाना गया है।

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में प्रदान करें**

पैरामीटर	**वित्तीय वर्ष 2025-26**	**वित्तीय वर्ष 2024- 25**
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	0.00	0.00
(ii) भूजल	3456351.00	3292052.00
(iii) अन्य पक्षीय जल	6707655.00	5960580.00
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	0.00	0.00
(v) अन्य	0.00	0.00
जल निकासी कुल मात्रा (किलोलीटर में) (I + II + III + IV + V)	**10164006.00**	**9252632.00**
जल उपयोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	**10144396.00**	**9249212.00***
प्रति रुपये कारोबार पर जल प्रबलता (कुल जल उपयोग/परिचालन से राजस्व – प्रति रुपये लीटर में)	0.030029	0.0326372*
क्रय जल समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपये कारोबार पर जल प्रबलता (कुल जल उपयोग/ पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)- पीपीपी के लिए समायोजित कारोबार का प्रति डॉलर लीटर	0.61	0.66@
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल प्रबलता#	-	-
जल प्रबलता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है।	-	-

* वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जल उपयोग संबंधी आंकड़ों और कारोबार के प्रति रुपये पर जल प्रबलता को पुनः प्रस्तुत किया गया है। जल उपयोग की गणना (जल निकासी – जल निर्वहन) के रूप में की गई है।

नोट ए: वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े अद्यतन मापन प्रोटोकॉल और आईएमएफ से लिए गए पीपीपी मूल्य को दर्शाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सुसंगत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के तुलनात्मक आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत किया गया।

बीएचईएल एक विविधीकृत, बहु-उत्पाद संगठन है, जिसके उत्पादों के उत्पादन को MW, MVA, संख्या, मीटर और भार जैसी विभिन्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। ऐसे विविध उत्पादों के लिए किसी एक सामान्य और तुलनीय भौतिक मापदंड के अभाव में, भौतिक उत्पादन-आधारित एकल एवं सार्थक तीव्रता की गणना करना संभव नहीं है। अतः इसे प्रकट नहीं किया गया है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, बीआरएसआर कोर के लिए एस आर एशिया द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में दिया गया है।

4. **जल प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।**

पैरामीटर	**वित्तीय वर्ष 2025-26**	**वित्तीय वर्ष 2024- 25**
लक्ष्य और शोधन के स्तर के अनुरूप जल प्रवाह (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	0.00	0.00
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित -कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	0.00	0.00
(ii) भूजल के लिए	0.00	0.00
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित -कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	0.00	0.00
(iii) समुद्री जल तक	0.00	0.00
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित -कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	0.00	0.00
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया	0.00	0.00
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित -कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	0.00	0.00
(iv) अन्य#	19610	3420
शोधन रहित	0.00	0.00
शोधन सहित -कृपया शोधन का स्तर निर्दिष्ट करें	**19610**	**3420**
कुल जल प्रवाह (किलोलीटर में)	**19610**	**3420**

वित्त वर्ष 2024-25 में जल निकासी के आंकड़े को संशोधित किया गया है, जिसमें टाउनशिप से होने वाले सीवेज के निकास को शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमारी एक इकाई में पिछले वर्ष सीवेज निकासी का अनुमान लगाया गया था, जबकि इस वर्ष इसे मीटर के माध्यम से मापा गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट जल निकासी में वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, बीआरएसआर कोर के लिए एस आर एशिया द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में दिए गए स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में उल्लेखित है।

5. क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हेतु कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

हाँ, कंपनी की स्थिरता के हिस्से के रूप में, इसकी 11 विनिर्माण इकाइयों ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) का दर्जा प्राप्त किया है। अर्थात, इन इकाइयों से कोई भी अपशिष्ट जल उनके परिसर के बाहर नहीं छोड़ा जाता है। उपचारित अपशिष्ट जल और सीवेज का उपयोग संयंत्र परिसर के भीतर बागवानी कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे पूरे परिसर में हरित क्षेत्रों को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अतिरिक्त) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	2025- 26	2024- 25
एनओएक्स	टन /वर्ष	193.59	230.69
एसओएक्स	टन /वर्ष	368.13	357.93
कणिकीय पदार्थ (पीएम)	टन /वर्ष	479.52	314.38
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओसी)	टन /वर्ष	0.00	0.00
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	टन /वर्ष	477.29	230.07
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	टन /वर्ष	2.94	3.65
अन्य – कार्बन मोनोआक्साइड	टन /वर्ष	38.44	48.76

नोट ए: एक विनिर्माण इकाई में ईंधन तेल को पीएनजी से प्रतिस्थापित करने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। एक अन्य विनिर्माण इकाई में कोयले की खपत में 108% की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पीएम और वीओसी उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, बीआरएसआर कोर के लिए एस आर एशिया द्वारा आश्वासन दिया गया है, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में दिए गए स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य में उल्लेखित है।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) एवं इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	2025- 26	2024- 25
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (उपलब्ध होने पर GHG को CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6 और NF_3 में विभाजित करके)	tCO2e	137298.00	135975.14
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो, तो GHG को CO_2, CH_4, N2O, HFCs, PFCs, SF_6 NF_3 में विभाजित करके)	tCO2e	162410.00	161227.44
प्रति रुपये टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)	प्रति दिन हासिल कारोबार पर उत्सर्जित CO_2 का ग्राम	0.8872	1.0487
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के अनुसार समायोजित प्रति रुपये टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन की तीव्रता (कुल स्कोप 1 एवं स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के अनुसार समायोजित परिचालन से राजस्व)	पीपीपी के अनुसार समायोजित प्रति $ कारोबार पर उत्सर्जित CO_2 के ग्राम	18.04	21.33@
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		-	-
कुल स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)- प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		-	-

@नोट ए: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़े अद्यतन मापन प्रोटोकॉल तथा आईएमएफ से लिए गए पीपीपी मूल्य को दर्शाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सुसंगत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के तुलनात्मक आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

#बीएचईअल एक विविधीकृत, बहु-उत्पाद संगठन है, जिसके उत्पादों को MW, MVA, संख्या, मीटर और भार जैसी विभिन्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। विभिन्न उत्पाद श्रृंखलाओं के लिए किसी एक समान और तुलनीय भौतिक आधार की अनुपस्थिति में, एकल एवं सार्थक भौतिक-उत्पादन-आधारित तीव्रता की गणना करना संभव नहीं है। अतः इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ। बीआरएसआर कोर के लिए एस आर एशिया द्वारा आश्वासन प्रदान किया गया है, जिसका उल्लेख बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में दिए गए स्वतंत्र आश्वासन विवरण में किया गया है।

8. क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

हाँ। बीएचईएल ने रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों सहित लगभग 43.25 MWp की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, जिससे जीएचजी उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एफएसआईपी, जगदीशपुर में 750 kW क्षमता का रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कुल सौर ऊर्जा क्षमता के परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान 31,308 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन का परिहार हुआ।

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयाँ मांग-पक्ष ऊर्जा प्रबंधन को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित रूप से ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता संबंधी परियोजनाएँ कार्यान्वित करती हैं। इसके माध्यम से संबंधित कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाता है, जो अन्यथा उच्च स्तर पर होता।

अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV का संदर्भ लें: (4.1.2 ऊर्जा दक्षता एवं प्रबंधन 4.1.5 कार्बन फुटप्रिंट में कमी)

9. इकाई द्वारा किए जा रहे अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारुप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024- 25
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट **(ए)***	108.39	107.68
ई-अपशिष्ट **(बी)**	89.97	117.78
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट **(सी)**	11.31	11.68
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट **(डी)**	774.81	267.00
बैटरी अपशिष्ट **(ई)**	103.87	70.75
रेडियोधर्मी अपशिष्ट **(एफ)**	0.00	0.00
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो, तो कृपया निर्दिष्ट करें। **(जी)**	1432.58	1133.21
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न **(एच)। यदि कोई हो, तो कृपया निर्दिष्ट करें।** (संरचना के अनुसार, अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार विभाजन)	54349.7	54588.30
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	**56870.63**	**56296.40**
प्रति रुपया कारोबार में अपशिष्ट प्रबलता **(कुल उत्पन्न अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व)** – प्रति ग्राम ₹	0.1683	0.1987
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के अनुसार कारोबार के प्रति रुपये पर अपशिष्ट प्रबलता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट /पीपीपी के अनुसार समायोजित परिचालन से राजस्व– पीपीपी **में प्रति डॉलर ग्राम**	3.42	4.04@
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट प्रबलता #	-	-
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित इकाई द्वारा उपयुक्त मापदंड का चयन किया जा सकता है।	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनर्प्राप्त किए गए कुल अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित^	5755.31	391.13
(ii) पुनः उपयोग किए	705.12	455.49
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0.00	0.00
कुल	**6460.43**	**846.62**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए निपटान की विधि के अनुसार निपटाए गए कुल अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	24.73	2.94
(ii) लैंडफिलिंग	806.54	178.20
(iii) अन्य निपटान कार्य	48436.44	42740.70
कुल	**49267.71**	**42921.84**

@नोट ए: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़े अद्यतन मापन प्रोटोकॉल तथा आईएमएफ से प्राप्त पीपीपी मूल्य को ध्यान में रखते हुए दर्शाए गए हैं। इसके परिणामस्वरुप, एकरुप रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के तुलनात्मक आंकड़ों को पुनः निर्धारित किया गया है।

^ वर्ष 2025-26 के दौरान बीएपी, रानीपेट इकाई से 4,990 मीट्रिक टन लौह स्क्रैप को पुनर्चक्रण हेतु सीएफएफपी, हरिद्वार इकाई में भेजा गया है।

#बीएचईएल एक विविधीकृत, बहु-उत्पाद संगठन है, जिसके उत्पादों/उत्पादन को MW, MVA, संख्या, मीटर तथा भार जैसी विभिन्न एवं असमान इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के लिए किसी एक समान एवं तुलनीय भौतिक आधार के अभाव में, भौतिक उत्पादन-आधारित एकल एवं सार्थक उत्सर्जन तीव्रता की गणना करना संभव नहीं है। अतः इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, बीआरएसआर कोर के लिए एस आर एशिया द्वारा आश्वासन प्रदान किया गया है, जिसका उल्लेख बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में दिए गए स्वतंत्र आश्वासन विवरण में किया गया है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में खतरनाक एवं विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति तथा ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें।

बीएचईएल में अपशिष्ट प्रबंधन 3R – Reduce (कम करना), (पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण) के सिद्धांत पर आधारित है तथा "Waste to Wealth" (अपशिष्ट से संपदा) की संस्कृति को अपनाया गया है। इसमें स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण तथा इन-हाउस पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दी जाती है। धातु स्क्रैप का या तो पुनः उपयोग/पुनर्चक्रण किया जाता है अथवा इसे अधिकृत एजेंसियों को बेचा जाता है। एचईआरपी, वाराणसी तथा एफएसआईपी, जगदीशपुर जैसी इकाइयों में जैव-अपघटनीय अपशिष्ट का कम्पोस्टिंग किया जाता है। खतरनाक अपशिष्ट एवं ई-अपशिष्ट का प्रबंधन लागू नियामक मानदंडों के अनुसार व्यापक दस्तावेजीकरण के साथ किया जाता है।

स्वच्छता पर विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत वर्ष के दौरान लगभग ₹59.20 करोड़ मूल्य के स्क्रैप का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, सभी 15 बीएचईएल टाउनशिपों ने "सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त" (प्रमाणित टाउनशिप के रूप में अपना दर्जा बनाए रखा है, जो स्वच्छ एवं बेहतर जीवन-परिवेश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

11. यदि संस्था का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव-विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आस-पास स्थित हैं, जहाँ पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृतियाँ आवश्यक हैं, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

लागू नहीं। बीएचईएल के परिचालन अथवा सुविधाएँ राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों या जैव-विविधता हॉटस्पॉट जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर या उनके निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित नहीं हैं।

12. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

लागू नहीं।

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है? (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

हाँ। बीएचईएल भारत में वर्तमान में लागू पर्यावरणीय कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

नेतृत्व संकेतक

1. जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल का आहरण, खपत एवं निकासी (किलोलीटर में):

जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

i. क्षेत्र का नामः शून्य

ii. परिचालन की प्रकृतिः शून्य

iii. जल का आहरण, खपत एवं निकासीः लागू नहीं

नोटः कृपया बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, बीआरएसआर कोर के लिए एस आर एशिया द्वारा आश्वासन प्रदान किया गया है, जिसका उल्लेख बीआरएसआर रिपोर्ट के अंत में दिए गए स्वतंत्र आश्वासन विवरण में किया गया है।

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन एवं इसकी तीव्रता से संबंधित विवरण प्रदान करें।

पैरामीटर	इकाई	2025- 26	2024- 25
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो, तो ग्रीनहाउस गैसों को CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजित करके)	tCO_2e	-	-
प्रति रुपये के कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन		-	-
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन की तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है।		-	-

कंपनी अपने अप्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति सजग है। तथापि, स्कोप 3 उत्सर्जन का परिमाणात्मक आकलन वर्तमान में समीक्षा के अधीन है। हमारी सततता कार्ययोजना के क्रमिक विकास के अंतर्गत वैल्यू-चेन उत्सर्जन के आकलन हेतु उपयुक्त कार्यप्रणालियों एवं रूपरेखाओं का पता लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में उल्लिखित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव-विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण तथा रोकथाम एवं उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं, जो सिद्धांत 6 के अंतर्गत आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 के उत्तर के अनुरूप है।

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने अथवा उत्सर्जन/अपशिष्ट जल निकासी/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी अथवा समाधानों का उपयोग किया है, तो ऐसी पहलों के विवरण तथा उनके परिणाम निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें:

क्रम सं.	पहल की गई	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो-वेब लिंक, सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1.	परिसर के बाहर शून्य अपशिष्ट निर्वहन	जल प्रदूषण को रोकने तथा स्थाई अपशिष्ट जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने 22 अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) और 18 सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए हैं। इन संयंत्रों द्वारा शोधित अपशिष्ट जल का हमारे परिसरों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया जाता है, जैसे औद्योगिक प्रक्रियाओं, शौचालयों में फ्लशिंग तथा बागवानी के लिए। परिणामस्वरुप इन पहलों के कारण 11 इकाइयों ने अपने परिसरों की सीमाओं के बाहर शून्य अपशिष्ट जल निकासी (Zero Effluent Discharge) प्राप्त की है।	परिसर के बाहर अपशिष्ट जल का निर्वहन नहीं किए जाने के कारण भूमि एवं जल प्रदूषण को रोका जा सका है।
2.	एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त टाउनशिप	बीएचईएल टाउनशिपों को तृतीय-पक्ष ऑडिट के माध्यम से "एकल-उपयोग प्लास्टिक मुक्त" घोषित किया गया है।	बीएचईएल टाउनशिपों को सतत आवासीय क्षेत्रों के रुप में विकसित किया गया है, और निवासियों में एकल-उपयोग प्लास्टिक से बचने की आदत विकसित की है। इसके परिणामस्वरुप प्लास्टिक अपशिष्ट कचरे के कारण होने वाले भूमि एवं जल प्रदूषण को रोकने में सहायता मिली है।
3.	ऊर्जा दक्ष विद्युत उपकरणों की स्थापना	उपकरणों की स्थापना: (i) 5-स्टार विंडो एवं स्प्लिट एसी – 491 नग • पुराने 5-स्टार, फिक्सड स्पीड, 1.5 TR विंडो एसी के स्थान पर नए 5-स्टार, 1.5 TR, इन्वर्टर विंडो एसी स्थापित किए गए। (ii) 3-स्टार, 2 TR, हॉट एवं कोल्ड, इन्वर्टर स्प्लिट एसी – 61 नग • पुराने 3-स्टार, 2 TR, केवल कूलिंग वाले इन्वर्टर स्प्लिट एसी के स्थान पर नए 3-स्टार, 2 TR, हॉट एवं कोल्ड, इन्वर्टर स्प्लिट एसी आदि स्थापित किए गए।	एचईईपी, हरिद्वार इकाई में प्रतिवर्ष लगभग 5,61,286 यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत होगी।
4.	ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था	200W एलईडी हाई-बे फिटिंग्स की स्थापना	त्रिची में प्रतिवर्ष लगभग 4,96,000 यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत होगी।
5.	इन-हाउस सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना	बीएचईएल में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता लगभग 43.25 MW तक पहुँच गई है, जिससे आंतरिक खपत के लिए हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।	इससे पिछले 9 वर्षों में 275.86 मिलियन यूनिट हरित विद्युत का उत्पादन हुआ है, जिसके परिणामस्वरुप समान मात्रा में पारंपरिक विद्युत की आवश्यकता से बचाव हुआ है और फलस्वरुप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है।

5. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण/वेब लिंक प्रदान करें।

हाँ, बीएचईएल के पास व्यवसाय निरंतरता योजना तथा आपदा प्रबंधन योजना है, जो संगठन के आंतरिक उपयोग हेतु हैं तथा प्रतिबंधित दस्तावेज़ के रूप में इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण ये दस्तावेज़ वेब/इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटीकरण करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव संज्ञान में नहीं आया है।

7. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था

100%

8. कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न किए गए हैं या खरीदे गए हैं:

ए. सूचीबद्ध इकाई द्वारा:

शून्य

बी. क्रय एवं बिक्री के मूल्य के क्रमशः शीर्ष दस वैल्यू चेन भागीदारों द्वारा:

शून्य

सिद्धांत 7: नीति पक्ष-समर्थक

आवश्यक संकेतक

1. ए. व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या:

सात (7) संबद्धताएँ।

बी . शीर्ष 10 व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की सूची प्रदान करें (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित) जिनका इकाई सदस्य/संबद्ध सदस्य है।

क्रम. सं.	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुँच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	सिग्रे इंडिया	अंतरराष्ट्रीय
2	इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईएमए)	राष्ट्रीय
3	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
4	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (एफआईसीसीआई)	राष्ट्रीय
5	सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी कमेटी (स्कोप)	राष्ट्रीय
6	भारत की परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)	राष्ट्रीय
7	केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई अथवा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

बीएचईएल के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

नेतृत्व संकेतक

1. इकाई द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति संबंधी पक्षों का विवरण:

क्रम संख्या	सार्वजनिक नीति की वकालत	समर्थन के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
1.	बीएचईएल संवाद – नवाचार एवं सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु बीएचईएल के सफलता साझेदारों के साथ संवाद।	बीएचईएल संवाद एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य उद्योग, शिक्षा जगत तथा सरकार के हितधारकों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना है। यह पहल मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों के बीच सार्थक संवाद एवं साझेदारी को बढ़ावा देकर सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर विनिर्माण पारितंत्र के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण सक्षमकर्ता के रुप में उभरी है। संवाद का आयोजन इकाई स्तर तथा निगम स्तर, दोनों पर किया जाता है। (Steel SAMVAAD) का आयोजन 07.08.2025 को किया गया था।	जी हाँ	--	--
2.	पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु व्यापार सुगमता आदि के संबंध में आयोजित विभिन्न गतिविधियों, बैठकों एवं सुझाव/इनपुट प्रदान करने में सहभागिता।	औद्योगिक संगठनों (जैसे-सीआईआई एवं फिक्की), भारत सरकार के मंत्रालयों (अर्थात् भारी उद्योग मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय) एवं उनके परामर्शदाताओं के साथ समन्वय एवं संवाद के माध्यम से।	जी नहीं	--	--
3.	अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग को सुगम बनाने हेतु समन्वय एवं सुविधा प्रदान करना।	मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) आदि के संबंध में उद्योग संगठनों/ सरकारी एजेंसियों को सुझाव (इनपुट) प्रदान करके।	जी नहीं	--	--
4.	सीमा शुल्क, निर्यात संवर्धन, निर्यात प्रोत्साहन, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने तथा कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने आदि विषयों पर इनपुट प्रदान करना।	केंद्रीय बजट 2026 के पूर्व-बजट ज्ञापन के संबंध में मंत्रालयों तथा उद्योग संघों को आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराकर।	जी नहीं	--	--

सिद्धांत 8: समावेशी विकास

आवश्यक संकेतक

1. **वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू विधिक प्रावधानों के आधार पर संस्था द्वारा किए गए परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण।**

   लागू नहीं। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्र से संबंधित किसी पूंजीगत निवेश परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया। इस अवधि में केवल अपनी आंतरिक परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आंतरिक परियोजनाएँ ही निष्पादित की गईं। अतः सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment–SIA) कराए जाने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती।

2. **निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं का विवरण प्रदान करें, जिनके संबंध में आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) की प्रक्रिया वर्तमान में संचालित की जा रही है।**

   लागू नहीं ।

3. **सामुदायिक शिकायतों की प्राप्ति एवं उनके निवारण हेतु स्थापित तंत्र (प्रक्रियाओं/व्यवस्थाओं) का विवरण दें**

   सामुदायिक शिकायतें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराता है। प्राप्त शिकायतें आगे आवश्यक कार्रवाई एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु बीएचईएल के लोक शिकायत अधिकारी को प्रेषित की जाती हैं।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट के सापेक्ष इनपुट का प्रतिशत)**

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त	54.8%	39.7%
सीधे ज़िले और आस-पास के ज़िलों से प्राप्त	15%	14%

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (जिसमें स्थायी, अस्थायी तथा संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारी/श्रमिक शामिल हैं) को दिए गए वेतन/मजदूरी का विवरण कुल वेतन व्यय* के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करें।**

स्थान	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
ग्रामीण		
i) नियोजित व्यक्तियों (जिसमें स्थायी, अस्थायी तथा संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारी/कामगार शामिल हैं) को दिए गए वेतन/मजदूरी का विवरण प्रस्तुत करें।	₹3,78,53,17,213.00	₹3,88,11,79,474.48
ii) कुल मजदूरी लागत	₹60,11,37,15,971.00	₹57,77,59,26,056.80
iii) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रतिशत	6.30%	6.72%
उप-नगरीय		
i) नियोजित व्यक्तियों (जिसमें स्थायी, अस्थायी तथा संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारी/कामगार शामिल हैं) को दिए गए वेतन/मजदूरी का विवरण प्रस्तुत करें।	₹14,82,02,60,084.00	₹14,30,62,56,604.75
ii) कुल मजदूरी लागत	₹60,11,37,15,971.00	₹57,77,59,26,056.80
iii) उप-नगरीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रतिशत	24.65%	24.76%
नगरीय		
i) नियोजित व्यक्तियों (जिसमें स्थायी, अस्थायी तथा संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारी/कामगार शामिल हैं) को दिए गए वेतन/मजदूरी का विवरण प्रस्तुत करें।	₹15,88,85,70,404.00	₹14,91,64,76,621.57
ii) कुल मजदूरी लागत	₹60,11,37,15,971.00	₹57,77,59,26,056.80
iii) नगरीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रतिशत	26.43%	25.82%
महानगरीय		
i) नियोजित व्यक्तियों (जिसमें स्थायी, अस्थायी तथा संविदा आधार पर नियोजित कर्मचारी/कामगार शामिल हैं) को दिए गए वेतन/मजदूरी का विवरण प्रस्तुत करें।	₹25,61,95,68,270.00	₹24,67,20,13,356.00
ii) कुल मजदूरी लागत	₹60,11,37,15,971.00	₹57,77,59,26,056.80
iii) महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन का प्रतिशत	42.62%	42.70%

टिप्पणी: यहाँ केवल स्थायी कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने हेतु किए गए उपायों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 1 के उत्तर के अनुसार यह लागू नहीं है।

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा कार्यान्वित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चिन्हित आकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि:

क्रम. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	व्यय की गई राशि (लाख ₹ में)
1	उत्तराखंड	हरिद्वार	120.34

3. (ए) क्या आपकी संस्था के पास ऐसी अधिमान्य खरीद नीति है, जिसके अंतर्गत हाशिए पर स्थित/कमजोर वर्गों से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को खरीद में प्राथमिकता दी जाती है? (हाँ/नहीं/लागू नहीं)

जी हाँ

(बी) आप किन हाशिए पर स्थित/कमजोर वर्गों से क्रय करते हैं?

कंपनी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को निरंतर प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान कर रही है। एमएसई अपने कार्यबल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी), महिलाओं, युवाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले व्यक्तियों जैसे कमजोर एवं वंचित वर्गों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। बीएचईएल की इकाइयों द्वारा समय-समय पर एमएसई (स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं सहित) तथा विशेष रूप से एससी/एसटी एवं महिला उद्यमियों के लिए विक्रेता सम्मेलन और आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम आवश्यकताओं की पहचान करने तथा पारस्परिक लाभ के लिए कार्ययोजना तैयार करने का प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा जारी किया गया है, के प्रावधानों के अनुरूप एमएसई को निर्धारित प्राथमिकताएँ प्रदान की जाती हैं। सभी एमएसएमई/एमएसई विक्रेताओं को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीएचईएल ने व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक छूट प्रणाली के सभी परिचालित पोर्टलों पर स्वयं को पंजीकृत किया है, जैसा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना के अनुसार अनिवार्य किया गया है। बीएचईएल ने RXIL पर 26.12.2018, Invoicemart पर 15.12.2020, M1xchange पर 07.08.2021, KREDX पर 11.12.2025 तथा C2treds पर 24.03.2026 को ऑनबोर्डिंग पूर्ण की। इसके अतिरिक्त, अधिक पारदर्शिता एवं दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने बीएचईएल की एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) प्रणाली के साथ एकीकरण (Integration) की सुविधा प्रदान की है, जिसे बीएचईएल में लागू किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल ₹19,620 करोड़ की खरीद में से ₹8,772 करोड़ की खरीद GeM के माध्यम से की गई। कंपनी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप एमएसई विक्रेताओं को प्रत्यक्ष रूप से अथवा TReDS के माध्यम से 100% समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया। ये सभी पहलें लोक उद्यम विभाग (DPE) के दिशा-निर्देशों के प्रति बीएचईएल की पूर्ण अनुपालना एवं समावेशी खरीद नीति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

(सी) कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) में इसका प्रतिशत कितना है?

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल ₹19,620 करोड़ की खरीद में से ₹10,752 करोड़ (54.8%) की खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई। इनमें से ₹58 करोड़ (0.3%) की खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से तथा ₹767 करोड़ (4.0%) की खरीद महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से की गई।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त एवं साझा किए गए लाभों का विवरण प्रदान करें।

कंपनी के पास पारंपरिक ज्ञान पर आधारित कोई बौद्धिक संपदा न तो स्वामित्व में है और न ही (वर्तमान वित्तीय) वर्ष के दौरान अर्जित की गई है। कंपनी के उत्पाद तथा उनसे संबंधित बौद्धिक संपदा वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं अनुसंधान पर आधारित ज्ञान के माध्यम से विकसित किए गए हैं।

5. ऐसे बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में, जिनमें पारंपरिक ज्ञान के उपयोग का विषय शामिल हो, किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर किए गए अथवा प्रगति पर चल रहे सुधारात्मक उपायों का विवरण प्रदान करें।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से संबंधित किसी भी बौद्धिक संपदा विवाद में कंपनी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं हुआ।

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्रम सं.	सीएसआर परियोजनाएं (वित्तीय वर्ष 2025-26)	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमज़ोर एवं वंचित समूहों से संबंधित लाभार्थियों का प्रतिशत
1	हरिद्वार, जगदीशपुर एवं झांसी स्थित बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों में संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु सहायता	1200	100.00%
2	हैदराबाद के मियापुर में बच्चों में कुपोषण की कमी दूर करने हेतु पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता।	120	100.00%
3	हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित आईडीए, बोलाराम में एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था 'डिज़ायर सोसाइटी' को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता।	65	100.00%

क्रम सं.	सीएसआर परियोजनाएं (वित्तीय वर्ष 2025-26)	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमज़ोर एवं वंचित समूहों से संबंधित लाभार्थियों का प्रतिशत
4	हैदराबाद के कुकटपल्ली स्थित शिवानंद पुनर्वास गृह में चिकित्सीय सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता।	35	100.00%
5	वाराणसी के कपिलधारा में 5 सीट वाले एक सुलभ शौचालय परिसर के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद (4 स्थानों पर) एवं चंदौली जनपद (7 स्थानों पर) स्थित 11 विद्यमान शौचालय परिसरों के छह माह के रखरखाव के लिए वित्तीय सहयोग।	500000	100.00%
6	महाराष्ट्र के अमरावती जिले के 10 विकासखंडों के 350 ग्रामों में 'स्वस्थ भारत' परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता।	6223	100.00%
7	तेलंगाना के संगारेड्डी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, विकाराबाद एवं मलकाजगिरि जिलों में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण।	32	100.00%
8	तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम स्थित एमपीएचसी (मंडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) को शल्य चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति एवं वितरण।	3600	100.00%
9	तमिलनाडु के पेरम्बलूर एवं पुदुक्कोट्टई जिलों में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, सीपी चेयर, व्हीलचेयर आदि जैसे गतिशीलता सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।	75	100.00%
10	तमिलनाडु के तिरुवेरुम्बूर तालुक–तिरुचिरापल्ली में क्षय रोग (टीबी) से पीड़ित लगभग 90 रोगियों को पोषण सहायता किट तथा तिरुचिरापल्ली में एलईडी माइक्रोस्कोप उपलब्ध कराना।	90	100.00%
11	तिरुचि स्थित बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय एवं पुनर्वास केंद्र 'अरिवालयम' को वित्तीय सहायता।	150	100.00%
12	सामुदायिक विकास: मध्य प्रदेश के भोपाल में योग कक्षाओं का आयोजन।	100	100.00%
13	बेंगलुरु के बापूजी नगर, अवलाहल्ली, विजयनगर एवं करेनहल्ली, बिदादी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं वितरण।	30000	100.00%
14	तमिलनाडु के वालाजा स्थित ग्रामीण अस्पतालों एवं रानीपेट स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।	20000	100.00%
15	उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कुपोषित गर्भवती महिलाओं की पोषण स्थिति एवं स्वास्थ्य परिणामों में सुधार।	38	100.00%
16	उत्तराखंड के रुद्रपुर में 04 स्थानों पर 4 सेट वाटर कूलर टैंक एवं यूवी प्यूरिफायर की आपूर्ति एवं स्थापना।	300	100.00%
17	उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकटवर्ती सरकारी अस्पतालों में वाटर कूलर, जल शुद्धिकरण संयंत्र, स्टेबलाइजर एवं स्टील बेंचों की स्थापना।	4000	100.00%
18	उत्तर प्रदेश के अमेठी में मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि रोगों से संबंधित रोगियों के लिए चिकित्सा शिविर।	300	100.00%
19	उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पनकी ताप विद्युत स्टेशन, पनकी के सरकारी अस्पताल में शौचालय ब्लॉक का निर्माण।	3500	100.00%
20	नागपुर में BiPAP (वेंटिलेशन) मशीन, कार्डियक मॉनिटर, एयर बेड, सक्शन मशीन एवं व्हीलचेयर का वितरण।	8	100.00%
21	एनीमिया जांच शिविर: ओडिशा के अंगुल में जांच, परामर्श तथा दवाओं एवं पोषण अनुपूरकों का वितरण।	282	100.00%

सिद्धांत 9: ग्राहक मूल्य

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों एवं फीडबैक को प्राप्त करने तथा उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध तंत्रों का वर्णन करें।**

ग्राहक मूल्य बीएचईएल की संस्कृति का एक प्रमुख अंग है और यह कंपनी के विजन, मिशन एवं मूल्यों के वक्तव्य में परिलक्षित होता है। कंपनी अपने उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए निरंतर मूल्य सृजित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

ग्राहकों की शिकायतें विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, ई-मेल, फोन कॉल तथा बैठकों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं और उनका निपटान आंतरिक प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है। शिकायतों को तत्पश्चात त्वरित समाधान हेतु संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जाता है। शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समानांतर रुप से मूल कारण विश्लेषण (Root Cause Analysis) भी किया जाता है।

शिकायतों के अतिरिक्त, ग्राहकों से बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से फीडबैक भी प्राप्त किया जाता है।

2. **कुल उत्पादों/सेवाओं के कारोबार में उन उत्पादों/सेवाओं के कारोबार का प्रतिशत, जिनमें "पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानदंड", "सुरक्षित एवं उत्तरदायी उपयोग" तथा "पुनर्चक्रण/सुरक्षित निपटान संबंधी" जानकारी उपलब्ध है।**

मानदंड	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रुप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानक	100%
सुरक्षित तथा उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग	100%
पुनर्चक्रण तथा/अथवा सुरक्षित निपटान	100%

कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के साथ व्यापक प्रलेखन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सुरक्षित संचालन, अनुरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के अनुसार इन प्रणालियों के निर्धारित जीवनचक्र के दौरान उनके सुरक्षित एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों के कार्मिकों को व्यावसायिक ज्ञान हस्तांतरण संबंधी प्रशिक्षण सत्र भी लगाए जाते हैं।

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष की समाप्ति पर समाधान लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष की समाप्ति पर समाधान लंबित	टिप्पणी
डेटा गोपनीयता	0	0	-	0	0	-
विज्ञापन	0	0	-	0	0	-
साइबर सुरक्षा	0	0	-	0	0	-
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	लागू नहीं					
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	0	0	-	0	0	-
अनुचित व्यापार प्रथाएँ	0	0	-	0	0	-
अन्य	361	41	-	358	42	-

4. सुरक्षा संबंधी कारणों से उत्पादों को वापस मंगाने (प्रोडक्ट रिकॉल) की घटनाओं का विवरण :

विवरण	संख्या	रिकॉल का कारण
स्वैच्छिक रिकॉल	0	लागू नहीं
अनिवार्य रिकॉल	0	लागू नहीं

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा(फ्रेमवर्क)/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, बीएचईएल के पास एक स्थापित और अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति है, जो संगठन के लिए आंतरिक है और इंट्रानेट पर होस्ट की जाती है। सुरक्षा चिंताओं के कारण, ये वेब/इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, बीएचईएल बी2बी व्यवसाय में है और व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ व्यवहार नहीं करता है। इसलिए, कोई भी व्यक्तिगत ग्राहक डेटा संग्रहीत नहीं किया जाता है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड/कार्रवाई।

ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

ए. डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या: शून्य

बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत:

0%

सी. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी तक पहुंचा जा सकता है (वेब लिंक प्रदान करें, यदि उपलब्ध हो)।

बीएचईएल के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी www.bhel.com से प्राप्त की जा सकती है ।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

उत्पादों अथवा प्रणालियों के लिए संचालन पुस्तिका (Operation Manual) तथा प्रशिक्षण ग्राहकों को संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों को उत्पादों एवं प्रणालियों के सुरक्षित संचालन से संबंधित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है।

3. आवश्यक सेवाओं के व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र।

लागू नहीं क्योंकि बीएचईएल पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में काम करता है, विशिष्ट संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरण/सिस्टम की आपूर्ति करता है। उत्पाद से संबंधित जानकारी विस्तृत तकनीकी विनिर्देशों, चित्र, मैनुअल और संविदात्मक दस्तावेजों द्वारा शासित होती है। कार्य क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार बीएचईएल द्वारा भेजे गए उत्पादों पर सभी आवश्यक और मानक जानकारी हमेशा प्रदर्शित की जाती है। तदनुसार, वैधानिक आवश्यकताओं से परे अतिरिक्त उत्पाद जानकारी लागू नहीं है।

क्या आपकी संस्थान ने संस्थान के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्थान के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संस्थान के संबंध में उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)।

हाँ। बीएचईएल प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है और ग्राहकों से समय-समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। हालांकि, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

के निदेशक मंडल की ओर से

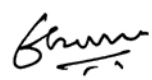

के सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07 जुलाई, 2026

SR ASIA
Social Responsibility Asia

Social Responsibility Asia (SR Asia)

(ISO 9001: 2015 Certified)

Independent Practitioners' Reasonable Assurance Statement

To the Management of
Bharat Heavy Electricals Limited
BHEL Sadan, Film City, Noida (201301), India

Introduction

SR Asia (Social Responsibility Asia) is an international, licensed assurance provider recognized by AccountAbility UK, with a proven track record of delivering independent assurance engagements for leading Indian public sector and private entities. A specialized sustainability and ESG advisory firm, SR Asia possesses deep expertise across the entire sustainability landscape, including BRSR report preparation, third-party assurance, and ESG data validation. Aligned with the stringent requirements of the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised), the firm brings a rigorous, data-backed methodology and a multidisciplinary team of assurance practitioners to its engagements, ensuring a credible and trustworthy opinion on an organization's sustainability performance.

Scope of Work

SR Asia was engaged by Bharat Heavy Electrical Limited (the 'Company') to conduct an independent assurance of Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR). The assurance was conducted in accordance with the SEBI Circular dated 12, July 2023 and amended Circular No.: SEBI/HO/CFD/CFD-PoD1/P/CIR/2024/177 dated Dec 20, 2024. The assurance engagement was undertaken for the reporting period FY2025-26.

This engagement was conducted by a multidisciplinary team including assurance practitioners, engineers, environmental & social professionals.

Assessment Criteria and References

Our engagement was conducted in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) and the guidelines issued by SEBI.

SR Asia complies with the International Quality Management System (IQMS), which is applicable to firms undertaking assessments or reviews of non-financial information, as well as other assurance and related services engagements, as prescribed by the IAASB.

SR ASIA
Social Responsibility Asia

Social Responsibility Asia (SR Asia)

(ISO 9001: 2015 Certified)

We believe that the evidence obtained during the course of our engagement is sufficient and appropriate to provide a reasonable basis for our opinion.

Work Performed

1. A kick-off meeting was conducted at corporate office Noida with the representative from deferent department and project location joined through Webex platform. SR Asia team briefed the participants about Assurance scope and project location selected, objectives, methodology, and timelines.
2. This was informed that both on-site and online assurance activities for identified different business units and locations will be carried out.
3. A comprehensive review of the BRSR Report for FY 2025–26 was undertaken with reference to the applicable disclosures and data requirements prescribed under the relevant SEBI circulars. The review assessed the completeness, consistency, and alignment of disclosures with the BRSR and BRSR Core frameworks, and a detailed gap analysis was subsequently shared with the designated nodal officer.
4. Assurance activities were performed through site visits to HEEP (Haridwar), TP (Jhansi), and the Corporate Offices (Delhi and Noida), and BAP (Ranipet), EDN (Bangalore), and HPBP (Trichy) were covered through online.
5. The assurance activities covered core indicators such as Energy Consumption, Energy Savings, Water Management, Hazardous and Non-Hazardous Waste Management, Greenhouse Gas Emissions, Air Emissions, Environmental Expenditure, Occupational Health and Safety, Labour Practices, and other applicable Essential and Leadership Indicators.
6. The verification process included a review of applicable statutory and regulatory compliances specifically in relation to the (LODR) and an assessment of the completeness, accuracy, and reliability of the reported information against supporting records and evidence obtained from authentic sources, in accordance with the requirements of a Reasonable Assurance engagement.
7. Site wise assurance reports were prepared and submitted, following the completion of each site assessment. These reports documented key observations, findings, and supporting photographs, where applicable, and were subsequently reviewed with relevant stakeholders for validation and incorporation of feedback.
8. Upon completion of the assessment procedures, an Independent Assurance Statement was issued in accordance with the applicable assurance standards, using ISAE 3000 (Revised), providing an independent opinion on the accuracy, completeness, and reliability of the reported information.

SR ASIA
Social Responsibility Asia

Social Responsibility Asia (SR Asia)
(ISO 9001: 2015 Certified)

Intended Use or Purpose

The Reasonable Assurance statement is intended for users and stakeholders of BHEL.
The Management of the organization acknowledges and understands their responsibility for:

- Designing, implementing and maintaining internal controls relevant to the preparation of the BRSR report that is free from material mis-statement, whether due to fraud or error.
- Selecting or establishing suitable criteria for preparing the report taking into account applicable laws and regulations as amended, if any, related to reporting, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content preparation and presentation in accordance with the reporting criteria.
- Disclosure of the applicable criteria used for preparation of the relevant report/statement.
- Calculating the data and figures in accordance with the reporting criteria.
- Ensuring the reporting criteria is available for the intended users with relevant explanation.
- Establishing subjective targets, goals and other performance measures, and implementing actions to achieve such targets, goals and performance measures.
- Responsible for providing the details of the management personnel who take ownership of the disclosures in the report.
- Ensuring compliance with law, regulation or applicable standards.
- Making judgments and estimates that are reasonable in the circumstances.
- Identifying and describing any inherent limitations in the measurement or evaluation of information, subject to assurance in accordance with the reporting criteria.
- Preventing & detecting fraud and taking suitable action.
- Selecting the content of the BRSR report, including identifying and engaging with intended users to understand their information needs.

Inherent limitations in preparing the Assurance statement

The following inherent limitations were identified during the assurance engagement, which affect the completeness, accuracy, and verifiability of the reported information:

1. **Data Reported limited to plants:** GHG emissions data is recorded using CO2 emission and limited to the plants only. Key ESG parameters, including energy

SR ASIA
Social Responsibility Asia

Social Responsibility Asia (SR Asia)
(ISO 9001: 2015 Certified)

records, water consumption and recycled water utilization data, and waste collection vehicle logs needs improvements.

2. **Compliances:** The assurance engagement identified a few open regulatory compliances which needs to be expedited. These findings indicate gaps in compliance monitoring and reporting which needs improvement.
3. **Sample based Verification and Remote/Physical Access Constraints**: Given the multi-site scope and the virtual nature of certain site visits, physical inspection of assets, meters, and waste storage areas was limited. While professional standards permit remote procedures, the lack of physical access to certain locations represents an inherent practical limitation on evidence gathering.

Our Responsibilities

- To plan and perform the assurance engagement in order to obtain Reasonable Assurance that the BRSR disclosures are free from material misstatement, whether arising from fraud or error, and are prepared in accordance with the applicable Reporting Criteria outlined above.
- To evaluate the evidence obtained through the assurance procedures performed and form an independent assurance opinion based on the findings of the engagement.
- To communicate our Reasonable Assurance opinion on the BRSR disclosures to BHEL through the issuance of this Independent Assurance Statement.

Exclusions

Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express an opinion on the same:

- Data related to the Company's financial performance disclosures.
- Operations of the Company other than those mentioned in the "Scope of Assurance".
- Data and Information outside the defined reporting period i.e., from 1st April 2025 to 31st March 2026.
- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Company.
- Compliance with any Environmental, Social, and Legal issues related to the regulatory authorities.
- Any of the statements related to company's reputation.

SR ASIA
Social Responsibility Asia

Social Responsibility Asia (SR Asia)
(ISO 9001: 2015 Certified)

Reasonable Assurance Opinion

We conducted a reasonable assurance engagement on the selected ESG information forming part of BHEL's BRSR Core Report and Sustainability Report for FY 2025-26, in accordance with ISAE 3000 (Revised). Our procedures included assessing processes, testing data, evaluating methodologies, and reviewing supporting evidence across multiple operational sites.

Conclusion
Based on the evidence obtained, the Company has established foundational sustainability systems, including environmental and safety management frameworks, renewable energy infrastructure, and reporting processes for BRSR disclosures. We acknowledge management's cooperation and transparency during the assurance process and timely resolutions of the areas of improvements.

Opinion
In our opinion**,** except for the effects of the matters described in inherited limitation, the information subject to reasonable assurance is presented, in all material respects, in accordance with the applicable Reporting Criteria. We recommend that management prioritise action plan to address these observations in subsequent reporting cycles.

Statement of Independence, Impartiality, and Competence

SR Asia confirms that no financial, commercial, or personal relationships exist between the assurance team and BHEL or any of its locations that could compromise, or be perceived to compromise, the independence, impartiality, or objectivity of this engagement. The assurance fee is not contingent upon the outcome or conclusion of the assurance opinion.

A pre-engagement review was conducted to identify and evaluate any potential threats to independence, including self-interest, advocacy, familiarity, intimidation, and management participation threats. No such threats were identified, and appropriate safeguards were documented.

The assurance team adheres to a strict professional code of ethics, including the fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behaviour. The engagement was carried out in accordance with the independence requirements of ISAE 3000 (Revised) and the AA1000 Assurance Standard (2020).

The team collectively possesses deep competence and demonstrated experience in:

- BRSR Core requirements and Indian sustainability reporting framework

SR ASIA
Social Responsibility Asia

Social Responsibility Asia (SR Asia)

(ISO 9001: 2015 Certified)

- ISAE 3000 (Revised) for reasonable assurance engagements
- ISO 26000 (Social responsibility) and AA1000 AccountAbility Principles
- GRI Standards (2021) for materiality, topic management, and disclosure
- GHG Protocol for Scope 1, 2, and 3 emissions quantification
- Environmental, social, and governance (ESG) data validation and internal control assessment

All team members have completed relevant training on assurance methodologies and remain current with evolving sustainability disclosure regulations.

This statement remains valid for the FY 2025-26 assurance engagement and is without prejudice to the qualified conclusion expressed in the assurance opinion.

BIRENDRA DUTT RATURI

Digitally signed by BIRENDRA DUTT RATURI
DN: cn=BIRENDRA DUTT RATURI c=IN o=PERSONAL
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-06-22 15:05+05:30

Birendra Raturi
(Director /Team Lead)
SR Asia
Date: 11th June 2026
Place: New Delhi, India

परीक्षण स्तर से व्यावसायिक स्तर तक – COBOT आधारित MIG वेल्डिंग प्रणाली

FLAWLESS WELD CONSISTENCY

- कंपनी ने BAP, रानीपेट में अपनी पहली ट्रॉली-माउंटेड **कोलैबोरेटिव रोबोट (COBOT) आधारित MIG वेल्डिंग प्रणाली** शुरु की है। पारंपरिक स्वचालन की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए, यह तकनीक उच्च-विविधता और कम-मात्रा वाले भारी फैब्रिकेशन वातावरण के लिए अभूतपूर्व लचीलापन प्रदान करती है।
- कुशल कर्मियों के साथ बिना किसी प्रतिबंधात्मक सुरक्षा घेराबंदी के सहज रूप से कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया कोबोट मानव विशेषज्ञता को बुद्धिमान स्वचालन के साथ जोड़ता है, जिससे उत्पादकता, परिशुद्धता, कार्यस्थल सुरक्षा तथा विनिर्माण लचीलापन में वृद्धि होती है।
- सहज एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणाली की सहायता से ऑपरेटर रोबोटिक आर्म को जटिल वेल्डिंग पथों के साथ भौतिक रूप से निर्देशित कर सकते हैं। प्रणाली इस पथ को मेमोरी में सुरक्षित रखती है और इसे उच्च स्थिति पुनरावृत्तीयता के साथ दोहराती है। +0.05 मिमी की उच्च स्थिति पुनरावृत्तीयता के साथ, यह प्रणाली वेल्ड की गुणवत्ता में दोषरहित निरंतरता सुनिश्चित करती है तथा **"टीच मोड"**, घटक के पुनःकार्य और अस्वीकृतियों की आवश्यकता को लगभग समाप्त कर देती है।
- यह पहल विनिर्माण उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अगली पीढ़ी के डिजिटल रूप से सक्षम समाधानों को अपनाने के प्रति बीएचईएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक-VI

अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उपलब्धियाँ

6.1 अनुसंधान एवं विकास रणनीति

बीएचईएल प्रौद्योगिकी-प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत है, जहाँ सतत प्रतिस्पर्धात्मकता निरंतर नवाचार तथा उत्पादों के उन्नयन से संचालित होती है। उच्च दक्षता एवं डिजिटल रूप से सक्षम समाधानों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, कंपनी उन्नत एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों और समाधानों की पेशकश के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ बनाने हेतु दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है।

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास (आर&डी) पर लगभग ₹822 करोड़ का निवेश किया, जो परिचालन से प्राप्त राजस्व का 2.4% है। वित्त वर्ष 2024–25 में यह निवेश ₹662 करोड़ था। वर्ष के दौरान कुल 428 पेटेंट एवं कॉपीराइट दाखिल किए गए, जिसके परिणामस्वरुप 31 मार्च 2026 तक कंपनी की संचयी बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) की संख्या 6,068 हो गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी के कुल राजस्व का लगभग 14% भाग कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों, प्रणालियों एवं सेवाओं से प्राप्त हुआ, जो कंपनी के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के सफल व्यावसायीकरण पर उसके सुदृढ़ फोकस को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण पहल और उपलब्धियाँ

बीएचईएल ने अनुसंधान एवं विकास (आर&डी) तथा उत्पाद विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया है-

- **स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियाँ –** डीकार्बोनाइज़ेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) संबंधी पहलों को आगे बढ़ाते हुए, बीएचईएल कोयले से प्राप्त CO_2 (कार्बन डाइऑक्साइड) से डाइ-मेथाइल ईथर (DME) के उत्पादन हेतु प्रत्यक्ष उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण (Direct Catalytic Hydrogenation) प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सीएसआईआर–भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CSIR-IICT) के साथ सहयोग कर रहा है।
- **जलविद्युत एवं पम्प्ड स्टोरेज –** निरंतर अनुसंधान एवं विकास (आर&डी) तथा विनिर्माण उत्कृष्टता का लाभ उठाते हुए, बीएचईएल ने जलविद्युत विद्युत-यांत्रिक (Hydro E&M) समाधानों के क्षेत्र में पूर्णतः स्वदेशी एंड-टू-एंड क्षमताएँ विकसित की हैं। इस दिशा में प्रमुख उपलब्धियों में पोलावरम परियोजना के लिए 80 मेगावाट क्षमता का सर्वाधिक बड़े व्यास वाला जनरेटर तथा दिबांग परियोजना के लिए 240 मेगावाट क्षमता का उच्चतम रेटिंग वाला जनरेटर शामिल हैं। बीएचईएल भविष्य में पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए 350 मेगावाट तक की क्षमता वाले पूर्णतः स्वदेशी रिवर्सिबल पम्प-टर्बाइन तथा मोटर-जनरेटर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सक्षम है।
- **रक्षा एवं एयरोस्पेस –** बीएचईएल रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर वायुयान अनुप्रयोगों (Airborne Applications) के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स तथा पम्प मॉड्यूल्स जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास में निरंतर सहयोग कर रहा है, जिससे भारत की रक्षा तैयारी तथा सामरिक आत्मनिर्भरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ होती है।
- **पारेषण –** नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी वाले परिदृश्य में विद्युत ग्रिड की स्थिरता एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, बीएचईएल ग्रिड स्थिरीकरण हेतु सिंक्रोनस कंडेंसर का विकास कर रहा है।
- **रेल परिवहन –** रेल संपर्क, सुरक्षा तथा सतत विकास के क्षेत्र में नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, बीएचईएल प्रौद्योगिकी साझेदारी के माध्यम से टीसीएएस (कवच) [Train Collision Avoidance System (KAVACH)] का विकास कर रहा है।
- **उच्च दक्षता तापीय विद्युत संयंत्र –** अधिक स्वच्छ एवं उच्च दक्षता वाली तापीय विद्युत उत्पादन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, बीएचईएल उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (Advanced Ultra Super Critical – AUSC) प्रौद्योगिकी के विकास को आगे बढ़ा रहा है।

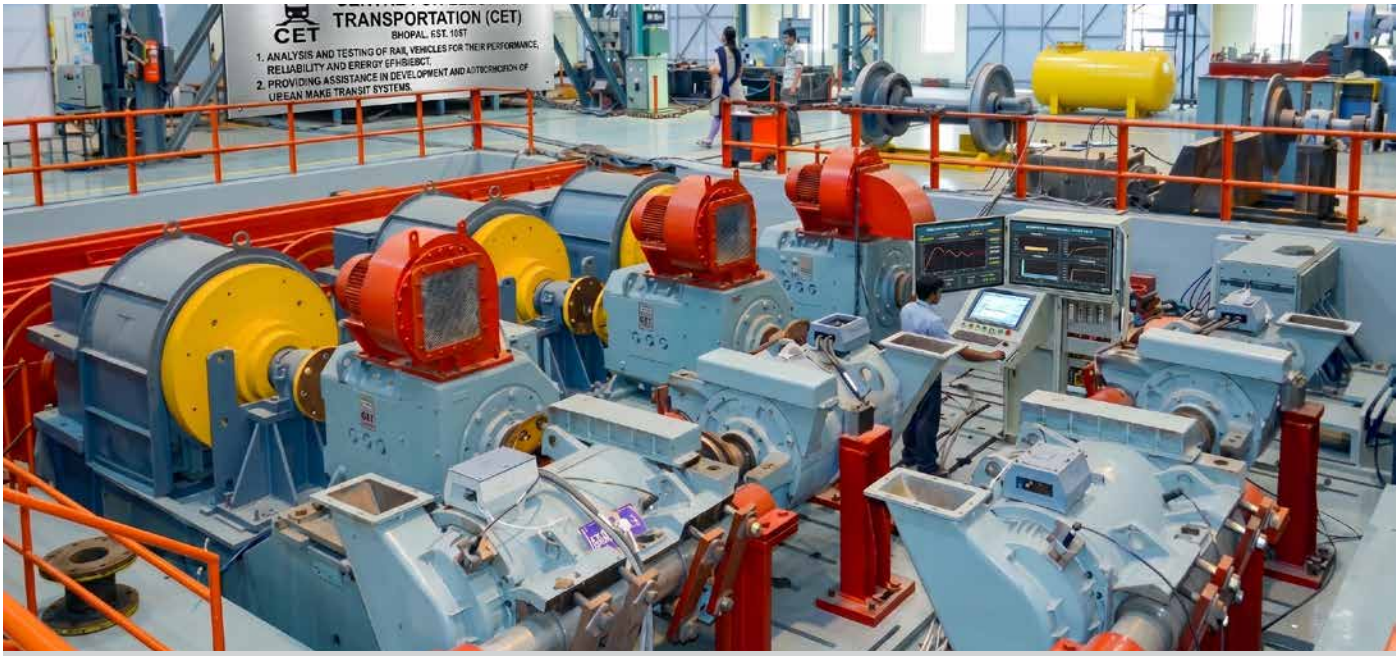

विद्युत परिवहन केंद्र (सीईटी), भोपाल – वर्ष 1987 से रेल वाहनों के अनुसंधान, निष्पादन परीक्षण तथा ऊर्जा दक्षता विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों से सुसज्जित है।

संयुक्त चक्र प्रदर्शन संयंत्र (सीसीडीपी) के एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, बीएचईएल त्रिची के इंजीनियरों के साथ।

- **उच्च दक्षता तापीय विद्युत संयंत्र** – अधिक स्वच्छ एवं उच्च दक्षता वाली तापीय विद्युत उत्पादन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, बीएचईएल उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के विकास को आगे बढ़ा रहा है।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग** – बीएचईएल वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग के माध्यम से उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर संभावित व्यावसायिक अवसरों का दोहन करने के लिए रणनीतिक रूप से स्वयं को सुदृढ़ कर रहा है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 18 सक्रिय प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (Technology Collaboration Agreements – TCAs) थे।

बीएचईएल अपने अभियंताओं के निरंतर पुनः कौशल विकास (Reskilling) के माध्यम से अपने ज्ञान-आधारित तंत्र को सक्रिय रूप से सुदृढ़ कर रहा है तथा डिज़ाइन अनुकूलन, लागत दक्षता और उत्पाद विकास चक्रों में तीव्रता लाने के लिए केंद्रित पहलों को आगे बढ़ा रहा है।

वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ

बीएचईएल की अनुसंधान एवं विकास (आर&डी) पहलों ने उत्पादों एवं प्रणालियों में नवाचार, स्वदेशीकरण तथा लागत अनुकूलन के माध्यम से उल्लेखनीय परिणाम एवं मूल्य संवर्धन सुनिश्चित किया है।

- बैरल सेंट्रीफ्यूगल तथा मल्टीस्टेज सेंट्रीफ्यूगल विन्यासों का एकीकरण करते हुए उन्नत कंप्रेसर के लिए इन-हाउस केसिंग डिज़ाइन विकसित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मशीनिंग प्रक्रिया सरल हुई, भार एवं जटिलता में कमी आई, रोटोडायनामिक स्थिरता में सुधार हुआ तथा विनिर्माण समय में कमी आई। इस डिज़ाइन का उपयोग वर्तमान में 15–25 एमएमटीपीए (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) क्षमता वाली रिफाइनरी परियोजनाओं में किया जा रहा है।
- तापीय डिज़ाइन के अनुकूलन के माध्यम से कंडेंसर के प्रत्येक यूनिट के भार में लगभग 19.5 टन की कमी प्राप्त की गई।
- 220 मेगावाट (MWe) क्षमता वाले परमाणु टर्बाइनों के लिए टर्बाइन सुपरवाइज़री इंस्ट्रूमेंटेशन (TSI) तथा वैक्यूम अनलोडर प्रणालियों का उन्नयन उन्नत स्थिति निगरानी प्रणाली "कंपन (KAMPAN)" के साथ किया गया। इस प्रणाली को 7 परमाणु इकाइयों में लागू करने की योजना है।
- 750 टन टॉप ड्राइव सिस्टम के अनुरूप E-3000 ऑयल रिग मास्ट का सफलतापूर्वक डिज़ाइन किया गया। संशोधित E-3000 श्रृंखला का ऑयल रिग मास्ट कैंटिलीवर शैली की संरचना है, जिसकी ऊँचाई 152 फीट तथा आधार की चौड़ाई 35 फीट है। इस संशोधित डिज़ाइन के लिए प्राप्त वाणिज्यिक आदेश का निष्पादन प्रगति पर है।
- HP1203 बाउल मिल्स के लिए प्लैनेटरी गियरबॉक्स का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया गया। यह 30 से 35 RPM की मध्यम गति पर संचालित होता है तथा निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के लिए 96 टन प्रति घंटा की मिल क्षमता प्रदान करता है।
- निर्यात बाजारों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 175 मेगावाट क्षमता के एयर-कूल्ड टर्बो-जनरेटर की आपूर्ति की गई। इससे पूर्व बीएचईएल ने प्रौद्योगिकी सहयोग के अंतर्गत 150 मेगावाट तक के एयर-कूल्ड टर्बो-जनरेटर की आपूर्ति की थी।
- एसआरजीएम के लिए 100 केवीए रोटरी फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर (आरएफसी) विकसित किया गया, जो रक्षा अनुप्रयोगों के लिए आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) रुपांतरण सक्षम बनाता है। RFC एक मोटर–अल्टरनेटर प्रणाली है, जिसमें एक ही शाफ्ट पर दो मशीनें लगी होती हैं और जो 50 हर्ट्ज़ विद्युत प्रणाली की शक्ति को 60 हर्ट्ज़ प्रणाली में परिवर्तित करती है।

बीएचईएल भोपाल के शॉप फ्लोर में फ्लेमप्रूफ मोटर

कोल गैसीफिकेशन पायलट प्लांट सुविधा, क्षमता: 0.25 TPD, IICT कैंपस, हैदराबाद

- कम्बाइंड चार्जिंग सिस्टम-2 (CCS2) इंटरफेस तथा डायनेमिक लोड शेयरिंग क्षमता से युक्त 240 किलोवाट डीसी फास्ट ईवी चार्जर का विकास किया गया।
- मोटरों एवं अल्टरनेटरों के लिए उच्च शक्ति तथा उच्च फ्रैक्चर-टफनेस वाले अलौह रिटेनिंग रिंग्स का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण एवं व्यावसायीकरण किया गया।
- अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल बॉयलरों के लिए मिक्सिंग स्फीयर का स्वदेशी फोर्जिंग-ग्रेड सामग्री का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक विकास किया गया, जिसने आयातित उच्च-मोटाई प्लेटों का स्थान लिया।
- 800 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयों के एयर प्री-हीटर के सेकेंडरी एयर आउटलेट में उपयोग होने वाले बाइप्लेन डैम्पर का सफलतापूर्वक डिज़ाइन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इसकी लंबाई में कमी आई।

6.2 अनुसंधान एवं विकास (आर&डी) तथा प्रौद्योगिकी विकास की भावी दिशा

भविष्य के लिए बीएचईएल के अनुसंधान एवं विकास (आर&डी) फोकस क्षेत्र:

- कोयला-से-रसायन प्रौद्योगिकियों तथा CO_2 से डाइ-मेथाइल ईथर (DME) रूपांतरण प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना, जिसमें ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ 2,000 टीपीडी (टन प्रतिदिन) अमोनियम नाइट्रेट परियोजना भी शामिल है।
- अगली पीढ़ी (Next-Generation) के प्रोपल्शन सिस्टम, सेमी-हाई स्पीड ट्रेनसेट्स तथा एकीकृत रेल समाधान का विकास।
- हाइड्रोजन वैल्यू चेन के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र तथा फ्यूल सेल सहित उत्पादों एवं प्रणालियों का विकास।
- एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए लिथियम-आयन बैटरियों, कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स तथा लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स का विकास।
- डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए उत्पादों का विकास।
- पीएचडब्ल्यूआर तथा पीडब्ल्यूआर प्रौद्योगिकियों पर आधारित परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए उत्पादों एवं प्रणालियों का विकास।
- लचीले एवं उच्च दक्षता वाले विद्युत उत्पादन के लिए 350 मेगावाट क्षमता की सुपरक्रिटिकल इकाइयों का विकास।
- ई-गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समाधान विकसित करना, (जिनमें पावरट्रेन, चार्जिंग स्टेशन आदि शामिल हैं) तथा पम्प्ड स्टोरेज सहित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का विकास।
- डिजिटल सबस्टेशन तथा उन्नत विद्युत पारेषण के लिए उत्पादों एवं प्रणालियों का विकास।

बीएचईएल प्रौद्योगिक नेतृत्व के माध्यम से सतत एवं नवाचार-आधारित विकास प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ता से कायम है। बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास (R&D) को समन्वित करते हुए, स्वदेशी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाकर तथा रणनीतिक सहयोगों को प्रोत्साहित करके, कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने तथा भारत के औद्योगिक एवं ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सार्थक योगदान देने के लिए सुदृढ़ स्थिति में है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

के. सदाशिव मूर्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 07 जुलाई, 2026

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक – VII

7 .1 ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाए गए कदम एवं उनका प्रभाव

आपकी कंपनी ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण को अपनी परिचालन रणनीति का अभिन्न अंग मानते हुए निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। बीएचईएल की ऊर्जा-गहन विनिर्माण इकाइयाँ ISO 50001:2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत प्रमाणित हैं, जो सुव्यवस्थित ऊर्जा प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने तथा ऊर्जा प्रदर्शन में निरंतर सुधार के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता की पुनर्पुष्टि करती हैं।

विभिन्न इकाइयों में नियमित रूप से व्यवस्थित ऊर्जा लेखा-परीक्षण (Energy Audits) किए जाते हैं, जिनके आधार पर ऊर्जा संरक्षण से संबंधित अनेक पहलों की पहचान कर उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप ऊर्जा की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है तथा परिचालन दक्षता में वृद्धि हुई है।

दस विनिर्माण इकाइयाँ—एचईईपी एवं सीएफएफपी, हरिद्वार; एचपीबीपी एवं एसएसटीपी, तिरुचिरापल्ली; पीपीपीयू, तिरुमयम; बीएपी, रानीपेट; एचईपी, भोपाल; एचपीईपी, हैदराबाद; एचपीवीपी, वाराणसी; तथा आईवीपी, गोइंदवाल—ने ISO 50001:2018 प्रमाणन को निरंतर बनाए रखा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बीएचईएल में कुल 50 ऊर्जा संरक्षण (ENCON) परियोजनाएँ सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गईं, जिनसे ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा संगठन के सतत विकास संबंधी प्रदर्शन को और सुदृढ़ किया गया।

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

कंपनी ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने की दिशा में निरंतर प्रगति की है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बीएचईएल के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा सामूहिक रूप से लगभग 44.21 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन किया गया। पिछले नौ वर्षों में कंपनी द्वारा कुल सौर ऊर्जा उत्पादन लगभग 275.86 मिलियन यूनिट तक पहुँच गया है। 31 मार्च, 2026 तक बीएचईएल की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 43.25 मेगावाट पीक (MWp) है।

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, ऊर्जा दक्षता में सुधार के उद्देश्य से बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयों में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं पर ₹39.95 करोड़ का पूंजीगत निवेश किया गया। इनमें बीएचईएल तिरुचिरापल्ली में री-गैसीफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (Re-gasified Liquefied Natural Gas–RLNG) अवसंरचना की स्थापना, बीएचईएल हैदराबाद में 20 टीपीएच (टन प्रति घंटा) बॉयलर की स्थापना तथा बीएचईएल हरिद्वार में 30 टन क्षमता वाली इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) की स्थापना जैसी प्रमुख परियोजनाएँ शामिल हैं।

7.2 प्रौद्योगिकी को अपनाना, अनुसंधान और विकास

अनुसंधान & विकास

1.	कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास (R&D) कार्य किए गए विशिष्ट क्षेत्र।	}	विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट–VI "अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियाँ" में दिया गया है।
2.	उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ।		
3.	भविष्य के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र।		
4.	**अनुसंधान एवं विकास पर व्यय**		
कुल		--	₹822 करोड़
a)	आवर्ती व्यय	--	₹820.07 करोड़
b)	पूंजीगत व्यय	--	₹1.93 करोड़
राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यय		--	2.4%

प्रौद्योगिकी आत्मसात

पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयात की गई प्रौद्योगिकियों का विवरण:

प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	प्रौद्योगिकी आत्मसात की स्थिति
उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम)	2021	"प्रौद्योगिकी का आत्मसात प्रगति पर है।"
सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज़्ड बेड दहन (सीएफबीसी) बॉयलर	2022	
"गैस टर्बाइनों के उन्नत तथा नवीन मॉडल"	2023	
कवच (सिग्नलिंग प्रणाली)	2024	
"अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति भाप जनित्र (एचआरएसजी)"	2025	

7 .3 विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	2025- 26	2024- 25
विदेशी मुद्रा का व्यय	2,278	1,967
विदेशी मुद्रा अर्जन	427	557

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07 जुलाई, 2026

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक – VIII

8.1 राजभाषा कार्यान्वयन

बीएचईएल राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बीएचईएल में हिन्दी के प्रोत्साहन हेतु वर्षों से अनेक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बीएचईएल को 14 सितंबर, 2025 को वर्ष 2024-25 के "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। यह राजभाषा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें आयोजित की गईं तथा 09 इकाइयों/प्रभागों का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा बीएचईएल की चार इकाइयों—ईडीएन, बेंगलुरु; एचईईपी, हरिद्वार; सीएफपी, रुद्रपुर; तथा बीएपी, रानीपेट—का निरीक्षण किया गया तथा राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की गई।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ संचालित की गईं:

- 14 सितम्बर, 2025 को गांधीनगर, गुजरात में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस-2025 समारोह तथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में बीएचईएल के 30 अधिकारियों ने सहभागिता की।
- हिन्दी दिवस-2025 के अवसर पर बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों में विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा कवि सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
- दिल्ली-एनसीआर स्थित कार्यालयों में आयोजित 'राजभाषा उल्लास पर्व' के अंतर्गत आयोजित नौ प्रतियोगिताओं में 1,000 से अधिक कर्मचारियों ने सहभागिता की।
- 10 जनवरी, 2026 को विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर कंपनी की सभी इकाइयों/प्रभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों तथा कवि सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
- अंतर-इकाई राजभाषा उत्कृष्टता सम्मान' के अंतर्गत, कंपनी की 11 इकाइयों/प्रभागों को वर्ष 2024-25 में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
- बीएचईएल विभिन्न नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (टोलिक - TOLIC) में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिनमें संबंधित नगरों की इकाइयों/प्रभागों के प्रमुख सदस्य हैं। इन समितियों द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिल्ली टोलिक द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिल्ली-एनसीआर स्थित बीएचईएल कार्यालयों के 15 कर्मचारियों ने पुरस्कार प्राप्त किए।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बीएचईएल में 17 हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। इन पत्रिकाओं के लिए उत्कृष्ट लेख देने वाले 30 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
- कंपनी भर में नियमित रुप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 4,400 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। दिल्ली-एनसीआर स्थित कार्यालयों में 08 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 275 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- हिन्दी बोर्ड परीक्षाओं में हिन्दी विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बीएचईएल को राजभाषा के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

कॉर्पोरेट कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की शपथ दिलाई गई।

- हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, 'मौलिक हिन्दी पुस्तक लेखन योजना' के अंतर्गत ब्लॉक वर्ष 2023-25 के लिए 4 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया।
- कंपनी की विभिन्न इकाइयों में हिन्दी में ई-मेल लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से त्रैमासिक आधार पर हिन्दी ई-मेल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
- भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 'ग' क्षेत्र में कार्यरत हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
- बीएचईएल के दिल्ली-एनसीआर स्थित एक कार्यालय में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवीन हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना की गई।

8.2 सतर्कता तंत्र

कंपनी में सुशासन, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा तथा नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित सुदृढ़ सतर्कता तंत्र (Vigil Mechanism) स्थापित है। बीएचईएल के सतर्कता कार्य का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक ओर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा दूसरी ओर कंपनी प्रबंधन के बीच समन्वयकारी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। बीएचईएल की सभी विनिर्माण इकाइयों तथा विद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक पृथक सतर्कता प्रकोष्ठ स्थापित है, जिसका नेतृत्व सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट/प्रतिवेदित करता है।

निवारक सतर्कता सदैव बीएचईएल की सतर्कता टीम का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। निवारक सतर्कता के अंतर्गत प्रणालियों, नियमों एवं नीतियों—विशेषकर क्रय तथा भर्ती से संबंधित व्यवस्थाओं—की समीक्षा, जागरुकता संबंधी उपायों का संचालन तथा हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विशिष्ट कार्यक्षेत्रों/विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को क्रमिक रूप से समाप्त किया जा सके।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट सतर्कता दल द्वारा कंपनी की विभिन्न विनिर्माण इकाइयों एवं पावर सेक्टर के क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, इकाई स्तर पर स्थापित सतर्कता प्रकोष्ठों द्वारा नियमित निरीक्षण, आकस्मिक जाँच, प्रणाली अध्ययन तथा मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) प्रकार के निरीक्षण आदि भी संपन्न किए गए। इन निरीक्षणों एवं अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई तथा प्रबंधन को प्रणालीगत सुधारों हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों के अनुरूप, आंतरिक लेखा परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखा परीक्षा रिपोर्टों का भी परीक्षण किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन रिपोर्टों में उल्लिखित लेखा परीक्षण टिप्पणियों (ऑडिट पैरा) में कोई सतर्कता संबंधी पहलू विद्यमान है अथवा नहीं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीडीए नियमों के अंतर्गत आने वाले 2,918 कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति विवरणों की जाँच की गई, जो उक्त नियमों के अंतर्गत आने वाले लगभग 20 प्रतिशत कर्मचारियों को कवर करती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 38 मामलों को जाँच हेतु लिया गया। इनमें से 11 मामलों में निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं से विचलन तथा अन्य प्रकार के कदाचार पाए गए, जिसके आधार पर उत्तरदायी पाए गए 26 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई। इन कदाचारों में सामान्यतः जानबूझकर की गई चूक, तथ्यों को छिपाना, जालसाजी, धोखाधड़ी की मंशा से पद का दुरुपयोग, अनुचित लाभ प्राप्त करना अथवा किसी अन्य को अनुचित लाभ या कंपनी को अनुचित हानि पहुँचाने जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित थीं, जिनसे कंपनी के हित प्रभावित हुए।

ऐसे मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 19 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ पूर्ण की गईं तथा उन पर दंड अधिरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त, 07 चेतावनी/परामर्श पत्र भी जारी किए गए। आगे, कुल 330 शिकायतों (जिनमें से 304 शिकायतें वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त हुई) में से 310 शिकायतों का परीक्षण उपरांत निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतें निस्तारण के विभिन्न चरणों में हैं। सतर्कता विभाग की सलाह पर विभिन्न एजेंसियों, कर्मचारियों, विक्रेताओं तथा ठेकेदारों से लगभग ₹3.92 करोड़ की राशि की वसूली की गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निवारक सतर्कता पहल के अंतर्गत बीएचईएल ने कंपनी भर में हितधारकों को जागरुक एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से 178 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल द्वारा 11–12 नवम्बर, 2025 को बीएचईएल सदन, नोएडा में दो दिवसीय सतर्कता प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सतर्कता अधिकारियों तथा दिल्ली-एनसीआर के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विशेषज्ञों के व्याख्यानों तथा वरिष्ठ नेतृत्व के संबोधनों

के माध्यम से सतर्कता व्यवस्था की प्रभावशीलता को और सुदृढ़ बनाना था। वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा अपनी त्रैमासिक ई-समाचार-पत्रिका 'दिशा' के चार अंक प्रकाशित किए गए। इसके साथ ही वर्ष 2013 से प्रकाशित कुल अंकों की संख्या 50 हो गई। इस ई-समाचार-पत्रिका का उद्देश्य क्रय नीतियों, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एवं भारत सरकार (GoI) के दिशा-निर्देशों तथा श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों (Best Practices) के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना है।

बीएचईएल ने (27 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2025) तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" का आयोजन "सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी" विषय-वस्तु के साथ मनाया। इसका शुभारम्भ कॉर्पोरेट कार्यालय तथा कंपनी की सभी इकाइयों में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा (Integrity Pledge) के साथ किया गया। जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत लगभग 27,500 कर्मचारियों, 152 विक्रेताओं/ग्राहकों, 9,517 नागरिकों, 23,433 विद्यालयी विद्यार्थियों तथा 1,028 महाविद्यालयी विद्यार्थियों ने सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली। देशभर में कुल 135 जागरूकता कार्यक्रम, 110 प्रतियोगिताओं तथा 7 विक्रेता बैठकें/शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया गया। जनसंपर्क एवं जागरूकता गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटकों, 11 वॉकाथॉन, 2 साइकिल रैलियों, 4 मानव श्रृंखलाओं तथा 9 गाँवों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, ई-मेल के माध्यम से संदेशों का प्रसार, सतर्कता संबंधी प्रचार-सामग्री का वितरण तथा सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया।

भारत भारी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 07, 2026

अनुलग्नक – IX बोर्ड की रिपोर्ट

एओसी फॉर्म - I

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित के अनुसार)

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं का विवरण भाग "ए": सहायक कंपनियाँ

(प्रत्येक सहायक कंपनी से संबंधित जानकारी की राशियाँ ₹ करोड़ में प्रस्तुत की जाएँ।)

1	क्र. सं.	लागू नहीं
2	सहायक कंपनी का नाम	
3	सहायक कंपनी का अधिग्रहण कब से हुआ	
4	संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (यदि वह होल्डिंग कंपनी की रिपोट्टिंग अवाधि से भिन्न हो)	
5	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	
6	अंश पूंजी	
7	आरक्षित और अधिशेष	
8	कुल परिसंपत्तियाँ	
9	कुल देयताएं	
10	निवेश	
11	कारोबार	
12	कर- पूर्व लाभ	
13	कर हेतु प्रावधान	
14	कराधान के बाद लाभ	
15	प्रस्तावित लाभांश	
16	शेयरधारिता का %	

1	उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी तक अपना परिचालन प्रारंभ नहीं किया है	शून्य
2	वित्तीय वर्ष के दौरान परिसमापन की गई या विक्रय की गई सहायक कंपनियों का नाम	शून्य

भाग "बी": सहयोगी एवं संयुक्त उपक्रम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुपालन में सहयोगी कंपनियों एवं सयुक्त उपक्रमों से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

	संयुक्त उपक्रम का नाम	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	रायचूर पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	भारत कोयला गैसीकरण और केमिकल लिमिटेड
1	नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट की तारीख	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025
2	सहयोगी संस्था या संयुक्त उपक्रम के साथ संबद्धता/ अधिग्रहण की तिथि।	5 मई, 1997	28 अप्रैल, 2008	15 अप्रैल, 2009	21 मई, 2024
3	वित्तीय वर्ष के अंत में बीएचईएल द्वारा संयुक्त उपक्रमों में धारित शेयर।				
	संख्या	2379999	50000000	664040000	4870600
	निवेश की कुल राशि	2.38	50.00	664.04	4.87
	हिस्सेदारी का प्रतिशत (%)	50% से एक शेयर कम	50%	22.14%	49%
4	महत्वपूर्ण प्रभाव होने का विवरण	संयुक्त रुप से नियंत्रित इकाइयां			
5	सहयोगी संस्था/संयुक्त उपक्रम के समेकन न होने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के अनुरुप निवल संपत्ति	275.58	शून्य	शून्य	शून्य
7	वर्ष का लाभ/हानि	इक्विटी पद्धति के अनुसार			
	i) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया	63.41	शून्य	शून्य	(2.36)
	ii) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया	-	(13.37)	(401.72)	-

कोष्ठक (ब्रैकेट्स) में दिए गए आंकड़े नकारात्मक हैं। आरपीसीएल में, 300 शेयर बीएचईएल के नाम पर उसके नामांकित व्यक्ति के नाम पर हैं।

मैसर्स पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय वर्ष के दौरान भंग कर दिया गया है और तदनुसार इसे समेकन में शामिल नहीं किया गया हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(योगेश आर छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम. संख्या एफ 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त और सीएफओ
डीआईएन: 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 04, 2026

एओसी फॉर्म सं - II

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र, उसमें उक्त धारा के चौथे परंतुक के अंतर्गत आने वाले कुछ आर्म्स लेंथ लेन-देन सम्मिलित हैं।

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा, (3) के खंड(एच) तथ कंपनी नियम (लेखा), 2014 के नियम 8(2) के अनुसार]

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण जो आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं है

आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की संख्या		0
ए	सीआईएन या अन्य कोई पंजीकरण संख्या	शून्य
बी	संबंधित व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम	शून्य
सी	संबंध का स्वरुप	शून्य
डी	संविदाएं / व्यवस्थाएं / लेन-देन का स्वरुप	शून्य
ई	संविदाएं / व्यवस्थाएं / लेन-देन की अवधि	शून्य
एफ	वास्तविक/अपेक्षित संविदात्मक राशि सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें	शून्य
जी	इस तरह के अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य।	शून्य
एच	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (DD/MM/YYYY)	शून्य
आई	भुगतान की गई अग्रिम राशि, यदि हो	शून्य
जे	वह तारीख जिस पर धारा 188 के पहले परंतुक के तहत अपेक्षित रुप से आम सभा में संकल्प पारित किया गया था (DD/MM/YYYY)	शून्य
के	MGT-14 का SRN	शून्य

2. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण जो आर्म्स लेंथ के आधार पर नहीं है

आर्म्स लेंथ के आधार पर सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की संख्या **2**

ए	सीआईएन या अन्य कोई पंजीकरण संख्या	U23935OD2024GOI045884
बी	संबंधित व्यक्ति / व्यक्तियों का नाम	भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)
सी	संबंध का स्वरुप	बीएचईएल (49%) और सीआईएल (51%) का संयुक्त उपक्रम
डी	संविदाएं / व्यवस्थाएं / लेन-देन का स्वरुप	• कोल गैसीकरण और कच्चा सिनगैस सफाई परियोजना (एलएसटीके 1 पैकेज), और • सिनगैस शुद्धिकरण परियोजना (एलएसटीके 2 पैकेज) के विक्रय के लिए वस्तु एवं सेवाएं (आपूर्ति, स्थापना तथा सिविल सेवाएं)
ई	संविदाएं / व्यवस्थाएं / लेन-देन की अवधि	• LSTK-1 के लिए दिनांक 08.01.2026 से 42 माह • LSTK-2 के लिए दिनांक 10.02.2026 से 42 माह के लिए वस्तु एवं सेवाएं
एफ	वास्तविक/अपेक्षित संविदात्मक राशि सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें	• BCGCL के साथ किए गए संबंधित पक्षकार लेन-देन की राशि • लगभग ₹5,400 करोड़ (GST को छोड़कर) (LSTK-1) • लगभग ₹2,800 करोड़ उत्पाद शुल्क तथा जीएसटी को छोड़कर (LSTK-2), रु. 9,448.71 करोड़ + यूरो 31.874 मिलियन।
जी	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (DD/MM/YYYY)	लेन-देन सामान्य रुप से और उचित दूरी पर हैं और बीएचईएल तथा बीसीजीसीएल दोनों सरकारी कंपनियां हैं, तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत बोर्ड की मंजूरी लागू नहीं थी।
एच	भुगतान की गई अग्रिम राशि, यदि हो	शून्य

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
के निदेशक मंडल की और से एवं उनके लिए

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 07, 2026

अनुलग्नक – X :

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के सांविधिक एवं लागत लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक

मैसर्स के वेंकटाचलम अय्यर एण्ड कं., नई दिल्ली

मैसर्स के एस दुआ एंड कंपनी, नई दिल्ली

शाखा लेखा-परीक्षक

मैसर्स संजय श्रीवास्तव एंड कंपनी, भोपाल

मैसर्स गणेशन और कंपनी, चेन्नई

मैसर्स वाईसीआरजे एंड एसोसिएट्स, बेंगलुरु

मैसर्स सरथ एंड एसोसिएट्स, हैदराबाद

मैसर्स के गोपाल राव एंड कंपनी, चेन्नई

लागत लेखा परीक्षक

प्रधान लागत लेखा-परीक्षक

मैसर्स विजेंदर शर्मा एण्ड कं., दिल्ली

अन्य लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स आर एम बंसल और कंपनी, कानपुर

मैसर्स नरसिंह मूर्ति एंड कंपनी, हैदराबाद

मैसर्स सुब्रमण्यम राजगोपाल और एसोसिएट्स, तिरुचिरापल्ली

मैसर्स मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी., बेंगलुरु

मैसर्स पालीवाल एंड एसोसिएट्स, लखनऊ

मैसर्स एसएसपीजीआर और एसोसिएट्स एलएलपी, विशाखापत्तनम

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07 जुलाई , 2026

बी एच ई एल BHEL

बोर्ड रिपोर्ट का अनुलग्रक – 11

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

राय

हमने **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी")** के संलग्न एकल वित्तीय परिणाम का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2026 की तिथि का तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), हिस्सेदारी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण तथा एकल वित्तीय परिणाम के नोट्स शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश है (इसके बाद इन्हें "एकल वित्तीय परिणाम" कहा गया है)। इसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 11 शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं जिनका अंकेक्षण हमने किया है और 14 शाखाओं के रिटर्न जिनका अंकेक्षण कंपनी के शाखा निरीक्षकों द्वारा किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को उस प्रकार से देते हैं जिस प्रकार आवश्यक है और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों ("Ind AS") के अनुरूप तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की 31 मार्च, 2026 की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है, हिस्सेदारी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग/अंकेक्षण मानकों (SAs) के अनुसार एकल वित्तीय परिणाम का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन आगे हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए निरीक्षकों की जिम्मेदारियां" अनुभाग में किया गया है। हम कंपनी से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ भी जो एकल वित्तीय परिणाम के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय परिणाम पर अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख अंकेक्षण मामले

प्रमुख अंकेक्षण मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय परिणाम के हमारे अंकेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय परिणाम के समग्र अंकेक्षण के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय व्यक्त नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख अंकेक्षण मामले निर्धारित किए हैं।

<table>
<tr><th>अंकेक्षण के मुख्य मामले</th><th>लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया</th></tr>
<tr><td>इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के तहत राजस्व और अन्य संबंधित शेष राशियों की पहचान, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण की सटीकता।
इस राजस्व लेखांकन मानक को लागू करने में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जैसे: विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए निष्पादन दायित्वों की लेन-देन कीमत का निर्धारण, समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए आधार की उपयुक्तता, वित्तीय विवरणों में शेष राशियों की प्रस्तुति सहित प्रकटीकरण।
राजस्व तय करने के लिए 'अनुमानित प्रयास' का आकलन करना बहुत ज़रुरी है, क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, अब तक किए गए प्रयास और बाकी बचे काम को पूरा करने के लिए ज़रुरी प्रयासों पर विचार करना होता है।
एकल वित्तीय परिणाम के नोट 22 और 39 देखें</td><td>मुख्य अंकेक्षण प्रक्रियाएं

हमारे अंकेक्षण का तरीका आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता के परीक्षण पर आधारित था, जो इस प्रकार है:
• जानकारी तैयार करने से जुड़े उन कंट्रोल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया, जिन्हें जानकारी के पूर्ण और सटीक होने को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
• मौजूदा चल रहे अनुबंध और नए अनुबंध का एक सैंपल चुना गया, और अलग-अलग प्रदर्शन दायित्व की पहचान और ट्रांज़ैक्शन की कीमत तय करने से जुड़े आंतरिक नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता की जाँच की गई।
• इंड एएस 115 के अनुसार रेवेन्यू को रिकॉर्ड और डिस्क्लोज़ करने में इस्तेमाल होने वाले अनुबंध और उनसे जुड़ी जानकारी, अकाउंटिंग सिस्टम और बदलावों से संबंधित ज़रुरी जानकारी की जाँच की।
• महत्वपूर्ण पड़ावों को पूरा करने में संभावित देरी का पता लगाने के लिए अनुबंध के एक सैंपल की समीक्षा की गई, जिसके कारण बाकी प्रदर्शन दायित्व (काम की जिम्मेदारियों) को पूरा करने के लिए अनुमानित प्रयासों में बदलाव की आवश्यकता है।
• तर्कसंगतता और अन्य संबंधित महत्वपूर्ण मदों के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और विवरणों की जांच की।</td></tr>
<tr><td>व्यापार प्राप्यों और अनुबंध परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और वसूली-योग्यता

31 मार्च, 2026 के अंत में कंपनी के पास ₹9223.30 करोड़ के बकाया व्यापार प्राप्य (नेट) और ₹29389.61 करोड़ की अनुबंध परिसंपत्तियां (नेट) हैं।

ये बैलेंस, चल रहे और पूरे हो चुके अनुबंध के लिए इंड एएस 115 “ग्राहकों के साथ अनुबंध से रेवेन्यू” के अनुसार पहचाने गए रेवेन्यू से जुड़े हैं। इसके साइज़, भेजे गए पत्रों की शेष राशि की पुष्टि के लंबित होने और प्रबंधन के काफ़ी ज़्यादा फैसले की ज़रुरत के कारण, इसकी वसूली की संभावना का आकलन अंकेक्षण में एक अहम मुद्दा है।
एकल वित्तीय परिणाम के नोट्स 6, 9 और 39 देखें।</td><td><u>मुख्य अंकेक्षण प्रक्रियाएं</u>

हमने कंपनी की रेवेन्यू पहचानने की इंटरनल प्रोसेस और व्यापार प्राप्यों व अनुबंध परिसंपत्तियों के रिव्यू मैकेनिज़्म का आकलन किया है। हमारे अंकेक्षण के तरीके में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिज़ाइन और उनके काम करने की प्रभावशीलता की जांच शामिल थी, जो इस प्रकार है।
• ग्राहकों के साथ बिलिंग प्रक्रिया का मूल्यांकन किया।
• प्रोजेक्ट-वार बकाया विवरणों की सूची और प्रबंधन द्वारा उनकी समीक्षा की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।
• व्यापार प्राप्तियां और अनुबंध परिसंपत्तियां के इंपेयरमेंट पर कंपनी की गाइडलाइंस और पॉलिसी की समीक्षा की।
• साल के आखिर में सैंपल के आधार पर व्यापार प्राप्यों और अनुबंध परिसंपत्तियों की एजिंग की सटीकता की जांच की।
• तर्कसंगतता, वसूली-योग्यता और अन्य संबंधित महत्वपूर्ण मदों के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और विवरणों की जांच की।</td></tr>
</table>

अंकेक्षण के मुख्य मामले	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया

आकस्मिक देयता का आकलन
कंपनी के विरुद्ध विभिन्न मंचों पर अनेक वाद/मुकदमे लंबित हैं तथा आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है। हमने उपर्युक्त विषय को मुख्य लेखा-परीक्षण विषय के रूप में निर्धारित किया, क्योंकि इन मामलों के परिणामों से संबंधित अनिश्चितता के कारण कानून की व्याख्या में निर्णय का प्रयोग आवश्यक होता है।
तदनुसार, हमारा लेखा-परीक्षण इस विषय से संबंधित तथ्यों तथा लागू विधि की व्याख्या में किए गए निर्णयों/आकलनों के विश्लेषण पर केंद्रित रहा।
एकल वित्तीय विवरणों के **नोट संख्या 32 का संदर्भ लें।**
	<u>प्रमुख लेखा-परीक्षण प्रक्रियाएँ</u>
	लेखा-परीक्षण की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थीं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं थीं—
	• दावों अथवा विवादों के संबंध में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं आंतरिक नियंत्रणों की विस्तृत समझ प्राप्त करना।
	• चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाएँ करना—
	  • पत्राचार, संचार एवं प्रबंधन बैठकों के कार्यवृत्त का अध्ययन कर संबंधित मामलों को समझना।
	  • प्रबंधन के उपयुक्त स्तर के अधिकारियों से पूछताछ करना, जिसमें मामलों के परिणामों पर नवीनतम जानकारी, कंपनी द्वारा प्रस्तावित भावी कार्यवाही तथा उपलब्ध होने पर प्रबंधन द्वारा प्राप्त विधिक अभिमत की समीक्षा शामिल थी।
	  • संभावित परिणामों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन की युक्तिसंगतता के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करना।
	  • लागू लेखांकन मानकों के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय परिणाम में शामिल 14 (चौदह) ब्रांच के वित्तीय विवरण/जानकारी का अंकेक्षण नहीं किया है। इन ब्रांच के वित्तीय विवरण/जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को कुल एसेट ₹49806 करोड़ थे और उस तारीख को खत्म हुए साल के लिए ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू ₹25523 करोड़ था, जैसा कि एकल वित्तीय परिणाम में माना गया है। इन ब्रांच के वित्तीय परिणाम/जानकारी का अंकेक्षण शाखा लेखा परीक्षकों ने किया है और उनकी रिपोर्ट हमें सौंपी गई है। इन शाखाओं से जुड़ी राशि और प्रकटीकरण के बारे में हमारी राय पूरी तरह से इसी पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।

एकल वित्तीय परिणाम विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। इस अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट (जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के साथ लगे अनुलग्नक भी शामिल हैं), व्यवसायिक जिम्मेदारी और वहनीयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयरहोल्डर की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय परिणाम और उन पर हमारी ऑडिटर रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट हमें इस अंकेक्षण रिपोर्ट की तारीख़ के बाद उपलब्ध कराई जाएगी ।

वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी तरह का भरोसा या निष्कर्ष नहीं देते हैं ।

एकल वित्तीय परिणाम के हमारे अंकेक्षण के सिलसिले में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरी जानकारी को पढ़ें और यह देखें कि क्या वह जानकारी वित्तीय विवरण या अंकेक्षण के दौरान मिली हमारी जानकारी से काफ़ी हद तक अलग है, या फिर उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी नज़र आती है ।

जब हमें ऐसी अन्य जानकारी मिलती है और हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत तथ्य है, तो हमें इस मामले की जानकारी उन लोगों को देनी होती है जो कामकाज के संचालन या देखरेख के लिए ज़िम्मेदार हैं ।

एकल वित्तीय परिणाम के लिए प्रबंधन और गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों की ज़िम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल, इन एकल वित्तीय परिणाम को तैयार करने से जुड़े उन मामलों के लिए ज़िम्मेदार है जो कंपनीज़ एक्ट, 2013 ("एक्ट") की धारा 134(5) में बताए गए हैं। ये स्टेटमेंट इंड एएस और भारत में आम तौर पर माने जाने वाले अन्य अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आमदनी, इक्विटी में बदलाव और कैश फ़्लो की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं। इस ज़िम्मेदारी में ये बातें भी शामिल हैं: एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए रखना ताकि कंपनी की संपत्ति सुरक्षित रहे और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोका और पकड़ा जा सके; सही अकाउंटिंग नीतियों को चुनना और लागू करना; उचित और समझदारी भरे फ़ैसले और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिज़ाइन करना, लागू करना और बनाए रखना, जो सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की पूर्णता, जो एकल वित्तीय परिणाम तैयार करने और उन्हें पेश करने के लिए ज़रूरी हैं; ये स्टेटमेंट सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं और इनमें धोखाधड़ी या गलती के कारण कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं होती है ।

एकल वित्तीय परिणाम तैयार करते समय, कंपनी के प्रबंधन की यह ज़िम्मेदारी है कि वह कंपनी की 'गोइंग कंसर्न' (लगातार काम करते रहने) के तौर पर बने रहने की क्षमता का आकलन करे, 'गोइंग कंसर्न' से जुड़ी ज़रूरी बातों का खुलासा करे और अकाउंटिंग के 'गोइंग कंसर्न' आधार का इस्तेमाल करे; सिवाय तब, जब प्रबंधन का इरादा कंपनी को बंद करने या कामकाज रोकने का हो, या उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और व्यावहारिक विकल्प न हो ।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार हैं ।

एकल वित्तीय परिणाम के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या पूरे वित्तीय परिणाम में कोई बड़ी गड़बड़ी तो नहीं है - चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या गलती से - और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। 'उचित भरोसा' भरोसे का एक ऊँचा स्तर है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि SAs (ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स) के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा बड़ी गड़बड़ी का पता लगा ही लेगा। गड़बड़ियाँ धोखाधड़ी या गलती से हो सकती हैं और उन्हें 'मटीरियल' (महत्वपूर्ण) तब माना जाता है जब, अकेले या कुल मिलाकर, उनसे इन एकल वित्तीय परिणाम के आधार पर लिए गए यूज़र्स के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की उम्मीद हो।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के हिस्से के तौर पर, हम अंकेक्षण के दौरान पेशेवर समझ का इस्तेमाल करते हैं और पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं: ।

- एकल वित्तीय परिणाम में अहम गलत बयानी (चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या गलती से) के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं; उन जोखिमों से निपटने के लिए अंकेक्षण प्रक्रियाएं डिज़ाइन करते हैं और उन्हें लागू करते हैं; और अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित अंकेक्षण सबूत हासिल करते हैं। धोखाधड़ी के कारण होने वाली अहम गलत बयानी का पता न चलने का जोखिम, गलती के कारण होने वाली गलत बयानी के जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर जानकारी छिपाना, गलत जानकारी देना या इंटरनल कंट्रोल को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।

- अंकेक्षण से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं, ताकि हालात के हिसाब से सही अंकेक्षण प्रक्रियाएं तय की जा सकें। कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 143(3) (i) के तहत, हमारी यह ज़िम्मेदारी भी है कि हम इस बारे में अपनी राय दें कि क्या कंपनी के पास एकल वित्तीय परिणाम के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और क्या वे कंट्रोल ठीक से काम कर रहे हैं।

- इस्तेमाल की गई अकाउंटिंग पॉलिसी की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए अकाउंटिंग अनुमानों और उनसे जुड़ी जानकारी के खुलासे की उचितता का मूल्यांकन करते हैं।

- हम इस बात पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या प्रबंधन का 'गोइंग कंसर्न' (कारोबार के चलते रहने) के आधार पर अकाउंटिंग करना सही है। साथ ही, मिले अंकेक्षण सबूतों के आधार पर हम यह भी देखते हैं कि क्या ऐसी कोई बड़ी अनिश्चितता है जो कंपनी के 'गोइंग कंसर्न' के तौर पर बने रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। अगर हमें लगता है कि ऐसी कोई बड़ी अनिश्चितता है, तो हमें अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में वित्तीय परिणाम में दी गई संबंधित जानकारी की ओर ध्यान दिलाना होगा, या अगर वह जानकारी अपर्याप्त है, तो अपनी राय में बदलाव करना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक मिले अंकेक्षण सबूतों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी का 'गोइंग कंसर्न' के तौर पर बने रहना बंद हो सकता है।

- एकल वित्तीय परिणाम का कुल प्रस्तुतीकरण, ढाँचा और सामग्री (जिसमें डिस्क्लोज़र भी शामिल हैं) का मूल्यांकन करते हैं और यह देखते हैं कि क्या एकल वित्तीय परिणाम असल ट्रांज़ैक्शन और घटनाओं को इस तरह से दिखाते हैं जिससे सही प्रस्तुतीकरण हो सके।

'मटेरियैलिटी' (महत्वपूर्णता) का मतलब है एकल वित्तीय परिणाम में गलत बयानों का वह स्तर, जो अकेले या कुल मिलाकर, वित्तीय परिणाम को समझने वाले जानकार व्यक्ति के आर्थिक फैसलों को प्रभावित कर सकता है। हम (i) अपने अंकेक्षण के काम का दायरा तय करने और अपने काम के नतीजों का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरण में पाई गई किसी भी गलत जानकारी के असर का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक (क्वांटिटेटिव) और गुणात्मक (क्वालिटेटिव) दोनों तरह के कारकों पर विचार करते हैं।

हम गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों के साथ कई बातों पर बातचीत करते हैं, जैसे कि अंकेक्षण का प्लान किया गया दायरा और समय, और अंकेक्षण से जुड़ी अहम बातें—जिनमें अंकेक्षण के दौरान इंटरनल कंट्रोल में पाई गई कोई भी बड़ी कमी शामिल है।

हम गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों को यह स्टेटमेंट भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता से जुड़ी ज़रूरी नैतिक ज़रूरतों का पालन किया है। साथ ही, हम उन्हें उन सभी रिश्तों और दूसरी बातों के बारे में भी बताते हैं जिनका हमारी स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, और जहाँ ज़रूरी हो, उनसे जुड़े सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी देते हैं।

गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों के साथ हुई बातचीत के आधार पर, हम उन मामलों की पहचान करते हैं जो मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरण के अंकेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे 'मुख्य अंकेक्षण मामले' हैं। हम अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में इन मामलों का विवरण देते हैं, सिवाय तब जब कोई कानून या नियम उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी देने से रोकता हो, या जब बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में हमें यह लगे कि किसी मामले को अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले नुकसान, ऐसी जानकारी देने से जनता को मिलने वाले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(1) एक्ट की धारा 143 की उप-धारा (11) के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनीज़ (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("ऑर्डर") की ज़रूरतों के अनुसार, हम "अनुलग्नक ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में बताई गई बातों पर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जहाँ तक वे लागू होती हैं।

(2) अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए. हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के मकसद के लिए ज़रूरी थे।

बी. हमारी राय में, कंपनी ने कानून के अनुसार अकाउंट का सही बहीखाता रखा है (जैसा कि उन बहीखातों की हमारी जांच से पता चलता है) और

जिन ब्रांच में हम नहीं गए, वहां से भी हमारे अंकेक्षण के मकसद के लिए ज़रूरी सही रिटर्न मिल गए हैं ।

सी. एक्ट की धारा 143(8) के तहत शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अंकेक्षण की गई कंपनी की शाखा कार्यालय के अकाउंट्स की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उन पर उचित रूप से विचार किया है ।

डी. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, प्रॉफ़िट और लॉस का स्टेटमेंट (जिसमें अन्य व्यापक आमदनी भी शामिल है), इक्विटी में बदलाव का स्टेटमेंट और कैश फ़्लो का स्टेटमेंट, अकाउंट की बुक्स से मेल खाते हैं ।

ई. हमारी राय में, ऊपर बताए गए वित्तीय विवरण, एक्ट की धारा 133 और उसमें समय-समय पर हुए बदलावों के साथ 'कंपनीज़ (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडड्र्स) नियम 2015' के तहत बताए गए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडड्र्स का पालन करते हैं ।

एफ . कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 05.06.2015 को जारी नोटिफिकेशन नंबर जीएसआर 463(ई) के अनुसार, कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 164(2) के तहत डायरेक्टरों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है ।

जी. कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की पर्याप्तता और ऐसे कंट्रोल की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के बारे में, **"अनुलग्नक बी"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें ।

एच. कॉर्पोरेट सम्बन्धी मामलो के मंत्रालय के 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, निदेशकों को वेतन देने के बारे में एक्ट का सेक्शन 197 कंपनी पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है; और

आई. कंपनी (अंकेक्षण और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरण में अपनी फाइनेंशियल स्थिति पर लंबित मुकदमों के असर का खुलासा किया है। वित्तीय विवरण के **नोट 32 को देखें ।**

ii. कंपनी ने लागू कानून या अकाउंटिंग स्टैंडड्र्स के तहत ज़रूरी होने पर, योगिक अनुबंध सहित लंबे समय के अनुबंध पर होने वाले संभावित बड़े नुकसान (अगर कोई हो) के लिए प्रावधान किया है। वित्तीय विवरण के **नोट 38 को देखें ।**

iii. कंपनी द्वारा 'इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड' में वह राशि ट्रांसफर करने में कोई देरी नहीं हुई है, जिसे 'कंपनीज़ एक्ट, 2013' और उसके तहत बने नियमों से संबंधित प्रावधानों के अनुसार ट्रांसफर किया जाना ज़रूरी था ।

iv) ए) प्रबंधन ने बताया है कि उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, एकल वित्तीय विवरण के तहत, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएं या "बिचौलिये" शामिल हैं) को कोई फंड एडवांस, लोन या निवेश के तौर पर नहीं दिया है (चाहे वह उधार लिए गए फंड, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से हो)। यह सब इस समझ के साथ किया गया है—चाहे वह लिखित रूप में हो या किसी अन्य तरीके से—कि बिचौलिया सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उन अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को लोन देगा या उनमें निवेश करेगा जिनकी पहचान कंपनी ने या कंपनी की ओर से किसी भी तरह से की गई है ("अंतिम लाभार्थी"), या फिर अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसी ही कोई चीज़ देगा ।

बी) प्रबंधन ने बताया है कि उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, जैसा कि बताया गया है, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं, जिन्हें "फंडिंग पार्टियां" कहा गया है) से कोई फंड इस समझ के साथ नहीं मिला है—चाहे वह लिखित रूप में हो या किसी और तरह से—कि कंपनी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उन अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को लोन देगी या उनमें निवेश करेगी जिनकी पहचान फंडिंग पार्टी ने या उसकी ओर से किसी भी तरह से की गई है ("अंतिम लाभार्थी"), या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या वैसी ही कोई चीज़ देगी ।

सी) हालात को देखते हुए जिन अंकेक्षण प्रक्रियाओं को उचित और सही माना गया है, उनके आधार पर हमारे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह लगे कि नियम 11 (ई) के सब-क्लॉज़ (i) और (ii) के तहत (ए) और (बी) में दिए गए बयानों में कोई बड़ी गलत जानकारी है।

v. जैसा कि वित्तीय विवरणों के **नोट 31 में बताया गया है**

ए) कंपनी के निदेशक मंडल ने साल के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जिसे आने वाली वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की मंज़ूरी मिलनी ज़रूरी है। प्रस्तावित लाभांश, लाभांश की घोषणा पर लागू होने वाले एक्ट की धारा 123 के अनुसार है।

बी) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है

सी) कंपनी द्वारा पिछले साल के लिए प्रस्तावित, घोषित और भुगतान किया गया अंतिम डिविडेंड, लागू होने वाले एक्ट की धारा 123 के अनुसार है।

vi. इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी 'कंपनीज़ (अंकेक्षण एंड ऑडिटर्स) रूल्स, 2014 (संशोधित 2024 संस्करण)' के नियम 11(जी) के तहत अंकेक्षण ट्रेल की रिपोर्टिंग पर 'इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस' के अनुसार की गई हमारी जांच (जिसमें टेस्ट चेक शामिल थे) और ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स की बुक्स को बनाए रखने के लिए कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। इन सॉफ्टवेयर में अंकेक्षण ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संबंधित ट्रांज़ैक्शन के लिए यह सुविधा पूरे साल काम करती रही है।

(3) कंपनी की बुक्स और रिकॉर्ड्स की जांच-पड़ताल के आधार पर, जो हमें उचित लगी, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा **"अनुलग्नक" "सी"** में जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर एक्ट की धारा 143(5) के तहत अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

के. वेंकटाचलम अय्यर एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या- 020504
यूडीआईएन: 26020504IUTLNW3890

के.एस. दुआ एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 017478N

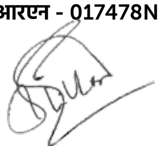

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या- 527610
यूडीआईएन: 26527610PAIMQZ1233

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों को आज की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

i. कंपनी की प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट तथा अमूर्त संपत्ति के संबंध में :

क) ए) कंपनी ने प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट की मात्रा और स्थिति समेत पूरी जानकारी और 'राइट ऑफ़ यूज़ एसेट्स' (इस्तेमाल के अधिकार वाली संपत्तियों) से जुड़ी ज़रूरी जानकारी दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

बी) कपनी ने अमूर्त संपत्ति (अमूर्त संपत्तियों) की पूरी जानकारी दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

ख) प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के भौतिक सत्यापन के विषय में बताया गया है कि प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इनका भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो तीन साल की अवधि में सभी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट (जिसमें अमूर्त संपत्ति भी शामिल हैं) को कवर करने के लिए बनाया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए यह उचित है और साल के दौरान किए गए सत्यापन में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं पाई गई।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड और एकल वित्तीय परिणाम में 'प्रॉपर्टी, प्लांट और उपकरण' पर नोट 3क में बताई गई अचल संपत्तियों के मालिकाना हक के दस्तावेज़ों (टाइटल डीड्स) के अनुसार, नीचे दी गई चीज़ों को छोड़कर, सभी संपत्तियां कंपनी के नाम पर हैं:

अचल संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज़ जो बीएचईएल के नाम पर नहीं हैं (31/03/2026 की स्थिति के अनुसार)

संपत्ति की मद का विवरण (B/S की मद के अंतर्गत)	ग्रॉस कैरिंग वैल्यू (रुपये करोड़ में)	लीज़/टाइटल डीड्स जिनके नाम पर हैं	क्या टाइटल डीड का धारक प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रमोटर/ डायरेक्टर का रिश्तेदार या प्रमोटर/डायरेक्टर का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से पास में है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
पीपीई:-					
भूखंड – फ्रीहोल्ड	0.52	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	1974 से	टाइटल डीड के ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है; टीएसआईआईसी के माध्यम से राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाया गया है।
भूखंड – फ्रीहोल्ड	0.11	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	30-01-1961	हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट लगाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण के संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की गई (संदर्भ संख्या: 171, 192, 92-A, 61, 202; वर्ष 1961 और 63)
भूखंड – फ्रीहोल्ड	0.18	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	नहीं	1957 से	भारत सरकार के राजपत्र (गज़ट) के माध्यम से ज़मीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन बीएचईएल के नाम पर मालिकाना हक का दस्तावेज़ (टाइटल डीड) उपलब्ध नहीं है।
भूखंड – फ्रीहोल्ड	1.24	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच की अलग-अलग तारीखें	ज़मीन ट्रांसफर के दस्तावेज़ (राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए और बीएचईएल द्वारा लिए गए) उपलब्ध हैं, जिनमें एरिया और सर्वे नंबर की जानकारी दी गई है। राज्य सरकार की ओर से बीएचईएल के पक्ष में असाइनमेंट डीड (हस्तांतरण विलेख) जारी किया जाना अभी बाकी है।

संपत्ति की मद का विवरण (B/S की मद के अंतर्गत)	ग्रॉस कैरिंग वैल्यू (रुपये करोड़ में)	लीज़/टाइटल डीड्स जिनके नाम पर हैं	क्या टाइटल डीड का धारक प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रमोटर/डायरेक्टर का रिश्तेदार या प्रमोटर/डायरेक्टर का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से पास में है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
भूखंड – फ्रीहोल्ड	0.0022	बी सरोजा देवी	नहीं	01-04-1965	सुप्रीम कोर्ट में श्रीमती बी. सरोजा देवी और मेसर्स बीएचईएल के बीच एक विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निपटारे के लिए वापस हाई कोर्ट भेज दिया है और यह मामला अभी भी लंबित है।
भूखंड – फ्रीहोल्ड	0.2799	मैसूर पोर्सिलेन लिमिटेड	नहीं	21-05-1980	भारत सरकार के राजपत्र (गज़ट) के माध्यम से ज़मीन बीएचईएल ईपीडी को हस्तांतरित की गई। ज़मीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम चल रहा है ।
भूखंड – फ्रीहोल्ड	1.64	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	24-11-2010	पट्टा (स्वामित्व विलेख) अभी प्राप्त किया जाना बाकी है ।
भूखंड – लीजहोल्ड (संपत्ति के इस्तेमाल का अधिकार)	68.38	महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम 464.8287 एकड़; महाराष्ट्र राज्य सरकार के नाम 9.0688 एकड़; ज़मीन के निजी मालिकों के नाम 2.7676 एकड़	नहीं	20-03-2013	प्रस्तावित ज़मीन का पूरा अधिग्रहण अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।
भवन -फ्रीहोल्ड	0.11	जेबी कंस्ट्रक्शन (बिल्डर)	नहीं	1989	बिल्डर और ज़मीन के मालिक के बीच 4 फ़्लैट के मालिकाना हक़ को लेकर विवाद है।
भवन -फ्रीहोल्ड	0.05	महाराष्ट्र सहकारी संस्था	नहीं	1989	कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर 6 फ्लैट हैं। कोई विवाद नहीं है।
भूखंड – फ्रीहोल्ड	0.0002	बीएचईएल के नाम पर म्यूटेशन किया गया है। हालाँकि, खतौनी में BHEL झाँसी का नाम नहीं दिख रहा है। वहाँ इसे 'दोहरी रेलवे भूमि' के तौर पर दिखाया गया है ।	नहीं	1974-75	ऐसा राज्य राजस्व विभाग की गलती के कारण हुआ है, जिन्होंने खतौनी में एंट्री करते समय टाइपिंग की गलती कर दी थी। एस्टेट विभाग, TP झांसी ने बीएचईएल के नाम पर नाम बदलने के लिए ज़िला राजस्व प्राधिकरण के साथ यह मामला उठाया था।
भवन – लीजहोल्ड (संपत्ति के इस्तेमाल का अधिकार)	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ ज़मीन की लीज़ का काम पूरा नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी, बीएचईएल के साथ एक मंज़िल के लिए लीज़ डीड नहीं कर सकता ।

संपत्ति की मद का विवरण (B/S की मद के अंतर्गत)	ग्रॉस कैरिंग वैल्यू (रुपये करोड़ में)	लीज़/टाइटल डीड्स जिनके नाम पर हैं	क्या टाइटल डीड का धारक प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रमोटर/ डायरेक्टर का रिश्तेदार या प्रमोटर/डायरेक्टर का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से पास में है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
निवेश संपत्ति:					
भवन – लीजहोल्ड	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ ज़मीन की लीज़ का काम पूरा नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी, बीएचईएल के साथ एक मंज़िल के लिए लीज़ डीड नहीं कर सकता है।

(डी) कंपनी ने साल के दौरान अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट (जिसमें 'राइट ऑफ़ यूज़' एसेट्स भी शामिल हैं) या अमूर्त संपत्ति का दोबारा मूल्य निर्धारण नहीं किया है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(i)(d) की अन्य ज़रूरतें लागू नहीं होती हैं ।

ई) बेनामी ट्रांज़ैक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1988 (1988 का 45) (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया) और इसके तहत बने नियमों के अनुसार, कंपनी के खिलाफ साल के दौरान कोई कार्यवाही शुरु नहीं की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है ।

ii. (ए) साल के दौरान प्रबंधन ने इन्वेंट्री (तीसरे पक्ष के पास रखे स्टॉक को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है। तीसरे पक्ष के पास रखी इन्वेंट्री के मामले में, उन्होंने काफी हद तक इसकी पुष्टि की है। स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री के संबंध में, प्रबंधन के पास एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें उचित प्रक्रियाएं हैं ताकि तीन साल की अवधि में सभी आइटम कवर हो सकें; हमारी राय में, यह उचित है ।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भौतिक सत्यापन के दौरान इन्वेंट्री की हर कैटेगरी के लिए फिजिकल इन्वेंट्री और बुक रिकॉर्ड्स के बीच कुल मिलाकर 10% या उससे ज़्यादा का कोई बड़ा अंतर नहीं पाया गया ।

(बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण और दिखाए गए संबंधित रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कंसोर्टियम फाइनेंस के तहत करंट एसेट्स की सिक्योरिटी पर ₹80,000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लिमिट (₹9,500 करोड़ की फंड-बेस्ड लिमिट, ₹4,500 करोड़ की नॉन-फंड बेस्ड लिमिट - लेटर ऑफ़ क्रेडिट (एलसी) और ₹66,000 करोड़ की बैंक गारंटी (बीजी)) मंज़ूर की गई है। हमारे द्वारा वेरिफ़ाई किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास जमा किए गए मासिक/तिमाही रिटर्न या स्टेटमेंट कंपनी के अकाउंट्स की बुक्स से मेल खाते हैं।

iii. नहीं।

कंपनी ने साल के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, एलएलपी या किसी अन्य पार्टी को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दी है, और न ही कोई लोन या लोन के तौर पर कोई एडवांस (चाहे वह सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड) दिया है। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(iii)(ए)(ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है ।

ऊपर दी गई बातों को देखते हुए, आदेश के क्लॉज़ 3(iii)(बी), 3(iii)(सी), 3(iii)(डी) और 3(iii)(ई) की ज़रूरतें लागू नहीं होती हैं ।

कंपनी ने साल के दौरान कोई लोन या लोन जैसी एडवांस राशि नहीं दी है, जिसमें प्रमोटरों या एक्ट की धारा 2 के क्लॉज़ (76) में बताई गई संबंधित पार्टियों को दिया गया लोन भी शामिल है; इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(iii)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है ।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 05.06.2015 को जारी नोटिफिकेशन नंबर जीएसआर 463(ई) के तहत, डायरेक्टर्स को दिए जाने वाले लोन से संबंधित एक्ट की धारा 185 इस कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने लोन और इन्वेस्टमेंट के मामले में कंपनीज़ एक्ट 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है ।

v. कंपनी ने ऐसा कोई डिपॉज़िट या रकम स्वीकार नहीं की है जिसे एक्ट की धारा 73 से 76 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार डिपॉज़िट माना जाए। इसलिए, ऑर्डर के क्लॉज़ 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है ।

vi. हमने कंपनी द्वारा रखे गए कॉस्ट रिकॉर्ड की मोटे तौर पर समीक्षा की है। ये रिकॉर्ड केंद्र सरकार द्वारा एक्ट की धारा 148(1) के तहत बताए गए 'कंपनीज़ (कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट) रूल्स, 2014' के अनुसार रखे गए हैं। हमारी राय है कि पहली नज़र में, कंपनी ने बताए गए कॉस्ट रिकॉर्ड तैयार किए हैं और उन्हें बनाए रखा है। हालाँकि, हमने इन रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सही या पूरे हैं या नहीं ।

vii. वैधानिक बकाये के संबंध में

ए) हमारी राय में, कंपनी ने आम तौर पर संबंधित अधिकारियों के पास बिना किसी विवाद वाले कानूनी बकायों को समय

पर जमा किया है। इन बकायों में गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (जीएसटी), प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉईज़ स्टेट इंश्योरेंस, इनकम-टैक्स, सेल्स-टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज़ ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस और कोई अन्य कानूनी बकाया शामिल हैं। 31 मार्च, 2026 तक, भुगतान की तारीख से छह महीने से ज़्यादा समय तक कोई भी ऐसा कानूनी बकाया बाकी नहीं था।

बी) इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज़ ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स के तहत बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है, जिनका भुगतान विवादों के कारण 31 मार्च, 2026 तक नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संविधि का नाम	वह फोरम जहाँ विवाद लंबित है	बकाया राशि की प्रकृति	शामिल राशि	जमा राशि	जमा नहीं की गई राशि	वह अवधि जिससे यह राशि संबंधित है
1	**केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, मूल्य वर्धित कर (वैट) और विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम**	निर्धारण अधिकारी	बिक्री कर	10.84	4.26	6.58	1991-92, 1995-96, 1997-98, 1999-00, 2004-05, 2007-08, 2009-13, 2016-17
		उप-आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/ आयुक्त(अपील)		154.30	52.64	101.65	1993-94, 1994-95, 1998-99, 2002-03 से 2017-18
		अपीलीय न्यायाधिकरण		135.28	38.35	96.93	1984-85, 1989-90, 1991-92, 1995-96 से 2017-18
		उच्च न्यायालय		50.55	47.84	2.71	1985-86, 1994-95, 2000-01, 2006-07 से 2016-17
2	**केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944**	उप-आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/आयुक्त (अपील)	उत्पाद शुल्क	10.60	0.02	10.58	1980 - 2008, 2011-12 से 2017-18
		अपीलीय न्यायाधिकरण		44.44	4.31	40.13	1980 - 2008, 2005-06, 2016-17
		सर्वोच्च न्यायालय		27.49	-	27.49	2008-09, 2009-10
3	**वित्त अधिनियम, 1994 के तहत सेवा कर**	उप-आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/आयुक्त (अपील)	सेवा कर	1.31	0.44	0.87	2017-18
		अपीलीय न्यायाधिकरण		400.68	5.74	394.95	2005-06 से 2017-18
4	**सीमा शुल्क अधिनियम, 1962**	उप-आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/आयुक्त (अपील)	सीमा शुल्क	2.14	0.79	1.35	2013-14 से 2015-16, 2021-22 से 2025-26
		अपीलीय न्यायाधिकरण		21.60	0.43	21.18	2007-08, 2012-14, 2020-21 से 2024-25
		उच्च न्यायालय		5.80	5.80	-	2017-18

क्रम संख्या	संविधि का नाम	वह फोरम जहाँ विवाद लंबित है	बकाया राशि की प्रकृति	शामिल राशि	जमा राशि	जमा नहीं की गई राशि	वह अवधि जिससे यह राशि संबंधित है
5	**जीएसटी अधिनियम 2017**	निर्धारण अधिकारी	जीएसटी	0.17	0.01	0.16	2021-22, 2024-25
		उपायुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ आयुक्त (अपील)		56.20	4.79	51.41	2017-18 से 2025-26
		अपीलीय न्यायाधिकरण		7.75	0.54	7.22	2017-18 से 2019-20
6	**आयकर अधिनियम 1961**	संयुक्त आयुक्त/ आयुक्त (अपील)	आयकर	0.41	0.41	-	2016-18
7	**आयकर (विदेश)**	रवांडा रेवेन्यू अथॉरिटी के समक्ष निपटान समझौता दाखिल किया जाएगा	आयकर	20.01	6.55	13.47	2013-15
		बांग्लादेश कर अपीलीय प्राधिकरण		22.87	-	22.87	2020-21
8	**कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952**	आरपीएफसी कानपुर	भविष्य निधि	1.24	0.62	0.62	2002-03
		कुल		**973.70**	**173.53**	**800.16**	

viii. पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या घोषित किया गया हो।

ix.

ए) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार की अदायगी या उन पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

बी) कंपनी को किसी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकार या सरकारी प्राधिकारी द्वारा आदतन चूककर्ता (willful defaulter) घोषित नहीं किया गया है।

सी) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix) (सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

डी) कंपनी के एकल वित्तीय विवरण की पूरी जांच करने पर, पहली नज़र में, अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए फंड्स का वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।

ई) कंपनी ने अपने संयुक्त उपक्रम की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

एफ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संयुक्त उपक्रमों की सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर कोई लोन नहीं लिया है।

x.

ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय ऋणपत्र (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi.

ए) ऑडिट की प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि साल के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई और न ही इसकी कोई रिपोर्ट मिली।

बी) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी -4 में अधिनियम की धारा 143 (12) के तहत कोई रिपोर्ट वर्ष के दौरान और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के साथ दायर नहीं की गई है।

सी) ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और दायरे को तय करते समय, हमने साल के दौरान कंपनी को मिली व्हिसलब्लोअर शिकायतों को भी ध्यान में रखा है।

xii. यह कंपनी 'निधि कंपनी' नहीं है, इसलिए इस आदेश के खंड 3(xii)(ए), (बी), (सी) के तहत रिपोर्टिंग इस कंपनी पर लागू नहीं होती है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

xiii. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों (related parties) के साथ लागू होने वाले लेन-देन के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का पालन कर रही है और संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का विवरण एकल वित्तीय विवरणों में उस तरह से बताया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के तहत ज़रूरी है।

xiv.

ए) हमारी राय में, कंपनी के पास उसके कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

बी) ऑडिट प्रक्रियाओं का स्वरुप, समय और दायरा तय करने के लिए, हमने ऑडिट वाले वर्ष के लिए किए गए और वर्ष के दौरान तथा अब तक कंपनी को जारी की गई आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv. हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने एक्ट की धारा 192 के तहत आने वाले निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ कोई गैर नगद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xv) लागू नहीं होता।

xvi.

ए) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi)(ए) की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

बी) हमारी राय में, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासीस वित्त गतिविधियां नहीं की हैं, इसलिए कंपनी को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 45-IA के तहत रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(बी) की ज़रूरतें लागू नहीं होती हैं।

सी) हमारी राय में, कंपनी मुख्य निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित मुख्य निवेश कंपनी नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

डी) हमारी राय में, ग्रुप में कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है जैसा कि मुख्य निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी की बुक्स और रिकॉर्ड्स की हमारी जांच के आधार पर कंपनी को मौजूदा और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष कोई नगद हानि नहीं हुई है। इसलिए, ऑर्डर के खंड 3(xvii) का प्रावधान लागू नहीं होता।

xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक ऑडिटर्स ने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया है। इसलिए, ऑर्डर के खंड 3 (xviii) की शर्तें लागू नहीं होती हैं।

xix. वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित और उनकी उम्र (एजिंग), एकल वित्तीय विवरण के साथ दी गई अन्य जानकारी, बोर्ड के निदेशकों और प्रबंधकीय योजनाओं की हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह लगे कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख पर कोई ऐसी बड़ी अनिश्चितता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को, बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनके भुगतान की तारीख आने पर चुकाने में सक्षम नहीं होगी। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी के भविष्य में बने रहने की क्षमता के बारे में कोई गारंटी नहीं है। हम यह भी बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष के भीतर भुगतान के लिए आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी उनके भुगतान की तारीख आने पर चुका देगी।

xx.

ए) कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरण की आवश्यकता वाले चालू परियोजनाओं के अलावा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी राशि बिना खर्च किए नही बची है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

बी) कंपनी ने अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर 31 मार्च, 2026 तक अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

xxi. खंड (xxi) का प्रावधान कंपनी स्तर के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं है।

के. वेंकटाचलम अय्यर एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या- 020504
यूडीआईएन: 26020504IUTLNW3890

के.एस. दुआ एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या- 527610
यूडीआईएन: 26527610PAIMQZ1233

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर उसी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुबंध बी"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") के एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ-साथ, उसी तारीख तक कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया' द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट' में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के ज़रूरी हिस्सों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के तय मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिज़ाइन करना, लागू करना और बनाए रखना शामिल है जो कंपनी के कामकाज को व्यवस्थित और कुशलता से चलाने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों। इसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों को रोकना और उनका पता लगाना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत ज़रूरी भरोसेमंद वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

ऑडिटरों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी ऑडिट के आधार पर, एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय दें। हमने अपनी ऑडिट, 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी "लेखापरीक्षा पर मानक" के अनुसार की। ये मानक और मार्गदर्शन नोट, जो इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट पर लागू होते हैं और इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है। इन मानक और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक ज़रूरतों का पालन करना होता है और ऑडिट की योजना बनाकर उसे इस तरह करना होता है कि हमें उचित भरोसा मिल सके कि वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे, और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमारे ऑडिट में ऐसी प्रक्रियाएँ अपनाना शामिल है जिनसे वित्तीय विवरणों और उनके संचालन की प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे ऑडिट में एकल वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, किसी बड़ी कमी (मटीरियल वीकनेस) के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और काम करने की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण में गड़बड़ी (चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती से) के जोखिम का आकलन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो ऑडिट साक्ष्य मिले हैं, वे एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी ऑडिट राय का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय नियंत्रण के संबंध में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकार किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय नियंत्रण तैयार करने के बारे में उचित भरोसा दिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसी कंपनी के एकल वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में, उसके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो: (1) ऐसे रिकॉर्ड बनाए रखने से संबंधित हैं जो उचित विस्तार के साथ, कंपनी की संपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रुप से दर्शाते हैं; (2) उचित भरोसा दिलाती हैं कि लेन-देन को इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है जिससे आम तौर पर स्वीकार किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय नियंत्रण तैयार किए जा सकें, और कंपनी की प्राप्तियां और खर्च केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की मंजूरी के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान को रोकने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित भरोसा दिलाती हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

एकल वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा नियंत्रण को गलत तरीके से दरकिनार करने की संभावना। इन वजहों से गलती या धोखाधड़ी के कारण वित्तीय जानकारी में बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। साथ ही, एकल वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन को आने वाले समय के लिए लागू करने में यह जोखिम होता है कि बदलती परिस्थितियों के कारण ये नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं का पालन करने का स्तर गिर सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास एकल वित्तीय विवरण के संबंध में सभी ज़रूरी मामलों में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। साथ ही, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के ज़रूरी हिस्सों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा तय किए गए वित्तीय विवरण से जुड़े आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर, 31 मार्च, 2026 तक ये नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

के.वेंकटाचलम अय्यर एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या- 020504
यूडीआईएन: 26020504IUTLNW3890

के.एस. दुआ एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या- 527610
यूडीआईएन: 26527610PAIMQZ1233

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट का "अनुलग्नक सी"

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देश, जो वर्ष 2025-26 के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एकल) के वार्षिक खातों के ऑडिट के दौरान वैधानिक ऑडिटरों द्वारा जांचे जाने वाले क्षेत्रों को बताते हैं:

अनु.सं.	जांचे गए क्षेत्र	प्रतिक्रिया
1	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कंपनी या ट्रस्ट के ज़रिए सीधे किए गए सभी निवेशों, चाहे वे उद्धरित हों या नहीं, के उचित मूल्य का आकलन करना । इसमें मूल्यांकन के तरीकों की जांच करना, Ind AS के साथ एकरूपता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। ऑडिटर मूल्यांकन के तरीके, उसके उचित होने और लागू नियमों के पालन के बारे में एक संक्षिप्त नोट देगा, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण अंतर या गलत जानकारी की रिपोर्ट की जाएगी।	कंपनी ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के लिए जो निवेश किए हैं, उनका मूल्यांकन लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नियमों के अनुसार सही ढंग से किया गया है। इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए तरीके और प्रक्रियाएं उचित हैं और वित्तीय विवरण के नोट 36 में बताए अनुसार Ind AS-19 के अनुरूप हैं। इसमें कोई खास अंतर या गलत जानकारी नहीं पाई गई है।
2	क्या कंपनी के पास सभी अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन को आईटी प्रणाली के ज़रिए प्रोसेस करने की प्रणाली है? अगर हाँ, तो क्या इस प्रणाली और कंपनी के लिए ज़रूरी नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस और साइबर सुरक्षा की समीक्षा Cert-In द्वारा अधिकृत इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटिंग ऑर्गनाइज़ेशन से वर्ष में कम से कम एक बार कराई गई है? और क्या कोई बड़ी गड़बड़ी मिलने पर उसकी उचित रिपोर्टिंग की गई है? आईटी प्रणाली के बाहर अकाउंटिंग लेन-देन प्रोसेस करने से अकाउंट्स की सत्यता और वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले असर की भी रिपोर्ट दी जानी चाहिए।	कंपनी के पास सभी अकाउंटिंग लेन-देन को आईटी प्रणाली के ज़रिए प्रोसेस करने की प्रणाली है, जिससे सही नियंत्रण और लेन-देन की सटीकता सुनिश्चित होती है। कंपनी STQC के ज़रिए अपने आईटी प्रणाली और साइबर सिक्योरिटी की सालाना समीक्षा करती है; STQC को आईटी सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए CERT-In ने अधिकृत किया है। इसके अलावा, कंपनी और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी प्रणाली और नियंत्रण की समीक्षा समय-समय पर कंपनी के अपने प्रोफेशनल्स द्वारा की जाती है, ताकि सभी यूनिट्स को ठीक से कवर किया जा सके। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, खातों की सत्यता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और न ही कोई वित्तीय असर पड़ेगा।
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से खास योजनाओं के लिए मिले/मिलने वाले फंड (अनुदान/सब्सिडी आदि) का हिसाब-किताब लागू लेखांकन मानक या नियमों के अनुसार सही ढंग से रखा गया था और क्या मिले हुए फंड का इस्तेमाल उनकी शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया था? क्या मिले हुए अनुदान पर कमाए गए ब्याज का हिसाब-किताब अनुदान की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया है? नियमों से अलग हटकर किए गए मामलों की सूची दें।	वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र/राज्य एजेंसियों से खास योजनाओं के लिए मिले/मिलने वाले फंड (जिसमें कमाया गया ब्याज भी शामिल है) का हिसाब-किताब लागू लेखांकन मानक या नियमों के अनुसार सही ढंग से रखा गया है, और इनका इस्तेमाल अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है। इसमें कोई बड़ी गड़बड़ी या गलत जानकारी नहीं पाई गई है।
4(ए)	क्या कंपनी ने जोखिम वाले मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हाँ, तो (ए) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम तरीकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है?	हाँ, बीएचईएल ने अपने सामने आने वाले मुख्य जोखिमों की पहचान कर ली है। इन पहचाने गए मुख्य जोखिमों को कम करने के उपाय भी लागू कर दिए गए हैं। कंपनी ने एक व्यवस्थित और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली (Enterprise Risk Management system) लागू करने के लिए जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति बनाई है। यह चार्टर, जोखिम प्रबंधन मानक के मान्यता प्राप्त स्रोतों के अनुसार, बेहतर जोखिम प्रबंधन के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है।

अनु.सं.	जांचे गए क्षेत्र	प्रतिक्रिया
4(बी)	क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने डेटा एसेट्स, जैसे ग्राहक/विक्रेता मास्टर डेटा, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, और दूसरी ऐसी ही जानकारी की पहचान नहीं की है और परिणामस्वरुप, खाता-बही में पहले से मान्यता प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियों के अलावा, कंपनी द्वारा ऐसी किसी भी डेटा संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया गया है।
5	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी के लागू नियमों एवं विनियमों, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स), लोक उद्यम विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज़), भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया), भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-IN), इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) और राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया) के लागू प्रावधानों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन (डेवियेसन) के मामलों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए।	समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, सेबी सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, के विनियम 17(1), कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के अनुसार आवश्यक निदेशक मंडल की कुल संख्या के आधे से कम थी। इसके अलावा, कंपनी के पास इस अवधि के दौरान एक भी स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 17 (1) के तहत आवश्यक है। इसके अलावा, कंपनी आम तौर पर सभी लागू विनियमन ज़रुरतों का पालन करती है। समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा की जाती है। वित्तीय विवरणों पर असर डालने वाला कोई भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन नहीं देखा गया है।

इसके अलावा, पावर सेक्टर की संस्थाओं के वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए उप-निर्देश:

क्र.सं.	जांचे गए क्षेत्र	ऑडिटर की प्रतिक्रिया
(i)	सत्यापित करें कि कंपनी की मौजूदा नियामक परिसंपत्तियाँ विद्युत नियामक आयोग के प्रशुल्क आदेश (टैरिफ ऑर्डर) से समर्थित (सपोर्टेड) हैं या नहीं।	कंपनी बिजली वितरण गतिविधि में शामिल नहीं है और इसलिए रिपोर्ट करने के लिए कोई नियामक परिसंपत्तियां नहीं हैं।
(ii)	जांच करें कि क्या कंपनी ने ऐसी संपत्तियों से होने वाली आय को बिजली नियामक आयोग द्वारा जारी प्रशुल्क आदेशों के आधार पर मान्यता दी है।	लागू नहीं।
(iii)	अगर प्रशुल्क आदेश नहीं हैं, तो नियामक परिसंपत्तियों की मान्यता या उनके अस्तित्व पर क्या असर होगा, यह बताएं।	लागू नहीं।
(iv)	कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विनियामक संपत्तियों की देर से वसूली /गैर-वसूली का प्रभाव बताएं।	लागू नहीं।
(v)	इस संबंध में लेखांकन शुद्धिकरण / संबंधित प्रकटीकरण की सटीकता/ पर्याप्तता की जांच करें और रिपोर्ट करें।	लागू नहीं।

के.वेंकटाचलम अय्यर एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 004610S

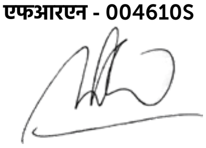

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या - 020504
यूडीआईएन: 26020504IUTLNW3890

के.एस. दुआ एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 017478N

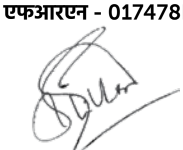

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या - 527610
यूडीआईएन: 26527610PAIMQZ1233

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल और कंसोलिडेटेड खातों का ऑडिट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के C&AG द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का पालन किया है।

के.वेंकटाचलम अय्यर एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या - 020504
यूडीआईएन: 26020504IUTLNW3890

के.एस. दुआ एवं कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या - 527610
यूडीआईएन: 26527610PAIMQZ1233

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

No.DGA(P)/Rep/01-08/Acs-BHEL-SFS/2026-27/171

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (विद्युत)
नई दिल्ली-110002

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Power)
New Delhi-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Dated: 03/07/2026

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय:- 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए ।

भवदीया,

संलग्नक:- यथोपरि।

तनुजा मित्तल

(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक (विद्युत)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel.: 011-23239213, 011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 04 May 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2026 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Tanuja Mittal

(Tanuja Mittal)
Director General of Audit (Power)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 03/07/2026

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण 176

बी एच ई एल BHEL

स्टैंडअलोन तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृष्ठ	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 तक	
क. परिसंपत्तियाँ						
1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ						
(क) परिसंपत्तियाँ, संयंत्र और उपकरण	3क	190		2933.28		2862.46
(ख) पूंजीगत चालू कार्य	3ख	190		399.20		161.70
(ग) निवेश संपत्ति	3ग	191		0.52		0.45
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4क	198		64.73		84.27
(ङ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4ख	199		95.85		33.73
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) निवेश	5	200	676.58		671.71	
(ii) व्यापार प्राप्य	6	201	2426.93		3046.58	
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	203	258.78	3362.29	715.95	4434.24
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)	8	204		3532.80		4067.72
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	9	205		14716.11		14074.98
कुल गैर चालू परिसंपत्तियाँ				**25104.78**		**25719.55**
2. चालू परिसंपत्तियाँ						
(क) इन्वेंट्री	10	206		13334.58		9869.49
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) व्यापार प्राप्य	6	201	6796.27		5884.35	
(ii) नकद एवं नकद समकक्ष	11	207	1435.45		439.21	
(iii) नकद एवं नकद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक बैलेंस	12	207	10431.17		7173.20	
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	203	332.13	18995.02	300.76	13797.52
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	207		202.72		137.37
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	9	205		18923.03		18955.39
कुल चालू परिसंपत्तियाँ				**51455.35**		**42759.77**
कुल परिसंपत्तियाँ				**76560.13**		**68479.32**
B. इक्विटी एवं देयता						
3. इक्विटी						
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	14	208		696.41		696.41
(बी) अन्य इक्विटी	15	208		25820.08		24416.60
कुल इक्विटी				**26516.49**		**25113.01**
4. देयताएं						
4.1 गैर चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) पट्टा देयताएं	16	209	168.18		162.39	
(ii) व्यापार देय	17	209				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			-		-	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि			1343.44		2170.79	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	211	410.96	1922.58	422.79	2755.97
(ख) प्रावधान	19	211		2354.62		2585.56
(ग) अन्य गैर- चालू देयताएं	20	211		13459.63		9793.90
कुल गैर वर्तमान देनदारियां				**17736.83**		**15135.43**

स्टैंडअलोन तुलन पत्र (बैलेंस शीट) 31 मार्च, 2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृष्ठ	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 तक	
4.2. चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) ऋण	21	212	7950.00		8795.00	
(iक) पट्टा देयताएं	16	209	68.77		57.21	
(ii) व्यापार देय	17	209				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			1932.11		1430.24	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि			8559.49		8110.68	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	211	1317.93	19828.30	1245.81	19638.94
(ख) प्रावधान	19	211		1918.91		1815.31
(ग) अन्य चालू देयताएं	20	211		10559.60		6776.63
कुल चालू देयताएं				**32306.81**		**28230.88**
कुल देयताएं				**50043.64**		**43366.31**
कुल इक्विटी एवं देयताएं				**76560.13**		**68479.32**

तैयार करने का आधार, माप और सामग्री लेखांकन नीतियां	2	184

साथ में दिए गए नोट्स [1-55] इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है

निदेशक मण्डल की ओर से

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन : 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के. वेंकटचलम अय्यर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
पार्टनर
M. No. 020504

के. एस. दुआ एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN - 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
पार्टनर
M. No. 527610

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृष्ठ	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय						
परिचालनों से राजस्व	**22**	**213**		33782.18		28339.48
अन्य आय	**23**	**213**		846.39		503.39
कुल आय				**34628.57**		**28842.87**
व्यय						
खपत किए गए कच्चे माल की लागत				10493.09		8207.65
बाहर से खरीदे गए सामान				7402.09		6757.99
सिविल, इरेक्शन एवं इंजीनियरिंग व्यय				5872.55		4989.22
स्टोर एवं स्पेयर की खपत				506.55		432.61
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन	**24**	**214**		(1291.19)		(1542.32)
कर्मचारी लाभ व्यय	**25**	**214**		6467.62		5923.42
अन्य व्यय	**26**	**215**		1989.28		2329.34
वित्त लागत	**27**	**218**		756.41		748.33
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**3.1 3.2 4.1**	**192 197 198**		315.87		271.96
कुल व्यय				**32512.27**		**28118.20**
कर पूर्व लाभ				**2116.30**		**724.67**
कर व्यय	**28**	**218**				
क) वर्तमान कर			3.31		23.16	
ख) आस्थगित कर			535.04	538.35	188.54	211.70
वर्ष के दौरान लाभ (क)				**1577.95**		**512.97**

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृष्ठ	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य व्यापक आय	29	218		
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर को छोड़कर) - निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनर्मापन			(0.37)	(163.50)
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (ख)			**(0.37)**	**(163.50)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ख)			**1577.58**	**349.47**
प्रति इक्विटी शेयर आय	30	219		
(1) मूल [प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये]			4.53	1.47
(2) मिश्रित [प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये]			4.53	1.47

तैयार करने का आधार, माप और सामग्री लेखांकन नीतियां	2	184
साथ में दिए गए नोट्स [1-55] इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है		

निदेशक मण्डल की ओर से

योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन : 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के. वेंकटचलम अय्यर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
M. No. 020504

के. एस. दुआ एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN - 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
M. No. 527610

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

बी एच ई एल BHEL

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

₹2 के प्रत्येक इक्विटी शेयर जारी, अभिदान और पूर्ण भुगतान	शेयरों की संख्या		राशि	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष की शुरुआत में शेष	**3482063355**	3482063355	**696.41**	696.41
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**3482063355**	**3482063355**	**696.41**	**696.41**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	आरक्षित पूंजी	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय		
01 अप्रैल 2025 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5551.67)**	**(581.44)**	**24416.60**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-		-	-
01 अप्रैल 2025 तक प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5551.67)**	**(581.44)**	**24416.60**
जोड़ें: वर्ष की कुल आय				1577.95	(0.37)	1577.58
घटाएँ : अंतिम लाभांश [नोट 31]				(174.10)		(174.10)
31 मार्च 2026 को शेष	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(4147.82)**	**(581.81)**	**25820.08**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	आरक्षित पूंजी	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय		
01 अप्रैल 2024 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5977.59)**	**(417.94)**	**24154.18**
लेखांकन नीतियों में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल 2024 तक प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5977.59)**	**(417.94)**	**24154.18**
जोड़ें: वर्ष की कुल आय	-	-	-	512.97	(163.50)	349.47
घटाएँ : अंतिम लाभांश [नोट 31]	-	-	-	(87.05)	-	(87.05)
31 मार्च 2025 को शेष	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5551.67)**	**(581.44)**	**24416.60**

निदेशक मण्डल की ओर से

योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन : 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के. वेंकटचलम अय्यर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
M. No. 020504

के. एस. दुआ एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN - 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
M. No. 527610

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**2116.30**	**724.67**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
प्रावधान और बट्टे खाते	(211.00)	(879.13)
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	315.87	271.96
वित्तीय लागत (ब्याज की छूट सहित)	756.41	748.33
ब्याज एवं लाभांश आय	(778.01)	(440.71)
अप्राप्त विदेश मुद्रा हानि/(लाभ)	(433.47)	(16.97)
सरकारी अनुदान का परिशोधन	(9.66)	(8.99)
अन्य में निवेश और पीपीई की बिक्री पर लाभ एवं निवेश की हानि शामिल है	(13.09)	(18.03)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनों से प्राप्त / में प्रयुक्त नगदी	**1743.34**	**381.13**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
व्यापारिक प्राप्तियां	(538.60)	(1002.80)
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	687.82	(1960.76)
मालसूची	(3401.50)	(2632.53)
ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ	(197.49)	(1448.04)
उप योग	**(3449.77)**	**(7044.13)**
व्यापार देयताएं	182.25	846.94
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जमा, एवं अन्य प्रावधान	7351.17	7927.25
उप योग	**7533.42**	**8774.19**
शुद्ध नकदी (उपयोग की गई) / कार्यशील पूंजी से	**4083.65**	**1730.06**
परिचालन में उत्पन्न/(प्रयुक्त) नकदी	**5826.99**	**2111.18**
आय कर भुगतान	(209.80)	(154.41)
आयकर वापसी	220.19	235.70
कुल नगदी प्रवाह (प्रयुक्त)/परिचालन गतिविधियों से	**5837.38**	**2192.47**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
बैंक जमा का मोचन/ परिपक्वता (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक होने पर)	(3148.14)	(2878.41)
प्राप्त ब्याज	649.38	371.74
निवेश से बिक्री आय	-	5.76
संयुक्त उपक्रम से प्राप्त लाभांश	38.08	38.08
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों एवं निवेश संपत्ति की बिक्री	13.01	13.46
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों एवं निवेश संपत्ति की खरीद	(589.04)	(304.37)
संयुक्त उद्यमों में निवेश	(4.87)	-
म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय	0.08	-
सरकारी अनुदान (पूंजीगत) की प्राप्ति	6.09	22.25
निवेश गतिविधियों से प्राप्त / (उपयोग की गई) कुल नकदी	**(3035.41)**	**(2731.49)**

नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पावधि उधार से आय	(845.00)	(13.00)
पट्टा दायित्व की आय/ (पुनर्भुगतान)(मूलधन)	(59.19)	(48.12)
पट्टा दायित्व की आय/ (पुनर्भुगतान)(ब्याज)	(17.76)	(7.24)
लाभांश भुगतान	(174.64)	(87.44)
ब्याज भुगतान	(709.14)	(701.01)
कुल नकदी (प्रयुक्त) / वित्त पोषण गतिविधियों से (बिंदु 4 देखें)	**(1805.73)**	**(856.81)**
घ. नकदी व नकदी समकक्षों में कुल वृद्धि/(ह्रास)	**996.24**	**(1395.83)**
नकदी व नकदी समकक्ष का प्रारंभिक शेष	**439.21**	**1835.04**
नकदी और नकदी समकक्षों का समापन शेष [नोट 11 देखें]	**1435.45**	**439.21**

(1) इंड एसएस7 - नकदी प्रवाह में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है ।

(2) पिछले वर्ष के आंकड़ें जहाँ भी लागू किए गए हैं उन्हें फिर से एकत्र / पुनर्गठित किया गया है ।

(3) नकद और नकद समकक्षों में ₹ शून्य (पिछले वर्ष शून्य) की विनिमय भिन्नता हानि शामिल है।

(4) वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन नोट [21 (vi)] और नोट [35](ख) पर उपलब्ध हैं।

(5) वर्ष के दौरान कंपनी को ₹ 220.19 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड मिला है, जिसमें ₹ 48.90 करोड़ की ब्याज आय भी शामिल है।

निदेशक मण्डल की ओर से

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन : 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के. वेंकटचलम अय्यर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
FRN – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
M. No. 020504

के. एस. दुआ एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN - 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
M. No. 527610

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

नोट (1) – कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल या कंपनी) भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस सीरी फोर्ट नई दिल्ली – 110049 में है।

कंपनी विद्युत संयंत्र उपकरणों की एकीकृत विनिर्माता है और अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों, जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल, तेल एवं गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस के लिए उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, इरेक्शन, परीक्षण, कमीशनिंग और सर्विसिंग का कार्य करती है।

नोट [2] – सामग्री लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

क) अनुपालन का विवरण:

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधन तथा कंपनी अधिनियम,2013 में और उसके संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए है।

ख) माप का आधार

वित्तीय विवरण क्रियाशील इकाई–प्रतिष्ठान (Going concern) आधार पर और संग्रहण (accrual) लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक पॉलिसी में अन्यथा उल्लेखित न हो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक और प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की फंकशनल करेंसी (कार्यकारी मुद्रा) है।

घ) अनुमान और निर्धारण का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। तदनुसार लेखांकन अनुमानों में पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण किया जाता है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार है:

i) राजस्व

कंपनी निर्माण ठेकों /अनुबंधों के लिए राजस्व लेखांकन में अपनाए गए लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित लागत का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एव इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

iii) कर्मचारी लाभ योजनाएँ

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती है। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

iv) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का लेखांकन लागत में संचित मूल्यह्रास और संचित इंपेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया जाता है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के भाग को बदलने की लागत और पात्र परिसंपत्तियों पर उधार लेने की लागत शामिल है, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण भागों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उन्हें अलग से मूल्यह्रास करती है। इसी तरह, जब एक बड़ा निरीक्षण किया जाता है, तो मान्यता मानदंड पूर्ण होने पर इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में पहचाना जाता है। अन्य सभी मरम्मत एवं रखरखाव लागतों को लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

विभिन्न उपयोगी जीवन-काल वाले महत्वपूर्ण उपकरणों की अलग से गणना की जाती है और उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (विदेश में संविदा के तहत उपयोग किए गए के अलावा) पर मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोग लाभप्रदता काल-खंड के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि द्वारा की जाती है, इसमें से तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी काल-खंड के आकलन के आधार पर उपयोगी काल –खंड वाली निम्नलिखित मदों छोडकर यह गणना की जाती है:-

संपत्ति श्रेणी	वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	15-30
बिल्डिंग	5-60
विद्युत अधिष्ठापन एवं उपकरण	10-30
इरेक्शन उपकरण, कैपिटल टूल्स एवं टैकल्स	5
जल निकासी, मल निकासी और जल आपूर्ति	30
सर्वर और नेटवर्क	5
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	25

मूल्यह्रास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन यदि कोई हो, को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिनकी लागत ₹10,000/- या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य ₹10,000/- रुपये या उसे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है।

इरेक्शन / परियोजना स्थलों पर सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबंध के कार्यकाल पर पूरी तरह से परिशोधित होती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन और अन्य समान सक्षम कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) के कार्यकाल में मूल्यह्रास किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य यदि कोई हो तो उसे बरकरार रखने के बाद मूल्यह्रास किया जाता है।

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों, के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में होता है।

अस्थायी ढांचे का निर्माण वर्ष में पूर्णत: मूल्यह्रास कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और कोई भी महत्वपूर्ण भाग जिसे शुरु में मान्यता दी गई थी, उसे निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उक्त व्यवस्था पट्टा है अथवा इसमें पट्टा शामिल है।

क. संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की छोटी अवधि और उनके उपयोगी जीवन पर किया जाता है, जब तक कि यह यथोचित रुप से निश्चित न हो कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

ख. पट्टा देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद लीज/पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर परिसंपत्ति के राइट-ऑफ-यूज के तहत पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर लीज देयता का प्रारंभिक निर्धारण, प्रोत्साहन के बिना प्रारंभिक पट्टा भुगतान, निहित परिसंपत्ति को नष्ट किए जाने और हटाने की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल है।

पट्टों के तहत किए गए पट्टा भुगतान वित्त व्यय और बकाया लीज देयता में की गई कमी के मध्य विभाजित किया जाता है। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि दायित्व/देयता के अधिशेष पर लगातार आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके। वित्त पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है।

ग. अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी अपने अल्पकालिक पट्टों (यानी, वे पट्टे जिनकी पट्टा अवधि आरंभ तिथि से 12 महीने या उससे कम है और जिनमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है) पर अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करती है। यह कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे मान्यता छूट को भी लागू करती है जिन्हें कम मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन विधि के आधार पर व्यय के रुप में मान्यता दी जाती है।

घ. वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि के दौरान वित्त को मान्यता देती है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें वित्त पट्टा प्राप्त के प्रारंभिक निर्धारण में शामिल है और पट्टे की अवधि में मान्य आय को कम करती है।

पट्टा परिचालन से होने वाली आय को स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर पट्टे की अवधि में आय रुप में जाना जाता है जहां पट्टे के किराये में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरुप है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियां

₹10000/- से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
अन्य	10 वर्ष

वर्ष की शुरुआत में 10000/- या उससे कम डब्ल्यूडीवी की अमूर्त संपत्ति का पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और परिशोधन के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और परिवर्तन यदि कोई हो, का लेखा-जोखा संभावित रुप से किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय लाभ और हानि के रुप में मान्यता प्राप्त है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रुप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित है और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन है। व्यय की गई पूंजी में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल है जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार है।

अनुसंधान और विकास हेतु अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागत

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष उधार लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा गया है।

जिस परिसंपत्ति में उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रुप से अधिक समय लगता है, जैसे कि बारह महीने से ज्यादा उसे इस प्रयोजन के लिए अर्हक परिसंपत्ति माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ-हानि के स्टेटमेंट में दर्शाया गया हैं, जिसमें वे व्यय हुए हैं।

6. संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यमों में निवेश की गणना क्षति हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर की जाती है।

यदि प्रबंधन का इरादा निकट भविष्य में निवेश का निपटान करना है तो इसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसकी धारित राशि और बिक्री के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है।

7. इन्वेंट्री

मालसूची (इंवेंट्री) की कीमत लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली जाती है। तैयार माल और कार्य प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, लूज़ टूल्स, भण्डार और पुर्जों की लागत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

8. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं के हस्तांतरण द्वारा निष्पादन दायित्व की पूर्ति की जाती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए, राजस्व मान्यता प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर की जाती है। प्रगति को प्रदर्शन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत में आज तक किए गए वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यानी इनपुट विधि।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है और इस प्रकार एक निष्पादन दायित्व को पूरा करती है तथा एक समयावधि में राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के प्रदर्शन का लाभ उठाता है या

(ख) ग्राहक परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है क्योंकि यह कंपनी के प्रदर्शन द्वारा बनाई/बढ़ाई जा रही है या

(ग) परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी के पास कानूनी उदाहरणों पर विचार करते हुए भुगतान का स्पष्ट या निहित अधिकार है,

अन्य सभी मामलों में, निष्पादन दायित्व को एक समय बिंदु पर पूरा हुआ माना जाता है।

राजस्व को निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक मान्यता दी जाती है। लेनदेन मूल्य वह प्रतिफल राशि है जिसके लिए कंपनी को किसी ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

अन्य आय

लाभ और हानि विवरण /स्टेटमेंट में कंपनी को भुगतान प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि को लाभांश से प्राप्त आय मान्य है।

ब्याज आय, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग द्वारा मान्य है।

निर्यात प्रोत्साहन/शुल्क वापसी और बीमा के लिए दावों का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा अंतरण/ लेनदन (विनिमय)

विदेशी मुद्राओं में होने वाले लेन-देन को शुरु में उस विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है, जो उस लेनदेन की तिथि पर प्रचलित हो जब वह पहली बार मान्यता के लिए योग्य होता है।

विदेशी मुद्रा वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर –मौद्रिक देनदारियों और गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों को लेनदेन की तिथि को लागू विनिमय दर पर (अदल-बदल) किया जाता है।

10. कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित अंशदान योजनाएं

कंपनी द्वारा कर्मचारयों हेतु पेंशन एवं फेमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान

अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा-काल हेतु लाभ एवं हानि विवरणिका में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती है।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपर्युक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

एक्चुअरी लाभ और हानि के साथ-साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के शुद्ध) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरुप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर –संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि संबंधी विवरणिका में दर्शाया गया है।

11. प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हर्जाने के दावों को, समान लेन-देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

(ii) जब कंपनी संबंधित उत्पादों या अनुबंधों पर राजस्व का निर्धारण करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है तो कंपनी वारंटी के लिए अनुमानित लागत प्रदान करती है। प्रावधान पिछले अनुभव/ तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

(iii) जब यह संभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी तो अनुमानित नुकसान का तुरंत पता लगाया जाता है।

(iv) यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरुप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रुप से लगाया जा सकता है और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को व्यय करने की जरुरत पड़े।

तथापि जहाँ धन के कालिक मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रुप में हो, वहां जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला वर्तमान दायित्व है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रुप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो (जहाँ कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है)। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

12. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात का उचित आश्वासन हो कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दिखाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रुप में मान्यता दी जाती है।

जहां कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहां परिसंपत्ति और अनुदान का लेखा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर किया जाता है और उन्हें आस्थगित आय के रुप में माना जाता है। आस्थगित आय को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर आवश्यक अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है ताकि उनका मिलान उन संबंधित लागतों से किया जा सके जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें रखा गया है।

13. आय-कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल है।

चालू आयकर

आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर ।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए निर्धारित किया गाया है और इसमें पिछले वर्षों के कर को भी समायोजित किया गया है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है जो बैलेंस –शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थागित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शाई जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना नहीं रह जाती कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सम्पूर्ण या आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

14. परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार, अनुबंध और पट्टा की प्राप्त राशियों के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

गैर- वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहां किसी भी तरह की हानि का संकेत होता है। लाभ और हानि का आकलन हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है, जहां कैरींग राशि नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है ।

यदि संकेतों से पता चलता है कि हानि में कमी आई है अथवा अब हानि नहीं हो रही है, तो पूर्व कालावधि में नुकसान से हुई हानि का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है। यदि वसूली राशि को इंगित करते हुए लागत में परिवर्तन हो तो, इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

यदि कोई इम्पेयरमेंट लॉस होना नहीं पाया गया है तथा संपत्ति की वहन राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का शुद्ध है तो इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

15. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारिण खंड विशेष परिचालन गतिधियों के साथ उनके संबंध के आधार पर किया जाता है। जो राजस्व व्यय,परिसंपत्तियों और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती है उन्हें अनावंटित राजस्व/व्यय/सम्पत्ति/ देनदारियों के तहत शामिल किया गया है।

16. नॉन- डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

नॉन- डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:-

- (क) परिशोधित लागत और (ख) लाभ एवं हानि ("एफवीटीपीएल") के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां ।
- परिशोधन लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियाँ।

प्रारम्भ में सभी वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नही किया जाता है तो कैरींग राशि का निर्धारण करने में लेनदेन की लागत शामिल होती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो अंतरित किए जाते है और न ही रोककर रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डि-रेकोग्राइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में वित्तीय देनदारियों को डि – रेकोग्राइज किया जाता है।

बाद में नॉन डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है:

क. परिशोधित लागत–

परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखत का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि में दर्शाया जाता है। इम्पेयरमेन्ट से होने वाले नुकसान को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख. एफवीटीपीएल श्रेणी–

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय लिखत बाद में लाभ-हानि विवरण में दर्ज परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर तैयार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष लेनदेन लागत को लाभ – हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

नॉन-डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्न रूप में दर्शाया जाता है।

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, नॉन – डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है।

17. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में बैंक में शेष, और अपने पास उपलब्ध नकदी शामिल होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा शामिल है जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रूप में परिवर्तनीय है और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

18. लाभांश

वितरण अधिकृत होने पर कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के दायित्व को मान्यता देती है, और वितरण अब कंपनी के विवेक पर नहीं है। भारत में कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब अधिकृत होता है जब इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राशि को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

19. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय निकालने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, तथा साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भी विभाजित किया जाता है, जो सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रुपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

20. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ (भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों) हैं जो किराये की आय अर्जित करने और/या पूँजी वृद्धि के लिए रखी जाती हैं। इसमें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति शामिल नहीं है, न ही इसमें सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति शामिल है।

इन्हें प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और, जहाँ लागू हो, लेखांकन मानकों के अनुसार उधार लागत शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर मूल्यांकित किया जाता है। यद्यपि लागत पर मापा जाता है, निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य वित्तीय विवरणों के नोट्स में एक स्वतंत्र योग्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर प्रकट किया जाता है। यदि भविष्य में कंपनी को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना हो और व्यय की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके, तो बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। दैनिक मरम्मत और रखरखाव को व्यय होने पर व्यय में शामिल कर लिया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति की श्रेणी के अनुसार किया जाएगा जिससे वह संबंधित है तथा परिसंपत्ति का जीवन पीपीई पर नीति के अनुरुप निर्धारित किया जाएगा।

निवेश संपत्ति में या उससे संपत्तियों का हस्तांतरण केवल तभी किया जाता है जब उपयोग में स्पष्ट परिवर्तन हो, और साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। निवेश संपत्ति और स्वामी-अधिभोगित संपत्ति के बीच हस्तांतरण से हस्तांतरित संपत्ति की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही मापन या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उस संपत्ति की लागत में कोई परिवर्तन होता है। किसी निवेश संपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है या उसे स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। मान्यता रद्द करने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और अग्रणीत राशि के बीच का अंतर) को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

नोट [3क] - गैर चालू परिसंपत्तियां
सम्पत्ति, संयत्र एवं उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 2 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
सकल खंड	7661.74	7404.47
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास	4728.46	4542.01
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.1 देखें)	**2933.28**	**2862.46**

आरओयू परिसंपत्तियों के संबंध में निवल ब्लॉक में ₹300.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹304.56 करोड़) शामिल हैं।

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार इंड एएस ट्रांजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है।

नोट [3ख] - गैर चालू परिसंपत्तियां
प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
संयंत्र एवं मशीनरी और अन्य उपस्कर :				
चल रहा इरेक्शन/ फेब्रिकेशन/प्रतीक्षारत इरेक्शन	226.79		87.16	
मार्गस्थ	3.98	230.77	24.59	111.75
चल रहा निर्माण कार्य – सिविल		166.58		45.37
निर्माण भंडार – (मार्गस्थ सहित)		1.85		4.58
कुल		**399.20**		**161.70**

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2026	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	347.22	39.32	0.57	0.58	387.69
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं				11.51	11.51

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में अपनी लागत से अधिक हो गई है) - 31 मार्च 2026 को	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं					
10 करोड़ रुपए से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 6)	-	-	-	0.39	0.39
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					
उपकरण फेब्रिकेशन संयंत्र – भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
सक्षम कार्य- उप्पुर	-	-	-	2.94	2.94
₹1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 2)	-	-	-	0.83	0.83

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी कालप्रभावन सूची – 31 मार्च 2025	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	145.83	0.98	1.30	1.30	149.42
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं				12.28	12.28

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में अपनी लागत से अधिक हो गई है) - 31 मार्च 2025 को	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चालू परियोजनाएं					
नई बिल्डिंग - नोएडा	0.91	-	-	-	0.91
इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन	1.47	-	-	-	1.47
10 करोड़ रुपए से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 12)	1.10	-	-	0.37	1.47
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं					
उपकरण फेब्रिकेशन संयंत्र – भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
सक्षम कार्य- उप्पुर	-	-	-	2.94	2.94
₹ 1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 5)	-	-	-	1.60	1.60

नोट [3ग] - गैर चालू परिसंपत्तियां
निवेश संपत्ति

निवेश संपत्ति पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 20 को देखें

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
सकल ब्लॉक	1.32	1.17
घटाएं: संचित परिशोधन	0.80	0.72
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 3.2 देखें)	**0.52**	**0.45**
निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	133.67	111.58

नोट 3.1 - संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2026 को अंतिम शेष	01.04.2025 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2026 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2026 को निवल ब्लॉक	31.03.2025 को निवल ब्लॉक
भूमि – फ्री होल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)*	27.73	0.33	0.00	**28.06**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**28.06**	27.73
भवन – फ्री होल्ड भवन*	2130.26	65.30	(14.67)	**2180.89**	799.62	53.35	(13.74)	**839.23**	**1341.66**	1330.64
सड़कें, पुल और पुलियां	18.01	0.52	0.00	**18.53**	15.24	0.36	(0.00)	**15.60**	**2.93**	2.77
जल व मल निकासी एवं जल-आपूर्ति	44.76	0.05	(0.00)	**44.81**	12.24	1.60	(0.00)	**13.84**	**30.97**	32.52
प्लांट व मशीनरी	3568.25	186.68	(4.69)	**3750.24**	2727.36	116.40	(4.71)	**2839.05**	**911.19**	840.89
रेलवे साइडिंग	8.85	0.00	0.00	**8.85**	6.58	0.41	0.00	**6.99**	**1.86**	2.27
लोकोमोटिव और वेगन	28.33	2.04	(0.17)	**30.20**	22.05	1.28	(0.18)	**23.15**	**7.05**	6.28
फ़र्निचर व फिक्स्चर	87.59	4.82	(2.13)	**90.28**	57.61	5.78	(1.84)	**61.55**	**28.73**	29.98
वाहन	17.98	3.10	(0.15)	**20.93**	13.34	1.28	(0.15)	**14.47**	**6.46**	4.64
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	167.27	13.98	(3.67)	**177.58**	141.71	8.98	(3.59)	**147.10**	**30.48**	25.56
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर	195.52	2.31	(20.97)	**176.86**	182.38	4.92	(20.93)	**166.37**	**10.49**	13.14
इलेक्ट्रिक अधिष्ठापन	347.20	7.91	(1.03)	**354.08**	207.61	12.19	(1.03)	**218.77**	**135.31**	139.58
निर्माण उपस्कर	66.85	1.87	(7.73)	**60.99**	65.36	0.63	(7.70)	**58.29**	**2.70**	1.49
10,000/- तक की लागत वाली अचल संपत्तियां	27.46	5.11	(2.07)	**30.50**	27.46	5.11	(2.07)	**30.50**	**0.00**	-
सोलर पावर जेनरेशन	143.81	0.04	0.00	**143.85**	43.41	5.48	0.00	**48.89**	**94.96**	100.40
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां*	524.59	75.62	(55.13)	**545.08**	220.04	77.14	(52.52)	**244.66**	**300.42**	304.56
कुल	**7404.47**	**369.68**	**(112.41)**	**7661.74**	**4542.01**	**294.91**	**(108.45)**	**4728.46**	**2933.28**	**2862.46**
पिछला वर्ष	6897.02	605.08	(97.66)	**7404.47**	4386.33	251.13	(95.47)	**4542.01**	**2862.46**	**2510.69**

नोट:

सकल ब्लॉक (पूर्ववर्ती आईजीएएपी के अनुसार) 31.03. 2026 को ₹14510.15 करोड़ और 31.03.2025 को ₹14411.16 करोड़ था।

31.03.2026 को सकल ब्लॉक में ₹10.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7.24 करोड़) की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग मे न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

31.03. 2026 तक निवल ब्लॉक में ₹0.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.12 करोड़) अनुपयोगी और सक्रिय उपयोग मे न आ रही संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

सकल ब्लॉक में भारत सरकार से अनुसंधान के लिए प्राप्त अनुदान से ख़रीदी गई संपत्ति की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति ₹265.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹243.50 करोड़) कंपनी की नहीं है।

* चालू वर्ष 2025-26 में भवन फ्रीहोल्ड सकल ब्लॉक ₹0.15 करोड़ तथा संचित मूल्यह्रास ₹0.06 करोड़ से निवेश संपत्ति में स्थानांतरण। (बीते वर्ष 2024-25 भूमि सकल ब्लॉक से निवेश संपत्ति में स्थानांतरण ₹शून्य, भवन फ्रीहोल्ड सकल ब्लॉक ₹0.53 करोड़ और संचित मूल्यह्रास ₹0.51 करोड़ और भवन आरओयू सकल ब्लॉक ₹0.64 करोड़ और संचित मूल्यह्रास ₹0.19 करोड़) पीपीई (संयंत्र, संपत्ति और उपकरण) और अमूर्त संपत्तियों में होने वाली वृद्धियों/कटौतियों के संबंध में, कंपनी द्वारा मौजूदा दरों पर आनुपातिक मासिक आधार पर मूल्यह्रास/ परिशोधन लागू किया जाता है।

वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है।

टेबल 3.1 (क): राइट-ऑफ-यूज परिसंपत्तियां निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2026 को अंतिम शेष	01.04.2025 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2026 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2026 को निवल ब्लॉक	31.03.2025 को निवल ब्लॉक
भूमि (विकास व्यय सहित)	124.33	16.45	(0.00)	**140.77**	24.82	5.58	0.00	**30.40**	**110.37**	99.51
भवन*	2.02	0.00	0.00	**2.02**	0.55	0.24	0.00	**0.79**	**1.23**	1.47
प्लांट व मशीनरी	16.30	8.79	(10.87)	**14.22**	11.20	2.15	(8.13)	**5.22**	**8.99**	5.10
कार्यालय व अन्य उपस्कर	7.87	1.08	(2.07)	**6.89**	6.09	0.67	(2.07)	**4.69**	**2.20**	1.78
ईडीपी उपस्कर	341.68	45.82	(34.28)	**353.22**	157.72	62.53	(34.64)	**185.61**	**167.61**	183.96
वाहन	6.65	2.21	(0.97)	**7.89**	3.48	1.78	(0.74)	**4.52**	**3.37**	3.17
अन्य	25.74	1.27	(6.94)	**20.07**	16.17	4.19	(6.94)	**13.42**	**6.65**	9.57
कुल	**524.59**	**75.62**	**(55.13)**	**545.08**	**220.03**	**77.14**	**(52.52)**	**244.66**	**300.42**	**304.56**
पिछला वर्ष	391.97	215.22	(82.60)	**524.59**	249.80	51.89	(81.65)	**220.03**	**304.56**	**142.17**

* भवन के उपयोग के अधिकार से निवेश संपत्ति में स्थानांतरण; चालू वर्ष 2025-26 में शून्य (पिछले वर्ष 2024-25 सकल ब्लॉक में ₹0.64 करोड़ एवं संचित मूल्यह्रास ₹0.19 करोड़)

नोट [3.1] – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के विषय में अतिरिक्त जानकारी

1. (क) अचल संपत्ति जिनका स्वामित्व विलेख बीएचईएल के नाम पर नहीं है (31.03.2026 तक)

संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस से संबंधित मद के तहत)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	नाम पर धारित लीज/स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई:-					
भूमि-फ्रीहोल्ड	0.52	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	1974 से	टाइटल डीड के स्थानांतरण का कार्य चल रहा है, मामला टीएसआईआईसी के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।
भूमि-फ्रीहोल्ड	0.11	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	30-01-1961	वर्ष 1961 और 63 में भारी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। (संदर्भ संख्या:171,192,92-ए,61,202)
भूमि-फ्रीहोल्ड	0.18	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	नहीं	1957 से	भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से प्रदान की गई भूमि, बीएचईएल के नाम पर टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
भूमि-फ्रीहोल्ड	1.24	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच विभिन्न तिथियां	भूमि हस्तांतरण के दस्तावेज (राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाने और बीएचईएल द्वारा प्रभार लिए जाने के संबंध में) उपलब्ध हैं, जिनमें क्षेत्रफल और सर्वेक्षण संख्या का उल्लेख है। राज्य सरकार द्वारा बीएचईएल के पक्ष में अभी समनुदेशन विलेख जारी किया जाना बाकी है।
भूमि-फ्रीहोल्ड	0.0022	बी सरोजा देवी	नहीं	01-04-1965	श्रीमती बी सरोजा देवी और मेसर्स बीएचईएल के बीच सर्वोच्च न्यायालय में विवाद है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को निपटाने के लिए वापस उच्च न्यायालय भेज दिया है और यह लंबित है।
भूमि-फ्रीहोल्ड	0.2799	मैसूर पोर्सिलेन लिमिटेड	नहीं	21-05-1980	भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भूमि बीएचईएल ईपीडी को हस्तांतरित की गई है। भूमि अभिलेखों के अद्यतन की प्रक्रिया प्रगति पर है।
भूमि-फ्रीहोल्ड	1.64	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	24-11-2010	पट्टा (टाइटल डीड) जारी किया जाना बाकी है
भूमि - लीजहोल्ड (राइट ऑफ यूज असेट्स)	68.38	464.8287 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के नाम पर, 9.0688 एकड़ भूमि महाराष्ट्र राज्य सरकार के नाम पर, 2.7676 एकड़ भूमि निजी मालिकों के नाम पर	नहीं	20-03-2013	प्रस्तावित भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.11	जेबी कंस्ट्रक्शन (बिल्डर)	नहीं	1989	4 फ्लैटों के मालिकाना हक पर बिल्डर और जमीन के मालिक के बीच विवाद चल रहा है।
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.05	महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटी	नहीं	1989	सहकारी समिति के नाम पर 6 फ्लैट हैं। कोई विवाद नहीं है।
भूमि-फ्रीहोल्ड	0.0002	म्यूटेशन बीएचईएल के नाम पर हो गया है। हालाँकि, खतौनी में बीएचईएल झाँसी नहीं दिखाया गया है। इसे दोहरी रेलवे भूमि के रूप में दिखाया गया है।	नहीं	1974-75	ऐसा राज्य राजस्व विभाग की गलती के कारण हुआ है कि उन्होंने खतौनी प्रविष्टि करते समय टाइपोग्राफिकल त्रुटि की है। संपदा विभाग, टीपी झांसी द्वारा जिला राजस्व प्राधिकरण के समक्ष नाम परिवर्तन के लिए बीएचईएल के नाम पर मामला उठाया गया था।
बिल्डिंग-फ्रीहोल्ड (राइट ऑफ यूज असेट्स)	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 1 मंजिल के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है।
निवेश संपत्ति:-					
बिल्डिंग - लीजहोल्ड	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 1 मंजिल के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है।

नोट [3.1] – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के विषय में अतिरिक्त जानकारी

1. (क) अचल संपत्ति जिनका स्वामित्व लिखत बीएचईएल के नाम पर नहीं है (31.03.2025 तक)

संपत्ति की वस्तु का विवरण (बी/एस से संबंधित मद के तहत)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	नाम पर धारित लीज/स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई:-					
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.08	बच्चा लाल पुत्र स्वर्गीय राम किशोर	नहीं	08-06-1983	एचईआरपी वाराणसी के नाम पर दाखिल खारिज हेतु मामला विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वाराणसी के पास लंबित है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.52	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	1974 से	टाइटल डीड के स्थानांतरण का कार्य चल रहा है, मामला टीएसआईआईसी के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.11	तेलंगाना राज्य सरकार	नहीं	30-01-1961	वर्ष 1961 और 63 में भारी विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। (संदर्भ संख्या: 171, 192, 92-ए, 61, 202)
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.18	मध्य प्रदेश राज्य सरकार	नहीं	1957 से	भारत सरकार के राजपत्र के माध्यम से प्रदान की गई भूमि, बीएचईएल के नाम पर टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.24	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	13.01.1981 से 17.02.1986 के बीच विभिन्न तिथियां	उपलब्ध हैं, जिनमें क्षेत्र और सर्वेक्षण संख्या दर्शाने वाले भूमि हस्तांतरण दस्तावेज (राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए और बीएचईएल द्वारा अधिग्रहित) उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा बीएचईएल के पक्ष में असाइनमेंट डीड अभी तक जारी नहीं किया गया है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0022	बी सरोजा देवी	नहीं	01-04-1965	श्रीमती बी सरोजा देवी और मेसर्स बीएचईएल के बीच उच्चतम न्यायालय में विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निपटाने के लिए वापस उच्च न्यायालय भेज दिया है और यह लंबित है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	1.64	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	24-11-2010	पट्टा (टाइटल डीड) जारी किया जाना बाकी है
भूमि - लीजहोल्ड (राइट ऑफ यूज़ असेट्स)	68.38	464.8287 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के नाम पर, 9.0688 एकड़ भूमि महाराष्ट्र राज्य सरकार के नाम पर, 2.7676 एकड़ भूमि निजी मालिकों के नाम पर	नहीं	20-03-2013	प्रस्तावित भूमि का पूर्ण अधिग्रहण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.11	जेबी कंस्ट्रक्शन (बिल्डर)	नहीं	1989	4 फ्लैटों के मालिकाना हक पर बिल्डर और जमीन के मालिक के बीच विवाद चल रहा है
बिल्डिंग - फ्रीहोल्ड	0.05	महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटी	नहीं	1989	सहकारी समिति के नाम पर 6 फ्लैट हैं। कोई विवाद नहीं है।
भूमि- फ्रीहोल्ड	0.0002	म्यूटेशन बीएचईएल के नाम पर हो गया है। हालाँकि, खतौनी में बीएचईएल झाँसी नहीं दिखाया गया है। इसे दोहरी रेलवे भूमि के रुप में दिखाया गया है।	नहीं	1974-75	ऐसा राज्य राजस्व विभाग की गलती के कारण हुआ है कि उन्होंने खतौनी प्रविष्टि करते समय टाइपोग्राफिकल त्रुटि की है। संपदा विभाग, टीपी झांसी द्वारा जिला राजस्व प्राधिकरण के समक्ष नाम परिवर्तन के लिए बीएचईएल के नाम पर मामला उठाया गया था।
बिल्डिंग-फ्रीहोल्ड (राइट ऑफ यूज़ असेट्स)	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 2 मंजिलों के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है।
निवेश संपत्ति:-					
बिल्डिंग - लीजहोल्ड	1.2777	महाराष्ट्र राज्य सरकार	नहीं	01-02-1991	महाराष्ट्र सरकार ने एमवीआईआरडीसी के साथ भूमि का पट्टा निष्पादित नहीं किया है, इसलिए एमवीआईआरडीसी बीएचईएल के साथ 1 मंजिलों के लिए लीज डीड निष्पादित नहीं कर सकता है।

नोट [3.1] – परिसंपत्ति, प्लांट व उपस्कर के विषय में अतिरिक्त जानकारी

विवरण				31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
2.	भूमि एवं भवन जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं				
क .	i)	जमीन, जिसके लिए औपचारिक अंतरण पट्टा लिखित नहीं किया गया है	(एकड़ में)	8504.33	8441.47
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	63.01	63.52
	ii)	फ्लैटों की संख्या जिनके लिए औपचारिक पट्टा लिखित नहीं किया गया है	(संख्या में)	12	12
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	0.88	0.92
	iii)	जमीन जिसके लिए प्रदत लागत अनंतिम है; [पंजीकरण प्रभार एवं स्टांप शुल्क, (प्रावधान को छोड़कर), जिसकी गणना भुगतान पर की जाएगी।	(एकड़ में)	476.66	480.04
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	59.02	59.82
ख.	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्य को पट्टे पर दी गई जमीन		(एकड़ में)	20.47	20.47
ग.	जमीन, जो प्रतिकूल कब्जे/अनधिकृत कब्जे में है		(एकड़ में)	883.21	886.99

घ. हरिद्वार संयंत्र में 1300.32653 एकड़ (PY 1300.32653 एकड़) भूमि का म्यूटेशन लंबित है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसमें 934 एकड़ (PY 934 एकड़) भूमि शामिल है जो बीएचईएल के कब्जे में है, लेकिन वर्ष 2004 और 2007 में उत्तराखंड सरकार के सिडकुल के नाम पर गलत तरीके से म्यूटेशन की गई है। इसके अलावा, 2.4675 एकड़ (PY 2.4675 एकड़) भूमि भी शामिल है जो बीएचईएल बनाम नकली राम मामले से संबंधित है और अदालत में लंबित है।

ङ. इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार के दिनांक 01.12.2003 के कार्यालय ज्ञापन के तहत हरिद्वार संयंत्र में 8 एकड़ भूमि का आईओसीएल/राज्य सरकार को हस्तांतरण हेतु लंबित है।

(उपर्युक्त (ख से ड) की भूमि की लागत प्रत्यक्ष नहीं है)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
3. i) भूमि का कुल क्षेत्रफल एकड़ में	16690.71	16690.71
ii) 3(i) में से फ्री होल्ड भूमि (सेल डीड) / कब्ज़ा / लाइसेंस अधिकार (एकड़ में)	15987.38	15987.38
iii) 3(i) में से लीजहोल्ड भूमि (एकड़ में)	703.33	703.33

4. कंपनी ₹10000/- तक की लागत/ओपनिंग नेट ब्लॉक वाले किसी पीपीई मद पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करती है। पिछले वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की एक वस्तु पर 100% मूल्यह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
₹10,000/- तक की पीपीई पर 100% मूल्यह्रास चार्ज ऑफ	6.92	6.18
घटाएँ: उपरोक्त पर सामान्य मूल्य ह्रास	(1.56)	(1.38)
वर्ष के लिए मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित अतिरिक्त राशि	5.36	4.79

5. परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत आवश्यक अनुमोदन के अधीन इन संपत्तियों (i) चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, कोलकाता में दूसरी मंजिल का कार्यालय (ii) इंदौरा आवासीय फ्लैट, नागपुर - भूमि और भवन और (iii) वडोदरा टाउनशिप - भूमि और भवन, जिन सबका निवल ब्लॉक मूल्य ₹1.42 करोड़ है, की पहचान बिक्री के लिए की गई है।

6. **पूंजीगत व्यय की स्थिति का सारांश:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
पीपीई और अमूर्त संपत्तियों में वृद्धि	371.09	646.82
सीडब्ल्यूआईपी में वृद्धि/(कमी)	237.50	(120.62)
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	62.12	7.66
पूंजी अग्रिम में वृद्धि/(कमी)	0.00	1.78
कुल	**670.71**	**535.64**

नोट 3.2 - निवेश संपत्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2026 को अंतिम शेष	01.04.2025 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2026 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2026 को निवल ब्लॉक	31.03.2025 को निवल ब्लॉक
भूमि - फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
बिल्डिंग	1.17	0.00	0.15	**1.32**	0.72	0.02	0.06	**0.80**	**0.52**	0.45
कुल	**1.17**	**0.00**	**0.15**	**1.32**	**0.72**	**0.02**	**0.06**	**0.80**	**0.52**	**0.45**
पिछले वर्ष	**0.00**	**(0.00)**	**1.17**	**1.17**	**0.00**	**0.02**	**0.70**	**0.72**	**0.42**	**0.00**

उपरोक्त निवेश संपत्ति का उचित मूल्य ₹133.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹111.58 करोड़)
सकल ब्लॉक (पूर्ववर्ती IGAAP के अनुसार) 31.03.2026 को ₹3.89 करोड़ और 31.03.2025 को ₹3.72 करोड़

नोट[4क] - गैर चालू परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 4 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
सकल ब्लॉक	342.80	343.70
घटाएँ: संचित परिशोधन	278.07	259.43
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 4.1 देखें)	**64.73**	**84.27**

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार इंड एएस ट्रांजिशन की दिनांक 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को निर्णीत कीमत माना गया है।

नोट 4.1 - अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को प्रारम्भिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2026 को अंतमि शेष	01.04.2025 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2026 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2026 को निवल ब्लॉक	31.03.2025 को निवल ब्लॉक
आंतरिक स्रोतों से विकास										
-अन्य	38.63	0.32	(1.56)	**37.39**	35.87	1.58	(1.56)	**35.89**	**1.50**	2.77
आंतरिक स्रोतों से विकसित के अलावा अन्य										
- सॉफ़्टवेयर	73.66	1.09	(0.75)	**74.00**	60.43	6.78	(0.74)	**66.48**	**7.52**	13.23
- तकनीकी ज्ञान	231.41	0.00	0.00	**231.41**	163.13	12.57	0.00	**175.70**	**55.71**	68.28
कुल	**343.70**	**1.41**	**(2.31)**	**342.80**	**259.43**	**20.93**	**(2.31)**	**278.07**	**64.73**	**84.27**
पिछले वर्ष	339.23	41.74	(37.27)	**343.70**	275.87	20.83	(37.27)	**259.43**	**84.27**	**63.35**

सकल ब्लॉक (पिछले आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2026 को ₹592.77 करोड़ एवं 31.03.2025 को ₹594.27 करोड़ था।
परिसंपत्तियों में कोई ह्रास हानि नहीं हुई।

नोट [4बी] - गैर चालू परिसंपत्तियां
विकसित हो रही अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	95.85	33.73
कुल	**95.85**	**33.73**

(₹ करोड़ में)

विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च 2026	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	63.06	5.75	19.51	7.53	95.85
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकास के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियाँ (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है) - 31 मार्च, 2026 को	निम्नलिखित अवधि में पुरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकास के अंतर्गत अमूर्त सम्पत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2025 को	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	7.69	20.04	3.46	2.54	33.73
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है) - 31 मार्च, 2025 को	निम्नलिखित अवधि में पुरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

नोट [5] - गैर चालू परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

संयुक्त उपक्रमों में निवेश पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 6 देखें एवं गैर-डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए नोट [2] का बिंदु 16 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति			31 मार्च 2025 की स्थिति		
	शेयरों की संख्या (फ़ेस वैल्यू ₹ में)	राशि		शेयरों की संख्या (फ़ेस वैल्यू ₹ में)	राशि	
I कोटेड इक्विटी लिखत			-			-
II अनकोटेड इक्विटी उपकरण (पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर)						
(क) संयुक्त उद्यमों में निवेश (लागत पर)						
(i) रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि.	664040000 (10)		664.04	664040000 (10)		664.04
(ii) बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि.	2379999 (10)		2.38	2379999 (10)		2.38
(iii) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	50000000 (10)	50.00		50000000 (10)	50.00	
घटाएँ: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		50.00	-		50.00	-
(iv) भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड	4870600 (10)		10.16	4900 (10)		5.29
(इसमें 5.29 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश शामिल है (पिछले वर्ष: 5.29 करोड़ रुपये) यह बिना किसी प्रतिफल के दी गई वित्तीय गारंटी के लिए गारंटी शुल्क के उचित मूल्य को दर्शाता है)						
			676.58			**671.71**
(ख) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी लिखतों में निवेश (एफवीटीपीएल पर)						
(i) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	728960 (10)	0.91		728960 (10)	0.91	
जोड़ें / (घटाएँ) : मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		0.91	-		0.91	-
(ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	1892 (10)	*		1892 (10)	*	
सहकारी समितियों में हिस्सेदारी #						
कुल			**676.58**			**671.71**
* ₹1 लाख से कम मूल्य						
अनकोटेड निवेश की कुल राशि			727.49			722.62
निवेश के मूल्य में कुल हानि की सकल राशि			50.91			50.91

विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य ₹1 लाख से कम हो।

संयुक्त उद्यमों एवं सहायक कंपनियों के बारे में जानकारी

विवरण	देश जहां निगमन हुआ	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि. (बीजीजीटीएस)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (एनबीपीपीएल)		50%	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि. (आरपीसीएल)		22.14%	22.14%
भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)		49%	49%

(i) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर ₹50.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹50.00 करोड़ तक) की सीमा तक किया गया है। 28 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी 566वीं बैठक में बीएचईएल निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के विलोपन की बीएचईएल निदेशक मंडल द्वारा 08.02.2018 को आयोजित अपनी 494वीं बैठक में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करने की मंजूरी दी और एनबीपीपीएल द्वारा 1×800 मेगावाट एयूएससी प्रौद्योगिकी आधारित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र (टीडीपी) के कार्यान्वयन को शुरु करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।

(ii) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में निवेश का निपटान वित्त वर्ष 2022-23 में किया गया है और वित्त वर्ष 2023-24 तक 26.22 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में टीडीएस कटौती के बाद ₹5.93 करोड़ (ब्याज सहित) की शेष राशि प्राप्त हुई।

(iii) बीएचईएल ने ₹662 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है, जो भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) द्वारा प्राधिकरण को देय दायित्वों के निर्वहन के लिए भारत के राष्ट्रपति को ₹1350 करोड़ के वित्तीय प्रोत्साहन के 49% तक देनदारियों को सीमित करती है। यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा 12.03.2025 को हुए कोल गैसीफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट के तहत गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

नोट [6] - वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 14 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
असुरक्षित, शोध्य	2648.70	7426.05	3351.23	6566.49
साख का मूल्यह्रास (बी एंड डी ऋणों के लिए भत्तों में शामिल)	7076.69	425.23	8474.83	693.22
	9725.39	**7851.28**	**11826.06**	**7259.71**
कम: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	7298.46	1055.01	8779.48	1375.36
कुल व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	**2426.93**	**6796.27**	**3046.58**	**5884.35**
व्यापार प्राप्य के मूल्यह्रास हेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरुप किया जाता है। व्यापार प्राप्य में शामिल हैं:				
व्यापार प्राप्य में शामिल हैं:				
(क) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट (i): व्यापार प्राप्य में ग्राहक एसटीपीजी (पूर्व में एनईसी, सूडान) से ₹196 करोड़ (चालू वर्ष में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त होने के बाद 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर) [पिछले वर्ष ₹211 करोड़ (25.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर)] की अतिदेय राशि शामिल है, जो सूडान में चल रहे संकट के कारण फंसी हुई है, जिसे वसूली योग्य माना गया है और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि इस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है, तो 'कर-पूर्व लाभ' पर ₹179 करोड़ (ईसीएल प्रावधान को समायोजित करने के बाद) का प्रभाव पड़ेगा।

गैर-चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च 2026

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	136.91	226.40	227.67	166.28	422.59	-	-	1179.85
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	106.26	31.50	2.27	102.99	1225.83	-	-	1468.85
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	13.03	33.07	167.15	266.58	6596.86	-	-	7076.69

चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च 2026

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	5103.48	1145.56	435.86	260.23	480.93	-	-	7426.05
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	10.83	5.84	22.32	24.20	362.03	-	-	425.23

गैर-चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च 2025

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	67.22	22.35	272.28	233.90	756.66	-	-	1352.41
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	6.89	16.56	81.34	8.93	1885.10	-	-	1998.82
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	121.06	120.92	159.70	147.46	7925.69	-	-	8474.83

चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च 2025

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य	4827.68	577.21	753.85	225.97	181.78	-	-	6566.49
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडीट इंपेयर्ड	5.60	1.11	4.25	1.96	680.30	-	-	693.22

नोट[7] - वित्तीय परिसंपत्तियाँ
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 14 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
सुरक्षा जमा				
एसईबी, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के पास जमा				
असुरक्षित, शोध्य	114.35	125.89	101.45	91.91
साख का मूल्यह्रास	7.69	12.79	8.02	12.80
	122.04	**138.68**	**109.47**	**104.71**
घटाएँ: डूबे एवं संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	7.69	12.79	8.02	12.80
	114.35	**125.89**	**101.45**	**91.91**
जारी किए गए बीजी हेतु मार्जिन मनी के लिए सावधि जमा	**144.43**	**-**	614.50	-
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	-	**152.50**	-	**141.00**
कर्मचारियों को अग्रिम	-	53.75	-	68.29
घटाएँ: डूबे एवं संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	-	0.01	-	0.44
	-	**53.74**	**-**	**67.85**
कुल	**258.78**	**332.13**	**715.95**	**300.76**
शामिल:				
निदेशकों से देय	-	-	-	-
अधिकारियों से देय	-	0.02	-	0.01

नोट[8] - गैर चालू परिसंपत्तियां
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)

आयकर पर सामाग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 13 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान	2452.24	2439.70
भुगतान के आधार पर देय राशि की अनुमति	452.64	451.21
कर योग्य हानि पर	696.12	1187.80
अन्य	42.27	62.43
उप योग	**3643.27**	**4141.14**
घटाएँ: **आस्थगित कर देयताएं**		
मूल्यह्रास (पीपी एंड ई एवं अमूर्त परिसंपत्ति)	110.47	73.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)	**3532.80**	**4067.72**

आस्थगित कर शेषों में संचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2025 तक शेष राशि	प्रतिधारित आय में स्वीकृत	लाभ और हानि खाते का विवरण	ओसीआई से स्वीकृत	31 मार्च 2026 को शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रावधान	2439.70	-	12.54	-	**2452.24**
भुगतान के आधार पर देय राशि की अनुमति	451.21	-	1.31	0.12	**452.64**
कर योग्य हानि पर	1187.80	-	(491.68)	-	**696.12**
अन्य	62.43	-	(20.16)	-	**42.27**
उप योग	**4141.14**	**-**	**(497.99)**	**0.12**	**3643.27**
घटाएँ: **आस्थगित कर देयताएं**					
मूल्यह्रास (पीपी एंड ई एवं अमूर्त परिसंपत्ति)	73.42	-	37.05	-	**110.47**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देनदारियों को छोड़कर)	**4067.72**	**-**	**(535.04)**	**0.12**	**3532.80**

नोट [9] - अन्य परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की हानि पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 14 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
संविदा परिसंपत्तियाँ (बिना बिल वाले राजस्व सहित)				
असुरक्षित, शोध्य	15106.90	16091.13	14483.07	16759.98
क्रेडिट का मूल्यहास (बी एंड डी ऋणों हेतु भत्ते में शामिल)	3342.56	90.39	3633.32	127.58
	18449.46	**16181.52**	**18116.39**	**16887.56**
घटाएँ : दोषयुक्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	4252.74	988.63	4450.81	1,109.01
उप योग (क)	**14196.72**	**15192.89**	**13665.58**	**15778.55**
सुरक्षा जमा				
कर प्राधिकारणों एवं अन्य के पास जमा				
असुरक्षित, शोध्य	102.40	459.88	53.48	410.71
असुरक्षित, संदिग्ध	34.75	55.31	35.20	69.89
	137.15	**515.19**	**88.68**	**480.60**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.75	55.31	35.20	69.89
उप योग (ख)	**102.40**	**459.88**	**53.48**	**410.71**
ऋण एवं अग्रिम				
असुरक्षित, शोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (विक्रेता एवं सब कोंट्रैक्टर)	245.71	347.71	172.56	92.90
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	1464.15	-	1645.96
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	167.19	1458.11	179.28	1025.61
पूंजी अग्रिम संयुक्त उद्यमों को अग्रिम	4.09	-	4.08	-
असुरक्षित, अशोध्य	-	0.29	-	1.66
क्रय के लिए अग्रिम (विक्रेता एवं सब कोंट्रैक्टर)	16.23	21.39	16.23	6.34
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	6.40	-	6.40
वसूली योग्य दावे एवं अन्य	462.88	236.40	515.36	205.20
पूंजी अग्रिम	0.57	-	0.58	-
	896.67	**3534.45**	**888.09**	**2984.07**
घटाएँ: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान	479.68	264.19	532.17	217.94
उप कुल (ग)	**416.99**	**3270.26**	**355.92**	**2766.13**
कुल (क+ख+ग)	**14716.11**	**18923.03**	**14074.98**	**18955.39**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
I) निर्विवाद संविदा परिसंपत्तियां – शोध्य	11969.80	16091.13	11423.52	16759.98
II) निर्विवाद संविदा परिसंपत्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड	-	-	-	-
III) विवादित संविदा परिसंपत्तियां – शोध्य	3137.10	-	3059.55	-
IV) विवादित संविदा परिसंपत्तियां – क्रेडिट इम्पेयर्ड	3342.56	90.39	3633.32	127.58
कुल	**18449.46**	**16181.52**	**18116.39**	**16887.56**
ऋण एवं अग्रिम में शामिल हैं:				
(क) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट [10] – चालू परिसंपत्तियाँ
माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 7 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
कच्चा माल एवं अवयव	5674.57		3726.37	
मार्गस्थ में सामग्री	492.87	6167.44	358.87	4085.24
चल रहा कार्य (उप-ठेकेदारों वाली मदों सहित)		6585.21		5369.49
तैयार माल	524.45		485.92	
मार्गस्थ अंतर-विभागीय अंतरण	99.48	623.93	119.98	605.90
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स				
उत्पादन	219.09		204.17	
ईंधन स्टोर	5.27		8.26	
विविध	66.63	290.99	57.22	269.65
अन्य माल सूची				
फैब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री	108.62		121.65	
खुले औजार	43.68		23.88	
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	216.89	369.19	159.45	304.98
		14036.76		**10635.26**
घटाएँ : अचल माल सूची के लिए प्रावधान		702.18		765.77
कुल		**13334.58**		**9869.49**

नोट [11] – चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - नकद और नकद समकक्ष

नकदी और नकदी समकक्ष पर सामग्री लेखा नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 17 देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
बैंकों में शेष				
ईईएफ़सी खाता	100.77		112.92	
3 माह या कम समय में परिपक्व होने वाली सावधि जमा	-		199.00	
चालू/ नकत क्रेडिट खाता *	819.17	919.94	121.79	433.71
चेक, डिमांड ड्राफ्ट ऑन हैंड		515.49		3.55
नकदी एवं स्टाम्प ऑन हैंड		0.02		0.07
मार्गस्थ प्रेषण		-		1.88
कुल		**1435.45**		**439.21**

* विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एस्क्रो (escrow) खाते में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹352.25 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹48.89 करोड़ शामिल हैं।

नोट [12] - चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से अधिक नहीं परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		9766.20		6618.06
जारी बीजी के लिए मार्जिन मनी के नामे सावधि जमा		536.96		431.45
बैंक में बकाया राशि (निर्धारित):				
सीजी II सीईएफसी खाता एवं अन्य	5.01		5.76	
दावा न किया गया लाभांश खाता	0.81		1.35	
अप्रत्यावर्तनीय खाता	0.24		0.66	
संरचना खाता	0.06		0.14	
बीएचईएल खाते में न्यायालय के पास सावधि जमा	114.38		111.08	
सीएसआर	7.51	128.01	4.70	123.69
कुल		**10431.17**		**7173.20**
कुल नकदी और बैंक में जमा राशि [11 + 12]		**11866.62**		**7612.41**

नोट [13] - चालू परिसंपत्तियाँ
चालू कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएँ) (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
अग्रिम कर एवं टीडीएस	212.49	149.57
घटाएँ: कराधान के प्रावधान	9.77	12.20
कुल	**202.72**	**137.37**

नोट [14] - इक्विटी
इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में	राशि	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी				
प्राधिकृत	10000000000 (2)	2000.00	10000000000 (2)	2000.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और पूर्णतः प्रदत्त	3482063355 (2)	696.41	3482063355 (2)	696.41
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान				
वर्ष की शुरुआत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
जोड़ें/(घटाएँ): वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
ख) शेयरधारकों द्वारा वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरों का विवरण				
भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर)	2025440587	58.17%	2199650402	63.17%
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग में प्रतिशत परिवर्तन		-5%		शून्य
भारतीय जीवन बीमा निगम	216337871	6.21%	233921477	6.72%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		2.00		2.00

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम /अधिकार

कंपनी के पास केवल ₹2 प्रति शेयर (पिछले वर्ष ₹2 प्रति शेयर) के बराबर मूल्य वाली श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं । प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है।

नोट [15] - अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति	31 मार्च 2025 की स्थिति
पूंजीगत कोष	35.18	35.18
पूंजी मोचन कोष	37.87	37.87
सामान्य कोष	30476.66	30476.66
प्रतिधारित आय	(4147.82)	(5551.67)
ओसीआई (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन)	(581.81)	(581.44)
कुल	**25820.08**	**24416.60**

उपरोक्त प्रत्येक विशिष्ट शीर्ष के तहत जोड़े और कटौती के लिए, SOCIE (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) देखा जा सकता है।

कोष का स्वरुप एवं उद्देश्य:

(क) पूंजी कोष: यह मुख्य रुप से बीएचईएल के साथ तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के समामेलन के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की लागत से अधिक निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) पूंजी मोचन आरक्षित निधि: कंपनी ने अपने सामान्य रिज़र्व से इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद पर पूंजी मोचन रिज़र्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन रिज़र्व में राशि, पुनर्खरीद किए गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर होती है।

(ग) सामान्य आरक्षित निधि: यह भविष्य के (ज्ञात/अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लाभ के संचय को प्रतिनिधित्व करता है।

(घ) प्रतिधारित आय: प्रतिधारित आय वह लाभ है जो कंपनी ने आज तक अर्जित किया है, जिसमें से सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण, लाभांश या शेयरधारकों को अन्य वितरण को घटाया जाता है।

(ङ) शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन: योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय और वास्तव में प्राप्त प्रतिफल के बीच अंतर, तथा योजनाओं के भीतर बीमांकिक धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान देयताओं में हुए किसी भी परिवर्तन को 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता दी जाती है और इन्हें बाद में लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

नोट [16] – वित्तीय देयताएँ – पट्टा देयताएँ

पट्टे पर लेखा नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 3 को देखें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
पट्टा देयताएं	168.18	68.77	162.39	57.21
कुल	**168.18**	**68.77**	**162.39**	**57.21**

पट्टे के संबंध में / और अधिक विवरण नोट [35] में दिया गया है।

नोट [17] - वित्तीय देयताएँ -व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
व्यापार देयताएं				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि	-	1932.11	-	1430.24
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया राशि	1343.44	8529.15	2170.79	8075.21
(iii) स्वीकृत	-	30.34	-	35.47
कुल	**1343.44**	**10491.60**	**2170.79**	**9540.92**

(₹ करोड़ में)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण	31 मार्च , 2026 की स्थिति	31 मार्च , 2025 की स्थिति
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया के रूप में आपूर्तिकर्ता का मूलधन *	1954.86	1466.85
(ii) लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को देय बकाया ब्याज की राशि।	-	-
(iii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता धारा 16 के तहत भुगतान किए गए ब्याज एवं तय तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतानों की राशि।	-	-
(iv) भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान तय तिथि के बाद किया गया है), परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज बिना शामिल किए।	-	-
(v) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि जो वर्ष के अंत तक बकाया है।	-	-
(vi) आगामी वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज की राशि, जब तक कि उपर्युक्त ब्याज की राशि का वास्तविक भुगतान लघु उद्यमों को नहीं कर दिया जाता, ताकि उसे कर प्रयोजनों के लिए कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत किया जा सके।	-	-

* यहाँ प्रदर्शित बकाया राशि में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित टिप्पणी संख्या 17 एवं 18 में दर्शाई गई राशि सम्मिलित है। 31 मार्च, 2026 तक यह राशि अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुगतान के लिए देय नहीं थी।

गैर-वर्तमान व्यापार देय समय अनुसूची – 31 मार्च, 2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	जो भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई के अलावा	-	-	-	-	9.38	1016.91	1026.29
II) विवादित बकाया - एमएसएमई के अलावा*	-	-	-	14.12	0.09	302.94	317.15

वर्तमान व्यापार देय समय अनुसूची - 31 मार्च, 2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	जो भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	67.05	-	-	-	236.70	1626.27	1930.02
II) अन्य	86.09	0.53	-	0.52	2254.86	6065.65	8407.65
III) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	2.09	2.09
IV) विवादित बकाया - एमएसएमई के अलावा*	-	-	-	-	-	151.84	151.84

गैर-वर्तमान व्यापार देय समय अनुसूची – 31 मार्च, 2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	जो भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई के अलावा	-	-	-	-	8.32	1829.59	1,837.91
II) विवादित बकाया - एमएसएमई के अलावा*	-	-	-	14.73	0.09	318.06	332.88

वर्तमान व्यापार देय समय अनुसूची - 31 मार्च, 2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	जो भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	0.06	-	-	-	136.37	1289.82	1426.25
II) अन्य	166.63	8.65	2.73	3.21	1763.13	6154.34	8098.69
III) विवादित बकाया - एमएसएमई*	-	-	-	-	-	3.99	3.99
IV) विवादित बकाया - अन्य*	-	-	-	-	7.18	4.81	11.99

$ भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं, वह राशि है जो अनुबंध के आधार पर रोक कर रखी गई है और जिसका भुगतान लक्ष्यों की प्राप्ति पर किया जाएगा।
* बकाया का विवरण अनुबंध में नियत देय तिथि के आधार पर दिया गया है,, लेकिन इनका भुगतान तभी किया जाएगा जब विवाद का समाधान उनके पक्ष में होगा।

नोट [18] - वित्तीय देयताएं - अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 तक		31 मार्च 2025 तक	
	गैर -वर्तमान	वर्तमान	गैर -वर्तमान	वर्तमान
ठेकेदारों तथा अन्य से जमा राशि	399.02	844.97	413.11	716.19
देयताएं:				
- कर्मचारियों का बकाया	-	194.72	-	152.41
- पूंजीगत व्यय~	11.94	130.94	9.68	131.02
- अन्य	-	129.62	-	212.24
भुगतान नहीं किया गया लाभांश*	-	0.81	-	1.35
उधार पर अर्जित ब्याज	-	12.24	-	27.31
वित्तीय गारंटी दायित्व	-	4.63	-	5.29
कुल	**410.96**	**1317.93**	**422.79**	**1245.81**

~ इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एमएसएमई से संबंधित ₹22.75 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹36.61 करोड़ की राशि शामिल है।

* वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि देय और बकाया नहीं है।

नोट [19] – प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 और 11 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 तक		31 मार्च 2025 तक	
	गैर -वर्तमान	वर्तमान	गैर -वर्तमान	वर्तमान
संविदागत दायित्व	1149.21	540.84	1349.46	422.32
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान *	1088.26	839.26	1028.48	855.64
अन्य प्रावधान	117.15	531.69	206.09	534.18
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व **	-	7.12	1.53	3.17
कुल	**2354.62**	**1918.91**	**2585.56**	**1815.31**

* कर्मचारी लाभों से संबंधित विस्तृत विवरण के लिए नोट 25 देखें।

** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय से संबंधित विवरण नोट [26] के बिंदु (vii) में उपलब्ध है।

नोट [20] - अन्य देयताएं

सरकारी अनुदानों पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 12 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 तक		31 मार्च 2025 तक	
	गैर -वर्तमान	वर्तमान	गैर -वर्तमान	वर्तमान
संविदागत देयताएं (ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि, जिसमें राजस्व से अधिक बिलिंग भी शामिल है)	13413.24	9110.39	9742.94	5550.73
वैधानिक बकाया के लिए देयताएं	-	1443.06	-	1220.75
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान#	46.39	6.15	50.96	5.15
कुल	**13459.63**	**10559.60**	**9793.90**	**6776.63**

सौर पी.वी.संयंत्र की स्थापना, मॉड्यूल के विनिर्माण एवं कॉमन इंजीनियरिंग फेसिलिटी सेंटर योजना, न्युक्लियर पंप टेस्ट फेसिलिटी के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है।

नोट [21] – वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ - उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
प्रतिभूति		
बैंकों से ऋण (कच्चे माल, घटकों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूति, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल और भंडार)	7450.00	8795.00
उप-कुल (क)	**7450.00**	**8795.00**
अप्रतिभूति		
बैंकों से	500.00	-
उप-कुल (ख)	**500.00**	**-**
कुल उधार (क+ख)	**7950.00**	**8795.00**

(i) मंजूर ऋण-सीमाओं का विवरण

विवरण	मंजूर ऋण-सीमाएं (रु./ करोड़)	उपयोग 31 मार्च, 2026 तक		मंजूर ऋण-सीमाएं (रु./ करोड़)	उपयोग 31 मार्च, 2025 तक	
		मूल्य (₹/ करोड़)	उपयोग %		मूल्य (₹/ करोड़)	उपयोग %
गैर फंड आधारित सीमाएं	**70500**	**60508**	**86%**	**70500**	**52371**	**74%**
बैंक गारंटी#	66000	57493	87%	67000	49122	73%
साख पत्र (क्रेता क्रेडिट सहित)	4500	3015	67%	3500	3262	93%
फंड आधारित सीमाएँ	**9500**	**7450.00**	**78%**	**9500**	**8795**	**93%**
डब्ल्यूसीडीएल		7450.00			8795	
पीसीएफसी					शून्य	
वाणिज्य पत्र / आरक्षित ऋण	**5000**	**500**	**10%**	**5000**	शून्य	

उपरोक्त में से ₹19.84 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी बीसीजीसीएल की ओर से जारी की गई, जो कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है।

₹80,000 करोड़ की कुल कंसोर्टियम सीमा (निधि आधारित + गैर-निधि आधारित)को कच्चे माल, घटकों, प्रगति पर कार्य, तैयार माल, भंडार, व्यापार प्राप्तियों और अन्य वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिसंपत्तियों के बंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित है।

(ii) वाणिज्यिक पत्र अरक्षित अल्पकालिक उधार की प्रकृति के होते हैं।

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल की गई त्रैमासिक रिटर्न या चालू संपत्ति के विवरण 'खाता बहियां' के अनुरुप हैं।

(v) दिनांक 31.03.2026 तक, बकाया स्वयं के दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी ₹52.39 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹315 करोड़)।

(vi) वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न उधार में परिवर्तन।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
प्रारंभिक शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	8795.00	8808.00
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(845.00)	(13.00)
अंतिम शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	**7950.00**	**8795.00**

वित्तपोषण गतिविधियों के कारण पट्टा देयता में परिवर्तन के लिए, नोट संख्या [35 (बी)] देखें।

नोट [22]
परिचालनों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 8 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व		
निर्माण और परियोजना संबंधी गतिविधि से राजस्व	22905.91	18478.11
उत्पाद एवं अन्य सेवाओं की बिक्री	9453.92	8877.06
कुल (क)	**32359.83**	**27355.17**
अन्य परिचालन आय		
भाडा व बीमा	149.75	158.18
स्क्रैप बिक्री	317.77	270.51
आपूर्तिकर्ताओं से वसूली	260.28	228.55
रिटन बैंक देयताएं	507.93	182.94
बीमा दावे	72.80	34.67
निर्यात प्रोत्साहन	5.65	4.07
अन्य	108.17	105.39
कुल (ख)	**1422.35**	**984.31**
परिचालन से राजस्व (क + ख)	**33782.18**	**28339.48**
परिचालन से प्राप्त राजस्व में माल एवं सेवा कर शामिल नहीं है:	6445.33	4551.81

नोट [23]
अन्य आय

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 8 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
बैंकों से	642.77	374.63
अन्य	97.16	28.00
उप-कुल (क)	**739.93**	**402.63**
लाभांश आय		
संयुक्त उद्यमों में निवेश पर लाभांश (दीर्घकालिक व्यापार)	38.08	38.08
उप-कुल (ख)	**38.08**	**38.08**
अन्य आय		
निवेश एवं म्यूचुअल की बिक्री पर लाभ	0.08	5.76
कैप्टिव उपयोग के लिए सोलर पीवी प्लांट पर सरकारी अनुदान/ सीईएफसी	9.66	8.99
पीपीई और पूंजी भंडार की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	13.01	13.46
अन्य	45.63	34.47
उप-कुल (ग)	**68.38**	**62.68**
कुल अन्य आय (क + ख + ग)	**846.39**	**503.39**

नोट [24]
तैयार माल, कार्य प्रगति पर एवं स्क्रैप की मालसूची में परिवर्तन [(वृद्धि) / कमी]

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
काम प्रगति पर				
अंतिम शेष	6585.21		5371.51	
प्रारंभिक शेष	5369.49	**(1215.72)**	3917.74	**(1453.77)**
तैयार माल				
अंतिम शेष	524.45		485.94	
प्रारंभिक शेष	485.92	**(38.53)**	414.31	**(71.63)**
स्क्रैप				
अंतिम शेष	216.89		159.45	
प्रारंभिक शेष	159.45	**(57.44)**	173.33	**13.88**
मार्गस्थ में अंतर-प्रभागीय अंतरण		**20.50**		**(30.80)**
(वृद्धि) / कमी		**(1291.19)**		**(1542.32)**

टिप्पणी [25]
कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ पर पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 10 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते एवं अन्य लाभ	5353.73	5029.68
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	497.65	493.10
कर्मचारी कल्याण व्यय	301.29	292.27
ग्रेच्युटी फंड में अंशदान	310.63	103.49
समूह बीमा	4.32	4.88
कुल	**6467.62**	**5923.42**

नोट [26]
अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत व ईंधन		502.54		490.64
अन्य उप- अनुबंधों पर व्यय		322.66		288.10
कैरिज आउटवर्ड		337.16		244.24
सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान		175.08		165.57
मरम्मत एवं रखरखाव:				
भवन	88.22		52.70	
प्लांट व मशीनरी	46.50		39.86	
अन्य	138.18	272.90	124.79	217.35
बीमा		204.08		225.69
यात्रा व परिवहन		105.64		106.96
बैंक प्रभार		229.60		157.75
अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय		14.94		11.65
भाड़ा व्यय		67.21		59.70
कोलाबोरेशन एवं रॉयल्टी पर व्यय		57.30		58.35
दर एवं कर		38.82		42.37
कार्यालय व्यय		31.65		30.88
कौशल विकास पर व्यय		21.40		15.67
विधि, लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन व्यय		45.19		41.48
ईडीपी, सॉफ़्टवेयर व लीज लाइन व्यय		34.12		25.94
जल प्रभार		21.06		20.44
गैर आवासीय किराया		2.94		3.04
निर्यात से संबंधित व्यय		2.67		1.60
मनोरंजन एवं शिष्टाचार पर व्यय		3.31		3.24
पर्यावरण संरक्षण		7.67		6.08
सेमिनार, विकास और प्रशिक्षण व्यय		5.40		4.77
प्रचार एवं जनसंपर्क संबंधी व्यय		3.00		2.29
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व		8.60		6.72
विविध खर्च		91.30		76.16
मुद्रा विनिमय से परिवर्तन [शुद्ध (लाभ) / हानि]		(440.19)		(135.38)
प्रावधान एवं बट्टे खाते (विवरण, नीचे बिंदु संख्या vi पर)		(176.77)		158.04
कुल		**1989.28**		**2329.34**

नोट [26]
अन्य व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
आगे की जानकारी:		
(i) कानूनी, लेखा परीक्षा और प्रमाणन व्यय में शामिल :		
सांविधिक लेखा परीक्षकों का भुगतान :		
लेखा परीक्षा शुल्क	1.07	1.07
कर लेखा परीक्षा	0.24	0.24
तिमाही सीमित समीक्षा एवं अन्य	0.61	0.70
लेखापरीक्षा व्यय	0.22	0.16
लागत लेखा परीक्षकों को शुल्क का भुगतान	0.16	0.16
(ii) निदेशकों का शुल्क	0.18	0.12
(iii) विभागीय मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय:		
प्लांट एवं मशीनरी	204.01	195.91
भवन	42.10	26.91
अन्य	34.70	31.33
(iv) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	134.86	128.73
(v) विदेश यात्राओं पर व्यय		
दौरों की संख्या	203	193
व्यय	3.64	6.81

नोट: भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है, जिन्हें सामूहिक रुप से नई श्रम संहिताएँ कहा जाता है। तथापि, इन संहिताओं के अंतर्गत विस्तृत नियमों को अभी पूर्ण रुप से अधिसूचित किया जाना और प्रभावी किया जाना शेष है। किसी भी वित्तीय प्रभाव को उस अवधि में मान्यता दी जाएगी, जिसमें संबंधित नियम अधिसूचित होकर प्रभावी होंगे, जो लागू लेखांकन मानकों के अनुरुप होगा।

कंपनी ने नियमित कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन के आधार पर मान्यता दी है। इसके लिए इंड एएस 19 – कर्मचारी लाभ के अनुरुप बीमांकिक मूल्यांकन के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है।

(vi) प्रावधान एवं बट्टे खाते:

(परिसंपत्तियों के ह्रास और प्रावधान पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंद 11 एवं 14 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध ऋण, निर्णित हर्जाना और ऋण, अग्रिम और जमा				
वर्ष के दौरान सृजित	2653.33		1880.92	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	5046.18	(2392.85)	4564.01	(2683.09)
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	353.73		410.04	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	423.05	(69.32)	607.49	(197.45)
अन्य प्रावधान				
वर्ष के दौरान सृजित	218.76		197.81	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	285.02	(66.26)	310.59	(112.78)
बट्टे खाते में डाला गया निवेश				1.15
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण		632.77		552.39
निर्णित हर्जाने और वसूला गया संविदात्मक प्रभार		1535.57		2573.11
बट्टे खाते में डाली गई हानि		30.06		23.11
वसूली योग्य दावा बट्टे खाते में डाला गया		153.26		1.60
प्रावधान और बट्टे खाते में डाले गए कुल		**(176.77)**		**158.04**

(vii) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के अनुरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उससे ठीक पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम दो प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर व्यय करना अनिवार्य है। वर्ष के दौरान किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	8.60	6.72
ख. पिछले वर्ष से उपलब्ध राशि	4.70	-
ग. कुल (क+ख)	**13.30**	**6.72**
घ. वर्ष के दौरान निम्न पर व्यय राशि-		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण		
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	6.18	2.02
कुल	**6.18**	**2.02**
अग्रेनीत राशि:	7.12	4.70
वर्तमान	7.12	3.17
गैर- वर्तमान	-	1.53

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
	नकद में	नकद भुगतान किया जाना है	नकद में	नकद भुगतान किया जाना है
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	5.65	0.53	1.21	0.81
कुल	**5.65**	**0.53**	**1.21**	**0.81**
सीएसआर गतिविधियों का प्रकार	स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, उत्तरदायित्व और समावेशिता, आपदा राहत, जल, जैव विविधता, कार्बन और अपशिष्ट प्रबंधन			

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चालू परियोजनाओं हेतु अप्रयुक्त सीएसआर राशि ₹5.95 करोड़ के लिए किए गए प्रावधान को कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार 28.04.2026 को एक पृथक बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया है तथा उक्त राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

नोट [27]
वित्त लागत

लागत एवं प्रावधानों से संबंधित सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट संख्या [2] के बिंदु 5 एवं 11 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रावधानों का प्रत्यावर्तन (अनवाइंडिंग)		43.66		33.70
ब्याज लागत:				
बैंक / वित्तीय संस्थान	557.51		667.46	
वाणिज्यिक पत्र पर छूट	104.01		5.31	
वाणिज्यिक पत्र जारी करने पर अन्य व्यय	0.68		0.07	
पट्टा दायित्व	18.68		11.28	
अन्य	31.87	712.75	30.51	714.63
उप – योग		**756.41**		**748.33**
घटाएँ: पूंजीकृत उधार लागत		-		-
कुल		**756.41**		**748.33**

नोट [28]
कर व्यय

आयकर पर सामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट संख्या [2] के बिंदु 13 का संदर्भ लें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	3.31		7.69	
पहले के वर्षों के लिए		3.31	15.47	23.16
आस्थगित कर				
वर्तमान वर्ष के लिए	536.69		195.69	
पहले के वर्षों के लिए	(1.65)	535.04	(7.15)	188.54
कुल		**538.35**		**211.70**

नोट [29]
अन्य व्यापक आय / (व्यय)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
आय/(व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभों का पुनःपरिकलन	(0.49)	(218.49)
घटाएं : उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर*	(0.12)	(54.99)
कुल	**(0.37)**	**(163.50)**
* सम्मिलित है :		
वर्तमान कर	-	-
आस्थगित कर	(0.12)	(54.99)

आयकर व्यय और लेखांकन लाभ (टीसीआई) का आयकर दर से गुणा करने के बाद समायोजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व कुल व्यापक आय / (हानि) (टीसीआई) (क)	2115.81	506.18
सांविधिक आयकर की दर (ख)	25.168%	25.168%
कर व्यय [ग = (कxख)]	532.51	127.40
के कारण अंतर: (घ)		
व्यय पर कर प्रभाव कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य नहीं है	7.38	21.11
विशेष दर पर कर योग्य आय के कारण कर में अंतर		(0.12)
कर व्यय में परिवर्तन - पिछले वर्षों में	(1.65)	8.32
उप-कुल (घ)	**5.73**	**29.31**
शुद्ध कर व्यय [ड़ = (ग+घ)]	**538.23**	**156.71**

नोट [30]
प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय परसामग्री लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 19 का संदर्भ लें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों को होने वाला लाभ/(हानि)	1577.95	512.97
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	348.21	348.21
₹2 के प्रति शेयर की मूल एवं निश्चित आय	**4.53**	**1.47**

नोट [31]
प्रति शेयर लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश जिसे देयता के रूप में नहीं माना गया है		
वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए प्रति शेयर ₹1.40 का प्रस्तावित अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2024–25: प्रति शेयर ₹0.50)।	487.49	174.10

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और बैलेंस शीट की तारीख में देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

नोट [32]
आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 20255 तक
क. आकस्मिक देनदारियां		
कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
(क) बिक्री कर के मामले	423.37	894.45
(ख) सेवा कर के मामले	448.08	431.21
(ग) न्यायालय एवं मध्यस्थता के मामले	772.41	825.36
(घ) उत्पाद शुल्क के मामले	78.96	84.53
(ड) सीमा शुल्क एवं अन्य मामले	991.25	942.71
(च) माल & सेवा कर	65.34	37.47
(छ) अन्य मामले (विवादित स्टाफ मामलों सहित)	157.17	149.99
(ज) निर्णित हज़नि (एलडी) के अंतर्गत दावे	3673.27	2942.39
कुल	**6609.85**	**6308.11**

(i) कंपनी द्वारा विभित्र न्यायालयों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को देखते हुए, संसाधनों के बहिर्वाह का इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है। आम तौर पर न्यायालय और मध्यस्थता मामलों की आकस्मिक देयताएं निर्णय /न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होता है और आकस्मिक देयता के मामले दर मामले के आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

(ii) संबंधित कार्यवाहियों के लंबित समाधान के कारण, मद (ए) से (जी) के संबंध में वास्तविक नकद बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, नकद बहिर्वाह की संभावना आकस्मिक है।

(iii) पूर्व-निर्धारित क्षतिपूर्ति से तात्पर्य उन संभावित दावों या ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि से है, जो परियोजनाओं के निष्पादन में हुई देरी के कारण होती है। इसका निपटान परियोजना के कमीशनिंग एवं परीक्षण संचालन के पश्चात देरी के विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा तथा इसे इंड एएस-37 के प्रावधानों के अनुरूप प्रकट किया जा रहा है।

(iv) **आकस्मिक देनदारियों में परिवर्तन:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6308.11	7945.21
घटाएं : प्रारंभिक शेष से कटौती	1457.76	2040.18
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध)	1759.50	403.08
वर्ष के अंत में शेष	**6609.85**	**6308.11**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
ख. प्रतिबद्धताएं		
(क) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं (अग्रिमों को समायोजित करने के पश्चात) की अनुमानित राशि, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	599.59	542.33
(उपरोक्त में अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामले भी सम्मिलित हैं)	122.46	112.77
(ख) संयुक्त उद्यम कंपनी (एनबीपीपीएल) में किया गया निवेश, जिसके निपटान पर कंपनी को संयुक्त उद्यम के निगमन/परियोजना अथवा उसकी प्रथम इकाई के वाणिज्यिक परिचालन/ प्रथम ईपीसी अनुबंध के पूर्ण होने की तिथि, जो भी लागू हो, से पाँच वर्ष की अवधि तक प्रतिबंध रहेगा।	54.87	50.00
(ग) भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) (बीएचईएल एवं सीआईएल का एक संयुक्त उद्यम):बीएचईएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 19 मार्च, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में बीसीजीसीएल द्वारा 2,000 टीपीडी क्षमता के अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र की स्थापना हेतु प्रवर्तकों की अंशपूंजी में बीएचईएल के अंशदान के रूप में ₹3,064.46 करोड़ के निवेश को स्वीकृति प्रदान की। बीएचईएल द्वारा बीसीजीसीएल में अंशपूंजी के रूप में ₹487.06 लाख का निवेश पूर्व में ही किया जा चुका है।	3059.59	1,732.00

(घ) कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों पर आधारित होने के कारण सामग्री आदि की खरीद से संबंधित अन्य प्रतिबद्धताएँ भी हो सकती हैं, जिन्हें कंपनी की सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया का अंग माना गया है।

नोट [33]

कंपनी ने 1 अप्रैल, 1999 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (एएसएससीपी), गुरुग्राम को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर अधिग्रहित किया था। तथापि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक पट्टा अनुबंध अभी अंतिम रूप से संपादित किया जाना शेष है।

नोट [34]

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम, जमा राशियों तथा उप-ठेकेदारों/फैब्रिकेटरों के पास उपलब्ध स्टॉक/सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशियाँ पुष्टि, मिलान तथा आवश्यकतानुसार परिणामी समायोजन के अधीन हैं। कंपनी का व्यवसाय दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों पर आधारित है। ग्राहकों को अनुबंध की शर्तों तथा उनके द्वारा अनुमोदित बिलिंग कार्यक्रम के अनुसार बिल जारी किए जाते हैं। खातों का मिलान निरंतर आधार पर किया जाता है तथा जहाँ आवश्यक समझा जाता है, वहाँ उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं। ग्राहकों के साथ अंतिम मिलान परियोजना के पूर्ण होने (परीक्षण संचालन तथा प्रदर्शन गारंटी परीक्षण पूर्ण होने) के पश्चात किया जाता है। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं से संबंधित व्यापार प्राप्य राशि ₹4,162 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹6,051 करोड़)। पूर्ण अनुबंधों में से जिन परियोजनाओं का ग्राहकों के साथ मिलान किया जा चुका है, उनसे संबंधित बकाया व्यापार प्राप्य ₹3,507 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹4,278 करोड़)।

नोट [35]
पट्टों पर प्रकटीकरण – इंड एएस 116

पट्टों पर प्रतिबद्धताएं - पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के प्रमुख पट्टा अनुबंध भूमि, भवन तथा ईडीपी उपकरणों से संबंधित हैं। कंपनी ने कंप्यूटर उपकरणों, प्रिंटरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों तथा सहायक उपकरणों के लिए पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत एक दर अनुबंध किया है। पट्टे पर प्राप्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत कर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत उपयोग-अधिकार परिसंपत्तियों के रूप में पृथक रूप से प्रदर्शित किया गया है। पट्टा किराये का आवंटन ब्याज, अनुरक्षण तथा मूलधन के मध्य किया जाता है। ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा मूलधन की राशि को पट्टा दायित्वों में समायोजित किया जाता है।ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा मूलधन की राशि को पट्टा दायित्वों में समायोजित किया जाता है।

कंपनी ने निम्नलिखित उपलब्ध व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं :

(i) 12 माह से कम अवधि वाले पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टा छूट।

(ii) कम मूल्य परिसंपत्ति संबंधी पट्टों के लिए छूट, जहाँ अंतर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम है (जिनकी आधारभूत परिसंपत्ति का मूल्य ₹50,000 से कम है)।

क) पट्टा देयताओं का आयु-वार विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य [पीवी]	
	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
1 वर्ष के भीतर देय भुगतान#	78.12	66.81	15.61	14.95	62.51	51.86
1 वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष के भीतर देय भुगतान	187.80	187.08	22.07	24.86	165.73	162.22
5 वर्ष के बाद देय भुगतान	5.21	3.03	2.76	2.85	2.45	0.18

31 मार्च 2026 तक जिन पट्टों की शेष लीज़ अवधि 12 महीनों से कम है, उनके संबंध में भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतानों की राशि ₹7.29 करोड़ है। पिछले वर्ष यह राशि ₹8.03 करोड़ थी।

ख) वर्ष के दौरान पट्टा देनदारियों में हुए परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च , 2026	31 मार्च , 2025
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं *	219.60	48.45
जोड़े: परिवर्धन	75.62	215.22
जोड़ें: ब्याज की अभिवृद्धि	18.68	11.28
घटाएं: भुगतान/समायोजन	76.95	55.35
31 मार्च तक की पट्टा देनदारियाँ*	236.95	219.60

* इसमें ₹6.26 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल है (पिछले वर्ष ₹5.34 करोड़)।

ग) लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशियाँ :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	-	0.55
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे से संबंधित व्यय	2.30	0.92
उपयोग की गई परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रभार	77.13	51.89
ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	18.68	11.28

घ) कंपनी के पास विभिन्न पट्टा अनुबंध हैं जो अभी तक शुरु नहीं हुए हैं। इन गैर-रद्द करने योग्य पट्टा अनुबंधों के लिए भविष्य के पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
अधिकतम 1 वर्ष तक	6.84	2.25
1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष के भीतर	12.25	12.03
5 वर्ष से अधिक	2.75	0.75

नोट [36]
'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण - इंड एएस 19

क. कंपनी के पास परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्न योजनाएं हैं :

i) उपदान (ग्रेच्युटी) योजना
ii) सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य योजना
iii) भविष्य निधि योजना
iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा

(i) ग्रेच्युटी (वित्त पोषित योजना)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ वाली ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पाँच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र है, जिसकी गणना (15/26 × अंतिम प्राप्त मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता) के आधार पर की जाती है। यह राशि अधिकतम सीमा ₹25 लाख (पिछले वर्ष ₹20 लाख) तक सीमित है। ग्रेच्युटी देयता भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या सेवा छोड़ने की स्थिति में किए जाने आवश्यक होते हैं। इस देयता का आकलन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग करके किया गया है।

ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ देयताएं		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
प्रारंभिक शेष	**2025.35**	**1921.07**	**1892.98**	**1534.45**	**132.38**	**386.62**
वर्ष के लाभ में सम्मिलित :						
वर्तमान सेवा लागत	102.61	95.16	-	-	102.61	95.16
विगत सेवा लागत	208.02	-	-	-	**208.02**	-
ब्याज लागत /(आय)	137.52	139.28	(137.52)	(130.95)	-	8.33
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**448.15**	**234.44**	**(137.52)**	**(130.95)**	**310.63**	**103.49**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित :						
पुनर्मापन हानि / (लाभ):						
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ):						
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	(84.13)	95.31	-	-	(84.13)	95.31
अनुभव समायोजन	(12.64)	(62.11)	(6.84)	11.70	(19.48)	(50.41)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(96.77)**	**33.20**	**(6.84)**	**11.70**	**(103.62)**	**44.90**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-	**339.00**	**402.63**	**(339.00)**	**(402.63)**
लाभ का भुगतान	**153.80**	**163.35**	**153.80**	**163.35**	-	-
अंतिम शेष	**2222.93**	**2025.35**	**2222.54**	**1892.98**	**0.40**	**132.38**

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि *	96.32%	82.44%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (उद्धृत	1.61%	1.93%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (उद्धृत)	1.83%	2.30%
बैंक शेष	0.24%	13.33%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

*भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकर्ता है।

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे:

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.40%	6.79%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका %	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता विश्लेषण

प्रमुख महत्वपूर्ण बीमांकिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण परिभाषित लाभ देयताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)			
	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(109.30)	118.21	(103.29)	112.09
वेतन वृद्धि दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	44.67	(51.26)	32.42	(39.42)

मृत्यु दर और निकासी दर के कारण होने वाली संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इन कारणों से होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन वृद्धि की दर तथा जीवन प्रत्याशा से संबंधित संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ देयता पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। यह विश्लेषण वास्तविक परिभाषित लाभ देयताओं में होने वाले वास्तविक परिवर्तन का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ मान्यताओं में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ मान्यताएँ एक-दूसरे से संबद्ध हो सकती हैं।

आगामी वर्षों में ग्रेच्युटी योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)	
	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
1 वर्ष के भीतर	169.75	150.30
1-2 वर्ष के बीच में	138.73	124.94
2-3 वर्ष के बीच में	126.16	109.47
3-4 वर्ष के बीच में	111.41	100.29
4-5 वर्ष के बीच में	83.86	88.88
5-6 वर्ष के बीच में	79.49	69.68
6 वर्ष से अधिक	1513.54	1381.79
कुल	**2222.93**	**2025.35**

31 मार्च, 2027 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित अंशदान ₹102.47 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना देयताओं की भारित औसत अवधि 14.05 वर्ष है (31 मार्च, 2025: 14.39 वर्ष)।

जोखिम विवरण

ग्रेच्युटी देयता का मूल्यांकन भविष्य की कुछ अनुमानों पर निर्भर करता है और समय के साथ बदलते रहते हैं। यदि वेतन वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में कंपनी के चिकित्सा नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा तय की गई सीमा में बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वार्षिक देयताएँ वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ देयताएं		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**2497.67**	**2376.14**	**2060.81**	**1903.77**	**436.86**	**472.37**
वर्ष के लाभ में सम्मिलित :						
वर्तमान सेवा लागत	42.49	45.84			42.49	45.84
विगत सेवा लागत						
ब्याज लागत /(आय)	169.59	172.27	(155.03)	(159.24)	14.56	13.03
वर्ष के लाभ में स्वीकृत कुल राशि	**212.08**	**218.11**	**(155.03)**	**(159.24)**	**57.05**	**58.87**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित:						
पुनर्मापन हानि / (लाभ):						
बीमांकिक हानि / (लाभ से उत्पन्न):						
जनसांख्यिकीय अनुमान			-	-	-	-
वित्तीय अनुमान	(99.29)	106.52	-	-	(99.29)	106.52
अनुभव समायोजन	187.87	38.24	(6.95)	10.86	180.92	49.10
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**88.58**	**144.76**	**(6.95)**	**10.86**	**81.63**	**155.62**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान			**-**	**250.00**	**-**	**(250.00)**
भुगतान किए गए लाभ	**284.31**	**241.34**	**284.31**	**241.34**	**-**	**-**
अंतिम शेष	**2514.02**	**2497.67**	**1938.48**	**2060.81**	**575.54**	**436.86**

कंपनी की नियोजित परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी के दायित्वों के वित्त पोषण के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है।

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर निम्नलिखित प्रमुख बीमांकिक अनुमान थे:

विवरण	31 मार्च , 2026 की स्थिति	31 मार्च , 2025 की स्थिति
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.40%	6.79%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका %	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

प्रमुख महत्वपूर्ण बीमांकिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण परिभाषित लाभ दायित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ			
	31 मार्च , 2026 की स्थिति		31 मार्च , 2025 की स्थिति	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(160.18)	162.90	(148.04)	150.42
लागत में परिवर्तन (0.50% संचलन)	169.10	(158.57)	156.28	(146.42)

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलता भौतिक नहीं है, इसलिए इन कारणों से होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तन होने के परिणामस्वरुप परिभाषित लाभ देयता पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। यह विश्लेषण वास्तविक परिभाषित लाभ देयताओं में होने वाले वास्तविक परिवर्तन का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ मान्यताओं में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ मान्यताएँ एक-दूसरे से संबद्ध हो सकती हैं।

भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च , 2026 की स्थिति	31 मार्च , 2025 की स्थिति
1 वर्ष के भीतर	282.25	263.08
1-2 वर्ष के बीच में	297.45	286.01
2-3 वर्ष के बीच में	302.56	293.75
3-4 वर्ष के बीच में	316.82	304.64
4-5 वर्ष के बीच में	328.55	318.98
5-6 वर्ष के बीच में	337.42	330.81
6 वर्ष से अधिक	648.96	700.40
कुल	**2514.02**	**2497.67**

31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजनाओं में अपेक्षित अंशदान ₹58.79 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.88वर्ष है (31 मार्च, 2025: 12.67 वर्ष)।

जोखिम विवरण (एक्स्पोजर)

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ देयता का मूल्यांकन भविष्य की कुछ मान्यताओं पर निर्भर करता है और समय के साथ बदलते रहते हैं। यदि चिकित्सा लागत, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(iii) भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि में एक पृथक ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर नियत अंशदान का भुगतान करती है, जो इन निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। कंपनी का दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करे। तदनुसार, कंपनी ने बीमांकिक रिपोर्ट प्राप्त की है। जहाँ भी बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण-पत्र के अनुसार संभावित ब्याज की कमी के कारण देयता उत्पन्न होती है, उसे खातों में प्रावधान के रूप में दर्ज किया गया है।

पीएफ ट्रस्ट में ब्याज की कमी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथियों को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयताओं में अधिकता/(कमी)	(28.26)	(25.88)
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयताओं में कमी के लिए संचित प्रावधान	72.27	44.01
अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से चिन्हित पुनर्मापन लाभ/(हानि)	(24.05)	(16.97)
लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से ब्याज की कमी/(अधिशेष) का लेखा-जोखा	4.21	8.91

कंपनी के पास विभिन्न स्थानों पर पीएफ ट्रस्ट हैं, जो कंपनी के कर्मचारियों को सेवा प्रदान करते हैं और-अलग से प्रबंधित होते हैं, नियोजित परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

स्थान	निर्धारित लाभ देयताएं		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		अधिशेष / (कमी)	
	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार	2141.73	1986.34	2153.80	2000.26	12.07	13.92
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - त्रिची	1201.84	1084.17	1190.07	1075.96	(11.77)	(8.21)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल	1814.62	1719.01	1795.10	1705.24	(19.52)	(13.77)
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	1595.41	1520.79	1576.81	1514.16	(18.60)	(6.63)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - हैदराबाद	973.66	887.48	990.60	918.33	16.94	30.85
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	1116.43	1,021.78	1094.05	1,006.38	(22.38)	(15.40)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - बेंगलुरु	679.52	679.89	689.83	694.38	10.31	14.49
बीएचईएल (बीएपी इकाई) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	338.34	321.18	345.82	329.80	7.48	8.62
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट झांसी	522.26	512.75	535.05	526.07	12.79	13.32
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि - विशाखापत्तनम	164.01	160.10	206.17	201.56	42.16	41.46
कुल	**10547.82**	**9893.49**	**10577.30**	**9972.14**	**29.48**	**78.65**

भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	निर्धारित लाभ दायित्व		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
प्रारंभिक शेष	**9893.49**	**9400.20**	**9972.15**	**9485.94**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित:				
वर्तमान सेवा लागत	410.19	389.44	-	-
ब्याज लागत / (आय)	796.08	765.59	(804.51)	(784.63)
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1,206.27**	**1,155.03**	**(804.51)**	**(784.63)**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित:				
पुनर्मापन हानि / (लाभ):				
निम्लिखित से से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ):				
जनसांख्यिकीय अनुमान				
वित्तीय अनुमान	(2.69)	1.96	-	-
अनुभव समायोजन	28.49	(4.75)	31.79	28.91
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**25.80**	**(2.79)**	**31.79**	**28.91**
अन्य				
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान	**-**	**-**	**410.19**	**389.44**
कर्मचारी अंशदान	**746.86**	**680.29**	**746.86**	**680.29**
भुगतान किया गया हितलाभ	**1,618.85**	**1719.39**	**1,618.85**	**1719.39**
निपटारा/ स्थानांतरण	**294.25**	**380.15**	**294.25**	**380.15**
अंतिम शेष	**10547.82**	**9893.49**	**10577.32**	**9972.15**

नोट: वर्ष के दौरान घाटे वाले भविष्य निधि ट्रस्ट के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ-हानि विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से लेखांकित की गई है। उपरोक्त के अलावा, पुनर्प्राप्ति के सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ट्रस्ट निवेश में कमी से संचयी रुप से ₹53.11 करोड़ के की कुल वृद्धि भी हुई है।

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	788.72	879.15
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	5113.11	4983.06
कॉर्पोरेट बांड [उद्धृत]	3687.88	3224.07
विशेष जमा [अउद्धृत]	330.42	299.98
लिक्विड फंड [उद्धृत]	20.83	6.65
अल्पावधि जमा [उद्धरण रहित]	78.53	111.82
म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर [उद्धृत]	557.82	467.42
कुल	**10577.30**	**9972.14**

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
आर्थिक अनुमान:		
छूट दर	7.40%	6.79%
खाता बही पर अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.25%
निधि पर ब्याज आय में अपेक्षित कमी	0.05%	0.05%
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
मृत्यु दर तालिका	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

प्रमुख महत्वपूर्ण बीमांकिक अनुमानों में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% उतार/चढ़ाव)	(2.11)	2.27	(2.14)	2.25

मृत्यु-दर एवं निकासी संबंधी संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण, इनके परिवर्तन के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है।

आगामी वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
अगले 12 महीनों के भीतर	734.56	705.69
2-5 वर्ष के बीच	1684.07	1796.95
5-10 वर्ष के बीच	1819.85	1547.56
10 वर्षों से अधिक	6309.34	5843.29
कुल	**10547.82**	**9893.49**

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन भविष्य के कुछ अनुमानों पर आधारित होते हैं, जो गतिशील प्रकृति के होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी को निवेश जोखिम में वृद्धि, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा - (निपटान भत्ता – गैर वित्त पोषित योजना)

निपटान भत्ता (सेटलमेंट अलाउंस) वह व्यय है जिसकी प्रतिपूर्ति कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर स्वयं व अपने परिजनों के साथ अथवा सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को अपने गृह नगर या भारत में किसी भी स्थान पर पुनर्वास करने हेतु यात्रा और सामान के स्थानांतरण पर व्यय के लिए प्रतिपूर्ति किया जाता है।

निपटान भत्ता देनदारी में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	निपटान भत्ता देयता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
प्रारंभिक शेष	**16.99**	**15.06**
वर्तमान सेवा लागत	1.13	1.08
ब्याज लागत / (आय)	1.00	1.09
वर्ष के लाभ में सम्मिलित	**2.13**	**2.17**
बीमांकिक हानि / (लाभ)	(1.55)	0.99
वर्ष के लिए टीसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.58**	**3.16**
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-
लाभ का भुगतान	**0.86**	**1.23**
अंतिम शेष	**16.71**	**16.99**

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर निम्नलिखित प्रमुख बीमांकिक अनुमान थे:

विवरण	निपटान भत्ता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.40%	6.79%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका %	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

ख. दीर्घकालिक अवकाश देयताएँ (नकदीकरण योग्य अर्जित अवकाश –अर्जित अवकाश/ अर्ध वैतनिक अवकाश -एचपीएल) – (गैर-वित्तपोषित योजना)

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रत्येक छमाही में 15 दिनों (अधिकतम) का अर्जित अवकाश तथा 10 दिनों का अर्धवेतनिक अवकाश प्रदान करती है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण निर्धारित शर्तों के अधीन होता है। सेवानिवृत्ति अथवा अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर, कंपनी की नीतियों एवं अवकाश नकदीकरण नियमों के अनुसार अर्जित अवकाश तथा अर्ध वेतन अवकाश को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। अवकाश देयताओं को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनका मूल्यांकन प्रक्षेपित इकाई ऋण बीमांकिक विधि (प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल मेथड) के आधार पर किया जाता है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयताएं	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
प्रारंभिक शेष	**1141.16**	**1065.02**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित :		
वर्तमान सेवा लागत	206.09	162.56
ब्याज लागत / (आय)	77.48	77.21
बीमांकिक हानि / (लाभ)	18.05	(33.01)
वर्ष के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**301.62**	**206.76**
लाभ का भुगतान	232.74	130.62
अंतिम शेष	**1210.04**	**1141.16**

बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे:

विवरण	लंबा अवधि छुट्टी देयता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.40%	6.79%
वेतन वृद्धि दर	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	पहले 4 वर्षों के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका %	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

ग. पेंशन निधि

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में पेंशन योजना [परिभाषित अंशदान योजना] के लिए ₹271 करोड़ [पिछले वित्त वर्ष में ₹266 करोड़] का योगदान किया।

नोट [37]
भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार प्रकटीकरण - संबंधित पक्ष

क) संबंधित पार्टियों की सूची

i)	**संयुक्त उद्यम कंपनियां**	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) भारत कोल गैसिफिकशन एवं केमिकल लिमिटेड (बीसीजीसीएल)
	रोजगारोत्तर लाभ योजनाए	भविष्य निधि ट्रस्ट ग्रेच्युटी ट्रस्ट पीआरएमबी ट्रस्ट पेंशन ट्रस्ट
	अन्य	केंद्र सरकार नियंत्रित संस्थाए

कंपनी, भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। महत्वपूर्ण लेन-देन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे आदि के साथ हैं, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है। ऐसी संस्थाओं के साथ लेन-देन सामान्य होते हैं, जो बाजार संचालित दरों पर आधारित होते हैं।

ii) अन्य संबंधित पार्टी :

क. मुख्य प्रबंधन कार्मिक [केएमपी]

विवरण	पद का नाम	धारित पद प्रभावी तिथि (से/तक]
कार्यात्मक निदेशक		
श्री के सदाशिव मूर्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(01.11.2023 से)
श्री कृष्ण कुमार ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)	(19.03.2026, पूर्वाह्न तक)
श्री तजिंदर गुप्ता*	निदेशक (पावर)	(20.09.2023 से)
सुश्री बानी वर्मा	निदेशक (आईएस एण्ड पी)	(09.10.2023 से)
श्री राजेश कुमार द्विवेदी	निदेशक (वित्त)	(19.06.2024 से)
श्री एस. एम. रामनाथन	निदेशक (ई, आर एण्ड डी)	(30.04.2025, अपराह्न से)
कंपनी सचिव		
डॉ. योगेश आर छाबड़ा	कंपनी सचिव	(11.07.2024 से)

* 19.03.2026 पूर्वान्ह से निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान		
- अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	3.89	3.64
- सेवोपरांत लाभ	0.87	0.78
- अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
- सेवामुक्ति के समय लाभ	-	-
- शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल	**4.76**	**4.42**

ख. सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

नाम		धारित पद [से प्रभावी / तक]
श्री विजय मित्तल	सरकारी निदेशक	(25.03.2022 से)
श्रीमती आरती भटनागर	सरकारी निदेशक	(30.09.2025 तक)
श्री असित गोपाल*	सरकारी निदेशक	(03.02.2026 से)
श्री रमेश पटल्या मावस्कर	स्वतंत्र निदेशक	(08.06.2023 से)
श्री अशोक आसेरी	स्वतंत्र निदेशक	(27.03.2026 तक)
श्री आशीष चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	(27.03.2026 तक)

* सुश्री निगार फातिमा हुसैन (एएस&एफए) को बीएचईएल के बोर्ड में अंशकालिक ऑफिशियल (सरकारी नॉमिनी) निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने श्री असित गोपाल (तत्कालीन एसएस&एफए) की जगह ली है और यह नियुक्ति 27.04.2026 से प्रभावी है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
बैठक शुल्क -- स्वतंत्र निदेशक	0.18	0.12

ख) सेवोपरांत लाभ योजनाएं जिनका प्रबंधन अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

ट्रस्ट का नाम	सेवोपरांत लाभ योजना	नियोक्ता द्वारा अंशदान	
		निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
पीआरएमबी ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा योजना	-	250.00
ग्रेच्युटी ट्रस्ट	ग्रेच्युटी	339.00	402.63
कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि	पेंशन निधि	331.00	327.59
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार	भविष्य निधि	77.18	70.22
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - त्रिची	भविष्य निधि	66.88	63.50
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - भोपाल	भविष्य निधि	63.86	62.65
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	भविष्य निधि	51.70	46.51
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - हैदराबाद	भविष्य निधि	45.12	43.73
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	भविष्य निधि	35.77	33.55
बीएचईएल कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड - बेंगलुरु	भविष्य निधि	30.54	29.80
बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	भविष्य निधि	17.71	17.51
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट - झांसी	भविष्य निधि	14.57	14.44
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि – विशाखापत्तनम	भविष्य निधि	6.86	7.53

ग) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण और शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय		
बीजीजीटीएस	363.93	324.31
आरपीसीएल	1.09	5.47
एनबीपीपीएल	0.88	0.11
अन्य आय		
बीजीजीटीएस - लाभांश	38.08	38.08
बीजीजीटीएस - रॉयल्टी	1.98	1.90
बीसीजीसीएल - ब्याज	0.66	-
वस्तुओं और सेवाओं की खरीद		
बीजीजीटीएस	2.04	1.49
इक्विटी शेयरों का अंशदान		
बीसीजीसीएल	4.87	0.00*
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि		
बीजीजीटीएस	181.02	195.29
आरपीसीएल	615.70	632.82
एनबीपीपीएल	274.97	276.29
बीसीजीसीएल	0.22	0.16
वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि		
बीजीजीटीएस	1.19	0.21
आरपीसीएल	23.89	8.17
एनबीपीपीएल	61.37	38.40
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान		
बीजीजीटीएस	13.61	10.71
आरपीसीएल	25.16	20.73
एनबीपीपीएल	254.50	239.35

* ₹10 प्रत्येक के 4900 नंबर इक्विटी शेयर

नोट [38]
प्रकटीकरण [प्रावधानों में संचलन]- भारतीय लेखा मानक 37

(₹ करोड़ में)

क.	परिनिर्धारित हर्जाना	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	प्रारंभिक शेष	**7069.53**	**9166.53**
	जोड़ें: परिवर्धन	471.72	836.65
	घटाएँ: उपयोग/ राइट ऑफ/भुगतान	1354.10	2499.68
	घटाएँ: निकासी/समायोजन	1548.15	433.97
	अंतिम शेष	**4639.00**	**7069.53**

कंपनी के लेखांकन नीति के अनुरूप निर्णित हर्जाने का प्रावधान किया गया है और इसे निपटान या अन्य खातों में उपयुक्त तरीके से समाहित किया जाता है। निर्णित हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 32 के पैरा ए (ज) में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

ख.	संविदात्मक दायित्व	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 को	
	प्रारंभिक शेष				
	नोट [19] के अनुसार	**1771.78**		**1822.17**	
	नोट [6] के अनुसार	**223.85**		**105.45**	
	नोट [9] के अनुसार	**169.54**	**2165.17**	**397.29**	**2324.91**
	जोड़ें: ऋण लागत		43.66		33.70
	जोड़ें: परिवर्धन		428.20		447.70
	घटाएँ: पीवी समायोजन		66.55		36.33
	घटाएँ: उपयोग/ बट्टे खाते/भुगतान		103.37		79.87
	घटाएँ: निकासी/समायोजन		319.70		523.60
	जोड़ें/(घटाएँ): अनुमान और दरों में परिवर्तन		(7.92)		(1.33)
	अंतिम शेष				
	नोट [19] के अनुसार	**1690.05**		**1771.78**	
	नोट [6] के अनुसार	**203.31**		**223.85**	
	नोट [9] के अनुसार	**246.13**	**2139.49**	**169.54**	**2165.17**

अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए, 'सामग्री लेखांकन नीति संख्या 11' के अनुरुप मुद्रा के समय-मूल्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक दायित्व का प्रावधान किया गया है। संविदा के वारंटी दायित्वों के पूरा हने तक इसे बरकरार रखा जाता है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय अनुबंध दर अनुबंध एवं संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकते हैं। पूरी तरह से प्रदान की गई परियोजनाओं से बकाया राशि से संबंधित संविदात्मक दायित्व नोट [6] और [9] में 'बीएंडडी ऋणों के लिए गैर-चालू भत्ते में दर्शाया गया है।

नोट [39]
प्रकटीकरण - ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व - भारतीय लेखा मानक 115

क. क्षति प्रावधानों में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26		2024-25	
	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां
प्रारंभिक शेष	**4798.55**	**3602.00**	**5192.66**	**3979.22**
जोड़ें: परिवर्धन	1382.25	659.88	650.00	224.88
घटाएं : बट्टा	694.03	120.21	484.18	92.50
घटाएं : लौटाया /समायोजन किया गया	841.39	258.87	559.92	509.60
अंतिम शेष	**4645.38**	**3882.80**	**4798.55**	**3602.00**

ख. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का विभाजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावर		उद्योग		कुल
	भारत के अंदर	भारत के बाहर	भारत के अंदर	भारत के बाहर	
2025-26					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	3456.67	103.01	5802.91	91.33	9453.92
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	20556.35	145.89	2093.63	110.04	22905.91
2024-25					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	3782.90	64.31	4895.91	133.94	8877.06
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	16138.30	266.87	2068.00	4.94	18478.11

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26		2024-25	
	पावर	उद्योग	पावर	उद्योग
ग्राहकों से राजस्व				
सीपीएसयू	11357.57	2875.83	9227.07	2776.16
अडानी ग्रुप	6672.58	-	2553.12	-

ग. अनुबंध शेष (प्रावधानों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31, मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार	31, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार
व्यापार प्राप्य	9223.20	8930.93
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (बिना बिल किए हुए राजस्व सहित)	29389.61	29444.13
अनुबंध देयताएं	22523.63	15293.67

घ. स्वीकृत अनुबंध राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
अनुबंध देनदारियों के स्वीकृत राजस्व (वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों का समायोजन एवं मूल्यांकन समायोजन)	5161.05	2842.80
पिछले वर्ष पूर्ण किए गए निष्पादन दायित्व के लिए स्वीकृत राजस्व (अनुबंध राजस्व में परिवर्तन के कारण प्रभाव)	32.18	594.72

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एक दीर्घ-चक्रीय व्यवसाय है, जहां कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या ईपीसी अनुबंध (अभियांत्रिकी, खरीद और कमिशनिंग) या बीटीजी पैकेज (अर्थात बॉयलर, टर्बाइन और जनरेटर पैकेज) होते हैं। विद्युत परियोजनाएं लंबी अवधि की परियोजनाएं होती हैं, जिनमें अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि 3 से 5 वर्ष के बीच होती है। बीएचईएल की सेवाओं के दायरे में उपकरण की आपूर्ति, इरेक्शन, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना शामिल है।

यद्यपि समग्र कार्यक्षेत्र में कई उपकरण होते है, लेकिन ऐसी परियोजनाएओ को आम तौर पर एक निष्पादन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि के बाद एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि परियोजना जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तभी वह निष्पादन कर सकती है और इसलिए प्रगति की माप (इनपुट लागत विधि) के आधार पर समय-समय पर राजस्व प्राप्त होता है।

नोट [40]
इंड एएस107- के अनुपालन में प्रकटीकरण [वित्तीय साधन - लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य माप]

क. नकद और नकद समतुल्य, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापारिक देय, प्रतिभूति जमा और अन्य का उचित मूल्य उनके युक्तिसंगत मूल्य को दर्शाता है। व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

स्तर 1: समान परिसंपातियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में सम्मिलित किए गए उद्धत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयताओं के लिए प्रत्यक्ष रुप से (अर्थात, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रुप से (अर्थात कीमतों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं है।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां - आवर्ती उचित मूल्य माप	स्तर 3 पदानुक्रम	
	31 मार्च , 2026 तक	31 मार्च , 2025 तक
वित्तीय परिसंपत्तियां:		
गैर-उद्धृत इक्विटी उपकरणों में निवेश	-	-
वित्तीय देयताएं:		
वित्तीय गारंटी	4.63	5.29

ख. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

गैर-उद्धृत (अनकोटेड) इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें प्रति शेयर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशित कंपनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट शामिल होते हैं।

एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत अनकोटेड इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप का समाधान

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2025 तक	**-**
उचित मूल्य / हानि में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2026 तक	**-**

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य और नीतियां

इस क्षेत्र में कार्य करने वाली किसी भी कंपनी के लिए स्वाभाविक रुप से होने वाले व्यवसायिक संपर्क से कई तरह के वित्तीय जोखिम पैदा होते हैं, जिनका सामना कंपनी को भी करना पड़ता है। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा से कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी समय-समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें अपने अलग-अलग हितधारकों की ज़रुरतों और उम्मीदों के अनुरुप समायोजित करती है ताकि वित्तीय जोखिम से निपटा जा सके। वित्तीय संसाधनों के उपयोग से होने वाले जोखिम को निमलिखित वर्गीकृत किया गया है:

क. क्रेडिट जोखिम

ख. लिक्विडिटी जोखिम

ग. बाजार ज़ोखिम

यह नोट उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में, जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के उद्देश्य, नीतियों और प्रक्रियाओं, और कंपनी की पूंजी के प्रबंधन के विषय में जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, इन वित्तीय विवरणों में मात्रात्मक प्रकटीकरण सम्मिलित हैं।

जोखिम प्रबंधन संरचना

बीएचईएल में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति लागू है, जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रुपरेखा प्रदान करती है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों की उचित पहचान, आकलन और उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण उपायों को अपनाकर प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए। कंपनी के पास 3-स्तरीय जोखिम प्रबंधन संरचना है। पहले स्तर पर, कंपनी की बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन संरचना, दिशानिर्देश, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन संरचना को अपनाने और लागू करने तथा कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरसी और आरएमएससी का संयोजक होने के नाते बोर्ड/बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण इकाई स्तर से शुरु करके उनके संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं तैयार की जा सकें तथा उनका कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जा सके।

क. क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है । बीएचईएल भारत और विदेशों में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताएँ , सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) तथा निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है। परियोजनाओं को आम तौर पर वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर किए जाते हैं। परियोजना की अवधि 3 से 5 साल तक होती है और भुगतान आमतौर पर अग्रिम, प्रगति भुगतान, माइलस्टोन भुगतान (इंटर्मीडियट सहित) भुगतान और इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन सहित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में प्राप्त किया जाता है । अधिकांश ग्राहकों की प्रोफ़ाइल सरकारी क्षेत्र से संबंधित है और कुल व्यापार प्राप्य का 80% इनसे ही आता है और यह देखते हुए कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रुप से एलसी के माध्यम से है। कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्यों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया है ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा- निर्देशों के अनुरुप प्राप्य राशि को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है । इसके अतिरिक्त, किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(i) क्रेडिट जोखिम की संभावना

वित्तीय परिसंपतियों की वहन राशि अधिकतम क्रेडिट जोखिम को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम की अधिकतम संभावना निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
नकद और नकद समकक्ष	1435.45	439.21
अन्य बैंक शेष	10431.17	7173.20
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	590.91	1016.71
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को क्षति हानि सहित आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है	9223.20	8930.93
व्यापार प्राप्य		

क्रेडिट जोखिम का घनत्व - भौगोलिक	कुल प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
भारत के भीतर	97%	97%
भारत के बाहर	3%	3%
कुल	**100%**	**100%**

व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और प्रतिपक्ष के प्रकार द्वारा अन्य प्राप्य के लिए कंपनी का क्रेडिट जोखिम निम्नानुसार है :

टिप्पणी	कुल व्यापार प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
रेलवे और सरकारी विभाग सहित कें द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	48%	46%
राज्य विद्युत बोर्ड	28%	35%
निजी ग्राहक और अन्य	21%	16%
निर्यात	3%	3%
कुल	**100%**	**100%**

(ii) इंपेयरमेंट हानि

1. वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋणों के संबंध में हानि भत्ते में संचलन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
1 अप्रैल को शेष राशि	**20.82**	**16.32**
मान्य क्षति ह्रास / बट्टे खाते में डाली गई / निकासी	(0.34)	4.50
31 मार्च को शेष	**20.48**	**20.82**

2. मूल्यह्रास प्रावधानों का पुनर्मिलान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के भत्तों में संचलन निम्नानुसार रहा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
1 अप्रैल को शेष राशि	**8400.55**	**9171.88**
मान्य क्षति ह्रास	2042.13	874.88
बट्टाकृत / आहरित राशि	(1914.50)	(1646.20)
31 मार्च को शेष	**8528.18**	**8400.55**

कंपनी बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित कंपनी की नीति के अनुसार और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिशेष निधियों में से निवेश करती है। नकदी और नकदी समकक्षों और सावधि जमा पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर वित्तीय रुप से मजबूत बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि में निवेश करती है।

ख. लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखकर और जब भी देय हो, दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता के माध्यम से लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को पूरे वर्ष अपनी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक शेष के अलावा, कंपनी को ऋण सुविधाएं भी प्राप्त हैं। कंपनी अपनी सभी फंड संबंधी आवश्यकताओं को आंतरिक संसाधनों अर्थात परिचालन से उत्पन्न पूंजी और और बेहतर ट्रेज़री प्रबंधन परिचालन के लिए अल्पकालिक उधार के माध्यम से अपनी सभी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देयताएं गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष के अधिक	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष के अधिक
व्यापार देयताएं	10491.60	1343.44	9540.92	2170.79
ठेकेदारों और अन्य से जमा राशि	844.97	399.02	716.19	413.11
पट्टा देयताएं	68.77	168.18	57.21	162.39
अन्य देय/ देयताएं				
कर्मचारी बकाया	194.72	-	152.41	-
अन्य बकाया	142.67	-	240.90	-
पूंजीगत व्यय बकाया	130.94	11.94	131.02	9.68
वित्तीय गारंटी बकाया	4.63	-	5.29	-
अल्पावधि उधार	7950.00	-	8795.00	-
कुल	**19828.30**	**1922.58**	**19638.94**	**2755.97**

ग. बाजार ज़ोखिम प्रबंधन

कंपनी को अपने परिचालनों से उत्पन्न होने वाले कुछ करेंसी, कमोडिटी और ब्याज दर से संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी को कमोडिटी मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला के दावों सहित फ्रेमवर्क समझौते नियमित रुप से दर्ज किए जा रहे हैं। परिचालन से उत्पन्न अधिशेष निधियों को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े निजी बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा और सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों की ऋण आधारित योजनाओं में निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

विदेश मुद्रा जोखिम एक्सपोजर:- रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:

(i) 31.03.2026 तक रुके हुए और बकाया व्युत्पन्न विलेख शून्य है (पिछले वर्ष भी शून्य थी)

(ii) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा रुके हुए नहीं हैं, वे इस प्रकार हैं:

विदेशी मुद्रा मिलियन में
(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	अन्य (रुपए में)	अन्य (रुपए में)
परिसंपत्तियां						
व्यापार प्राप्य	55.30	588.18	59.23	543.50	29.37	41.12
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	192.00	2017.65	221.26	2026.77	131.67	263.20
अन्य परिसंपत्तियां	19.00	186.20	11.74	108.16	80.04	93.77
उप-कुल (क)	**266.30**	**2792.03**	**292.23**	**2678.42**	**241.08**	**398.09**
देयताएं						
ग्राहक से अग्रिम	26.50	177.86	28.22	190.35	0.83	1.29
व्यापार देय और अन्य	27.10	296.54	27.69	256.30	181.90	343.61
उप-कुल (ख)	**53.60**	**474.40**	**55.91**	**446.65**	**182.73**	**344.89**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर) [(क)- (ख)]	**212.70**	**2317.63**	**236.32**	**2231.77**	**58.35**	**53.19**

विवरण	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया
संपत्ति				
व्यापार प्राप्य	72.10	655.17	79.27	669.84
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	133.10	1231.62	187.27	1597.17
अन्य परिसंपत्तियां	0.60	4.68	0.87	6.74
उप-योग (क)	**205.80**	**1891.47**	**267.41**	**2273.76**
देयताएं				
ग्राहक से अग्रिम	33.30	219.16	35.69	226.53
व्यापार देय और अन्य	41.20	381.84	76.85	655.22
उप-कुल (ख)	**74.50**	**601.00**	**112.55**	**881.75**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर) [(क)- (ख)]	**131.30**	**1290.47**	**154.87**	**1392.01**

उपरोक्त आंकड़े प्रावधानों, यदि कोई हों, को छोड़कर हैं

संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रुपए के अमरीकी डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत/कमजोर होने के प्रभाव को वर्ष के अंत में लाभ या हानि के रूप में नीचे दिखाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनियम दर में बदलाव पर आधारित है, जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रुप से संभव माना है। यह विश्लेषण पिछले वर्ष के समान आधार पर किया गया है, यद्यपि विदेशी मुद्रा विनियम दर में बदलाव भिन्न था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
1% के संचलन पर लाभ/(हानि) का प्रभाव	सुदृढ़	कमजोर	सुदृढ़	कमजोर
यूरो	23.18	(23.18)	22.32	(22.32)
यूएसडी	12.90	(12.90)	13.92	(13.92)
अन्य	0.58	(0.58)	0.53	(0.53)

पूंजी प्रबंधन

क्रियाशील इकाई के रूप में पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को सुरक्षित, संरक्षित रखना और इसमें वृद्धि करना है ताकि शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके, और पूंजी लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाई रखी जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी निगरानी करते हैं। कंपनी समान्यतः उद्योग द्वारा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर मध्यम कालिक दृष्टिकोण व दीर्घकालीन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पूंजी को मॉनिटर करती है। कंपनी बाह्य पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है । कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है जैसा कि उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

नोट [41]
परिचालन खंड

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए ऑर्डर के आधार पर खंडों की पहचान 'पावर' और 'उद्योग' के रूप में की गई है। इन खंडों के कार्यों को तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात पावर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन द्वारा निष्पादित किया जाता है।

पावर सेक्टर में मुख्य रूप से थर्मल, गैस हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, संबंधित स्पेयर और सेवा व्यवसाय के अतिरिक्त कोल टू केमिकल, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण और गैर-बीएचईएल सेट के लिए स्पेयर के नए व्यवसाय सम्मिलित हैं।

उद्योग क्षेत्र प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति करता है और ईपीसी परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर, नवीकरणीय ऊर्जा, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईपीसी आधार पर काम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किए गए ऑर्डर, ऑर्डर के प्रकार के हिसाब से, पावर या उद्योग क्षेत्र को सौंप दिये जाते हैं।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रुप में चिन्हित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	**परिचालन खंड से राजस्व**						
	परिचालन राजस्व - बाह्य	25406.71	8375.47	33782.18	20937.25	7402.23	28339.48
II.	**खंड परिणाम**						
क.	खंड परिणाम	2451.24	1684.07	4135.31	1216.02	1262.45	2478.47
ख.	गैर-आवंटित व्यय (आय को छोड़कर)			1262.60			1005.47
ग.	वित्त लागत एवं आयकर से पूर्व लाभ (क) - (ख)			2872.71			1473.00
घ.	वित्त लागत (ब्याज छूट सहित)			756.41			748.33
ङ.	आयकर से पूर्व शुद्ध लाभ (ग) - (घ)			2116.30			724.67
च.	आयकर			538.35			211.70
छ.	आयकर के पश्चात शुद्ध लाभ /हानि (ङ.)- (च)			1577.95			512.97
III.	**परिसंपत्तियाँ और देयताएं**						
क.	खंड परिसंपत्तियाँ	49208.93	10542.49	59751.42	45455.29	9240.71	54696.00
ख.	सामान्य संपत्तियां			16808.71			13783.32
ग.	कुल संपत्ति			76560.13			68479.32
ङ.	खंड देयताएं	32517.97	7735.31	40253.28	29075.97	7034.26	36110.23
च.	सामान्य देयताएं			9790.36			7256.08
छ.	कुल देयताएं			50043.64			43366.31
IV.	**अन्य सूचनाएं**						
क.	पूंजीगत व्यय	384.95	242.49		335.93	146.46	
ख.	मूल्यह्रास और परिशोधन	196.02	72.11		158.06	69.18	
ग.	गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन के अतिरिक्त)	(51.41)	165.90		(73.14)	214.64	

भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
		भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल	भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल
1	परिचालन से राजस्व	33326.20	455.98	33782.18	27863.22	476.26	28339.48
2	गैर- वर्तमान परिसंपत्तियाँ (पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियाँ)	3492.61	0.45	3493.06	3141.70	0.46	3142.16
3	पूंजीगत व्यय	670.71	-	670.71	535.30	0.34	535.64

(₹ करोड़ में)

प्रमुख ग्राहक- बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक एकल ग्राहक से प्राप्ति का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
सीपीएसयू	11357.57	2875.83	14233.40	9227.07	2776.16	12003.23
अडानी समूह	6672.58	-	6672.58	2553.12	-	2553.12

नोट [42]
अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क)	आयात की श्रेणी	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
	सीआईएफ आधार पर आयात		
	रॉ-मेटेरियल	1320.17	1091.75
	कम्पोनेंटस एवं स्पेयर पार्ट्स	813.47	771.38
	पूंजीगत माल	49.83	13.09
	कुल आयात	**2183.47**	**1876.22**

(₹ करोड़ में)

ख)	व्यय के प्रकार (विदेशी मुद्रा में व्यय)	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
	i) रॉयल्टी	52.12	53.81
	ii) तकनीकी जानकारी	27.79	5.74
	iii) प्रोफेशनल परामर्श शुल्क	3.45	6.89
	iv) ब्याज एवं अन्य व्यय (विदेशी साइटों सहित)	11.22	24.06

(₹ करोड़ में)

ग)	खपत का वर्गीकरण [रॉ-मेटेरियल, कंपोनेन्ट, भंडार & अतिरिक्त पुर्जे]	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
	i) आयातित (सीमा शुल्क सहित)	1892.61	1931.03
	ii) स्वदेशी	16509.12	13467.22
	iii) कुल खपत का प्रतिशत		
	आयातित	10.28	12.54
	स्वदेशी	89.72	87.46

(₹ करोड़ में)

घ)	विदेशी मुद्रा में कमाई	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
	भौतिक माल का निर्यात (एफओबी आधार पर)	346.53	201.79
	इरेक्शन एवं अन्य सेवाएं	58.11	136.35
	मानित निर्यात पर विदेशी मुद्रा विनिमय (घरेलू संविदाओं और एसईज़ेड सहित)	22.54	218.85
	कुल	**427.18**	**556.99**

(₹ करोड़ में)

ड़)	रॉ-मेटेरियल एवं खपत किए गए कंपोनेन्ट का विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
	कच्चा माल		
	i) लौह सामग्री	3899.48	3527.85
	ii) अलौह सामग्री	1090.20	679.37
	iii) इन्सुलेटिंग सामग्री	295.39	116.50
	iv) इंसुलेटेड केबल और चुंबकीय वायर	80.03	14.96
	v) अन्य कंपोनेन्ट	4534.82	3198.26
	(vi) अन्य	593.17	670.71
	कुल	**10493.09**	**8207.65**
	खरीदी गई सामग्री		
	i) लौह सामग्री	124.80	102.99
	ii) अलौह सामग्री	27.26	110.17
	iii) इन्सुलेटिंग सामग्री	121.11	143.57
	iv) इंसुलेटेड केबल और चुंबकीय वायर	14.47	45.24
	v) अन्य कंपोनेन्ट	5923.10	4431.91
	(vi) अन्य	1191.35	1924.11
	कुल	**7402.09**	**6757.99**

नोट [43]
अनुपात

विवरण	न्यूमरेटर	डेनोमिनेटर	2025-26	2024-25	% अंतर	अंतर का कारण
(क) वर्तमान अनुपात	कुल मौजूदा संपत्ति	कुल मौजूदा देयताएं	1.59	1.51	-5.15	
(ख) डेविट-इक्विटी अनुपात	कंपनी पर कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं है, इसलिए ये अनुपात लागू नहीं होते हैं।					
(ग) डेविट सर्विस कवरेज अनुपात						
(घ) कार्यशील पूंजी के लिए दीर्घकालिक डेविट						
(ड़) ब्याज सेवा कवरेज अनुपात						
(च) कुल डेविट और कुल संपत्ति अनुपात	कुल उधारी	कुल परिसंपत्ति	0.11	0.13	18.77	
(छ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व	औसत भंडार (शुद्ध)	2.79	3.20	-12.87	
(ज) व्यापार प्राप्तियों और टर्नओवर का अनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	3.57	3.23	10.39	
(झ) अशोध्य डेविट और प्राप्य खाता अनुपात	अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया	कुल व्यापार प्राप्तियां	0.05	0.03	60.06	नगण्य मूल्य
(ञ) वर्तमान देयता अनुपात	मौजूदा देयताएं	कुल देयताएं	0.65	0.65	-0.83	
(ट) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	खरीदारी और उप-ठेका	औसत व्यापार देय	2.23	1.89	17.89	
(ठ) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व	कुल मौजूदा संपत्तियां - कुल मौजूदा देयताएं	1.69	1.88	-10.24	
(ड) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	वर्ष के दौरान लाभ (कर पश्चात लाभ)	औसत कुल हिस्सेदारी - ओसीआई	5.98%	2.01%	196.95	परिचालन से राजस्व में उच्चवृद्धि के कारण लाभप्रदता में बढ़ोतरी
(ढ़) ऑपरेटिंग लाभ अनुपात	कर, ब्याज और मूल्यह्रास से पहले लाभ - अन्य कमाई	परिचालन से राजस्व	6.93%	4.38%	58.25	परिचालन की अधिक मात्रा और ईआरवी लाभ के कारण
(ण) शुद्ध लाभ अनुपात	वर्ष के दौरान लाभ (कर पश्चात लाभ)	परिचालन से राजस्व	4.67%	1.81%	158.05	परिचालन की अधिक मात्रा और ईआरवी लाभ के कारण
(त) नियोजित पूंजी पर रिटर्न	कर और ब्याज को छोड़कर आय	नियोजित पूंजी = कुल इक्विटी - सीडब्ल्यूआईपी - विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां -आस्थगित कर परिसंपत्तियां	12.77%	7.06%	80.81	परिचालन की अधिक मात्रा और ईआरवी लाभ के कारण
(थ) निवेश पर रिटर्न	लागू नही					
(द) नेट वर्थ (रु./ करोड़)	शेयर पूंजी + रिजर्व और अधिशेष		26516.49	25113.01	5.59	
(ध) कर पश्चात लाभ (रु. / करोड़)	कर पश्चात लाभ		1577.95	512.97	207.61	
(न) प्रति शेयर आय (रु.)	वर्ष के दौरान लाभ (कर पश्चात लाभ)	भारित औसत शेयरों की संख्या	4.53	1.47	207.61	
(प) पूंजी रिडेंपशन रिजर्व (रु. / करोड़)			37.87	37.87	0.00	

नोट [44]

प्रकटीकरण - निवेश संपत्ति - इंड एएस 40

सामग्री लेखांकन नीति नोट [2] के बिंदु 20 पर दर्शायी गई है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने भौतिक लेखांकन नीति अपनाई है और निवेश संपत्ति के लेखांकन के लिए भी इसे लागू किया है। संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
(i) आय और व्यय का विवरण :		
किराये से आय	8.98	1.82
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	0.50	0.39

(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य

निवेश संपत्ति का बाजार मूल्य, कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 में परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा 31.03.2026 को भोपाल, मुंबई और हैदराबाद में स्थित विभिन्न संपत्तियों के लिए ₹133.67 करोड़ आकलित किया गया है।

(iii) कंपनी ने अपनी निवेश संपत्तियों के पोर्टफोलियो, जिसमें कुछ भूमि एवं भवन शामिल हैं, के संबंध में परिचालन पट्टा किया है। 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार परिचालन पट्टे के अंतर्गत भविष्य में प्राप्त होने वाले अविकलित पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:

विवरण	2025-26	2024-25
1 वर्ष से कम	9.65	7.11
1 से 2 वर्ष के बीच	9.88	7.13
2 से 3 वर्ष के बीच	10.16	7.25
3 से 4 वर्ष के बीच	7.90	7.56
4 से 5 वर्ष के बीच	1.79	5.14
5 वर्ष से अधिक	1.43	1.85
कुल	**40.81**	**36.04**

नोट [45]

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिमों का अपेक्षित विविरण नीचे दिया गया है:

i) कोई भी ऋण (कर्मचारियों को दिए गए ऋण के अलावा) नहीं दिया गया है, जिसमें कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है या पुनर्भुगतान सात वर्षों से अधिक है; तथा

ii) ऐसी फ़र्मों/कंपनियों को ऋण या ऋण की प्रकृति में अग्रिम राशि (एडवांस) नहीं दी गई है, जिनमें निदेशकों' की रुचि/हिस्सेदारी हो।

नोट [46]

12 महीने की अवधि को परिचालन चक्र मानते हुए परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के बीच वर्गीकृत किया जाता है।

नोट [47]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।

नोट [48]

वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या सैटिस्फैक्शन नहीं था।

नोट [49]

कंपनी, कंपनी नियम, 2017 (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन कर रही है ।

नोट [50]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी योजना / व्यवस्था अनुमोदित नहीं की गई है।

नोट [51]

कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो।

नोट [52]

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट [53]

आंकड़ों को दो दशमलव के साथ ₹ करोड़ के निकटतम पूर्णांकित किया गया है।

नोट [54]

जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

नोट [55]

निदेशक मण्डल ने 4 मई, 2026 को आयोजित बैठक में वित्तीय विवरण 2025-26 जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं सीएफओ
डीआईएन : 10048893

(के. सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के. वेंकटचलम अय्यर एंड कं. के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या- 020504

के. एस. दुआ एंड कं. के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन - 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या- 527610

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 मई, 2026

वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण......................... 249

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (इसके बाद यहाँ इसे "कंपनी" के रूप में लिखा जाएगा) एवं इसके संयुक्त उद्यमों में लाभ के हिस्से सहित संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष की समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी परिवर्तनों का विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, तथा उस वर्ष के लिए लागू लेखा नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं, (इसके पश्चात इसे "समेकित वित्तीय विवरण" लिखा जाएगा)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरुप तथा नीचे "अन्य विषय" अनुभाग में उल्लिखित संयुक्त उपक्रमों की पृथक वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करते हुए, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं और यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, (इंड एएस- भा.ले.मा.) एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2026 को कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय स्थिति, उनका समेकित शुद्ध लाभ (अन्य समग्र आय सहित), समेकित इक्विटी में परिवर्तन तथा वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति को यथार्थ व उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण इस रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ' खंड में दिया गया है। हम कंपनी और इसके संयुक्त उपक्रमों से स्वतंत्र हैं, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू नैतिक आवश्यकताओं में निर्धारित है। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी पालन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे 'अन्य विषय' अनुभाग में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में प्राप्त साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा के विषय वे हैं जो कि हमारे व्यावसायिक मतानुसार वर्तमान कालखंड के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थे। अपनी राय बनाते हुए और समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का समग्र रूप से समाधान किया गया और हमें इन विषयों पर और कोई राय नहीं देनी है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों के नीचे वर्णित मामलों का उल्लेख किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
इंड एएस 115 के अंतर्गत 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' के सम्बंध में राजस्व एवं अन्य शेषों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति की सटीकता। इन राजस्व लेखा मानकों के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों को चिन्हित करना, चिन्हित विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में मान्य राजस्व के मापन के आधार की उपयुक्तता, वित्तीय विवरणों में शेष के प्रस्तुतिकरण सहित प्रकटीकरण से संबंधित कतिपय मुख्य निर्णय शामिल हैं। आकलित प्रयास राजस्व निर्धारण करने का एक महत्त्वपूर्ण आकलन है क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयासों, शेष निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है। समेकित वित्तीय विवरण के **नोट 22 & 41 को देखें।**	**<u>प्रधान लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएं</u>** आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: • पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई जानकारी रचना प्रक्रिया पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। • मौजूदा जारी अनुबंधों और नए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर विशिष्ट निष्पादन दायित्व और लेन-देन मूल्य के निर्धारण से संबधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • इंड एएस 115 के अनुरुप राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में अनुप्रयुक्त लेखांकन प्रणालियों और अनुबंधों एवं इससे संबद्ध सूचनाओं में परिवर्तन के संगत सूचनाओं का परीक्षण किया, जिनका नए राजस्व लेखा मानकों के अनुसार खुलासा करने और अभिलेखबद्ध करने में प्रयोग किया गया। • महत्वपूर्ण उपलब्धियां (माइलस्टोन) प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान के लिए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर समीक्षा की गई, जिसमें कि शेष निष्पादन दायित्व को पूर्ण करने में आकलित प्रयासों को बदलने की आवश्यकता है। • तर्कसंगतता और अन्य संबंधित प्रत्यक्ष मदों के ब्योरों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।
व्यापार प्राप्य एवं अनुबंध संपत्तियों का मूल्यांकन एवं वसूली की संभावना 31 मार्च, 2026 के अंत में कंपनी के पास **₹29389.61** करोड़ (निवल) की अनुबंध संपत्तियां तथा **₹9223.30** करोड़ (निवल) के व्यापार प्राप्य बकाया है। यह शेष इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार पूर्ण हुए अनुबंधों और चालू अनुबंधों के लिए मान्य राजस्व से संबंधित है। इसके आकार और प्रबंधकीय निर्णय के उच्च स्तरीय होने कारण इसकी वसूली की संभावना का आकलन एक मुख्य लेखा विषय है। समेकित वित्तीय विवरणों के **नोट 6, 9, 41 को देखें।**	**<u>प्रधान लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएं</u>** अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य के राजस्व मान्यता और समीक्षा तंत्र के लिए हमने कंपनी की आतंरिक प्रक्रिया का आकलन किया है। आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: • ग्राहकों के साथ चालान प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। • परियोजनावार बकाया विवरणा और प्रबंधन द्वारा इसके समीक्षा तंत्र की सूची को प्राप्त किया। • अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की क्षति पर कंपनी के दिशा-निर्देशों और नीतियों की समीक्षा की। • सैंपल आधार पर वर्ष के अंत में अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की एजिंग की सटीकता की जांच की। • तर्कसंगतता, वसूली की संभावना और अन्य संबंधित सामग्री मदों के विवरणों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
आकस्मिक देयता का आकलन कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता है। तद्नुसार, हमारी लेखापरीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों के विश्लेषण और शामिल कानून के निर्णय / व्याख्या पर केंद्रित थी। (समेकित वित्तीय विवरण के लिए **नोट 33 देखें)**	**प्रधान लेखा परीक्षा की प्रक्रियाएं** लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं थे: • दावों या विवादों के संबंध में प्रबंधन की विस्तृता को समझना प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को प्राप्त करना। • चयनित नमूनों पर निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा जांच करना। • प्रबंधन बैठक के पत्राचार, संप्रेषण के कार्यवृत्त को पढ़कर मामलों को समझना। • स्थिति अद्यतन, आधार के साथ परिणामों की अपेक्षा और कंपनी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के भविष्य के पाठ्यक्रम सहित प्रबंधन कर्मियों के उचित स्तर के साथ पुष्ट पूछताछ करना और प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय, यदि कोई हो का अवलोकन करना। • संभावित परिणामों और अनुमानों की तर्कसंगतता के बारे में प्रबंधन के निर्णय का समर्थन करने वाले साक्ष्य का मूल्यांकन करना। • लागू लेखा मानकों के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधकीय परिचर्चा व विश्लेषण में सम्मिलित की गई जानकारी, निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन तथा शेयरधारकों की सूचना आती है परंतु समेकित वित्तीय विवरण एवं एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं होती है। ये रिपोर्टें हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करायी जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर कोई आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए ध्यान रखना कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाएं कहीं सारतः असंगत तो नहीं हैं अथवा लेखा परीक्षा में प्राप्त जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से अनुचित प्रतीत तो नहीं हो रही है।

जब हमें ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो हम उसे पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है, तो हमें शासकीय प्रभारी व्यक्तियों को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन एवं शासन से संबद्ध व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार किए जाने हेतु उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रुप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और इंड एएस के अनुरूप कंपनी के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तनों तथा समेकित नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हों। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, जिनका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी को एक क्रियाशील इकाई के रुप में बनाए रखने के लिए कंपनी की योग्यता का आकलन करने, क्रियाशील इकाई से संबन्धित जानकारियां यथा आवश्यक प्रकटीकरण करने और जब तक प्रबंधन कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के परिसमापन या परिचालन रोकने की मंशा न रखती हो अथवा इसके अतिरिक्त कोई यथार्थ कारण न हो, तब तक समूह को लेखांकन का आधार बनाने के लिए कंपनियों के निदेशक मण्डल सामूहिक रुप से उत्तरदायी हैं।

कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के निदेशक मंडल संबंधित कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले सारतः त्रुटिपूर्ण कथन से समग्र रुप से मुक्त हैं और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्ववासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण सदैव किसी सारतः त्रुटिपूर्ण कथन का पता लगा ही लेगा, यदि कोई हो तो। त्रुटिपूर्ण कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें संदेहास्पद माना जाता है, यदि एकल रुप में या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रुप में प्रभावित करना प्रत्याशित है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण के भाग के रुप में पूरे लेखा परीक्षण के दौरान हम व्यावसायिक रुप से निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारतः मिथ्या कथन, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, की पहचान करना और इसके जोखिमों को आंकना और इन जोखिमों के अनुक्रियाशील लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करना एवं निष्पादित करना, और लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो कि हमारी राय का आधार बनाने लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरुप सारतः मिथ्या कथन को न पहचानने का जोखिम, गलती से किए गए सारतः मिथ्या कथन से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल-साजी, जानबूझकर की गई चूकें, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी (override) किया जाता है।

- परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखा परीक्षण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी एवं भारत में स्थापित उसके संयुक्त उपक्रमों के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन में प्रभावशीलता है।

- अनुप्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- कंपनी के प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना, तथा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह मूल्यांकन करना कि क्या ऐसे कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितताएँ विद्यमान हैं जो कंपनी और इसके संयुक्त उपक्रमों की सतत संचालन क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकती है, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है; और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों, तो अपनी राय में संशोधन करना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों को क्रियाशील इकाई के रूप में न बने रहने का कारण बन सकती है।

- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या समेकित वित्तीय विवरण वास्तविक लेनदेनों और घटनाओं का इस प्रकार वर्णन करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करता हो।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अन्य मामले शीर्षक वाले खंड के पैरा 1 से पैरा 5 में आगे वर्णित किया गया है।

प्रत्यक्षता (Materiality) समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथनी की मात्रा है जो. व्यक्तिगत या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य क्षेत्र की योजना बनाने और परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय वितरणों में पाई गई किसी मिथ्या कथनी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता (Materiality) और गुणात्मक कारकों (Qualitative factors) पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ ही लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र एवं समय सीमा के निर्धारण और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में अभिशासन प्रभारियों से संवाद करते हैं।

हमने अभिशासन के प्रभारियों को स्वतंत्रता की प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन संबंधी एक विवरण प्रदान किया है और हमारी स्वतंत्रता के साथ, और जहां लागू हो संगत सुरक्षा से तर्कसंगत रुप से लगाने वाले उन सभी रिश्तों एवं अन्य विषयों के बारे में उन्हें बता दिया है।

अभिशासन के प्रभारियों को वर्णित विषयों में से, हमने उन विषयों का निर्धारण किया है जो समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण/ उल्लेखनीय है और इसलिए वे प्रधान लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन इन विषयों के प्रकटीकरण को निषेध ना करता हो, और अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में जब हमें यह प्रतीत हो कि इस विषय के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम इस सूचना के जनहित लाभों पर हावी होने की यथोचित संभावना है।

अन्य विषय:

1. हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में सम्मिलित **14** (चौदह) शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं में 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार **₹49806 करोड़** की कुल परिसंपत्तियाँ तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए **₹25523 करोड़** की कुल आय दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा-परीक्षण संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और इन शाखाओं से संबंधित राशियों तथा प्रकटीकरणों के संबंध में हमारी राय पूर्णतः उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

2. हमने संयुक्त उपक्रम बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस) के वित्तीय विवरणों वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया है। समेकित वित्तीय परिणामों में, उपरोक्त संयुक्त उपक्रम बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड ('बीजीजीटीएस') के संबंध में, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹63.41 करोड़ एवं कुल समग्र आय ₹63.16 करोड़ का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया है। ये लेखा-अपरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और उपरोक्त संयुक्त उपक्रम से संबंधित राशियों और प्रकटीकरणों के संदर्भ में हमारी राय का आधार केवल इन्हीं लेखा-अपरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है।

3. हमने दो संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं अर्थात् रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है। समेकित वित्तीय विवरणों में इन संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं का शुद्ध हानि एवं अन्य समग्र हानि का हिस्सा शामिल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही इन संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेश लागत के बराबर संचित हानियों को अपनी वित्तीय विवरणियों में मान्यता दे दी है। रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. के ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं तथा इनकी वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना हमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, और उक्त संयुक्त उपक्रमों से संबंधित राशियों एवं प्रकटीकरणों के संदर्भ में इस विवरण पर हमारी राय पूरी तरह इन्हीं अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों/वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है।

4. हमने संयुक्त नियंत्रण वाली इकाई भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण नहीं किया है। समेकित वित्तीय परिणामों में 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उपक्रम भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) के संबंध में कंपनी के ₹2.36 करोड़ के निवल हानि तथा कुल व्यापक हानि में हिस्से को शामिल किया गया है, जिसके वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण नहीं किया गया हैं। कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए गैर-लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी तथा उक्त संयुक्त उपक्रम के संबंध में विवरण में सम्मिलित राशियों एवं प्रकटीकरणों के संबंध में हमारी राय पूर्णतः ऐसे गैर-लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर ही आधारित है।

5. मैसर्स पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड, जो कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम था, वित्तीय वर्ष के दौरान विघटित (dissolved) हो गया। अतः इसे समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षा पूर्व वित्तीय विवरणों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर निर्भरता के संबंध में समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उपरोक्त विषयों के सापेक्ष संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम के खंड 143 (3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा और संयुक्त रुप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित आलेख परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार के आधार पर जैसाकि "अन्य मामले" पैराग्राफ में सदर्भित हैं, हम, लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर हमने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरणों कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं;

   ख. हमारे विचार से, कंपनी ने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरण बनाने के संबंध में विधि के अनुसार लेखा बहियाँ बनाई है, जहां तक हमारे द्वारा इन बहियों की जांच से और अन्य प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय रिपोर्टों से प्रतीत होता है।

   ग. इस रिपोर्ट के साथ व्यवहृत समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय/हानि सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई संगत लेखा पुस्तिकाओं के अनुबंध में है;

घ. हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 सहपठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं,

ङ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.: जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05-06-2015 कंपनी एवं उसके संयुक्त उद्यमों पर लागू नहीं है;

च. कंपनी और भारत में गठित उसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया हमारे पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक - क" का अवलोकन करें । हमारी यह रिपोर्ट कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करती है।

छ. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी एवं उसके संयुक्त उद्यमों पर लागू नहीं होती है;

ज. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों को हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुरूप और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में पृथक वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर विचार सहित "अन्य विषय" पैराग्राफ में उल्लेखित किया गया है:

i. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी और संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं - समेकित वित्तीय विवरण के लिए **नोट 33 देखें;**

ii. दीर्घकालिक अनुबंधों में मूर्त निकटवर्ती हानि, यदि हो तो, के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है जैसा कि लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत आवश्यक है, ऐसे मदों के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों की **नोट 40** देखें क्योंकि इनका संबंध कंपनी तथा संयुक्त उद्यम इकाइयों से है;

iii. कंपनी और भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड) में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई विलंब नहीं किया गया है।

iv. क) कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित प्रबंधन ने, जिनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, ने हमें बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी संयुक्त उद्यम द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) में, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, यह आश्वासन इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में हो या नहीं, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित प्रबंधन जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, ने हमें बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसे किसी भी संयुक्त उद्यम द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") सहित, कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या नहीं, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ग) परिस्थितियों के अनुरूप उचित और युक्तिसंगत माने गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे यह विश्वास हो कि नियम (ए) और (बी) में प्रदान किए गए नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए विवरण में कोई भौतिक त्रुटि है।

v. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 में वर्णित है

(क) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होती है।

vi. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित 2024 संस्करण) के नियम 11(जी) के अंतर्गत लेखा परीक्षा अनुक्रम पर रिपोर्टिंग हेतु कार्यान्वयन मार्गदर्शन के अनुसार की गई परीक्षा, जिसमें परीक्षण के आधार पर जाँच और उन संयुक्त उद्यमों के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखा परीक्षा शामिल है जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत लेखा परीक्षा किए गए हैं, जिसके आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी तथा उपरोक्त उल्लिखित संयुक्त उद्यमों ने अपनी लेखा पुस्तकों के संधारण हेतु जिस लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया, उसमें लेखा परीक्षा अनुक्रम (एडिट लॉग) की सुविधा उपलब्ध थी और यह सुविधा वर्ष भर सभी संबंधित लेन-देन के लिए सॉफ़्टवेयर में संचालित रही।

इसके अतिरिक्त, हमारे लेखा परीक्षण के दौरान हमें लेखा-परीक्षण अनुक्रम से छेड़छाड़ का कोई भी मामला सामने नहीं आया, और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा-परीक्षण अनुक्रम को सुरक्षित रखा गया है।

2. कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की अनुच्छेद 3 (xxi) एवं 4 से संबंधित विषय में, यह उल्लेख किया गया है कि अन्य विषय शीर्षक अनुभाग में वर्णित चार संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षण नहीं हुए हैं, और एक लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यम के मामले में, उस इकाई के लेखापरीक्षकों द्वारा सीएआरओ लागू नहीं होता है तथा उनकी ओर से कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। कंपनी के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार की गई एकल वित्तीय विवरण पर हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, हम यह सूचित करते हैं कि सीएआरओ रिपोर्ट में कोई आपत्तिकर टिप्पणी या प्रतिकूल अनुशंसा नहीं की गई है।

के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन– 004610S

सीए. वी. रामचंद्रन
भागीदार
एम संख्या- 020504
यूडीआईएन: 26020504BASOMQ1304

के. एस. दुआ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 017478N

सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों
भागीदार
एम संख्या- 527610
यूडीआईएन: 26527610MNMJXK7081

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04 मई, 2026

अनुलग्नक "क" भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इंड एएस के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समान तिथि की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है) तथा भारत में स्थापित संयुक्त उपक्रमों के 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ-साथ, हमने उस तिथि के अनुसार कंपनी और उसके संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का भी लेखा परीक्षा की है। हमने उन चारों संयुक्त उद्यमों में से किसी के भी वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, क्योंकि उनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी और संयुक्त उद्यम जो भारत में निगमित की गई कंपनियां हैं, के संगत निदेशक मण्डल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशा निर्देश नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के वांछित घटकों पर विचार करते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समयबद्ध बनाया जाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और संपूर्णता, त्रुटियों व धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, संबंधित कंपनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रुप से क्रियाशील पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव इन जिम्मेदारियों में सम्मिलित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण मार्गदर्शन नोट ("दिशानिर्देश नोट") एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गई हों, के अनुरुप हम अपना लेखा परीक्षण करते हैं। उन मानकों और दिशानिर्देश नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और इस तथ्य पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित था और यह नियंत्रण सभी तात्विक पहलुओं पर प्रभावी रुप से संचालित था, लेखा परीक्षा योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों कि समझ प्राप्त करना, किसी तात्विक निर्बलता के होने का संकट का आकलन और आकलित संकट के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता एवं डिजाइन का मूल्यांकन व परीक्षण करना शामिल है। वित्तीय विवरणों की तात्विक गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का संकट के आकलन सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर प्रक्रियाएं चयनित की जाती है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, तथा भारत में निगमित शाखाओं और संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 'अन्य विषय' अनुच्छेद में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी एवं भारत में निगमित इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने हेतु डिजाइन की जाती है। कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं. जो (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जिसमें कंपनी की सम्पत्तियों के लेनदेनों और निपटान का यथार्थ और उचित रुप में युक्तियुक्त विवरण दर्शाया गया है; (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसरण में हो रही है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान जो वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव डाल सकते हैं, का समय पर पता लगाने या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं जिनमें मिलीभगत की संभावना, नियंत्रण अधिभाव का अनुचित प्रबंधन शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। इसके अतिरिक्त, भविष्य की अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में कमी के कारण समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

अन्य विषय

अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक चार संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों, जो कि भारत में निगमित कंपनियाँ है, से संबंधित है, भारत में निगमित इन चार संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन प्रमाणपत्र पर आधारित है।

अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक भारत में निगमित पाँच संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जिनमें से चार संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षा नहीं किया गया है, इस पर आधारित है। तथापि, इन संयुक्त उद्यमों में कंपनी की शुद्ध लाभ/हानि (अन्य समग्र आय सहित) की हिस्सेदारी और इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल उनके संबंध में किए गए प्रकटीकरण कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रभावित नहीं होती है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

राय

हमारी राय में, और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी तथा इसके संयुक्त उद्यम, जो कि भारत में निगमित संस्थाएं हैं ने समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है और यह प्रणाली 31 मार्च 2026 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्रभावी रूप से संचालित हो रही थी। यह मूल्यांकन कंपनी तथा इसके भारत में निगमित संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण मानदंडों और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शिका में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन– 004610S

सीए. वी. रामचंद्रन
भागीदार
एम संख्या- 020504
यूडीआईएन: 26020504BASOMQ1304

के. एस. दुआ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 017478N

सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों
भागीदार
एम संख्या- 527610
यूडीआईएन: 26527610MNMJXK7081

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04 मई, 2026

No.DGA(P)/Rep/01-07/A/cs-BHEL-CFS/2026-27/173

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (विद्युत)
नई दिल्ली-110002

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Power)
New Delhi-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Dated: 03/07/2026

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

विषय:- 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए ।

भवदीया,

संलग्नक:- यथोपरि।

(तनुजा मित्तल)
महानिदेशक (विद्युत)

पाँचवा, छठा, सातवाँ एवं दसवाँ तल, सी.ए.जी. बिल्डिंग, एनैक्सी, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
5th, 6th, 7th & 10th Floor, C.A.G. Building Annexe, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Tel.: 011-23239213, 011-23239211, Email : pdaenergydl.cag@nic.in / dgaenergydl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 04 May 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2026 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of NTPC-BHEL Power Projects Private Limited, Raichur Power Corporation Limited and Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited for the year ended on that date. Further, Section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to BHEL-GE Gas Turbine Services Private Limited, being private entity, for appointment of their Statutory Auditor(s) and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller & Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditor(s) nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Tanuja Mittal

(Tanuja Mittal)
Director General of Audit (Power)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 03/07/2026

समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

31, मार्च 2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृष्ठ	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
अ. परिसंपत्तियां						
1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ						
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3a	275		2933.28		2862.46
(ख) पूंजीगत चालू कार्य	3b	275		399.20		161.70
(ग) निवेश संपत्ति	3c	276		0.52		0.45
(घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	4a	279		64.73		84.27
(ङ) विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां	4b	280		95.85		33.73
(च) इक्विटी पध्दति का उपयोग करने के लिए निवेश की गणना	5	281		302.06		275.57
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) निवेश	5a	282	0.00		0.00	
(ii) व्यापार प्राप्य	6	283	2426.93		3046.58	
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	285	258.78	2685.71	715.95	3762.53
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध देनदारियाँ)	8	285		3532.80		4067.72
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	9	286		14716.11		14074.98
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां				**24730.26**		**25323.41**
2. चालू परिसंपत्तियां						
(क) माल सूची	10	287		13334.58		9869.49
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) व्यापार प्राप्य	6	283	6796.27		5884.35	
(ii) नगद एवं नगद समकक्ष	11	288	1435.45		439.21	
(iii) नगद एवं नगद समकक्ष के अतिरिक्त अन्य बैंक बैलेंस	12	288	10431.17		7173.20	
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	285	332.13	18995.02	300.76	13797.52
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (शुध्द)	13	288		202.72		137.37
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	286		18923.03		18955.39
कुल चालू परिसंपत्तियां				**51455.35**		**42759.77**
कुल परिसंपत्तियां				**76185.61**		**68083.18**
आ. इक्विटी एवं देयताएं						
3. इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	289		696.41		696.41
(ख) अन्य इक्विटी	15	289		25450.19		24025.75
कुल इक्विटी				**26146.60**		**24722.16**
4. देयताएं						
4.1 गैर चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) पट्टा देयताएं	16	290	168.18		162.39	
(ii) व्यापार देय	17	290				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि						
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि			1343.44		2170.79	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	292	410.96	1922.58	422.79	2755.97

समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

31, मार्च 2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृष्ठ	31 मार्च 2026 की स्थिति		31 मार्च 2025 की स्थिति	
(ख) प्रावधान	19	292		2354.62		2585.56
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	20	292		13459.63		9793.90
कुल गैर चालू देयताएं				**17736.83**		**15135.43**
4.2. चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) उधार	21	293	7950.00		8795.00	
(iक) पट्टा देयताएं	16	290	68.77		57.21	
(ii) व्यापार देय	17	290				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि			1932.11		1430.24	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि			8559.49		8110.68	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	292	1313.30	19823.67	1240.52	19633.65
(ख) प्रावधान	19	292		1918.91		1815.31
(ग) अन्य चालू देयताएं	20	292		10559.60		6776.63
कुल चालू देयताएं				**32302.18**		**28225.59**
कुल देयताएं				**50039.01**		**43361.02**
कुल इक्विटी एवं देयताएं				**76185.61**		**68083.18**

तैयारी का आधार, मापन एवं सामग्री लेखांकन नीतियां	**2**	**268**

साथ में दिए गए नोट (1-55) इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या- F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 10048893

(के सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या- 020504

के. एस. दुआ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या- 527610

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 04 मई, 2026

लाभ हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृष्ठ	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय						
परिचालनों से राजस्व	22	294		33782.18		28339.48
अन्य आय	23	294		807.65		465.31
कुल आय				**34589.83**		**28804.79**
व्यय						
खपत किए गए कच्चे माल की लागत				10493.09		8207.65
बाहर से ख़रीदे गए सामान				7402.09		6757.99
सिविल, इरेक्शन और इंजीनियरिंग खर्च				5872.55		4989.22
स्टोर और स्पेयर की खपत				506.55		432.61
तैयार माल, प्रगतिशील कार्य एवं स्क्रेप की माल सूची में परिवर्तन	24	295		(1291.19)		(1542.32)
कर्मचारी लाभ व्यय	25	295		6467.62		5923.42
अन्य व्यय	26	296		1989.28		2329.34
वित्तीय लागत	27	297		756.41		748.33
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	3.1 3.2 4.1	277 279 280		315.87		271.96
कुल व्यय				**32512.27**		**28118.20**
इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर निवेश का लाभ (हानि) पूर्व शेयर का शुध्द लाभ/ (पूर्व) तथा कर				**2077.56**		**686.59**
इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर संयुक्त उद्यम का शुध्द लाभ / (हानि)				61.05		59.01
कर पूर्व लाभ				**2138.61**		745.60
कर व्यय	28	297				
क) वर्तमान कर			3.31		23.16	
ख) आस्थगित कर			535.04	538.35	188.54	211.70
वर्ष के लिए लाभ (क)				**1600.26**		**533.90**
अन्य व्यापक आय	29	298				
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (शुद्ध कर)						
- निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनर्मापन				(0.37)		(163.50)
- इक्विटी प्रणाली का उपयोग कर संयुक्त उद्यम में ओसीआई का शेयर				(0.24)		0.16
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (ख)				**(0.61)**		**(163.34)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (क+ख)				**1599.65**		**370.56**
स्रोतजन्य पर:						
मूल इकाई के इक्विटी धारक				1599.65		370.56
गैर नियंत्रित ब्याज						
कुल				**1599.65**		**370.56**
वर्ष की कुल अन्य व्यापक आय						
स्रोतजन्य पर :						
मूल इकाई के इक्विटी धारक				(0.61)		(163.34)
गैर नियंत्रित ब्याज						
कुल				**(0.61)**		**(163.34)**

लाभ हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट	पृष्ठ	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष का कुल लाभ				
स्रोतजन्य पर :				
मूल इकाई के इक्विटी धारक			1600.26	533.90
अनियंत्रित ब्याज				
कुल			**1600.26**	**533.90**
प्रति इक्विटी शेयर आय	**30**	**298**		
(1) मूल (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 2)			4.60	1.53
(2) मिश्रित (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 2)			4.60	1.53

तैयारी का आधार, मापन एवं सामग्री लेखांकन नीतियां	**2**	**268**

साथ में दिए गए नोट (1-55) इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या- F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 10048893

(के सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या- 020504

के. एस. दुआ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या- 527610

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04 मई, 2026

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

अ. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

₹2 प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी, अभिदान और पूर्ण भुगतान	शेयरों की संख्या		राशि	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्ष की शुरुआत में शेष	**3482063355**	3482063355	**696.41**	696.41
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में शेष	**3482063355**	**3482063355**	**696.41**	**696.41**

ब. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी*	अनियंत्रित ब्याज
	आरक्षित पूंजी	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय			
01 अप्रैल 2025 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30,476.66**	**(5943.29)**	**(580.65)**	**24,025.75**	**-**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के लिए लेखांकन में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30,476.66**	**(5943.29)**	**(580.65)**	**24,025.75**	**-**
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	1,600.26	(0.61)	1,599.65	-
घटाएँ: अंतिम लाभांश [नोट-31]	-	-	-	(174.10)	-	(174.10)	-
घटाएँ: अन्य समायोजन	**-**	**-**	**-**	(1.11)	-	(1.11)	**-**
31 मार्च 2026 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30,476.66**	**(4518.25)**	**(581.26)**	**25,450.19**	**-**

* कुल अन्य इक्विटी मूल कंपनी के मालिकों का प्रतिनिधित्व करती है

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी*	अनियंत्रित ब्याज
	आरक्षित पूँजी	पूंजी मोचन कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय			
01 अप्रैल 2024 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6,390.15)**	**(417.32)**	**23742.24**	**-**
पूर्व अवधि की त्रुटियों के लिए लेखांकन में परिवर्तन						-	-
1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(6,390.15)**	**(417.32)**	**23742.24**	**-**
जोड़ें: वर्ष के लिए कुल व्यापक आय				533.90	(163.34)	370.56	-
घटाएँ: अंतिम लाभांश **[नोट-31]**				(87.05)		(87.05)	-
31 मार्च 2025 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(5,943.29)**	**(580.65)**	**24025.75**	**-**

***** कुल अन्य इक्विटी मूल कंपनी के मालिकों का प्रतिनिधित्व करती है

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या- F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 10048893

(के सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या- 020504

के. एस. दुआ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या- 527610

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04 मई, 2026

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	**2138.61**	**745.60**
समायोजन के लिए:		
प्रावधान एवं बट्टे खाते	(211.00)	(879.13)
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	315.87	271.96
वित्तीय लागत (ब्याज की छूट सहित)	756.41	748.33
ब्याज एवं लाभांश आय	(739.27)	(402.63)
संयुक्त उद्यमों में हानि/ (लाभ) का हिस्सा	(61.05)	(59.01)
अप्राप्त विदेशी मुद्रा हानि/ (लाभ)	(433.47)	(16.97)
सरकारी अनुदान का परिशोधन	(9.66)	(8.99)
अन्य मदों में निवेश और पीपीई की बिक्री पर लाभ तथा निवेश का ह्रास शामिल हैं।	(13.09)	(18.03)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनों से प्राप्त नकद	**1743.34**	**381.13**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
व्यापारिक प्राप्तियां	(538.60)	(1002.80)
अनुबंध संपत्तियां	687.82	(1960.76)
मालसूची	(3401.50)	(2632.53)
ऋण अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां	(197.49)	(1448.04)
उप कुल	**(3449.77)**	**(7044.13)**
व्यापारिक देयताएं	182.25	846.94
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जमा एवं अन्य	7351.17	7927.25
उप कुल	**7533.42**	**8774.19**
शुद्ध नकदी (उपयोग की गई)/ कार्यशील पूंजी से	**4083.65**	**1730.06**
परिचालन से उत्पन्न/ (उपयोग की गई) नकदी	**5826.99**	**2111.18**
आय कर भुगतान	(209.80)	(154.41)
आयकर वापसी	220.19	235.70
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी / (उपयोग की गई)	**5837.38**	**2192.47**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
बैंक जमा का प्रतिदान/परिपक्वता (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक की होने पर)	(3148.14)	(2878.41)
प्राप्त ब्याज	649.38	371.74
निवेश से बिक्री आय	-	5.76
संयुक्त उद्धमों से प्राप्त लाभांश	38.08	38.08
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री	13.01	13.46
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद	(589.04)	(304.37)
संयुक्त उद्यमों में निवेश	(4.87)	-
म्यूचुअल फंड से प्राप्त आय	0.08	-
सरकारी अनुदान (पूंजीगत) की प्राप्ति	6.09	22.25
शुद्ध नकदी (उपयोग की गई) / निवेश गतिविधियों से	**(3035.41)**	**(2731.49)**

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पावधि ऋण से आय	(845.00)	(13.00)
पट्टे की बाध्यता (मूलधन) की कार्यवाही/ (चुकौती)	(59.19)	(48.12)
लीज दायित्व (ब्याज) की कार्यवाही/ (चुकौती)	(17.76)	(7.24)
लाभांश भुगतान	(174.64)	(87.44)
ब्याज भुगतान	(709.14)	(701.01)
निवल नकद (प्रयुक्त) / वित्तपोषण गतिविधियों से (देखें बिंदु 4)	**(1805.73)**	**(856.81)**
घ. नकदी व नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/ (ह्रास)	**996.24**	**(1395.83)**
नकदी व नकदी समकक्ष का प्रारंभिक शेष (अतिरिक्त नकद ऋण को छोड़कर)	**439.21**	**1835.04**
नकदी व नकदी समकक्षों का जमा शेष (नोट 11 देखे)	**1435.45**	**439.21**

(1) इंड एएस-7 नकदी प्रवाह विवरण में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है।

(2) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं भी लागू किए गए हैं, उन्हें फिर से एकत्र/पुनर्गठित किया गया है।

(3) नकद और नकद समतुल्य के अंतिम शेष में ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य की विनिमय भिन्नता हानि शामिल है)

(4) वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन नोट [21 (vi)] एवं नोट [37 बी] पर उपलब्ध है।

(5) वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹48.90 करोड़ रुपये की ब्याज सहित, ₹220.19 करोड़ रुपये की आयकर रिफंड राशि प्राप्त किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या- F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 10048893

(के सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या- 020504

के. एस. दुआ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या- 527610

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04 मई, 2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट [1] कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल या कंपनी") भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049 में है।

यह एक एकीकृत विद्युत संयंत्र उपकरण निर्माता कंपनी है और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल, तेल एवं गैस और रक्षा एवं एयरोस्पेस हेतु व्यापक श्रेणी के उत्पादों एवं सेवाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग एवं सर्विसिंग का कार्य कर रही है।

नोट [2] - सामग्री लेखांकन नीतिया (समेकित वित्तीय विवरण)

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधारः

क) अनुपालन का विवरणः

वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में और उसके संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) माप का आधार

वित्तीय विवरण को चालू स्थिति (going concern) के आधार पर और संग्रहण (accrual) लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक पॉलिसी में अन्यथा उल्लेखित न हो, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (functional currency) है।

घ) लागत अनुमान और निर्धारण का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के अनुरुप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएं लगाने की आवश्यकता होती है, जो लेखांकन नीतियों को लागू करने तथा परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में किए जाने वाले संशोधनों को भविष्यदर्शी (prospective) रूप से मान्यता दी जाती है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार हैं:

i) राजस्व

कंपनी निर्माण ठेकों/अनुबंधों के लिए राजस्व लेखांकन में अपनाए गए लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

ताकि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग परिस्थितियों के दौरान परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया जा सके।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एवं इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

iii) कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

iv) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए हैं।

2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमान संचित मूल्यह्रास और संचित इम्पेयरमेंट हानि के नुकसान, यदि कोई हो तो, पर किया जाता है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के हिस्से को बदलने की लागत और पात्र परिसंपत्तियों पर उधार लेने की लागत शामिल है, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण हिस्सों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उनका अलग से मूल्यह्रास करती है। इसी प्रकार, जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो उसकी लागत को संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में

प्रतिस्थापन के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि मान्यता मानदंड संतुष्ट हैं। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को लाभ या हानि में शामिल किया जाता है।

विभिन्न उपयोगी जीवन वाले महत्वपूर्ण घटकों का अलग से हिसाब लगाया जाता है और उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अनुबंध के तहत विदेश में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को छोड़कर) पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर लगाया जाता है, सिवाय निम्नलिखित मदों के जहां अनुमानित उपयोगी जीवन तकनीकी रूप से मूल्यांकित अनुमानित उपयोगी जीवन पर आधारित है: -

संपत्ति श्रेणी	(वर्षों में)
प्लांट एवं उपकरण	**15-30**
भवन	**5-60**
बिजली अधिष्ठापन एवं उपकरण	**10-30**
इरेकशन उपकरण, कैपिटल टूल्स एवं टैकल	**5**
जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	**30**
सर्वर और नेटवर्क	**5**
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	**25**

मूल्यह्रास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, को संभावित रूप से गणना में लिया जाता है।

प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण जिनकी लागत ₹10,000/- या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य ₹10,000/- रुपए या उससे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है।

निर्माण/परियोजना स्थलों पर: सड़कों, पुल और पुलिया की लागत अनुबंध की अवधि के दौरान पूरी तरह से परिशोधित कर दी जाती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत संस्थापन और अन्य समान सक्षम कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) का अवशिष्ट मूल्य, यदि कोई हो, को बरकरार रखने के बाद अनुबंध की अवधि के दौरान मूल्यह्रास किया जाता है।

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में होता है।

अस्थायी संरचनाओं पर निर्माण के वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यह्रास लगा दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और कोई भी महत्वपूर्ण भाग जिसे शुरु में मान्यता दी गई थी, उसे निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर होने वाला कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों से अलग है। परिसंपत्तियों के वास्तविक उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए, परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

संपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
प्लांट एवं मशीनरी	2-25
बिजली अधिष्ठापन	2-10
फर्नीचर एवं फिक्सर	3-10
कम्प्यूटर्स	2-5
कार्यालय उपकरण	2-10

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक किया जाता है।

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में

मूल्यह्रास सीईआरसी/केईआरसी विनियम 2009 में निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लागत के 90% की सीमा तक किया जाता है और 10% अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

परिसंपत्तियों में वृद्धि पर मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, अर्थात उस तिथि से/तक, जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग (निपटान) के लिए उपलब्ध होती है। ₹5000 तक की लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है, जिसमें उनका उपयोग किया जाता है।

एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर लगाया जाता है।

3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उक्त व्यवस्था पट्टा है अथवा इसमें पट्टा शामिल है।

क. उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि और उनके उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है, जब तक कि यह यथोचित रूप से निश्चित न हो कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगी।

ख. पट्टा देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता पर, पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता की प्रारंभिक गणना, प्रारंभिक पट्टा भुगतान में से प्रोत्साहन, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्तियों को नष्ट करने और हटाने की अनुमानित लागत, यदि कोई हो, शामिल होती है।

पट्टों के अंतर्गत किए गए पट्टा भुगतान को वित्त व्यय और बकाया पट्टा देयता में अंतर के बीच विभाजित किया जाता है। पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि देयता के शेष पर ब्याज की एक स्थिर आवधिक दर उत्पन्न हो सके।

ग. अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

कंपनी अपने अल्पावधि पट्टों (यानी, वे पट्टे जिनकी पट्टा अवधि आरंभ तिथि से 12 महीने या उससे कम है और जिनमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है) पर अल्पावधि पट्टा मान्यता छूट लागू करती है। यह कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे मान्यता छूट को भी लागू करती है जिन्हें कम मूल्य माना जाता है। अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. वित्तीय पट्टे पर दी गई संपत्तियों के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टे की अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को वित्तीय पट्टे की प्राप्य राशि के प्रारंभिक माप में शामिल किया जाता है और पट्टे की अवधि में मान्यता प्राप्त आय की राशि को कम किया जाता है।

ऑपरेटिंग लीज़ से उत्पन्न होने वाली लीज़ आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज़ अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि लीज़ किराए में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरुप हो।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

₹10000 से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति को जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:

सॉफ्टवेयर	3 साल
अन्य	10 साल

वर्ष की शुरुआत में ₹10000 या उससे कम डब्ल्यूडीवी की अमूर्त संपत्ति का पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधियों की समीक्षा की जाती है तथा यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका लेखा-जोखा भविष्य में किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान गतिविधियों पर हुए व्यय को, लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय की गणना विश्वसनीयता से की जाती है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। खर्च की गई पूंजी में सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल हैं जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

अनुसंधान और विकास हेतु अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित उधार लेने की लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

ऐसी परिसंपत्ति जिसे अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में बारह महीने से अधिक समय लगता है, वह उस उद्देश्य के लिए अर्हक परिसंपत्ति है।

अन्य सभी उधार लेने की लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की गई हैं।

6. माल-सूची

इन्वेंटरी की कीमत लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली जाती है। तैयार माल और कार्य प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, खुले उपकरणों, दुकानों और पुर्जों की लागत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

7. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान तब होती है जब वादा की गई सामग्री या सेवाओं के हस्तांतरण द्वारा निष्पादन दायित्व को पूरा किया जाता है।

समय के साथ निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए, राजस्व मान्यता निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर की जाती है। प्रगति को निष्पादन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत में आज तक की वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है, अर्थात इनपुट विधि।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा का नियंत्रण स्थानांतरित करती है और इसलिए निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और समय अवधि में राजस्व को मान्यता देती है यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

(क) ग्राहक एक साथ कंपनी के निष्पादन का लाभ उठाता है या

(ख) ग्राहक परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है क्योंकि यह कंपनी के निष्पादन द्वारा बनाई/बढ़ाई जा रही है या

(ग) परिसंपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है और कंपनी के पास कानूनी मिसालों पर विचार करते हुए भुगतान का स्पष्ट या निहित अधिकार है,

अन्य सभी मामलों में, निष्पादन दायित्व को किसी विशिष्ट समय बिंदु पर संतुष्ट माना जाता है।

राजस्व को संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक मान्यता दी जाती है। लेनदेन मूल्य वह राशि है जिसके लिए कंपनी को किसी ग्राहक को माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

अन्य आय

लाभांश आय को लाभ और हानि के विवरण में उस तिथि को मान्यता दी जाती है जिस दिन कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।

निर्यात प्रोत्साहन/शुल्क वापसी, शुल्क वापसी और बीमा के दावों का लेखा-जोखा उपार्जन आधार (accrual basis)पर किया जाता है।

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कल-पुर्जों की बिक्री

सामान्य गतिविधियों के दौरान गैस टर्बाइन पार्ट्स की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री कर और बिक्री रिटर्न के शुद्ध मूल्य पर प्राप्त या प्राप्त होने वाले विचार के उचित मूल्य पर मापा जाता है। वादा किए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण को ग्राहकों को हस्तांतरित करने पर राजस्व की पहचान उस राशि में की जाती है जो उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में हमें मिलने वाली उम्मीद को दर्शाती है।

इंजीनियरिंग सेवाएँ

निश्चित-मूल्य, निश्चित-समय-सीमा इंजीनियरिंग और आपूर्ति अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, जहाँ निष्पादन दायित्व समय के साथ संतुष्ट हो जाते हैं और जहाँ विचार के मापन या संग्रहणीयता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं होती है, उसे प्रतिशत-पूर्णता पद्धति के अनुसार मान्यता दी जाती है।

मरम्मत सेवाएँ

मरम्मत सेवाओं के मामले में, राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार पहचान किया जाता है। मरम्मत सेवा अनुबंध के तहत आपूर्ति किए गए प्रतिस्थापन भागों की बिक्री को ग्राहक को स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण पर मान्यता दी जाती है और यह बिक्री कर और बिक्री रिटर्न को घटाकर है।

रायचूर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल) के मामले में

ठेकेदारों को दिए गए कार्य अग्रिम पर ब्याज से उत्पन्न होने वाली आय को प्राप्ति/स्वीकृति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

सीईआरसी/केईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार, अधूरी ऊर्जा की बिक्री और अन्य विविध प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व को पूंजी लागत में से घटाकर हिसाब में लिया जाता है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को सीईआरसी/केईआरसी (उत्पादन शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2014 में दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

8. विदेशी मुद्रा अंतरण/ लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को **प्रारंभ** में उस तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है, जिस दिन लेनदेन पहली बार मान्यता के लिए योग्य होता है।

विदेशी मुद्रा वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर- मौद्रिक देनदारियों और गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों को लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर पर परिवर्तित (अदल-बदल) किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

निर्धारित योगदान योजनाएं

कंपनी द्वारा कर्मचारियों हेतु पेंशन एवं फेमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा-काल हेतु लाभ एवं हानि विवरणिका में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्चुअरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपयुक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

एक्चुअरी लाभ और हानि के साथ-साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के शुद्ध) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरूप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर-संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि सबंधी विवरणिका में दर्शाया गया है।

10. प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हरजाने के दावों को, समान लेन-देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

ii) जब कंपनी संबंधित उत्पादों या अनुबंधों पर राजस्व का निर्धारण करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है तो कंपनी वारंटी के लिए अनुमानित लागत प्रदान करती है। प्रावधान पिछले अनुभव/ तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

iii) जब यह संभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अनुमानित नुकसान का तुरंत पता लगाया जाता है।

iv)यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को खर्च करने की जरुरत पड़े।

तथापि, जहां धन के कालिक मूल्य (time value) का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हो, वहां जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएँ

आकस्मिक देयताएँ संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहाँ पिछली घटना से उत्पन्न होने वाला वर्तमान दायित्व है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो (जहाँ कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है)। आकस्मिक देयताएँ प्रबंधन/ स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती हैं। इनकी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

11. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब आश्वासन मिलता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के मामले में, परिसंपत्तियों की लागत सकल मूल्य पर दिखाई जाती है और उस पर अनुदान को आस्थगित आय माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहां परिसंपत्ति और अनुदान का लेखा परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर किया जाता है और उन्हें आस्थगित आय के रूप में माना जाता है। आस्थगित आय को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों पर लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी भरपाई करने का इरादा है।

12. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं।

वर्तमान आय कर

आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर।

वर्तमान कर वर्ष की कर-योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है, जिसका निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित रूप से अधिनियमित कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करके किया जाता है, और इसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर के संबंध में किया गया समायोजन भी सम्मिलित है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है, जो बैलेंस शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शाई जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की दर्शाई गई राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति हो पाएगी।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

13. परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और पट्टा प्राप्य के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित ऋण हानि के बराबर राशि पर किया जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है,यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रुप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर,वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

नकदी उत्पादक इकाइयों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहाँ हानि का कोई संकेत मिलता है। जब कैश जनरेटिंग यूनिट्स का वहन मूल्य उनके वसूल होने योग्य मूल्य से अधिक हो जाता है, तो लाभ और हानि के विवरण में क्षति हानि को मान्यता दी जाती है।

पूर्ववर्ती अवधियों में मान्यता प्राप्त हानि का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि हानि कम हुई है या अब मौजूद नहीं है।

यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो क्षति हानि को उलट दिया जाता है। क्षति हानि को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो, जो मूल्यह्रास या परिशोधन के बाद निर्धारित की जाती, यदि कोई क्षति हानि नहीं पहचानी गई होती।

14. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारण खंड विशेष की परिचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार किया जाता है। जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें "अनावंटित राजस्व/ व्यय/ सम्पत्ति/ देनदारियों के तहत शामिल किया गया है"।

15. गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय साधन

गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय साधनों को निम्नलिखित रुप में वर्गीकृत किया गया है: -

- वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनका मापन निम्नलिखित पर किया जाता है: (क) परिशोधित लागत पर और (ख) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य ("FVTPL") पर ।
- परिशोधित लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियां

प्रारंभ में, सभी वित्तीय साधनों (लिखतों) को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय साधनों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो कैरींग राशि का निर्धारण करने में लेनदेन की लागत शामिल होती है, जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही रोककर रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डि-रेकोग्नाइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में वित्तीय देनदारियों को डि-रेकोग्नाइज किया जाता है।

बाद में गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रुप में किया जाता है:

क. परिशोधित लागत -

"परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखत" का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से परिशोधित लागत पर किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि में दर्शाया जाता है। क्षति से होने वाले नुकसान को लाभ - हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख. एफवीटीपीएल श्रेणी -

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय साधनों को बाद में लाभ और हानि के विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर रखा जाता है। प्रत्यक्ष रुप से जिम्मेदार लेन-देन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रुप में मान्यता दी जाती है।

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्नानुसार परिकलित किया जाता है;

प्रारंभिक मान्यता के बाद, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

16. नकद एवं नकद समतुल्य

नगद और नगद समतुल्य में बैंक में शेष और अपने पास उपलब्ध नकदी शामिल होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा शामिल हैं जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रुप में परिवर्तनीय हैं और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

17. लाभांश

कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के दायित्व को तब मान्यता देती है जब वितरण अधिकृत हो जाता है, और वितरण अब कंपनी के विवेक पर निर्भर नहीं रहता है। भारत में कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब अधिकृत माना जाता है जब इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। इसके समतुल्य राशि को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

18. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और साथ ही सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती।

19. निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ (भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों) हैं जो किराये की आय अर्जित करने और/या पूँजी वृद्धि के लिए धारित की जाती हैं। इनमें वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए धारित संपत्ति शामिल नहीं है, न ही इसमें सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में बिक्री के लिए धारित संपत्ति शामिल है।

इन्हें प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और, जहाँ लागू हो, लेखांकन मानकों के अनुसार उधार लागत शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि क्षति, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है। यद्यपि लागत पर मापा जाता है, निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य एक स्वतंत्र योग्य मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया जाता है। यदि यह संभावना है कि भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और व्यय की लागत को विश्वसनीय रुप से मापा जा सकता है, तो बाद के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। दिन-प्रतिदिन की मरम्मत और रखरखाव को व्यय होने पर व्यय में शामिल कर लिया जाता है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति की श्रेणी के अनुसार किया जाता है जिससे वे संबंधित हैं और परिसंपत्ति का जीवनकाल पीपीई नीति के अनुरूप उसी के लिए निर्धारित किया जाएगा।

संपत्तियों का निवेश संपत्ति में या उससे स्थानांतरण केवल तभी किया जाता है जब उपयोग में स्पष्ट परिवर्तन हो, जिसका समर्थन साक्ष्यों से हो। निवेश संपत्ति और स्वामी-कब्जे वाली संपत्ति के बीच स्थानांतरण से स्थानांतरित संपत्ति की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वे मापन या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उस संपत्ति की लागत में भी परिवर्तन नहीं करते हैं। किसी निवेश संपत्ति की मान्यता निपटान के समय या जब उसे उपयोग से स्थायी रूप से हटा लिया जाता है, तब रद्द कर दी जाती है और उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। मान्यता रद्द करने से होने वाले किसी भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और अग्रणीत राशि के बीच का अंतर) को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

नोट [3क] – गैर चालू परिसंपत्तियां
संपत्ति, प्लांट और उपस्कर

संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) पर लेखा नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 2 को देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
सकल ब्लॉक	7661.74	7404.47
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	4728.46	4542.01
निवल खंड (ब्लॉक) (विवरण हेतु नोट 3.1 देखें)	**2933.28**	**2862.46**

निवल ब्लॉक में 'राइट-ऑफ-यूज़' (RoU) परिसंपत्तियों के संबंध में ₹300.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹304.56 करोड़) शामिल हैं।

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना था, और तदनुसार 31.03.2015 को वहन मूल्य को इंडएएस संक्रमण तिथि पर अनुमानित लागत माना गया था।

टिप्पणी [3ख] - गैर चालू परिसंपत्तियां
प्रगति पर पूंजीकृत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
प्लांट एवं मशीनरी और अन्य उपकरण :				
इरेक्शनअधीन/ फैब्रिकेशन/ इरेक्शन की प्रतीक्षा में	226.79		87.16	
ट्रांजिट में	3.98	230.77	24.59	111.75
प्रगति पर निर्माण कार्य - सिविल		166.58		45.37
निर्माण भंडार (ट्रांजिट सहित)		1.85		4.58
कुल		**399.20**		**161.70**

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2026 तक	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	347.22	39.32	0.57	0.58	387.69
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	11.51	11.51

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल बजट की तुलना में अधिक हो गई है) – 31 मार्च, 2026 तक	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चालू परियोजनाएं					
₹10 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 6)	-	-	-	0.39	0.39
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं					
इक्विपमेंट फैब्रिकेशन प्लांट - भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
सक्षमीकरण कार्य (इनेबलिंग वर्क) – उप्पुर	-	-	-	2.94	2.94
₹1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 2)	-	-	-	0.83	0.83

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी काल प्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2025 तक	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	145.83	0.98	1.30	1.30	149.42
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	12.28	12.28

(₹ करोड़ में)

सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम (सीडब्ल्यूआईपी जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल बजट की तुलना में अधिक हो गई है) – 31 मार्च, 2025 तक	वर्ष में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
चालू परियोजनाएं					
न्यू बिल्डिंग - नोएडा	0.91	-	-	-	0.91
इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन	1.47	-	-	-	1.47
₹10 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 12)	1.10	-	-	0.37	1.47
अस्थायी रुप से स्थगित परियोजनाएं					
उपस्कर फैब्रिकेशन प्लांट - भंडारा	-	-	-	7.74	7.74
सक्षमकारी कार्य (इनेबलिंग वर्क) – उप्पुर	-	-	-	2.94	2.94
₹1 करोड़ से कम की अन्य परियोजनाएं (कुल संख्या - 5)	-	-	-	1.60	1.60

टिप्पणी [3ग] - गैर चालू परिसंपत्तियां निवेश संपत्ति

निवेश संपत्ति पर निवेश संपत्ति पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 19 को देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
सकल ब्लॉक	1.32	1.17
घटाएं: संचित मूल्यह्रास	0.80	0.72
निवल ब्लॉक (विवरण हेतु नोट 3.2 देखें)	**0.52**	**0.45**
निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	133.67	111.58

नोट 3.1 - परिसंपत्ति, प्लांट व उपकरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियाँ/ समायोजन	31.03.2026 को अंतिम शेष	01.04.2025 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2026 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2026 को निवल ब्लॉक	31.03.2025 को निवल ब्लॉक
भूमि - फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)*	27.73	0.33	0.00	**28.06**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**28.06**	27.73
भवन - फ्रीहोल्ड भवन *	2130.26	65.30	(14.67)	**2180.89**	799.62	53.35	(13.74)	**839.23**	**1341.66**	1330.64
सड़कें, पुल और पुलिया	18.01	0.52	0.00	**18.53**	15.24	0.36	(0.00)	**15.60**	**2.93**	2.77
जल व मल निकासी और जल-आपूर्ति	44.76	0.05	(0.00)	**44.81**	12.24	1.60	(0.00)	**13.84**	**30.97**	32.52
प्लांट व उपकरण	3568.25	186.68	(4.69)	**3750.24**	2727.36	116.40	(4.71)	**2839.05**	**911.19**	840.89
रेलवे साइडिंग	8.85	0.00	0.00	**8.85**	6.58	0.41	0.00	**6.99**	**1.86**	2.27
लोकोमोटिव और वैगन	28.33	2.04	(0.17)	**30.20**	22.05	1.28	(0.18)	**23.15**	**7.05**	6.28
फर्नीचर और फिक्स्चर	87.59	4.82	(2.13)	**90.28**	57.61	5.78	(1.84)	**61.55**	**28.73**	29.98
वाहन	17.98	3.10	(0.15)	**20.93**	13.34	1.28	(0.15)	**14.47**	**6.46**	4.64
कार्यालय एवं अन्य उपकरण	167.27	13.98	(3.67)	**177.58**	141.71	8.98	(3.59)	**147.10**	**30.48**	25.56
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	195.52	2.31	(20.97)	**176.86**	182.38	4.92	(20.93)	**166.37**	**10.49**	13.14
इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन	347.20	7.91	(1.03)	**354.08**	207.61	12.19	(1.03)	**218.77**	**135.31**	139.58
निर्माण उपकरण	66.85	1.87	(7.73)	**60.99**	65.36	0.63	(7.70)	**58.29**	**2.70**	1.49
₹10,000/- तक की लागत वाली अचल संपत्तियां	27.46	5.11	(2.07)	**30.50**	27.46	5.11	(2.07)	**30.50**	**0.00**	-
सौर ऊर्जा उत्पादन	143.81	0.04	0.00	**143.85**	43.41	5.48	0.00	**48.89**	**94.96**	100.40
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां*	524.59	75.62	(55.13)	**545.08**	220.04	77.14	(52.52)	**244.66**	**300.42**	304.56
कुल	**7404.47**	**369.68**	**(112.41)**	**7661.74**	**4542.01**	**294.91**	**(108.45)**	**4728.46**	**2933.28**	**2862.46**
पिछला वर्ष	6897.02	605.08	(97.66)	**7404.47**	4386.33	251.13	(95.47)	**4542.01**	**2862.46**	**2510.69**

टिप्पणियां:

31.03.2026 तक सकल ब्लॉक (पूर्व आईजीएएपी के अनुसार) ₹14,510.15 करोड़ और 31.03.2025 तक ₹14,411.16 करोड़ था।

31.03.2026 तक सकल ब्लॉक में ₹10.23 करोड़ (गत वर्ष ₹7.24 करोड़) की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग से हटाई जा चुकी परिसंपत्तियां शामिल हैं।

31.03.2026 तक सकल ब्लॉक में सक्रिय उपयोग से हटाए गई और अनुपयोगी घोषित (condemned and retired) की गई ₹0.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.12 करोड़) की परिसम्पत्तियां भी शामिल हैं।

सकल ब्लॉक में अनुसंधान के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों की लागत शामिल नहीं है, क्योंकि ₹265.34 करोड़ (गत वर्ष ₹243.50 करोड़) की इन परिसंपत्तियों का स्वामित्व कंपनी के पास निहित नहीं है।

*निवेश संपत्ति में स्थानांतरण: जारी वर्ष 2025-26 में बिल्डिंग फ्रीहोल्ड सकल ब्लॉक ₹0.15 करोड़ एवं संचित मूल्यह्रास ₹0.06 करोड़, (गत वर्ष 2024-25 में भूमि सकल ब्लॉक से ₹शून्य, बिल्डिंग फ्रीहोल्ड सकल ब्लॉक ₹0.53 करोड़ एवं संचित मूल्यह्रास से ₹0.51 करोड़ तथा भवन आरओयू सकल ब्लॉक ₹0.64 करोड़ एवं संचित मूल्यह्रास ₹0.19 करोड़)।

संयंत्र, परिसंपत्ति और उपकरण (पीपीई) तथा अमूर्त परिसंपत्तियों में होने वाली वृद्धियों/ कटौतियों के संबंध में, कंपनी द्वारा वर्तमान दरों पर यथानुपात मासिक आधार पर मूल्यह्रास / परिशोधन लागू किया जाता है।
वर्ष के दौरान कोई मूल्यह्रास हानि नहीं हुई।

टेबल 3.1(क): बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों में शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियाँ/ समायोजन	31.03.2026 को अंतिम शेष	01.04.2025 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2026 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2026 को निवल ब्लॉक	31.03.2025 को निवल ब्लॉक
भूमि (विकास व्यय सहित)	124.33	16.45	(0.00)	**140.77**	24.82	5.58	0.00	**30.40**	**110.37**	99.51
भवन*	2.02	0.00	0.00	**2.02**	0.55	0.24	0.00	**0.79**	**1.23**	1.47
प्लांट व उपकरण	16.30	8.79	(10.87)	**14.22**	11.20	2.15	(8.13)	**5.22**	**8.99**	5.10
कार्यालय व अन्य उपकरण	7.87	1.08	(2.07)	**6.89**	6.09	0.67	(2.07)	**4.69**	**2.20**	1.78
ईडीपी उपकरण	341.68	45.82	(34.28)	**353.22**	157.72	62.53	(34.64)	**185.61**	**167.61**	183.96
वाहन	6.65	2.21	(0.97)	**7.89**	3.48	1.78	(0.74)	**4.52**	**3.37**	3.17
अन्य	25.74	1.27	(6.94)	**20.07**	16.17	4.19	(6.94)	**13.42**	**6.65**	9.57
कुल	**524.59**	**75.62**	**(55.13)**	**545.08**	**220.03**	**77.14**	**(52.52)**	**244.66**	**300.42**	**304.56**
पिछले वर्ष	391.97	215.22	(82.60)	**524.59**	249.80	51.89	(81.65)	**220.03**	**304.56**	**142.17**

* बिल्डिंग आरओयू से निवेश संपत्ति में स्थानांतरण: जारी वर्ष 2025-26 में ₹शून्य (Nil), (पिछले वर्ष 2024-25 में सकल ब्लॉक ₹0.64 करोड़ और संचित मूल्यह्रास ₹0.19 करोड़)

नोट [3.1]: संपत्ति, प्लांट और उपकरण (PPE) के विवरण का अतिरिक्त प्रकटीकरण

विवरण				31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
1.	**भूमि एवं भवन, जिनमें शामिल हैं:**				
क.	i)	भूमि, जिसके लिए औपचारिक अंतरण/पट्टा विलेख निष्पादित नहीं की गई है:	(एकड़ में)	8504.33	8441.47
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	63.01	63.52
	ii)	फ्लैटों की संख्या, जिनके लिए औपचारिक अंतरण/पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है:	(संख्या में)	12	12
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	0.88	0.92
	iii)	भूमि, जिसके लिए भुगतान की गई लागत अनंतिम है; [पंजीकरण प्रभार और स्टांप शुल्क, (प्रावधानों को छोडकर) जिसकी गणना भुगतान पर की जाएगी।	(एकड़ में)	476.66	480.04
		निवल ब्लॉक	(₹ करोड़ में)	59.02	59.82
ख.	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्यों को पट्टों पर दी गई भूमि		(एकड़ में)	20.47	20.47
ग.	भूमि, जो प्रतिकूल / अनधिकृत कब्जे में है		(एकड़ में)	883.21	886.99

घ. हरिद्वार प्लांट में 1,300.32653 एकड़ (पिछले वर्ष 1,300.32653 एकड़) भूमि का नामांतरण (दाखिल-खारिज) लंबित है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसमें 934 एकड़ (पिछले वर्ष 934 एकड़) भूमि शामिल है जो बीएचईएल के कब्जे में है, लेकिन वर्ष 2004 और 2007 में इसे गलत तरीके से सिडकुल, उत्तराखंड सरकार के नाम पर नामांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, 2.4675 एकड़ (पिछले वर्ष 2.4675 एकड़) भूमि बीएचईएल बनाम नकली राम मामले से संबंधित है, जो न्यायालय में लंबित है।

ङ. इसके अलावा, हरिद्वार प्लांट में, उत्तराखंड सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.12.2003 के तहत 8 एकड़ भूमि आईओसीएल/राज्य सरकार के हस्तांतरण हेतु लंबित है।

(ऊपर उल्लिखित बिंदु (ख) से (ङ) तक की भूमि की लागत प्रत्यक्ष नहीं है।)

विवरण			31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
2.	i)	भूमि का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	16690.71	16690.71
	ii)	2(i) में से फ्री-होल्ड भूमि (विक्रय विलेख) /कब्जा / लाइसेंस अधिकार (एकड़ में)	15987.38	15987.38
	iii)	2(i) में से पट्टा होल्डभूमि (एकड़ में)	703.33	703.33

3. कंपनी प्रत्येक ₹10,000/- तक की लागत/ओपनिंग नेट ब्लॉक वाले पीपीई की वस्तु पर 100% मूल्यहास प्रदान करती है। पिछले वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, पीपीई की किसी वस्तु पर 100% मूल्यहास प्रदान करने का लाभ पर प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
₹10,000/- तक की पीपीई पर 100% मूल्यहास	6.92	6.18
घटाएं: उपर्युक्त पर सामान्य मूल्यहास	(1.56)	(1.38)
वर्ष के लिए मूल्यहास के रुप में प्रभारित अतिरिक्त राशि	5.36	4.79

4. परिसंपत्ति मुद्रीकरण अभियान के तहत, आवश्यक अनुमोदन के अधीन बिक्री के लिए ₹1.42 करोड़ के निवल ब्लॉक मूल्य वाली संपत्ति (i) चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, कोलकाता में दूसरी मंजिल का कार्यालय (ii) इंदोरा आवासीय फ्लैट्स, नागपुर - भूमि और भवन (iii) वडोदरा टाउनशिप - भूमि और भवन की पहचान की गई है।

नोट 3.2 - निवेश संपत्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियाँ/ समायोजन	31.03.2026 को अंतिम शेष	01.04.2025 को संचित मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास / परिशोधन	मूल्यहास समायोजन	31.03.2026 तक संचित मूल्यहास	31.03.2026 को निवल ब्लॉक	31.03.2025 को निवल ब्लॉक
भूमि - फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	0.00
भवन	1.17	0.00	0.15	**1.32**	0.72	0.02	0.06	**0.80**	**0.52**	0.45
कुल	**1.17**	**0.00**	**0.15**	**1.32**	**0.72**	**0.02**	**0.06**	**0.80**	**0.52**	**0.45**
पिछले वर्ष	0.00	(0.00)	1.17	**1.17**	0.00	0.02	0.70	**0.72**	**0.45**	0.00

उपर्युक्त निवेश संपत्ति का उचित मूल्य ₹133.67 करोड़ (पिछले वर्ष ₹111.58 करोड़) है।
31.03.2026 को सकल ब्लॉक (पूर्व आईजीएएपी के अनुसार) ₹3.89 करोड़ और 31.03.2025 को ₹3.72 करोड़ था।

टिप्पणी [4 क] - गैर चालू परिसंपत्तियां
अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 4 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
सकल ब्लॉक	342.80	343.70
घटाएं: संचित परिशोधन	278.07	259.43
निवल ब्लॉक (विवरण के लिए नोट 4.1 देखें)	**64.73**	**84.27**

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के तहत छूट का विकल्प चुना था, और तदनुसार 31.03.2015 को वहन मूल्य को भारतीय लेखा मानक परिवर्तन तिथि पर अनुमानित लागत माना गया।

टिप्पणी 4.1 - अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौतियाँ/ समायोजन	31.03.2026 को अंतिम शेष	01.04.2025 को संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2026 तक संचित मूल्यह्रास	31.03.2026 को निवल ब्लॉक	31.03.2025 को निवल ब्लॉक
आंतरिक स्रोतों द्वारा विकसित										
-अन्य	38.63	0.32	(1.56)	**37.39**	35.87	1.58	(1.56)	**35.89**	**1.50**	2.77
आंतरिक स्रोतों द्वारा विकसित के अलावा अन्य										
- सॉफ़्टवेयर	73.66	1.09	(0.75)	**74.00**	60.43	6.78	(0.74)	**66.48**	**7.52**	13.23
-तकनीकी जानकारी	231.41	0.00	0.00	**231.41**	163.13	12.57	0.00	**175.70**	**55.71**	68.28
कुल	**343.70**	**1.41**	**(2.31)**	**342.80**	**259.43**	**20.93**	**(2.31)**	**278.07**	**64.73**	**84.27**
पिछले वर्ष	339.23	41.74	(37.27)	**343.70**	275.87	20.83	(37.27)	**259.43**	**84.27**	63.35

सकल ब्लॉक (पूर्व आईजीएएपी के अनुसार) 31.03.2026 को ₹592.77 और 31.03.2025 को ₹594.27 ।
वर्ष के दौरान कोई भी मूल्यह्रास हानि नहीं हुई।

नोट [4 ख] - गैर चालू परिसंपत्तियां
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	95.85	33.73
कुल	**95.85**	**33.73**

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति काल प्रभावन - 31 मार्च, 2026 की स्थिति	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएं	63.06	5.75	19.51	7.53	95.85
अस्थाई रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति पूर्णता कार्यक्रम (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है) – 31 मार्च, 2026 की स्थिति	अवधि में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थाई रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति काल प्रभावन - 31 मार्च, 2025 की स्थिति	अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएं	7.69	20.04	3.46	2.54	33.73
अस्थाई रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति पूर्णता कार्यक्रम (जो अतिदेय हैं या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है) –31 मार्च, 2025 की स्थिति	अवधि में पूरा किया जाना है				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएं	-	-	-	-	-
अस्थाई रुप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

नोट [5] - गैर चालू परिसंपत्तियां
निवेश (इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखाबद्ध)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
बीएचईएल जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड		
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	275.57	254.48
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	63.41	59.01
अन्य व्यापक आय	(0.24)	0.16
घटाएँ: लाभांश भुगतान	38.08	38.08
अंतिम निवल परिसंपत्तियाँ	**300.66**	**275.57**
भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड		
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	-	-
वर्ष के दौरान निवेश, जिसमें पिछले वर्ष की हानि शामिल हैं	3.76	0.00
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(2.36)	(0.00)
अन्य व्यापक आय		
घटाएँ: लाभांश भुगतान		
	1.40	**0.00**

(i) आरपीसीएल (संयुक्त उद्यम कंपनी) को घाटा हुआ है, जिसके कारण समूह ने 31 मार्च, 2019 तक निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को मान्यता दी है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए उनके अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार, समूह के पास **₹2,310 करोड़** के घाटे का गैर-मान्यता प्राप्त हिस्सा है।

(ii) एनबीपीपीएल (संयुक्त उद्यम कंपनी) को को घाटा हुआ है, जिसके कारण समूह ने 31 मार्च, 2019 तक निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को मान्यता दी है। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए उनके अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार, समूह के पास ₹134 करोड़ के घाटे का गैर-मान्यता प्राप्त हिस्सा है।

(iii) वर्ष के दौरान कंपनी ने 21 मई, 2024 को निगमित संयुक्त उद्यम भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड ("बीसीजीसीएल") (जिसमें बीएचईएल की हिस्सेदारी शेयर पूंजी का 49% है) में ₹4,87,06,000 का निवेश किया है, जिसे 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित वित्तीय में शामिल किया गया है। समूह ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की ₹1.11 करोड़ की संचित हानियों को और 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के गैर-अंकेक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार ₹2.36 करोड़ के घाटे को मान्यता दी है।

नोट [5 क] - गैर चालू परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां - निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति			31 मार्च, 2025 की स्थिति		
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि		शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि	
I **कोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स**			-			-
II **अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स (पूरी तरह भुगतान किए गए शेयर)**						
पूरी तरह भुगतान किए गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (एफवीटीपीएल पर)						
(i) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	728960 (10)	0.91		728960 (10)	0.91	
जोड़ें/ घटाएँ : हानि के लिए प्रावधान		0.91	0		0.91	0
(ii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	1892 (10)	*		1892 (10)	*	
सहकारी समितियों में हिस्सेदारी			#			#
कुल			**0.00**			**0.00**
*₹1 लाख से कम मूल्य						
अनकोटेड निवेश की कुल राशि			**0.91**			0.91
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि			**0.91**			0.91

विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य ₹1 लाख से कम है।

संयुक्त उद्यमों के बारे में जानकारी

विवरण	देश जहां निगमन हुआ	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
संयुक्त उद्यमों का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लि. (बीजीजीटीएस)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लि. (एनबीपीपीएल)		50%	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)		22.14%	22.14%
भारत कोल गैसीफिकेशन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)		49%	49%

(i) एनटीपीसी- बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. में निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर ₹50.00 करोड़ (पिछले वर्ष तक ₹50.00 करोड़) की सीमा तक किया गया है। बीएचईएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 28 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी 566वीं बैठक में एनबीपीपीएल को बंद करने के लिए बीएचईएल के निदेशक मंडल द्वारा 08.02.2018 को आयोजित अपनी 494वीं बैठक में दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करने की मंजूरी दी और एनबीपीपीएल द्वारा 1×800 मेगावाट एयूएससी तकनीक पर आधारित 'प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र' (टीडीपी) के कार्यान्वयन को शुरु करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

(ii) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) में किए गए निवेश का वित्तीय वर्ष 2022-23 में निपटान (बिक्री) कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 तक ₹26.22 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। टीडीएस (TDS) कटौती के बाद ब्याज सहित ₹5.93 करोड़ की शेष राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त हुई है।

(iii) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने दिनांक 12.03.2025 के कोयला गैसीकरण संयंत्र विकास एवं उत्पादन समझौते के अंतर्गत, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) द्वारा गठित संयुक्त उद्यम कंपनी, भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) द्वारा प्राधिकरण को देय दायित्वों के निर्वहन हेतु भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में ₹1,350 करोड़ के वित्तीय प्रोत्साहन के 49% तक अपनी देनदारियों को सीमित करते हुए ₹662 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है।

टिप्पणी [6] - वित्तीय परिसंपत्तियां - व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 13 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
असुरक्षित, शोध्य	2648.70	7426.05	3351.23	6566.49
साख का मूल्यह्रास (बी एंड डी ऋणों के लिए भत्तों में शामिल)	7076.69	425.23	8474.83	693.22
	9725.39	**7851.28**	**11826.06**	**7259.71**
घटाएं : अशोध्य एवं और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	7298.46	1055.01	8779.48	1375.36
कुल व्यापार प्राप्य (निवल)	**2426.93**	**6796.27**	**3046.58**	**5884.35**

व्यापार प्राप्य के मूल्यह्रास के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, तथा इसका वर्गीकरण इंड एएस 109 के अनुरुप किया गया है।

व्यापार प्राप्यो में शामिल हैं :				
(क) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट (i) : व्यापार प्राप्य में ग्राहक एसटीपीजी (पूर्व में एनईसी सूडान) से ₹196 करोड़ (चालू वर्ष में 2.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्राप्ति के बाद, 23 मिलियन अमरीकी डॉलर) [पिछले वर्ष ₹211 करोड़ (25.5 मिलियन अमरीकी डॉलर)] की अतिदेय राशि शामिल है, जो सूडान में जारी संकट के कारण रुकी हुई थी । इस राशि को शोध्य माना गया है और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि इस राशि के लिए प्रावधान किया जाता, तो 'कर-पूर्व लाभ' पर ₹179 करोड़ (शुद्ध ईसीएल प्रावधान) का प्रभाव पड़ता।

गैर वर्तमान व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2026 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1- 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य	136.91	226.40	227.67	166.28	422.59	-	-	1179.85
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	106.26	31.50	2.27	102.99	1225.83	-	-	1468.85
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	13.03	33.07	167.15	266.58	6596.86	-	-	7076.69

चालू व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची - 31 मार्च, 2026 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1- 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य	5103.48	1145.56	435.86	260.23	480.93	-	-	7,426.05
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	10.83	5.84	22.32	24.20	362.03	-	-	425.23

गैर चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1- 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य	67.22	22.35	272.28	233.90	756.66	-	-	1,352.41
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	6.89	16.56	81.34	8.93	1885.10	-	-	1,998.82
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	121.06	120.92	159.70	147.46	7925.69	-	-	8,474.83

चालू व्यापार प्राप्य कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					बिल नहीं किया गया बकाया	भुगतान के लिए अभी तक देय नहीं है	कुल
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1- 2 वर्ष	2- 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – शोध्य	4827.68	577.21	753.85	225.97	181.78	-	-	6,566.49
II) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-
III) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य	-	-	-	-	-	-	-	-
IV) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	5.60	1.11	4.25	1.96	680.30	-	-	693.22

नोट [7] - वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 13 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
सुरक्षा जमा				
राज्य विद्युत बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के पास जमा				
असुरक्षित, शोध्य	114.35	125.89	101.45	91.91
ऋण बाधित	7.69	12.79	8.02	12.80
	122.04	**138.68**	**109.47**	**104.71**
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	7.69	12.79	8.02	12.80
	114.35	**125.89**	**101.45**	**91.91**
जारी की गई बैंक गारंटी हेतु मार्जिन मनी पर सावधि जमा	**144.43**		**614.50**	
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	**-**	**152.50**		**141.00**
कर्मचारियों को अग्रिम	-	53.75	-	68.29
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	-	0.01	-	0.44
	-	**53.74**	**-**	**67.85**
कुल	**258.78**	**332.13**	**715.95**	**300.76**
प्रतिभूति जमा में शामिल है:				
निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
अधिकारियों से प्राप्य	-	0.02	-	0.01

नोट [8] – गैर चालू परिसंपत्तियां
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध देनदारियां)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 12 देखे।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान	2452.24	2439.70
भुगतान के आधार पर देय राशि की अनुमति	452.64	451.21
कर योग्य हानि पर	696.12	1187.80
अन्य	42.27	62.43
उप – कुल	**3643.27**	**4141.14**
घटाएं: **आस्थगित कर देयताएं :**	-	-
मूल्यह्रास (पीपी एंड ई और अमूर्त परिसंपत्ति)	110.47	73.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध देनदारियां)	**3532.80**	**4067.72**

नोट [9] – अन्य परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 13 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
अनुबंध परिसंपत्तियां (बिना बिल किए गए राजस्व सहित)				
प्रतिभूति रहित, शोध्य	15106.90	16091.13	14483.07	16759.98
साख का मूल्यह्रास (बी एंड डी ऋणों के लिए भत्ते में शामिल)	3342.56	90.39	3633.32	127.58
	18449.46	**16181.52**	**18116.39**	**16887.56**
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	4252.74	988.63	4450.81	1,109.01
उप कुल (क)	**14196.72**	**15192.89**	**13665.58**	**15778.55**
सुरक्षा जमा				
कर प्राधिकरणों एवं अन्य के पास जमा				
प्रतिभूति रहित, शोध्य	102.40	459.88	53.48	410.71
प्रतिभूति रहित, ऋण बाधित	34.75	55.31	35.20	69.89
	137.15	**515.19**	**88.68**	**480.60**
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान	34.75	55.31	35.20	69.89
उप कुल (ख)	**102.40**	**459.88**	**53.48**	**410.71**
ऋण और अग्रिम				
प्रतिभूति रहित, शोध्य				
खरीद के लिए अग्रिम (विक्रेता और उप-ठेकेदार)	245.71	347.71	172.56	92.90
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	1464.15	-	1645.96
वसूली योग्य दावे और अन्य	167.19	1458.11	179.28	1025.61
पूंजी अग्रिम	4.09	-	4.08	-
संयुक्त उद्यमों को अग्रिम	-	0.29	-	1.66
प्रतिभूति रहित, अशोध्य				
क्रय के लिए अग्रिम (विक्रेता और उप-ठेकेदार)	16.23	21.39	16.23	6.34
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	-	6.40	-	6.40
वसूली योग्य दावे और अन्य	462.88	236.40	515.36	205.20
पूंजी अग्रिम	0.57	-	0.58	-
	896.67	**3534.45**	**888.09**	**2984.07**
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध जमा राशियों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	479.68	264.19	532.17	217.94
उप कुल (ग)	**416.99**	**3270.26**	**355.92**	**2766.13**
कुल (क + ख + ग)	**14716.11**	**18923.03**	**14074.98**	**18955.39**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
I) निर्विवाद अनुबंध परिसंपत्तियां – शोध्य	11969.80	16091.13	11423.52	16759.98
II) निर्विवाद अनुबंध परिसंपत्तियां – ऋण बाधित	-	-	-	-
III) विवादित अनुबंध परिसंपत्तियां - शोध्य	3137.10	-	3059.55	-
IV) विवादित अनुबंध परिसंपत्तियां - ऋण बाधित	3342.56	90.39	3633.32	127.58
कुल	**18449.46**	**16181.52**	**18116.39**	**16887.56**
ऋण और अग्रिम में शामिल हैं:				
(क) निदेशकों से प्राप्य	-	-	-	-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य	-	-	-	-

नोट [10] - चालू परिसंपत्तियां

माल सूची (इन्वेंटरी)

माल सूची के मूल्यांकन पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 6 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
कच्चा माल और घटक	5674.57		3726.37	
मार्गस्थ सामग्री	492.87	6167.44	358.87	4085.24
निर्माणाधीन कार्य		6585.21		5369.49
(उप-ठेकेदारों के पास मौजूद सामग्री सहित)				
तैयार माल	524.45		485.92	
मार्गस्थ अंतर-विभागीय स्थानांतरण	99.48	623.93	119.98	605.90
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स				
उत्पादन	219.09		204.17	
ईंधन भंडार	5.27		8.26	
विविध	66.63	290.99	57.22	269.65
अन्य माल सूची (इन्वेंट्री)				
फैब्रिकेटर्स/ठेकेदारों के पास सामग्री	108.62		121.65	
लूज़ टूल्स	43.68		23.88	
स्क्रैप/कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	216.89	369.19	159.45	304.98
		14036.76		**10635.26**
घटाएं : अचल माल सूची के लिए प्रावधान		702.18		765.77
कुल		**13334.58**		**9869.49**

नोट [11] - चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय परिसंपत्तियाँ – नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 16 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
बैंकों में शेष राशि				
ईईएफसी खाता	100.77		112.92	
3 महीने या उससे कम अवधि में परिपक्वता वाली सावधि जमा	-		199.00	
चालू / नकद ऋण खाता*	819.17	919.94	121.79	433.71
हस्तस्थ चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट		515.49		3.55
हस्तस्थ नकदी एवं स्टाम्प		0.02		0.07
मार्गस्थ प्रेषण		-		1.88
कुल		**1435.45**		**439.21**

*इसमें विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए एस्क्रो खाते में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹352.25 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹48.89 करोड़ शामिल हैं।

नोट [12] - चालू परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियाँ - बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम अवधि की परिपक्वता वाली सावधि जमा		9766.20		6618.06
जारी बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी के एवज में सावधि जमा		536.96		431.45
बैंकों में बकाया राशि (निर्धारित):				
सीजी II सीईएफसी खाता एवं अन्य	5.01		5.76	
दावा न किया गया लाभांश खाता	0.81		1.35	
अप्रत्यावर्तनीय खाता	0.24		0.66	
संरचना खाता	0.06		0.14	
बीएचईएल खाते में न्यायालय के पास सावधि जमा	114.38		111.08	
सीएसआर	7.51	128.01	4.70	123.69
कुल		**10431.17**		**7173.20**
कुल नकदी और बैंक बैलेंस [11 + 12]		**11866.62**		**7612.41**

नोट [13] - चालू परिसंपत्तियाँ
चालू कर परिसंपत्तियाँ/ (देयताएं) (शुद्ध)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए [नोट 2] का बिंदु 12 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
अग्रिम कर और टीडीएस	212.49	149.57
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	9.77	12.20
कुल	**202.72**	**137.37**

नोट [14] - इक्विटी
इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ में)	राशि
इक्विटी शेयर पूंजी				
प्राधिकृत	10000000000	2000.00	10000000000	2000.00
	(2)		(2)	
जारी, सब्सक्राइब और पूर्णतः प्रदत्त	3482063355 (2)	696.41	3482063355 (2)	696.41
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान				
वर्ष की शुरुआत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3482063355	696.41	3482063355	696.41
ख) वर्ष के अंत में 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण				
भारत के राष्ट्रपति - प्रमोटर	2025440587	58.17%	2199650402	63.17%
वर्ष के दौरान प्रमोटर होल्डिंग का प्रतिशत परिवर्तन		-5%		Nil
भारतीय जीवन बीमा निगम - एलआईसी	216337871	6.21%	233921477	6.72%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		2.00		2.00

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें / अधिकार :

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका सममूल्य ₹2 प्रति शेयर है (पिछले वर्ष भी ₹2 प्रति शेयर था)। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

नोट [15] - अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
आरक्षित पूंजी	35.18	35.18
आरक्षित पूंजी मोचन	37.87	37.87
सामान्य आरक्षित	30476.66	30476.66
प्रतिधारित आय	(4518.25)	(5943.29)
ओसीआई (परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन)	(581.26)	(580.65)
कुल	**25450.19**	**24025.77**

उपर्युक्त प्रत्येक विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत होने वाली वृद्धियों और कटौतियों के लिए, (इक्विटी में परिवर्तन का विवरण) का संदर्भ लिया जा सकता है।

आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्य:

(क) **आरक्षित पूंजी:** यह मुख्य रूप से ली गई शुद्ध परिसंपत्तियों की अधिकता को दर्शाता है, जो तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के बीएचईएल के साथ विलय के दौरान भुगतान की गई लागत पर आधारित है।

(ख) **आरक्षित पूंजी मोचन:** कंपनी ने अपने सामान्य आरक्षित निधि से इक्विटी शेयरों की खरीद पर पूंजी मोचन आरक्षित निधि को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित निधि में राशि वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र की राशि के बराबर है।

(ग) **सामान्य आरक्षित निधि:** यह भविष्य के (ज्ञात/अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा रखे गए संचित लाभ को दर्शाता है।

(घ) **प्रतिधारित आय:** प्रतिधारित आय वह लाभ है जो कंपनी ने आज तक अर्जित किया है, जिसमें से सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण, लाभांश या शेयरधारकों को किए गए अन्य वितरणों को घटा दिया गया है।

(ङ) **शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन:** योजना संपत्तियों पर ब्याज आय और वास्तव में प्राप्त रिटर्न के बीच का अंतर, तथा एक्चुरियल अनुमानों या योजनाओं के भीतर अनुभव समायोजन में बदलाव के कारण वर्ष के दौरान देयताओं में होने वाले किसी भी बदलाव को 'अन्य व्यापक आय' (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है, और इन्हें बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

टिप्पणी [16] - वित्तीय देयताएं - पट्टा देयताएं

पट्टे पर लेखांकन नीति के लिए कृपया नोट [2] के बिंदु संख्या 3 को देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
पट्टा देयताएं	168.18	68.77	162.39	57.21
कुल	**168.18**	**68.77**	**162.39**	**57.21**

पट्टे के संबंध में विस्तृत विवरण नोट [37] में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी [17] - वित्तीय देयताएं - व्यापार देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
व्यापार देय				
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	1932.11	-	1430.24
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	1343.44	8529.15	2170.79	8075.21
(iii) स्वीकृतियां	-	30.34	-	35.47
कुल	**1343.44**	**10491.60**	**2170.79**	**9540.92**

गैर- चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई के अलावा	-	-	-	-	9.38	1016.91	1026.29
II) विवादित बकाया - अन्य*	-	-	-	14.12	0.09	302.94	317.15

चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2026 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	67.05	-	-	-	236.70	1626.27	1930.02
II) एमएसएमई के अलावा	86.09	0.53		0.52	2254.86	6065.65	8407.65
III) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	2.09	2.09
IV) विवादित बकाया - अन्य*	-	-	-	-	-	151.84	151.84

गैर- चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची - 31 मार्च, 2025 को

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई के अलावा	-	-	-	-	8.32	1829.59	1837.91
II) विवादित बकाया - अन्य*	-	-	-	14.73	0.09	318.06	332.88

चालू व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची - जैसा पर मार्च 31, 2025

(₹ करोड़ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				बिल नहीं हुआ बकाया	अभी तक भुगतान के लिए देय नहीं$	कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक			
I) एमएसएमई	0.06	-	-	-	136.37	1289.82	1426.25
II) एमएसएमई के अलावा	166.63	8.65	2.73	3.21	1763.13	6154.34	8098.69
III) विवादित बकाया - एमएसएमई	-	-	-	-	-	3.99	3.99
IV) विवादित बकाया - अन्य ^	-	-	-	-	7.18	4.81	11.99

$ अभी तक देय नहीं, अनुबंधित रूप से रखी गई राशि को दर्शाता है जिसका निपटारा लक्ष्य प्राप्ति पर किया जाना है।

* बकाया का विवरण अनुबंध में नियत देय तिथि के आधार पर दिया जाता है, लेकिन इनका भुगतान तभी किया जाएगा जब विवाद का समाधान उनके पक्ष में होगा।

नोट [18] - वित्तीय देयताएं - अन्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
ठेकेदारों तथा अन्य से जमा राशि	399.02	844.97	413.11	716.19
देयताएं:				
- कर्मचारियों का बकाया	-	194.72	-	152.41
- पूंजीगत व्यय	11.94	130.94	9.68	131.02
- अन्य	-	129.62	-	212.24
भुगतान नहीं किया गया लाभांश*	-	0.81	-	1.35
उधार पर अर्जित ब्याज	-	12.24	-	27.31
कुल	**410.96**	**1313.30**	**422.79**	**1240.52**

*वर्ष के अंत में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए कोई राशि देय और बकाया नहीं है

नोट [19] - प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 9 और 10 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
अनुबंध संबंधी दायित्व	1149.21	540.84	1349.46	422.32
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान*	1088.26	839.26	1028.48	855.64
अन्य प्रावधान	117.15	531.69	206.09	534.18
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	-	7.12	1.53	3.17
कुल	**2354.62**	**1918.91**	**2585.56**	**1815.31**

*कर्मचारी हितलाभों पर अधिक विवरण प्रकटीकरण नोट [25] में उपलब्ध है।

नोट [20] - अन्य देयताएं

सरकारी अनुदानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 11 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति		31 मार्च, 2025 की स्थिति	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
संविदागत देयताएं (ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम, जिसमें राजस्व से अधिक बिलिंग भी शामिल है)	13413.24	9110.39	9742.94	5550.73
वैधानिक बकाया के प्रति देयताएं	-	1443.06	-	1220.75
आस्थगित आय – सरकारी अनुदान#	46.39	6.15	50.96	5.15
कुल	**13459.63**	**10559.60**	**9793.90**	**6776.63**

#सोलर पीवी संयंत्र की स्थापना, मॉड्यूल विनिर्माण एवं कॉमन इंजीनियरिंग फेसिलिटी सेंटर योजना, न्युक्लियर पंप टेस्ट फेसिलिटी के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है।

नोट [21] - चालू वित्तीय देयताएं - उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
प्रतिभूत		
बैंकों से ऋण (कच्चे माल, घटकों, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल एवं भंडार के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत)	7450.00	8795.00
उप कुल (क)	**7450.00**	**8795.00**
अप्रतिभूत		
बैंकों से	500.00	-
उप कुल (ख)	**500.00**	-
कुल उधारी (क+ख)	**7950.00**	**8795.00**

(i) स्वीकृत सीमाओं का विवरण

विवरण	स्वीकृत सीमा	31 मार्च, 2026 उपयोग की स्थिति		स्वीकृत सीमा	31 मार्च, 2026 उपयोग की स्थिति	
		मूल्य (₹/ करोड़)	% उपयोग		मूल्य (₹/ करोड़)	% उपयोग
गैर फंड आधारित सीमाएं	**70500**	**60508**	**86%**	**70500**	**52371**	**74%**
बैंक गारंटी#	66000	57493	87%	67000	49122	73%
क्रेडिट पत्र (क्रेता क्रेडिट सहित)	4500	3015	67%	3500	3262	93%
फंड आधारित सीमाएं	**9500**	**7450**	**78%**	**9500**	**8795**	**93%**
डब्ल्यूसीडीएल		7450			8795	
पीसीएफसी		NIL			NIL	
वाणिज्य पत्र / अप्रतिभूत ऋण	**5000**	**500**	**10%**	**5000**	**NIL**	

#उपरोक्त में से, ₹19.84 करोड़ की बैंक गारंटी बीसीजीसीएल की ओर से जारी की गई, जो कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है।

₹80,000 करोड़ की कुल कंसोर्टियम सीमा (फंड आधारित + गैर-फंड आधारित) वर्तमान तथा भविष्य दोनों की कच्चे माल, घटकों, प्रगति पर कार्य, निर्मित माल, स्टोर्स, व्यापार प्राप्य एवं अन्य चालू परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित है।

(ii) वाणिज्यिक पत्र अप्रतिभूत अल्पकालिक ऋण की प्रकृति के होते हैं।

(iii) कंपनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(iv) कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों को दाखिल तिमाही रिटर्न या चालू परिसंपत्तियों का विवरण खाता बहियों के अनुरुप है ।

(v) दिनांक 31.03.2026 तक, बकाया स्वयं के दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी ₹52.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹315 करोड़) है ।

(vi) वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न ऋण में परिवर्तन।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
प्रारंभिक शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	8795.00	8808.00
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(845.00)	(13.00)
अंतिम शेष (नकद ऋण को छोड़कर)	**7950.00**	**8795.00**

वित्तपोषण गतिविधियों के कारण पट्टा देयता में परिवर्तन के लिए, नोट संख्या [37](ख) देखें।

बी एच ई एल BHEL

नोट [22]
परिचालनों से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 7 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व		
निर्माण और परियोजना संबंधित गतिविधि से राजस्व	22905.91	18478.11
उत्पाद और अन्य सेवाओं की बिक्री	9453.92	8877.06
कुल (क)	**32359.83**	**27355.17**
अन्य परिचालन आय		
माल ढुलाई और बीमा	149.75	158.18
स्क्रैप बिक्री	317.77	270.51
आपूर्तिकर्ताओं से वसूली	260.28	228.55
दायित्वों की वापसी	507.93	182.94
बीमा दावे	72.80	34.67
निर्यात प्रोत्साहन	5.65	4.07
अन्य	108.17	105.39
कुल (ख)	**1422.35**	**984.31**
परिचालन से राजस्व (क + ख)	**33782.18**	**28339.48**
परिचालन से प्राप्त राजस्व में माल एवं सेवा कर शामिल नहीं है:	6445.33	4551.81

नोट [23] अन्य आय

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भौतिक लेखांकन नीति के लिए नोट [2] का बिंदु 7 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
बैंकों से	642.77	374.63
अन्य	97.16	28.00
उप कुल (क)	**739.93**	**402.63**
अन्य आय		
निवेश की बिक्री पर लाभ	0.08	5.76
कैप्टिव उपयोग/ सीईएफसी के लिए सोलर पीवी संयंत्र पर सरकारी अनुदान	9.66	8.99
पीपीई और पूंजी भंडार की बिक्री से लाभ (शुद्ध)	13.01	13.46
अन्य	44.97	34.47
उप कुल (ख)	**67.72**	**62.68**
कुल अन्य आय (क + ख)	**807.65**	**465.31**

नोट [24]
तैयार माल, कार्य प्रगति पर एवं स्क्रैप की मालसूची में परिवर्तन [(वृद्धि) / कमी]

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
कार्य प्रगति पर				
अंतिम शेष	6585.21		5371.51	
प्रारंभिक शेष	5369.49	**(1215.72)**	3917.74	**(1453.77)**
तैयार माल				
अंतिम शेष	524.45		485.94	
प्रारंभिक शेष	485.92	**(38.53)**	414.31	**(71.63)**
स्क्रैप				
अंतिम शेष	216.89		159.45	
प्रारंभिक शेष	159.45	**(57.44)**	173.33	**13.88**
मार्गस्थ में अंतर-प्रभागीय अंतरण		**20.50**		**(30.80)**
(वृद्धि) / कमी		**(1291.19)**		**(1542.32)**

नोट [25]
कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ पर पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 9 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते और अन्य लाभ	5353.73	5029.68
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	497.65	493.10
कर्मचारी कल्याण व्यय	301.29	292.27
ग्रेच्युटी फंड में योगदान	310.63	103.49
समूह बीमा	4.32	4.88
कुल	**6467.62**	**5923.42**

नोट [26]
अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत व ईंधन		502.54		490.64
अन्य उप- अनुबंधों पर व्यय		322.66		288.10
जावक गाड़ी भाड़ा		337.16		244.24
सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान		175.08		165.57
मरम्मत एवं रखरखाव:				
भवन	88.22		52.70	
प्लांट व मशीनरी	46.50		39.86	
अन्य	138.18	272.90	124.79	217.35
बीमा		204.08		225.69
यात्रा व परिवहन		105.64		106.96
बैंक प्रभार		229.60		157.75
अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय		14.94		11.65
भाड़ा व्यय		67.21		59.70
कोलाबोरेशन एवं रॉयल्टी पर व्यय		57.30		58.35
दर एवं कर		38.82		42.37
कार्यालय व्यय		31.65		30.88
कौशल विकास पर व्यय		21.40		15.67
विधि, लेखापरीक्षा एवं प्रमाणन व्यय		45.19		41.48
ईडीपी, सॉफ़्टवेयर व लीज लाइन व्यय		34.12		25.94
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व		8.60		6.72
जल प्रभार		21.06		20.44
निर्यात से संबंधित व्यय		2.67		1.60
गैर आवासीय किराया		2.94		3.04
मनोरंजन एवं शिष्टाचार पर व्यय		3.31		3.24
पर्यावरण संरक्षण		7.67		6.08
सेमिनार, विकास और प्रशिक्षण व्यय		5.40		4.77
प्रचार एवं जनसंपर्क संबंधी व्यय		3.00		2.29
विविध खर्च		91.30		76.16
मुद्रा विनिमय से परिवर्तन [शुद्ध (लाभ) / हानि]		(440.19)		(135.38)
प्रावधान एवं बट्टे खाते (विवरण, नीचे बिंदु संख्या v पर)		(176.77)		158.04
कुल		**1989.28**		**2329.34**
विस्तृत जानकारी:				
(i) निदेशकों का शुल्क		0.18		0.12
(ii) विभागीय मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय:				
प्लांट एवं मशीनरी		204.01		195.91
भवन		42.10		26.91
अन्य		34.70		31.33
(iii) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय		134.86		128.73
(iv) विदेश यात्राओं पर व्यय				
दौरों की संख्या		203		193
व्यय		3.64		6.81

नोट: भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है, जिन्हें सामूहिक रुप से 'नई श्रम संहिता' कहा जाता है। हालांकि, इन संहिताओं के तहत विस्तृत नियमों को अभी पूरी तरह से अधिसूचित और लागू किया जाना बाकी है। लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, किसी भी वित्तीय प्रभाव को उसी अवधि में मान्यता दी जाएगी जिसमें संबंधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा और वे प्रभावी होंगे।

कंपनी ने 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, 'IndAS 19 - कर्मचारी लाभ' के अनुरुप बीमांकिक मूल्यांकन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, नियत अवधि के कर्मचारियों के संबंध में ग्रेच्युटी के लिए एक प्रावधान बनाया है।

(v) प्रावधान एवं बट्टे खाते:
परिसंपत्तियों के ह्रास और प्रावधान पर भौतिक लेखांकन नीति के लिए नोट[2] के बिंदु 10 एवं 13 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध ऋण, निर्णित हर्जाना और ऋण, अग्रिम और जमा				
वर्ष के दौरान सृजित	2653.33		1880.92	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	5046.18	(2,392.85)	4564.01	(2683.09)
संविदात्मक दायित्व				
वर्ष के दौरान सृजित	353.73		410.04	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	423.05	(69.32)	607.49	(197.45)
अन्य प्रावधान				
वर्ष के दौरान सृजित	218.76		197.81	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकासी	285.02	(66.26)	310.59	(112.78)
बट्टे खाते में डाला गया निवेश		-		1.15
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण		632.77		552.39
हर्जाने और वसूला गया संविदात्मक प्रभार		1535.57		2573.11
बट्टे खाते डाली गई हानि		30.06		24.71
बट्टे खाते में डाली गई वसूली योग्य राशि/दावे		153.26		-
कुल		**(176.77)**		**158.04**

नोट [27] वित्त लागत

उधार लेने की लागत और प्रावधानों पर भौतिक लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 5 और 10 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रावधानों की समाप्ति		43.66		33.70
ब्याज लागत :				
बैंक / वित्तीय संस्थान	557.51		667.46	
वाणिज्यिक पत्र पर छूट	104.01		5.31	
वाणिज्यिक पत्र जारी करने पर अन्य खर्च	0.68		0.07	
पट्टा दायित्व पर	18.68		11.28	
अन्य	31.87	712.75	30.51	714.63
उप-योग		**756.41**		**748.33**
घटाएँ : पूंजीगत उधार लागत		-		-
कुल		**756.41**		**748.33**

नोट [28] कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के नोट [2] के बिंदु 12 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
चालू वर्ष के लिए	3.31		7.69	
पहले के वर्षों के लिए	-	3.31	15.47	23.16
आस्थगित कर				
चालू वर्ष के लिए	536.69		195.69	
पहले के वर्षों के लिए	(1.65)	535.04	(7.15)	188.54
कुल		**538.35**		**211.70**

नोट [29]
अन्य व्यापक आय / (व्यय)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
आय/(व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभों का पुनःपरिकलन	(0.49)	(218.49)
घटाएं : उपरोक्त मदों से संबंधित आयकर*	(0.12)	(54.99)
कुल	**(0.37)**	**(163.50)**
*सम्मिलित है :		
चालू कर	-	-
आस्थगित कर	(0.12)	(54.99)

आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) का आयकर दर से गुणा का पुनर्मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल व्यापक आय / (हानि) (टीसीआई) कर पूर्व (क)	2137.88	527.27
सांविधिक आयकर की दर (ख)	25.168%	25.168%
कर व्यय [ग = (कxख)]	538.06	132.70
के कारण अंतर: (घ)		
कर उद्देश्यों के लिए व्यय कटौती योग्य नहीं है	17.12	30.70
विशेष दर पर कर योग्य आय के कारण कर में अंतर	-	(0.12)
संयुक्त उद्यमों के लाभ / हानि के शेयर पर कर प्रभाव	(15.30)	(14.89)
कर व्यय में परिवर्तन - पिछले वर्षों में	(1.65)	8.32
उप कुल (घ)	**0.17**	**24.01**
शुद्ध कर व्यय [ई = (ग+घ)]	**538.23**	**156.71**

नोट [30]
प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आय पर लेखांकन नीति के लिए नोट [2] के बिंदु 18 देखें।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों को होने वाला लाभ/(हानि)	1,600.26	533.90
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	348.21	348.21
₹2 के प्रति शेयर पर मूल और निश्चित आय	**4.60**	**1.53**

नोट [31]
प्रति शेयर लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश जिसे देनदारियों के रूप में नहीं माना गया है		
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश ₹ 1.40 प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2024- 25 ₹0.50 प्रति शेयर)।	487.49	174.10

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और बैलेंस शीट की तारीख में देयता के रुप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

नोट [32]

खातों के लिए नोट्स

यह समेकित वित्तीय विवरण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी) और संयुक्त उद्यम संस्थाओं में इसके हित से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:-

लेखांकन का आधार

i) समेकन में शामिल संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण क्रमशः मूल कंपनी की समान रिपोर्टिंग तिथि तक के हैं।

ii) समेकित वित्तीय विवरण पर इंड एएस 110 "समेकित वित्तीय विवरण" और इंड एएस -28 "सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश" के अनुसार तैयार किए गए हैं।

समेकन का आधार

1. इक्विटी-विधि से लेखांकित निवेशित संस्थाओं में कंपनी के हित के अंतर्गत संयुक्त उद्यमों में हित शामिल हैं। एक संयुक्त उद्यम ऐसा समझौता है जिसमें कंपनी का संयुक्त नियंत्रण होता है, जिसके तहत कंपनी के पास समझौते की शुद्ध संपत्तियों पर अधिकार होता है, न कि उसकी संपत्तियों पर सीधे अधिकार और उसकी देनदारियों के लिए दायित्व। संयुक्त उद्यम में हितों का लेखांकन इक्विटी विधि का उपयोग करके किया जाता है। इन्हें प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें लेनदेन की लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी के लाभ या हानि का हिस्सा और इक्विटी-विधि से लेखांकित निवेशित संस्थाओं की अन्य व्यापक आय को उस तारीख तक शामिल किया जाता है, जब तक कि महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता।

   जब किसी संयुक्त उद्यम में समूह के नुकसान का हिस्सा उस संयुक्त उद्यम में समूह के कुल हित से अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान में अपने हिस्से को मान्यता देना बंद कर देता है। अतिरिक्त नुकसान को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक समूह ने कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व उठाया है या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया है।

2. समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में एक जैसे लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं और यथासंभव सीमा तक प्रस्तुत किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित निकायों के परिणाम शामिल हैं:-

विवरण	व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्वामित्व का अनुपात	
		2025-26	2024-25
संयुक्त उद्यम कंपनियां			
(इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखाकरण)			
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50% से कम का एक शेयर	50% से कम का एक शेयर
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड		50%	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		22.14%	22.14%
भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड		49%	49%

क) बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लि., एनटीपीसी- बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लि. के संबंध में संयुक्त उद्यमों में हित/हिस्सेदारी को 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना गया है।

ख) बीएचईएल के एक संयुक्त उद्यम, द पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स लिमिटेड को वर्ष के दौरान समाप्त कर दिया गया है।

नोट [33]
आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
क. आकस्मिक देनदारियां		
कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
(क) बिक्री कर के मामले	423.37	894.45
(ख) सेवा कर के मामले	448.08	431.21
(ग) न्यायालय एवं मध्यस्थता के मामले	772.41	825.36
(घ) उत्पाद शुल्क के मामले	78.96	84.53
(ङ) सीमा शुल्क एवं अन्य मामले	991.25	942.71
(च) वस्तु & सेवा कर	65.34	37.47
(छ) अन्य मामले (विवादित स्टाफ मामलों सहित)	157.17	149.99
(ज) परिनिर्धारित हर्ज़ाने (एलडी) के अंतर्गत दावे	3673.27	2942.39
कुल	**6609.85**	**6308.11**

(i) कंपनी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को देखते हुए, संसाधनों के बहिर्वाह का इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है। आम तौर पर, न्यायालय और मध्यस्थता मामलों की आकस्मिक देयताएं निर्णय/न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होता है और आकस्मिक देयता के मामले दर मामले के आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

(ii) संबंधित कार्यवाहियों के लंबित समाधान के कारण, मद (क) से (छ) के संबंध में वास्तविक नकद बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। हालांकि, नकद बहिर्वाह की संभावनाएं आकस्मिक हैं।

(iii) परिनिर्धारित हर्ज़ाना, परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा रोके गए संभावित दावों या राशि को दर्शाता है, जिसका निपटान देरी विश्लेषण के आधार पर परियोजना की कमीशनिंग और ट्रायल ऑपरेशन के बाद किया जाता है और इसका प्रकटीकरण भारतीय लेखा मानक-37 के अनुरुप किया जा रहा है।

(iv) **आकस्मिक देयताओं में बदलाव:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6308.11	7945.21
घटाएं : प्रारंभिक शेष से कटौती	1457.76	2040.18
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध)	1759.50	403.08
वर्ष के अंत में शेष	**6609.85**	**6308.11**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
ख. प्रतिबद्धताएं		
क) अनुबंधों की अनुमानित राशि, शुद्ध अग्रिम, शेष पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	599.59	542.33
(उपरोक्त में अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामले भी शामिल हैं)	122.46	112.77
ख) संयुक्त उद्यम संस्था में किया गया निवेश, जिसके लिए कंपनी के पास निगमन / परियोजना के वाणिज्यिक संचालन / परियोजना की पहली इकाई / पहले ईपीसी अनुबंध के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों तक उनके निपटान पर प्रतिबंध है, जैसा भी मामला हो।	54.87	50.00
ग) भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल - बीएचईएल और सीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी): बीएचईएल के निदेशक मंडल ने 19 मार्च 2026 को आयोजित अपनी बैठक में बीसीजीसीएल के 2000 टीपीडी अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र की स्थापना के लिए प्रमोटर्स इक्विटी में बीएचईएल के योगदान के रूप में ₹3,064.46 करोड़ के निवेश को मंज़ूरी प्रदान की है। बीएचईएल द्वारा बीसीजीसीएल में इक्विटी के रूप में पहले ही ₹487.06 लाख का निवेश किया जा चुका है।	3059.59	1,732.00

घ) व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, चूंकि यह दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध है, इसलिए सामग्री की खरीद आदि के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं भी होंगी, जिन्हें सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया माना गया है।

नोट [34]

कंपनी ने 1 अप्रैल 1999 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से 'अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट' (एएसएससीपी), गुड़गांव को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लिया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक पट्टा समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

नोट [35]

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और उप-ठेकेदारों/फेब्रिकेटर्स के पास पड़े स्टॉक/सामग्री के अंतर्गत दर्शाए गए शेष की पुष्टि, समाधान तथा उसके परिणामस्वरुप होने वाले संभावित समायोजन के अधीन हैं। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है; ग्राहक द्वारा अनुमोदित बिलिंग अनुसूची के अनुरुप अनुबंध के अनुसार ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं और समाधान निरंतर आधार पर किया जाता है तथा जहाँ भी आवश्यक समझा जाता है, प्रावधान किए जाते हैं। ग्राहक के साथ अंतिम समाधान परियोजना (ट्रायल ऑपरेशन और पीजी टेस्ट) के पूर्ण होने पर किया जाता है। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के व्यापार प्राप्य ₹4,162 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,051 करोड़) हैं। पूर्ण हो चुके अनुबंधों में से, जिन परियोजनाओं का ग्राहकों के साथ समाधान हो चुका है, उनके व्यापार प्राप्य ₹3,507 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4,278 करोड़) बकाया हैं।

नोट [36]
संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं

क. इंडएएस – वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरण में निवेश की धारित राशि के साथ समाधान के आधार पर संयुक्त उद्यम की सारांशित वित्तीय सूचना नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यमों के नाम (इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित)	व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्वामित्व का अनुपात		वहन मूल्य (कैरिंग अमाउंट)	
		31 मार्च को		31 मार्च को	
		2026	2025	2026	2025
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)	भारत	एक शेयर 50% से कम	एक शेयर 50% से कम	2.38	2.38
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)		50.00%	50.00%	-	-
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)		22.14%	22.14%	664.04	664.04
भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल)		49.00%	49.00%	4.87	-

(क) बीजीजीटीएस, बीएचईएल और अमेरिका की जीई की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका गठन जीई द्वारा डिजाइन किए गए गैस टर्बाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग का काम करने के लिए किया गया है।

(ख) एनटीपीसी- बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. में निवेश के मूल्य में हानि (मूल्यह्रास) का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर ₹50.00 करोड़ (पिछले वर्ष तक ₹50.00 करोड़) की सीमा तक किया गया है। दिनांक 28 जनवरी 2025 को आयोजित अपनी 566वीं बैठक में, बीएचईएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 08.02.2018 को आयोजित 494वीं बैठक में एनबीपीपीएल को बंद करने के लिए बीएचईएल निदेशक मंडल द्वारा दी गई सैद्धांतिक मंजूरी को रद्द करने की स्वीकृति दी है और एनबीपीपीएल द्वारा 1×800 मेगावाट एयूएससी प्रौद्योगिकी पर आधारित 'प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र' (टीडीपी) के कार्यान्वयन को शुरु करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है।

(ग) रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएचईएल और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे येरामारस, रायचूर, कर्नाटक में 2x800 मेगावाट के सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और इडलापुर, रायचूर, कर्नाटक में बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर 1x800 मेगावाट के सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु गठित किया गया है। येरामारस थर्मल पावर प्लांट की यूनिट I और यूनिट II का सीओडी (व्यावसायिक संचालन तिथि) क्रमशः मार्च 2017 और अप्रैल 2017 में सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) का गठन 21.05.2024 को बीएचईएलऔर सीआईएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किया गया जिसका उद्देश्य बीएचईएल की 'प्रेसराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन (PFBG)' तकनीक का उपयोग करके लखनपुर, ओडिशा में प्रारंभिक रूप से एक 2000 टीपीडी (TPD) अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित करके कोल टू केमिकल्स का व्यवसाय शुरु करना है।

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियों के समूह की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है-:

नीचे दी गई तालिका में समूह की संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय जानकारी का सारांश है, जिनका लेखांकन इक्विटी पद्धति से किया गया है। यहाँ दी गई जानकारी संबंधित संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अनुसार हैं, इसमें समूह के हिस्से को अलग करके नहीं दर्शाया गया है।

बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
गैर-चालू परिसंपत्तियां	236.54	55.22
चालू परिसंपत्तियां	896.15	979.27
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	94.61	184.37
गैर-चालू देयताएं	45.49	9.27
गैर-चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	36.30	1.55
चालू देयताएं	485.88	474.07
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	5.71	5.59

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
परिचालन से राजस्व	1239.60	1052.58
अन्य आय	37.15	30.78
मूल्यह्रास और परिशोधन	9.90	7.97
वित्त लागत	3.07	0.52
आयकर व्यय	42.22	40.95
कर पश्चात वर्ष का लाभ / हानि	126.82	118.02
अन्य व्यापक आय	(0.49)	0.32
कुल व्यापक आय	126.33	118.34

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
गैर-चालू परिसंपत्तियां	8881.05	8647.70
चालू परिसंपत्तियां	2889.91	4060.82
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	12.55	197.16
गैर-चालू देयताएं	16856.55	15929.32
गैर-चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	16856.55	15929.32
चालू देयताएं	5347.33	5397.65
चालू वित्तीय देनदारियां (व्यापार देय को छोड़कर)	4592.88	4830.24

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
परिचालन से राजस्व	3799.70	4424.22
अन्य आय	191.86	204.25
मूल्यह्रास और परिशोधन	695.43	662.31
वित्त लागत	2532.02	2407.36
आयकर व्यय	-	-
कर पश्चात वर्ष का लाभ / हानि	(1814.47)	(1405.03)
कुल व्यापक आय	(1814.47)	(1405.03)

एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड.

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
गैर-चालू परिसंपत्तियां	141.67	162.62
चालू परिसंपत्तियां	390.03	390.18
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	0.67	0.87
गैर-चालू देयताएं	454.98	454.78
चालू देनदारियां	343.99	338.55
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	26.87	22.75

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
परिचालन से राजस्व	1.04	3.48
मूल्यह्रास और परिशोधन	4.56	5.65
वित्त लागत	0.59	0.63
आयकर व्यय	16.39	2.18
कर पश्चात वर्ष का लाभ / हानि	(26.74)	(17.70)
कुल व्यापक आय	(26.74)	(17.23)

भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
गैर-चालू परिसंपत्तियां	8.61	-
चालू परिसंपत्तियां	2.11	0.41
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मिलाकर चालू परिसंपत्तियां	1.14	0.00
गैर-चालू देयताएं	-	-
चालू देयताएं	7.86	2.66
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	3.31	0.81

(₹ करोड़ में)

लाभ और हानि का विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
परिचालन से राजस्व	-	-
मूल्यह्रास और परिशोधन	-	-
वित्त लागत	-	-
आयकर व्यय	(1.54)	-
कर पश्चात वर्ष का लाभ / हानि	(4.81)	(2.26)
कुल व्यापक आय	(4.81)	(2.26)

टिप्पणी [37]
पट्टों पर प्रकटीकरण - भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) 116

पट्टे पर प्रतिबद्धताएं - कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे समझौते भूमि, भवन और ईडीपी उपकरणों के संबंध में हैं। कंपनी ने कंप्यूटर आइटम, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण और बाह्य उपकरणों (पेरिफेरल्स) की पट्टा व्यवस्था के लिए एक दर अनुबंध किया है। पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोग के अधिकार का संपत्ति के रूप में अलग से प्रकटीकरण किया जाता है। पट्टा किराये को ब्याज, रखरखाव और मूलधन के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और रखरखाव शुल्क लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है और मूल राशि को पट्टा देयताओं के साथ समायोजित किया जाता है।

कंपनी ने निम्नलिखित उपलब्ध व्यावहारिक छूटों को लागू किया है:

(i) 12 महीने से कम की पट्टा अवधि वाले पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टा छूट।

(ii) अल्पमूल्य (50,000 से कम मूल्य की परिसंपत्तियां) की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए अल्पमूल्य पट्टा छूट।

क) पट्टा देयताओं का आयु-वार विश्लेषण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य [पीवी]	
	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
अधिकतम 1 वर्ष तक#	78.12	66.81	15.61	14.95	62.51	51.86
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के भीतर	187.80	187.08	22.07	24.86	165.73	162.22
5 वर्ष से अधिक	5.21	3.03	2.76	2.85	2.45	0.18

उन पट्टों के संबंध में, जहां दिनांक 31 मार्च 2026 के अंत तक शेष पट्टा अवधि 12 महीने से कम है, भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि 7.29 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 8.03 करोड़ रुपये) है।

ख) वित्त वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि की स्थिति	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं *	219.60	48.45
जोड़े: परिवर्धन	75.62	215.22
जोड़े: ब्याज की वृद्धि	18.68	11.28
घटाएं: भुगतान/समायोजन	76.95	55.35
31 मार्च की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं *	236.95	219.60

*इसमें ₹6.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.34 करोड़) का अर्जित ब्याज सम्मिलित है।

ग) लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशियाँ :

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय	-	0.55
कम मूल्य की पट्टा संपत्ति से संबंधित व्यय	2.30	0.92
राइट-ऑफ-यूज़ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभार	77.13	51.89
ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	18.68	11.28

घ) कंपनी के पास विभिन्न पट्टा अनुबंध हैं जो अभी तक शुरु नहीं हुए हैं। इन गैर-रद्द करने योग्य पट्टा अनुबंधों के लिए भविष्य के पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि की स्थिति	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
अधिकतम 1 वर्ष तक	6.84	2.25
1 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष के भीतर	12.25	12.03
5 वर्ष से अधिक	2.75	0.75

नोट [38]

'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण - इंड एएस 19

क. कंपनी के पास परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्न योजनाएं हैं :

i) ग्रेच्युटी योजना
ii) सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य योजना
iii) भविष्य निधि योजना
iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा

(i) ग्रेच्युटी (वित्त पोषित योजना)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ उपदान (ग्रेच्युटी) योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने निरंतर पाँच वर्ष या उससे अधिक सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी का हकदार है, अधिकतम सीमा 25 लाख [पिछले वर्ष ₹20 लाख] रुपये है। उपदान (ग्रेच्युटी) देयताएं भविष्य के भुगतानों के लिए होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में देने की आवश्यकता होती है। देयता का आकलन इकाई क्रेडिट बीमांकिक (यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल) विधि का उपयोग करके किया जाता है।

ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ देयताएं		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
प्रारंभिक शेष	**2025.35**	**1921.07**	**1892.98**	**1534.45**	**132.38**	**386.62**
वर्ष के लाभ में सम्मिलित:						
वर्तमान सेवा लागत	102.61	95.16	-	-	102.61	95.16
विगत सेवा लागत	208.02	-	-	-	208.02	-
ब्याज लागत /(आय)	137.52	139.28	(137.52)	(130.95)	-	8.33
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**448.15**	**234.44**	**(137.52)**	**(130.95)**	**310.63**	**103.49**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित:						
पुनर्मापन हानि / (लाभ):	-	-	-	-	-	-
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ):	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	(84.13)	95.31	-	-	(84.13)	95.31
अनुभव समायोजन	(12.64)	(62.11)	(6.84)	11.70	(19.48)	(50.41)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(96.77)**	**33.20**	**(6.84)**	**11.70**	**(103.62)**	**44.90**
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-	339.00	402.63	(339.00)	(402.63)
लाभ का भुगतान	153.80	163.35	153.80	163.35	-	-
अंतिम शेष	**2222.93**	**2025.35**	**2222.54**	**1892.98**	**0.40**	**132.38**

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि*	96.32%	82.44%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड (उद्धृत)	1.61%	1.93%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (उद्धृत)	1.83%	2.30%
बैंक शेष	0.24%	13.33%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

* भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकर्ता है।

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थीं:

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.40%	6.79%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्युदर तालिका	आई ए एल एम का 100% (2012-14)	आई ए एल एम का 100% (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अनुमानों में परिवर्तन के कारण परिभाषित लाभ देयताओं की परिवर्तनशीलता इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)			
	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(109.30)	118.21	(103.29)	112.09
वेतन वृद्धि दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	44.67	(51.26)	32.42	(39.42)

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के रुप में संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तनों के परिणामस्वरुप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से सम्बद्ध हो सकते हैं ।

आगामी वर्षों में उपदान योजना का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
1 वर्ष के भीतर	169.75	150.30
1-2 वर्ष के बीच में	138.73	124.94
2-3 वर्ष के बीच में	126.16	109.47
3-4 वर्ष के बीच में	111.41	100.29
4-5 वर्ष के बीच में	83.86	88.88
5-6 वर्ष के बीच में	79.49	69.68
6 वर्ष से अधिक	1513.54	1381.79
कुल	**2222.93**	**2025.35**

31 मार्च 2027 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान ₹102.47 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 14.05 वर्ष है (31 मार्च 2025: 14.39 वर्ष) है।

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ गतिशील प्रकृति की मान्यताओं पर आधारित होते हैं, और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्युदर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी में सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) की सुविधा है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में कंपनी के चिकित्सा नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा में बाह्य-रोगी के रुप में भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए देयताओं का अनुमान वार्षिक रुप से वास्तविक (एक्युरियल) मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ देयताएं		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
प्रारंभिक शेष	**2497.67**	**2376.14**	**2060.81**	**1903.77**	**436.86**	**472.37**
वर्ष के लाभ में सम्मिलित :						
वर्तमान सेवा लागत	42.49	45.84	-	-	42.49	45.84
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत / (आय)	169.59	172.27	(155.03)	(159.24)	14.56	13.03
वर्ष के लाभ में स्वीकृत कुल राशि	**212.08**	**218.11**	**(155.03)**	**(159.24)**	**57.05**	**58.87**
अन्य विस्तृत आय (OCI) में शामिल:	-	-	-	-	-	-
पुनर्मापन हानि / (लाभ):	-	-	-	-	-	-

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयताओं में संचलन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ देयताएं		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
उत्पन्न बीमांकिक हानि/(लाभ):	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान	(99.29)	106.52	-	-	(99.29)	106.52
अनुभव समायोजन	187.87	38.24	(6.95)	10.86	180.92	49.10
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**88.58**	**144.76**	**(6.95)**	**10.86**	**81.63**	**155.62**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया योगदान	-	-	-	250.00	-	(250.00)
भुगतान किए गए लाभ	284.31	241.34	284.31	241.34	-	-
अंतिम शेष	**2514.02**	**2497.67**	**1938.48**	**2060.81**	**575.54**	**436.86**

कंपनी की नियोजित परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है, इस ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी द्वारा अपने दायित्वों के वित्तपोषण के लिए ली गई बीमा पॉलिसी की शर्तों के तहत किया जाता है।

बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नलिखित थे:.

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
आर्थिक अनुमान :		
छूट की दर	7.40%	6.79%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दरें % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति परिभाषित लाभ देयताओं की संवेदनशीलता निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ			
	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(160.18)	162.90	(148.04)	150.42
लागत में परिवर्तन (0.50% संचलन)	169.10	(158.57)	156.28	(146.42)

मृत्यु दर और निकासी कोई परिवर्तक घटक नहीं है, इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

उपर्युक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग-अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दसूरे से संबद्ध हो सकते हैं।

भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
1 वर्ष से कम	282.25	263.08
1-2 वर्ष के बीच	297.45	286.01
2-3 साल के बीच	302.56	293.75
3-4 वर्ष के बीच	316.82	304.64
4-5 वर्ष के बीच	328.55	318.98
5-6 वर्ष के बीच	337.42	330.81
6 वर्ष से अधिक	648.96	700.40
कुल	**2514.02**	**2497.67**

31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित योगदान 58.79 करोड़ रुपये हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.88 वर्ष (31 मार्च 2025: 12.67 वर्ष) है।

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्युदर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करती है।

(iii) भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देती है, जो इस राशि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। कंपनी का यह दायित्व है कि वह सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर से ब्याज सुनिश्चित करें। तदनुसार, कंपनी ने बीमांकक की रिपोर्ट प्राप्त की है, जहां कहीं भी बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र के अनुसार संभावित ब्याज की कमी के लिए देनदारी उत्पन्न होती है, खातों में उसके लिए प्रावधान कर दिया गया है।

भविष्य निधि ट्रस्ट में ब्याज की कमी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत तक	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित भविष्य निधि (पीएफ) ब्याज देयताओं में अधिकता / (कमी)	(28.26)	(25.88)
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भविष्य निधि (पीएफ) ब्याज देयताओं में कमी के लिए संचित प्रावधान	72.27	44.01
अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से चिन्हित पुनर्मापन लाभ / (हानि)	(24.05)	(16.97)
लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से ब्याज की कमी / (अधिशेष) का लेखा-जोखा	4.21	8.91

कंपनी के विभिन्न स्थानों पर पीएफ ट्रस्ट हैं जो कंपनी के कर्मचारियों को सेवा प्रदान करते हैं और इनका प्रबंधन अलग से किया जाता है, नियोजित परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

स्थान	परिभाषित लाभ दायित्व		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		अधिशेष / (कमी)	
	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर , हरिद्वार	2141.73	1986.34	2153.80	2000.26	12.07	13.92
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - तिरुची	1201.84	1084.17	1190.07	1075.96	(11.77)	(8.21)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - भोपाल	1814.62	1719.01	1795.10	1705.24	(19.52)	(13.77)
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	1595.41	1520.79	1576.81	1514.16	(18.60)	(6.63)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - हैदराबाद	973.66	887.48	990.60	918.33	16.94	30.85
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	1116.43	1,021.78	1094.05	1,006.38	(22.38)	(15.40)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - बेंगलुरु	679.52	679.89	689.83	694.38	10.31	14.49
बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	338.34	321.18	345.82	329.80	7.48	8.62
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, झांसी	522.26	512.75	535.05	526.07	12.79	13.32
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि – विशाखापत्तनम	164.01	160.10	206.17	201.56	42.16	41.46
कुल	**10547.82**	**9893.49**	**10577.30**	**9972.14**	**29.48**	**78.65**

भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	निर्धारित लाभ दायित्व		नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	**9,893.49**	**9,400.20**	**9,972.15**	**9,485.94**
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित :	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	410.19	389.44	-	-
ब्याज लागत / (आय)	796.08	765.59	(804.51)	(784.63)
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1,206.27**	**1,155.03**	**(804.51)**	**(784.63)**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित:	-	-	-	-
पुनर्मापन हानि /(लाभ):	-	-	-	-
निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकिक हानि / (लाभ) :	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-
वित्तीय अनुमान	(2.69)	1.96	-	-
अनुभव समायोजन	28.49	(4.75)	31.79	28.91
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**25.80**	**(2.79)**	**31.79**	**28.91**
अन्य	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान	-	-	410.19	389.44
कर्मचारी अंशदान	746.86	680.29	746.86	680.29
भुगतान किया गया हितलाभ	1,618.85	1719.39	1,618.85	1719.39
निपटान /स्थानांतरण	294.25	380.15	294.25	380.15
अंतिम शेष	**10,547.82**	**9,893.49**	**10,577.32**	**9,972.15**

नोट: वर्ष के दौरान घाटे वाले पीएफ ट्रस्टों के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ एवं हानि विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से लेखांकित की गई है।

उपरोक्त के अलावा, पुनर्प्राप्ति के सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ट्रस्ट निवेश में कमी से संचयी रूप से कुल ₹53.11 करोड़ की कुल वृद्धि भी हुई है।

नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	788.72	879.15
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [उद्धृत]	5113.11	4983.06
कॉर्पोरेट बांड [उद्धृत]	3687.88	3224.07
विशेष जमा [उद्धरण रहित]	330.42	299.98
लिक्विड फंड [उद्धृत]	20.83	6.65
अल्पावधि जमा [उद्धरण रहित]	78.53	111.82
म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर [उद्धृत]	557.82	467.42
कुल	**10577.30**	**9972.14**

बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अवधारणाएं निम्नलिखित थीं।

विवरण	31 मार्च, 2026 की स्थिति	31 मार्च, 2025 की स्थिति
आर्थिक अनुमान:		
छूट दर	7.40%	6.79%
बहीखाते पर अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.25%
निधि पर ब्याज आय में अपेक्षित कमी	0.05%	0.05%
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
मृत्यु दर तालिका	आई ए एल एम का 100% (2012-14)	आई ए एल एम का 100% (2012-14)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

संवेदनशीलता का विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	31 मार्च, 2026 तक		31 मार्च, 2025 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% उतार/चढ़ाव)	(2.11)	2.27	(2.14)	2.25

मृत्यु दर और निकासी कोई परिणाम परिवर्तक घटक नहीं है, इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

आगामी वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
अगले 12 महीनों के भीतर	734.56	705.69
2-5 वर्ष के बीच	1684.07	1796.95
5-10 वर्ष के बीच	1819.85	1547.56
10 वर्षों से अधिक	6309.34	5843.29
कुल	**10547.82**	**9893.49**

जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ अनुमानों (मान्यताओं) पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में, कंपनी को चिकित्सा लागत में वृद्धि, छूट दर, मृत्युदर, विकलांगता और निकासी जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा - (निपटान भत्ता – गैर वित्त पोषित योजना)

निपटान भत्ता (सेटलमेंट अलाउंस) वह व्यय है जो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद स्वयं (अपने परिवार के सदस्यों सहित) अथवा सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, परिजनों को अपने गृह नगर या भारत में किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ वह बसना चाहता/चाहती है, जाने के लिए यात्रा और सामान के परिवहन की प्रतिपूर्ति की जाती है।

निपटान भत्ता देनदारी में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	निपटान भत्ता देयता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
प्रारंभिक शेष	16.99	15.06
वर्तमान सेवा लागत	1.13	1.08
ब्याज लागत / (आय)	1.00	1.09
वर्ष के लाभ में सम्मिलित	2.13	2.17
बीमांकिक हानि / (लाभ)	(1.55)	0.99
वर्ष के लिए टीसीआई में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**0.58**	**3.16**
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	-	-
लाभ का भुगतान	0.86	1.23
अंतिम शेष	**16.71**	**16.99**

बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक अवधारणाएं निम्नलिखित थीं।

विवरण	निपटान भत्ता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
आर्थिक मान्यताएँ:		
छूट की दर	7.40%	6.79%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान :		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	आई ए एल एम का 100% (2012-14)	आई ए एल एम का 100% (2012-14)
निकासी दर का प्रतिशत (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

ख. दीर्घावधि छुट्टी देयताएं (अर्जित छुट्टी –ईएल / अर्धवैतनिक अवकाश-एचपीएल) - (गैर वित्त पोषित योजना)

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति छमाही में 15 दिन (अधिकतम) अर्जित अवकाश और 10 दिन का अर्धवैतनिक अवकाश प्रदान करती है। सेवा के दौरान अर्जित अवकाश का नकदीकरण कुछ शर्तों के अधीन होता है। कंपनी नीतियों व नकदीकरण नियमों के अधीन, सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता आयु पर अर्जित अवकाश और अर्धवैतनिक अवकाश को एक साथ मिलाकर अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश का नकदीकरण किया जा सकता है। छुट्टी देयताओं को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रूप में माना गया है और इसका मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट बीमांकिक पद्धति का उपयोग करके किया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
प्रारंभिक शेष	1,141.16	1,065.02
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलित :	-	-
वर्तमान सेवा लागत	206.09	162.56
ब्याज लागत / (आय)	77.48	77.21
बीमांकिक हानि / (लाभ)	18.05	(33.01)
वर्ष के लाभ के रूप में मान्य कुल राशि	**301.62**	**206.76**
लाभ का भुगतान	232.74	130.62
अंतिम शेष	**1,210.04**	**1,141.16**

बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक धारणाएं निम्नलिखित थे।

विवरण	दीर्घकालिक अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2026 तक	31 मार्च, 2025 तक
आर्थिक मान्यताएँ:		
छूट की दर	7.40%	6.79%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष	प्रथम 4 वर्ष के लिए 6.50% और उसके बाद 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय अनुमान:		
सेवानिवृत्ति की आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012-14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
निकासी दर का प्रतिशत (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष	1%	1%
44 वर्ष से अधिक	1%	1%

ग. पेंशन निधि

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन योजना [परिभाषित अंशदान योजना] के लिए ₹271 करोड़ [पिछले वर्ष ₹266 करोड़] का योगदान किया है।

नोट [39]
इंड एएस-24 के अनुसार प्रकटीकरण - संबंधित पक्ष

क) संबंधित पक्षों की सूची

i)	**संयुक्त उद्यम कंपनियां**	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)
		एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)
		रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)
		भारत कोल गैसिफिकेशन एवं केमिकल लिमिटेड (बीसीजीसीएल)
	रोजगारोत्तर लाभ योजनाएं	भविष्य निधि ट्रस्ट
		ग्रेच्युटी ट्रस्ट
		पीआरएमबी ट्रस्ट
		पेंशन ट्रस्ट
	अन्य	केंद्र सरकार नियंत्रित संस्थाएं

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसकी अधिकांश हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। इसके महत्वपूर्ण लेन-देन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों, रेलवे आदि के साथ हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से भारत सरकार द्वारा ही नियंत्रित हैं। ऐसी संस्थाओं के साथ 'आर्म्स लेंथ प्राइस' पर बाजार संचालित दरों पर आधारित सामान्य लेन-देन है।

ii) अन्य संबंधित पक्ष:

क. प्रमुख प्रबंध कार्मिक [केएमपी]

विवरण	पदनाम	धारित पद [से प्रभावी / तक]
कार्यात्मक निदेशक		
श्री के. सदाशिव मूर्ति	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(01.11.2023 से)
श्री कृष्ण कुमार ठाकुर	निदेशक (मा.सं.)	(19.03.2026 पूर्वाह्न तक)
श्री तजिंदर गुप्ता*	निदेशक (पावर)	(20.09.2023 से)
सुश्री बानी वर्मा	निदेशक (आईएस & पी)	(09.10.2023 से)
श्री राजेश कुमार द्विवेदी	निदेशक (वित्त)	(19.06.2024 से)
श्री एस.एम. रामनाथन	निदेशक (ई,आर & डी)	(30.04.2025 अपराह्न से)
कंपनी सचिव		
डॉ योगेश आर छाबड़ा	कंपनी सचिव	(11.07.2024 से)

*19.03.2026 (पूर्वाह्न) से निदेशक (मानव संसाधन) के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान		
- अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	3.89	3.64
- सेवोपरांत लाभ	0.87	0.78
- अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
- सेवामुक्ति के समय लाभ	-	-
- शेयर आधारित भुगतान	-	-
कुल	**4.76**	**4.42**

ख. सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

नाम		धारित पद [से प्रभावी / तक]
श्री विजय मित्तल	सरकारी निदेशक	(25.03.2022 से)
श्रीमती आरती भटनागर	सरकारी निदेशक	(30.09.2025 तक)
श्री असित गोपाल*	सरकारी निदेशक	(03.02.2026 से)
रमेश पटल्या मावस्कर	स्वतंत्र निदेशक	(08.06.2023 से)
श्री अशोक आसेरी	स्वतंत्र निदेशक	(27.03.2026 तक)
श्री आशीष चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	(27.03.2026 तक)

* सुश्री निगार फातिमा हुसैन, एएस एंड एफए को श्री असित गोपाल, एसएस एंड एफए के स्थान पर दिनांक 27.04.2026 से बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक आधिकारिक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक नियुक्त किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025
बैठक शुल्क - स्वतंत्र निदेशक	0.18	0.12

ख) सेवोपरांत लाभ योजनाएं जिनका प्रबंधन अलग ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है, के साथ लेन-देन

(₹ करोड़ में)

ट्रस्ट का नाम	सेवोपरांत लाभ योजना	नियोक्ता द्वारा अंशदान निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2026	 31 मार्च, 2025
पीआरएमबी ट्रस्ट	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना	-	250.00
ग्रेच्युटी ट्रस्ट	ग्रेच्युटी	339.00	402.63
कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि	पेंशन निधि	331.00	327.59
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर , हरिद्वार	भविष्य निधि	77.18	70.22
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - त्रिची	भविष्य निधि	66.88	63.50
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि भोपाल	भविष्य निधि	63.86	62.65
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	भविष्य निधि	51.70	46.51
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - हैदराबाद	भविष्य निधि	45.12	43.73
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	भविष्य निधि	35.77	33.55
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि - बेंगलुरु	भविष्य निधि	30.54	29.80
बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	भविष्य निधि	17.71	17.51
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, झांसी	भविष्य निधि	14.57	14.44
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि – विशाखापत्तनम	भविष्य निधि	6.86	7.53

ग) संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन का विवरण और शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2026	 31 मार्च, 2025
उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री		
बीजीजीटीएस	363.93	324.31
आरपीसीएल	1.09	5.47
एनबीपीपीएल	0.88	0.11
अन्य आय		
बीजीजीटीएस - लाभांश	38.08	38.08
बीजीजीटीएस - रॉयल्टी	1.98	1.90
बीसीजीसीएल - ब्याज	0.66	-
उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय		
बीजीजीटीएस	2.04	1.49
इक्विटी शेयरों की सदस्यता		
बीसीजीसीएल	4.87	0.00 *
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि		
बीजीजीटीएस	181.02	195.29
आरपीसीएल	615.70	632.82
एनबीपीपीएल	274.97	276.29
बीसीजीसीएल	0.22	0.16
वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि		
बीजीजीटीएस	1.19	0.21
आरपीसीएल	23.89	8.17
एनबीपीपीएल	61.37	38.40
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		
बीजीजीटीएस	13.61	10.71
आरपीसीएल	25.16	20.73
एनबीपीपीएल	254.50	239.35

* प्रत्येक ₹10 के 4900 इक्विटी शेयर

नोट [40]
प्रकटीकरण [प्रावधानों में संचलन] – इंड एएस - 37

(₹ करोड़ में)

क.	परिनिर्धारित हर्जाना	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	प्रारंभिक शेष	**7069.53**	**9166.53**
	जोड़ें: परिवर्धन	471.72	836.65
	घटाएँ: उपयोग/ राइट ऑफ/भुगतान	1354.10	2499.68
	घटाएँ: निकासी/समायोजन	1548.15	433.97
	अंतिम शेष	**4639.00**	**7069.53**

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप परिनिर्धारित हर्जाने का प्रावधान किया गया है और इसे निपटान या अन्य खातों में उपर्युक्त तरीके से समाहित किया जाता है। परिनिर्धारित हर्जाने से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 33 के पैरा क (ज) में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

ख.	संविदात्मक दायित्व	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 को	
	प्रारंभिक शेष				
	नोट [19] में प्रकटीकरण के अनुसार	1771.78		1822.17	
	नोट [6] में प्रकटीकरण के अनुसार	223.85		105.45	
	नोट [9] में प्रकटीकरण के अनुसार	169.54	**2165.17**	397.29	**2324.91**
	जोड़ें: ऋण लागत		43.66		33.70
	जोड़ें: परिवर्धन		428.20		447.70
	घटाएँ: पीवी समायोजन		66.55		36.33
	घटाएँ: उपयोग/ राइट ऑफ/भुगतान		103.37		79.87
	घटाएँ: निकासी/समायोजन		319.70		523.60
	जोड़ें/(घटाएँ): अनुमान और दरों में परिवर्तन		(7.92)		(1.33)
	अंतिम शेष				
	नोट [19] में प्रकटीकरण के अनुसार	1690.05		1771.78	
	नोट [6] में प्रकटीकरण के अनुसार	203.31		223.85	
	नोट [9] में प्रकटीकरण के अनुसार	246.13	**2139.49**	169.54	**2165.17**

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए, भौतिक लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुरुप, रुपए के समय मूल्य के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, संविदात्मक दायित्व का प्रावधान किया गया है। अनुबंध के वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बनाए रखा जाता है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर एक अनुबंध से दूसरे अनुबंध में तथा वर्ष-दर-वर्ष भिन्न हो सकते हैं। पूरी तरह से प्रावधानित परियोजनाओं की बकाया राशि से संबंधित संविदात्मक दायित्व को नोट 6 और 9 में 'डूबत और संदेहास्पद (बी एंड डी) ऋणों के लिए गैर-चालू भत्ते' में दर्शाया गया है।

नोट [41]
प्रकटीकरण-ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व-इंडएएस- 115

क. क्षति प्रावधानों में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025- 26		2024- 25	
	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां	व्यापार प्राप्य	अनुबंध परिसंपत्तियां
प्रारंभिक शेष	**4798.55**	**3602.00**	**5192.66**	**3979.22**
जोड़ें: परिवर्धन	1382.25	659.88	650.00	224.88
घटाएं: बट्टा	694.03	120.21	484.18	92.50
घटाएं: लौटाया /समायोजन किया गया	841.39	258.87	559.92	509.60
अंतिम शेष	**4645.38**	**3882.80**	**4798.55**	**3602.00**

ख. ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का विभाजन

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावर		उद्योग		कुल
	भारत के भीतर	भारत के बाहर	भारत के भीतर	भारत के बाहर	
2025- 26					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	3456.67	103.01	5802.91	91.33	9453.92
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	20556.35	145.89	2093.63	110.04	22905.91
2024- 25					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व प्राप्ति का समय					
(क) एक समय पर (उत्पाद/सेवाएं)	3782.90	64.31	4895.91	133.94	8877.06
(ख) ओवर टाइम (परियोजनाएं)	16138.30	266.87	2068.00	4.94	18478.11

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025- 26		2024- 25	
	पावर	उद्योग	पावर	उद्योग
ग्राहकों से राजस्व				
सीपीएसयू	11357.57	2875.83	9227.07	2776.16
अडानी समूह	6672.58	-	2553.12	-

ग. अनुबंध शेष (प्रावधानों को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
व्यापार प्राप्य	9223.20	8930.93
संविदा परिसंपत्तियां (बिना बिल किए हुए राजस्व सहित)	29389.61	29444.13
अनुबंध देयताएं	22523.63	15293.67

घ. अनुबंध राजस्व प्राप्त किया गया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
अनुबंध देनदारियों पर प्राप्त राजस्व (वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों का समायोजन एवं मूल्यांकन समायोजन)	5161.05	2842.80
पिछले वर्ष पूर्ण किए गए निष्पादन दायित्व के लिए प्राप्त राजस्व (अनुबंध राजस्व में परिवर्तन के कारण प्रभाव)	32.18	594.72

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एक दीर्घचक्रीय व्यवसाय है, जहाँ कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी अनुबंध (अभियांत्रिकी, खरीद और कमीशनिंग) या बीटीजी पैकेज (अर्थात बॉयलर, टर्बाइन और जेनरेटर पैकेज) होते हैं। विद्युत परियोजनाएं लंबी अवधि की परियोजनाएं होती हैं, जिनमें अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि 3 से 5 वर्ष के बीच होती है। बीएचईएल की सेवाओं के दायरे में उपकरणों की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना सम्मिलित है।

यद्यपि समग्र कार्यक्षेत्र में कई घटक हैं, लेकिन ऐसी परियोजनाओं को आम तौर पर एक निष्पादन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि के बाद एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि परियोजना जब पूरी तरह तैयार हो जाती है तभी वह निष्पादन कर सकती है और इसलिए प्रगति के माप (इनपुट लागत विधि) के आधार पर समय-समय पर राजस्व प्राप्त होता है।

नोट [42]
इंडएएस-107 के अनुपालन में प्रकटीकरण [वित्तीय लिखित-लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन]

क. नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, प्रतिभूति जमा और अन्य का उचित मूल्य उनके युक्तिसंगत धारित मूल्य को दर्शाता है। व्यापार प्राप्यों का मूल्यांकन अपेक्षित ऋण हानियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में सम्मिलित किए गए उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रुप से (अर्थात, कीमतों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयताओं के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं है

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां-आवर्ती उचित मूल्य माप	स्तर 3 पदानुक्रम	
	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
वित्तीय परिसंपत्तियां:		
गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों में निवेश	-	-

ख. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकें

अनकोटेड इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जिसमें प्रति शेयर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशित कंपनी के वित्तीय विवरणों से इनपुट शामिल होते हैं।

एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत अनकोटेड इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप का समाधान

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2025 तक	-
उचित मूल्य में परिवर्तन/हानि	-
31 मार्च, 2026 तक	-

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियों के समक्ष कई जोखिम हैं जो इस क्षेत्र में व्यवसाय करने वाली किसी भी कंपनी के समक्ष स्वाभाविक रुप से आती है। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा से कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय जोखिमों को दर करने के लिए समय-समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय लिखत के उपयोग से जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

क. क्रेडिट जोखिम

ख. लिक्विडिटी जोखिम

ग. बाजार ज़ोखिम

यह नोट उपर्युक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में, जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के उद्देश्य, नीतियां एवं प्रक्रियाएं और कंपनी की पूंजी के प्रबंधन के विषय में जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, इन वित्तीय विवरणों में मात्रात्मक प्रकटीकरण सम्मिलित हैं।

जोखिम प्रबंधन संरचना

बीएचईएल में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति लागू है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रुपरेखा प्रदान करती है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों की उचित पहचान, आकलन और उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को अपनाकर प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाना है। कंपनी के पास 3-स्तरीय जोखिम प्रबंधन ढांचा है। पहले स्तर पर, कंपनी के निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देश, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी का संयोजक होने के नाते निदेशक मंडल/बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण इकाई स्तर से शुरु करके उनके संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि जोखिम शमन योजनाएं तैयार की जा सकें तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

क. क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बीएचईएल भारत और विदेशों में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताएं, सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) और निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में सम्मिलित है। परियोजनाओं को आम तौर पर वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर किए जाते हैं। परियोजना की अवधि 3 से 5 साल तक होती है और भुगतान आमतौर पर अग्रिम, प्रगति भुगतान, माइलस्टोन भुगतान (इंटरमीडिएट सहित) भुगतान और इस प्रकार की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन सहित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में प्राप्त किया जाता है। अधिकांश ग्राहकों की प्रोफ़ाइल सरकारी क्षेत्र से संबंधित है और कुल व्यापार प्राप्य का 80% इनसे ही आता है और यह देखते हुए कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रूप से एलसी के माध्यम से है। कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्यों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया है ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राप्य राशि के प्राप्त होने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

(i) क्रेडिट जोखिम की संभावना

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम को दर्शाती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम की अधिकतम संभावना निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
नकद और नकद समकक्ष	1435.45	439.21
अन्य बैंक शेष	10431.17	7173.20
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	590.91	1016.71
वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ते को क्षति हानि सहित आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	9223.20	8930.93

ऋण जोखिम का घनत्व - भौगोलिक	कुल प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
भारत के भीतर	97%	97%
भारत के बाहर	3%	3%
कुल	**100%**	**100%**

व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और प्रतिपक्ष के प्रकार द्वारा अन्य प्राप्य के लिए कंपनी का ऋण जोखिम निम्नानुसार है -

नोट	कुल व्यापार प्राप्य का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
रेलवे और सरकारी विभाग सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	48%	46%
राज्य विद्युत बोर्ड	28%	35%
निजी ग्राहक और अन्य	21%	16%
निर्यात	3%	3%
कुल	**100%**	**100%**

(ii) क्षति हानि

1. वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋण के संबंध में मूल्यह्रास भत्ते (इम्पेयरमेंट अलाउंस) में बदलाव इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
1 अप्रैल को शेष राशि	**20.82**	**16.32**
मान्य क्षति ह्रास/ बट्टे खाते में डाली गई/ निकासी	(0.34)	4.50
31 मार्च को शेष	**20.48**	**20.82**

2. मूल्यह्रास प्रावधानों का पुनर्मिलान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के भत्तों में संचलन निम्नानुसार रहा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
1 अप्रैल को शेष राशि	**8400.55**	**9171.88**
मान्य क्षतिह्रास	2042.13	874.88
बट्टाकृत / आहरित राशि	(1914.50)	(1646.20)
31 मार्च को शेष	**8528.18**	**8400.55**

कंपनी निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुरुप कंपनी की निवेश नीति के अनुसार अधिशेष निधियों से निवेश करती है। नकद और नकद समकक्षों तथा सावधि जमाओं पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि में निवेश करती है।

ख. लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखकर और जब भी देय हो, दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाओं की पर्याप्त राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता के माध्यम से तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को पूरे वर्ष अपनी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक शेष के अलावा, कंपनी को ऋण सुविधाएं भी प्राप्त हैं। कंपनी अपनी सभी फंड आवश्यकताओं को आंतरिक संसाधनों अर्थात परिचालन से उत्पन्न धन और बेहतर ट्रेजरी प्रबंधन परिचालन के लिए अल्पकालिक उधार के माध्यम से अपनी सभी निधि आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देयताएं गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 को	
	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के अंदर	1 वर्ष से अधिक
व्यापार देयताएं	10491.60	1343.44	9540.92	2170.79
ठेकेदारों और अन्य से जमाराशि	844.97	399.02	716.19	413.11
पट्टा देयताएं	68.77	168.18	57.21	162.39
अन्य देय/देयताएं				
कर्मचारी बकाया	194.72	-	152.41	-
अन्य बकाया	142.67	-	240.90	-
पूंजीगत व्यय बकाया	130.94	11.94	131.02	9.68
लघु अवधि की उधारी	7950.00	-	8795.00	-
कुल	**19823.67**	**1922.58**	**19633.65**	**2755.97**

ग. बाजार जोखिम प्रबंधन

कंपनी को अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्रा, कमोडिटी, ब्याज दर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी को प्रमुख कमोडिटी मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला के दावों सहित फ्रेमवर्क समझौते नियमित रुप से दर्ज किए जा रहे हैं। परिचालन से उत्पन्न अधिशेष निधियों को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े आकार के निजी बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा और सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों की ऋण आधारित योजनाओं में निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम की कोई भी संभावना कम हो जाती है ।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर :- रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार है:

(i) दिनांक 31.03.2026 को रुके हुए और बकाया व्युत्पन्न विलेख शून्य (पिछले वर्ष भी शून्य) है

(ii) विदेश मुद्रा एक्सपोजर जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा रुके हुए नहीं हैं, वे निम्नानुसार हैं:

विदेशी मुद्रा- मिलियन में
(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2026 को	31 मार्च, 2025 को
	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	यूरो	समतुल्य भारतीय रुपया	अन्य (रुपए में)	अन्य (रुपए में)
परिसंपत्तियां						
व्यापार प्राप्य	55.30	588.18	59.23	543.50	29.37	41.12
अनुबंध परिसंपत्तियां	192.00	2017.65	221.26	2026.77	131.67	263.20
अन्य परिसंपत्तियां	19.00	186.20	11.74	108.16	80.04	93.77
उप कुल (क)	**266.30**	**2792.03**	**292.23**	**2678.42**	**241.08**	**398.09**
देयताएं						
ग्राहक से अग्रिम	26.50	177.86	28.22	190.35	0.83	1.29
व्यापार देय और अन्य	27.10	296.54	27.69	256.30	181.90	343.61
उप कुल (ख)	**53.60**	**474.40**	**55.91**	**446.65**	**182.73**	**344.89**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	**212.70**	**2317.63**	**236.32**	**2,231.77**	**58.35**	**53.19**

विवरण	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया	अमेरिकी डॉलर	समतुल्य भारतीय रुपया
परिसंपत्तियां				
व्यापार प्राप्य	72.10	655.17	79.27	669.84
अनुबंध परिसंपत्तियां	133.10	1231.62	187.27	1597.17
अन्य परिसंपत्तियां	0.60	4.68	0.87	6.74
उप कुल (क)	**205.80**	**1891.47**	**267.41**	**2273.76**
देयताएं				
ग्राहक से अग्रिम	33.30	219.16	35.69	226.53
व्यापार देय और अन्य	41.20	381.84	76.85	655.22
उप कुल (ख)	**74.50**	**601.00**	**112.55**	**881.75**
परिसंपत्तियां (देयताओं को छोड़कर)	**131.30**	**1290.47**	**154.87**	**1392.01**

उपरोक्त आंकड़े प्रावधानों (यदि कोई हो) को समायोजित करने के बाद शुद्ध रूप में हैं।

संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रुपए के अमरीकी डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं की तुलना में मजबूत/कमजोर होने के प्रभाव को वर्ष के अंत में लाभ या हानि के रूप में नीचे दिखाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव पर आधारित है, जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रूप से संभव माना है। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए उसी आधार पर किया गया है, यद्यपि विदेशी मुद्रा विनिमय दर में बदलाव भिन्न था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को		31 मार्च, 2025 को	
1% के संचलन पर लाभ/(हानि) पर प्रभाव	चढ़ाव/मजबूती	कमजोर/उतार	चढ़ाव/मजबूती	कमजोर/उतार
यूरो	23.18	(23.18)	22.32	(22.32)
अमेरिकी डॉलर	12.90	(12.90)	13.92	(13.92)
अन्य	0.58	(0.58)	0.53	(0.53)

पूंजी प्रबंधन

क्रियाशील इकाई के रूप में पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को सुरक्षित, संरक्षित रखना और इसमें वृद्धि करना है ताकि शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके और पूंजी लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाई रखी जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी निगरानी करते हैं। कंपनी समान्यतः उद्योग द्वारा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर मध्यम कालिक दृष्टिकोण व दीर्घकालीन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पूंजी को मॉनिटर करती है। कंपनी बाह्य पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है जैसा कि उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है ।

नोट [43]
समेकित परिचालन खंड

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए ऑर्डर के आधार पर व्यवसाय क्षेत्रों की पहचान 'पावर' और 'उद्योग' के रूप में की गई है। इन खंडों के कार्यों को तीन व्यावसायिक क्षेत्रों अर्थात पावर सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय परिचालन द्वारा निष्पादित किया जाता है।

पावर सेक्टर में मुख्य रूप से थर्मल, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा संयंत्र व्यवसाय, संबंधित स्पेयर और सेवा व्यवसाय के अतिरिक्त कोयले से रसायन, उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर और गैर-बीएचईएल सेट के लिए स्पेयर के नए व्यवसाय सम्मिलित हैं।

उद्योग क्षेत्र प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति करता है और ईपीसी, परिवहन, ट्रांसमिशन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर, नवीकरणीय ऊर्जा, डाउनस्ट्रीम तेल और गैस, ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईपीसी आधार पर काम करता है।

अंतरराष्ट्रीय प्रचालन समूह द्वारा बुक किए गए ऑर्डर, ऑर्डर के प्रकार के हिसाब से, पावर सेक्टर या उद्योग क्षेत्र को सौंप दिए जाते हैं।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में चिन्हित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	**परिचालन से खंड राजस्व**						
	परिचालन से राजस्व - बाह्य	25406.71	8375.47	33782.18	20937.25	7402.23	28339.48
II.	**खंड परिणाम**						
	क. खंड परिणाम	2451.24	1684.07	4135.31	1216.02	1262.45	2478.47
	ख. गैर आवंटित व्यय (आय को छोड़कर)			1240.29			984.54
	ग. वित्त लागत एवं आयकर से पूर्व लाभ (क)-(ख)			2895.02			1493.93
	घ. वित्त लागत (ब्याज छूट सहित)			756.41			748.33
	ङ. आयकर से पूर्व शुद्ध लाभ (ग)-(घ)			2138.61			745.60
	च. आयकर			538.35			211.70
	छ. आयकर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि (ङ.)-(च)			1600.26			533.90
III	**परिसंपत्तियां और देयताएं**						
	क. खंड परिसंपत्तियां	49208.93	10542.49	59751.42	45455.29	9240.71	54696.00
	ख. सामान्य परिसंपत्तियां			16434.19			13387.18
	ग. कुल परिसंपत्तियां			76185.61			68083.18
	घ. खंड देयताएं	32517.97	7735.31	40253.28	29075.97	7034.26	36110.23
	ङ. सामान्य देयताएं			9785.73			7250.79
	च. कुल देयताएं			50039.01			43361.02
IV	**अन्य सूचनाएं**						
	क. पूंजीगत व्यय	384.95	242.49		335.93	146.46	
	ख. अवमूल्यन और परिशोधन	196.02	72.11		158.06	69.18	
	ग. गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन के अतिरिक्त)	(51.41)	165.90		(73.14)	214.64	

भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
		भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल	भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल
1	परिचालन से राजस्व	33326.20	455.98	33782.18	27863.22	476.26	28339.48
2	गैर- चालू परिसंपत्तियां (पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियां)	3492.61	0.45	3493.06	3141.70	0.46	3142.16
3	पूंजीगत व्यय	670.71	-	670.71	535.30	0.34	535.64

प्रमुख ग्राहक- बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक एकल ग्राहक से प्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		
	पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
सीपीएसयू	11357.57	2875.83	14233.40	9227.07	2776.16	12003.23
अडानी समूह	6672.58	-	6672.58	2553.12	-	2553.12

नोट [44]
अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

समूह में इकाई का नाम	वित्त वर्ष	शुद्ध परिसंपत्तियां, अर्थात सकल परिसंपत्तियां माइनस सकल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		सकल व्यापक आय में हिस्सा	
		समेकित शुद्ध परिणाम % के रूप मे	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप मे	राशि	कुल अन्य व्यापक आय के % के रूप मे	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
बीएचईएल	2025-26	98.84	25844.54	96.18	1539.21	60.66	(0.37)	96.20	1538.84
	2024-25	98.89	24446.59	88.95	474.89	100.10	(163.50)	84.03	311.39
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)									
बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	2025-26	1.15	300.66	3.96	63.41	39.34	(0.24)	3.95	63.17
	2024-25	1.11	275.57	11.05	59.01	(0.10)	0.16	15.97	59.17
एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2025-26	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024-25	-	-	-	-	-	-	-	-
रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2025-26	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024-25	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत कोल गैसीफिकेशन & केमिकल्स लिमिटेड	2025-26	0.01	1.40	(0.15)	(2.36)	-	-	(0.15)	(2.36)
	2024-25	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2025-26	100.00	26146.60	100.00	1600.26	100.00	(0.61)	100.00	1599.65
	2024-25	100.00	24722.16	100.00	533.90	100.00	(163.34)	100.00	370.56

नोट [45] - प्रकटीकरण - निवेश परिसंपत्ति - इंडएएस 40 [नोट 2 के मद 19 में प्रकट भौतिक लेखांकन नीति]

वर्ष के दौरान कंपनी ने भौतिक लेखांकन नीति अपनाई है और निवेश संपत्ति के लेखांकन हेतु भी इसे लागू किया है। संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26	2024-25
(i) आय और व्यय का विवरण:		
किराये से आय	8.98	1.82
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	0.5	0.39
(ii) निवेश संपत्ति का उचित मूल्य		

भोपाल, मुंबई और हैदराबाद में स्थित विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए, दिनांक 31.03.2026 को निवेश परिसंपत्ति का बाजार मूल्य कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा ₹133.67 करोड़ आँका गया है।

कंपनी ने अपनी निवेश परिसंपत्ति पोर्टफोलियो, जिसमें कुछ भूमि और भवन शामिल हैं, पर परिचालन पट्टे पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 31.03.2026 तक परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के बिना रियायती पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

विवरण	2025-26	2024-25
1 वर्ष से कम	9.65	7.11
1 से 2 वर्ष के बीच	9.88	7.13
2 से 3 वर्ष के बीच	10.16	7.25
3 से 4 वर्ष के बीच	7.90	7.56
4 से 5 वर्ष के बीच	1.79	5.14
5 वर्ष से अधिक	1.43	1.85
कुल	40.81	36.04

नोट [46]

परिचालन चक्र के रुप में 12 महीने की अवधि को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर-चालू के बीच वर्गीकृत किया गया है।

नोट [47]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है।

नोट [48]

वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने के लिए कोई चार्ज या सैटिस्फैक्शन नहीं था।

नोट [49]

कंपनी, कंपनी नियम, 2017 (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन कर रही है।

नोट [50]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी योजना/व्यवस्था अनुमोदित नहीं की गई है।

नोट [51]

कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रुप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो।

नोट [52]
कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

नोट [53]
आंकड़ों को दो दशमलव के साथ रुपए करोड़ के निकटतम पूर्णांकित किया गया है।

नोट [54]
जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

नोट [55]
निदेशक मंडल ने 04 मई, 2026 को आयोजित बैठक में वित्तीय विवरण 2025-26 जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से एवं उनके लिए

(योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव
एम संख्या- F 7463

(राजेश कुमार द्विवेदी)
निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 10048893

(के सदाशिव मूर्ति)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09184201

समान तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

के. वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 004610S

(सीए. वी. रामचंद्रन)
भागीदार
एम संख्या- 020504

के. एस. दुआ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन – 017478N

(सीए. स्वर्ण सिंह ढिल्लों)
भागीदार
एम संख्या- 527610

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04 मई, 2026

हितधारकों के लिए अतिरिक्त जानकारी

वित्तीय निष्पादन प्रवृत्ति 329

एकीकृत रिपोर्टिंग........ 332

प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए हमारे उत्पाद एवं सेवाएं और उत्पादों की रुपरेखा........ 343

शब्दावली और संक्षिप्ति........ 354

शब्दावली (वित्तीय पारिभाषिक शब्द)........ 357

वित्तीय निष्पादन प्रवृत्ति

क्र सं	विवरण		2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
	ऑर्डर बुक (करों को छोड़कर)						
	प्राप्त ऑर्डर	₹ करोड़ में	75916	92535	77907	23548	20379
	बकाया ऑर्डर	₹ करोड़ में	239057	196328	131598	91336	90084
अ.	**परिचालन परिणाम**						
I	**कुल आय**						
	राजस्व	₹ करोड़ में	32360	27355	22921	22136	20153
	अन्य परिचालन आय	₹ करोड़ में	1422	984	972	1229	1058
	परिचालन से राजस्व (अ)	₹ करोड़ में	**33782**	**28339**	**23893**	**23365**	**21211**
	अन्य आय (ब)	₹ करोड़ में	**846**	**503**	**588**	**515**	**368**
	कुल (आय= अ+ ब)	₹ करोड़ में	**34629**	**28843**	**24481**	**23880**	**21579**
II	**परिचालन खर्चे**						
	सामग्री उपभोग, खरीदे गए आइटम, सिविल, इरेक्शन और अभियांत्रिकी व्यय	₹ करोड़ में	23768	19955	16894	15954	13997
	स्टोर एवं स्पेयर की खपत	₹ करोड़ में	507	433	350	404	271
	एफ़ज़ी, डब्ल्यूआईपी एवं स्क्रैप की माल सूची में परिवर्तन	₹ करोड़ में	(1291)	(1542)	(437)	(57)	526
	कर्मचारी लाभ व्यय	₹ करोड़ में	6468	5923	5629	5701	5517
	बिजली और ईंधन	₹ करोड़ में	503	491	452	488	415
	विनिर्माण, प्रशासन और S&D के अन्य व्यय	₹ करोड़ में	2104	1816	1534	1466	1355
	विनिमय परिवर्तन (लाभ) / हानि (शुद्ध)	₹ करोड़ में	(440)	(135)	(105)	(460)	(82)
	प्रावधान	₹ करोड़ में	(177)	158	(1037)	(1083)	(1526)
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	₹ करोड़ में	316	272	249	260	314
	वित्तीय लागतें	₹ करोड़ में	756	748	731	521	355
	कुल (II)	₹ करोड़ में	**32512**	**28118**	**24260**	**23194**	**21142**
III	**परिचालन लाभ/(हानि) (अ-II)**	₹ करोड़ में	**1270**	**221**	**(368)**	**171**	**69**
IV	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (I-II)**	₹ करोड़ में	**2116**	**725**	**220**	**686**	**437**
	कर व्यय (शुद्ध)	₹ करोड़ में	**538**	**212**	**(40)**	**61**	**27**
V	**कर पश्चात लाभ / (हानि)**	₹ करोड़ में	**1578**	**513**	**260**	**624**	**410**
	अन्य व्यापक आय	₹ करोड़ में	**(0.37)**	**(164)**	**(82)**	**(17)**	**77**
VI	**कुल व्यापक आय**	₹ करोड़ में	**1578**	**349**	**177**	**607**	**487**
	लाभांश भुगतान	₹ करोड़ में	487	174	87	139	139
	ईबीआईटी	₹ करोड़ में	2873	1473	952	1207	792
	ईबीआईटीडीए	₹ करोड़ में	3189	1745	1201	1468	1106
	नकदी प्रवाह:						
	परिचालन गतिविधियों से	₹ करोड़ में	5837	2192	(3713)	(741)	660
	निवेश गतिविधियों से	₹ करोड़ में	(3035)	(2731)	1331	1480	(1125)
	वित्तीय गतिविधियों से	₹ करोड़ में	(1806)	(857)	2656	89	(330)

क्र सं	विवरण		2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
ब.	**वित्तीय स्थिति (परिसंपत्ति, हिस्सेदारी और देयताएं)**						
VII	**परिसंपत्तियां**						
	संपत्ति, प्लांट व उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	₹ करोड़ में	2998	2947	2574	2476	2398
	संपत्ति में निवेश	₹ करोड़ में	0.52	0.45	-	-	-
	पूँजी डब्लूआईपी और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	₹ करोड़ में	495	195	308	354	431
	गैर वर्तमान निवेश	₹ करोड़ में	677	672	668	670	670
	अन्य गैर वर्तमान संपत्ति	₹ करोड़ में	778	1125	600	492	365
	व्यापार प्राप्तियां (शुद्ध)	₹ करोड़ में	9223	8931	8010	6544	6229
	अनुबंध परिसंपत्तियां (शुद्ध)	₹ करोड़ में	29390	29444	26748	26466	26940
	नकद एवं बैंक शेष	₹ करोड़ में	11867	7612	6157	6698	7154
	इन्वेंटरी	₹ करोड़ में	13335	9869	7221	6756	6560
	अस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	₹ करोड़ में	3533	4068	4201	4247	3530
	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	₹ करोड़ में	4265	3615	2927	2652	2432
	कुल परिसंपत्तियां	₹ करोड़ में	**76560**	**68479**	**59414**	**57354**	**56708**
VIII	**हिस्सेदारी**						
	हिस्सेदारी शेयर पूँजी	₹ करोड़ में	696	696	696	696	696
	अन्य हिस्सेदारी	₹ करोड़ में	25820	24417	24154	24116	26275
	कुल हिस्सेदारी	₹ करोड़ में	**26516**	**25113**	**24851**	**24812**	**26971**
IX	**देयताएं**						
	उधारी	₹ करोड़ में	7950	8795	8808	5385	4745
	व्यापार देयताएं	₹ करोड़ में	11835	11712	10832	11962	9882
	अनुबंध देयताएं	₹ करोड़ में	22524	15294	7133	5635	6048
	अन्य गैर चालू देयताएं	₹ करोड़ में	626	636	471	310	269
	गैर चालू प्रावधान	₹ करोड़ में	2355	2586	2489	4101	3771
	अन्य चालू देयताएं	₹ करोड़ में	2836	2529	2511	2353	1956
	वर्तमान प्रावधान	₹ करोड़ में	1919	1815	2318	2797	3067
	कुल देयताएं	₹ करोड़ में	**50044**	**43366**	**34563**	**32542**	**29737**
X	**कुल हिस्सेदारी एवं देयताएं (VIII+IX)**	₹ करोड़ में	**76560**	**68479**	**59414**	**57354**	**56708**
	इक्विटी शेयर (प्रत्येक का रु 2 अंकित मूल्य)	संख्या	348	348	348	348	348
	वर्ष के अंत में बाजार पूँजीकरण	₹ करोड़ में	85502	75230	86077	24420	17184
	निवल मूल्य	₹ करोड़ में	26516	25113	24851	24812	26971
	निवल मूल्य (ओसीआई और पूँजी आरक्षित को छोड़कर)	₹ करोड़ में	27063	25659	25233	25113	27254
XI	**मानव संसाधन**	संख्या	**27284**	**27800**	**28673**	**29536**	**30758**
	कार्यपालक	संख्या	10726	10375	10256	10187	10280
	गैर- कार्यपालक	संख्या	16558	17425	18417	19349	20478
XII	**वित्तीय निष्पादन अनुपात**						
1	निवल मूल्य पर वापसी	%	5.99	2.02	1.03	2.38	1.52
2	ईबीआईटीडीए मार्जिन	%	9.21	6.05	4.90	6.15	5.12
3	परिचालन लाभ मार्जिन	%	3.76	0.78	(1.54)	0.73	0.33
4	प्रति कर्मचारी राजस्व	₹ लाख में	119	98	80	75	66
5	कर्मचारी लाभ व्यय का प्रति रुपया राजस्व	₹	5.00	4.62	4.07	3.88	3.65

क्र सं	विवरण		2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
XIII	**तुलन पत्र अनुपात**						
1	वर्तमान अनुपात	अनुपात	1.59	1.51	1.37	1.24	1.30
2	चालू वर्ष के शुद्ध बिलिंग का परिसमापन (%)	%	83	81	78	86	86
3	प्राप्य व्यापार (दिनों में)	दिनों में	100	115	122	102	107
4	इनवेंटरी (दिनों में	दिनों में	150	132	115	111	119
5	परिसंपत्ति कारोबार	समय	0.45	0.42	0.41	0.42	0.38
XIV	**प्रति शेयर डेटा**						
1	प्रति शेयर आय	(₹)	4.53	1.47	0.75	1.79	1.18
2	प्रति शेयर नेट वर्थ	(₹)	76.15	72.12	71.37	71.26	77.46
3	वर्ष के अंत में प्रति शेयर बाजार मूल्य (बीएसई)	(₹)	245.55	216.05	247.20	70.13	49.35
4	बाजार मूल्य और बुक मूल्य का अनुपात	अनुपात	3.22	3.00	3.46	0.98	0.64
XV	**परिचालन से खंडवार राजस्व**						
	पावर सेक्टर	₹ करोड़ में	25407	20937	18436	18496	16206
	उद्योग क्षेत्र	₹ करोड़ में	8375	7402	5457	4869	5005
	कुल	₹ करोड़ में	**33782**	**28339**	**23893**	**23365**	**21211**
	खंड शेयर						
	पावर सेक्टर	%	75	74	77	79	76
	उद्योग क्षेत्र	%	25	26	23	21	24

I जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

II () में दिए गए आंकड़े नकारात्मक मान दर्शाते हैं।

III लाभांश भुगतान अंतरिम लाभांश और वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश है।

टिप्पणियाँ:

1 ईबीआईटी = पीबीटी+ वित्तीय लागत

2 ईबीआईटीडीए = ईबीआईटी + मूल्यह्रास और परिशोधन

3 निवल मूल्य पर रिटर्न = (पीएटी/औसत निवल मूल्य, ओसीआई और पूँजी आरक्षित को छोड़कर) *100

4 ईबीआईटीडीए मार्जिन% = ईबीआईटीडीए/कुल आय *100

5 परिचालन लाभ मार्जिन = परिचालन लाभ / परिचालन से राजस्व *100

6 चालू अनुपात = चालू संपत्ति/चालू देनदारियां

7 व्यापार प्राप्य (दिनों की संख्या) = व्यापार प्राप्य * 365 / परिचालन से राजस्व

8 इनवेंटरी (दिनों की संख्या) = इनवेंटरी *365/राजस्व

9 संपत्ति कारोबार = कुल राजस्व/कुल संपति

एकीकृत रिपोर्टिंग

मूल्य सृजन मॉडल

इनपुट

वित्तीय पूंजी

₹76,560 करोड़ कुल परिसंपत्तियां
₹11,867 करोड़ नकदी और निवेश

बौद्धिक पूंजी

18 तकनीकी सहयोग समझौते

इंजीनियरिंग नो-हाउ और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी

13 उत्कृष्टता केंद्र

9,000+ तकनीकी स्नातक

550+ वित्त पेशेवर

मानव पूंजी

27,284 कर्मचारी
1,590 महिला कर्मचारी

प्राकृतिक और विनिर्मित पूंजी

16 विनिर्माण इकाइयां

8 सेवा केंद्र

2 मरम्मत इकाइयां

सामाजिक पूंजी

₹618 करोड़ सीएसआर खर्च

आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ सहयोग

पर्यावरण

थर्मल पावर
वित्त वर्ष 2035-36 तक ~315 GW

अक्षय ऊर्जा
2035 तक 60% गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता

पारेषण और ग्रिड
एनईपी का व्यापक विस्तार मांग को बढ़ा रहा है

परमाणु ऊर्जा
2047 तक 100 GW

ऊर्जा भंडारण
2035-36 तक 100 GW पंप स्टोरेज परियोजनाएं

कोल
2034-35 तक 97 GW की वृद्धि

रक्षा
प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप 2025 - महत्वपूर्ण अवसर

रेल
हाई-हॉर्सपावर लोकोमोटिव और प्रोपल्शन सिस्टम

प्रक्रिया और रणनीति

डिज़ाइन और नवाचार
इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद विकास, रणनीतिक सहयोग

विनिर्माण
खरीद दक्षता , गुणता आश्वासन

सुपुर्दगी
उच्च ईपीसी निष्पादन, तीव्र स्थापना और कमिशनिंग

सहायता
विक्रयोपरांत सेवाएं, नवीकरण और आधुनिकीकरण

सुधार
डिजिटल परिवर्तन, स्थिरता

मूल्य सृजन मॉडल

आउटपुट

वित्तीय

₹33,782 करोड़
परिचालन से राजस्व
+19% वार्षिक वृद्धि

₹3,189 करोड़
ईबीआईटीडीए
+83% वार्षिक वृद्धि

₹1,578 करोड़
कर पश्चात लाभ
3 गुना वृद्धि

₹46,425 करोड़
प्रेषण के एवज में संग्रहण
+41% वार्षिक वृद्धि

बौद्धिक

428 पेटेंट दाखिल किए गए
इन-हाउस उत्पादों से 14% राजस्व

मानव

7,199 को स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण
17,290 को कौशल प्रशिक्षण

विनिर्मित

840,000+ MVA ट्रांसमिशन उपकरण
300+ सबस्टेशन / स्विचयार्ड
850+ लोकोमोटिव
52 SRGMs (नेवल गन)

समाज और संबंध

44,380 पौधे लगाए गए
6.3% ग्रामीण रोजगार हेतु मजदूरी भुगतान

परिणाम

वित्तीय

8.9 GW क्षमता स्थापित की गई लाभदायक और सतत विकास

बौद्धिक

नए विकास क्षेत्रों में विविधता
नवाचार- प्रेरित विकास

मानव

नवाचार, सहयोग और उत्कृष्टता की संस्कृति

प्राकृतिक और विनिर्मित

94 देशों में बीएचईएल की उपस्थिति
214 GW वैश्विक स्तर पर स्थापित
14+ GW भारत से बाहर

विनिर्माण इकाइयों को सम्मान

1 गोल्ड + 8 सिल्वर + 3 ब्रॉन्ज
ग्रीन कंपनी रेटिंग्स

पर्यावरण सम्बन्धी

9.07% कार्बन उत्सर्जन में कमी
43 MWp ऊर्जा संरक्षण

हितधारक

शेयरधारक

सतत विकास
ऋण-मुक्त बैलेंस शीट
दीर्घकालिक मूल्य सृजन

ग्राहक

विश्वसनीय और प्रौद्योगिकीय रुप से उन्नत इंजीनियरिंग समाधान
समय पर निष्पादन

कर्मचारी

सुरक्षित कार्यस्थल
करियर में प्रगति

आपूर्तिकर्ता

दीर्घकालिक सहयोगात्मक साझेदारियां
वेंडर क्षमता विकास

समुदाय

सीएसआर, कौशल विकास
शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच।

पर्यावरण

संसाधन-कुशल विनिर्माण
पर्यावरण अनुकूल इंजीनियरिंग समाधान

राष्ट्र

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना
प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: आत्मनिर्भर भारत

एकीकृत रिपोर्टिंग

सतत मूल्यों का सृजन

बीएचईएल की मूल्य सृजन यात्रा इसके विज़न और मिशन पर आधारित है, जो ऊर्जा, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में विश्वसनीय एवं अभिनव व्यावसायिक समाधान प्रदान करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परियोजना निष्पादन और लाइफ साइकल सेवा क्षमताओं का उपयोग करती है। भारत की औद्योगिक और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर तथा **'आत्मनिर्भर भारत'** की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और **'विकसित भारत @2047'** के विज़न के अनुरुप, कंपनी अपने व्यावसायिक मॉडल के माध्यम से छह पूंजियों को परिवर्तित करती है ताकि अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक स्तर पर ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, व्यावसायिक भागीदारों, समाज और राष्ट्र के लिए सतत मूल्य का सृजन किया जा सके।

बीएचईएल अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, विनिर्माण क्षमताओं, तकनीकी विशेषज्ञता, कुशल कार्यबल, हितधारक संबंधों और जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रबंधन का लाभ उठाकर सतत मूल्यों का सृजन करती है, ताकि ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, रक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विश्वसनीय और अभिनव समाधान प्रदान किए जा सकें।

छ: दशकों से अधिक समय से, कंपनी ने तकनीकी रुप से उन्नत उत्पाद, एकीकृत इंजीनियरिंग समाधान और जीवन-चक्र सेवाएँ प्रदान करके भारत के औद्योगिक और ऊर्जा परिदृश्य को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देने के अपने उद्देश्य से प्रेरित होकर, बीएचईएल ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, समुदायों, व्यावसायिक भागीदारों और राष्ट्र के लिए अपने संसाधनों और क्षमताओं को दीर्घकालिक मूल्य में परिवर्तित करना जारी रखे हुए है।

हमारा एकीकृत मूल्य सृजन दृष्टिकोण जिम्मेदार शासन, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी नवाचार, परिचालन उत्कृष्टता, स्थिरता और प्रभावी हितधारक जुड़ाव पर आधारित है। ये सिद्धांत कंपनी को उभरते व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने, प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने, देश के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन का समर्थन करने और अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घकालिक अवधि में सतत मूल्य प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं।

हमारा मूल्य सृजन मॉडल

बीएचईएल का मूल्य सृजन मॉडल यह प्रदर्शित करता है कि कंपनी अपने एकीकृत व्यावसायिक मॉडल के माध्यम से छ: परस्पर जुड़े हुए पूँजी संसाधनों को किस प्रकार स्थायी परिणामों में बदलती है। छ: पूँजी संसाधन कंपनी की रणनीति को निष्पादित करने के लिए आवश्यक संसाधन और क्षमताएं प्रदान करते हैं, जबकि इसकी इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परियोजना निष्पादन और सेवा क्षमताएं इन संसाधनों को उच्च गुणवत्ता वाले और विश्व स्तरीय उत्पादों, कुल व्यावसायिक समाधानों तथा दीर्घकालिक हितधारक मूल्यों में परिवर्तित करती हैं।

कंपनी का विविध व्यावसायिक पोर्टफोलियो, मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस, संरचित जोखिम प्रबंधन, नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता द्वारा समर्थित है, बीएचईएल को आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय मूल्य का सृजन करते हुए इन पूँजी संसाधनों की गुणवत्ता और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करने में सक्षम बनाता है।

मूल्य सृजन ढांचा

बाहरी वातावरण

बीएचईएल एक निरंतर विकसित होने वाले बाहरी वातावरण में संचालित होता है, जो ऊर्जा संक्रमण (energy transition), बुनियादी ढांचा विस्तार, तकनीकी प्रगति, नीतिगत सुधारों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और बढ़ती स्थिरता अपेक्षाओं द्वारा आकार लेता है। ये विकास कंपनी की रणनीतिक प्राथमिकताओं, निवेश निर्णयों, व्यावसायिक मॉडल और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को प्रभावित करते हैं।

प्रमुख विकास कारक

भारत का उभरता हुआ नीतिगत और बुनियादी ढांचे का परिदृश्य बीएचईएल के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित क्षेत्रीय विकास कारकों द्वारा इंजीनियरिंग, विनिर्माण और परियोजना निष्पादन क्षमताओं के लिए भविष्य की मांग को आकार देंगे, जो कंपनी की रणनीतिक प्राथमिकताओं, छ: पूंजियों के प्रयोग और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को भी प्रभावित करेंगे:

- ***थर्मल पावर:*** भारत की दीर्घकालिक संसाधन पर्याप्तता योजना (LTRAP) वित्त वर्ष 2035-36 तक लगभग 315 GW थर्मल पावर क्षमता का अनुमान लगाती है, जो ऊर्जा संक्रमण के दौरान ग्रिड विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में कुशल थर्मल उत्पादन की निरंतर भूमिका को रेखांकित करती है।

- ***नवीकरणीय ऊर्जा:*** 2031-2035 के लिए देश के प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) में 2035 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित स्रोतों से लगभग 60% संचयी स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने की परिकल्पना की गई है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रो, परमाणु और ग्रिड एकीकरण प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे।

- ***ट्रांसमिशन और ग्रिड आधुनिकीकरण:*** राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) में ट्रांसफार्मर, स्विचयार्ड, सबस्टेशन और अन्य ट्रांसमिशन उपकरणों के बुनियादी ढांचे के पर्याप्त विस्तार की परिकल्पना की गई है। साथ ही, अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी (UHVAC), हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) कॉरिडोर और सिंक्रोनस कंडेनसर (SynCon) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से ग्रिड आधुनिकीकरण के निवेश में तेजी आने की उम्मीद है।

- ***परमाणु ऊर्जा:*** 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 GW करने का सरकार का लक्ष्य है, जिससे परमाणु उपकरण, विनिर्माण और उससे जुड़ी हुई सेवाओं में निरंतर अवसर मिलने की संभावना है।

- ***ऊर्जा भंडारण:*** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के बुनियादी ढांचे की स्थापना का समर्थन करते हुए, 2035–36 तक 100 GW पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) क्षमता का लक्ष्य रखने वाला एक रोडमैप तैयार किया है।

- **संतुलित ऊर्जा मिश्रण:** चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार जारी है, भारत में 2034–35 तक लगभग 97 GW कोयला आधारित उत्पादन क्षमता जोड़ने की भी संभावना है, जो उच्च-दक्षता, कम-उत्सर्जन वाली थर्मल प्रौद्योगिकियों और लचीले उत्पादन समाधानों की आवश्यकता का समर्थन करता है।

- **रक्षा विनिर्माण:** प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR) 2025, सरकार के रक्षा आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर निरंतर जोर देने के साथ, नौसेना प्रणालियों, समुद्री गैस टर्बाइन, तोपखाने प्रणालियों और अन्य उन्नत रक्षा उपकरणों में महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की संभावना है।

- **रेल परिवहन:** भारतीय रेलवे का निरंतर आधुनिकीकरण उच्च-अश्वशक्ति (HP) वाले लोकोमोटिव, ट्रेनसेट, प्रणोदन प्रणालियों, सिग्नलिंग समाधानों, ट्रैक मशीनों और अन्य रेल परिवहन प्रौद्योगिकियों की निरंतर मांग को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

विभिन्न क्षेत्रों के ये विकास कारक, बीएचईएल की विविधिकृत क्षमताओं और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के साथ मिलकर, कंपनी की रणनीति, छ: पूंजियों के डिप्लॉयमेंट और अल्पकालिक, मध्यम अवधि व दीर्घकालिक स्तर पर सतत मूल्य सृजन के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

छ: पूँजियां – मूल्य सृजन की नींव

बीएचईएल का व्यावसायिक मॉडल छ: परस्पर जुड़ी हुई पूंजियों पर आधारित है जो सामूहिक रूप से रणनीति को निष्पादित करने और सतत मूल्य बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों, क्षमताओं, रिश्तों और पर्यावरणीय संपत्तियों को प्रदान करती हैं। इन पूंजियों को उत्तरदायी प्रबंधन, परिचालन उत्कृष्टता और हितधारक जुड़ाव के माध्यम से लगातार मजबूत किया जाता है।

वित्तीय पूँजी

सतत विकास के लिए वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करना

वित्तीय पूँजी उन वित्तीय संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है जो बीएचईएल को अपनी व्यावसायिक रणनीति को कार्यान्वित करने, भविष्य के विकास में निवेश करने, अपनी निष्पादन क्षमताओं को मजबूत करने और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक सतत मूल्य बनाने में सक्षम बनाती हैं। बीएचईएल की वित्तीय पूँजी मुख्य रूप से परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह के माध्यम से प्राप्त होती है और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, केंद्रित नकदी संग्रह, कुशल कार्यशील पूँजी प्रबंधन, परिचालन दक्षता, लागत अनुकूलन और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के एक मजबूत ढांचे के माध्यम से मजबूत होती है।

बीएचईएल की वित्तीय रणनीति एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने, तरलता को सुरक्षित रखने, लाभप्रदता में सुधार करने, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और दीर्घकालिक सतत विकास का समर्थन करने के लिए बेहतर नकदी प्रवाह प्राप्त करने पर केंद्रित है। कंपनी का अनुशासित वित्तीय प्रबंधन इसे व्यावसायिक चक्रों का सामना करने, उभरते अवसरों का लाभ उठाने, मुख्य रूप से आंतरिक उपार्जन (इंटरनल एक्रुअल्स) के माध्यम से पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को वित्तपोषित करने और उन रणनीतिक पहलों में निवेश करने में सक्षम बनाता है जो प्रतिस्पर्धात्मकता तथा हितधारक मूल्य को बढ़ाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बीएचईएल ने बेहतर परियोजना निष्पादन, बेहतर परिचालन दक्षता, अनुशासित लागत प्रबंधन, मजबूत नकदी प्राप्ति, और कार्यशील पूँजी अनुकूलन पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया।

राजस्व में मजबूत वृद्धि, लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार, बेहतर नकदी सृजन और ऋण-मुक्त बैलेंस शीट ने कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता को और अधिक मजबूत किया है तथा भविष्य के विकास में निवेश करने की इसकी क्षमता को बल प्रदान किया है।

कंपनी परियोजनाओं के निष्पादन को सुदृढ़ करके, प्रभावी प्राप्य प्रबंधन, खरीद में दक्षता लाने, लागत अनुकूलन, कुशल कार्यशील पूंजी प्रबंधन और विवेकपूर्ण निवेश निर्णयों के माध्यम से अपनी वित्तीय पूंजी को निरंतर मजबूत करती है। ये उपाय लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं, वित्तपोषण लागत को न्यूनतम करते हैं और व्यावसायिक संचालन व रणनीतिक विविविधीकरण पहलों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सक्षमता प्रदान करते हैं।

वित्तीय पूँजी को रणनीतिक रूप से इन कार्यों में लगाया जाता है:

- बड़ी ईपीसी और अन्य परियोजनाओं को तेजी से निष्पादित करना।

- आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और परियोजना निष्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देना।

- विनिर्माण गतिविधियों को मजबूत करना, परिचालन दक्षता में सुधार करना, विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना और उत्पादन सुविधाओं की बाधाओं को दूर करके क्षमता बढ़ाना।

- अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और इंजीनियरिंग क्षमताओं की उन्नति में निवेश करना।

- विविध और नए विकास व्यवसायों में विस्तार करना।

- सतत पहलों और दीर्घकालिक रणनीतिक निवेशों का समर्थन करना।

वित्तीय पूँजी का कंपनी का अनुशासित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि व्यावसायिक विकास, परिचालन आवश्यकताओं, तकनीकी उन्नति, हितधारक अपेक्षाओं और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के बीच उचित संतुलन बनाए रखते हुए वित्तीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए।

मजबूत वित्तीय पूंजी बीएचईएल को अपने बाजार नेतृत्व को सुदृढ़ करने, ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करने, निष्पादन क्षमता को बढ़ाने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करने में भी सक्षम बनाती है।

ऋण-मुक्त बैलेंस शीट, मजबूत लिक्विडिटी और बेहतर नकदी सृजन बनाए रखकर, कंपनी शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य का सृजन करने के साथ-साथ सतत विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सुदृढ़ स्थिति में बनी हुई है।

वित्तीय पूँजी के माध्यम से सृजित मूल्य

बीएचईएल का मजबूत वित्तीय अनुशासन, विवेकपूर्ण पूँजी आवंटन, कुशल कार्यशील पूँजी प्रबंधन, और मजबूत नकदी सृजन ने इसके वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत किया है और विनिर्माण क्षमताओं, नवाचार, डिजिटल परिवर्तन, परियोजना निष्पादन और व्यावसायिक विविधताकरण में निवेश करने की इसकी क्षमता को बढ़ाया है।

एक ऋण-मुक्त बैलेंस शीट, हेल्दी लिक्विडिटि, और निरंतर लाभप्रदता दीर्घकालिक विकास का समर्थन करने, बेहतर हितधारक मूल्य बनाने और भारत के औद्योगिक विकास और ऊर्जा संक्रमण में कंपनी के योगदान को मजबूत करने के लिए वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन इसकी वित्तीय पूँजी की ताकत और रणनीतिक प्राथमिकताओं के समर्थन में इसके प्रभावी उपयोग को दर्शाता है।

- **राजस्व वृद्धि:** उच्च निष्पादन स्तरों, एक मजबूत ऑर्डर बुक और शॉप क्षमता उपयोग में 25% की वृद्धि के कारण परिचालन से राजस्व **19% बढ़कर ₹33,782** करोड़ हो गया।
- **बेहतर लाभप्रदता:** ईबीआईटीडीए **83% बढ़कर ₹3,189** करोड़ हुआ, जबकि कर पश्चात लाभ तीन गुना से अधिक बढ़कर **₹1,578 करोड़** हुआ, जो बेहतर परिचालन दक्षता, बेहतर निष्पादन और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।
- **मजबूत नकदी प्राप्ति:** केंद्रित वसूली प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में प्रेषण से नकदी प्राप्ति में **41%** की वृद्धि हुई। ग्राहकों से कुल नकदी संग्रह **₹46,425** करोड़ तक पहुंच गया, जो राजस्व का **143%** है, जिससे लिक्विडिटी और कैश फ्लो में काफी मजबूती आई है।
- **कुशल प्राप्य प्रबंधन:** परिचालन से राजस्व के **100 दिन** तक व्यापार प्राप्य को कम करने के लिए प्राप्य प्रबंधन पर निरंतर जोर दिया गया, जो पिछले दस वर्षों में कंपनी का सबसे अच्छा प्राप्य प्रदर्शन है, जबकि परिचालन से राजस्व में **19%** की वृद्धि हुई है।
- **अनुकूलित देय प्रबंधन:** परियोजना निष्पादन में तेजी लाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर निरंतर ध्यान देने के परिणामस्वरुप व्यापार देय पिछले वर्ष के **201 दिनों** की तुलना में घटकर **165 दिन** हो गया, जो व्यापार निरंतरता का समर्थन करते हुए बेहतर कार्यशील पूँजी दक्षता को दर्शाता है।
- **मजबूत परिचालन नकदी प्रवाह:** परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी **176%** बढ़कर **₹5,827 करोड़** हो गई, जो प्रभावी कार्यशील पूँजी प्रबंधन, अनुशासित नकदी प्रवाह योजना और आंतरिक रुप से विकास और रणनीतिक निवेश को वित्तपोषित करने की कंपनी की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

सामूहिक रुप से, इन वित्तीय परिणामों ने बीएचईएल की वित्तीय पूँजी को मजबूत किया है, जिससे कंपनी को अन्य पूँजी में निवेश करने, विकास रणनीति को लागू करने और शेयरधारकों, कर्मचारियों, व्यावसायिक साझेदारों, समाज और राष्ट्र के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घकाल के लिए सतत मूल्यों को सृजित करने के लिए आवश्यक संसाधन और सुदृढ़ता प्रदान की है।

संकेतक	वित्त वर्ष 2025–26
परिचालन से राजस्व	₹33,782 करोड़
कुल आय	₹34,629 करोड़
ईबीआईटीडीए	₹3,189 करोड़
कर पश्चात लाभ	₹1,578 करोड़
बकाया ऑर्डर बुक	₹2,39,057 करोड़
नकदी संग्रह	₹46,425 करोड़
राजस्व के % के रूप में प्रेषण से नकदी संग्रह	143%
उत्पन्न शुद्ध नकदी अधिशेष	₹4,630 करोड़
व्यापार प्राप्य	राजस्व के 100 दिन
व्यापार देय	165 दिन
ऋण स्थिति	ऋण-मुक्त
प्रति शेयर आय	₹4.53
प्रति शेयर लाभांश(₹)	₹1.40

विनिर्मित पूँजी

विश्व स्तरीय विनिर्माण और परियोजना निष्पादन के माध्यम से इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का निर्माण

विनिर्माण पूँजी बीएचईएल के एकीकृत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें इसके विनिर्माण संयंत्र, सेवा केंद्र, मरम्मत इकाइयां, निर्माण और मशीनिंग बुनियादी ढांचा, परीक्षण प्रयोगशालाएं, गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियां, परियोजना निष्पादन क्षमताएं और अन्य भौतिक संपत्तियां शामिल हैं जो कंपनी को इंजीनियरिंग उत्पादों और समाधानों को डिजाइन करने, निर्माण करने, आपूर्ति करने, स्थापित करने और कमीशन (चालू) करने में सक्षम बनाती हैं।

छह दशकों से अधिक समय में, बीएचईएल ने भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग और विनिर्माण बुनियादी ढांचों की स्थापना की है, जो ऊर्जा, औद्योगिक, परिवहन, रक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में जटिल परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता प्रदान करता है।

उन्नत इंजीनियरिंग सुविधाओं और एक राष्ट्रव्यापी परियोजना निष्पादन नेटवर्क द्वारा समर्थित इसकी उपस्थिति, इसकी परिचालन उत्कृष्टता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का आधार बनाती है कंपनी अपनी निर्मित पूँजी को विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रक्रिया स्वचालन, डिजिटल विनिर्माण, उन्नत गुणवत्ता प्रणालियों,

उत्पादकता सुधार तथा क्षमता अनुकूलन के माध्यम से निरंतर सुदृढ़ कर रही है। उपकरणों, परीक्षण अवसंरचना और प्रक्रिया उत्कृष्टता के आधुनिकीकरण में किए गए पूंजी निवेश विनिर्माण दक्षता बढ़ाते हैं, उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करते हैं, उत्पादन समय को कम करते हैं तथा परिचालन विश्वसनीयता को मजबूत बनाते हैं।

बीएचईएल की एकीकृत विनिर्माण क्षमताएँ कंपनी को तापीय, जलविद्युत, परमाणु, गैस-आधारित और नवीकरणीय ऊर्जा, ट्रांसमिशन प्रणालियों, रेल एवं परिवहन उपकरण, रक्षा एवं एयरोस्पेस प्रणालियों, औद्योगिक उत्पादों, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण सेवाओं तथा कोयला गैसीकरण, स्वच्छ ऊर्जा समाधान और ई-मोबिलिटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित विविध उत्पादों और इंजीनियरिंग समाधानों की आपूर्ति करने में सक्षम बनाती हैं।

कंपनी की विनिर्माण और परियोजना निष्पादन क्षमताएँ वैल्यू चेन के प्रत्येक चरण का समर्थन करती हैं - जिसमें इंजीनियरिंग और खरीद से लेकर विनिर्माण, परियोजना निर्माण, परियोजना चालू (कमीशन) करने, जीवन-चक्र सेवाओं और प्रदर्शन में सुधार तक के चरण शामिल हैं। निरंतर सुधार की पहलें, डिजिटल एकीकरण, गुणवत्ता आश्वासन और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज़ेशन सुरक्षा, विश्वसनीयता और ग्राहक संतुष्टि के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, विनिर्मित पूँजी (Manufactured Capital) ने बेहतर परियोजना निष्पादन, विनिर्माण दक्षता में वृद्धि, अधिक राजस्व सृजन, लाभप्रदता में वृद्धि, मजबूत नकदी प्राप्ति तथा कंपनी की अब तक की सर्वाधिक ₹2,39,057 करोड़ की ऑर्डर बुक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी की विनिर्माण क्षमताओं ने जलविद्युत, परमाणु, ट्रांसमिशन, परिवहन, रक्षा, औद्योगिक प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा और कोयला गैसीकरण क्षेत्रों में निरंतर विविधीकरण का समर्थन किया है, जिससे व्यवसायिक सुदृढ़ता आई है और पारंपरिक थर्मल पावर पर निर्भरता कम हुई।

बीएचईएल उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों, स्वचालन, डिजिटल विनिर्माण, पूर्वानुमानित रखरखाव, प्रक्रिया अनुकूलन, सतत विनिर्माण प्रथाओं तथा क्षमता वृद्धि के माध्यम से अपने विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतर सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहलें उत्पादकता, विनिर्माण शीघ्रता, उत्पाद गुणवत्ता, परिचालन दक्षता और निष्पादन क्षमता में और सुधार करेंगी तथा भारत की आत्मनिर्भरता और उन्नत विनिर्माण के विजन का समर्थन करेंगी।

विनिर्मित पूँजी – प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

संकेतक	वित्त वर्ष 2025–26
विनिर्माण इकाइयाँ	16
क्षेत्रीय कार्यालय	4
सेवा केंद्र	8
बकाया ऑर्डर बुक	₹2,39,057 करोड़
परिचालन से राजस्व	₹33,782 करोड़
कमीशन/सिंक्रोनाईज़ की गई क्षमता	~ 8.9 गीगावाट विद्युत क्षमता
2025-26 में पावर सेक्टर के ऑर्डर (सिनगैस सहित)	₹59,256 करोड़
प्राप्त कोयला गैसीकरण ऑर्डर	₹8,288 करोड़
भारतीय नौसेना को समय से पहले सुपुर्द उन्नत SRGM की संख्या	4

मानव पूँजी

एक सुदृढ़ भविष्य के निर्माण के लिए कर्मचारियों को सशक्त बनाना

मानव पूँजी बीएचईएल के कर्मचारियों के सामूहिक ज्ञान, कौशल, तकनीकी विशेषज्ञता, नेतृत्व, अनुभव, नवाचार, प्रतिबद्धता और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। एक प्रौद्योगिकी-आधारित इंजीनियरिंग उद्यम के रूप में कंपनी मानती है कि उसके कर्मचारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति हैं तथा परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार, ग्राहक संतुष्टि और दीर्घकालिक सतत विकास की नींव हैं।

बीएचईएल ईमानदारी, जवाबदेही, सहयोग, समावेशन, निरंतर सीखने और उत्कृष्टता पर आधारित संस्कृति को बढ़ावा देता है। कंपनी का मानना है कि सशक्त और प्रतिबद्ध कार्यबल जटिल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के सफल निष्पादन, नवाचार को बढ़ावा देने, ग्राहक संबंधों को मजबूत करने और रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

कंपनी संरचित शिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों, तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास पहलों, उत्तराधिकार योजना, डिजिटल क्षमता संवर्धन तथा निरंतर ज्ञान-साझाकरण के माध्यम से उच्च कौशलयुक्त प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विकसित करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहलें कर्मचारियों को उभरती तकनीकी और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के साथ-साथ संगठनात्मक क्षमता को सुदृढ़ करती हैं।

कर्मचारियों का कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा बीएचईएल के परिचालन दर्शन का अभिन्न हिस्सा हैं। कंपनी मजबूत सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ढाँचे को निरंतर सुदृढ़ करती है। सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल का निर्माण कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, परिचालन विश्वसनीयता में सुधार करता है और सतत व्यावसायिक प्रदर्शन का समर्थन करता है।

बीएचईएल एक समावेशी और सम्मानजनक कार्यस्थल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, जो विकास और उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करता है। विचारों की विविधता, विभिन्न विभागों के बीच सहयोग, नैतिक आचरण, कर्मचारी सहभागिता और नवाचार को संगठन में प्रोत्साहित किया जाता है ताकि निरंतर सुधार और संगठनात्मक लचीलेपन की संस्कृति विकसित हो सके।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, बीएचईएल के कर्मचारियों की समर्पण भावना, तकनीकी दक्षता और प्रतिबद्धता ने परियोजना निष्पादन में सुधार, विनिर्माण दक्षता बढ़ाने, ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करने तथा वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बीएचईएल भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं के विकास हेतु डिजिटल दक्षताओं, नेतृत्व प्रभावशीलता, नवाचार और कर्मचारी सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव पूँजी में निरंतर निवेश कंपनी को उत्पादकता बढ़ाने, निष्पादन क्षमताओं को मजबूत करने, ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने और दीर्घकालिक सतत मूल्य सृजन में सक्षम बनाएगा।

मानव पूँजी – प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

संकेतक	वित्त वर्ष 2025–26
कुल स्थायी कर्मचारी(संख्या)	27,284
स्थायी महिला कर्मचारी(संख्या)	1,591
प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी	
- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय (संख्या)	7,199
- कौशल उन्नयन (संख्या)	17,290

संपूर्ण संगठन में 'व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली' (OHSMS) लागू की गई है। यह प्रणाली हमारी सभी विनिर्माण इकाइयों, पावर सेक्टर के क्षेत्रों और प्रभागों पर लागू होती है, जिसमें बीएचईएल के साथ और बीएचईएल के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारी शामिल हैं।

कंपनी के पास कार्य-संबंधित जोखिमों की पहचान करने तथा नियमित और गैर-नियमित दोनों आधारों पर जोखिमों का आकलन करने के लिए सुदृढ़ प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

मानव पूँजी से सृजित मूल्य

बीएचईएल की मानव पूँजी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, नवाचार, परिचालन दक्षता और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देती है। कर्मचारियों, नेतृत्व, सीखने, सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण में निरंतर निवेश के माध्यम से कंपनी संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करती है, उत्पादकता बढ़ाती है, तकनीकी प्रगति को समर्थन देती है और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करती है। ये प्रयास बीएचईएल को अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करने, हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजित करने तथा भारत की औद्योगिक वृद्धि और ऊर्जा परिवर्तन में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाते हैं।

सामाजिक एवं संबंधपरक पूँजी

सतत मूल्य सृजन के लिए विश्वसनीय भागीदारी का निर्माण

सामाजिक एवं संबंधपरक पूंजी उस विश्वास, साख, सहयोगात्मक भागीदारी और दीर्घकालिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है जिसे बीएचईएल ने छ: दशकों से अधिक समय में अपने हितधारकों के साथ स्थापित किया है। इनमें ग्राहक, शेयरधारक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, व्यावसायिक भागीदार, तकनीकी सहयोगी, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां, नियामक, वित्तीय संस्थान, स्थानीय समुदाय और समग्र रुप से समाज शामिल हैं। ये संबंध एक रणनीतिक संपत्ति का निर्माण करते हैं जो जटिल इंजीनियरिंग परियोजनाओं को निष्पादित करने, हितधारकों की बदलती अपेक्षाओं के अनुरुप कार्य करने और दीर्घकालिक सतत मूल्य सृजित करने की कंपनी की क्षमता को सुदृढ़ करते हैं।

भारत के अग्रणी इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यमों में से एक होने के नाते, बीएचईएल यह मानता है कि टिकाऊ व्यावसायिक सफलता हितधारकों के विश्वास पर टिकी होती है। तदनुसार, कंपनी सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के साथ अपना व्यवसाय करती है। सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रभावी हितधारक जुड़ाव, जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाएं और नियामक अनुपालन हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं तथा भारत के औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत विकास में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में बीएचईएल की प्रतिष्ठा को मजबूत करते हैं।

ग्राहक के साथ संबंध कंपनी की मूल्य सृजन प्रक्रिया के केंद्र में बने हुए हैं। बीएचईएल विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान प्रदान करने के लिए अवधारणा और इंजीनियरिंग से लेकर विनिर्माण, निष्पादन, कमीशनिंग तथा लाइफसाइकिल सपोर्ट तक संपूर्ण परियोजना के दौरान ग्राहकों के साथ मिलकर काम करता है। निरंतर जुड़ाव कंपनी को ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने, परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने और ऐसे अभिनव समाधान विकसित करने में सक्षम बनाता है जो दक्षता, विश्वसनीयता तथा दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रदर्शन को बढ़ाते हैं।

कंपनी आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखती है, वह मानती है कि परियोजना के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए एक एकीकृत और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला बहुत ज़रुरी है। पारदर्शी खरीद प्रक्रियाओं, वेंडर विकास कार्यक्रमों, स्थानीयकरण की पहलों और सहयोगात्मक साझेदारियों के माध्यम से, बीएचईएल गुणवत्ता सुधार, नवाचार, आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता और सतत व्यापार विकास को बढ़ावा देती है और साथ ही घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में भी सहयोग करती है।

शेयरधारकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, नियामकों और सरकारी एजेंसियों के साथ रचनात्मक जुड़ाव बीएचईएल के अभिशासन ढांचे का एक अभिन्न अंग है। समय पर प्रकटीकरण, पारदर्शी संचार, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और जिम्मेदार कॉर्पोरेट गवर्नेंस हितधारकों के विश्वास को मजबूत करते हैं तथा पूंजी, व्यावसायिक अवसरों और रणनीतिक भागीदारी तक कंपनी की दीर्घकालिक पहुंच का समर्थन करते हैं।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, बीएचईएल अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के सीएसआर कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक बुनियादी ढांचे और उन अन्य पहलों पर केंद्रित हैं जो इसके परिचालन क्षेत्रों के आसपास के समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करते हैं। इन पहलों के माध्यम से, बीएचईएल सतत विकास और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए समावेशी विकास में योगदान देता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, हितधारकों के साथ कंपनी के मजबूत संबंधों ने ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सफल निष्पादन, इसकी विविध ऑर्डर बुक के विस्तार, बाजार में प्रतिष्ठा को मजबूत करने और व्यावसायिक सुदृढ़ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हितधारक पारिस्थितिकी तंत्र में आपसी सहयोग ने नवाचार, स्थानीयकरण, परिचालन उत्कृष्टता और सतत मूल्य सृजन में भी सहायता की।

भविष्य में, बीएचईएल अधिक सहयोग, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, पारदर्शी प्रशासन, बेहतर सामुदायिक विकास पहलों और सभी हितधारक समूहों के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से हितधारकों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करना जारी रखेगा। ये प्रयास विश्वास को और अधिक मजबूत करेंगे, कार्य करने के लिए कंपनी की सामाजिक स्वीकृति को सुदृढ़ करेंगे और समाज के लिए स्थायी मूल्य का सृजन करेंगे।

सामाजिक एवं संबंधपरक पूँजी से सृजित मूल्य

संकेतक	वित्त वर्ष 2025–26
मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए जागरुकता कार्यक्रम	48
जागरुकता कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले मूल्य श्रृंखला भागीदार	28%
CSR बजट 2025-26	₹859.12667 लाख
वर्ष के दौरान CSR व्यय	₹264.29790 लाख (2025-26 के बजट से)
वर्ष के दौरान CSR व्यय	₹353.32617 लाख (वर्ष 2024-25 के सीएसआर खाते से अव्ययित ₹470.14339 लाख में से)

मजबूत हितधारक संबंध बीएचईएल को ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को सुदृढ़ करने, सहयोगात्मक भागीदारी का विस्तार करने और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनाते हैं। ये विश्वसनीय संबंध व्यावसायिक विकास का समर्थन करते हैं, हितधारकों के विश्वास को मजबूत करते हैं, संगठनात्मक लचीलेपन को मजबूत करते हैं और कंपनी को ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, समुदायों तथा राष्ट्र के लिए साझा मूल्य सृजित करने में सक्षम बनाते हैं।

प्राकृतिक पूँजी

जिम्मेदार पर्यावरणीय नेतृत्व के माध्यम से सतत विकास को गति

प्राकृतिक पूंजी का तात्पर्य उन पर्यावरणीय संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से है जो ऊर्जा, जल और भूमि सहित बीएचईएल के प्रचालनों और दीर्घकालिक व्यावसायिक स्थिरता का समर्थन करते हैं। एक जिम्मेदार इंजीनियरिंग उद्यम के रूप में, बीएचईएल सतत औद्योगिक विकास और मूल्य सृजन के लिए इन संसाधनों के कुशल उपयोग और प्रबंधन को अनिवार्य मानता है।

पर्यावरण प्रबंधकीय दायित्व कंपनी की रणनीति, प्रचालनों और निवेश संबंधी निर्णयों में समाहित है। बीएचईएल अपनी विनिर्माण सुविधाओं, परियोजना स्थलों और कार्यालयों में संसाधन दक्षता को बढ़ावा देकर, उत्सर्जन को कम करके, जल संरक्षण करके, कचरे का जिम्मेदारी से प्रबंधन करके, प्रदूषण को रोककर और टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं को अपनाकर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा-कुशल विनिर्माण प्रक्रियाओं, डिजिटल पर्यावरणीय निगरानी प्रणालियों, जल संरक्षण पहलों, अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यक्रमों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार परिचालन प्रथाओं में निवेश के माध्यम से अपनी प्राकृतिक पूंजी को निरंतर सुदृढ़ करती है। ये पहलें संसाधन उत्पादकता बढ़ाती हैं, परिचालन दक्षता में सुधार करती हैं, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करती हैं और रेगुलेटरी कम्प्लायंस पूरा करती हैं।

बीएचईएल न केवल अपने स्वयं के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का प्रबंधन करता है, बल्कि अपनी तकनीक और समाधानों के ज़रिए भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में भी अहम भूमिका निभाता है। कंपनी के विविध पोर्टफोलियो में हाइड्रो, परमाणु, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियां, पारेषण प्रणालियां और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो बेहतर ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में योगदान देती हैं। बीएचईएल ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, कार्बन न्यूनीकरण प्रौद्योगिकियों आदि में भी अपनी क्षमताओं को सक्रिय रुप से मजबूत कर रहा है, जो राष्ट्र के दीर्घकालिक स्थिरता उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग करते हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने हाइड्रो, परमाणु, नवीकरणीय ऊर्जा, पारेषण और अन्य गैर-पारंपरिक व्यावसायिक क्षेत्रों में निरंतर विविधीकरण के माध्यम से सतत विकास में अपने योगदान को और सुदृढ़ किया। इसके साथ ही, विनिर्माण दक्षता, संसाधन अनुकूलन और सतत संचालन में सुधार के उद्देश्य से की गई पहलों ने लाभदायक व्यावसायिक विकास का समर्थन करते हुए पर्यावरणीय प्रदर्शन को भी बेहतर बनाया।

जलवायु सुदृढ़ता और सतत विनिर्माण बीएचईएल की रणनीतिक प्राथमिकताएं बनी रहेंगी। कंपनी ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, संसाधन सघनता को कम करने, जल संरक्षण को बढ़ाने, अपशिष्ट पुनर्चक्रण को बढ़ाने, जलवायु जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने और इंजीनियरिंग, विनिर्माण तथा परियोजना निष्पादन में पर्यावरणीय पहलुओं को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्राकृतिक पूँजी का जिम्मेदारी से प्रबंधन करके और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तथा सतत औद्योगिक विकास का समर्थन करने वाली तकनीकों को विकसित करके, बीएचईएल दीर्घकालिक पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मूल्य का सृजन करते हुए भारत के ऊर्जा संक्रमण (Energy Transition) में सार्थक योगदान दे रहा है।

बीएचईएल ने छतों पर सौर संयंत्रों सहित लगभग 43.25 मेगावाट-पिक (MWp) की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, एफएसआईपी जगदीशपुर ने 750 किलोवाट क्षमता का रुफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किया है। इस कुल सौर ऊर्जा क्षमता के कारण वर्ष के दौरान 31,308 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में सफलता मिली।

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयां डिमांड-साइड एनर्जी मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से ऊर्जा संरक्षण और दक्षता परियोजनाओं को कार्यान्वित करती हैं, जिससे संबद्ध कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगता है जो अन्यथा उच्च स्तर पर होता।

प्राकृतिक पूँजी से सृजित मूल्य

संकेतक	वित्त वर्ष 2025–26
नवीकरणीय स्रोतों से कुल बिजली की खपत (गीगा जूल में)	1,58,747
पुनर्चक्रण के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	5755.31
पुनः उपयोग के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)	705.12
ऊर्जा संरक्षण कैप्टिव सोलर पीवी संयंत्र	~ 43 मेगावाट-पीक
वित्त वर्ष 2025-26 में कैप्टिव एसपीवी से बिजली उत्पादन	~ 44 एमयू
पिछले 7 वर्षों में लगाए गए पौधे	4,30,380 +
वित्त वर्ष 2025-26 में लगाए गए पौधे	44,380 +

बौद्धिक पूँजी

नवाचार, प्रौद्योगिकी नेतृत्व और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

बौद्धिक पूंजी बीएचईएल के सामूहिक इंजीनियरिंग ज्ञान, तकनीकी क्षमताओं, अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र, बौद्धिक संपदा, डिजिटल क्षमताओं, मालिकाना प्रक्रियाओं, गुणवत्ता प्रणालियों, संगठनात्मक ज्ञान और नवाचार संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है जो कंपनी को तकनीकी रूप से उन्नत इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने में सक्षम बनाती है।

पिछले छः दशकों में, बीएचईएल ने ऊर्जा, औद्योगिक, परिवहन, रक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और तकनीकी विशेषज्ञता की एक मजबूत नींव का निर्माण किया है। कंपनी की बौद्धिक संपदा में विशेष डिजाइन क्षमताएं, उन्नत विनिर्माण जानकारी, अनुसंधान और विकास बुनियादी ढांचा, डिजिटल इंजीनियरिंग उपकरण, मालिकाना प्रक्रियाएं, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां और व्यापक परियोजना निष्पादन अनुभव शामिल हैं। ये क्षमताएं बीएचईएल को जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करने और ग्राहकों तथा राष्ट्र की उभरती जरूरतों का प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाती हैं।

नवाचार बीएचईएल की दीर्घकालिक रणनीति का केंद्र बना हुआ है। परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ाने और अगली पीढ़ी के इंजीनियरिंग समाधान विकसित करने के लिए कंपनी अनुसंधान और विकास, उत्पाद डिजाइन, प्रौद्योगिकी विकास, प्रक्रिया नवाचार, डिजिटलीकरण और ज्ञान प्रबंधन में लगातार निवेश करती है। निरंतर सीखना, सहयोगात्मक नवाचार और प्रौद्योगिकी साझेदारियां स्वच्छ ऊर्जा और नए विकास क्षेत्रों में उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी अपनी क्षमता को और अधिक मजबूत करती हैं।

डिजिटल परिवर्तन बीएचईएल की बौद्धिक पूँजी का एक अभिन्न अंग बन गया है। डिजिटल अभियांत्रिकी उपकरणों, स्वचालन, एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली और डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपनाना परियोजना की निगरानी, गुणवत्ता आश्वासन और ग्राहक प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाता है। ये पहलें उत्पादकता में सुधार करती हैं और साथ ही संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (Value chain) में तेज और अधिक सूविज्ञ व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं।

बीएचईएल की बौद्धिक पूंजी कंपनी की विविधीकरण रणनीति को भी संबल प्रदान करती है। अभियांत्रिकी विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं ने कंपनी को हाइड्रो, परमाणु, नवीकरणीय ऊर्जा, पारेषण, परिवहन, रक्षा और एयरोस्पेस, औद्योगिक प्रणालियों, कोयला गैसीकरण, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। ये क्षमताएं तकनीकी आत्मनिर्भरता में योगदान करती हैं और भारत के औद्योगिक तथा ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करती हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी की बौद्धिक संपदा ने प्रौद्योगिकीय रूप से जटिल परियोजनाओं के निष्पादन, बेहतर परियोजना वितरण, उन्नत परिचालन दक्षता, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता, त्वरित डिजिटल परिवर्तन का समर्थन किया और रणनीतिक राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए एक विश्वसनीय इंजीनियरिंग भागीदार के रूप में बीएचईएल की स्थिति को मजबूत किया है। नवाचार और प्रौद्योगिकी में निरंतर निवेश ने विविधीकृत ऑर्डर बुक के विस्तार और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी योगदान दिया है।

भविष्य में, बीएचईएल स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास, उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं और भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों में निवेश करके अपनी बौद्धिक पूँजी को मजबूत करना जारी रखेगा। ये पहल इसके प्रौद्योगिकी नेतृत्व को और बढ़ाएंगी, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेंगी, नवाचार को गति देंगी और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक सतत मूल्यों का सृजन करेंगी।

बौद्धिक पूंजी के माध्यम से सृजित मूल्य

संकेतक	वित्त वर्ष 2025–26
प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों की संख्या	18
अनुसंधान एवं विकास खर्च	822 करोड़
डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्माण इकाइयों और प्रभागों के इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास केंद्र	11
अनुसंधान संस्थान	4
उत्कृष्टता केंद्र	13
वर्ष के दौरान दायर किए गए पेटेंट और कॉपीराइट	428
31 मार्च, 2026 तक संचयी बौद्धिक संपदा पोर्टफोलियो	6,068

बीएचईएल की बौद्धिक पूंजी निरंतर नवाचार को सक्षम बनाती है, अभियांत्रिकी उत्कृष्टता को सुदृढ़ करती है, परिचालन दक्षता में वृद्धि करती है, डिजिटल रुपांतरण को गति देती है और उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद करती है। अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं और संगठनात्मक ज्ञान का लाभ उठाकर, कंपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करती है, उभरते हुए व्यावसायिक क्षेत्रों में अपना विस्तार करती है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता का समर्थन करती है और ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों तथा समाज के लिए संधारणीय मूल्य (sustainable value) का सृजन करती है।

वर्ष के दौरान कुल 428 पेटेंट और कॉपीराइट दायर किए गए, जिससे 31 मार्च 2026 तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बढ़कर 6,068 हो गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व का लगभग 14% इन-हाउस विकसित उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं से प्राप्त हुआ—जो अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के व्यावसायीकरण पर कंपनी के मजबूत फोकस को दर्शाता है।

हितधारकों के लिए सृजित मूल्य

बीएचईएल का एकीकृत व्यावसायिक मॉडल ऐसे मूल्य सृजित करता है जो केवल वित्तीय निष्पादन तक ही सीमित नहीं है। छ: पूंजियों का उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग करके, कंपनी हितधारकों के एक विस्तृत वर्ग के लिए आर्थिक, प्रौद्योगिकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य का सृजन करती है।

शेयरधारकों के लिए मूल्य

- संधारणीय और लाभदायक विकास।
- बेहतर लाभप्रदता और नकदी सृजन।
- ऋण-मुक्त तुलन पत्र के माध्यम से सुदृढ़ वित्तीय स्थिति।
- विवेकपूर्ण पूंजी आवंटन के माध्यम से दीर्घकालिक मूल्य सृजन।
- मजबूत ऑर्डर बुक और विविधीकृत व्यावसायिक पोर्टफोलियो द्वारा समर्थित संवर्धित उद्यम मूल्य।

ग्राहकों के लिए मूल्य

- विश्वसनीय और तकनीकी रूप से उन्नत इंजीनियरिंग समाधान।
- परियोजनाओं का समय पर निष्पादन
- बेहतर परिचालन दक्षता और लाइफसाइकिल सहायता।
- बेहतर विश्वसनीयता, गुणवत्ता और ग्राहक अनुभव।
- विश्वास और प्रदर्शन पर आधारित दीर्घकालिक साझेदारी।

कर्मचारियों के लिए मूल्य

- एक सुरक्षित, समावेशी और आकर्षक कार्यस्थल।
- लगातार सीखना और क्षमता का विकास
- नेतृत्व विकास और करियर में तरक्की।
- राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग परियोजनाओं में योगदान देने के अवसर।
- नवाचार, सहयोग और उत्कृष्टता की संस्कृति।

आपूर्तिकर्ताओं और साझेदारों के लिए मूल्य

- दीर्घकालिक सहयोगात्मक साझेदारी।
- पारदर्शी खरीद प्रक्रियाएँ
- वेंडर की क्षमता का विकास और स्थानीयकरण।
- साझा नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता।
- विविध क्षेत्रों में सतत व्यावसायिक अवसर।

समुदायों के लिए मूल्य

- रोज़गार सृजन और कौशल विकास
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहलों के माध्यम से समावेशी विकास।
- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच।
- स्थानीय विकास के लिए समर्थन।
- जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिकता।

पर्यावरण के लिए मूल्य

- संसाधन-कुशल विनिर्माण।
- पर्यावरण पर कम असर।
- स्वच्छ इंजीनियरिंग समाधान
- नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बोनाइज़ेशन में योगदान।
- सतत औद्योगिक विकास के लिए समर्थन।

राष्ट्र के लिए मूल्य

- भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना।
- बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग
- आत्मनिर्भर भारत के विज़न के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना
- तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- विविध इंजीनियरिंग समाधानों के माध्यम से राष्ट्रीय ऊर्जा संक्रमण में सहयोग करना।
- सतत आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास में योगदान देना।

भविष्य की राह

बीएचईएल प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, विनिर्माण उत्कृष्टता, डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास में निवेश करके अपने एकीकृत मूल्य सृजन मॉडल को मजबूत करना जारी रखेगा। कंपनी परिचालन उत्कृष्टता, अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, जिम्मेदार शासन और हितधारक-केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित रखेगी; और साथ ही उन उभरते क्षेत्रों

में अपनी उपस्थिति का विस्तार करेगी जो भारत के विकसित होते बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परिदृश्य के पक्ष में हैं।

छ: पूँजीगत घटकों को लगातार बढ़ाकर और उनके बीच के जुड़ाव को मजबूत करके, बीएचईएल का लक्ष्य संगठनात्मक लचीलेपन में सुधार करना, नवाचार को गति देना, स्थायी हितधारक मूल्य बनाना और ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा सतत आर्थिक विकास की ओर राष्ट्र की यात्रा में सार्थक योगदान देना है।

हमारी मूल्य सृजन प्रतिबद्धता

बीएचईएल में, मूल्य सृजन केवल वित्तीय प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है। इसमें इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, तकनीकी नवाचार, जिम्मेदार विनिर्माण, अधिकार-संपन्न कर्मचारी, भरोसेमंद हितधारक संबंध और पर्यावरणीय प्रबंधन शामिल हैं। मजबूत गवर्नेंस, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, कंपनी अपने छ: पूँजीगत घटकों को शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, व्यावसायिक साझेदारों, समुदायों, पर्यावरण और राष्ट्र के लिए स्थायी मूल्य में परिवर्तित करती है।

एकीकृत सोच, अनुशासित निष्पादन और निरंतर नवाचार के माध्यम से, बीएचईएल अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में सतत मूल्य सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है; और साथ ही भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरणीय रुप से जिम्मेदार अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षा में अपना योगदान दे रहा है।

प्रमुख व्यवसायों में हमारी सेवाएं

कोयला आधारित पवार प्लांट

- अत्याधुनिक (स्टेट-ऑफ-द-आर्ट) उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों सहित संपूर्ण ईपीसी समाधान।
- स्टीम जनरेटर, स्टीम टरबाइन, टर्बो जनरेटर, पुनर्योजी फीड चक्र के साथ 800 MW तक की यूनिट रेटिंग वाले सेट शामिल हैं, जिनमें सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 350 / 660 / 700 / 800 MW यूनिट रेटिंग वाले सेट और सबक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 600 MW तक की रेटिंग वाले सेट शामिल हैं।
- वाटर और एयरकूल्ड कंडेंसर, कंडेनसेट, एक्सट्रैक्शन पंप, बॉयलर फीड पंप, डुप्लेक्स हीटर, वॉल्व और हीट एक्सचेंजर – 800 MW तक के टीजी सेट की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- पुराने थर्मल पावर प्लांट का शेष जीवनकाल निर्धारण (RLA)।
- नवीकरण और आधुनिकीकरण कर प्लांट परफ़ॉर्मेंस में सुधार और उसकी कार्य अवधि बढ़ाना।
- पावर प्लांट के लिए फ्लेक्सी परिचालन समाधान

गैस आधारित पावर प्लांट

- निम्नलिखित विशेषताओं के साथ 26 MW से 571 MW रेटिंग तक के (आईएसओ) गैस टर्बाइन और उनसे मेल खाते जनरेटर सहित EPC समाधान:
  - » उद्योग और यूटिलिटी कार्यों के लिए गैस टरबाइन पर आधारित को जेनरेशन और कंबाइंड साइकिल सिस्टम
  - » विभिन्न प्रकार के ईंधनों (गैसीय और तरल दोनों, जिनमें इस्पात उद्योग में अनुप्रयोगों के लिए ब्लास्ट फर्नेस गैस और कोक ओवन गैस शामिल है) को जलाने की क्षमता, साथ ईंधनों के विभिन्न संयोजनों में मिश्रित दहन क्षमता
  - » ड्राई लो NOx (DLN) कम्बस्टर और शोर में कमी के साथ 15 ppm तक कम निकास उत्सर्जन स्तर
- उच्च संयंत्र दक्षताओं के साथ 838 MW तक के कंबाइंड साइकिल प्लांट
- गैस/तेल से चलने वाले बॉयलरों पर आधारित बिजली संयंत्र

न्यूक्लियर पावर प्लांट

- प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (PHWRs), फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBRs) और एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (AHWRs) के टीजी आइलैंड (टर्बो जनरेटर आइलैंड) हेतु संपूर्ण ईपीसी समाधान, जिसमें स्टीम टर्बाइन, टर्बो जनरेटर, एक्साइटर (ब्रशलेस और स्टैटिक), एमएसआर (मॉइस्चर सेपरेटर रीहीटर्स), अन्य हीट एक्सचेंजर्स और पंप शामिल हैं।
- रिएक्टर साइड के उपकरणों की स्थापना के साथ-साथ स्टीम जनरेटर, रिएक्टर हेडर्स, एंड शील्ड्स, विशेष प्रयोजन के हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स, मोटर्स आदि जैसे रिएक्टर साइड के घटक।

हाइड्रो पावर प्लांट

- 100 MW यूनिट रेटिंग तक के कपलान टाइप, फ्रांसिस और पेल्टन टाइप के 400 MW तक के कस्टम निर्मित पारम्परिक हाइड्रो टरबाइन की इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण की क्षमता।
- 400 MW तक की यूनिट रेटिंग वाला कस्टम-मेड सेलियंट पोल वर्टिकल सिंक्रोनस हाइड्रो जनरेटर, जिसके साथ मैचिंग एक्साइटेशन सिस्टम।
- 350 MW तक के पंप-स्टोरेज प्लांट्स के लिए रिवर्सिबल पंप-टर्बाइन।
- 400 MW तक के पंप स्टोरेज प्लांट के लिए फिक्स्ड स्पीड जनरेटर-मोटर (मोटरिंग मोड)
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (LIS) के लिए 200 MW यूनिट रेटिंग तक के हाई-कैपेसिटी पंप और 200 MW यूनिट रेटिंग तक की वर्टिकल सिंक्रोनस मोटर।
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए बटरफ्लाई वॉल्व, स्फेरिकल वॉल्व और सहायक उपकरण
- 25 MW तक की क्षमता वाले मिनी, माइक्रो और लघु हाइड्रो पावर प्लांट
- बल्ब टर्बाइन – 10 MW तक की यूनिट रेटिंग वाला जेनरेटर और 20 MW तक की यूनिट रेटिंग वाला हॉरिजॉन्टल जेनरेटर, साथ ही मैचिंग एक्साइटेशन सिस्टम (स्टैटिक / ब्रशलेस)
- सभी प्रकार के हाइड्रो पावर प्लांट के लिए माइक्रोप्रोसेसर-आधारित डिजिटल गवर्निंग सिस्टम
- बैलेंस ऑफ़ प्लांट (BOP) और सिस्टम इंटीग्रेशन
- हाइड्रो पावर प्लांट का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार

सोलर पावर सिस्टम

- सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट के लिए संपूर्ण EPC समाधान, जिनमें शामिल हैं:
  - » बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के साथ और उसके बिना ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम
  - » फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र
  - » स्टैंडअलोन प्रणाली
  - » रुफ़ टॉप प्रणाली
  - » हाइब्रिड सिस्टम
  - » कनाल टॉप प्रणाली
  - » उपरोक्त सभी प्रणालियों के लिए इरेक्शन, कमीशनिंग, ओ&एम और परामर्श सेवाएँ

परिवहन प्रणालियाँ

- विद्युत लोकोमोटिव, डीजल-विद्युत लोकोमोटिव, वैकल्पिक ईंधन रोलिंग स्टॉक और ट्रैक मशीनों सहित रोलिंग स्टॉक।
- डीज़ल इलेक्ट्रिक टॉवर कार, सेल्फ-प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार, मेमू, मेट्रो और अन्य ट्रेनसेट के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम
- सेमी-हाई स्पीड ट्रेनसेट (वंदे भारत)

- ट्रैक्शन मोटर और ट्रैक्शन अल्टरनेटर
- ट्रेन टक्कर से बचाव प्रणाली (कवच)
- आईजीबीटी आधारित ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम और कंट्रोल्स
- ट्रैक्सन ट्रांसफार्मर
- रखरखाव सेवाएँ, जिनमें डिपो प्रबंधन और रोलिंग स्टॉक का रखरखाव शामिल है।

ट्रांसमिसन प्रणालियाँ

- ट्रांसमिशन प्रणालियों के लिए संपूर्ण ईपीसी समाधान
- 765kV तक के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन/स्विचयार्ड (एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (AIS) और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (GIS) दोनों तरह के)
- ±800kV तक के हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट कन्वर्टर स्टेशन
- 400kV तक के डिजिटल सबस्टेशन
- फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (FACTS) समाधान
- पावर सिस्टम अध्ययन

रक्षा और एयरोस्पेस

- सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) / अपग्रेडेड एसआरजीएम, जिसमें लाइफ-टाइम उत्पाद सहायता भी शामिल है
- नौसैनिक जहाजों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस)
- एयरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए हीट एक्सचेंजर्स, कूलिंग सिस्टम और ली-आयन बैटरी
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए Li-ion सेल/बैटरी, सोलर पैनल, टाइटेनियम डोम और प्रोपेलेंट टैंक
- नौसेना के इस्तेमाल के लिए बिजली बनाने वाले उपकरण
- नौसेना अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग और विश्लेषण

औद्योगिक प्रणालियाँ

- प्रोसेस पैकेजों के लिए संपूर्ण EPC समाधान
- कोल हैंडलिंग प्लांट और ऐश हैंडलिंग प्लांट, जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल काम और ऑटोमेशन सिस्टम शामिल हैं।
- माइन वाइंडर सिस्टम
- कच्चे माल के प्रसंस्करण एवं संघनन, लौह निर्माण, प्राथमिक एवं द्वितीयक इस्पात निर्माण, ढलाईकारों और इस्पात परिष्करण जैसे कि लंबे एवं फ्लैट सपाट दोनों उत्पादों के लिए मिलों और प्रसंस्करण लाइनों हेतु इलेक्ट्रिक्स, ड्राइव, नियंत्रण एवं स्वचालन प्रणालियाँ।
- इस्पात और अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम, जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम शामिल हैं।
- एल्युमीनियम प्लांट के स्मेल्टर और प्रोसेसिंग मिल में हाई करंट रेक्टिफायर के लिए इलेक्ट्रिक और ऑटोमेशन सिस्टम
- स्वचालित भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति प्रणाली (ASRS)।

ऊर्जा भंडारण प्रणाली एवं ई-मोबिलिटी

- इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए सौर ऊर्जा आधारित चार्जिंग स्टेशन
- बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली (BESS) के लिए संपूर्ण ईपीसी समाधान

हाइड्रोजन प्रणाली

- 5KW के सिंगल स्टैक साइज़ और 25 kW के PEMFC स्टैक वाले PEM फ्यूल सेल (PEMFC) सिस्टम
- हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम के लिए संपूर्ण ईपीसी समाधान
- बॉयोमास गैसीफिकेशन से ग्रीन हाइड्रोजन और उससे बनने वाले उत्पादों के लिए संपूर्ण ईपीसी समाधान

विस्तृत उत्पाद प्रोफाइल इस प्रकार है:

उत्पाद प्रोफाइल

स्टीम जनरेटर

- कोयला, लिग्नाइट, तेल, नेचुरल गैस या इन ईंधनों के संयोजन का उपयोग करने वाले, 30 से 800 मेगावाट क्षमता वाले यूटिलिटीज के लिए स्टीम जनरेटर्स; जिसमें सुपरक्रिटिकल पैरामीटर्स वाले सेट्स भी शामिल हैं।
- 350 मेगावाट तक के सबक्रिटिकल पैरामीटर्स वाले और 151 मेगावाट से 660 मेगावाट तक के सुपरक्रिटिकल पैरामीटर्स वाले सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज्ड बेड कम्बशन स्टीम जनरेटर।
- आयातित/ भारतीय कोयले की विभिन्न गुणवत्ता के ब्लेंडिंग / को-फायरिंग के सभी कॉम्बिनेशंस, और लिग्नाइट, पेटकोक आदि की ब्लेंडिंग करने में सक्षम फ्यूल फ्लेक्सिबल बॉयलर्स।
- एएसएमई सेक्टर-III एनबी क्लास-1 की आवश्यकताओं के अनुसार न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए स्टीम जनरेटर और रिएक्टर हेडर के निर्माण और आपूर्ति की क्षमता।
- कोयला, नेचुरल गैस, इंडस्ट्रियल गैसेस, बायोमास, लिग्नाइट, ऑइल, पेटकोक, बगास या इनके किसी कॉम्बिनेशन का उपयोग करने वाले, 40 टन/घंटा क्षमता से शुरु होने वाले इंडस्ट्रियल एप्लिकेशंस के लिए निम्नलिखित प्रकार के स्टीम जनरेटर्स:
    - » पिसे हुए कोयले / लिग्नाइट से चलने वाले बॉयलर
    - » स्टोकर-फायर्ड बॉयलर
    - » बबलिंग फ्लुइडाइज़्ड बेड कंबशन (BFBC) बॉयलर
    - » सर्कुलेटिंग फ्लुइडाइज़्ड बेड कंबशन (CFBC) बॉयलर
    - » हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (HRSG)
    - » कागज उद्योग के लिए केमिकल रिकवरी बॉयलर, जिनकी क्षमता 10 से 1000 टन/दिन ड्राई सॉलिड तक है
- बॉयलर में कोयले के साथ बायोमास और मेथनॉल को मिलाकर जलाने (को-फायरिंग) में विशेषज्ञता
- बॉयलरों के लचीले संचालन के लिए संपूर्ण समाधान

स्टीम जनरेटर के सहायक उपकरण

- एअर प्रीहीटर
    - » ट्यूबलर प्रीहीटर
    - » रोटरी रीजेनरेटिव एयर प्रीहीटर्स (विभिन्न प्रकार जैसे बाईसेक्टर, ट्राई-सेक्टर और क्वाड-सेक्टर)
- वायु गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली (AQCS)
  कण उत्सर्जन नियंत्रण
    - » न्यूनतम 15 mg/Nm^3 आउटलेटउत्सर्जन वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (99.97% तक दक्षता)
    - » यूटिलिटी और औद्योगिक उपयोग के लिए बैग फिल्टर
    - » अमोनिया फ्लू गैस कंडीशनिंग सिस्टम
- स्टील चिमनियाँ
    - » फ़्लू गैस निकालने के लिए स्टील की चिमनियां, जिनकी अधिकतम ऊंचाई 80 मीटर और अंदर का व्यास 6.5 मीटर तक है।
- फैन
    - » 200°C तक स्वच्छ वायु अनुप्रयोग और धूल भरी गर्म गैसों के अनुप्रयोगों के लिए सिंगल-स्टेज और डबल-स्टेज वाले एक्सियल रिएक्शन फैन; जिनकी क्षमता 40 से 1300 m^3/s तक और प्रेशर 400 से 1,500 mmwc के बीच है।
    - » 400°C तक स्वच्छ हवा और धूल-भरी गर्म गैस दोनों अनुप्रयोगों के लिए सिंगल और डबल-सक्शन रेडियल फ़ैन (प्लेट एयरफ़ॉइल ब्लेड वाले), जिनकी क्षमता 4 से 660 m^3/s तक और प्रेशर 200 से 3,000 mmwc के बीच है।
- पल्वाराइज़र
    - » धीमी और मध्यम गति की बाउल मिलें (प्रेशराइज़्ड और सक्शन, दोनों तरह के लिए) जिनकी क्षमता 10 टन/घंटा से 120 टन/घंटा वाली।
    - » बॉल ट्यूब मिलें 30 टन/घंटा से 110 टन/घंटा क्षमता वाली।
- गिलोटिन गेट्स और डैम्पर्स
    - » इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर वाले गिलोटिन गेट। सील एयर के साथ 100% लीक-प्रूफ (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप-1: 7m/14.5m, टाइप-2: 14.6m/4.5m, टाइप-3: 11.5m/6.5m
    - » इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर वाले बाई-प्लेन डैम्पर्स। सील एयर के साथ 100% लीक-प्रूफ (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप-1: 7m/14.5m, टाइप-2: 12m/10.5m
    - » इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर वाले लौवर डैम्पर (खुलने-बंद होने/रेगुलेट करने वाले) (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप-1: 6.5m/14.5m, टाइप-2: 12m/10.5m
    - » इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्चुएटर वाले कंट्रोल डैम्पर (रेगुलेटिंग) (अधिकतम चौड़ाई/ऊंचाई): टाइप-1: 6.5m/14.5m, टाइप-2: 12m/10.5m
- फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (FGD) प्रणालियां
    - » गीले चूना-पत्थर और समुद्री जल आधारित एफजीडी प्रणालियां
    - » अवशोषक – डीसीएफएस (डबल कॉन्टैक्ट फ्लो स्क्रबर) प्रौद्योगिकी
    - » गीला चुना पत्थर एफजीडी – सिंगल और ट्विन टॉवर एब्जॉर्बर
    - » सी-वाटर एफजीडी – ग्रिड टॉवर एब्जॉर्बर
    - » गैस से गैस हीटर के साथ और बिना एब्जॉर्बर
    - » 99.9% SO2 क्षमता वाले एफजीडी
- De-NOx समाधान
    - » NOx उत्सर्जन कम करने के लिए इन-फर्नेस कंबशन कंट्रोल समाधान
- NOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (SCR) सिस्टम (हनीकॉम्ब और प्लेट प्रकार)

- NOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए SCR प्लेट-टाइप उत्प्रेरक
- सीईए (CEA) गाइडलाइंस के अनुसार 3%/मिनट की रैम्प रेट पर 70-100% टर्बाइन मैक्सिमम कंटीन्यूअस रेटिंग (TMCR), 2%/मिनट की रैम्प रेट पर 55-70% TMCR और 1%/मिनट की रैम्प रेट पर 40-55% TMCR तथा 40% TMCR का मिनिमम टेक्निकल लोड प्राप्त करने के लिए बॉयलरों का लचीला प्रचालन।

सूट ब्लोवर्स

- 12.2 मीटर तक की दूरी के लिए लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर (एलआरएसबी)
- वाटर वॉल फर्नेस एरिया के लिए वॉल ब्लोअर (वाटर वॉल डीस्लैगर)
- 10 मीटर तक की यात्रा लंबाई के लिए फर्नेस तापमान जांच (एफटीपी)
- एयर प्री-हीटर्स के लिए आगे की ओर ब्लो करने वाले लॉन्ग रिट्रैक्टेबल नॉन-रोटेटिंग (एलआरएनआर) सूट ब्लोअर्स
- रोटरी सूट ब्लोवर्स
- रैक-टाइप लंबे रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर
- सीएफबीसी बॉयलर अनुप्रयोग के लिए ऐश डिस्चार्ज वॉल्व
- अनुक्रमिक पीएलसी, कंट्रोल पैनल और इंटीग्रल स्टार्टर के साथ सूट ब्लोअर

वाल्वस

- यूटिलिटी और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए हाई और लो-प्रेशर टर्बाइन बाईपास वॉल्व और हाइड्रोलिक सिस्टम
- स्टीम, ऑयल और गैस ड्यूटीज के लिए 950 मिमी (mm) व्यास, अधिकतम प्रेशर क्लास 4500 (791 किग्रा/सेमी^{2}) और 650°C तापमान तक के गेट, ग्लोब, नॉन-रिटर्न (स्विंग-चेक और पिस्टन लिफ्ट-चेक) प्रकार के हाई और मीडियम-प्रेशर वाल्व, कास्ट और फोर्ज़्ड स्टील वाल्व।
- 1500 क्लास के 900 मिमी पाइप साइज और 650°C तक के स्टीम तापमान के लिए हॉट रीहीट और कोल्ड रीहीट आइसोलेटिंग डिवाइसेज।
- 372 kg/cm^2 तक दबाव और 630°C तक तापमान सेट करने के लिए हाई-कैपेसिटी स्प्रिंग-लोडेड सेफ्टी वॉल्व
- 320 kg/cm^2 तक दबाव और 610°C तक तापमान सेट करने के लिए ऑटोमैटिक इलेक्ट्रिक प्रेशर रिलीफ वॉल्व
- 421 kg/cm^2 दबाव और 537°C तक तापमान सेट करने के लिए सेफ्टी रिलीफ वॉल्व
- 2700 mm अधिकतम व्यास वाले रिएक्टिव कम एब्जॉर्प्टिव टाइप वेंट साइलेंसर
- डायरेक्ट वाटर लेवल गेज
- एंगल ड्रेन वॉल्व - टरबाइन ड्रेन एप्लीकेशन के लिए सिंगल और मल्टी स्टेज
- री-हीटर और सुपर-हीटर स्प्रे लाइनों के लिए हेवी-ड्यूटी कंट्रोल वॉल्व
- एक्सट्रैक्शन लाइनों और पावर-असिस्टेड नॉन-रिटर्न वाल्व के लिए जल्दी बंद होने वाले नॉन-रिटर्न वाल्व - 900 mm व्यास तक के, 158 kg/cm^2 के दबाव और 540°C सेल्सियस तापमान के लिए।
- एफजीडी एप्लीकेशन के लिए 1300 mm और 1400 mm व्यास के नाइफ एज गेट वॉल्व

पाइपिंग प्रणालियां

- सुपर क्रिटिकल सेट्स सहित 800 मेगावाट क्षमता तक के पावर स्टेशन्स के लिए पावर साइकिल पाइपिंग, कांस्टेंट लोड हैंगर्स, वेरिएबल स्प्रिंग हैंगर्स, हैंगर कम्पोनेंट्स और सर्कुलेटिंग वाटर पाइपिंग सहित लो प्रेशर पाइपिंग।
- न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट और इंडस्ट्रियल बॉयलरों व प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ के लिए पाइपिंग सिस्टम
- नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोशन इंजीनियर्स (NACE) की आवश्यकता को पूरा करने वाले, रिफाइनरी सेगमेंट की आवश्यकताओं के लिए प्रीफैब्रिकेटेड पाइपिंग/ डक्ट स्पूल्स।

सीमलेस स्टील ट्यूब

- एएसटीएम/एएसएमई और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल कार्बन स्टील और लो-अलॉय स्टील्स में 21 मिमी से 133 मिमी के बाहरी व्यास तथा 2 मिमी से 12.5 मिमी की वॉल थिकनेस की रेंज वाले हॉट-फिनिश्ड और कोल्ड-ड्रॉन सीमलेस स्टील ट्यूब्स।
- एएसएमई और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल कार्बन स्टील और लो-अलॉय स्टील्स में 44.5 मिमी से 63.5 मिमी के ट्यूब बाहरी व्यास तथा 5.6 मिमी से 7.1 मिमी की वॉल थिकनेस की रेंज वाले राइफल्ड ट्यूब्स (रिब्ड)।
- एएसएमई स्टैंडर्ड्स के अनुकूल कार्बन स्टील और अलॉय स्टील्स में 31.8 मिमी से 69.85 मिमी के ट्यूब बाहरी व्यास, 3 मिमी से 9.5 मिमी की वॉल थिकनेस, 12.5 मिमी से 21 मिमी की फिन हाइट और 40 से 240 फिन्स प्रति मीटर की फिन डेंसिटी रेंज वाले स्पाइरल फिनिश्ड ट्यूब्स।

प्रेशराइज़्ड फ़्लूइडाइज़्ड बेड गैसीफ़ायर (पीएफबीजी) (कोल से केमिकल्स)

- सिनगैस और अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए लिग्नाइट सहित कोयले के गैसीफिकेशन हेतु पीएफबीजी प्रौद्योगिकी।
- प्रतिदिन 2500 टन तक की सिंगल-यूनिट क्षमता का हाई-प्रेशर ऑक्सी-ब्लोन कोल गैसीफायर, निम्नलिखित अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए सिनगैस का उत्पादन करने में सक्षम है:
  - » हाइड्रोजन/अमोनिया/अमोनियम नाइट्रेट
  - » मेथनॉल/डाइमिथाइल ईथर
  - » लौह अयस्क का प्रत्यक्ष अपचयन
  - » आईजीसीसी से बिजली
  - » सिंथेटिक प्राकृतिक गैस

स्टीम टर्बाइन

- 800 MW तक की यूनिट रेटिंग वाली स्टीम टर्बाइन, जिसमें सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 350/660/700/800 MW यूनिट रेटिंग वाले सेट और सबक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 600 MW तक की यूनिट रेटिंग वाले सेट शामिल हैं।
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 MWe यूनिट रेटिंग तक के स्टीम टर्बाइन
- समुद्री प्रणोदन के लिए 15000 HP टर्बाइन

गैस टर्बाइन

- ड्राय लो NOx (DLN) कम्बस्टर्स के माध्यम से लो एग्जॉस्ट इमिशन स्तर (15ppm NOx तक) और ध्वनि न्यूनीकरण के साथ वर्सटाइल फ्यूल बर्निंग कैपेबिलिटी (गैस और लिक्विड, जिसमें स्टील इंडस्ट्री एप्लिकेशंस के लिए BFG और COG शामिल हैं) तथा मिक्ड फ्यूल फायरिंग ऑप्शन्स वाले 26 मेगावाट (Fr-5) से 571 मेगावाट (Fr-9HA.02) तक के गैस टर्बाइन्स।

टर्बो जनरेटर

- थर्मल/गैस पावर संयंत्रों के लिए 800 MW यूनिट रेटिंग तक के एयर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन/वाटर कूल्ड टर्बो जेनरेटर और उनसे जुड़े सहायक प्रणालियां।
- 200 MW रेटिंग तक के एयर-कूल्ड
- 300 MW रेटिंग तक के हाइड्रोजन-कूल्ड
- 800 MW रेटिंग तक हाइड्रोजन/वाटर कूल्ड
- जनरेटर के लिए सीसीपीपी एप्लीकेशन
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 MWe तक के जनरेटर
- जनरेटर कूलिंग प्रणाली: एयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन/वाटर
- एक्साइटेशन प्रणाली: ब्रश रहित / स्टैटिक
- सहायक प्रणालियां: प्राइमरी वाटर सिस्टम, सील ऑयल सिस्टम, गैस सिस्टम, आदि।

हाइड्रो पावर प्लांट

- 400 MW यूनिट रेटिंग तक के फ्रांसिस और पेल्टन टाइप के हाइड्रो टर्बाइन
- 100 MW यूनिट रेटिंग तक के कपलान टाइप हाइड्रो टर्बाइन
- बल्ब टाइप हाइड्रो टर्बाइन – 10 MW यूनिट रेटिंग तक के जनरेटर
- 400 MW यूनिट रेटिंग तक के सैलियंट पोल वर्टिकल सिंक्रोनस हाइड्रो जनरेटर
- 20 MW यूनिट रेटिंग तक का हॉरिजॉन्टल जनरेटर
- 350 MW यूनिट रेटिंग तक के रिवर्सिबल पंप-टर्बाइन
- पंप स्टोरेज प्लांट (मोटरिंग मोड) के लिए के लिए 400 MW यूनिट रेटिंग तक फिक्सड स्पीड जेनरेटर-मोटर
- लिफ्ट सिंचाई योजना (LIS) के लिए 200 MW यूनिट रेटिंग तक का हाई-कैपेसिटी पंप और मोटर (वर्टिकल सिंक्रोनस)

इंडस्ट्रियल सेट्स

- स्टीम टरबाइन पर आधारित कैप्टिव पावर प्लांट (नॉन-रीहीट और रीहीट यूनिट)
  - » स्टीम टरबाइन-जनरेटर/बॉयलर/बॉयलर टरबाइन-जनरेटर/ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन
- कंप्रेसर, पंप, ब्लोअर, मरीन प्रोपल्शन आदि मैकेनिकल ड्राइव्स के लिए स्टीम टरबाइन।
- एकीकृत इस्पात संयंत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टॉप रिकवरी टर्बाइन (TRT)
- गैस टरबाइन पर आधारित कैप्टिव पावर प्लांट।
- डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (DSOG) सेगमेंट के लिए प्रोसेस पैकेज/उपकरण/ समाधान।

कास्टिंग और फोर्जिंग

- 0.5 मीट्रिक टन से लेकर 61 मीट्रिक टन तक के सिंगल पीस स्टील कास्टिंग्स, 120 मीट्रिक टन वजन तक के कास्ट-फैब्रिकेटेड कास्टिंग्स, और विभिन्न मटेरियल ग्रेड जैसे कि प्लेन कार्बन, क्रीप रेजिस्टेंट, स्टेनलेस स्टील, सुपर क्रिटिकल स्टील्स और एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एलॉय 625 में 36 मीट्रिक टन तक के फॉर्जिंग्स।

कंडेंसर और हीट एक्सचेंजर

- सर्फेस कंडेंसर
  - » 800 MW तक के थर्मल पावर प्लांट के लिए
  - » 700 MWe तक के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए
  - » 12.5 MW मरीन एप्लीकेशन
  - » इंडस्ट्रियल कंडेंसर
- 660 और 800 MW के थर्मल पावर प्लांट के लिए एयर-कूल्ड कंडेंसर
- फीड वाटर हीटर (हाई प्रेशर हीटर, लो प्रेशर हीटर, डुप्लेक्स हीटर, डी-सुपर हीटर, ड्रेन कूलर, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर आदि), जिनमें गैर बीएचईएल हीटर की रेट्रोफ़िटिंग भी शामिल है।
  - » थर्मल 7 से 600 MW (सब-क्रिटिकल) और 350 से 800 MW (सिंगल स्ट्रीम के साथ सुपर क्रिटिकल)
  - » न्यूक्लियर: 220 MWe, 500 MWe और 700 MWe
  - » 7 MW से 150 MW तक के औद्योगिक अनुप्रयोग।
- मॉइस्चर सेपरेटर और रीहीटर (MSR).
  - » न्यूक्लियर: 220 MWe, 500 MWe और 700 MWe.

- लाइव स्टीम रीहीटर (LSR)
    - » 500 MW फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) न्यूक्लियर सेट
- न्यूक्लियर प्राइमरी साइकल के लिए D_2O और मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर्स
- टर्बो और हाइड्रो जनरेटर के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर
    - » एयर कूलर (फ्रेम और ट्यूब टाइप)
    - » ऑयल कूलर (शेल और ट्यूब टाइप और प्लग-इन टाइप)
    - » हाइड्रोजन कूलर्स (फ्रेम एवं ट्यूब टाइप)
- ट्रांसफॉर्मर ऑयल कूलर
    - » शेल और ट्यूब टाइप: सिंगल ट्यूब या कॉन्सेंट्रिक डबल ट्यूब टाइप
    - » फ़्रेम और ट्यूब का टाइप: एल-फ़िन ट्यूब के साथ (ऑयल फ़ोर्स्ड/एयर फ़ोर्स्ड) ओएफएएफ
- रक्षा अनुप्रयोगों के लिए एयर कूलर
    - » शेल और ट्यूब टाइप
    - » सीएसीडब्ल्यू (क्लोज्ड एयर सर्किट, वाटर कूल्ड) टाइप
- 400NB से 2800NB तक जल अनुप्रयोग के लिए बटरफ्लाई वॉल्व और रबर एक्सपेंशन जॉइंट्स।
- तेल और पानी के भंडारण के लिए फ़्लैश टैंक और विविध टैंक
- सामान्य अनुप्रयोग और डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (DSOG) अनुप्रयोग के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
    - » वाटर - वाटर कूलर (शेल और ट्यूब टाइप)
- 126 MW (Fr-9E) तक के जीटीजी के लिए एयर-कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स, और डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस (DSOG) अनुप्रयोग के लिए सभी रेटिंग वाले कंप्रेसर अनुप्रयोग ।
    - » 150 MW तक के कंडेंसर के लिए स्टीम जेट एयर इजेक्टर।
    - » 7 MW से 800 MW तक के डी-एरेटर।
    - » कंप्रेसर अनुप्रयोग के लिए गैस कूलर
    - » ऑयल कूलर- एसटीजी 150 MW तक; GTG 126 MW तक (Fr-9E)
    - » 150 MW एसटीजी तक जनरेटर एयर कूलर और 250 MW (9 FA) तक जीटीजी

पंप्स

- 800 MW तक की क्षमता वाले विभिन्न यूटिलिटी पावर प्लांट अनुप्रयोगों के लिए पंप :
    - » बॉयलर फ़ीड पंप (मोटर या स्टीम टरबाइन चालित) और बॉयलर फ़ीड बूस्टर पंप
    - » कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप, जिनमें ड्रिप पंपों सहित
    - » सर्कुलेटिंग वाटर पंप (कूलिंग वाटर पंप)
    - » कंक्रीट वॉल्यूट कूलिंग वाटर पंप
    - » 700 MWe क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सेकेंडरी साइड के लिए पंप (बीएफबी सहित)
    - » एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए स्लरी रीसर्क्युलेशन पंप।

कंप्रेसर

- एपीआई 617 के अनुसार सेंट्रीफ्यूगल कम्प्रेसर की पूरी रेंज (जो स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रिक मोटर (वीएफडी/वीएसडी) और गैस टरबाइन द्वारा संचालित) के साथ साथ रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, स्टील, पावर और नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन जैसे विभिन्न उद्योगों में सभी प्रमुख कम्प्रेशन अनुप्रयोगों के लिए सहायक प्रणालियां।
- वायु, CO, सिनगैस, N2, H2, NH3, नैचुरल गैस, वेट गैस, प्रोपलीन और अन्य सेवाओं जैसी विभिन्न गैसों के लिए 3,00,000 m^3/hr तक की क्षमता वाले कंप्रेसर पैकेज।
- 40 बार डिज़ाइन प्रेशर वाला हॉरिजॉन्टली स्प्लिट टाइप।
- 350 बार डिज़ाइन प्रेशर वाला वर्टिकली स्प्लिट टाइप।
- एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए ऑक्सीडेशन ब्लोअर।

स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली

- बॉयलर सुरक्षा सहित स्टीम जनरेटर/ बॉयलर नियंत्रण
- पावर प्लांट के लिए टरबाइन, जनरेटर और सहायक उपकरणों के लिए नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियां
- बॉयलर फ़ीड पंप ड्राइव टरबाइन कंट्रोल
- स्टेशन कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन/डीसीएस
- ऑटोमैटिक जनरेटर कंट्रोल.
- वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम.
- ऑफ़साइट/ऑफ़-बेस कंट्रोल/बैलेंस ऑफ़ प्लांट कंट्रोल
    - ◊ ऐश हैंडलिंग प्लांट (एएचपी)
    - ◊ कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)
    - ◊ मिल रिजेक्ट सिस्टम (एमआरएस)
    - ◊ पावर प्लांटों के लिए वाटर सिस्टम(सीओएलटीसीएस)
    - ◊ गैस बूस्टर कंप्रेसर (जीबीसी)
    - ◊ कंडेनसेट ऑन-लोड ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम
    - ◊ कंडेनसेट पॉलिशिंग यूनिट (सीपीयू)
    - ◊ हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी)
    - ◊ फ्यूल ऑयल अनलोडिंग सिस्टम (एफओयूएस)

- हाइड्रो पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम
- गैस टरबाइन कंट्रोल सिस्टम
- न्यूक्लियर पावर प्लांट प्राइमरी साइकिल कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज (सीसीआईपी)
- न्यूक्लियर पावर प्लांट टरबाइन और सेकेंडरी साइकिल कंट्रोल सिस्टम।
- सोलर थर्मल पावर प्लांट का पावर ब्लॉक।
- इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन।
- सब-स्टेशन ऑटोमेशन (एसएएस)।
- नॉन-एफएसटी एचवीडीसी कंट्रोल पैनल।
- रिफाइनरी के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम (ईसीएस)
- पावर प्लांट के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस)
- एमवी/एलवी स्विचगियर के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफेस सिस्टम
- जनरेटर सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफेस सिस्टम

ट्रांसमिशन प्रणाली

- 765kV तक के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन/स्विचयार्ड (एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन और गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन दोनों प्रकार के)
- +/-800kV तक के हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट कन्वर्टर स्टेशन
- 400kV तक का डिजिटल सबस्टेशन
- फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस) समाधान
  - » फिक्सड सीरीज़ कम्पेनसेशन (एफएससी)
  - » कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर)
  - » फेज़ शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर (पीएसटी)
  - » सिंक्रोनस कंडेंसर
- पावर सिस्टम अध्ययन

सॉफ्टवेयर सिस्टम समाधान

- थर्मल उपयोगिता के लिए प्रदर्शन विश्लेषण, निदान और अनुकूलन (पीएडीओ)
- प्रदर्शन गणना और अनुकूलन प्रणाली तथा वास्तविक समय प्रदर्शन डेटा निगरानी प्रणाली
- डीसीएस से थर्ड-पार्टी सिस्टम तक ओपन प्लेटफ़ॉर्म कम्युनिकेशन्स (ओपीसी) कनेक्टिविटी
- एंटरप्राइज़ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (ईएएमएस)
- ऑपरेटर ट्रेनिंग सिम्युलेटर
- रिमोट मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक सिस्टम (आरएमडीएस)
- इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर (लोड फ्लो / शॉर्ट सर्किट / मोटर स्टार्टिंग अध्ययन / ग्राउंडिंग अध्ययन/ रिले समन्वय)

स्विचगीयर

- 36 kV तक की वोल्टेज रेटिंग के लिए इनडोर और आउटडोर उपयोग वाले मीडियम वोल्टेज वैक्यूम स्विचगियर, और 420 kV तक के गैस इंसुलेटेड स्विचगियर।
  - » इनडोर स्विचगियर्स
    - ◊ थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स के लिए 12 kV, 50 kA, 4000 A तक के
    - ◊ इंडस्ट्रीज़, सोलर पावर प्लांट्स और रिफाइनरीज़ के लिए 36 kV, 31.5 kA, 2500 A तक के
    - ◊ डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए कॉम्पैक्ट स्विचगियर 12 kV, 26.3 kA, 1250 A तक के
  - » आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
    - ◊ डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए 12 kV, 26.3 kA, 1250 A
    - ◊ डिस्ट्रिब्यूशन सेगमेंट के लिए 36 kV, 26.3 kA, 2000 A
    - ◊ ट्रैक-साइड रेलवे एप्लीकेशन के लिए 25 kV और 52 kV (2x25 kV) वैक्यूम इंटरप्टर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
  - » गैस इंसुलेटेड स्विचगियर
    - ◊ रिफाइनरी, शहरी वितरण और उद्योगों के लिए 36 kV, 40 kA, 2500 A (सिंगल बसबार और डबल बसबार डिज़ाइन)
    - ◊ ट्रांसमिशन सेक्टर (हाइड्रो स्टेशन/ थर्मल पावर प्लांट/ अन्य सबस्टेशन) के लिए 420 kV, 40 kA, 3150 A
    - ◊ 420 kV गैस इंसुलेटेड बस डक्ट्स के लिए

ऑन-लोड टैप चेंजर (ओएलटीसी)

- 765 kV क्लास तक के ट्रांसफॉर्मर तक ऑन लोड टैप चेंजर और 765 kV तक ऑफ सर्किट टैप स्विच, पावर ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, स्टेशन ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर इत्यादि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए 500 MVA क्लास ट्रांसफॉर्मर।

एलटी स्विचगियर और बस डक्ट्स

- थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, कैप्टिव पावर प्लांट और स्टील इंडस्ट्री के लिए 415 V LT स्विचगियर
- 800 MW तक की क्षमता की यूटिलिटीज़ के जनरेटर पावर आउटपुट के अनुरुप संबंधित उपकरणों के साथ जनरेटर बसडक्ट्स
  - ◊ HV बसडक्ट – आइसोलेटेड फेज़ बसडक्ट्स (आईपीबीडी) रेटेड वोल्टेज 12 kV से 36 kV और रेटेड करंट 100 Amp से 26000 Amp
  - ◊ MV बसडक्ट – सेग्रीगेटेड फेज़ बसडक्ट्स (एसपीबीडी) रेटेड वोल्टेज 12 kV से 36 kV और रेटेड करंट 1000 Amp से 6000 Amp

◊ LV बसडक्ट – नॉन-सेग्रीगेटेड फेज़ बसडक्ट्स (एनएसपीबीडी), रेटेड वोल्टेज 1.1 kV तक और रेटेड करंट 1600 Amp से 5000 Amp तक

ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर

- 1200 kV तक के वोल्टेज के लिए पावर ट्रांसफॉर्मर
  - » जनरेटर ट्रांसफॉर्मर (600 MVA, 420 kV, 3 Ph/ 400 MVA, 765 kV, 1 Ph/ 500 MVA, 420 kV, 1 Ph तक के)
  - » ऑटोट्रांसफॉर्मर (1000 MVA, 400 kV, 3Ph/ 600 MVA, 400 kV, 1 Ph/ 500 MVA, 765 kV, 1 Ph / 1000 MVA, 1200 kV, 1 Ph तक के)
- HVDC ट्रांसमिशन के लिए कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर / स्मूथिंग रिएक्टर (600 MVA, ±800 kV तक) / (254 MVAr, ± 500 kV तक)
- शंट रिएक्टर्स (150 MVAr, 420 kV, 3 Ph / 110 MVAr, 765 kV, 1 Ph तक के)
- फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (200 MVAr, 420 kV, 3 Ph/ 200 MVAr, 420 kV, 1 Ph/ 200 MVAr, 765 kV, 1 Ph तक के)
- ट्रांसमिशन लाइनों के लिए फेज़ शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर (500 MVA, 400 kV, 3 Ph तक / 500 MVA, 400 kV, 1 Ph तक के)
- इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर
  - » 800 kV तक के डेड टैंक करंट ट्रांसफॉर्मर
  - » 400 kV तक का लाइव टैंक करंट ट्रांसफॉर्मर
  - » 220 kV तक के इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर
  - » कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (33 kV से 1200 kV)
  - » 400kV तक के पॉलीमर इंसुलेटर कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर
  - » एचवीडीसी परियोजनाओं के लिए 24 kV PR क्लास करंट ट्रांसफॉर्मर
- विशेष ट्रांसफॉर्मर
  - » रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर (120 kA, 132 kV तक के)
  - » फर्नेस ट्रांसफॉर्मर (33 kV, 100 MVA तक के)
- 95 kVp, 1600 mA तक के ईएसपी ट्रांसफॉर्मर।
- 15 MVA, 36 kV तक के ड्राई-टाइप ट्रांसफॉर्मर।
- पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए कम्पोजिट मॉनिटरिंग सिस्टम।

कैपिसिटर्स

- एच.टी. कैपेसिटर
  - » शंट, सीरीज़ और स्टैटिक वीएआर कम्पेनसेशन (SVC), हार्मोनिक फ़िल्टर और एचवीडीसी अनुप्रयोग (3.3 kV से 500 kV, 1 Ph/ 3 Ph कैपेसिटर बैंक)
- सीवीटी (33 kV से 1200 kV) के लिए कैपेसिटर डिवाइडर
- ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कपलिंग कैपेसिटर (33 kV से 800 kV, 4400 pF से 13200 pF)
- जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए सर्ज कैपेसिटर (11 kV से 40 kV)

बुशिंग्स

- ट्रांसफॉर्मर के लिए 52 kV से 800 kV तक के ऑयल-इम्प्रेग्रेटेड पेपर (ओआईपी) कंडेंसर बुशिंग
- 25 kV लोकोमोटिव बुशिंग
- 245 kV तक की वॉल बुशिंग

कंट्रोल गियर

- उद्योगों/बिजली संयंत्रों में ईएसपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर
- डिजिटल स्टैटिक एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम (2000 A, 400 V DC के साथ रिडंडेंट थायरिस्टर स्टैक और DC फील्ड ब्रेकर)
- पीएलसी-आधारित डिजिटल कंट्रोल वाले बड़े करंट रेक्टिफायर
- ईएचवी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल (400 kV तक के)
- सिंक्रोनस जनरेटर के लिए इंटीग्रेटेड एक्साइटेशन और प्रोटेक्शन पैनल
- हाइड्रो पावर परियोजनाओं के लिए डिजिटल इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक गवर्नर (ईएचजी)

इंसुलेटर और सिरेमिक

- पोर्सिलेन इंसुलेटर
  - » ट्रांसफॉर्मर और SF6 सर्किट ब्रेकर के लिए 765 kV तक के खोखले (hollow) इंसुलेटर
  - » ट्रांसमिशन और सबस्टेशन के लिए 400 kV तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर, बस पोस्ट और आइसोलेटर
- काम्पोजिट लॉन्ग रॉड इंसुलेटर
  - » एचवीडीसी अनुप्रयोग के लिए ±800 kV, 420 kN तक के
  - » एचवीएसी अनुप्रयोग के लिए 765 kV, 210 kN तक के
  - » भारतीय रेलवे के लिए ट्रैक्शन इंसुलेटर स्टेआर्म, ब्रैकेट और 9 टन इंसुलेटर।
- काम्पोजिट हॉलो इंसुलेटर
  - » सीटी हाउसिंग अनुप्रयोग के लिए 400 kV तक के
- थर्मल पावर प्लांट और ऐश स्लरी अनुप्रयोगों के लिए घिसाव-रोधी मटीरियल - सिरेमिक लाइनिंग (सेरालिन)
- औद्योगिक और स्पेशल सिरेमिक्स
  - » बॉयलर ड्रम में पानी के लेवल की निगरानी के लिए प्रयोग होने वाले

इलेक्ट्रॉनिक वाटर लेवल इंडिकेटर (बीएचईएल विजन सिस्टम)

» क्रिसमस ट्री वाल्व के लिए सिरेमिक और टंगस्टन कार्बाइड फ्लो बीन्स

» थर्मल पावर प्लांट में पल्वराइज़र मिल के लिए ग्राइंडिंग रोल और बिल्डिंग सेगमेंट

» ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए आईजीबीटी इंसुलेटर

» रेल व्हील कास्टिंग के लिए सिरेमिक पोरिंग ट्यूब

इलेक्ट्रिकल मशीनें

- सुरक्षित क्षेत्र अनुप्रयोग के लिए एसी मशीनें
  - » स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरें 150 kW से 22000 kW तक
  - » स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरें 150 kW से 10000 kW तक
  - » सिंक्रोनस जनरेटर 1000 kW से 25000 kW
  - » सिंक्रोनस मोटरें 1000 kW से 15000 kW
  - » वेरिएबल स्पीड मोटरें 150 kW से 19000 kW (स्क्विरल केज मोटरें)
  - » वेरिएबल स्पीड सिंक्रोनस मोटरें 1000 kW से 12000 kW
- जोखिम भरे क्षेत्रों में अनुप्रयोग के लिए एसी मोटरें (फिक्सड स्पीड या वीएफडी के साथ)
  - » फ्लेम-प्रूफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरें (एक्स 'डी') (150 kW से 2000 kW)
  - » नॉन-स्पार्किंग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरें (एक्स 'ईसी') (150 kW से 22000 kW)
  - » बढ़ी हुई सुरक्षा वाली स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरें (एक्स 'ईबी') (150 kW से 4000 kW)
  - » प्रेशराइज़्ड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटरें (एक्स 'पी') (150 kW से 22000 kW)
  - » प्रेशराइज़्ड सिंक्रोनस मोटरें (एक्स 'पी') (1000 kW से 12000 kW)
- औद्योगिक अल्टरनेटर (स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और डीज़ल इंजन चालित) (3000 kVA से 31250 kVA)
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के प्राइमरी कूलेंट पंप के लिए वर्टिकल मोटरें
- 2 पोल एयर-कूल्ड स्टीम/गैस टरबाइन से चालित जनरेटर (3 MW से 160 MW)
- 4 पोल एयर-कूल्ड स्टीम/गैस टरबाइन से चालित जनरेटर (3 MW से 40 MW)
- 2 पोल वाले हाइड्रोजन-कूल्ड स्टीम/गैस टरबाइन से चालित जनरेटर (36 MW से 270 MW)
- समुद्री अनुप्रयोगों के लिए 200 kW की एचटीएससी मोटरें
- 5 MW तक के परमानेंट मैग्नेट वाले जनरेटर और मोटरें
- परमानेंट मैग्नेट वाले एक्सियल फ्लक्स मोटरें
- 270 MW तक के गैस टरबाइन जनरेटर

रेल यातायात
परिवहन प्रणाली

- सेमी हाई-स्पीड ट्रेनसेट (वंदे भारत)
- ईएमयू-आधारित ट्रेनसेट (वंदे मेट्रो)
- एसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (9000 HP, 25 kV AC तक)
- एसी - डीसी डुअल वोल्टेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
- हाइब्रिड और वैकल्पिक ईंधन वाले लोकोमोटिव
- एसी ईएमयू (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स) कोच
- निम्नलिखित के लिए ट्रैक्शन प्रोपल्शन सिस्टम:
  - » 6000 HP और 9000 HP आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव
  - » 3-फेज़ आईजीबीटी आधारित एसी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) एवं मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (मेमू)
  - » एयर-कंडीशंड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स (एसीईएमयू)
  - » पारंपरिक ईएमयू / मेमू
  - » सेल्फ़-प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कार
  - » सेमी हाई-स्पीड ट्रेनसेट (वंदे भारत)
  - » कवच मोबाइल मेंटेनेंस कार
  - » 1600 HP आईजीबीटी -बेस्ड डेमू (डीज़ल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट)
  - » कोलकाता मेट्रो के लिए 750V DC थर्ड रेल-बेस्ड 3-फेज़ सिस्टम
  - » 1600 HP मल्टी-जेनसेट लोकोमोटिव
- डीज़ल इलेक्ट्रिक टावर कार
- डीज़ल इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव (1400 HP तक)
- ओएचई रिकॉर्डिंग-कम-टेस्ट कार
- डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइज़र
- रेल-बॉर्न मेंटेनेंस व्हीकल
- रेल-कम-रोड व्हीकल
- रेल एप्लीकेशन के लिए आईआईओटी समाधान
- टीसीएमएस (ट्रेन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम) पैनल
- ट्रेन टक्कर से बचाव प्रणाली (कवच)

परिवहन उपकरण

- ट्रैक्शन कन्वर्टर और ऑक्सिलरी कन्वर्टर
- व्हीकल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स
- होटल लोड कन्वर्टर
- कंपोजिट कन्वर्टर जिसमें ट्रैक्शन कन्वर्टर और होटल लोड कन्वर्टर शामिल हैं
- मेनलाइन लोको और वंदे भारत के लिए मोटराइज्ड बोगी

- ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर
  - » पारंपरिक लोकोमोटिव के लिए 5400 केवीए तक
  - » 3-फ़ेज़ ड्राइव लोकोमोटिव के लिए 9000 केवीए तक
  - » 1200 केवीए तक के लिए पारंपरिक एसी ईएमयू/एमईएमयू
  - » 3-फेज़ ईएमयू के लिए 1578 केवीए तक
- लोकोमोटिव, ट्रेन सेट और ईएमयू के लिए 1200 kW तक की 3-फ़ेज़ AC ट्रैक्शन मोटर (एक्सल पर लगी हुई / पूरी तरह से सस्पेंडेड टाइप)
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए 630 kW तक की डीसी ट्रैक्शन मोटर
- डीज़ल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए 3860 kW तक के ट्रैक्शन अल्टरनेटर
- 3300 HP के केप गेज अनुप्रयोग के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम
- डायनामिक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए 50 kW तक की डीसी ब्लोअर मोटरें
- सहायक आवश्यकताओं के लिए 25 kW तक के मोटर-जेनरेटर सेट
- एडी करंट क्लच
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए ट्रैक्शन गियर और पिनियन
- 7775 kVA और 6531 kVA ट्रांसफॉर्मर के लिए एल्युमीनियम टैंक
- विशिष्ट वैगन (28 एक्सल और 296 टन तक)
- व्हील और एक्सल की मशीनिंग

रक्षा और एयरोस्पेस

- सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम)/अपग्रेडेड एसआरजीएम, जिसमें आजीवन उत्पाद सपोर्ट भी शामिल है
- अपग्रेडेड एसआरजीएम के लिए रोटरी फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर (आरएफसी) और उसका कंट्रोल पैनल
- जहाज़ों के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम (आईपीएमएस), बैलास्ट और कार्गो कंट्रोल सिस्टम (बीसीसीएस) और हल रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एचआरएमएस)
- एयरोस्पेस अनुप्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स, लिक्विड कूलिंग सिस्टम और पंप मॉड्यूल
- लॉन्च व्हीकल्स के लिए स्पेस-ग्रेड Li-ion सेल्स, और सैटेलाइट्स के लिए स्पेस-ग्रेड बैटरी और सोलर पैनल
- एयरक्राफ्ट अनुप्रयोग के लिए Li-ion बैटरी
- मोटर-जनरेटर सेट और परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर और जनरेटर
- नौसेना के अनुप्रयोग के लिए स्टीम टर्बाइन, टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर टर्बाइन, डीज़ल अल्टरनेटर, कंडेंसर, स्टीम जनरेटर, हीट एक्सचेंजर और वॉल्व
- नौसेना के अनुप्रयोग के लिए मरीन गैस टर्बाइन के स्पेयर पार्ट्स
- T-72 / T-90 टैंकों के आर्मर के लिए थर्मोप्रेस्ड पार्ट्स और टैंकों के लिए टरेट कास्टिंग
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए टाइटेनियम डोम और प्रोपेलेंट टैंक।
- नौसेना कार्यों के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग और विश्लेषण।

ऊर्जा संग्रहण प्रणाली और ई-मोबिलिटी

- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डीसी फास्ट चार्जर
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए संपूर्ण ईपीसी समाधान

ऑयल फील्ड उपकरण

- ऑयल रिग्स – 9000 मीटर तक की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए एसी -वीएफडी और एसी - एससीआर प्रौद्योगिकी वाले ऑन-शोर ड्रिलिंग रिग्स, 6100 मीटर तक की गहराई तक सर्विसिंग के लिए वर्क-ओवर रिग्स, 3000 मीटर तक की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए मोबाइल रिग्स, साथ ही मैचिंग ड्रॉ-वर्क्स और होस्टिंग इक्विपमेंट, जिनमें शामिल हैं:
  - » मास्ट और सब-स्ट्रक्चर
  - » होइस्टिंग और रोटेटिंग उपकरण: ड्रॉवर्क्स, रोटरी टेबल्स, स्विवेल्स, ट्रैवलिंग ब्लॉक्स
  - » इंडिपेंडेंट रोटरी ड्राइव (आईआरडी) यूनिट
  - » डेड लाइन एंकर
  - » पंप सहित मड सिस्टम
  - » ट्रिपलेक्स मड पंप 5000 PSI वर्किंग प्रेशर
  - » मड प्रोसेसिंग उपकरण: डीगैसर, डीसैंडर
  - » सकर रॉड पंप (बीम पंप स्ट्रक्चर और पंपिंग यूनिट गियर रिड्यूसर)
  - » ऑयल रिग्स का पुनर्नवीकरण और उन्नयन
  - » एसी एससीआर -डीसी ड्रॉवर्क्स के लिए फेल-सेफ ब्रेकिंग सिस्टम
  - » 1750 kVA तक के ऑयल रिग अल्टरनेटर्स (एसी पावर पैक के लिए)
  - » E760, E1400, E2000 और E3000 रिग के लिए एसी/डीसी पावर कंट्रोल रूम
  - » 1430 kVA तक के डीजी सेट के लिए एसी पावर पैक
    - › एसी कंट्रोल मॉड्यूल
    - › डीसी कंट्रोल मॉड्यूल
  - » ड्रिलर कंसोल: 3 मड पंप, आईआरडी और ड्रॉ-वर्क कंट्रोल व मॉनिटरिंग, लोड रेटिंग (0-1800 A, 0-1000V) तक
  - » मोबाइल लाइटिंग टॉवर, रिग लाइटिंग टॉवर
  - » एसी एससीआर रिग्स में पावर फैक्टर सुधार के लिए स्टेटकॉम
- 15000 psi तक के वेल हेड्स और X-mas ट्रीज़, मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मैनिफोल्ड, सीबीएम वेल हेड्स, मड वॉल्व्स

फैब्रिकेटिड उपकरण और मैकेनिकल पैकेज

- प्रेशर वेसल, कॉलम, रिएक्टर/सेपरेटर, हीट एक्सचेंजर
- फायर्ड हीटर
- पर्ज गैस रिकवरी यूनिट
- मेडिकल अनुप्रयोग के लिए प्रेशर वैक्यूम स्विंग अब्सार्पशन (PVSA) ऑक्सीजन सिस्टम (MO2)
- गियर बाक्स
  - » गैस टरबाइन अनुप्रयोग के लिए एक्सेसरी और लोड गियर बॉक्स
  - » स्टीम टरबाइन अनुप्रयोग के लिए गियर बॉक्स
  - » बॉयलर फीड पंप ड्राइव टर्बाइन (बीएफपी-डीटी)अनुप्रयोग के लिए गियर बॉक्स
  - » एयर कूल्ड कंडेंसर (एसीसी) फ़ैन के लिए गियर बॉक्स
  - » सकर रॉड पंप (एसआरपी)अनुप्रयोग के लिए गियर बॉक्स
  - » इंडिपेंडेंट रोटरी ड्राइव (आईआरडी) के लिए गियर बॉक्स
  - » एसी ड्रॉवर्क्स के लिए गियर बॉक्स
  - » कंप्रेसर ड्राइव अनुप्रयोग के लिए गियर बॉक्स

उद्योग (इंडस्ट्री) 4.0

- प्लांट-व्यापी परिचालन और सलाहकार सहायता प्रदान करने के लिए रिमोट मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक्स प्रणाली (आरएमडीएस)
- अति महत्वपूर्ण मुख्य टीजी सेट की सतत कार्य निगरानी के लिए कंपन 1.0 एवं विशिष्ट रिमोट वाइब्रेशन डायग्नोस्टिक एंड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम (आरवीडीएस), जो 24x7 आधार पर संचालित होता है, कंपन की ऑनलाइन रिमोट मॉनिटरिंग और घूमने वाले उपकरणों के आवश्यक मापदंडों के माध्यम से हासिल किया जाता है।
- प्लांट ऑटोमेशन लाइव मॉनिटरिंग (पीएएलएम) प्रक्रिया मापदंडों की वास्तविक समय की दूरस्थ निगरानी के लिए एक एंड्राइड ऐप है, जिसमें उ प्रयोगकर्ता के अनुकूल योजनाबद्ध और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व की सुविधा है।
- स्वचालित उत्पादन नियंत्रण (एजीसी) लोड में बदलाव के अनुसार विभिन्न बिजली संयंत्रों में कई जनरेटर से बिजली उत्पादन को समायोजित करने के लिए एक प्रणाली है।
- आईआईओटी का उपयोग करके मानवशक्ति, सामग्री और मशीन को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एसपीएमएस)

शब्दावली एवं संक्षिप्ति

एडीए	वैमानिकी विकास एजेंसी
एआईएस	एयर इंसुलटेड स्विचगियर
एएमएनएस	आर्सेलर मित्तल एंड निप्पॉन स्टील
एपीएआर	वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया
एयूएससी	एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल
बीएपी	बॉयलर ऑक्जिलरी प्लांट
बीएआरसी	भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर
बीसीसीएस	ब्लास्ट & कार्गो कंट्रोल सिस्टम
बीसीजीसीएल	भारत कोल गैसीफिकेशन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
बीईएसएस	बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम
बीजीजीटी एस	बीएचईएल-जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
बीएलएसी	बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति
बीओपी	बैलेंस ऑफ प्लांट
बीक्यूएमएम	बीएचईएल गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल
बीआरएसआर	व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट
बीएसएमआर	भारत स्माल मॉड्युलर रिएक्टर
बीटीजी	बॉयलर टरबाइन जेनरेटर
सीबीआई	केंद्रीय जांच ब्यूरो
सीसीपीपीपी	कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट
सीडीएसएल	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईएफसी	कॉमन इंजीनियरिंग फेसिलिटी सेंटर
सीईआरटी	कंप्यूटर आपातकालीन रिस्पान्ड टीम
सीईटी	इलेक्ट्रिक परिवहन केंद्र
सीएफबीसी	सर्कुलेटींग फ्लूडाइज्ड बेड कंबंशन
सीएफएफपी	सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट
सीएफपी	कम्पोनेन्ट फैब्रिकेशन प्लांट
सीएफएस	समेकित वित्तीय स्टेटमेन्ट
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड
सीआईआरओ	मुख्य निवेशक संबंधित अधिकारी
सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
सीवीसी	केंद्रीय सतर्कता आयोग
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीईएसएल	डीजल इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव
डीएमई	डाइ मिथाइल ईथर
डीपीडीई	डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन
डीपीई	लोक उद्यम विभाग
डीएसओजी	डाउनस्ट्रीम ऑइल और गैस क्षेत्र
डीएसटी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
डीवीसी	दामोदर वेली कॉर्पोरेशन
ईएएफ	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस
ईसीएल	एक्सपेक्टेड क्रेडिट लोसेस
ईडीएन	इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग
ईडीआर	एंडपॉइंट डिटेक्शन एवं रिस्पॉन्स
ईएफक्यूएम	गुणवत्ता प्रबंधन के लिए यूरोपीय फाउंडेशन
ईएचवी	अतिरिक्त हाई वोल्टेज
ईएमआरपी	इलेक्ट्रिक मशीन रिपेयर प्लांट
ईएमयू	इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एनकोन	उर्जा संरक्षण
ईपीसी	इंजीनियरिंग प्रापण एवं निर्माण
ईपीआर	विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी
ईएसडी	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम प्रभाग
ईएसजी	पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन
ईटीपी	प्रवाह ट्रीटमेंट प्लांट
एफएसआई	फ्रिक्वेंसी सेवेरटी इंडेक्स
एफएसआईपी	फैब्रिकेशन, स्टैम्पिंग और इंसुलेटर प्लांट
जेम	गवर्मेंट ई मार्केट प्लेस
जीआईएस	गैस इंसुलेटेड स्विचगियर
जीआरआई	ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशेटिव
हीप	हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्यूपमेंट प्लांट
एचईपी, भोपाल	हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्लांट, भोपाल
एचईपी	जल विद्युत संयंत्र

शब्दावली एवं संक्षिप्ति

एचईआरपी	हेवी इक्यूपमेंट रिपेयर प्लांट
एचआईएल	लूप में हार्डवेयर
हीरा	खतरे की पहचान और जोखिम का मूल्यांकन
एचपीबीपी	हाई प्रेशर बॉइलर प्लांट
एचपीईपी	हेवी पावर इक्यूपमेंट प्लांट
एचपीवीपी	हेवी प्लेटस एंड वेसल्स प्लांट
एचआरएमएस	हल रिस्पंस मॉनिटरिंग सिस्टम
एचआरएसजी	हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर
एचएसई	स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण
एचवीएसी	हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट
एचवीडीसी	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट
आईबीसी	दिवाला और दिवालियापन संहिता
आईसीए आई	भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईसीक्यू सीसी	इंटेरनेशनल कान्वेंशनल ऑन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम
आईईएम	स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स
आईएफसी	आंतरिक वित्तीय नियंत्रण
आईजीबीटी	इंसुलटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर
आईजीसीसी	एकीकृत कोयला गैसीकरण कंबाइंड साइकिल
आईआई सीए	भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईओसीएल	इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईपीएमएस	इन्टरग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईपीएस	घुसपैठ रोकथाम प्रणाली
आईआर	भारतीय रेल
आईएसआईएन	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या
आईएसएमएस	सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईवीपी	इन्डस्ट्रीयल वाल्व प्लांट
जेएसए	जॉब सुरक्षा विश्लेषण
कंपन	की टू वाईब्रेशन एनालेसिस एण्ड मॉनिटरिंग फॉर प्लांट

केएमपी	मुख्य प्रबंधन कार्मिक
केपीसीएल	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एलसीए	हल्के लड़ाकू विमान
एलआईएस	लिफ्ट सिंचाई योजना
एलओडीआर	दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची बनाना
एल पी	कम दबाव
एलपीजी	द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस
एलएसटीके	लंप सम टर्न की
एलटीआईएफ आर	लॉस्ट टाइम इंजूरी फ्रिक्वेंसी रेट
एमईआईटीव्हाय	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमईएमयू	मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एमएचआई	भारी उद्योग मंत्रालय
एमएमटीपीए	मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमपीजीसीएल	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसआर	मॉस्चर सेप्रेटर एवं रीहीटर
एनएबीएल	परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
एनबीपीपी एल	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
एनसीआईआई पी सी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनईएमएमपी	राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना
एनईपी	नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान
एनजीआरबीसी	उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश
एनआरसी	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
एनआरपी	राष्ट्रीय रेल योजना
एनएसडीएल	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसपी	राष्ट्रीय इस्पात नीति
ओए	प्रचालन उपलब्धता

ओईएम	मूल उपकरण निर्माता
ओएचएसएमएस	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
ओएलटीसी	ऑन लोड टेप चेंजर
पीएएलएम	प्लांट ऑटोमेशन और लाइव मॉनिटरिंग
पीएटी	प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार
पीईएमएफसी	पीईएम फ्यूल सेल
पीएफबीजी	प्रेसराइज्ड फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफिकेशन
पीएफबीआर	प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीआईआई	व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी
पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
पीएम ई -ड्राइव योजना	पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव से वाहन के नवोन्मेषी उन्नयन में क्रांति योजना
पीपीई	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
पीपीपीयू	पॉवर प्लांट पाइपिंग यूनिट
पीएसपी	पम्पड स्टोरेज परियोजना
पीडब्ल्यूडी	दिव्यांग व्यक्ति
क्यूएचआई	क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स
क्यूएमएस	गुणवता प्रबंधन प्रणाली
आर &डी	अनुसंधान एवं विकास
आर &एम	नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण
आरसीए	मूल कारण विश्लेषण
आरई/आरईएस	नवीकरण ऊर्जा /नवीकरण ऊर्जा स्रोत
आरई एससीओ	रिन्यूबल एनर्जी सर्विस कंपनी
आरएलएनजी	रिगेसीफाइड लिकयुफ़ाइड नेचुरल गैस
आरएमडीएस	दूरस्थ निगरानी और निदान सेवाएँ
आरपीसीएल	रायचूर पावर कंपनी लिमिटेड
आरपीटी	संबंधित पार्टी लेनदेन
आरटीसी	दिन रात/ 24 घंटे
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरवीडीएस	रिमोट कंपन एवं निदान प्रणाली
आरडब्लूएच	वर्षा जल संचयन
एसएएसबी	सततता लेखांकन मानक बोर्ड
एसबीडी	सोलर बिजनेस डिवीजन
स्कोप	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन
एसडीजी	संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य

एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसजी	स्टीम जनरेटर
शांति एक्ट	भारत के रुपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग और उन्नति अधिनियम
एसआईएल	लूप में सॉफ्टवेयर
एसएलडीपी	उत्तराधिकार और नेतृत्व विकास योजना
एसएमई	लघु और मध्यम आकार के उद्यम
एसओएआर	सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन स्वचालन और प्रतिक्रिया
एसओसी	सुरक्षा संचालन केंद्र
स्पेरो प्लेटफॉर्म	स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो प्लेटफॉर्म
एसपीवी	स्पेशल पर्पज व्हीकल
एसआरजीएम	सुपर रैपिड गन माउंट
एसआरयू	सल्फर रिकवरी यूनिट
एसएसटीपी	सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट
एसटीजी	स्टीम टरबाइन जेनरेटर
एसटीपी	मलजल उपचार संयंत्र
एसयूपीएफ	एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त
टीसीए	प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते
टीसीएएस	ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली
टीसीएफडी	पर्यावरण संबंधी वित्तीय प्रकरण कार्यबल
टीसीएमएस	ट्रेन नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रणाली
टीजी	टरबाइन जेनरेटर
टीआईआई	ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया
टॉलिक	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीपी	ट्रांसफॉर्मर प्लांट
टीपीडी	टन प्रतिदिन
टीआरईडीएस	व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग प्रणाली
टीएसडी	तकनीकी सेवा प्रभाग
यूईबीए	उपयोगकर्ता और इकाई व्यवहार विश्लेषण
यूएचवी / यूएचवीएसी	अल्ट्रा हाई वोल्टेज / अल्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टर्नेटिंग करंट
वीजीएफ	व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण
डब्लूएएफ	वेब एप्लीकेशन फ़ायरवॉल
डब्लूआरआई	वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान
जेडटीएनए	जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस

शब्दावली (वित्तीय पारिभाषिक शब्द)

लेखांकन नीतियां: लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत एवं इनके अनुप्रयोग की विधियां है जिन्हें कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने व प्रस्तुत करने हेतु अपनाया गया है।

अक्रूअल (उपचय): वित्तीय विवरण व्यापारिक प्रणाली पर तैयारी किया गया है। संव्यवहार व अन्य घटनाओं के प्रभावों को उनके होने पर मान्यता दी जाती है व लेखांकन अभिलेखों में इनकी गणना की जाती है एवं संबंधित समयावधि के वित्तीय विवरण में इनका उल्लेख किया जाता है।

परिशोधन: एक अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि सुव्यवस्थित रुप से आंबंटित करना परिशोधन है।

तुलन पत्र: तुलन पत्र एक इकाई की वित्तीय स्थिति का विवरण है जो किसी समय विशेष पर परिसंपत्तियों, दायित्वों एवं स्वामी की इक्विटी को दर्शाता है।

बोनस शेयर: बोनस शेयर एक शेयरधारक के स्वामित्व वाले शेयरों के आधार पर, निर्बंध आरक्षित शेयरों में वर्तमान शेयरधारक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदत्त अतिरिक्त शेयर है।

बही मूल्य: वह राशि जो लेखा बही अथवा वित्तीय विवरण में किसी मद के लिए दर्शाई गई है।

शेयरों की पुन: खरीद: पुन:खरीद शेयरों की पुनर्क्रय के रूप में भी जाना जाता है जब एक कंपनी खुले बाजार मे अपने शेयरों की उपलब्धता कम करने हेतु उसके स्वयं के बकाया शेयर क्रय करती है।

नियोजित पूंजी: इकाई की निवल संपत्ति से पूंजी डब्ल्यूआईपी, विकास के तहत अमूर्त संपत्ति और आस्थगित कर संपत्ति को घटाकर गणना की जाती है।

आरक्षित पूंजी: किसी इकाई की आरक्षित पूंजी वह है जो लाभांश के रूप मे वितरित की जाने हेतु उपलब्ध हो।

पूंजी शोधन संचय: कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की वापसी पर पूंजी शोधन संचय को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित राशि वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर है।

नकदी व नकदी समतुल्य: नकद में नकद एवं मांग जमा राशियां सम्मिलित है। नकद समकक्ष अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश हैं जो सरलता से ज्ञात नकद राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के एक बहुत ही कम जोखिम के अधीन हैं।

अनुबंधित परिसंपत्तियां: अनुबंधित परिसंपत्तियां (आस्थगित देनदार व अगण्य राजस्व) उन राशियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध शर्तों/तय कार्यक्रम पर सहमति के अनुसार अभी भुगतान हेतु देय नहीं है। यह अनुबंध संबंधित गतिविधियों/तय शुदा चरणों के पूरा होने पर देय होगा।

अनुबंध देयता: इकाई का दायित्व एक ग्राहक के लिए वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करना है जिसके लिए ग्राहक से इकाई को प्रतिफल (या राशि बकाया है) प्राप्त हो चुका है।

आकस्मिक देयताएं है:

(a) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्व और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं; अथवा

(b) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता जिसे मान्यता नहीं दी गई क्योंकि:

  (i) यह संभाव्य नहीं है कि दायित्वों के निपटान हेतु आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले स्त्रोतों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; अथवा

  (ii) देयताओं की राशि पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ आंकलित कर पाना संभव नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस): समेकित वित्तीय विवरण किसी समूह के वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें किसी मूल कंपनी व उसकी सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियां, देयताएं, इक्विटी, आय, व्यय एवं नकद प्रवाह को एक ही आर्थिक इकाई के रुप में प्रस्तुत किया जाता है।

क्रेडिट जोखिम: यह जोखिम किसी वित्तीय साधन का एक पक्ष किसी दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहने पर दूसरे पक्ष के लिए वित्तीय हानि का कारण बनेगा।

वर्तमान अनुपात: वर्तमान अनुपात एक तरलता अनुपात है जो एक वर्ष के भीतर अल्पकालिक दायित्व या बकाया का भुगतान करने की क्षमता का आंकलन करता है। इसकी गणना वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्तमान देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।

वर्तमान परिसंपत्तियां: किसी परिसंपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब:

क) संपत्ति को उसके सामान्य परिचालन चक्र में वास्त्विक माना जा सके, या विक्रय या उपभोग का प्रयोजन हो सके;

ख) प्राथमिक तौर पर इसे व्यापारिक उपयोग हेतु रखा हो;

ग) सूचित समयकाल से 12 माह के भीतर इसे वास्तविक माने जाने की अपेक्षा की जाती है, अथवा;

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है, जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय या देनदारी का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

वर्तमान देयताएं: किसी देयता को वर्तमान देयता में वर्गीकृत किया जाएगा जब:

क) यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देनदारी का निपटान कर लेगी;

ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है;

ग) देनदारी का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर किया जाना है; या

घ) उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का, बिना शर्त अधिकार नहीं है।

वर्तमान कर व्यय: वर्तमान कर किसी अवधि के लिए कर योग्य लाभ (हानि) के संदर्भ में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है।

आस्थगित ऋण: आस्थगित ऋण वे ऋण हैं जो अनुबंध शर्तों के अनुसार चिह्नित उपलब्धियों जैसे ट्रायल ऑपरेशन, पीजी टेस्ट इत्यादि पर देय होंगे।

अस्थगित कर: आस्थगित कर की गणना उन दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है जो बैलेंस शीट की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

आस्थगित कर संपत्ति: आस्थगित कर संपत्ति कटौती योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाने और अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे बढ़ाने के संबंध में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की राशि है।

आस्थगित कर देनदारी: आस्थगित कर देनदारियां कर योग्य अस्थायी अंतर के संबंध में भविष्य की अवधि में देय आयकर की राशि हैं।

निश्चित लाभ योजनाएं: निश्चित लाभ योजनाएं निश्चित अंशदान योजनाओं के अलावा अन्य सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभ योजनाएं हैं। निश्चित अंशदान योजनाएं सेवानिवृत्ति-पश्चात की वे लाभ योजनाएं हैं जिसके तहत एक इकाई एक अलग इकाई (एक फंड) में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, और यदि वह फंड वर्तमान और पिछले अवधियों में कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी लाभों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं रखता है, तो कंपनी के पास आगे और अंशदान का भुगतान करने का कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा।

प्रति शेयर लाभांश: इसकी गणना वर्ष के लिए कुल लाभांश (लाभांश वितरण कर को हटाकर) को कुल बकाया इक्विटी अंशों की संख्या से विभाजित कर जाती है।

मूल्यह्रास: मूल्यह्रास एक परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि के व्यवस्थित आबंटन है।

लाभांश वितरण कर: यह कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि पर भुगतान किया जाने वाला एक अतिरिक्त आयकर है।

ईबीआईटीडीए: इसका अर्थ है ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन के पूर्व अर्जित आय। परिचालन ईबीआईडीटीए का निर्धारण अन्य आय को ईबीआईडीटीए से घटा कर किया जाता है।

प्रति शेयर आय (ईपीएस): यह प्रत्येक शेयर के लिए वर्ष के दौरान अर्जित लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी गणना कर के बाद लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है।

इक्विटी विधि: उद्यम में कंपनी के निवेश के आकार के अनुपात में संयुक्त उद्यम से उत्पन्न शुद्ध आय निर्धारित करने के लिए लेखांकन की इक्विटी विधि का उपयोग किया जाता है।

इक्विटी विधि लेखांकन की एक विधि है जिसके तहत निवेश को शुरु में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद निवेशिती की शुद्ध संपत्ति में निवेशक के हिस्से में अधिग्रहण के बाद के बदलाव के लिए समायोजित किया जाता है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि: अनुबंध के अनुसार एक इकाई के कारण होने वाले सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह और इकाई को प्राप्त होने वाली सभी नकदी प्रवाह के बीच का अंतर, मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी गई है।

उचित मूल्य: उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

वित्तीय संपत्ति: कोई भी संपत्ति जो (ए) नकद है, (बी) किसी अन्य इकाई का इक्विटी उपकरण है, (सी) किसी अन्य इकाई से नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय संपत्ति या वित्तीय दायित्व का आदान-प्रदान करने का संविदात्मक अधिकार है (डी)) एक अनुबंध जो इकाई के स्वयं के इक्विटी उपकरणों में तय किया जाएगा या किया जा सकता है।

वित्तीय देनदारी: कोई भी देनदारी जो (ए) किसी अन्य इकाई को नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति देने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने के लिए संविदात्मक दायित्व है या (बी) एक अनुबंध जो इकाई के स्वयं के इक्विटी उपकरणों में तय किया जाएगा या किया जा सकता है।

वित्तीय साधन: कोई भी अनुबंध जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय गतिविधियाँ: ऐसी गतिविधियाँ जिनके परिणामस्वरुप इकाई की योगदान की गई इक्विटी और उधार के आकार और संरचना में परिवर्तन होता है।

सामान्य रिज़र्व: सामान्य रिज़र्व किसी कंपनी की रखी हुई कमाई होती है जिसे भविष्य के (ज्ञात या अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफे से अलग रखा जाता है।

कार्यशील संस्था: इसका अर्थ उस इकाई से है जिसका निकट भविष्य मे परिचालन बंद करने का कोई प्रयोजन न हो।

होल्डिंग कंपनी: एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में "होल्डिंग कंपनी" का मतलब ऐसी कंपनी से है जिसकी ऐसी कंपनियां सहायक कंपनियां हैं।

इंपेयरमेंट लॉस: इंपेयरमेंट लॉस वह राशि है जो किसी संपत्ति अथवा नकदी निर्माता इकाई से उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। किसी संपत्ति अथवा नकदी निर्माता इकाई की वसूली योग्य राशि निपटाने की लागत कम करके उचित मूल्य और इसकी उपयोगी मूल्य में से जो अधिक हो वह राशि है।

भारतीय लेखांकन मानक (संक्षेप में इंड ए एस) कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखांकन मानक हैं।

अमूर्त संपत्ति: अमूर्त संपत्ति अभिज्ञेय गैर-मौद्रिक अभौतिक संपत्ति है।

दिनों की संख्या में इंवेंट्री: यह इंवेंट्री को राजस्व से विभाजित कर इसके गुणा वर्ष में दिनों की संख्या से करके ज्ञात किया जाता है।

निवेश गतिविधियाँ: निवेश गतिविधियाँ दीर्घकालिक संपत्तियों तथा नकद समकक्षों में न आने वाले निवेशों का अधिग्रहण और निपटान है।

संपत्ति निवेश: निवेश संपत्तियां वे संपत्तियां (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) हैं जो किराये की आय अर्जित करने और/या पूंजी वृद्धि के लिए रखी जाती हैं।

संयुक्त उद्यम: संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले संगठनों के पास व्यवस्था की निवल संपत्ति के अधिकार हैं।

लिक्विडिटी जोखिम: वह जोखिम है जो एक इकाई जब और जैसे अपेक्षित वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों के निवर्हन में अनुभव कर सकती है।

बाजार जोखिम: बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय विलेख के उचित दाम और भावी नकद प्रवाह में होने वाले उतार-चढाव का जोखिम। बाजार जोखिम तीन प्रकार के होते है: मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, और अन्य कीमत जोखिम।

शुद्ध लाभ/(हानि) मार्जिन (%): यह परिचालन से राजस्व के प्रतिशत के रुप में उत्पन्न लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी गणना कर पश्चात लाभ (पीएटी) को राजस्व परिचालन से विभाजित करके की जाती है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य: शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यापार के सामान्य दौर में अनुमानित विक्रय मूल्य को अनुमानित पूर्णता की लागत व विक्रय के लिए आवश्यक अनुमानित लागत से घटा कर ज्ञात किया जाता है।

निवल मूल्य: किसी इकाई की निवल परिसंपत्तियों के बही मूल्य का इसकी देयताओं से अधिकता निवल मूल्य है। यह शेयर धारकों की निधि भी कहा जाता है।

प्रति शेयर निवल मूल्य: प्रति शेयर निवल मूल्य की गणना कुल मूल्य को बकाया इक्विटी अंशों की संख्या से विभाजित कर किया जाता है।

नॉन कन्ट्रोलिंग इन्टरेस्ट (NCI): किसी मूल कंपनी का एक सहायक कंपनी में इक्विटी स्वामित्व का वह शेयर है जो उस पर एट्रीब्यूट नहीं होता है, मूल कंपनी का नियंत्रण हित (50% से अधिक लेकिन 100% से कम) है और वह सहायक कंपनी के वित्तीय परिणामों को अपने साथ समेकित करता है।

गैर चालू संपत्तियां: गैर चालू परिसंपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो बैलेंस शीट की तिथि के एक वर्ष के भीतर अप्रतिबंधित नकदी में परिवर्तित नहीं होने वाली है।

गैर चालू देयताएं: गैर चालू देयताएं वे दायित्व है जो एक वर्ष के भीतर निपटान हेतु देय नहीं है।

अन्य व्यापक आय: (ओसीआई): अन्य व्यापक आय में वे आय और व्यय (पुर्नवर्गीकृत समायोजन को मिलाकर) सम्मिलित हैं जो अन्य इंड एएसएस के द्वारा लाभ या हानि के रुप में मान्य न करने हेतु आवश्यक हैं अथवा अनुमत की गई हैं।

परिचालन गतिविधियां: परिचालन गतिविधियां किसी इकाई की प्रमुख राजस्व उत्पादक गतिविधियां एवं अन्य गतिविधियां हैं जो निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियां नहीं हैं।

परिचालन लाभ मार्जिन (%): लाभप्रदता प्रदर्शन अनुपात का उपयोग कंपनी द्वारा अपने परिचालन से उत्पन्न लाभ के प्रतिशत की गणना करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना परिचालन से प्राप्त राजस्व में अन्य आय को छोड़कर कर पूर्व आय (पीबीटी) को विभाजित करके की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई): संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) वे मूर्त मदें हैं जो:

(क) वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए, दूसरों को किराये पर देने के लिए, या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए रखे गए हैं; और

(ख) एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद है।

परिचालनों से राजस्व: किसी इकाई की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली अवधि के दौरान आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह, जब उन प्रवाह के परिणामस्वरुप इक्विटी में वृद्धि होती है, इक्विटी प्रतिभागियों के योगदान से संबंधित वृद्धि के अलावा।

नेटवर्थ पर रिटर्न (%): नेटवर्थ पर रिटर्न किसी कंपनी की लाभप्रदता का माप है, जिसकी गणना शुद्ध लाभ को औसत नेटवर्थ (ओसीआई और पूंजी भंडार को छोड़कर) से विभाजित करके की जाती है।

परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार: वह परिसंपत्ति जो पट्टा अवधि के लिए निर्धारित किसी संपत्ति के उपयोग हेतु, किसी पट्टेदार के अधिकार को दर्शाती है।

व्यापार प्राप्य: प्राप्य राशियां किसी इकाई का प्रतिफल हेतु बिना शर्त का अधिकार है। प्रतिफल का अधिकार बिना शर्त के उस देय प्रतिफल के पूर्व समय की आवश्यकता है।

सजगता कथन (कॉशनरी स्टेटमैंट)

वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षा या अनुमानों का वर्णन करने वाले विवरण, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ की सीमा में हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक विकास, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर व्यक्त किए गए या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(CIN: L74899DL1964GOI004281)
पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049
फ़ोन: 011-66337598
वेबसाइट: www.bhel.com, ई-मेल: shareholderquery@bhel.in

सूचना

एतदद्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 62वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 5 अगस्त, 2026 को सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विज़ुअल (वीसी) के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण तथा बोर्ड की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश को मंज़ूरी देना और घोषित करना।
3. श्री राजेश कुमार द्विवेदी (DIN: 10048893) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो रोटेशन (क्रमिक निवृत्ति) द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
4. श्री सेरुगुलाथुर महादेवन रामनाथन (DIN: 11084884) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो रोटेशन (क्रमिक निवृत्ति) द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
5. निदेशक मंडल को वर्ष 2026-27 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत करना।

विशेष कार्य

6. **वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागत परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के, इसे एक **साधारण संकल्प** के तौर पर पारित करने के लिए:

   "यह संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (समय-समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) के साथ पठित, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (₹17.36 लाख), जैसा कि इस बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा इसके द्वारा अनुसमर्थित किया जाता है।"

   "यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्यक्रम और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन माना जाए।"

7. **सुश्री निगार फातिमा हुसैन की निदेशक के तौर पर नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के, इसे एक **साधारण संकल्प** के तौर पर पारित करने के लिए:

   "यह संकल्प लिया गया कि सुश्री निगार फातिमा हुसैन (DIN: 11688785), जिन्हें कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 67(iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के अनुसरण में 27 अप्रैल, 2026 से इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए एक अतिरिक्त निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया था, और जिनके संबंध में कंपनी को स्वयं निदेशक से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें इसके द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरुप कंपनी के निदेशक के रुप में नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन (क्रमिक निवृत्ति) द्वारा सेवानिवृत्त होंगी।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(डॉ. योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 07, 2026

टिप्पणी:

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 और इसके साथ 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 के परिपत्र (जिन्हें सामूहिक रूप से "MCA परिपत्र" कहा गया है) के तहत, सदस्यों की किसी एक जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों (वीसी) के ज़रिए वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। MCA परिपत्र, कंपनी अधिनियम 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्ध विनियम) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही मान्य स्थान होगा।

2. ऊपर बताए गए एमसीए परिपत्र और सेबी सूचीबद्ध विनियमों का पालन करते हुए, एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 कंपनी **(www.bhel.com)**, बीएसई लिमिटेड **(www.bseindia.com)**, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **(www.nseindia.com)** की वेबसाइटों और ई-वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट **(www.evoting.nsdl.com)** पर उपलब्ध होंगे। एजीएम नोटिस और सालाना रिपोर्ट की भौतिक कॉपी उन सदस्यों को भेजी जाएगी जो इसके लिए अनुरोध करते हैं/कर चुके हैं।

3. कंपनी से सभी सूचनाएं (नोटिस वार्षिक रिपोर्ट और प्रयोगकर्ता आईडी व पासवर्ड के साथ ई-वोटिंग निर्देश) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए, कृपया नोटिस के साथ दिए गए निर्देशों को देखें।

4. चूंकि यह एजीएम एमसीए परिपत्र के अनुसार वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसी कारण, इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची नहीं लगाई गई है।

5. चूंकि एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी, इसलिए बैठक की जगह का मार्ग मानचित्र इसके साथ नहीं लगाया गया है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार, एजीएम के लिए कोरम की गिनती में वीसी के ज़रिए शामिल होने वाले सदस्यों को गिना जाएगा।

7. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि के अलावा) को बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई सही प्रमाणित प्रतिलिपि (PDF फ़ॉर्मेट) और अधिकृत प्रतिनिधि (यों) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर (रों) संवीक्षक को **csdelhi84@gmail.com** पर भेजने होंगे, साथ ही इसकी एक कॉपी **evoting@nsdl.com** पर भी भेजनी होगी।

8. कंपनी के सदस्यों (संस्थागत निवेशकों सहित) को AGM में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत विशेष व्यवसाय से संबंधित ज़रूरी व्याख्यात्मक वक्तव्य, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके साथ संलग्न है।

10. श्री राजेश कुमार द्विवेदी और श्री सेरुगुलातुर महादेवन रामनाथन, जो निदेशक हैं, रोटेशन के तहत सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं। हालाँकि, उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, श्री द्विवेदी और श्री रामनाथन का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि, यानी क्रमशः 31.01.2028 और 31.01.2027 को समाप्त हो जाएगा। श्री राजेश कुमार द्विवेदी और श्री सेरुगुलाथुर महादेवन रामनाथन का संक्षिप्त बायोडाटा नोटिस के साथ लगे अनुलग्नक में दिया गया है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और धारा 125 के तहत, लाभांश की जो रकम 7 वर्ष तक बिना भुगतान या बिना दावा किए रह जाती है, उसे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोश' में हस्तांतरण करना ज़रूरी होता है। इसी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 का जो अंतिम लाभांश दावा नहीं किया गया है, उसे 22 अक्टूबर, 2026 को उस खाते में हस्तांतरण करने का प्रस्ताव है।

   जिन सदस्यों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष या उसके पश्चात के किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अपना लाभांश अभी तक दावा या कैश नहीं किया है, वे तय 7 साल की अवधि खत्म होने से पहले भुगतान पाने के लिए कंपनी/रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। (संपर्क विवरण नीचे पॉइंट नंबर 13 (ii) में दिए गए हैं)

12. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल पर 70% (₹2/- प्रति शेयर पर ₹1.40) का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। अगर एजीएम में शेयरधारक इस अंतिम लाभांश को मंज़ूरी देते हैं, तो इसका भुगतान लाभांश घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, यानी 3 सितंबर 2026 को या उससे पहले, उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामी की सूची में शामिल हैं।

   लाभांश से होने वाली आय पर शेयरधारकों को टैक्स देना होता है और कंपनी को आय कर अधिनियम, 2025 (आईटी अधिनियम) में तय दरों के अनुसार सदस्यों को दिए जाने वाले लाभांश से स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना होता है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे हर वर्ष फ़ॉर्म 121 जमा करें और आईटी अधिनियम के अनुसार अपने आवासीय स्थिति, पैन और कैटेगरी की जानकारी अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास या (अगर शेयर भौतिक फ़ॉर्म में हैं तो) कंपनी/रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट के पास अपडेट करें, ताकि भविष्य में कंपनी द्वारा किए जाने वाले लाभांश भुगतान पर लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर (यदि कोई हो) काटा जा सके।

13. सेबी सूचीकरण नियमन के नियमन 12 और सेबी मास्टर परिपत्र संख्या HO/38/13/(4)2026 – MIRSD - POD/I/4298/2026 दिनांक 6 फ़रवरी 2026 के अनुसार, प्रतिभूति धारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही किया जाएगा, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके पास प्रतिभूतियाँ भौतिक फ़ॉर्म में हैं। इसके अलावा, सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किए गए संबंधित FAQ को इस लिंक पर देखा जा सकता है: **https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan2026/1767611333081.pdf.**

   तदनुसार, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस/ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस/ईसीएस) की जानकारी जमा करें या अपनी केवाईसी जानकारी अपडेट करें:

i. अपने डीमैट शेयर खाते के संबंध में अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को; और

ii. अपने भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय पर या रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट, मैसर्स बिगशेयर सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड (कार्यालय संख्या S6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी-पूर्व मुंबई –400093) को, **https://www.bhel.com/mandatory-furnishing-kyc-details-and-nomination-shareholders-holding-physical-shares** पर उपलब्ध तय फॉर्म में जानकारी देनी होगी।

इसके अलावा, सदस्य shareholderquery@bhel.in पर कंपनी को या **investor@bigshareonline.com** पर रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट को इन परिवर्तनों की सूचना दे सकते हैं।

14. सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के तहत नामांकन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी व्यक्ति को (फॉर्म SH 13 में) नामिति बनाना होगा, जिसे उनकी मृत्यु के बाद कंपनी में उनके शेयर मिल जाएंगे। (नामांकन फ़ॉर्म **www.bhel.com/nominationchange-nomination-shareholders** पर उपलब्ध हैं।)

15. सेबी सूचीकरण नियमन (संशोधित) के नियमन 40 के अनुसार, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुरोध की प्रक्रिया तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियाँ किसी डिपॉजिटरी के पास डीमटेरियलाइज़्ड (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में न हों। साथ ही, प्रतिभूतियाँ का ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन भी केवल डीमटेरियलाइज़्ड रूप में ही होगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने के लिए, जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमटेरियलाइज़्ड रूप में परिवर्तित कर लें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और धारा 142 (1) के अनुसार, सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक कंपनी की वार्षिक आम बैठक में तय किया जाता है। शेयरधारक बोर्ड को वर्ष 2026-27 के लिए लेखापरीक्षक का उचित पारिश्रमिक तय करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, जैसा कि बोर्ड को उचित लगे।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखा गया निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता का विवरण; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखा गया उन अनुबंध या व्यवस्था का रजिस्टर जिनमें निदेशक की रुचि है; और नोटिस में बताए गए संबंधित दस्तावेज़ एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।

18. नोटिस में बताए गए सभी दस्तावेज़ इस नोटिस के परिचालन की तिथि से लेकर एजीएम की तिथि तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। जो सदस्य ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वे **shareholderquery@bhel.in** पर ईमेल भेज सकते हैं।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी सूचीकरण नियमन के नियमन 44 के तहत, कंपनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) से एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोट करने की सुविधा दे रही है। जिन सदस्यों के नाम बुधवार, 29 जुलाई, 2026 (निर्धारित तिथि) को सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामी की सूची में हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के लिए वोट करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्धारित तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल जानकारी के लिए समझना चाहिए। रिमोट ई-वोटिंग का समय रविवार, 2 अगस्त, 2026 को सुबह 9.00 बजे शुरु होगा और मंगलवार, 4 अगस्त, 2026 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। ई-वोटिंग मॉड्यूल 4 अगस्त, 2026 को शाम 5.00 बजे बंद कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार निर्धारित तिथि यानी 29 जुलाई, 2026 को कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

20. जिन सदस्यों ने AGM से पहले रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए अपना वोट दिया है, वे वीसी के ज़रिए बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

21. एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ज़रिए वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जो सदस्य एजीएम में शामिल हो रहे हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से वोट नहीं दिया है, वे इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ज़रिए बैठक में वोट कर सकेंगे।

22. कंपनी ने मैसर्स अखिल रोहतगी एण्ड कंपनी, स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने वाले कंपनी सचिवों के कंपनी सेक्रेटरी श्री दीपक कुमार (FCS सं. 10189, प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र सं. 11372) को संवीक्षक नियुक्त किया है। वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करेंगे। संवीक्षक, एजीएम में वोटिंग समाप्त होने के तुरंत बाद, मीटिंग में डाले गए वोटों और रिमोट ई-वोटिंग से डाले गए वोटों की जांच करेंगे। वे पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों, यदि कोई हों, की एक संयुक्त जांचकर्ता रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे अध्यक्ष को सौंपेंगे। बैठक समाप्त होने के दो कामकाजी दिनों के भीतर नतीजों और जांचकर्ता रिपोर्ट की घोषणा की जाएगी। अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद, ये नतीजे कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध होंगे। नतीजों को तुरंत स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाएगा।

23. वीसी के ज़रिए एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग की प्रक्रिया, साथ ही इस संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क विवरण, नोटिस के साथ दिए गए निर्देशों में बताए गए हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

(डॉ. योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 07, 2026

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण

नीचे दिया गया स्पष्टीकरण बयान, साथ लगे नोटिस के मद संख्या 6 और 7 में बताए गए कामकाज से जुड़ी ज़रूरी बातें बताता है।

मद संख्या 6

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के अनुसार, बोर्ड द्वारा मंज़ूर किए गए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को बाद में शेयरधारकों से मंज़ूरी मिलना आवश्यक है।

निदेशक मंडल ने 27 मई, 2026 को हुई अपनी बैठक में, कुल ₹17.36 लाख के पारिश्रमिक पर आठ लागत लेखाकार/फ़र्म्स की नियुक्ति के लिए उनके नामों को मंज़ूरी दी है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

₹/लाख

क्रम सं.	प्रस्तावित लागत लेखा परीक्षकों के नाम	इकाई	पारिश्रमिक(₹/INR) वित्त वर्ष 2026-27 के लिए
1	मैसर्स धनंजय वी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, पुणे	समेकन	1,11,000
		हीप हरिद्वार	2,64,500
2	मैसर्स आर.एम. बंसल एण्ड कंपनी, कानपुर	एचईपी भोपाल	2,21,000
		टीपी झाँसी	89,000
		एचईआरपी वाराणसी	44,000
3	मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एण्ड कंपनी, हैदराबाद	एचपीईपी हैदराबाद	2,21,000
4	मैसर्स एसबीके एण्ड एसोसिएट्स, चेन्नई	एचपीबीपी त्रिची	2,93,500
5	मैसर्स बीबीएसएण्ड एसोसिएट्स, चेन्नई	बीएपी रानीपेट	1,47,000
6	मैसर्स जीएसआर एण्ड एसोसिएट्स, बेंगलुरु	एसबीडी बेंगलुरु	58,000
		ईडीएन बेंगलुरु	74,000
7	मैसर्स के.बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स, लखनऊ	सीएफपी रुद्रपुर	44,000
		एफएसआईपी जगदीशपुर	67,000
		आईवीपी गोइंदवाल	44,000
8	मैसर्स एसएसपीजीआर एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी, विशाखापत्तनम	एचपीवीपी विशाखापत्तनम	58,000
	योग		**17,36,000**

उपर्युक्त फीस में लागू कर और अन्य व्यय शामिल नहीं हैं; इनका भुगतान अलग से करना होगा।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखाकार को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को मंज़ूरी प्रदान करें।

कंपनी के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों का मद संख्या 6 में दिए गए प्रस्ताव से किसी भी तरह से - चाहे आर्थिक रुप से हो या किसी और तरह से - कोई लेना-देना या हित नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों की मंज़ूरी के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

सुश्री निगार फातिमा हुसैन (DIN: 11688785), जिनकी आयु 58 वर्ष है, को 27 अप्रैल, 2026 से बीएचईएल के बोर्ड में अंश-कालिक आधिकारिक (सरकारी नामिती) निदेशक के तौर पर शामिल किया गया था।

उनका संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, कंपनी में उनकी हिस्सेदारी, अन्य निदेशक पद, समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न हैं।

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 67(iv) और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार, सुश्री निगार फातिमा हुसैन अगली आम वार्षिक बैठक की तिथि तक पद पर बनी रहेंगी और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 160 की आवश्यकता के अनुरुप, कंपनी को सुश्री निगार फातिमा हुसैन को कंपनी का निदेशक बनाने के प्रस्ताव के लिए लिखित में एक नोटिस मिला है।

सुश्री निगार फातिमा हुसैन, जो नियुक्त हैं, को छोड़कर, कंपनी का कोई भी अन्य निदेशक या की प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, मद संख्या 7 में दिए गए प्रस्ताव में किसी भी तरह से, वित्तीय या किसी और तरह से, संबंधित या रुचि रखने वाला नहीं हैं।

निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को शेयरधारकों की मंज़ूरी के लिए भेजता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

(डॉ. योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 07, 2026

वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशक का विवरण

(सेबी सूचीकरण नियमनों के नियमन 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक-2 के अनुसार)

क्रम संख्या	नाम \ विवरण	सुश्री निगार फ़ातिमा हुसैन
1.	वर्तमान पद	अंश-कालिक आधिकारिक (सरकारी नामिती) निदेशक
2.	डीआईएन	11688785
3.	आयु	58 वर्ष
4.	बीएचईएल के बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	27 अप्रैल, 2026
5.	अर्हता	• कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राणीविज्ञान में बी.एससी (ऑनर्स) • दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी • डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) से समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर
6.	संक्षिप्त जीवनवृत्त और मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	सुश्री निगार फातिमा हुसैन 1996 बैच की भारतीय रक्षा संपदा अधिकारी हैं। वह अभी भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय में अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने रुड़की, झांसी, देवलाली और महू छावनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर काम किया है। वह रक्षा संपदा में उप महानिदेशक भी रहीं, जहाँ उन्होंने विभाग के सतर्कता मामलों को देखा; साथ ही, रक्षा संपदा में अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर वह देश भर में रक्षा विभाग की ज़मीन से जुड़े मामलों की ज़िम्मेदारी संभालती थीं। उन्होंने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में निदेशक और भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर भी काम किया है।
7.	पारिश्रमिक सहित नियुक्ति की शर्तें	बीएचईएल के बोर्ड में भारत सरकार की नामिती होने के नाते, सुश्री निगार फातिमा हुसैन को बीएचईएल से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है।
8.	31.03.2026 तक बीएचईएल में शेयरधारिता	शून्य
9.	अन्य कंपनियों में निदेशक पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	वह एच.एम.टी. लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इन्वेस्ट इंडिया में नामित निदेशक हैं।
10.	सभी कंपनियों में समितियों की अध्यक्षता / सदस्यता	• एच.एम.टी. लिमिटेड और एमएमटीसी लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति की सदस्य • इन्वेस्ट इंडिया की लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्ष
11.	उन सूचीबद्ध कंपनियों के नाम जिनमें व्यक्ति निदेशक या समिति का सदस्य रहा है और जिनसे उसने पिछले तीन सालों में इस्तीफा दिया है	लागू नहीं
12.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अटेंड की गई बोर्ड बैठकों की संख्या	चूंकि सुश्री निगार फातिमा हुसैन को 27.04.2026 को निदेशक नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हुई किसी भी बोर्ड बैठक में भाग नहीं लिया।
13.	अन्य निदेशकों, प्रबंधक और अन्य मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	कोई नहीं

वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशक का विवरण

(सेबी सूचीकरण नियमनों के नियमन 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक-2 के अनुसार)

क्रम संख्या	नाम \ विवरण	श्री राजेश कुमार द्विवेदी	श्री सेरुगुलाथुर महादेवन रामनाथन
1	वर्तमान पद	निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी	निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान और विकास)
2	डीआईएन	10048893	11084884
3	आयु	58 वर्ष	59 वर्ष
4	बीएचईएल के बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	19 जून, 2024	30 अप्रैल, 2025
5	अर्हता	• भारतीय लागत लेखाकर संस्थान के फेलो सदस्य • व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री	• आईआईटी मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक • स्ट्रेस और वाइब्रेशन एनालिसिस में एम.टेक • भारतीय लागत लेखाकर संस्थान के फेलो सदस्य
6	संक्षिप्त जीवनवृत्त और मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	श्री द्विवेदी के पास बीएचईएल के सभी तरह के कामकाज में 34 वर्षों का बेहतरीन और विविध अनुभव है। 1992 में कार्यपालक प्रशिशु के तौर पर बीएचईएल से जुड़ने के बाद से, उन्होंने व्यवसाय रणनीति, वित्तीय प्रबंधन, विनिर्माण और परियोजना निष्पादन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है। श्री द्विवेदी ने कंपनी के विकास, वित्तीय प्रदर्शन और तरलता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। कार्यशील पूँजी प्रबंधन को बेहतर बनाने पर उनके रणनीतिक फोकस ने प्रचालन दक्षता में काफी सुधार किया है, कैश फ्लो को मजबूत किया है और बॉटम लाइन को बेहतर बनाया है। इन प्रयासों ने ग्राहकों और आपूर्ति श्रृंखला साझेदार का भरोसा बढ़ाया है, जिससे बीएचईएल की बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है और कंपनी श्रेष्ठ मूल्य प्रस्ताव देने में सक्षम हुई है। वित्तीय प्रबंधन की उनकी गहरी समझ ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आंतरिक कंट्रोल और प्रक्रिया में सुधार को सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही, जोख़िम कम करने के मजबूत फ्रेमवर्क बनाने पर उनके फोकस ने कई दीर्घ काल से लंबित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सुलझाने, सहयोग को बढ़ावा देने और अच्छे नतीजे सुनिश्चित करने में मदद की है। उनके कार्यकाल के दौरान, बीएचईएल को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई अवार्ड और लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीएमएआई नेशनल अवार्ड मिला, जो उनके नेतृत्व और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमें बनाने पर उनके फोकस को दर्शाता है। वे लोगों को सशक्त और सहयोग, लगातार सीखने और पेशेवर विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और परिवर्तन' लाने वाले दृष्टिकोण को देखते हुए, उन्हें आईसीएमएआई द्वारा प्रतिष्ठित "सीएफ़ओ – आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर अवार्ड 2024" से सम्मानित किया गया।	श्री रामनाथन के पास कंपनी के कई महत्वपूर्ण कार्यों में 38 वर्षों का विविध और व्यापक अनुभव है। इसमें इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, आरएण्डडी, रणनीतिक प्रबंधन और प्रचालन के अलग-अलग क्षेत्र (जैसे वाणिज्यिक सामग्री प्रबंधन, अनुरक्षण, उत्पादन, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग सेवाएँ आदि) शामिल हैं। साथ ही, उन्होंने बीएचईएल की रानीपेट, तिरुचिरापल्ली और भोपाल स्थित विनिर्माण इकाइयों में सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के दौरान वित्त के अलग-अलग मुख्य क्षेत्रों में भी कई भूमिकाएँ निभाई हैं। बीएचईएल इकाइयों के अलग-अलग कार्यों (जैसे हाइड्रो टर्बाइन्स, स्टीम टर्बाइन्स, स्विचगियर्स, एफ़जीडी और जल-आपूर्ति, स्पेयर्स, आउटसोर्सिंग, सेंट्रल प्लानिंग, डिजिटल प्रौद्योगिकी और वित्त) में श्री रामनाथन की विशेषज्ञता ने उन्हें बाज़ार की गहरी समझ दी है। इससे वे व्यवसाय का असरदार ढंग से विश्लेषण कर पाते हैं, बाज़ार के लिए तैयार उत्पाद और क्षमताएँ विकसित कर पाते हैं और रणनीतिक योजना में योगदान दे पाते हैं। तेज़ी से बदलते व्यावसायिक माहौल में प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार रहने पर उनका भविष्य-उन्मुख और शोध-उन्मुख दृष्टिकोण केंद्रित है। वे अपनी गतिशील और परिणाम-उन्मुखी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं; वे अपनी टीम में ऊर्जा भरते हैं और हर स्तर पर कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। श्री एस एम रामनाथन ने आईटी टूल्स और गणितीय तकनीकों का इस्तेमाल करके हाइड्रो टर्बाइन्स को बेहतर बनाने और डिज़ाइन करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे लागत और साइकल टाइम में बचत हुई; उनके नाम पर एक टर्बाइन पेटेंट भी है।

क्रम संख्या	नाम \ विवरण	श्री राजेश कुमार द्विवेदी	श्री सेरुगुलाथुर महादेवन रामनाथन
		अपनी संगठनात्मक जिम्मेदारियों के अलावा, उन्होंने भारतीय लागत लेखाकर संस्थान के लागत लेखांकन मानक बोर्ड के सदस्य के रूप में भी इस व्यवसाय में सक्रिय योगदान दिया है। श्री द्विवेदी की रणनीतिक सोच, प्रमाणित नेतृत्व क्षमता और जटिल व्यावसायिक माहौल को संभालने के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड ने बीएचईएल की ग्रोथ और बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके योगदान ने न केवल कंपनी की वित्तीय और प्रचालन प्रदर्शन को मजबूत किया है, बल्कि सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन में भी मदद की है।	श्री रामनाथन 1988 में कैंपस प्लेसमेंट के ज़रिए तिरुचिरापल्ली में बीएचईएल के हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट में अभियंता प्रशिशु के तौर पर शामिल हुए और 1989 में उन्हें 'श्रेष्ठ अभियंता प्रशिशु' का अवॉर्ड मिला। उन्हें बीएचईएल के सबसे बड़े सम्मान, 'उत्कृष्टता' (नवाचार) श्रेणी में 'एक्सेल' अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है।
7	पारिश्रमिक सहित पुनर्नियुक्ति की शर्तें	श्री राजेश कुमार द्विवेदी की नियुक्ति 31.01.2028 तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो), भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों और नियमों के तहत ₹1,80,000 – ₹3,40,000 प्रति माह के वेतनमान पर की गई है।	श्री रामनाथन की नियुक्ति 31.01.2027 तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो), भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों और नियमों के आधार पर ₹1,80,000 – ₹3,40,000 प्रति माह के वेतनमान पर की गई है।
8	31.03.2026 तक बीएचईएल में शेयरधारिता	750 शेयर	शून्य
9	अन्य कंपनियों में निदेशक पद (सूचीबद्ध कंपनियों सहित)	**वर्तमान:** • उपाध्यक्ष, भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड • अध्यक्ष, बीएचईएल-जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड **पूर्व:** • निदेशक (वित्त), हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य
10	सभी कंपनियों में समितियों की अध्यक्षता / सदस्यता	• भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष	शून्य

क्रम संख्या	नाम \ विवरण	श्री राजेश कुमार द्विवेदी	श्री सेरुगुलाथुर महादेवन रामनाथन
11	उन सूचीबद्ध कंपनियों के नाम जिनमें व्यक्ति निदेशक या समिति का सदस्य रहा है और जिनसे उसने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है	लागू नहीं	लागू नहीं
12	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या	श्री द्विवेदी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित सभी (नौ) बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।	श्री रामनाथन ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने कार्यकाल के दौरान हुई सभी (आठ) बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।
13	अन्य निदेशकों, प्रबंधक और अन्य मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	कोई नहीं	कोई नहीं

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

(डॉ. योगेश आर. छाबड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 07, 2026

वीसी के ज़रिए एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग की प्रक्रिया

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, सेबी सूचीकरण नियमन के नियमन 44 और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा दी जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 के अनुसार, सदस्यों को इस नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। ई-वोटिंग के लिए निर्देश नीचे दिए गए हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि इस प्रकार होगी:-

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत:	रविवार, अगस्त 2, 2026 को सुबह 9:00 बजे
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति:	मंगलवार, अगस्त 4, 2026 को शाम 5:00 बजे

जिन सदस्यों के पास बुधवार, 29 जुलाई, 2026 (यानी निर्धारित तिथि) को भौतिक या डीमटेरियलाइज्ड (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में शेयर हैं, वे ऊपर बताई गई अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा। सदस्यों के पास रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके (2 अगस्त, 2026 से 4 अगस्त, 2026 तक) या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से किसी भी प्रस्ताव पर वोट डालने का विकल्प है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसे प्रस्ताव पर पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कंपनी के निदेशक मण्डल ने मैसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिवों के कंपनी सचिव श्री दीपक कुमार को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक/निरीक्षक नियुक्त किया है।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार निर्धारित तिथि को कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

बैठक में ई-वोटिंग समाप्त होने के बाद, संवीक्षक मीटिंग में डाले गए वोटों और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की जांच करेंगे, एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे अध्यक्ष को सौंपेंगे। ई-वोटिंग का परिणाम मीटिंग खत्म होने के दो कामकाजी दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसे, समेकित संवीक्षक रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट **(www.bhel.com)** और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट **(www.evoting.nsdl.com)** पर डाला जाएगा। परिणाम की जानकारी साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

ज़रूरी संख्या में वोट मिलने पर, नोटिस में प्रस्तावित प्रस्तावों को बैठक की तिथि, यानी 5 अगस्त, 2026 को पारित माना जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए निर्देश

A. रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका नीचे बताया गया है:

स्टेप-1: NSDL ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच

A.1) डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन का तरीका

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा दी जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र और वोटिंग प्रक्रिया की क्षमता वृद्धि के तहत, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया शुरु की गई है। वे डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी की वेबसाइट / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास मौजूद अपने डीमैट खाते के ज़रिए वोट कर सकते हैं। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-वोटिंग सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए वे अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी अद्यतन कर लें।

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन का तरीका
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. ओटीपी-आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8-अंकों का डीपी आईडी, 8-अंकों का क्लाइंट आईडी, पैन नंबर और सत्यापन कोड डालना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेजा जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग पीरियड के दौरान वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेजा जाएगा। 2. मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट https://eservices.nsdl.com/ पर पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर **'आईडीईएस'** सेक्शन के तहत **'लॉगिन'** के अंदर **"बेनिफिशियल ओनर"** आइकन पर क्लिक करें; इससे आपको अपना मौजूदा प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप 'मूल्यवर्धित सेवाएँ' के तहत ई-वोटिंग सर्विस देख पाएंगे। ई-वोटिंग सर्विस के तहत **"एक्सेस टू ई-वोटिंग"** क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः भेजा जाएगा।

	3. अगर आपने आईडीईएएस ई-सेवाएँ के लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो रजिस्टर करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **"आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण"** चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। वेब ब्राउज़र खोलें और पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यह URL टाइप करें: https://www.evoting.nsdl.com/ ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, **'Shareholder/Member'** सेक्शन में मौजूद "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना प्रयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह-अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिख रहा सत्यापन कोड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेजा जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर यानी एनएसडीएल** पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः भेजा जाएगा। 5. आसानी से वोटिंग करने के अनुभव के लिए शेयरधारक/सदस्य नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **"NSDL Speede"** भी डाउनलोड कर सकते हैं। **एनएसडीएल मोबाइल ऐप यहाँ उपलब्ध है** App Store Google Play
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में सिक्योरिटीज़ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने CDSL Easi / Easiest सुविधा चुनी है, वे अपनी मौजूदा प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest में लॉग-इन करने के लिए प्रयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं, लॉग-इन आइकन और 'New System My Easi' टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा 'My Easi' प्रयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। 2. सफल लॉग-इन के बाद, Easi / Easiest प्रयोगकर्ता उन योग्य कंपनियों के लिए ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे, जिनकी ई-वोटिंग कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूज़र रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अलावा, सभी ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि यूज़र सीधे ई-वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट पर जा सकें।
	3. अगर प्रयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाकर पंजीकृत कर सकते हैं। इसके लिए 'लॉगिन और न्यू सिस्टम My Easi टैब' पर क्लिक करें और फिर 'पंजीकरण' विकल्प चुनें। 4. इसके अलावा, प्रयोगकर्ता www.cdslindia.com के होम पेज पर मौजूद ई-वोटिंग लिंक के ज़रिए सीधे ई-वोटिंग पेज पर जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर देना होगा। सिस्टम, डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजकर प्रयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करेगा। सफल सत्यापन के बाद, प्रयोगाकर्ता को ई-वोटिंग का विकल्प दिखेगा जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, और वे सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के सिस्टम को सीधे एक्सेस भी कर पाएँगे।
व्यक्तिगत शेयरधारक (जो डीमैट मोड में सिक्योरिटीज़ रखते हैं) अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के ज़रिए लॉग-इन करते हैं	1. ई-वोटिंग सुविधा के लिए, आप एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ज़रिए अपने डीमैट अकाउंट की लॉगिन जानकारी का इस्तेमाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं। 2. लॉगिन करने के बाद, आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने और सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण (पहचान की पुष्टि) होने के बाद, आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग फ़ीचर देख सकेंगे। 3. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल पर क्लिक करें; इसके बाद आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या मीटिंग में वोट डालने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।

आवश्यक सूचना: जो सदस्य अपना प्रयोगकर्ता आईडी या पासवर्ड हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताई गई वेबसाइट पर मौजूद 'Forgot User ID' और 'Forgot Password' विकल्प का इस्तेमाल करें।

डिपॉज़िटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के ज़रिए लॉगिन करने से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या के लिए, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर या 022-4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन करने में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर रिक्वेस्ट भेजकर या टोल-फ्री नंबर 1800-21-09911 पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

ए.2) उन शेयरधारकों के लिए लॉगिन का तरीका, जो डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक या भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारक नहीं हैं

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। वेब ब्राउज़र खोलें और पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यह यूआरएल टाइप करें: **https://www.evoting.nsdl.com/**.
2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, ***'शेयरधारक/सदस्य'*** सेक्शन में दिए गए ***'लॉगिन'*** आइकन पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना प्रयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर सत्यापन कोड दिखता रहेगा।
4. या फिर, अगर आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज़ यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके एनएसडीएल ई-सर्विसेज़ में लॉगिन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप स्टेप 2 पर जा सकते हैं, यानी एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डालें।
5. प्रयोगकर्ता आईडी विवरण के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या फिजिकल में शेयर रखने का तरीका		आपकी प्रयोगकर्ता आईडी है:
क)	एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	8-कैरेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8-अंकों का क्लाइंट ID उदाहरण के लिए, अगर आपका डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट ID 12****** है, तो आपका प्रयोगकर्ता आईडी IN300***12****** होगा।
ख)	सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	16-अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, अगर आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है, तो आपकी प्रयोगकर्ता आईडी 12************** होगी।
ग)	भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	कंपनी के पास रजिस्टर्ड फोलियो नंबर के साथ EVEN नंबर उदाहरण के लिए, अगर फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 140023 है, तो प्रयोगकर्ता आईडी 140023001*** होगी।

6. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड की जानकारी नीचे दी गई है:

    क) अगर आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉग-इन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

    ख) अगर आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वह ***'प्रारंभिक पासवर्ड'*** निकालना होगा जो आपको बताया गया था। एक बार जब आप अपना ***'प्रारंभिक पासवर्ड'*** निकाल लेते हैं, तो आपको ***"प्रारंभिक पासवर्ड'*** डालना होगा और सिस्टम आपसे अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

    ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पाएं?

    (i) अगर आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में पंजीकृत है तो आपका "प्रारंभिक पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से आए ईमेल को ढूंढें। ईमेल खोलें और संलग्नक यानी .पीडीएफ़ फ़ाइल खोलें। .पीडीएफ़ फ़ाइल खोलने के लिए पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के आखिरी 8 अंक या भौतिक फ़ॉर्म में रखे शेयरों के लिए फोलियो नंबर होता है। .पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी ***'प्रयोगकर्ता आईडी'*** और आपका ***"प्रारंभिक पासवर्ड'*** होता है।

    (ii) अगर आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया '**शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश**' में बताए गए चरणों का पालन करें।

7. अगर आप ***'प्रारंभिक पासवर्ड'*** नहीं पा सके हैं या आपको यह नहीं मिला है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

    क) **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध '**प्रयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?**' (अगर आपके पास एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ डीमैट अकाउंट में शेयर हैं) ऑप्शन पर क्लिक करें।

    ख) **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध '**भौतिक प्रयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?**' (अगर आपके पास भौतिक मोड में शेयर हैं) विकल्प पर क्लिक करें।

    ग) अगर आप ऊपर बताए गए दो विकल्प से भी पासवर्ड नहीं पा पाते हैं, तो आप **evoting@nsdl.com** पर अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि बताते हुए अनुरोध भेज सकते हैं।

    घ) सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

8. अपना पासवर्ड डालने के बाद, चेक बॉक्स पर टिक करके ***'निबंधन और शर्तों से सहमत'*** को चुनें।.
9. अब, आपको ***'लॉगिन'*** बटन पर क्लिक करना होगा।
10. ***'लॉगिन'*** बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

स्टेप 2: इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट दें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर जनरल मीटिंग में शामिल हों

1. स्टेप 1 में सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों का '**EVEN**' देख पाएंगे जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनका वोटिंग साइकल एक्टिव है।
2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि और आम बैठक के दौरान वोट देने के लिए कंपनी का '**EVEN 140023**' चुनें। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको '**Join Meeting**' के नीचे दिए गए '**VC/OAVM**' लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब वोटिंग पेज खुलने पर आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प जैसे सहमति या असहमति चुनकर अपना वोट दें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप वोट देना चाहते हैं और '**सब्मिट**' पर क्लिक करें; साथ ही, पूछे जाने पर '**पुष्टि**' भी करें।
5. पुष्टि होने पर, '**वोट सफलतापूर्वक दिया गया**' का संदेश दिखाई देगा।
6. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने दिए गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट कन्फर्म कर देते हैं, तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

बी. वार्षिक आम बैठक में वीसी के ज़रिए शामिल होने और वार्षिक आम बैठक के दिन वोटिंग करने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के ज़रिए वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा दी जाएगी। सदस्य '**एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुँचने**' के लिए ऊपर बताए गए स्टेप्स का पालन करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सदस्यों को कंपनी के नाम के सामने '**ज्वाइन मीटिंग**' मेनू के तहत दिए गए '**VC/OAVM लिंक**' पर क्लिक करना चाहिए। VC/OAVM के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का EVEN दिखाई देगा।

2. जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में कहीं और बताए गए रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।

3. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के ज़रिए बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, बैठक के दौरान किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा चालू करने और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, ऐसी किसी भी समस्या से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

5. जिन सदस्यों को वार्षिक आम बैठक से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे एनएसडीएल से 022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल की सुश्री पल्लवी म्हात्रे से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं।

6. जो सदस्य वार्षिक आम बैठक के दौरान अपनी राय बताना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं, वे 27 जुलाई, 2026 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से 30 जुलाई, 2026 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) के बीच shareholderquery@bhel.in पर अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी / फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर और संभावित सवाल (अगर कोई हों) बताते हुए अनुरोध' भेजकर स्पीकर के तौर पर पंजीकृत कर सकते हैं। सिर्फ़ उन्हीं सदस्यों को एजीएम के दौरान अपनी राय बताने / सवाल पूछने की अनुमति होगी जिन्होंने स्पीकर के तौर पर पंजीकृत किया है। वार्षिक आम बैठक को सुचारु रूप से चलाने के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता को देखते हुए, कंपनी के पास सवालों और वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार है।

7. सदस्य shareholderquery@bhel.in पर पहले से मेल भेजकर भी लिखित रूप में सवाल पूछ सकते हैं। मेल में उन्हें अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ज़रूरी राय/सवाल बताने होंगे। कंपनी इनका उचित जवाब देगी।

8. बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के तय समय से 15 मिनट पहले शुरू हो जाएगी और वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही के दौरान खुली रहेगी।

9. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया वही होगी जो ऊपर रिमोट ई-वोटिंग के लिए बताई गई है।

10. सिर्फ़ वे सदस्य जो वीसी सुविधा के ज़रिए एजीएम में मौजूद रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए प्रस्तावों पर वोट नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग पद्धति के ज़रिए वोट देने के लिए पात्र होंगे।

11. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए वोट दिया है, वे एजीएम में शामिल होने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

सी. शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्तियों, HUF, NRI आदि के अलावा) को बोर्ड प्रस्ताव/अधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सही प्रति (PDF फ़ॉर्मेट) और अधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर, स्क्रूटिनाइज़र को csdelhi84@gmail.com पर भेजने होंगे और इसकी एक प्रति evoting@nsdl.com को भी भेजनी होगी। संस्थागत शेयरधारक (यानी व्यक्तियों, HUF, NRI आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के तहत दिखाए गए "अपलोड बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकार पत्र" पर क्लिक करके अपना बोर्ड प्रस्ताव/पावर ऑफ़ अटॉर्नी/प्राधिकार पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं।

2. यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसित किया जाता है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम (डिसेबल) हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपसे अनुरोध है कि पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध '**प्रयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?**' या उपलब्ध '**फिज़िकल प्रयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?**' विकल्प का उपयोग करें।

3. कोई भी व्यक्ति जिसके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि पर शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह वोट देने के लिए अपनी मौजूदा प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। अगर कोई व्यक्तिगत शेयरधारक डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर खरीदकर कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तारीख पर शेयर रखता है, तो वह '**डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन तरीका**' के तहत बताए गए चरणों को फॉलो कर सकता है।

4. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल की सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।

5. जिन सदस्यों की ईमेल आईडी डिपॉजिटरी / कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे ई-वोटिंग के लिए प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड पाने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं:

   i) अगर शेयर भौतिक रूप में हैं, तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन

कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी) दें।

ii) अगर शेयर डीमैट रूप में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की कॉपी, पैन (पैन कार्ड की स्व:प्रमाणित की हुई स्कैन कॉपी), और आधार (आधार कार्ड की स्व:प्रमाणित की हुई स्कैन कॉपी) दें।)

iii) अगर आप एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं और आपके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं, तो आपसे अनुरोध है कि (पॉइंट नंबर A.1) में बताए गए लॉगिन तरीके को देखें, यानी डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन का तरीका।

iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा दी जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभगियों के पास मौजूद अपने डीमैट खाते के ज़रिए वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही-सही अधतन करना होगा।

6. कंपनी के साथ अपना ईमेल पता स्थायी रूप से पंजीकृत/अद्यतन करने और भविष्य में समस्त संचार (नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ ई-वोटिंग निर्देश) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य **shareholderquery@bhel.in** पर या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, मैसर्स बिगशेयर सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड को **investor@bigshareonline.com** पर ईमेल अनुरोध भेज सकते हैं। इसके साथ पहले शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, पैन की स्व:प्रमाणित की हुई कॉपी और शेयर प्रमाणपत्र की कॉपी भेजनी होगी ताकि आरटीए उनका ईमेल पता पंजीकृत कर सके।

ख) डीमटेरियलाइज़्ड (डिजिटल) रूप में शेयरधारक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें।

ग) इस मामले में किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य **investor@bigshareonline.com** पर लिख सकते हैं या 022-62638200 पर कॉल कर सकते हैं।

बैंकर, लेखा परीक्षक और रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट

बैंकर	लेखा परीक्षक
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	मैसर्स के. वेंकटचलम अय्यर एण्ड कंपनी, नई दिल्ली
केनरा बैंक	मैसर्स के. एस. दुआ एण्ड कंपनी, नई दिल्ली
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	मैसर्स संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी, भोपाल
ICICI बैंक लिमिटेड	मैसर्स गणेशन एण्ड कंपनी, चेन्नई
एचडीएफ़सी बैंक लिमिटेड	मैसर्स वाई सी आर जे एण्ड एसोसिएट्स, बेंगलुरु
एक्सिस बैंक लिमिटेड	मैसर्स सरथ एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	मैसर्स के गोपाल राव एण्ड कंपनी, चेन्नई
बैंक ऑफ़ बड़ौदा	
एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया	**लागत लेखा परीक्षक**
इंडियन बैंक	मैसर्स विजेंद्र शर्मा एण्ड कंपनी, दिल्ली
पंजाब नेशनल बैंक	मैसर्स आर.एम. बंसल एण्ड कंपनी, कानपुर
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एण्ड कंपनी, हैदराबाद
यस बैंक लिमिटेड	मैसर्स सुब्रमण्यन राजगोपाल एण्ड एसोसिएट्स, तिरुचिरापल्ली
आरबीएल बैंक लिमिटेड	मैसर्स मूर्ति एण्ड कंपनी एलएलपी, बेंगलुरु
इंडियन ओवरसीज़ बैंक	मैसर्स पालीवाल एण्ड एसोसिएट्स, लखनऊ
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	मैसर्स एसएसपीजीआर एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी, विशाखापत्तनम
फ़ेडरल बैंक लिमिटेड	
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	
बैंक ऑफ़ इंडिया	**रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट** मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस नंबर S6-2, छठी मंज़िल, पिनेकल बिज़नेस पार्क, अहूरा सेंटर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई – 400093 टेलीफोन नंबर: 022-62638200 ईमेल: investor@bigshareonline.com वेबसाइट: www.bigshareonline.com

पंजीकृत कार्यालय

बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049 (भारत)

CIN: L74899DL1964GOI004281

फ़ोन: 011-66337598

वेबसाइट : **www.bhel.com** ई-मेल: **shareholderquery@bhel.in**

टिप्पणी

टिप्पणी

ईएसजी

पर्यावरण, समाज एवं अभिशासन में निवेश

बीएचईएल में, संधारणीयता हमारे प्रचालन के हर पहलू में गहनता से एकीकृत है, जिससे सभी हितधारकों के लिए जवाबदेह विकास और दीर्घ-अवधि तक चलने वाले मूल्यों का निर्माण होता है।

हरित बीएचईएल पहल
वित्त वर्ष 2023-24 में आरंभ की गई- वर्ष 2047 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य

डब्ल्यूईएफ के तत्वाधान में बीएचईएल परिसरों में **मौजूद 30 लाख पेड़ों** को संरक्षित करने का संकल्प लिया।

वित्त वर्ष 2025-26 में **44,380+ पौधे** लगाए गए

विगत 7 वर्षों में **430,380+ पौधे** लगाए गए

बीएचईएल की चार इकाइयों में कुल **31,050 वर्ग मीटर** दायरे में फैला **मियावाकी वन**

ग्रीनको गोल्ड रेटिंग: 1 विनिर्माण इकाई

ग्रीनको सिल्वर रेटिंग: 8 विनिर्माण इकाइयाँ

ग्रीनको ब्रॉन्ज़ रेटिंग: 3 विनिर्माण इकाइयाँ

ऊर्जा संरक्षण कैप्टिव **सोलर PV** संयंत्र **~ 43 MWp**

वित्त वर्ष 2025-26 में **कैप्टिव एसपीवी से विद्युत उत्पादन ~ 44 MUs**

वित्त वर्ष 2025-26 में **कार्बन फुटप्रिंट में कमी,** पिछले साल के मुकाबले 9.07% बेहतर

बीएचईएल में **22 अपशिष्ट उपचार संयंत्र और 18 सीवेज उपचार संयंत्र**

बीएचईएल इकाइयों में **140+ वर्षा जल संचयन** प्रणालियाँ और जल निकाय

बीएचईएल की सभी टाउनशिप को **"सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री"** प्रमाणित किया गया

बीएचईएल की हरित पहलें कंपनी की संधारणीयता और पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा में इसकी भूमिका को और सुदृढ़ करती है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली - 110049, भारत
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L74899DL1964GOI004281
www.bhel.com

फॉलो करें

BHELOfficial BHEL_India BHEL_India bhel.india company/bhel